अनुशासनिक कार्यवाही

एवं

राजस्थान असैनिक सेवायें

(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम

[Rajasthan Civil Services (C. C. A.) Rules]

[मूल अंग्रेजी नियम मय हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत व्याख्या]

●

[केन्द्रीय असैनिक सेवायें (C C A) नियम, संवैधानिक प्रतिकार, (लेख-याचिकायें व वाद)
समस्त नियमोपनियम, आचरणावली (Conduct Rules), भारतीय पुलिस-
अधिनियम के प्रावधान तथा पंचायत समिति व जिला-परिषद् सेवायें
(दण्ड व अपील) नियम सहित एक समीक्षात्मक
संदर्भ-ग्रन्थ]

●

लेखक

श्रीकृष्ण दत्त शर्मा M A R A S

एवं

आर० डी० शास्त्री M A Research Scholar

●

देवनागर प्रकाशन, जयपुर-३

प्रकाशक :
देवनागर प्रकाशन
इलाहाबाद बैंक के सामने,
चौड़ा रास्ता,
जयपुर-३.

प्रथम संस्करण
१ ६ ६ ८
[आदिनांक संशोधित]

मुद्रक :
एलोरा प्रिण्टर्स,
जयपुर-३.

अनुक्रमणिका

†अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

भाग (३) नियुक्ति-प्राधिकारीगण (Appointing Authorities)

भाग (४) निलम्बन (Suspension)

भाग (५) अनुशासन (Discipline)

भाग (६) अपीलें (Appeals)

भाग (७) पुनरीक्षा (Review)

भाग (८) विविध व अस्थायी (Miscellaneous & Transtiory)

३६१ विविध

परिशिष्ट

(Appedices)

परिशिष्ट (A) † अनुसूचियां

परिशिष्ट (B)

परिशिष्ट (क)

सवैधानिक प्रतिकार (Constitutional Remedies)

परिशिष्ट (ख)

नियमोपनियम

परिशिष्ट (ग)

आचरणावली

परिशिष्ट (घ)

परिशिष्ट (ङ)

परिशिष्ट (च)

तालिकाओं की सूची (Index of Tables)

---

† अप्रमाणित अनुवाद ।

* समीक्षात्मक विशेष अग्र-लेख ।

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णयों की संदर्भ तालिका

(Reference Index of Important Case Laws)

(Yearwise & Courtwise)

FC (फैडरल कोर्ट=संघीय न्यायालय)

PC (प्रिवी कौंसिल=शाही न्यायालय)

SC (सप्रीम कोर्ट=सर्वोच्च न्यायालय)

1947 तक के निर्णय

*पृष्ठ सख्या मे कोष्टक "[" के बाद की सख्या 'परिशिष्टों' की पृष्ठ संख्या है।

1952

1953

AIR 1953 कलकत्ता 581 ... २०
1953 " 319 ... ३१
1953 " 45 पी० बी० चक्रवर्ती बनाम डिवी. सुपरि. ... ४०, ४२
1953 उड़ीसा 329 दण्डपाणि गौड़ बनाम राज्य ... ३६, ४०, ४२, ५५, १०३
1953 पंजाब 345 ... १०१
1953 " 137 नागाराम बनाम भारतसंघ ... १४३
1953 " 88 डा० मुकुन्दलाल बनाम शिमला नगरपालिका ... १६९
1953 मद्रास 54 सम्बन्धम् बनाम जनरल मैनेजर ... १९६
1953 " 472 ... [३४
1953 " 59 ... [३४
1953 WA No. 739 मद्रास (unreported case) ... १७३

1954

AIR 1954 SC 569 राजनारायणसिंह बनाम चेयरमैन, पटना एडमि० कमेटी ... १०
1954 " 584–5 जयराम बनाम भारतसंघ ... १४, ९४, ९६, २३८
1954 " 369 श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश २०, ८६, ९०, ९१, ९३, ९५, ९६, १००, [३९, ४०
1954 " 423 पी. सी. बाधवा बनाम भारतसंघ ... ८५
1954 " 447 (451) ... ८६, १०७, ९४
1954 " 683 भोलानाथ जे. ठाकेर बनाम सौराष्ट्रराज्य ... ११५, १२४, १२५, [४७
1954 " 375 (378) एस. ए. वेंकटरमण बनाम भारतसंघ
1954 " 300 ... १२५
1954 " 51 (Criminal) ... १७३
1954 " 403 ... २०३, [४०
1954 " 411 दीनबन्धु बनाम जादूमणि ... २१२
1954 " 217 ... [३४
1954 " 493 ... [३४
1954 " 245 बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद ... १० (दो), [३९, ४० (२)
1954 " 207 (210) F.B. ... [४०
1954 " 295 ... [४०
1954 राजस्थान 207 गौमागमल बनाम राज्य १९, १०७, ११३, १२०, १२२, १८०
ILR 1954 राजस्थान 733 (735)=1954 RLW 524 ... ३३
1954 " 12 चेलाराम बनाम राज्य ... १२, १८२
1954 अजमेर 22 (24) केदारनाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ४१, ४१, ७४, ८५, ८६, ८८, [३८ (२)
ILR 1954 राजस्थान 630 ... ८६
1954 राजस्थान 491 ... १८०
1954 RLW 65 ... [१३

AIR 1954 नागपुर 257 ... ... [३७
1954 ,, 90 गोपालराव दामोदरजी बनाम मध्य प्रदेश १७५, १७८, १८०, [३२
1954 ,, 161 श्यामजी नारायणजी बनाम उत्तर प्रदेश ९४
1954 ,, 229 B1=ILR 1954 नाग० 371 ८७, १२५, २२२, २३३

1954 विन्ध्य प्रदेश 50 नरेश नारायणसिंह बनाम महानिरीक्षक पुलिस १४८, १७४
1954 विन्ध्य प्रदेश 24 १४

1954 MP 1 ... ... १०६

1954 पेप्सू 129 ... ... [३७
1354 पेप्सू 498 ... ... [३७
1954 पेप्सू 136 म० मोहनसिंह बनाम पेप्सू राज्य ... १९, २०, २६
1954 पेप्सू 98 [102] बलदेवसिंह बनाम राज्य ४७, ५५, २०३, २३५, [३६, ८६

1954 T & C 137 ... ... [३५
1954 ,, 199 ... २०
1954 ,, 32 जैनुद्दीन बनाम ट्रावन्कोर कोचीन राज्य ९४

1954 कलकत्ता 495 ... ... १७१
1954 ,, 335 लक्ष्मीनारायण गुप्ता बनाम ए.एल. पुरी ३१, १५८, १६६,[३८
1954 ,, 340 हेमन्तो कुमार भट्टाचार्य बनाम एस. एन मुकर्जी ३९, ४०, ४७,
1954 ,, 60 शिवनन्दनसिंह बनाम प० बंगाल राज्य ४०, ११३, ११४,
1954 ,, 383E ८०, ८६ ८७, ८८, १०१, १४२, [३२
1954 ,, 561 श्रीमती प्रतिमा मुंशी बनाम इंजिनीयर १०५
1954 ,, 566 फकीरचन्द बनाम चक्रवर्ती २०७, १३७

1954 जम्मू और कश्मीर 14 ... ... ३९, ३९

1954 भोपाल 25 ... ... ३६, ५५ [३६

1954 पटना 187 रामाधारसिंह बनाम बिहार राज्य ... ६३

1954 मध्य भारत 49 प्रेमबिहारीलाल भान बनाम राज्य ... ४०, ४२, ८७
1954 ,, 54 मुंशीराम बनाम मध्यभारत राज्य ... ६४

1954 मद्रास 587 वेंकटेश्वरालू बनाम मद्रास राज्य ... ४०, ४३
1954 मद्रास 1043 ... ... २१५

1954 पंजाब 298 ... ... ४६
1954 पजाब 134 ... ... [illegible]

1954 इलाहाबाद 144 ... ... [illegible]
1954 ,, 235 श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश ... [illegible]
1954 ,, 343 रामकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश ... [illegible]
1954 ALJ 515 (517) ... [illegible]
1954 ,, 487 ... ... [illegible]
1954 ,, 629 ... ... [illegible]

1954 हैदराबाद 201 ... ... [illegible]

1954 बम्बई 351 राज्य बनाम गजानन महादेव ... [illegible]
1954 बम्बई 202 ... ...

1954 I-LLJ 281 HC बम्बई–फायर स्टोन टायर कं० [illegible]

1956

1957

1959

1961

1963

1964

AIR	1964	SC	423	पी० सी० वाधवा बनाम भारत संघ	८८
	1964	,,	1585	गुरुदेवसिंह सिधू बनाम पंजाब राज्य	९६ ६८, [३६
	1964	,,	449	जगदीश मित्तर बनाम भारतसंघ	१००, १०४, १०६
	1964	,,	1854	चम्पालाल बनाम भारत संघ	११८
	1964	,,	396	...	१२२, [३३
	1964	,,	364	भारतसंघ बनाम एच. पी. गोयल	.. १७५, १७७, [३७
	1964	,,	506	मैसूर राज्य बनाम के. मॉरो गौड	१७५
	1964	SCR	616	सर एन्मल एण्ड स्टाम्पिंग वर्क्स बनाम वर्कमैन	१६६
	1964	I SCJ	98	दी मोनालाल टी इस्टेट बनाम वर्कमैन	१६६, [३८
	1964	SCR	652	एसासिएटेड सीमेंट कम्पनी बनाम वर्कमैन	१६६, [३८
AIR	1964	राज०	13	परमात्मा शरण बनाम मुख्य न्यायाधीश राजस्थान	[३५
	1964	,,	5	शिवरतन मोहता बनाम एम० टी० ओ०	[३५
	1964	,,	243	तुलसी बाई बनाम चुन्नीलाल	१५
ILR	1964-14	राज०	90	डा० भानुप्रतापसिंह बनाम राज्य	[३४
	1964	RLW	635	हरिश्चन्द्र बनाम उपनिदेशक शिक्षा	[१०५
	1964	,,	613	श्याम नारायण शर्मा बनाम भारत संघ	१७४
	1964	,,	83	... ...	[३४
AIR	1964	म० प्र०	155	रामस्वरूप शर्मा बनाम डि० कमि० सुपरिटेण्डेंट	१२७
	1964	,,	318	आनन्द नारायण बनाम मध्यप्रदेश	१५४
	1964	पटना	168	भारतसंघ बनाम मालिक मो० इल्यास	४१,६२,२०३,(दो) [३७, ४०
	1964	मनीपुर	8	ननगोम नीलमणिसिंह बनाम भारत संघ	४५, ५१, ५३, १९७
	1964	J&K	14	... ...	५५
	1964	,,	92	डी० एन० धर व अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर	६८
	1964	A P	407	अब्दुल रहीम बनाम सी० ई० ओ० आंध्र	१२३ १५४, १७५
	1964	,,	491	... ...	६०, [४१
	1964	उड़ीसा	241	... ...	६०, १६०, [४१
	1964	,,	29	उड़ीसा राज्य बनाम पी० कृष्णस्वामी मूर्ति	१६३, १९४
	1964	मैसूर	229	... ...	७५
	1964	,,	221	एम सुब्बाराव बनाम मैसूर राज्य	८६, १२१, १५४
	1964	,,	250	टी० मुनिस्वामी बनाम मैसूर राज्य	१६०
	1964	इलाहाबाद	528	शम्भूजी श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश शासन	८८
	1964	पंजाब	354	दर्शनसिंह बनाम पंजाब राज्य	१०६
	1964	,,	143	... ...	[८२
	1964	मद्रास	488	मद्रास बार कौंसिल बनाम वी. के. रघुरैया	१०८
	1964	,,	375	एम० मानिकम बनाम पुलिस अधीक्षक	१४२
	1964	कलकत्ता	503	गुलाम मोहम्मद/मोहिनुद्दीन बनाम पं० बं० राज्य	१५४, १७५
	1964	,,	184	बंगाल राज्य बनाम शैलेन्द्रनाथ बोस	१७३
	1964	गुजरात	139	ए० एस० रिजवी बनाम डिवीजनल इन्जिनियर	१५५
	1964	केरल	87	के० सी० चन्द्रशेखरन् बनाम केरल राज्य	२०२

1965

1966

1967

1968

विविध

विदेशी निर्णय

English Decisions :

U. S A , S. C.Decisions

Australia S. C.

राजस्थान असैनिक सेवायें
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)
नियम १९५८

Rajasthan Civil Services
(CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL)
RULES 1958

क्रमांक एफ. १८(२) नियुक्ति (क) ५६, दिसम्बर ११, १९५८

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन परन्तुक[1] में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान असैनिक सेवाओं के सदस्यों के वर्गीकरण, नियंत्रण व उनके द्वारा वांछित अपीलों सम्बन्धी निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

भाग (१) [Part I]
सामान्य (General)

Rule—1 Short title & Commencement —

(a) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958.

(b) They shall come into force at once.

नियम—१ संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ —

(क) ये नियम 'राजस्थान असैनिक (सिविल) सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९५८ कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे। 2

व्याख्या

१—परिचय।
२—नियम बनाने व संशोधित करने का अधिकार व उसका प्रत्यायोजन।
३—संक्षिप्त नाम : अर्थ व महत्व।
४—प्रारम्भ व प्रकाशन।
५—नियमों का स्वरूप।

१. परिचय—इस नियम में इन नियमों का नामकरण किया गया है और प्रारम्भ होने का प्रावधान रखा है।

---

१. देखिये परिशिष्ट (क)

२. राजस्थान-राजपत्र के भाग ४ (ग) दिनांक ७-५-५९ में प्रकाशित।

२. **नियम बनाने व संशोधित करने का अधिकार व उसका प्रत्यायोजन**—(Rule Making Power & its delegation)—भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ व ३१२ के अधीन नियम बनाने का अधिकार किसी प्राधिकारी को दिया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक में राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह अधिकार दिया हुआ है और अनुच्छेद ३१२ में इसको मना नहीं किया गया है। विधायिका द्वारा नियम बनाने का अधिकार किसी सीमा तक कार्यकारिणी को प्रदत्त किया जा सकता है।[1] किन्तु केवल इसी कारण से कि—विधायिका ने अधिकारों का अत्यधिक प्रत्यायोजन (excessive delegation) किया है, किसी अधिनियम को समाप्त नहीं किया जा सकता।[2] नियम बनाने के अधिकार के साथ ही उसमें परिवर्तन व संशोधन करने का अधिकार भी निहित है;[3] किन्तु पहले से नियमों में दी गई सुविधायें कर्मचारी से छीनी नहीं जा सकती।[4] पंजाब उच्चन्यायालय ने सुन्दरलाल–बनाम–पंजाब राज्य[5] के निर्णय में यह संदेह प्रकट किया है कि—नये नियम पुराने कर्मचारियों की सहमति के बिना उन पर लागू नहीं हो सकते। किन्तु नये नियम बनाने के लिये मौजूदा कर्मचारियों की सहमति लेना आवश्यक नहीं है[6] और समय समय पर होने वाले संशोधनों का खतरा उन्हें सहन करना पड़ेगा।[7] राज्यपाल पूर्वकालिक प्रभाव से नियम बना सकते हैं[8] और इसी प्रकार उनमें संशोधन भी किया जा सकता है।[8] किन्तु जहां ये नियम संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) में प्रदत्त अधिकारों का हनन करे और उक्त अनुच्छेद का क्षेत्र निश्चित हो जावे, तो अनुच्छेद ३०९ के अधीन बना कोई नियम अनुच्छेद ३११ में विश्वस्त अधिकारों को नहीं दबा सकता।[9]

३. **संक्षिप्त नाम, अर्थ व महत्व**—किसी अधिनियम या नियम का संक्षिप्त नाम उसके क्षेत्र व महत्व का प्रतीक होता है, किन्तु उसे किसी प्रकार की दुविधा पैदा करने वाले अर्थ के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता।[10] यह संक्षिप्त नाम यह बताता है कि—ये राजस्थान राज्य की विभिन्न सेवाओं में नियोजित कर्मचारियों के वर्गीकरण अर्थात्—श्रेणियों में बांटने, उनके नियन्त्रण-अर्थात्-अनुशासन, विभागीय जांच, दण्ड तथा उनके प्रतिकार के लिए की गई अपील (जिसमें पुनरीक्षा भी शामिल है) से सम्बन्धित हैं और १९५८ के वर्ष में इन्हें बनाया गया है। राज्य कर्मचारियों के अनुशासन, दण्ड व उनके प्रतिकार की प्रक्रिया (विधि) का विवेचन करने के कारण इन नियमों का प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिये महत्व है, जिसके आधार पर वह अपने आपको जागरूक रख कर ही सफलता से सेवा कर सकता है। इन नियमों का नियुक्ति, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति आदि से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

४. **प्रारम्भ व प्रकाशन**—ये नियम राजस्थान राजपत्र के भाग ४ (ग) में दिनांक ७-५-५९ को प्रकाशित हुये, अतः उसी दिन से तुरत लागू माने गये।

---

1. Rajnarain Singh Vs. Chairman, Patna Adm. Committee AIR 1954 S.C. 569
2. D.S. Grewal Vs. State of Punjab AIR 1958 S.C. 512
3. Jogesh Vs. Union of India AIR 1955 Assam 17
4. Ramavatar Pandey Vs. State of U.P. AIR 1962 All. 328, AIR 1658 Cal. 407; AIR 1955 Assam 17 and AIR 1957 S.C. 246.
5. Sunder Lal Vs. Punjab State AIR 1957 Punjab 140
6. Ramvatar Pandey Vs. State AIR 1962 All. 328
7. Anil Nath Vs. Collector AIR 1958 Cal. 404, N.S. Prabhakaran Vs. State; AIR 1960 Kerala 82
8. Prithvinath Vs. State AIR 1959 All. 169
9. Moti Ram Vs. NEF. Rly. AIR 1964 S.C. 600
10. AIR 1958 S.C. 512.

५. **नियमों का स्वरूप**—नियम दो प्रकार के होते हैं—(क) वैधानिक (Statutory) व (ख) प्रशासनिक—(Administrative)। संविधान मे प्रदत्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम वैधानिक होते हैं, जबकि सरकार और उसके अधिकारियो के मार्ग दर्शन के लिये बनाये गये नियम केवल प्रशासनिक। इन दोनों मे काफी अन्तर है।[12] स्थानान्तर, पदोन्नति का अवसर देना तथा राज्यपाल द्वारा जारी किये गये निर्देश (directions)—ये प्रशासनिक नियमो मे हैं और इनसे किसी मौलिक अधिकार का हनन नही होता। अत: इनका प्रतिकार सरकार के पास है, न्यायालय में नही।[13] इन नियमों के भग होने से कर्मचारी को सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है।[14] किन्तु संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन बने नियम वैधानिक हैं फिर भी वे संविधान के प्रावधानों से ऊपर नही जा सकते।[15] नियम जो 'Procedure for conducting Enquiries under the Disciplinary Action Rules,' शीर्षक से प्रकाशित किये गये हैं, वे वैधानिक हैं।[16] राजस्थान पुलिस रेगूलेशन्स १९४८ प्रशासनिक नियम हैं और राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमो के विपरीत प्रावधान होने पर वे इन नियमो से ऊपर नही जा सकते।[17] पहले उच्चन्यायालयो मे इस बात पर मतभेद था कि—पुलिस कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद ३११ का संरक्षण प्राप्त है या नही, किन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि—उन्हे वह संरक्षण प्राप्त है।[18]

Rule—2 Interpretation—In these rules, unless the context otherwise requires:—

नियम—२ निर्वचन—इन नियमों मे, जब तक कि संदर्भ के आधार पर अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो:

(a) "Appointing Authority"—in relation to a Government Servant means:—

(i) the authority empowered to make appointment to the service of which the Government Servant is for the time being a member or to the grade of the service in which the Government servant is for the time being included, or

(ii) the authority empowered to make appointments to the post which the Government servant for the time being holds, or

(iii) the authority which appointed the Government servant to such service grade or post, as the case may be, or

---

12. Kamtacharan Vs PMG Bihar AIR 1955 Patna 381
13. Wardraja Vs. State of Travanchore Cochin AIR 1952 T.C. 140, Kishan Lal Dalela Vs Director of Education AIR All. 315
14. Wardraja Vs State of T. C. AIR 1952 T. & C. 14 E. anga Warrier Vs. State of T.C. AIR 1958 Ker. 79, M.N. Kesran Nair Vs. T. D. B. AIR 1959 Ker 21.
15. RLW (1063) 122, AIR 1959 Pat. 382
16. ILR 1962 Raj 302
17. Poonaram Vs. State ILR 1959 Raj 654-OR-AIR 1959 Raj 56-OR-1959 RLW 523
18. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश शासन, AIR 1961 S.C. 1245

(iv) Where the Government Servant, having been a permanent member of any other service or having substantively held any other permanent post, has been in continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that service or to any grade in the service or to that post,

whichever authority is the highest authority;

*Provided that where the Government or Head of Department has delegated the powers to a subordinate authority, the Head of Department concerned, shall be the "appointing authority" for the purposes of rule 23 (2) (a) (b).

(क) नियुक्ति प्राधिकारी—किसी राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में इसका अर्थ होगा—

(i) वह प्राधिकारी जो उस सेवा के लिये नियुक्तियां करने के लिये सशक्त हो, जिसका कि वह राज्य कर्मचारी उस समय सदस्य हो अथवा उस सेवा की श्रेणी के लिये जिसमें कि वह राज्य कर्मचारी उस समय सम्मिलित हो, या

(ii) वह प्राधिकारी जो कि उस पद के लिये नियुक्तियां करने में सशक्त हो जिसे कि वह राज्य कर्मचारी उस समय धारण किए हुए है, या

(iii) वह प्राधिकारी जिसने कि उस राज्य कर्मचारी को उस सेवा, श्रेणी या पद पर, जैसा भी हो; नियुक्त किया था, या

(iv) जहां कोई राज्य कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रह चुका हो या किसी अन्य सेवा में या किसी अन्य स्थायी पद को मूल रूप से धारण करके राज्य की सेवा में लगातार रह रहा हो, तो वह प्राधिकारी जिसने कि उसको उस सेवा या उस सेवा की किसी श्रेणी या उस पद पर नियुक्त किया था ।

(इनमें से) जो भी प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी हो;

*परन्तु जब सरकार ने या विभागाध्यक्ष ने अपनी शक्तियां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दी हों, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष नियम २३ (२) (क) (ख) के प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

(b) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission;

(c) "Disciplinary Authority" in relation to the imposition of a penalty on a Government Servant, means the authority competent under these rules to impose on him that penalty;

(d) 'Gazette' means the Rajasthan Rajpatra;

(e) 'Government' means the Government of Rajasthan;

(f) 'Government Servant'—means a person who is a

---

* विज्ञप्ति सं. एफ १६ (२) नियुक्ति (क) श्रे० ३।६० दि० १–६–६० व दि० २४–८–६० द्वारा निविष्ट ।

member of a service or who holds a Civil post under the Government of Rajasthan and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the local or other authority and also any person in the service of local or other authority whose services are temporarily placed at the disposal of the Goverment of Rajasthan or a person in service on a contract or a person who has retired from Government service elsewhere and is re-employed under the Government of Rajasthan, but does not include a person in the the Civil Service of the Indian Union or a State Government serving on deputation in Rajasthan who will continue to be governed by the rules applicable to such person.

*(g) "Head of the Department" means in the authority specified in Schedule A' as the Head of Department in the case of a Department under the administrative control of Gouernment and includes the Commissioner for Departmental enquiries in respect of embezzlement enquiry cases involving an amount of rupees fifty and above pertaining to various Departments entrusted to him by the Government.

*(h) "Head of Office" means the authority specified in Schedule 'B' as the Head of Office in respect of the each office under the administrative control of Government and includes the Officer on Special Duty (Embezzlement enquiry cases) and an Assistant Commissioner for Departmental Enquiries in respect of the embezzlement enquiry cases involving an amount of rupees fifty and above pertaining to the various departments entrusted to the Commissioner for Departmental Enquiries.

(i) 'Schedule' means a schedule annexed to these rules

(j) 'Service' means a Service of the State of Rajasthan.

(ख) 'आयोग' से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग से है।

(ग) 'अनुशासन प्राधिकारी' से अभिप्राय किसी राज्य कर्मचारी को कोई दण्ड देने के सम्बन्ध मे उस समक्ष प्राधिकारी से है जो कि इन नियमो के अन्तर्गत उसको वह दण्ड दे सकता है।

(घ) 'राजपत्र' से अभिप्राय राजस्थान राज-पत्र से है ।

(ड) 'सरकार' से अभिप्राय राजस्थान-सरकार से है।

(च) 'राज्य कर्मचारी' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो किसी सेवा का सदस्य है या जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई असैनिक पद धारण किए हुए है और इसमे वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो किसी बाहरी सेवा पर है अथवा जिसकी सेवायें किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन अस्थायी रूप से दे दी गई हो और किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी की सेवा का

* Inserted Vide No. F (3) Apptts (A) 3/63 Date 26-4. 64 effective from Date 9. 7. 59,

वह व्यक्ति भी जिसकी सेवायें संविदा (इकरार) पर हों अथवा वह व्यक्ति जो किसी दूसरे स्थान से राज्य सेवा से निवृत्त हो चुका हो और राजस्थान सरकार द्वारा पुनः नियोजित कर लिया गया हो; परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो कि भारतीय संघ की अथवा दूसरे राज्य की असैनिक सेवा में हो और राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा हो और वह उस पर लागू होने वाले नियमों से शासित होता रहेगा।

*(छ) 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है, जो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट किया गया हो और विभागीय-जांच-आयुक्त भी इसमें सम्मिलित है, जिसे विभिन्न विभागों से सम्बद्ध ५० रु० या अधिक राशि के गबन की जांच के मामले सरकार द्वारा सौंपे गये हों।

*(ज) 'कार्यालयाध्यक्ष' से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है, जो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रत्येक कार्यालय के लिए कार्यालयाध्यक्ष के रूप में अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट किया गया हो और विशेषाधिकारी (गबन जांच मामलात) तथा सहायक आयुक्त (विभागीय जांच) भी इसमें सम्मिलित होंगे, जबकि विभिन्न विभागों के ५० रु० या अधिक रकम के गबन के मामलों की जांच सरकार द्वारा विभागीय जांच आयुक्त को सौंप दी गई हो।

(झ) 'अनुसूची' से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है।

(ञ) 'सेवा' से अभिप्राय राजस्थान राज्य की किसी असैनिक (सिविल) सेवा से है।

व्याख्या

१. परिचय
२. निर्वचन का महत्व
३. विभिन्न परिभाषायें व उनका विवेचन

१ परिचय—इस नियम में इन नियमों में प्रयोग किये गये १० शब्दों की परिभाषायें दी गई हैं।

२' निर्वचन का महत्व—निर्वचन के अन्तर्गत किसी नियम या अधिनियम में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों की परिभाषायें दी जाती हैं, ताकि शब्द के सही अर्थ को नियमों के साथ समझा जा सके। यदि संदर्भ (प्रसंग) के आधार पर कोई अन्य अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो इस नियम (२) में वर्णित अर्थ को ही माना जावेगा। वैधानिक नियमों में दी हुई इन परिभाषाओं को भूलकर उनका सही, सत्य व स्वतंत्र अर्थ लगाना न्यायालय का कार्य नहीं है।[1] इस नियम के अन्तर्गत दी हुई परिभाषाओं में सुधार या संशोधन करना भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।[2] इन नियमों के विभागीय अर्थ व व्याख्या के लिये न्यायालय बाधित नहीं है, परन्तु नियमों की भाषा और परिभाषा के अन्य सिद्धान्तों के अनुसार ही उनकी व्याख्या करते हैं।[3] निर्वचन के मामलों में साधारण ज्ञान के नियमों की बजाय व्याकरण के नियमों को प्रमुखता मिलती है।[4] जो कुछ विधि (कानून) में प्रकट या अप्रकट रूप से अधिकृत नहीं किया गया है, उसे निर्वचन में निषेध माना जाता है।[5] जहाँ कोई दुविधा

1. AIR 1946 Patna 310; AIR 1940 Madras 385
2. AIR 1954 V.P. 24
3. AIR 1954 S.C. 584
4. AIR 1961 Raj 59
5. ILR (1961) 11 Raj. 561

* विज्ञप्ति संख्या एफ० ३(३) नियुक्ति (क) ३/६३ दिनांक २७-४-६४ द्वारा प्रतिस्थापित व दिनांक दिनांक ९-७-५९ से प्रभावशील

(ambiguity) नही हो, वहा उन शब्दो का क्या अर्थ है, यही देखना होता है।[1] परन्तु परिभाषाओ की भाषा न्यायालयो को मान्य होनी है। इन परिभाषाओ मे दिया अर्थ साधारण, लोकप्रिय व प्राकृतिक अर्थों से भिन्न भी हो सकता है और किसी प्रकार के संदेह को दूर रखने के लिये ही 'निर्वचन' खण्ड का समावेश किया जाता है। इस प्रकार इन नियमों के सम्बन्ध मे यहा दी गई परिभाषायें ही मान्य होगी। दूसरे अधिनियम या नियमो को नही।[2]

३. विभिन्न परिभाषायें व उनका विवेचन—

२. (क) **नियुक्ति प्राधिकारी**—राज्य कर्मचारी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सर्वोच्च सत्ता या मालिक होता है, वह सरकार के मौलिक अधिकारो का प्रयोग करता है क्योंकि उसे यह अधिकार या तो संविधान द्वारा प्रदत्त है या उसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। 'नियुक्ति' शब्द किसी कार्यालय (Office) मे नियुक्ति से सम्बद्ध है।[3] इस शब्द मे सेवाकाल, वेतन कार्य, कर्तव्यपालन और नियुक्ति की समाप्ति (Termination) भी निहित है।[4] संविधान का अनुच्छेद ३११ (१) यह अपेक्षा करता है कि—नियुक्ति और निष्कासन (हटाना) दोनो करने वाला प्राधिकारी एक ही स्तर (Status) का होना चाहिए।[5] नियुक्ति प्राधिकारी जिसने नियुक्ति की थी, वही उस कर्मचारी को हटा सकता है, यह आवश्यक नही है। उसी समान श्रेणी व पद का प्राधिकारी होना पर्याप्त है।[6]

परिभाषा के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के निम्न लिखित लक्षण बता ये जा सकते हैं—

१. जिस प्राधिकारी को किसी सेवा मे या सेवा की किसी श्रेणी मे या जिस पद पर उस समय वह कर्मचारी कार्य कर रहा हो, उस पद पर नियुक्ति करने के लिए अधिकार दिए गये हो। (या)
२. वह प्राधिकारी जिसने उस सेवा, श्रेणी या पद पर उस कर्मचारी को नियुक्त किया हो। (या)
३. लगातार राज्य की सेवा मे कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को किसी सेवा या पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करने वाला प्राधिकारी।

इन तीनो मे से जो भी सर्वोच्च प्राधिकारी होगा, वह 'नियुक्ति प्राधिकारी' माना जावेगा। परन्तु जहा सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रदत्त कर दिया गया हो, तो भी दण्ड की अपील के नियम २३ (२) के उपखड (क) व (ख) के लिए विभागाध्यक्ष ही नियुक्ति सत्ता माना जावेगा।

विभिन्न न्यायालयो ने इस परिभाषा पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) मे वास्तव मे नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख है न कि वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार नियुक्ति कर सकने वाले प्राधिकारी का।[7] किन्तु नये शासन मे हुए परिवर्तन के कारण जब नई नियुक्ति की गई—यानी—पुरानी नियुक्तियो को नियमित किया गया हो, तो नये सिरे से नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ही नियुक्ति-प्राधिकारी माना जावेगा।[8] परीवीक्षाधीन (Probatio-

---

1. AIR 1964 Raj 243
2. AIR 1965 Raj 5
3. AIR 1943 F C. 13
4. AIR 1960 All. 484 & 1957 Patna 617
5. AIR 1954 Raj 733
6. AIR 1955 S C 70
7. AIR 1957 Manipur 37
8. AIR 1956 Madras 419 & 1957 MP 126

ner) कर्मचारी को परीवीक्षाकाल की समाप्ति के बाद स्थायी करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा।[1] प्रतिनियुक्ति पर किसी दूसरे राज्य मे कार्य कर रहे अधिकारी के लिए मूल राज्य में नियुक्त करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा।[2] राज्यों के विलय के समय जिस पद पर वह कार्य करता है, उस पद पर जो प्राधिकारी नियुक्ति करता है, वही नियुक्ति प्राधिकारी होगा।[3] यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति मद्रास-सरकार ने की और बाद में आन्ध्र सरकार के बनने पर उसके द्वारा निष्कासित कर दिया गया। यह ठीक है, क्योंकि आन्ध्र सरकार विधान द्वारा गठित नियुक्तिसत्त है।[4] नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी को सब अधिकार प्राप्त हैं और वह किसी कर्मचारी को हटा सकता है,[5] किन्तु एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा हटाने का आदेश देना अवैध है।[6]

२ (ख) आयोग—का अर्थ 'राजस्थान लोक सेवा आयोग' से है, जिसे नियुक्ति हेतु चयन करने व दण्ड व अपील में राय देने का अधिकार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियोग १९५१ के भाग (४) में जिन अनुशासनिक मामलों में आयोग की राय लेना आवश्यक नहीं है, उनका विवरण परिशिष्ट (ख) (६) में दिया गया है। आयोग की राय लेने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) में है, जहाँ सब प्रकार के अनुशासनिक मामलों में तथा ज्ञापन या प्रतिवेदनों (Memorials or petitions) के मामलों में आयोग की राय ली जाने का उल्लेख है। यह राय या सहमति लेना कानूनन आवश्यक है या निर्देशक मात्र (Mandatory or directive) यह एक विवादस्पद प्रश्न था, जिसपर उच्च न्यायालयों में काफी मतभेद था; किन्तु सर्वोच्च-न्यायालय ने उत्तरप्रदेश बनाम मनबोधलाल [7] के मामले में तथा बाद में अन्य मामलों में [8] यह स्पष्ट कर दिया है कि—संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) के प्रावधान आवश्यक (Mandatory) नहीं है और इनका पालन न करने पर किसी कर्मचारी को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं है। यह ऐसा अधिकार नही है, जिसे किसी याचिका द्वारा लागू किया जा सके। किन्तु इसका यह तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार जब चाहे, तभी आयोग से राय ले और इसे टालने की आदत बनाले, क्योंकि संविधान में यह एक निर्देशक प्रावधान है।[9]

इन नियमों में निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन आयोग की सहमति लेने का उल्लेख है.—

(१) नियम १५ (२) में राज्य सेवा के जिन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्य सरकार मे निहित है व किसी अन्य प्राधिकारी को नही दिया गया हो, तो परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त अन्य दण्ड दिये जाने से पूर्व आयोग की राय ली जावेगी। यहाँ शब्द "Shall"

---

1. AIR 1957 Raj. 243 & AIR 1955 S.C. 817
2. AIR 1955 Nagpur 160 & 1955 Hyd. 168
3. RLW 1945 P. 524
4. AIR A. P. 240 & AIR 1957 M.P. 126
5. AIR 1958 Cal. 49. and AIR 1058 Cal. 278
6. AIR 1958 Cal. 356; RLW 1957 P. 227; AIR 1960 M.P. 183; AIR 1962 Cal. 3; AIR 1949 P.C. 112, AIR 9; (Patna 17.
7. AIR 1957 S.C. 912;
8. यू. आर भट्ट—बनाम—भारतसंघ
   AIR 1952 S. C. 1344,
   ए. एन. डी सिल्वा—बनाम—भारतसंघ
   AIR 1962 S.C. 1130
9. दुर्गासिंह बनाम पंजाब राज्य
   AIR 195: Punjab 97; AIR 1958 Manipur 55.

का प्रयोग करने से यह सहमति लेना आवश्यक है, परन्तु अन्य सेवाओ के लिये ऐसा नही है । [1] राज्य सरकार के निर्देश भी हैं कि—(१) राज्यसेवा के सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक मामलो व, पुनरीक्षा या ज्ञापनो सहित, के लिये, जहाँ नियुक्ति का अधिकार किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नही किया गया है, नियुक्ति विभाग के द्वारा आयोग की सहमति हेतु प्रसंग ((Refernce) भेजे जावें, (२) अपील, पुनरीक्षा, ज्ञापन आदि के अनुशासनिक मामले राज्यसेवा के अन्य अधिकारियो व अधीनस्थ सेवा के अधिकारियो के लिये सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजे जावेंगे । [2]

(२) नियम २३ (४) व (६) के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त सब सेवाओं की अन्तिम अपील पर निर्णय देने से पूर्व—या—राज्य सरकार द्वारा अपीलका निर्णय देने से पूर्व । यहाँ सहमति लेना आवश्यक समझा गया है ।

(३) नियम १६ (१०) (क) के अधीन असाधारण दण्ड की जांच के दोहरान अन्तिम आज्ञा से पूर्व सहमति लेने का उल्लेख है ।

(४) नियम १९ (३) मे विशेष प्रक्रिया के मामलो मे,
(५) नियम ३० (२) मे अपील पर विचार के समय,
(६) नियम ३२, ३३ व ३४के अधीन पुनरीक्षा के समय ।

२ (ग) अनुशासनिक प्राधिकारी—जिस प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को दण्ड देने का अधिकार प्रदत्त हो, वह अनुशासनिक प्राधिकारी होगा । यह आवश्यक नही है कि—अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी भी हो । जैसे—नियम १४ (१) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष को एक लिपिक को सब दण्ड देने का अधिकार दिया है, तो कार्यालयाध्यक्ष उसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी हुआ, किन्तु सम्भव है, उसकी नियुक्ति विभागाध्यक्ष ने की हो, तो विभागाध्यक्ष उसकी नियुक्ति प्राधिकारी हुआ । राज्य सेवा के लिए यदि नियुक्ति का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रदत्त न हो, तो सरकार स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी व नियुक्ति प्राधिकारी दोनो होगी । अनुशासनिक प्राधिकारी का विवेचन आगे नियम १५ मे किया गया है ।

२. (घ) राजपत्र (गजट)—राजस्थान—राजपत्र एक साधिकार सरकारी प्रकाशन है, जिसमे अधिनियम, नियम, विज्ञप्तियां व महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें प्रकाशित की जाती हैं । इसमे प्रकाशित न होने पर उन नियम आदि को वैध नही माना जा सकता । परन्तु यह आवश्यक नही है कि—उनका प्रकाशन हिन्दी मे नही हुआ, अत उन्हें अवैध मान लिया जावे । गजट मे प्रकाशित हिन्दी व अंग्रेजी दोनो रूप समान रूप से वैध एवं साधिकार है ।[3] किन्तु अब राजस्थान मे २६ जनवरी १९६८ से हिन्दी को पूर्णत. राज भाषा मान लिया गया है, अत: हिन्दी मे प्रकाशन होना अनिवार्य हो गया है ।

२. (ङ) सरकार—राजस्थान सरकार है, जिसकी शक्तियो को किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नियम या विज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है और वह सरकार का प्रतिनिधि होता है ।[4] मन्त्रीगण

---

1. भानुप्रसाद बनाम राज्य AIR 1950 Saurashtra 14
   मनीपुर राज्य बनाम शारगनाथ एन. सिंह, AIR 1957 Manipur 7
   कमदेवसिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 1958 Patna 228,
   वामन बनाम राज्य AIR 1953 Nagpur 69
   चेलाराम—बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1954 Raj. 12.
2. Hand Book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj) Para 17 (x) and Page 34, Appendix 9.
3. AIR 1962 All 507.
4. एनी बेसेंट-बनाम-मद्रास राज्य, AIR 1918 Madras 1210.

राज्य सरकार के अङ्ग हैं ।[1] राजस्थान में अलग अधिनियम द्वारा जो मण्डल (Boards) व निगम (Corporation) बनाये गये हैं, वे सरकार के अङ्ग नहीं माने जा सकते; बशर्ते के सम्बन्धित अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हो । विश्वविद्यालय, नगरसुधार न्यास, नगरपालिका, ग्राम पंचायत—ये सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं ।[2] सरकार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये 'कार्य प्रणाली नियम' (Business Rules) बने हुये हैं, उनका पालन अनिवार्य माना गया है ।[3]

२. (च) **राज्य कर्मचारी**—इस परिभाषा में निम्न प्रकार के कर्मचारी सम्मिलित किये गये हैं—

१. जो किसी सेवा का सदस्य है या जो राजस्थान सरकार के अधीन किसी असैनिक पद पर है ।

२. वह व्यक्ति जो किसी बाहरी सेवा पर है या जिसकी सेवायें अस्थाई रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के यहां प्रतिनियुक्ति पर दे दी गई हैं ।

३. वह व्यक्ति जो किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में है, परन्तु अस्थाई रूप से जिसकी सेवायें राजस्थान सरकार को सौंप दी गई हैं ।

४. वह व्यक्ति जिसे संविदा (इकरार) के आधार पर नियोजित किया गया हो ।

५. किसी अन्य स्थान से सेवा निवृत होकर राजस्थान सरकार द्वारा पुनः नियुक्त किया गया व्यक्ति ।

किन्तु भारत संघ या अन्य राज्य की असैनिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति को यदि राजस्थान में प्रतिनियुक्त किया गया है, तो उसे इन नियमों के अधीन राज्य कर्मचारी नहीं माना जावेगा और ये नियम उस पर लागू नहीं होंगे, परन्तु वह अपनी मूल सेवा के नियमों के अधीन कार्य करेगा ।

'असैनिक पद' (Civil Post) शब्द का प्रयोग इन कर्मचारियों को 'सैनिक' शब्द से भिन्न बताने के लिए किया गया है । सैनिक सेवाओं को विशेषाधिकार व विशेषानुशासन के अधीन कार्य करना पड़ता है । राज्य कर्मचारियों के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिये संविधान के अनुच्छेद २९९ की औपचारिकता का पालन आवश्यक है । जिन राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत बनाये नियमों में दी गई हों, उनकी नियुक्ति के समय औपचारिक संविदा की आवश्यकता नहीं है ।[4]

संविधान के अनुच्छेद ३११ में 'Civil post & Civil Services' शब्दों का प्रयोग सुरक्षा सेवाओं (Defence Forces) से भिन्नता प्रदर्शित करते हुए किया गया है । जिस पद पर सरकार तात्कालिक व अन्तिम नियंत्रण करती है, वे असैनिक पद हैं ।[5] इसका अर्थ है कि सरकार इस पद को समाप्त कर सकती है या उस पद सम्बन्धी शर्तों को नियमित कर सकती है ।[6] केवल सरकार से वेतन प्राप्त करना यह अधिकार नहीं देता कि वह राज्य कर्मचारी है । किसी संस्थान पर यदि सरकार का नियंत्रण हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि—उस संस्थान के कर्मचारी राज्य कर्मचारी

---

1. AIR 1962 Gujrat 197.
2. AIR 1958 All 355 (F.B.); AIR 1955 Pepsu 1601.
3. श्रीपाल जैन बनाम महानिरीक्षक, पुलिस, राजस्थान ILR (1961) 11, Raj. 536.
4. AIR 1253 Pepsu 196.
5. प्रफुल्ल कुमार बनाम कलकत्ता राज्य-ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, AIR 1963 Cal. 116.
6. लक्ष्मी बनाम राज्यपाल के सैनिक सचिव, AIR 1956 Patna 398

हैं ।[1] यदि कोई कर्मचारी वेतन या पारिश्रमिक नही लेता, पर कार्यालय का कार्यभार सम्भाले हुये है; वह असैनिक पद पर माना गया है ।[2] यदि नगरपालिका में कार्य करने वाला व्यक्ति केवल पालिका का ही कार्य करता है, तो वह पालिका-कर्मचारी है, न कि राज्य कर्मचारी । किन्तु यदि वह सरकार से सम्बन्धित कार्य करता है, वह राज्य कर्मचारी है ।[3] यदि कोई स्थाई या अस्थायी पद या कार्यवाहक रूप में या परीवीक्षाधीन पद पर कार्य करता है, तो इससे कोई अन्तर नही पड़ता । यदि उसका नियंत्रण सरकार करती है, तो वह राज्य कर्मचारी है ।[4]

राजस्थान सरकार के अधीन जो असैनिक-पद हैं, उनका वर्णन अनुसूची (१) से (४) में किया गया है ।

"राज्य कर्मचारी" के लक्षण या मापदण्ड— कोई कर्मचारी 'राज्य कर्मचारी' या 'असैनिक पद' की श्रेणी मे आता है या नही ? इसके लिये निम्न लक्षण या मापदण्ड माने गये हैं—

(१) उस पद पर सरकार का तुरन्त व अन्तिम नियंत्रण हो;

(२) सैनिक सेवा से अलग समझते हुए असैनिक (नागरिक) प्रशासन में नियुक्ति या कार्यालय-पद हो;[5]

(३) वैतनिक व अवैतनिक में कोई भेद नही;

(४) केवल सरकारी-निधि से भुगतान पाना या किसी संस्था पर सरकार का नियंत्रण होने से उसके अधीन पद 'असैनिक पद' नही माने जा सकते ।

'बाहरी सेवा' (Foreign Service) से तात्पर्य उस सेवा से है, जो राजस्थान-सरकार के अधीन नही होकर किसी अन्य राज्य, स्वायत्त संस्था या भारत संघ की सेवा हो ।

विभिन्न न्यायालयों ने निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी माना है—

१. राजकीय मुद्रणालय का लिपिक (AIR 1937 P.C. 31)
२. होमगार्ड (होमगार्ड अधिनियमों के अधीन नियुक्त) (AIR 1955 Nag. 175)
३. एक स्थायी वे-इन्सपेक्टर (O.T.Rly. में) (AIR 1953 All.17)
४. पचायत समिति या जिला परिषद् में प्रतिनियुक्त अधिकारी ।
५. कोर्ट ऑफ वार्ड्स का जनरल मैनेजर (AIR 1960 Patna. 366)
६. स्टेट ट्रेजरी मे तहवीलदार (AIR 1965 S.C. 360; AIR 1959 All 739)

निम्न कर्मचारियों को न्यायालयों ने इन नियमों के लिए राज्य कर्मचारी नहीं माना है—

१. रक्षा मंत्रालय के अधीन स्टोर कीपर (AIR 1955 Cal. 543)
२. रक्षा कक्ष (Defence Side) में नियोजित असैनिक कर्मचारी । (AIR 1956 Cal. 532)
३. आकस्मिक व्यय (Contingency) पर नियुक्त कर्मचारी (AIR 1955 Pepsu 2?)

---

1. G. M. Qadri Vs. Secretary to Govt. AIR 1959 J & K 26
2. ब्रजगोपाल बनाम पुलिस कमिश्नर, AIR 1955 Cal. 596
3. AIR 1958 Punjab 402
4. AIR 1953 S.C. 36
5. डोंगरसिंह बनाम मध्यप्रदेश सरकार, AIR 1955 Nag. 175; म० मोहनसिंह बनाम पेप्सू सरकार, AIR 1954 Pepsu ???

४. घरेलू नौकर व दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिक—(AIR 1956 Patna 398)
५. कमीशन लेकर काम करने वाला टंकण लिपिक (AIR 1956 Pat. 257)
६. विश्वविद्यालय से संलग्न निजी कालेजों के कर्मचारी (AIR 1954 T. C. 199)
७. जिलाबोर्ड के कर्मचारी (AIR 1958 Madras 211; AIR 1957 Patna 333) विकास बोर्ड के कर्मचारी (1953 Pepsu 99), सहकारी समिति के कर्मचारी (AIR 1953 S. C. 250; 1954.S. C. 369) एवं निगम के कर्मचारी (1953 Cal. 581)
८. पंचायत समिति व जिला परिषद् सेवा के कर्मचारी (AIR 1962 M. P 50)
९. चौधरी या लम्बरदार (AIR 1956 Raj. 110)
१०. पचायतों के कर्मचारी (AIR 1962 M. P. 50; 1959 A. P. 536),
११. नगरपालिका के कर्मचारी (AIR 1952 Punj. 58; AIR 1958 J.&. K 6; AIR 1958 Punj. 402; AIR 1957 Punj. 219) उन्हें बिना नोटिस दिये हटाया जा सकता है (AIR 1955 Punjab 125)
१२. राजकीय विद्युत बोर्ड के कर्मचारी (AIR 1965 Punjab 816)
१३. स्टेट बैंक का खजानची (AIR 1962 Cal. 72; 1956 Pat. 418; 1954 Pepsu 136)
१४. स्टेट सहकारी बैंक के कर्मचारी (AIR 1965 Patna 223)
१५. स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन का कर्मचारी (AIR 1963 Cal. 116)
१६. असैनिक व्यक्ति सेना में या सैनिक फैक्टरी के कर्मचारी (AIR 1960 M. P. 199; 1965 Punjab 42; 1956 Cal. 532; 1955 Cal. 543)
१७. अतिरिक्त-विभागीय डाकखाने का पोस्ट मास्टर (AIR 1957 Orissa 112; 1961 Mad. 166)
१८. *नगर सुधार न्यास के कर्मचारी (AIR 1958 All. 353)*
१९. कम्पनी या कार्पोरेशन के कर्मचारी (AIR 1963 Cal. 421; 1963 Cal. 161; 1962 Cal. 10; 1957 Patna 10; 1953 Cal. 581; 1961 All. 502)
२०. सरकारी अधिवक्ता (वकील) AIR 1960 Raj. 138)
२१. मंदिरों के सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी (ILR 1956 Raj. 335)
२२. राजभवन के माली (AIR 1956 Patna 398)

२(छ) विभागाध्यक्ष—

विभागाध्यक्ष किसी सरकारी विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसके पद की घोषणा सरकार करती है।[1] प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों के प्रयोग व प्रदत्तीकरण के लिए उसकी घोषणा आवश्यक मानी गई है।[2] अधीनस्थ सेवाओं के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेकर

---

1. राजस्थान सेवा नियम ७ (ii) देखिये।
2. General Financial & Account Rules—2 (xiii)

वे नियुक्ति प्राधिकारी भी हैं[1] और अधीनस्थ सेवाओ के सदस्यो के लिए नियम १४ के सब दण्ड देने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी भी हैं ।[2] इस परिभाषा मे तीन प्रकार के विभागाध्यक्षो का वर्णन है—

अनुसूची (क) मे वर्णित (१) विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी व (२) विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त अन्य) और (३) यदि ५० रु० या इससे अधिक राशि के गबन के मामलो की विभागीय जांच सरकार द्वारा विभागीय जांच-आयुक्त को सौंपी गई हो, तो वह दोषी कर्मचारियो के लिये विभागाध्यक्ष होगा-अर्थात्-नियम १४ मे वर्णित सभी दण्ड देने के लिए सक्षम होगा।

२ (ज) **कार्यालयाध्यक्ष**—प्रत्येक कार्यालय का प्रभारी अधिकारी होगा व उसे इस पद पर सरकार या विभागाध्यक्ष घोषित करेगा ।[3] कार्यालयाध्यक्षो की सूची इन नियमो के साथ संलग्न अनुसूची (ख) मे दी गई है । वह नियम १२ (३) के अधीन विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी सेवाओ के लिए नियुक्ति-प्राधिकारी होगा और नियम १५ (१) के अधीन उन पर नियम १४ मे वर्णित सब दण्ड देने के लिये अधिकृत होगा । ५० रु. से अधिक की राशि के गबन के मामलो मे विशेषाधिकारी (गबन जांच मामलात) व सहायक आयुक्त (विभागीय जाच) को कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है ।

२ (झ) **अनुसूची**—प्रत्येक अधिनियम या नियम के साथ सलग्न होती हैं, जिन्हे सम्बन्धित मूल नियमो के साथ पढा जाता है ।[4] यदि मूल नियम व अनुसूची मे कोई विवाद हो, तो मूल अधि-नियम या नियम को ही सही माना जावेगा ।[5] इन नियमों के साथ कुल छः अनुसूचियां हैं—

१. अनुसूची (क)—विभागाध्यक्षो की सूची
२. अनुसूची (ख)—कार्यालयाध्यक्षों की सूची
३. अनुसूची (१)—राज्य सेवाओ की सूची
४. अनुसूची (२)—अधीनस्थ सेवाओ की सूची
५. अनुसूची (३)—लिपिक वर्ग सेवाओ की सूची
६. अनुसूची (४)—चतुर्थ श्रेणी सेवाओ की सूची

२ (ञ) **सेवा**—आगे राज्य सरकार की असैनिक सेवाओं को 'सेवा' शब्द से पुकारा जावेगा । ये सेवायें चार श्रेणियों मे बांटी गई है, [नियम ६ (१)] और उनका क्रमशः वर्णन नियम ७,८,९ व १० मे किया गया है और उनकी सूचियां अनुसूची (१) से (४) मे दी गई हैं ।

Rule 3—APPLICATION (1) These rules shall apply to all Government servants, except:—

नियम ३—प्रयोग (लागू होना) (१) ये नियम सब राज्य कर्मचारियो पर लागू होंगे, सिवाय :—

(a) persons who are on deputation from the Government of India or from any of the States or Union Territories;

---

1. नियम १२ [२] इन्ही नियमो का ।
2. देखिये नियम १५ [२]
3. G F & A R. Rule—3
4. AIR 1949 Madras 427
5. AIR 1951 Orissa 31

(b) Persons who are employed in such Industrial Organisations of Government as may be notified from time to time and who are working within the meaning of the Industrial Disputes Act;

(c) Judges of the High Court of Rajasthan.

(d) Officers and servants of the said courts who will be governed by rules made under clause (2) of Article 229 of the Constitution;

(e) Chairman and members of the Rajasthan Public Service Commission who will be governed by regulations made under Article 318 of the Constitution;

(f) Persons for whose appointment and other matters covered by these rules special provision is made by or under any law for the time being in force, in regard to the matters covered by such law;

(g) persons in casual employment;

(h persons subject to discharge from service on less than one month's notice; and

(i) members of the All India Services.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and subject to the provisions of Article 311 of the Constitution the Government, may by order exclude from the operation of all or any of these rules any Government servant or class of Government servants.

(3) If any doubt arises—

(a) whether these rules or any of them may apply to any person, or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular service,

the matter shall be referred to Government in the Appointments Department whose decision thereon shall be final.

(क) उन व्यक्तियों पर जो भारत सरकार या किसी राज्य या अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर हों;

(ख) उन व्यक्तियों पर जो सरकार के ऐसे औद्योगिक संगठनों में नियोजित हों, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाय और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थ में कार्य कर रहे हों;

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर;

(घ) उपरोक्त न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर, जो संविधान के अनुच्छेद २२९ के खंड (२) के अन्तर्गत बनाये गए नियमों से शासित होंगे;

(ङ) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर, जो कि संविधान के अनुच्छेद ३१८ के अन्तर्गत बनाये गये विनियमो से शासित होगे;

(च) उन व्यक्तियो पर जिनकी नियुक्तियों तथा इन नियमों में आवृत अन्य मामलों के लिये तत्समय लागू किसी विधि के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत किन्ही मामलों के सम्बन्ध में, विशेष प्रावधान रखा गया हो।

(छ) आकस्मिक नियोजन में रखे गये व्यक्तियों पर;

(ज) उन व्यक्तियों पर जिन्हे एक महिने से भी कम के नोटिस द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता हो; और

(झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर।

(२) उपरोक्त उपनियम (१) में किसी बात के होते हुये भी और संविधान के अनुच्छेद ३११ के अधीन रहते हुये सरकार आज्ञा निकाल कर किसी राज्य कर्मचारी को अथवा राज्य कर्मचारियों के किसी वर्ग को इन नियमों अथवा इनमे से कुछ के लागू होने से पृथक कर सकती है।

(३) यदि कोई शंका उत्पन्न हो कि—

(क) ये नियम अथवा इनमे से कुछ नियम किसी व्यक्ति पर लागू हैं, या

(ख) कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हैं, किसी विशेष सेवा का सदस्य है।

तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे निर्दिष्ट किया जावेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

व्याख्या

१. परिचय
२. जिन पर नियम लागू होंगे
३. जिन पर लागू नही होगे

१. परिचय—इस नियम में यह बताया गया है कि—ये नियम किन पर लागू होंगे व किन पर नहीं।

२. निम्न पर ये नियम लागू होंगे—

राजस्थान सरकार की सेवा में जो राज्य कर्मचारी हैं, उन सब पर ये नियम लागू होंगे; जिनका वर्णन हम पिछले नियम २ (च) की व्याख्या में विस्तार से कर चुके हैं। किन्तु इसके अपवाद स्वरूप–अर्थात्–जिन कर्मचारियों पर ये लागू नही होते, उनका विवरण इस नियम के खंड (१) में दिया गया है। इस सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पीछे नियम २ (च) की व्याख्या मे दिये जा चुके हैं।

३. जिन पर लागू नहीं होंगे–इस नियम के खण्ड (१) के अनुसार ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू नही होगे—

(क) भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार या केन्द्रशासित क्षेत्र की सेवाओं के जो व्यक्ति राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर नियोजित हैं।

(ख) समय समय पर सरकारी विज्ञप्ति द्वारा सूचित किये गये राजस्थान सरकार के

औद्योगिक संगठनों में काम कर रहे कर्मचारी, जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ लागू होता है और उसी के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद २१७ के अधीन होती है।

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी तथा कर्मचारी, जिन पर संविधान के अनुच्छेद २२९ के खंड (२) के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही होती है।

प्रारंभ में राजस्थान सेवा नियम (R.S. R.) भी उच्चन्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं थे, किन्तु बाद में न्याय विभाग के क्रमांक एफ. ३४ (२) जुडि/५१ दि. २६-५-५१ के द्वारा दिनांक १ अप्रेल १९५१ से R. S. R के नियम इन पर लागू किये गये। किन्तु अनुशासनिक कार्यवाही के लिए मुख्य न्यायाधीश ने नियम बनाये हैं, जो राजस्थान राज-पत्र के भाग ४ (क) दिनांक ३०-६-५६ के पृष्ठ २५४ से २६२ पर प्रकाशित हुये है। उच्च न्यायालय के स्टाफ की नियुक्ति व निष्कासन का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है [1] उच्च न्यायालय के आन्तरिक प्रशासन का सम्पूर्ण अधिकार उन को है।[2] जिला न्यायाधीश के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये वह सक्षम प्राधिकारी है।[3]

राजस्थान न्यायिक सेवा (R.J.S) अनुसूची (१) के क्रमांक १ (२) पर इन नियमों में सम्मिलित की गई है, अतः उन पर ये नियम लागू होते हैं। किन्तु राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (R.H.J S.) के लिये ये नियम शान्त हैं, अतः ये उन पर लागू नहीं होते। राजस्थान के व्यवहार व सत्र न्यायालय के कर्मचारी राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ये नियम उन पर भी लागू होते हैं।

(ङ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद ३१७ में वर्णित है। अतः उन पर ये नियम लागू नही होते, परन्तु आयोग के सचिव व अन्य कर्मचारियों पर ये नियम लागू होते हैं।

(च) उन व्यक्तियों पर जिन पर ये नियमों लागू होते हों, किन्तु किसी विधि (कानून) द्वारा या उसके अधीन जिन विषयों पर कोई विशेष प्रावधान रखा गया हो, तो उन विषयों के लिये वे विधि के विशेष प्रावधान ही लागू होंगे, इन नियमों के प्रावधान नही। जैसे—पुलिस के कर्मचारी, जिन पर पुलिस अधिनियम की धारा ७ व २९ के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के विशेष प्रावधान हैं, अतः उन प्रावधानों के लिये ये नियम लागू नहीं होंगे। परन्तु इनके अलावा अन्य दण्डों के लिये ये नियम लागू होंगे। पुलिस कर्मचारियों के लिये दण्ड के विशेष प्रावधानों का वर्णन आगे परिशिष्ट (ङ) में किया गया है।

(छ) आकस्मिक कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू नहीं होते। मालिक आवश्यकता न होने पर ऐसे कर्मचारी को हटा सकता है [4] कोई कार्य आकस्मिक है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों व उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार के बाद ही इसका निर्णय लिया जा सकता है।[5]

---

1. AIR 1956 S.C. 285
2. 1963 RLW 246
3. AIR 1961 Cal. 1
4. AIR 1955 Pepsu 25
5. ILR 1960 Raj. 933

(ज) एक माह से कम समय का नोटिस देकर जिस कर्मचारी को हटाया जा सकता हो, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके लिए उस कर्मचारी की नियुक्ति आज्ञा में इस शर्त को रखना आवश्यक है। बिना सूचना व कारण बताये हटाने की शर्त रखना वैध है।[1] किन्तु ऐसे कर्मचारी को दुराचरण, अयोग्यता या लापरवाही के कारण से हटाने पर, यदि यह मानकर कि उस पर ये नियम लागू नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की पालना नहीं की गई। अतः हटाने की आज्ञा अवैध मानी गई।[2] इस प्रकार सहज न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए ही ऐसे कर्मचारी को समुचित अवसर देकर हटाया जा सकता है। कई बार ऐसे कर्मचारी कई वर्षों से कार्य करते होते हैं, परन्तु उनकी नियुक्ति-आज्ञा में बिना सूचना व कारण बताये किसी भी समय हटाये जाने की शर्त होने से व कोई निश्चित अवधि नहीं देने से ऐसे मामलों में ये नियम लागू होते हैं या नहीं—यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। परन्तु राजस्थान सेवा नियम २३–क (२) के अधीन ३ वर्ष से कार्य कर रहे, अस्थाई कर्मचारी को यदि, वह अन्य शर्तें पूरी करता है, तो उसकी सेवाओं के प्रत्यावर्तन के लिये स्थाई कर्मचारी की भांति ही समझा जावेगा। इस प्रकार ये नियम उन पर भी लागू होंगे। कोई व्यक्ति असैनिक पद (Civil Post) पर है या नहीं, यह तय करने के लिये चाहे वह स्थाई या अस्थाई, परीवीक्षाधीन या कार्यवाहक पद पर कार्य कर रहा हो, कोई अन्तर नहीं रहता, परन्तु यदि अन्य सब शर्तें पूरी होती हैं, तो वे असैनिक पद धारण करते हैं। अतः ऐसे अस्थाई कर्मचारी क्योंकि असैनिक पद पर हैं और उन्हें किसी आरोप द्वारा हटाना है, तो संविधान के अनुच्छेद ३११(२) की अनुपालना में उसके विरुद्ध सहज न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।[3]

(झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी नहीं हैं। अतः ये नियम उन पर लागू नहीं होते। जैसे—I.A.S., I.P.S., I.F.S. आदि।

(२) **इन नियमों को लागू होने से रोकने का अधिकार**— इस नियम ३ के खण्ड (२) में यह भी प्रावधान है कि—संविधान के अनुच्छेद ३११ के अधीन रह कर कोई आज्ञा निकाल कर सरकार, इस नियम के खण्ड (१) में दी गई बातों के प्रतिकूल होते हुए भी; किसी राज्य कर्मचारी या उनके किसी वर्ग पर इन नियमों को लागू होने से रोक सकती है।

(३) किसी कर्मचारी का वर्गीकरण क्या है या ये नियम या इनमें से कोई नियम किसी कर्मचारी पर लागू होता है या नहीं—ऐसी शंका होने पर उस मामले में राजस्थान-सरकार के नियुक्ति-विभाग से निर्णय प्राप्त करना होगा, जो कि अन्तिम समझा जावेगा।

अनुबन्ध द्वारा विशेष प्रावधान
SPECIAL PROVISION BY AGREEMENT.

Rule—4. Where it is considered necessary to make special provisions in respect of a Government Servant, inconsistent with any of these rules, the authority making the [appointment, may, by agreement with such Government servant, make such special provisions and thereupon these rules shall not apply to such Government servant to the extent to which the special provisions so made are inconsistent therewith ;

1. AIR 1957 Patna 541
2. AIR 1957 Cal. 720
3. AIR 1958 S C. 36-
AIR 1956 Bom 455

Provided that if the appointing authority is other than * [the Government in] the Appointments Department, the previous approval of *[the Government in] the Appointments Department shall be obtained by such authority.

नियम (४)—जहां किसी राज्य कर्मचारी के लिए ऐसा विशेष प्रावधान करना आवश्यक समझा जावे, जो इनमें से किसी भी नियम से असंगत हो; तो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसे राज्य कर्मचारी से अनुबन्ध द्वारा ऐसा विशेष प्रावधान कर सकता है और तदुपरान्त ये नियम उस सीमा तक उस राज्य कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे, जिस सीमा तक कि इस तरह रखे गये विशेष प्रावधान इनसे असंगत हों;

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति विभाग [में निहित सरकार]* के अतिरिक्त कोई है, तो ऐसे प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति विभाग [में निहित सरकार]* की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करली जायगी ।

व्याख्या

विशेष प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिये सरकार को विशेष प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थिति में सरकार विशेष अनुबन्ध (करार) द्वारा सेवा की शर्तें व अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में शर्तें तय कर सकती है, जो दोनों पक्षों (सरकार व कर्मचारी) पर बाधित (Binding) होंगी । इसके अनुसार इन नियमों में से कुछ लागू होंगे व कुछ नहीं, जैसा कि अनुबन्ध में स्पष्ट होगा ।[1] इन नियमों के विपरीत व्यवस्था यदि अनुबन्ध द्वारा की गई हो, तो भी वह अनुबन्ध अनियमित नहीं होगा ।[2] परन्तु इस नियम के परन्तुक के अनुसार यदि सरकार के नियुक्ति-विभाग के अलावा अन्य विभाग कोई अनुबन्ध करे, तो इससे पहले सरकार के नियुक्ति-विभाग की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी, क्योंकि सरकार की यह सत्ता नियुक्ति विभाग में ही है ।

Rule 5. PROTECTION OF RIGHTS AND PRIVILEGES CONFERRED BY ANY LAW OR AGREEMENT—Nothing in these rules shall operate to deprive any Government servant of any right or privilege to which he is entitled:—

(a) by or under any law for the time being in force; or

(b) by the terms of any agreement subsisting between such person and the Government at the commencement of these rules.

नियम—५. किसी विधि अथवा अनुबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षण—इन नियमों की कोई बात किसी राज्य कर्मचारी को किसी ऐसे अधिकार अथवा विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसके लिए वह—(क) तत्समय में लागू किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत, अथवा

1. AIR 1954 Pepsu 136; 1957 Cal. 720 & 1953 S.C. 250
2. AIR 1957 Cal. 720

* विज्ञप्ति सं० एफ १८ [२] नियुक्ति / ५६ / ग्रे० ३ दि० २३–२–६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय ऐसे व्यक्ति और सरकार के बीच विद्यमान किसी अनुबन्ध की शर्तों के द्वारा अधिकृत है।

व्याख्या

किसी भी कर्मचारी को उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत बने नियमों के द्वारा या किसी अनुबन्ध द्वारा जो अधिकार व विशेषाधिकार इन नियमों के लागू होने से पहले प्राप्त थे; वे नहीं छीने जा सकेंगे। पहले के नियमों में प्राप्त किसी विशेषाधिकार को नियम बनाने वाला प्राधिकारी नहीं छीन सकता।[1] जहां संशोधित नियम पहले के नियमों से कम लाभदायक हो, तो उस कर्मचारी के लिये नये नियम लागू नहीं होंगे।[2]

1. AIR 1963 Mysore 265　　2. AIR 1953 Pepsu 24

DEMOCRACY & PUBLIC SERVANT

"....Honesty, integrity and human approach are the essential qualities of a good public servant. A public servant can express his free and frank opinion, but once a decision is taken it should be executed with reservations. The integrity in administration is an important factor as it inspires confidence among the people. The administrator should be gifted with a sympathetic approach to problems facing the people. This is all the more necessary when one is to serve in a democratic set-up..."

JODHPUR,　　*—Mohan Lal Sukhadia,*
July 31, 1961　　*Chief Minister of Rajasthan.*

भाग (२) [Part II]

वर्गीकरण

(CLASSIFICATION)

Rule 6. (1) The Civil Services shall be classified as follows:-

(i) The State Services;

(ii) The Subordinate Services;

(iii) The Ministerial Services; and

(iv) The Class IV Services.

(2) If a Service consists of more than one grade, different grades may be included in different classes *

Rule—7. The State Service shall consist of:—

(a) Members of the services included in Schedule I

(b) Persons who hold in a substantive capacity, posts included in Schedule I and not borne on the cadre of any other service.

(c) Persons appointed on an *ad hoc* basis pending final selection according to the rules of the Integration Department on posts borne on the cadres of the services referred to in clause (a) or on posts referred to in clause (b).

Rule—8. The Subordinate Service shall consist of—

(a) Members of the services included in Schedule II

(b) Persons who hold in a substantive capacity, posts included in Schedule II and not borne onthe cadre of any other service.

(c) Persons appointed on an *ad hoc* basis pending final selection according to the rules of the Integration Department, on posts borne on the cadres of the services referred to in clause (a) or on posts referred to in clause (b).

Rule—9. The Ministerial Service shall consist of—

(a) Members of the services included in Schedule III.

(b) Persons who hold in a substantive capacity posts included in Schedule III and not borne on the cadre of any other Services.

* विज्ञप्ति सं० F. 16 (9) Apptts. (A)/59/Group III dated 23. 2. 62 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(c) Persons appointed on an *ad hoc* basis pending final selection according to the rules of the Integration Department, on posts borne on the cadres of the services referred to in clause (a) or on posts referred to in clause (b).

Rule 10. The Class IV Services shall consist of—

(a) Members of the Services included in Schedule IV,

(b) Persons who hold in a substantive capacity posts included in Schedule IV, and not borne on the cadre of any other service;

(c) Persons appointed on an *ad hoc* basis pending final selection according to the rules of the Integration Department, on posts borne on the cadres of the services referred to in clause (a) or on posts referred to in clause (b).

Rule 11. Additions & Alterations in Schedules: a) Government may from time to time add to or alter the entries in the schedules.

(b) Where an existing post is not included in any of the Schedules, the matter shall be decided by reference to Government in the Appointments Department.

नियम ६. (१) असैनिक सेवाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा—

(१) राज्य सेवायें;
(२) अधीनस्थ सेवायें;
(३) लिपिक वर्ग सेवायें और
(४) चतुर्थ श्रेणी सेवायें।

(२) यदि एक सेवा में एक से अधिक श्रेणी हो, तो विभिन्न श्रेणी के पद विभिन्न वर्गों में सम्मिलित किये जा सकेंगे।*

नियम ७. राज्य-सेवा में ये सम्मिलित होंगे :—

(क) अनुसूची १ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची १ में सम्मिलित पदों को स्थायी रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के संवर्ग पर प्रभारित (borne) नहीं हों।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चयन से पूर्व तदर्थ आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गए हों, जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों के संवर्ग पर प्रभारित हो।

नियम ८. अधीनस्थ सेवा में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची २ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

* टिप्पणी पृष्ठ २८ पर देखिये।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची २ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के संवर्ग पर प्रभारित नहीं हों।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चयन से पूर्व तदर्थ आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों, जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों के संवर्ग पर प्रभारित हों।

नियम ९. लिपिक वर्ग सेवा में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची ३ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची ३ में सम्मिलित पदों को स्थायी रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के संवर्ग पर प्रभारित नहीं हों।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चयन से पूर्व तदर्थ आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों, जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों के संवर्ग पर प्रभारित हों।

नियम १०. चतुर्थ श्रेणी सेवा में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची ४ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य;

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची ४ में सम्मिलित पदों को स्थायी रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के संवर्ग पर प्रभारित नहीं हों;

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चयन से पूर्व तदर्थ आधार पर उन पदों पर नियुक्त किए गए हों, जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित पदों के संवर्ग पर प्रभारित हों।

नियम—११. अनुसूचियों में संशोधन व परिवर्तन (क) सरकार समय समय पर अनुसूचियों की प्रविष्टियों (इन्द्राजों) में वृद्धि अथवा परिवर्तन कर सकती है।

(ख) जहाँ कोई विद्यमान पद किसी अनुसूची में सम्मिलित नहीं हो, तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्दिष्ट कर निश्चित किया जायेगा।

व्याख्या

१. परिचय	५. अनुसूचियां
२. वर्गीकरण	६. संवर्ग
३. विभिन्न श्रेणियां	७. महत्वपूर्ण
४. सेवा वर्ग का मापदण्ड	८. संशोधन व परिवर्तन का अधिकार

१. परिचय :- इस भाग में ११ नियम हैं, जिनमें सेवाओं को चार वर्गों में बांट कर उनके वर्गीकरण का मापदण्ड बनाया गया है। नियम ११ इस वर्गीकरण में संशोधन व परिवर्तन का अधिकार सरकार को प्रदान करता है। यह केन्द्रीय नियमों के नियम ६ के समतुल्य है।

२. वर्गीकरण—नियम ६ में असैनिक सेवाओं को चार वर्गों में बांटा गया है—१. राज्य सेवायें २. अधीनस्थ सेवायें ३. लिपिकवर्ग सेवायें और ४. चतुर्थ श्रेणी सेवायें।

३. विभिन्न श्रेणियां—(different grades) यदि किसी सेवा में दो या कई श्रेणी (grade) के पद हों, तो उन्हें विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है।

४. **सेवावर्ग का मापदण्ड:**—विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण के अनुसार उसे चार वर्गों में से किसी एक मे सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित मापदण्ड रखा गया है :—

(१) सम्बन्धित अनुसूची में दी गई सेवाओं का सदस्य हो।

(२) अनुसूची मे दिये गये पदों पर स्थाई रूप से काम करने वाले व्यक्ति, परन्तु वह पद किसी दूसरे संवर्ग मे सम्मिलित नही हो।

(३) देशी राज्यों के एकीकरण के समय जो तदर्थ (एडहॉक) आधार पर सम्बन्धित अनुसूची मे दिये गये पदों पर नियुक्त हों।

५. **अनुसूचियां** राज्यसेवा मे सम्मिलित सेवाओं का अनुसूची (१) में अधीनस्थ सेवाओं का अनुसूची (२) मे, लिपिकवर्ग सेवाओ का अनुसूची (३) मे व चतुर्थ श्रेणी सेवाओ का अनुसूची (४) मे विवरण दिया गया है।

६. **संवर्ग**—(cadre) का अर्थ है किसी सेवा या उसके अंग की सख्या एक भिन्न इकाई के रूप में मानी गई हो।[1]

७. **महत्वपूर्ण निर्णय**—यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति दोषपूर्ण है, तो वह सेवा का सदस्य नही माना जा सकता और उसे उस सम्बन्धी कोई लाभ नही मिल सकता।[2] सविधान के अनुच्छेद ३११ का संरक्षण केवल वैधरूप से नियुक्त कर्मचारी को ही प्राप्त है।[3] यह कर्मचारी के साथ कठोर वर्ताव है कि किसी अधिकारी की भूल या प्रारम्भिक गलती से, जिस पर उसका कोई वश नही था; अचानक ही उसे किसी सेवा का सदस्य नही माना जावे।[4] न्यायालयों मे यह परम्परा रही है कि यदि किसी अधिकारी की गलती से इस प्रकार किसी कर्मचारी पर अन्याय हो, तो उस गलती से हुये कार्य की वैधता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा अर्थात् वह नियुक्ति वैध होगी।[5]

राज्य कर्मचारियों के चार वर्ग हैं—

(१) स्थाई (Permanent), (२) अर्द्ध स्थाई (Quasi Permanent), (३) कार्यवाहक (officiating) और (४) परीवीक्षाधीन (Probationer)। यह वर्गीकरण उसकी सेवा की शर्तों व दण्ड देने के तरीके के निश्चय करने मे विचारणीय है।[6] यदि कोई कर्मचारी स्थाई पद पर मूल रूप से है, तो उसे नीचे पद पर हटाना अपने आप मे एक दण्ड है।[7] एक स्थाई कर्मचारी की सेवायें, उचित नोटिस व उचित जाँच के बाद दुराचरण प्रमाद (लापरवाही), अदक्षता अथवा अन्य किसी अयोग्यता के लिये दण्ड दिये बिना समाप्त नही की जा सकती।[8]

८. **संशोधन व परिवर्तन का अधिकार** – नियम ११ के अन्तर्गत उपनियम (क) द्वारा सरकार ने समय समय पर अनुसूचियों मे नयी प्रविष्टियां करने व परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है और उपनियम (ख) द्वारा यदि भूल से कोई विद्यमान पद किसी भी अनुसूची में नही आया हो, तो उसके वर्गीकरण के लिये नियुक्ति-विभाग को सूचित किया जाने पर निर्णय सरकार लेगी। सरकार के इस अधिकार को न्यायालय ने वैध ठहराया है।[9]

---

1. राजस्थान सेवा नियम—७ (४) देखिये।
2. AIR 1937 Bombay 449, 1953 Cal. 319. 1954 Cal. 335
3. AIR 1955 Nag. 163
4. AIR 1955 Pepsu 97
5. AIR 1953 S. C, 181 & 1958 S. C. 36
6. AIR 1958 S.C. 36
7. AIR 1955 S. C. 860
8. AIR 1960 M. P. 239
9. जोगेश बनाम भारत संघ AIR 1955 Assam 17

भाग ३ [PART III]

नियुक्ति प्राधिकारीगण

(APPOINTING AUTHORITIES)

Rule—12. (1) All (...*) appointments to a State Service shall be made by the Government or by an authority specially empowered by the Government in that behalf.

(2) All (... *) appointments to a Subordinate service shall be made by the Head of Department or by an authority specially empowered by the Head of Department with the approval of Government in that behalf.

(3) All (......*) appointments to the Ministrial Services and Class IV services shall be made by the Head of Office subject to the rules and instructions issued by the Head of Department in that behalf.

नियम १२—(१) किसी राज्य सेवा में सब (....*) नियुक्तियां सरकार द्वारा अथवा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी।

(२) किसी अधीनस्थ सेवा मे सब (.......*) नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(३) लिपिक वर्ग और चतुर्थ श्रेणी की सेवा में सब (.... *) नियुक्तियां इस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नियमों और निर्देशों के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

व्याख्या

१. परिचय
२. नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र
३. विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
४. "नियम व निर्देशों के अनुसार"
५. सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की सूची

१. परिचय—इस नियम में कौन सी सेवा के लिये किस प्राधिकारी को नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं, उनका वर्णन किया गया है। यह केन्द्रीय नियमों के नियम १० व ११ के समकक्ष है।

* विज्ञप्ति सं० एक 15(9) नियुक्ति (क) 59 श्रेणी III दिनांक २३-२-६२ द्वारा शब्द "प्रथम (First)" विलोपित किया गया।

२. नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा नियम २ (क) की व्याख्या में विस्तार पूर्वक की जा चुकी है। यहां इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि—"कौन सी सेवा के लिये कौन प्राधिकारी नियुक्ति-प्राधिकारी होगा ?" इसे निम्न तालिका में स्पष्ट बताया गया है।

सेवा का नाम	उसके लिये नियुक्तिप्राधिकारी
१. राज्य सेवायें—	(क) राज्य सरकार या (ख) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी।
२ अधीनस्थ सेवा—	(क) विभागाध्यक्ष, या (ख) सरकार की स्वीकृति के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा विशेषरूप से अधिकृत अधिकारी।
३. लिपिकवर्ग सेवाय— एव ४. चतुर्थ श्रेणी सेवायें—	कार्यालयाध्यक्ष (किन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा बनाय गये नियमों व दिये गये निर्देशों के अधीन)

३, विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी—ये शब्द इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंपे जा सकते हैं। यह अधिकार प्रदान करने का कार्य पूर्णत प्रशासनिक है, एक न्यायिक अधिकार नहीं। इसके द्वारा नियुक्ति का अधिकार दिया जा सकता है, किन्तु निष्कासन का नहीं।[1] नियुक्ति करने का मूल अधिकार जिस प्राधिकारी के नाम है वही—केवल वही—किसी कर्मचारी का निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड दे सकता है। इसके लिए अधीनस्थ अधिकारी दण्डाधिकारी नहीं हो सकता। स्पष्ट या निहित स्वीकृति के बाद ही नियुक्ति का अधिकार किसी को सौंपा जा सकता है।[2] इसके लिए राजपत्र में स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति निकालनी होगी।

४. "नियम व निर्देशों के अनुसार" विभिन्न सेवाओं में नियुक्तियां उन सेवाओं सम्बन्धी बनाये गये नियमों पर आधारित होती हैं, जो समय समय पर राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित किये हैं। लिपिक वर्ग सेवाओं व चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में नियुक्ति के लिए नियोजन कार्यालय (Employment Exchange) के द्वारा साक्षात्कार पर बुलाना आवश्यक है।* इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों ने भी जो निर्देश समय समय पर निकाले हैं, उनका पालन आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश सं० ≡ दिनांक २३-९-५९ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में नियुक्ति के अधिकार सौंप दिये गये हैं।

५ सरकार द्वारा बनाये गये व राजपत्र में प्रकाशित विभिन्न सेवाओं के नियमों की एक सूची आगे दी गई है—

1 AIR 1938 P C 27 2. AIR 1960 A P 29

* विज्ञप्ति स० एफ (६) श्रम/५६ दि० २३/३० सितम्बर १९५८

१. राजस्थान-प्रशासनिक-सेवा (R.A.S.) नियम १९५४
२. राजस्थान पुलिस सेवा (R.P.S.) नियम १९५४
३. राजस्थान लेखा सेवा (R.Ac.S.) नियम १९५४
४. " सचिवालय सेवा (R.S.S.) नियम १९५४
५. " इन्जिनियर्स सेवा (भवन व पथ शाखा) नियम १९५४
६. " " (E.M. Branch) नियम १९५४
७. " " (सिंचाई) नियम १९५४
८. " सहकारी सेवा नियम १९५४
९. " उच्च न्यायिक सेवा (RHJS) नियम १९५३
१०. " न्यायिक सेवा (R.J.S.) नियम१९५५
११. " पंजीयन व स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम १९५४
१२. " श्रमिक व कल्याण सेवा नियम १९५८
१३. " सांख्यकी सेवा नियम १९५८
१४. " मोटर गैरेज सेवा नियम १९५८
१५. " फैक्टरी व बोइलर्स निरीक्षक सेवा नियम १९५८
१६. " सरकिट हाउस सेवा नियम १९५९
१७. " कारागार (जेल) सेवा नियम १९५९
१८. " आयुर्वेदिक सेवा नियम १९५९
१९. " राज्य बीमा सेवा नियम १९५९
२०. " राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम १९६०
२१. " खनिज व भू-गर्भ सेवा नियम १९६०
२२. " नियोजन केन्द्र (Employment Exchange) सेवा नियम १९६०
२३. " शिक्षा सेवा नियम १९६०
२४. " कृषि सेवा नियम १९६०
२५. " पुरातत्व व संग्रहालय सेवा नियम १९६०
२६. " उद्योग सेवा नियम १९६०
२७. " फलोत्पादन (Horticulture) सेवा नियम १९६२
२८. " वन सेवा नियम १९६२
२९. " मेडिकल सेवा (कालेज शाखा) नियम १९६२
३०. " समाज कल्याण सेवा नियम १९६३
३१. " मेडिकल व स्वास्थ सेवा नियम १९६३
३२. " अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी १) नियम १९५५
३३. " " (श्रेणी २) नियम १९५४

३४. „ „ सहकारी सेवा (श्रेणी १) नियम १६५५
३५. „ „ „ (श्रेणी २) नियम १६५५
३६. „ सहायक पंजीयक (Sub Registrar) सेवा नियम १९५४
३७. „ तहसीलदार सेवा (R.T.S.) नियम १६५६
३८. „ सचिवालय अनुसचिवीय सेवा नियम १६५६
३९. „ अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम १६५७
४०. „ „ व्यवहार न्यायालय लिपिक वर्ग सेवा नियम १६५८
४१. „ राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम १९५९
४२. „ अधीनस्थ सेवायें (नियुक्ति व अन्य सेवा शर्तें) नियम १६६०
४३. „ खनिज व भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम १६६१।
४४. „ अधीनस्थ वन सेवा नियम १९६३
४५. „ समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम १६६१
४६. „ यातायात अधीनस्थ सेवा नियम १६६३
४७. „ राजस्थान मुद्रणालय सेवा नियम १६६०
४८. „ पशुपालन सेवा नियम १६६३
४९. „ अधीनस्थ लेखा सेवा नियम १६६३
५०. „ नगर आयोजन सेवा नियम १९६६
५१. „ शिक्षा सेवा (कालेज शाखा) नियम १६५९

[......आदि अन्य नियम]

भाग ४ [PART IV]

निलम्बन

[SUSPENSION]

Rule—13. Suspension-(1) The Appointing Authority or any authority to which it is Subordinate or any authority empowered by the Government in that behalf may place a Government servant under suspension—

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(b) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trail;

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the Appointing Authority, such authority shall forth with report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made.

* In excercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 13 of the Rajasthan Civil Services (C. C. & A.) Rules 1958 the State Government hereby empowers the authority competent to impose any one of the minor penalties specified in Rule 14 of the Said rules to place a Government Servant under suspension.

(2) A Government servant who is detained in custody, on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention, by an order of the Appointing Authority and shall remain under suspension until further orders.

(3) where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government Servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

* Inserted Vide Notification No. F 3 (9) Apptts (A)/62 dated 11.9.62.

(4) where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant is set aside or declared or rendered void in consequence or by a decision of a Court of law and disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order or dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders

(5) An order of suspension made or demeed to have been made under this rule may at any time be revoked by the authority which made or is demeed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

१३. निलम्बन—(१) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा जिस प्राधिकारी के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी है अथवा इस विषय मे सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है:—

(क) जहा कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित (सोची जा रही) हो अथवा विचाराधीन (चालू) हो या

(ख) जहां कि उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध की तफ़तीश (अन्वेषण) की जा रही हो या मुकद्दमा चल रहा हो;

परन्तु जहा निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी ने दी हो तो ऐसा प्राधिकारी तुरन्त ही उन परिस्थितियो की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिनमे कि आज्ञा दी गई थी।

*राजस्थान सरकार का निर्णय

राजस्थान असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम १९५८ के नियम १३ के उपनियम (१) मे प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार उक्त नियमो के नियम १४ मे वर्णित साधारण दण्डो मे से कोई एक दण्ड देने के लिये सक्षम प्राधिकारी को किसी राज्य कर्मचारी का निलम्बन करने के लिये अधिकार प्रदान करती है।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि ४८ घण्टो से अधिक समय से निरोध (हिरासत) मे रखा गया हो चाहे किसी फौजदारी आरोप पर अथवा अन्य प्रकार से, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निरोध के दिन से ही निलम्बित किया गया समझा जायगा और वह अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

*विज्ञप्ति सं० एफ ३ (९) नियुक्ति (क) ६२ दिनाक १७-९-६२ द्वारा निविष्ट।

(३) जहां किसी निलम्बित राजकर्मचारी को दिया गया निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड इन नियमों के अधीन की गई अपील या पुनरीक्षा में निरस्त कर दिया गया हो और मामला आगे जांच या कार्यवाही के लिए या किसी निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया हो. तो उसके निलम्बन की आज्ञा उसके निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की मूल आज्ञा के दिनांक से लगातार प्रभावशील मानी जावेगो और अगली आज्ञा तक प्रभावशील रहेगी।

(४) जहां किसी राज्य कर्मचारी को सेवा से निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा निवृत किये जाने का दिया हुआ दण्ड किसी विधि न्यायालय के निर्णय या उसके परिणाम स्वरूप निरस्त (Set aside) कर दिया जाय अथवा शून्य (Void) कर दिया या घोषित कर दिया जाय और अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर विचार करके उन दोषारोपणों (allegations) की फिर आगे जांच करने का निश्चय करे जिन पर कि उसे निष्कासित, सेवाच्युत, या अनिवार्य सेवा निवृत किये जाने का दण्ड पहले दिया गया था, तो राज्य कर्मचारी को निष्कासित सेवाच्युत, अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत किये जाने की पहली आज्ञा के दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित समझा जायगा और वह अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(५) निलम्बन की आज्ञा जो इस नियम के अधीन दी गई थी या दी गई मानी गई थी उसे किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने कि वह आज्ञा दी थी या जिसके द्वारा दी गई मानी गई थी या किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसके कि वह (आज्ञा देने वाला) प्राधिकारी अधीनस्थ है; वापस ली जा सकती है।

व्याख्या

१. परिचय

२. निलम्बन का अर्थ व स्वरूप
   - (क) दो रूप
   - (ख) पदावनति नहीं, न दण्ड
   - (ग) दण्ड के रूप में
   - (घ) नोटिस आवश्यक नहीं

३. निलम्बन का आधार व उसकी परिस्थितियां—
   - (क) परिस्थितियां
   - (ख) स्वत: निलम्बन
   - (ग) सरकारी निर्देश
   - (घ) विभागीय जांच के दौरान
   - (ङ) फौजदारी जांच या मामले में
   - (च) महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

४. सक्षम प्राधिकारी—
   - (क) निलम्बन का अधिकार
   - (ख) निलम्बनकर्ता प्राधिकारी
   - (ग) आज्ञा के प्रपत्र
   - (घ) कार्य भार सौंपने के दिन से लागू
   - (ङ) आयोग की सहमति आवश्यक नहीं

५. पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन—
   - निलम्बन आज्ञा का पुनर्जीवित होना
   - उपनियम (३) व (४) का प्रभाव
   - नियम १३ (३) व (४) की वैधता पर विवाद
   - पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन-अवैध

६. सेवा निवृत्ति अवकाश में निलम्बन

७. अपील व पुनरीक्षा

८. न्यायालय की शरण

९. निलम्बित कर्मचारी की स्थिति व अधिकार
   - (क) राज्य कर्मचारी है
   - (ख) निर्वाह भत्ता

१. परिचय—इस नियम के उपनियम (१) व (२) मे निलम्बन के आधार व सक्षम प्राधिकारी का वर्णन है। उपनियम (३) अपील स्वीकृति के बाद भी निलम्बन को प्रभावशील रखता है। उपनियम (४) न्यायालय की आज्ञा के बाद भी निलम्बन को प्रभावशील रखता है। उपनियम (५) सरकार को निलम्बन-आज्ञा कभी भी वापस लेने का अधिकार देता है।

२. निलम्बन का अर्थ व स्वरूप—यद्यपि इन नियमों मे 'निलम्बन' शब्द की परिभाषा नही की गई है, किन्तु आक्सफोर्ड शब्द कोष मे बताया गया है कि—"Action of debarring or state of being debarred, especially for a time, from a function or privilege; temporary deprivation of one's office or position; state of being temporarily kept from doing or deprived of something..." अर्थात् "विशेषरूप से कुछ समय के लिए किसी कार्य या विशेषाधिकार से वंचित रखने की कार्यवाही, वंचित होने की दशा; किसी को कार्यालय या स्थान से अस्थाई रूप से वंचित किया जाना; कुछ करने से अस्थाई रूप से मना करना या दूर रखना.." इस प्रकार निलम्बन एक अस्थाई परिस्थिति है, जिसमे कर्मचारी को उसके कार्य व विशेषाधिकारो से वंचित रखा जाता है। इन नियमों के अन्तर्गत यह कोई दण्ड नहीं है।[1] जाँच के दौरान किये गये निलम्बन से संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होता।[2] निलम्बन आज्ञा केवल सेवाधीन कर्मचारी के विरुद्ध ही दी जा सकती है।[3] निलम्बित कर्मचारी यद्यपि नियमित कार्य नही करता है, फिर भी वह कही दूसरी जगह नौकरी या धन्धा नही कर सकता।[4] निलम्बन अपने सहज रूप मे एक अस्थाई अवधि के लिये है और इस निलम्बन का निलम्बन नही हो सकता। जब एक निलम्बित कर्मचारी को कार्य करने दिया जावे तो निलम्बन अपने आप ही समाप्त हो जाता है और उसे पुनः निलम्बित किया जा सकता है; किन्तु निलम्बन निलम्बित रहा, ऐसी कोई दशा नही होती और उसे किसी घटना के साथ पुनः जागृत नही किया जा सकता। किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश पर वापस कार्य पर लिया गया और बाद मे उसे दुबारा नये आदेश से निलम्बित किया गया। यह नियमित है और आदेशकर्ता प्राधिकारी को न्यायालय की मान हानि का दोषी नही माना जा सकता।[5] निष्कासन के आदेश के बाद निलम्बन आज्ञा जीवित नही मानी जा सकती, चाहे बाद मे वह आज्ञा निरस्त कर दी गई हो।[6] निलम्बन का आदेश एक अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही है, अतः न्यायालय उसमे हस्तक्षेप कर सकता है।[7]

(क) निलम्बन के दो रूप—निलम्बन दो प्रकार का हो सकता है—(१) दण्ड के रूप मे और (२) आरोप के विरुद्ध जाँच चल रही हो, तो। पहली दशा में, राज्य कर्मचारी को कारण

1. प्रतापसिह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1964 S. C. 72, AIR 1953 Orissa; 329; 1958 A.P. 619, 1954 Cal. 340, 1957 Assam 77, 1954 J. & K. 14
2. AIR 1957 S C. 246, 1954 J.&K. 14, 1957 Assam 77.
3. AIR 1958 J&K 41
4. AIR 1957 Punjab 156, P.S. K.—53 (2)
5. AIR [illegible]
6. AIR [illegible]
7. AIR [illegible] 25

स्पष्ट करने का यथोचित अवसर दिये बिना सरकार उसे निलम्बित नहीं कर सकती।[8] दूसरी दशा में, जब विभागीय जांच चल रही हो या दण्डनीय अपराध का आरोप हो; तो प्रार्थी को उसके कार्य से सीधा सम्पर्क बनाये रखने से मना किया जाता है; क्योंकि यदि वह उसी कार्यालय मे बना रहेगा, तो जांच में सम्बन्धित पक्षकारों की अजीब परिस्थिति हो जावेगी। ऐसी दशा मे निर्वाह-भत्ता देने की अन्तरिम व्यवस्था की जाती है और इसमें यह भी छिपा है कि—यदि परिणाम प्रार्थी के पक्ष में रहा, तो उसे पूरा वेतन मिलेगा।[9]

(ख) निलम्बन न पदावनति और न कोई दण्ड–:(Neither Reduction in Rank, nor any Punishment.)

यह एक विवादास्पद विषय रहा है, किन्तु अब यह निश्चय हो गया है कि–निलम्बन एक अस्थाई स्थिति है जिसमे कोई दण्ड नहीं होता। अत: यह पदावनति भी नहीं माना जा सकता। अनेक उच्च न्यायालयों का यही निर्णय रहा है, जिनमें राजस्थान 10, कलकत्ता 11, मध्यभारत 12, मद्रास 13, आसाम 14, पटना 15, उड़ीसा 16, पंजाब 17, आन्ध्र प्रदेश 18, मध्य प्रदेश 19, व केरल 20 उल्लेखनीय हैं। किन्तु नागपुर उच्च न्यायालय में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज–बनाम–शमसु हुसैन[20A] के मामले में एक प्रतिकूल निर्णय लेते हुए न्यायमूर्ति श्री बास ने कहा है—"जब एक व्यक्ति को निलम्बित किया गया, हमारे विचार में, उसे पदावनत किया गया है। यह स्पष्ट है कि निलम्बन निष्कासन के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो यह वर्तमान दृष्टिकोण ही धराशायी हो जाता। यदि एक व्यक्ति सेवा में है, तो वह किस श्रेणी (Rank) में है? यह तो स्पष्ट ही है कि वह उस श्रेणी मे नहीं है, जिसमे वह निलम्बन से पहले था। निलम्बनाधीन अवस्था में उसे कोई कार्य करने के लिए अधिकार नहीं है, उसे अपना वेतन पाने का अधिकार नहीं है। तब यह स्पष्ट है कि–वह अपनी मूल श्रेणी को धारण नहीं करता, क्योंकि श्रेणी के मूल तत्व (अवैतनिक को छोड़कर) दो हैं—अपना कार्य करना और वेतन प्राप्त करने का अधिकार होना। यदि इस प्रकार, वह सेवा में होते हुए भी श्रेणी को धारण करने से वंचित है, तो पदावनति (या श्रेणी भंग) है और हमारे विचार से 'निलम्बित अधिकारी', जैसा कि उसे शासकीय रूप मे कहा जाता है; का अर्थ

---

8. काली प्रसन्न बनाम प० बंगाल राज्य, (1952) 56 C.W.N. 492
गोपालकृष्ण–बनाम–मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1952 Nagpur 170
9. नृसिंह मुरारी-बनाम-जिला दण्डनायक व जिनार्थ[illegible]
AIR 1961 Cal. 225.
10. पी पी, गुप्ता-बनाम-राज्य, ILR 1958 Raj. 124; (AIR 1958 Raj 239)
11. शिवनन्दन–बनाम–प. बंगाल राज्य, AIR 1954 Cal. 60
काली प्रसन्न-बनाम-बंगाल राज्य, AIR 1952 Cal. 769;
पी बी. चक्रवर्ती–बनाम–डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ई. आई. रेलवे, AIR 1953 Cal. 45;
हेमन्त कुमार भट्टाचार्जी बनाम एस. एन. मुखर्जी, AIR 1954 Cal. 340
12. प्रेमबिहारी बनाम राज्य, AIR 1954 M. B. 49
13. AIR 1957 Madras 46;
वेंकटेश्वरलु बनाम–मद्रास राज्य, AIR 1954 Mad. 587.
14. आसाम राज्य बनाम–हरनाथ बरुआ, AIR 1957 Assam 77
15. गुरुदेव नारायण बनाम–बिहार राज्य, AIR 1955 Patna 131.
16. दण्डपाणि गोड़ बनाम–राज्य, AIR 1953 Orissa 329; 1957 Orissa 51.
17. ज्योति प्रसाद–बनाम–पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट AIR 1956 Punj. 102; 1956 Punj. 58 (71)
18. डॉ. जी. सिम्मा रेड्डी–बनाम–आन्ध्रराज्य, AIR 1958 A. P. 35
19. लक्ष्मण पंढारीनाथ-बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1959 M. P. 295
20. एम० इब्राहीम पिल्लई बनाम प्रिंसिपल, यू० आई. कालेज, AIR 1958 Kerala 72
20. A.–AIR 1949 Nagpur 118.

है कि—अधिकारी, जिसकी श्रेणी घटा दी गई हो ····।"[20] A यद्यपि इस निर्णय से अन्य न्यायालय सहमत नही हैं; फिर भी यह एक विवादास्पद और विचारणीय प्रश्न है । सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद घोष के मामले मे माना है कि—उच्च न्यायालय द्वारा जाच के बाद सरकार के पास मामला कार्यवाही हेतु विचाराधीन होने पर किसी अधीनस्थ न्यायाधिकारी को निलम्बित रखने से सविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होता ।[21] तथा निलम्बन पदावनति या दण्ड नही है ।[21A] निलम्बन एक प्रकार से मानसिक व आर्थिक कष्ट देने का साधन है, जो दण्ड से भी अधिक भयानक है ।

नम्र निवेदन है कि कई बार प्रशासनिक व राजनैतिक दुर्भावनाओ को आड़ मे लग करने की नियत से निलम्बन कर दिया जाता है । अत: निम्न परिस्थितियो मे निलम्बन की आज्ञा को न्याया लयों ने अवैध व अशुभ (Invalid and bad in law) घोषित किया है—

(१) निलम्बन काल मे पदावनति कर देना;[22]

(२) उसका वेतन कम कर देना,[23]

(३) लम्बे समय तक आरोप पत्र नही देना;[24]

(४) निलम्बन काल को प्राह्य अवकाश या निर्वेतन अवकाश मानना;[25]

(५) सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल को बढाकर साथ ही निलम्बित कर देना;[26]

(ग) निलम्बन : दण्ड के रूप में—

यदि नियमों मे ऐसा कोई प्रावधान हो कि—निलम्बन एक दण्ड है; तो इससे पहले दोषी को यथोचित-अवसर देना होगा, और उसे अनुच्छेद ३११ (२) का संरक्षण प्राप्त होगा ।[24] राजस्थान मे इससे पहले १९५० के नियमो मे 'निलम्बन' एक दण्ड माना गया था ।* उस समय नोटिस देना, स्पष्टीकरण लेना व साक्ष्य लेना—पूरी कार्यवाही आवश्यक थी, किन्तु अब 'निलम्बन' को एक दण्ड के रूप मे नियमो मे से हटा दिया गया है । निलम्बन दण्ड है या नही—यह प्रश्न विभिन्न नियमो के प्रावधान पर निर्भर करता है । जाच की अपेक्षा मे या विचाराधीन पडे होने पर किया गया निलम्बन कोई दण्ड नही माना गया है । सर्वोच्च न्यायालय ही इस पर कई निर्णय दे चुका है ।[27]

21. मो० घोष बनाम आंध्र प्रदेश
AIR 1957 S. C. 246

21. A ओम प्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश,
AIR 1955 S C. 600

22. केदार नाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य,
AIR 1954 Ajm 22

23. पूर्वोक्त (सं. २२), जे. बी. पुरुषोत्तम बनाम जनरल मैनेजर
AIR 1963 Madras 35

24. भारत सघ बनाम मलिक मोहम्मद इल्यास,
AIR 1964 Patna 168

25. बसन्त रघुनाथ गोखले बनाम महाराष्ट्र राज्य,
AIR 1957 Bom. 130.

26. आसाम राज्य बनाम पदम राम बोहरा,
AIR 1965 S. C. 473.
नृपेन्द्रनाथ बागची बनाम प० बंगाल सरकार
AIR 1961 Cal. I.

27. ओम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश शासन,
AIR 1955 S C. 600.
मैनेजमेंट होटल इम्पीरियल नई दिल्ली बनाम होटल वर्कर्स सघ
AIR 1959 S. C. 1342.
AIR 1961 S. C. 276.
आर. पी. कपूर बनाम भारत सघ,
AIR 1964 S. C. 787.

*राजस्थान असैनिक सेवायें (व० नि० व अ०) नियम १९५० के नियम १५ (५) के अधीन ।

(घ) अनुच्छेद ३११ के अधीन नोटिस आवश्यक नहीं—

जब निलम्बन दण्ड नहीं है और इससे पहले नोटिस देने का कोई नियम नहीं है; तो नोटिस देना आवश्यक नहीं है। यह कई न्यायालयों का स्पष्ट मत है। [28]

परन्तु राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति [29] द्वारा निलम्बन से पूर्व दोषी कर्मचारी का अभिकथन (Version) सामने रखकर ही न्यायोचित आज्ञा देने का निर्देश दिया है। अतः इस प्रशासनिक निर्देश के अधीन निलम्बन से पूर्व नोटिस देकर दोषी का अभिकथन प्राप्त किये बिना दिये गये निलम्बन आदेश को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

३. निलम्बन का आधार व उसकी परिस्थितियाँ

(क) परिस्थितियां—नियम १३ के अनुसार एक कर्मचारी को निम्न परिस्थियों में निलम्बित किया जा सकता है—

(१) जबकि उसके विरुद्ध विभागीय जांच अपेक्षित (चाही गई) हो या (२) विचाराधीन हो; या (३) उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध की जांच चल रही हो या	उप नियम (१) (क)
(४) उसके लिये न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, या	उप नियम (१) (ख)
(५) जबकि किसी कर्मचारी को किसी फौजदारी आरोप में या अन्य कारण से ४८ घण्टे से अधिक समय तक निरोध (हिरासत) में रखा गया हो।	उप नियम (२)

(ख) स्वतः निलम्बनः—(Automatic Suspension) इन परिस्थितियों मे से पाँचवीं परिस्थिति का उल्लेख उपनियम (२) में किया गया है। फौजदारी आरोप या अन्य किसी कारण (जैसे—कर्ज न चुकाना, व्यवहार न्यायालय द्वारा जेल की सजा दे देना आदि) से ४८ घंटे तक हिरासत मे रहने पर बिना किसी औपचारिक आज्ञा के स्वतः ही निलम्बित माना जावेगा और जिस दिन उसे हिरासत मे लिया गया उसी दिन से निलम्बित समझा जावेगा और जब तक कोई दूसरी आज्ञा सक्षम अधिकारी न दे, वह निलम्बित ही रहेगा। इस प्रकार के निलम्बन की आज्ञा बाद की तारीख में निकल सकती है, पर उसका प्रभाव हिरासत मे लेने के दिन से ही माना जावेगा। इसके लिए विज्ञप्ति सं० F. D. No. 2467/59 F. 7 A (1) F. D.–A/Rules–58 दि. 18–8–59 में सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

(ग) निलम्बन के लिये राज्य सरकार के निर्देशः—राज्य सरकार ने निलम्बन के मामलों में कर्मचारी की कठिनाइयों को देखते हुए समय समय पर कई निर्देश जारी किये हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंश आगे दिये जा रहे हैं:—

28. AIR 1954 Madras 587; 1955 Patna 131; 1952 Calcutta 769, 1953 Calcutta 45, 1953 Orissa 329; 1954 M. B. 49 and 1949 Nagpur 118, AIR 1957 S. C. 246; 1961 Punj. 298

२९. परिपत्र सं० डी० १६६३३/५९ एफ. १६ (२७) नियुक्ति (क)/६० दिनांक १७-३-६० (निर्देश सं. २)

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को विज्ञप्ति स. D. 2900/F. 23 (18) Apptts. (A)/58 Dated 25. 3. 1958 द्वारा निम्न आधारो पर निलम्बन करने का निर्देश दिया है—

"(1) जबकि दोषी के विरुद्ध कोई ठोस-प्राथमिक मामला (Strong prima facie Case) हो और दोषारोपण मे नैतिक पतन, गम्भीर दुराचरण या अनुशासन हीनता और उच्चाधिकारियो के आदेश की जानबूझकर अनुपालना करने से मना करना सम्मिलित हो, (या) जहाँ कोई ऐसा ठोस प्राथमिक मामला उसके विरुद्ध हो, जो यदि प्रमाणित हो जावे, तो उस कर्मचारी के निष्कासन या सेवा से हटाने (dismissal or removal from Service) का सामान्य परिणाम निकल सके।

(ii) जहाँ उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकद्दमे की जाच - पडताल [तफतीश] हो रही हो या फौजदारी मुकद्दमे मे अदालती कार्यवाही चल रही हो।

एक राज्यकर्मचारी को उस समय तक निलम्बित नही करना चाहिये, जब तक कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आवश्यक सामग्री तैयार नही हो। अन्यायपूर्ण (unjustified) निलम्बन केवल राज्यकर्मचारी को ही अवांछित कठिनाई व प्रतिष्ठा को हानि नही करता, वरन् सरकार के लिये भी हानि है।

(ख) परिपत्र स D. 16633 59 F. 19 (27) Apptts (A) 60 दि.17. 3. 60 के अधीन दो निर्देश निलम्बन करने से पूर्व विचारणीय हैं —

'(१) निलम्बन का आश्रय बहुत ही सावधानी के बाद लेना चाहिये और केवल उसी समय लिया जावे जब कि राजस्थान प्रशैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण व अपील) नियम 1958 के अधीन बताये गये कोई एक असाधारण दण्ड विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दिया जा सकता हा—या—उसे किसी फौजदारी आरोप मे गिरफ्तार कर लिया गया हो।

(२) निलम्बन की आज्ञा देने मे पूर्व निलम्बन कर्ता को प्राथमिक रिपोर्ट व दोषी कर्मचारी का कथन (version) दोनो अपने सामने रखने चाहिये, ताकि ऊपर दिये निर्देशो का पालन हो सके, क्योंकि केवल प्राथमिक रिपोट पर दी गई आज्ञा एक तरफा कथन पर आधारित होगी।'

इस प्रकार निलम्बन की आज्ञा देने के लिये सरकार के जो निर्देश या नीति है, उसका सारांश यह है कि—(१) निलम्बन करने से पहले निलम्बन कर्ता प्राधिकारी को यह देख लेना चाहिये कि—मामला इतना गभीर है कि—उसमे असाधारण दण्ड मिलने की सभावना है और (२) दोषी कर्मचारी का कथन (version) क्या है ? यद्यपि नियमो मे दोषी कर्मचारी को निलम्बन से पूर्व कोई नोटिस देने का प्रावधान नही है, फिर भी उक्त निर्देशो के अनुपालन में उसके कथन को जानने के लिये उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना उचित माना गया है। इससे अनावश्यक विभागीय कार्यवाही व कठिनाइयो का निराकरण हो सकता है, बशर्ते कि—सम्बन्धित प्राधिकारी इसकी सोच समझ कर अनुपालना करें।

(घ) विभागीय जांच के दोहरान निलम्बन :—

नियम १३ (१) (क) के अधीन विभागीय जाच के दोहरान निलम्बन का प्रावधान है। यह दो प्रकार का है—(१) जब विभागीय जाच अपेक्षित (चाही गई) हो, या

(२) जब विभागीय जाच (चालू) विचाराधीन हो।

विभागीय जाँच के दोहरान निलम्बन करने की शक्ति का उद्देश्य यह कि वह उ

पड़ताल शुद्ध व निष्पक्ष(fair & impartial) परिस्थितियों में की जा सके।[30] इसका अर्थ यह हुआ कि वह दोषी कर्मचारी अपने पद के प्रभाव या विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर शुद्ध व निष्पक्ष जांच के वातावरण को न बिगाड़ दे और परिणामस्वरूप जांच में गवाहों या रिकार्ड को नहीं बदल दे ताकि उसका दोष सिद्ध नहीं हो सके और वह दण्ड से बच जावे। परन्तु जब किसी कर्मचारी का उस स्थान से स्थानान्तर हो जावे, उसके बाद उसे निलम्बित करना इस मूल उद्देश्य से परे जाना है, क्योंकि इस नये पद या स्थान से वह अपने पूर्व स्थान को प्रभावित नहीं कर सकता और जांच वहां शुद्ध व निष्पक्ष जांच के वातावरण में की जा सकती है।

(ङ) फौजदारी जांच या मामले में निलम्बन—

नियम १३ (१) (ख) में भी दो दशाओं में निलम्बन हो सकता है—

(१) जबकि कोई फौजदारी अपराध की जांच पड़ताल (तफतीश) चल रही हो, या

(२) फौजदारी मुकद्दमा अदालत में चल रहा हो।

उपनियम (२) में २४ घण्टे हिरासत (निरोध) में रहने पर स्वतः ही पकड़े जाने के दिन से निलम्बन माना जाता है और सरकार को ऐसा अधिकार है।[31] इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति F.D. No. 2467/59 F. 7 A (1) F.D.–A/Rules/58 दिनांक 18–8–59 के द्वारा सरकार ने प्रशासनिक निर्देश जारी किये हैं।

गृह (क) विभाग की विज्ञप्ति सं० D. 11132/F. 15 (9) 11 H A. (A)/57 दिनांक 6–11–57 में यह निर्देश दिया गया है कि—यदि किसी कर्मचारी को मज्ञेय अपराध (conizable offence) में गिरफ्तार किया जावे, तो यह आवश्यक नहीं है कि—पहले उसे सम्बन्धित प्राधिकारी निलम्बित करे। इसी प्रकार से यदि दण्डप्रक्रिया संहिता (Cr P.C.) की धारा १६० व १६१ के अधीन पूछताछ के लिये किसी कर्मचारी को बुलाया जावे, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्य मुक्त कर भेजा जावे।

यदि किसी कर्मचारी को सम्मन द्वारा अदालत में आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया गया हो और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया हो; तो बिना औपचारिक आज्ञा के उसे स्वतः निलम्बित नहीं माना जावेगा।[32] जब तक कि फौजदारी कार्यवाही पूर्णतः समाप्त नहीं होगी, तब तक निलम्बन आज्ञा चालू मानी जावेगी।[33] किन्तु ज्योंही फौजदारी कार्यवाही समाप्त हो जावेगी, निलम्बन भी स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।[34] यदि फौजदारी कार्यवाही के दौरान उस व्यक्ति पर किन्हीं दूसरे आरोपों पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, तो उन आरोपों पर उसका निलम्बन चालू रहेगा, चाहे अदालत से वह विमुक्त हो गया हो।[35] यदि किसी व्यक्ति को अदालत ने धारा ३३७ Cr. P. C. के अधीन क्षमादान कर दिया हो और उसके विरुद्ध आगे धारा ३३९ Cr.C.P. में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता हो, फिर भी निलम्बन की आज्ञा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।[36]

[(देखिये व्याख्या खण्ड (१०)– पुनःस्थापन]

30. AIR 1952 All 681
31. AIR 1959 Cal. 294
32. AIR 1957 All. 436
33. AIR 1961 Cal. 225
34. AIR 1958 Cal. 239 (241)
35. AIR 1957 All. 436 (439) & AIR 1957 Orissa 52
36. AIR 1957 Orissa 52

(च) महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय (Case Laws)—

आरोप बनाना आवश्यक नहीं—

निलम्बन के पहले आरोप तैयार किये जाना आवश्यक नहीं है। केवल विभागीय जांच को अपेक्षा में ही निलम्बन किया जा सकता है।[37]

यह नहीं कहा जा सकता कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध पहले बिना आरोप बनाये और बिना स्पष्टीकरण लिये निलम्बन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। इस साधारण शक्ति को किसी विधि (कानून) के प्रावधान से, येन केन, सीमित किया जा सकता है।[37A]

कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जिनमें तुरन्त कार्यवाही करनी होती है। कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें निलम्बनकर्ता प्राधिकारी ने वास्तव में निलम्बित करने से पहले कर्मचारी का स्पष्टीकरण भी लिया हो। परन्तु यह मामला आवश्यकतानुसार निलम्बनकर्ता के पूर्ण विवेक के अधीन है और उसके विवेक को साधारण नहीं कहा जा सकता।[37B]

विचाराधीन विभागीय-जांच के दौहरान निलम्बन करना अनुशासनिक-प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।[38] और इससे अनुच्छेद ३११ का हनन नहीं होता।[39] यदि कर्मचारी को किसी कारण से गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया हो;[40] या उसके विरुद्ध कोई दण्डात्मक [फौजदारी] मुकदमा विचाराधीन हो;[41] या उसे ऋण वसूली के लिए गिरफ्तार कर लिया गया हो; या निरोधक कानून (Preventive Detention Act.) के अधीन पकड़ लिया गया हो.[42] या उसके विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन या अपेक्षित हो,[43] तो उसका निलम्बन वैध माना गया है। निलम्बन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी फौजदारी अपराध का दोषारोपण (accusation) किया गया हो। यहां फौजदारी आरोप का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि इसके लिये किसी न्यायालय द्वारा आरोप बना लिया गया हो। यह दोषारोपण का ही प्रसंग है और इसका विशाल अर्थ है। जब प्रथम सूचना (F. I. R.) प्रस्तुत कर दी गई हो, तो वहां दोषारोपण था और निलम्बन किसी औपचारिक या अन्य प्रकार की शिकायत पर निर्भर न होकर इस तथ्य पर आधारित था कि प्रार्थी के विरुद्ध एक सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसका परिणाम फौजदारी कार्यवाही हुई।[44]

---

37. AIR 1963 Ker316
37-A AIR 1959 All 230; AIR 1963 Punj: 298
37 B AIR 1957 All: 671
38. नीलमणिसिंह बनाम भारत संघ AIR 1964 Manipur 18
39. ज्योति प्रसाद रामकृपाल बनाम पुलिस सुपरिन्टेण्डेन्ट AIR 1965 Pun. 102, डा० जी० यिम्मा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश, AIR 1958 A.P. 35; and गुरुदेव नारायण श्रीवास्तव बनाम बिहार AIR 1955 Patna 131; AIR 1957 S.C. 246;
40. सरजू कुमार दत्ता बनाम भारत संघ AIR 1959 Cal. 294
41. आर० पी० कपूर बनाम भारत संघ AIR 1963 Punjab 87
42. विज्ञप्ति संख्या F D. 2467/59 F. 7 A(1) F.D A/Rules/58-1 दिनांक 18-8-59.
43. मो० घोष बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1957 S. C. 246
44. ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश शासन AIR 1955 SC 600
गोपालकृष्ण नायडू बनाम मध्यप्रदेश शासन AIR 1952 Nagpur 170;
एन एम. चक्रवर्ती बनाम जिला दंडनायक एवं जिलाधीश, हुगली AIR 1961 Cal. 225

निलम्बन को जारी रखने के लिए कहीं न कहीं फौजदारी–आरोप का विचाराधीन पड़े होना आवश्यक है। यदि यह (आरोप) न तो किसी साधारण न्यायालय में है और न किसी विशेष न्यायालय में, तब यह नहीं कहा जा सकता कि यह विचाराधीन है और निलम्बन की आज्ञा जिस दिन से आरोप का कही विचाराधीन होना समाप्त हुआ, उस दिन के बाद जारी नहीं रह सकती।[45]

इस प्रकार फौजदारी मुकदमा पुलिस में पंजीकृत न होने तक कोई दोषारोपण नहीं माना जा सकता और इसी कारण से किसी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

४. निलम्बन करने के लिए सक्षम-प्राधिकारी

(क) निलम्बन का अधिकार—

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि—मालिक व नौकर के सामान्य कानून के अन्तर्गत मालिक को अपने नौकर को निलम्बन द्वारा दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं है[46] और ऐसे मामलों मे नौकर दावा कर सकता है कि—वह काम करना चाहता है और उसे काम नहीं करने दिया गया। अत: मालिक हर्जाना देवे। यदि, येन केन, निलम्बन का उसे अधिकार है, तो उसका प्रभाव यही होगा कि सेवा की पूरी संविदा ही समाप्त हो जावेगी और परिणाम स्वरूप नौकर काम करने के लिये या निलम्बन काल का पूरा वेतन पाने के लिए मांग नहीं कर सकता।[47] मालिक व नौकर के बीच कानून निलम्बन करने की कोई परोक्ष शक्ति मालिक को नहीं देता और ऐसा अधिकार नही था, जब तक कि संविदा की शर्तें ऐसी आज्ञा न देती हो—या कोई कानून या नियम मे इसका प्रावधान न हो।[48] किन्तु जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा १६(१) में स्पष्ट प्रावधान है कि—नियुक्ति करने की शक्ति में ही निलम्बन की शक्ति सम्मिलित है।[49] अत: यदि लगाये गये आरोपों के विरुद्ध जांच चल रही हो, तो वैधानिक नियम के अभाव में भी सरकार किसी कर्मचारी को निलम्बित कर सकती है।[50] इसी निर्णय की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों मे भी की गई है।[51]

(ख) निलम्बनकर्ता प्राधिकारी—

नियम १३(१) के अधीन निलम्बन करने का अधिकार निम्न को है—

(१) नियुक्ति प्राधिकारी, या

(२) वह उच्च प्राधिकारी, जिसके नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ हो, या

(३) सरकार द्वारा अधिकृत अन्य प्राधिकारी। किन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न-स्तर का प्राधिकारी निलम्बन की आज्ञा दे, तो उसकी परिस्थितियों की सूचना वह नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

---

45. एन के. भट्टाचार्जी बनाम भारत सरकार AIR 1958 Cal 239
46: भवानी के० सहकारी बैंक लि० बनाम वेंकटपति नायडू (1955) 1 MLJ 293
47: AIR 1933 Cal: 759; AIR 1943 Bom. 9; AIR 1915 Nag: 183; AIR 1945 Nag: 244 AIR 1954 Punj: 299; AIR 1941 Nag: 125.
48: ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश शासन (1955) SCA 832 (837) AIR 1955 SC 600
49: गुरुदेव नारायण श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य AIR 1955 Patna 131 (134)
50: एन० एम० चक्रवर्ती बनाम जिला दंड-नायक एवं जिलाधीश, हुगली AIR 1961 Cal: 225
51: AIR 1959 SC 1342; AIR 1961 SC 276 & AIR 1964 SC 787

इस नियम के अधीन राज्य सरकार ने विज्ञप्ति स॰ F 3(9) Apptts दिनांक 11-9-62 के द्वारा नियम १४ मे वर्णित साधारण दण्ड देने के लिए सक्षम प्राधिकारियो को (जिनका उल्लेख नियम १५ मे है) एक कर्मचारी के निलम्बन का अधिकार प्रदान कर दिया है।

अधिकृत प्राधिकारी के अलावा यदि कोई अन्य प्राधिकारी न निलम्बन की आज्ञा दी हो, तो दोषी कर्मचारी को उच्च न्यायालय मे सहायता मिल सकती है और आज्ञा अवैध हो जाती है।[52]

(ग) आज्ञा के प्रपत्र—

निलम्बन-आज्ञा के लिये सरकार ने प्रपत्र (स॰ १ व २) निर्धारित किये हैं, ताकि आज्ञा कोई वैधानिक कमी न रह सके [देखिये परिशिष्ट (ख)]

घ) निलम्बन-आज्ञा कार्यभार सौंपने के दिन से लागू—

राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार कार्यभार सौंपने के दिन से ही आज्ञा लागू होनी ाहिये, न कि आज्ञा की तारीख या उससे पूर्व के किसी दिन से।[53] जिस दिन उसे वास्तव मे कार्य क किया हो, उसी दिन से निलम्बन माना जावेगा।[54]

) आयोग की सहमति लेना आवश्यक नहीं—

निलम्बन-आज्ञा के पूव लोक सेवा आयोग की राय लेने का कोई प्रावधान नही है; अत: आवश्यक नही माना गया।[55]

५. पूर्वकालिक प्रभाव (Retrospective effect) से निलम्बन को प्रभावशीलता

निलम्बन मे किसी कमचारी को सरकार कार्य करने से वचित करती है, वह स्वय काय ो छोडता। पहले जब उसने वास्तव मे कार्य किया है, तो उस किये हुए कार्य को नही किया हुआ ना और पूर्वकालिक प्रभाव से किसी को निलम्बित करना न्यायालयो ने उचित नही माना है, ा इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध माना है।[56] साधारणतया एक राज्य कर्मचारी को पूर्व-ालिक प्रभाव से निलम्बित नही किया जा सकता। यह वास्तव मे सत्य है कि—विधायिका ऐसा ून बना सकती है और उसकी वैध-कल्पना के रूप मे यह माना जा सकता है कि—कार्य करने के ूद भी एक राज्य कर्मचारी को "कोई कार्य नही किया" ऐसा समझा जा सकता है। परन्तु ऐसा ी स्पष्ट नियम के अधीन ही होगा साधारण अर्थ मे शब्द 'निलम्बन' या 'निलम्बित' से ऐसा ाय नही निकाला जा सकता।[57] यह नियम उन मामलो मे भी लागू होना चाहिये, जहा ासन की आज्ञा चालू रहने पर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वास्तव मे कोई कार्य नही किया ।[58]

AIR 1958 Cal 239, 1954 Pepsu 98

. Hand Book on Disciplinary proceedings Page 2—Para 4 (1)

. श्री प्रसाद बनाम राज्य

1960 RLW 386 AIR 1957 Orissa 51, एम॰ इब्राहीम पिल्लई बनाम यू॰ आई कालेज
AIR 1958 Kerala 72

डॉ॰ थिम्मा रेड्डी बनाम आंध्र राज्य
AIR 1958 AP 35

56. AIR 1955 S C. 600 1959 RLW 428
ILR (1960) 10 Raj 952,
1960 RLW 386
AIR 1854 Cal 340, 1956 Cal 447,
1959 Cal 1 1959 M P 404 1958 M P 44
1957 Orissa 51, & 1956 All. 151,
AIR 1963 Punj. 298

57 भैरोप्रसाद बनाम राजस्थान राज्य
ILR (1960) 10 Raj 952

58 ILR (1960) 10 Raj 952

वास्तव में पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन अपने आप में ही विरोधाभास (Contradiction) है। इसका कोई अर्थ नहीं है।[५९]

निलम्बन-आज्ञा का पुनर्जीवित होना—

किन्तु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां जनहित में किसी कर्मचारी की निलम्बन आज्ञा को पूर्वकाल से प्रभावित माना जाता है। इसके लिए १९५१-५८ से पहले नियमों में कोई प्रावधान नहीं था; किन्तु १९५७ में नये केन्द्रीय नियमों में व उसका अनुकरण करते हुए १९५८ में राजस्थान के नये नियमों में इसका प्रावधान रखा गया। इस प्रावधान की वैधता पर बहुत विवाद चला, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय[६०] मे इन प्रावधानों को वैध मान लिया है। फिर भी पाठकों की ज्ञान-पिपासा को शांत करने के लिये यहां इस विवाद का वर्णन करना उचित ही होगा।

इस नियम के उप नियम (३) व (४) में ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है, जिनमे निलम्बन की आज्ञा पुनर्जीवित होकर पिछली दिनांक से लागू समझी जावेगी—

(१) उप नियम (३) : अपील या पुनरीक्षा का प्रभाव

इस उप नियम मे निम्न तथ्य सामने आते हैं—

(१) राज्य कर्मचारी निलम्बित था; और

(२) उसे तीन असाधारण दण्डों मे से कोई एक दिया गया;

(३) बाद में अपील या पुनरीक्षा मे उक्त दण्ड की आज्ञा निरस्त करदी गई हो और मामला

(क) आगे जांच या कार्यवाही के लिये या

(ख) किसी निर्देश के साथ लौटा दिया गया हो।

ऐसी परिस्थिति में दण्ड की मूल आज्ञा के दिनांक से वह निलम्बन आज्ञा पुनर्जीवित होकर आगे अन्य आज्ञा तक प्रभावशील रहेगी।

(२) उप नियम (४) : विधि-न्यायालय की आज्ञा का प्रभाव

इस उप नियम में निम्न तथ्य सामने आते हैं :—

(१) एक राज्य कर्मचारी को किसी एक असाधारण दण्ड से दण्डित किया गया; और

(२) किसी विधि-न्यायालय (The Court of Law) के निर्णय द्वारा या उस निर्णय के परिणाम स्वरूप यदि वह दण्ड की आज्ञा निरस्त या अवैध हो जाती है; और

(३) अब यदि अनुशासन-प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हीं आरोपों पर आगे दुबारा जांच करने का निश्चय करता है।

ऐसी परिस्थिति में दण्ड की पहली आज्ञा के दिनांक से ही उस कर्मचारी को नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा अगली आज्ञा तक निलम्बित समझा जावेगा।

59: AIR 1959 M.P. 434

60: खेमचंद बनाम भारत संघ AIR 1963 S.C. 687

उदाहरण—

इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है —

(क) एक राज्य कर्मचारी को मान लीजिये दिनाक ५–८–५९ को निलम्बित किया गया और जाच के बाद १०–१२–५९ को निष्कासित कर दिया गया।

(ख) पहली दशा में अपील या पुनरीक्षा मे दण्ड दिनांक १५–३–६० को निरस्त कर दिया गया। या दूसरी दशा में न्यायालय द्वारा दिनांक १५–३–६० को दण्ड की आज्ञा अवैध मान ली गई।

(ग) ऐसी परिस्थिति पहली दशा में, उस कर्मचारी को दिनांक १०–१२–५९ से पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बित माना जावेगा। परन्तु यदि वह पहले निलम्बित नहीं था, तो उसे अब पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बित नही किया जा सकता। उसके निलम्बन के लिए यदि आवश्यक कारण हो, तो नयी आज्ञा जारी की जा सकती है, जो आज्ञा के प्राप्त होने पर कार्य भार समालने के दिन से लागू होगी।

दूसरी दशा में, यदि अनुशासन-प्राधिकारी दुबारा उन्ही आरोपो पर आगे जाँच कराना आवश्यक समझे, तो दिनांक १०-१२-५९ से (दण्ड आज्ञा की दिनाक से) ही उसे निलम्बित माना जा सकेगा। किन्तु यहाँ भी यदि वह पहले निलम्बित नही था, तो उसे आधारभूत कारण होने पर अब नये सिरे से निलम्बित करना होगा।

नियम १३ (३) व (४)को वैधता पर विवाद—

इस विवाद पर विचार करने से पूर्व यह ध्यान मे रखा जाना आवश्यक है कि वर्तमान केन्द्रीय नियम १९५७ मे और राजस्थान के वर्तमान नियम १९५८ मे प्रभावशील हुये हैं। इससे पूर्व के नियमो मे निलम्बन-आज्ञा तथा उसके पुनर्जीवन का कोई प्रावधान नही था। राजस्थान मे उस समय निलम्बन एक दण्ड माना जाता था।[61]

* [यहा ससम्मान यह निवेदन है कि—उपरोक्त उपनियम (३) व (४) मूल-भूत सिद्धान्तो के प्रतिकूल प्रतीत होता है, क्योकि—

(१) निलम्बन का पूर्वकालिक होना अपने आप मे एक विरोधाभास है;

(२) राज्य कर्मचारी निष्कासन के बाद वास्तव मे सेवामे नही था और बाद मे अपील या न्यायालय की आज्ञा के कारण उसे सेवामें मान लिया गया। अतः उस समय निलम्बन की पूर्व आज्ञा निष्कासन की आज्ञा के साथ विलीन होकर समाप्त हो गई, उसे पुनर्जीवित मानना उचित नहीं, जबकि अब न तो वह पुरानी जाच विचाराधीन है और न वह पुरानी आज्ञा ही जीवित है।

(३) न्यायालय या अपील प्राधिकारी के आदेशो की भावना को यह पुनर्जीवन असफल कर देता है और न्यायालय के न्याय पर भी विभागीय प्राधिकारी हावी हो जाते हैं।]

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

निलम्बन की एक आज्ञा केवल उस व्यक्ति के बारे मे पारित की जा सकती है, जो कि

61. Rajasthan Civil Services (C.C. & A) Rules 1950 under Rule 15 (v)

वास्तविक सेवा में उस दिन हो। [62] किन्तु इन उपनियमों की परिस्थितियों में वह उस दिन वास्तविक सेवा में न होकर कानून द्वारा काल्पनिक रूप से सेवा में होता है।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रसिद्ध निर्णय है कि—जब निलम्बन की आज्ञा किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विचाराधीन जांच के समय दी जाती है। उस जांच के परिणाम स्वरूप निष्कासन की दण्डाज्ञा दी जाती है, तो वह निलम्बन की आज्ञा उस दण्डाज्ञा में विलीन (merges) हो जाती है। बाद में निष्कासन के अवैध होने की घोषणा से वह निलम्बन की आज्ञा पुनर्जीवित नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अब कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। [63] यहां चाहे अवैधता का आदेश विभागीय हो या न्यायालय से, कोई अन्तर नहीं पड़ता।

किसी न्यायालय द्वारा निष्कासन की आज्ञा को निरस्त कर देने से जांच के विचाराधीन होने पर दी गयी निलम्बन की आज्ञा पुनःस्थापित नहीं होती। यह महत्वपूर्ण नहीं है (immaterial) कि निष्कासन का आदेश गुणावगुण पर (on merits) या अनुच्छेद ३११ की अनुपालना न करने के कारण से या सहज न्याय के सिद्धान्त की परिपालना न करने से निरस्त किया गया है। [64]

अब न तो वह जांच ही विचाराधीन है, जिसके लिये यह निलम्बन किया गया था और न वह निलम्बन की आज्ञा ही जीवित है। अब दुबारा जांच के लिए दुबारा निलम्बन करना आवश्यक समझा जावे, तो नयी आज्ञा दी जानी ही उचित होगी। क्योंकि आगे जांच करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी को अधिकार है।

यदि उच्च न्यायालय ने असाधारण दण्ड को अनियमित बताया है, तो इससे सरकार को अन्य जांच करने से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद ३१० व ३११ के प्रावधानों के अधीन यदि सरकार ताजा जांच की आज्ञा देने के लिये सक्षम है, तो कोई कारण नहीं है कि वह जांच के दौरान निलम्बन का निर्देश देने के लिये अक्षम हो। [65]

जब निष्कासन का दण्ड निरस्त कर दिया गया हो, किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी उन्हीं तथ्यों पर फिर आगे जांच करने का निश्चय करे, तो कानून के अनुसार जब तक जांच पूरी नहीं हो सके निलम्बन की नई आज्ञा देना प्रक्रिया का एक यथोचित कदम है। [66]

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्याय मूर्ति श्री इन्द्रनाथ मोदी ने निर्णय दिया है कि—कानून की स्थिति यह है कि—जहां जांच के विचाराधीन दिया गया निलम्बन का आदेश सेवा समाप्ति में परिणित होकर उसी में विलीन हो जाता है, उसे बाद में **किसी न्यायालय या सक्षम विभागीय** प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो; **तो वह निलम्बन का आदेश पुनर्जीवित नहीं हो सकता,** क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और आगे स्थिति यह है कि **बिना वैधानिक प्राधिकार** के पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन की नई आज्ञा जारी नहीं की जा सकती। [67]

---

62. गंगानाथ बनाम धर्मार्थ विभाग
AIR 1958 J. & K. 41
63. ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश शासन
AIR 1959 S C. 600
AIR 1848 Nagpur 118 referred to.
64. भैरू प्रसाद बनाम राज्य
ILR [1960] 10 Raj 952.
65. देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश शासन
AIR 1962 S. C. 1334.
66. खेमचन्द बनाम भारत संघ
AIR 1963 S. C. 687.
67. जयवन्तराव बनाम राजस्थान राज्य
AIR 1963 Raj. 203.

इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो निर्णयों में भी यही माना गया है कि जब निलम्बन की आज्ञा निष्कासन की आज्ञा में विलीन हो गई, तो यह पुनर्जीवित नहीं हो सकती जब कि उच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन की आज्ञा को निरस्त कर दिया गया।[68] मध्यप्रदेश उच्च-न्यायालय का भी ऐसा ही निर्णय है।[69]

मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में यह बताया है कि—उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में निष्कासन की आज्ञा निरस्त कर दिये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी को वापस नौकरी पर लिये जाने की आज्ञा के साथ साथ नई जांच (बिना निलम्बित किये जाने के) उन्हीं आरोपों पर करना अवैध नहीं है।[70]

किन्तु इसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने "खेमचन्द बनाम भारत संघ"[71] में जो निर्णय दिया है, उसका सारांश इस प्रकार है :—

> प्रार्थी केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी था और उसे नियुक्ति प्राधिकारी ने दि० १७-१२-५१ को सेवा से निष्कासित कर दिया। निष्कासन का यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने[72] दि० १३-१२-५६ को अप्रयोज्य (inoperative) (अर्थात्-निरस्त) घोषित कर दिया। इस निर्णय के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रार्थी के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों पर जिन पर उसे निष्कासित किया गया था, आगे नई जांच करने का निर्णय लिया और प्रार्थी को निष्कासन के मूल आदेश की दिनांक १७-१२-५१ से निलम्बित माना।
>
> इस पर प्रार्थी ने केन्द्रीय सिविल सेवायें (C.C.A.) नियम* १२(४) की वैधता को चुनौती दी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नियम १२(४) को वैध स्वीकार किया और प्रार्थी का दि० १७-१२-५१ से निलम्बित होना उचित ठहराया—
>
> "जब निष्कासन का वह आदेश निरस्त हो गया, तो प्रार्थी की सेवायें पुनर्जीवित हो गई, जब तक कि निष्कासन के किसी दूसरे आदेश से या उसकी सेवाओं को अन्य किन्हीं साधनों से प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाय। अब प्रार्थी उस सेवा का सदस्य है और निलम्बन का आदेश इस स्थिति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। निलम्बन के आदेश का वास्तविक प्रभाव यही है कि—किसी सेवा का सदस्य होते हुए भी प्रार्थी को काम करने की स्वीकृति नहीं है और निलम्बन के दौरान उसे वेतन व भत्ते की बजाय कुछ भत्ता मिलेगा, जिसे साधारणतया 'निर्वाह भत्ता' कहते हैं; वह उसके वेतन से साधारणतया कम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि—निलम्बन का आदेश राज्य कर्मचारी को घातक रूप से (injuriously) प्रभावित करता है। येन केन, यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि—निलम्बन के आदेश के कारण वह उस सेवा का सदस्य नहीं है।

68. प्रबोध चन्द्र बनाम एक्जिक्यूटिव इंजिनियर AIR 1956 Cal. 447.
एवं सरकारी बनाम पुलिस कमिश्नर AIR 1956 Cal. 13.
69. सी० ए० डी० मूजा बनाम मध्यप्रदेश AIR 1961 M. P. 261
70. गनगोम नीलमणिसिंह बनाम भारत संघ AIR 1964 Manipur
71. AIR 1953 S. C. 687
72. AIR 1958 S. C. 300

*राजस्थान असैनिक सेवायें (C.C.A.) नियम १३(४) के समतुल्य।

नियम १२(४) का यह प्रावधान कि "राज्य कर्मचारी को निष्कासन की मूल आज्ञा के दिनांक से निलम्बित माना जावेगा और दूसरी आज्ञा तक वह निलम्बित रहेगा" किसी भी प्रकार से इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का हनन नहीं करता है। इसलिये यह विवादास्पद नियम अनुच्छेद १४२ या १४४ के प्रतिकूल है, यह धारणा अमान्य है। ....इसी समान रूप से प्रार्थी की यह धारणा भी अमान्य है कि—विवादास्पद नियम संविधान के अनुच्छेद १९(१) (एफ) का हनन करता है।

तर्क यह है कि—इस न्यायालय की डिक्री के परिणाम स्वरूप प्रार्थी को अपने वेतन व भत्ते की बकाया का अधिकार था। यह अधिकार उसकी सम्पत्ति थी और विवादास्पद नियम के प्रभाव से कम से कम कुछ समय के लिये वह उस बकाया राशि को प्राप्त नहीं कर सकेगा, इस प्रकार यह (नियम) उसके अधिकार पर रोक लगाता है।

यह स्वीकार किया जा सकता है कि—वेतन व भत्ते की बकाया राशि का अधिकार संविधान के अनुच्छेद १९(१) (एफ) के अर्थ में संपत्ति है और आगे अनु० १९(१) (एफ) के अधीन उस सम्पत्ति के बारे में नियम १२(४) का प्रभाव एक सारपूर्ण बाधा (Substential restriction) है। अब यह प्रश्न उठता है कि—जनहित में क्या यह बाधा एक यथोचित बाधा (reasonable restriction) है?

अदक्षता, बेईमानी और दूसरे समुचित कारणों के लिये किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली उचित विभागीय कार्यवाही (दण्ड) की आवश्यकता और महत्व को एक व्यक्ति गंभीरता से नहीं समझ सकता। ऐसी कार्यवाही (दण्ड) निश्चय रूप से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के हितों के विरुद्ध है, परन्तु यह पूर्ण रूप से उस जनता के हितों के लिये आवश्यक है; जिसके हितों के लिये यह सरकारी मशीनरी है और काम करती है। जांच के दौहरान एक राज्य कर्मचारी का निलम्बन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है।

इसलिये यह परिणाम होता है कि—जब निष्कासन का दण्ड निरस्त कर दिया गया, परन्तु अनुशासन प्राधिकारी उन्हीं समान तथ्यों पर उसके विरुद्ध आगे फिर जांच करने का निश्चय करता है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक के लिये एक नया निलम्बन आदेश, कानून के अनुसार, इस प्रक्रिया का एक समुचित कदम है। इसलिये हमें यह निर्णय करने में कोई संकोच नहीं है कि—जहां तक नियम १२(४) अनु० १९(१) (एफ) के अधीन प्रार्थी के अधिकार को बाधित करता है, यह सामान्य जनता के हितों में एक यथोचित-बाधा है। अतः नियम १२(४) अनुच्छेद १९(६) के व्यावृत्ति प्रावधान (Saving provision) के अन्तर्गत है, इससे कोई संवैधानिक प्रावधानों का हनन नहीं होता है।"

[.....We have no hesitation in holding, therefore, that in so far as Rule 12 (4) restricts the appellant's right under Art. 19 (1) (f) of the Constitution, it is a reasonable restriction in the intersts of the general public. Rule 12(4) is, therefore, within the saving provision of Art. 19 (6), so that there is no contravention of the constitutional provisions.]

इस प्रकार इस महत्वपूर्ण निर्णय के अधीन नियम १२(४) [राजस्थान का नियम १३(४)] वैध नहीं है।

इसका विवादास्पद पहलू :—

पूर्वकालिक प्रभाव से किये गये निलम्बन को सभी न्यायालयों ने भर्त्सना की है, जैसा कि पहले इस विवाद के प्रारंभ में बताया जा चुका है। इन महत्वपूर्ण निर्णयों में १९५७ (नये नियम बनने) से पूर्व के कुछ निर्णय निम्न हैं :—

(१) ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश शासन (AIR 1955 S C. 600)

(२) द्वारकाचन्द बनाम राज्य (1957 RLW 587)

(३) प्रबोधचन्द्र बनाम एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर (AIR 1956 Cal. 447)

इसके बाद १९५८ से बाद के कुछ निर्णय हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) देवेन्द्र प्रताप नारायण शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश शासन (AIR 1962 S C. 1334,

(२) खेमचन्द बनाम भारत संघ (AIR 1963 S.C. 687)

(३) भैंरोप्रसाद बनाम राज्य [ILR (1960) 10, Raj. 952]

(४) जयवन्तराव बनाम राज्य (1963 R.L.W. 374)

(५) गंगानाथ बनाम धर्मार्थ विभाग (AIR 1958 J & K 41)

(६) गन्गोम नीलमणिसिंह बनाम भारत संघ (AIR 1964 Manipur 8)

(७) सरकारी बनाम पुलिस कमिश्नर (AIR 1965 Cal. 13)

सन् १९५७ से पूर्व के निर्णयों के समय जब ये उप नियम (३)व(४) नहीं बने थे, तो सरकार को कार्य में बाधा महसूस होती थी; अतः इनका नये नियमों में समावेश कर वैधता की छाप लगाई परन्तु इसके बाद भी इस प्रश्न को लेकर इनकी वैधता को बार-बार चुनौती दी गई। उपरोक्त र्णयों मे सर्वोच्च न्यायालय ने १९६३ मे **खेमचन्द बनाम भारत संघ**[73] के निर्णय मे यद्यपि १२(४) [राजस्थान मे १३(४)] को वैध मान लिया है, किन्तु फिर भी १९६३ मे राजस्थान न्यायालय ने जयवन्तराव[74] के मामले में **वैधानिक अधिकार** के बिना पूर्वकालिक प्रभाव से बन की नई आज्ञा नहीं की जा सकती, यह माना है। परन्तु उस समय खेमचन्द काण्ड के निर्णय समे कोई प्रसंग नहीं आया।

अब नियम १३(४) में संवैधानिक अधिकार द्वारा पूर्वकालिक प्रभाव से निलंबन का ाम रख दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान वैध माना जा सकता है। सन् २ मे सर्वोच्च न्यायालय ने देवेन्द्रप्रताप नारायण शर्मा के मामले में ताजा जांच के दौहरान बन का निर्देश देना उचित ठहराया है। परन्तु यहां ताजी जांच का ताजा निलम्बन तुरन्त से ही लागू किया जाना चाहिये, न कि पूर्वकालिक प्रभाव से। सन् १९६४ में मनीपुर उच्च लय ने भी नई जाँच का बिना निलम्बन किये वैध माना है। १९६५ मे कलकत्ता उच्च न्यायालय माना है कि—'निलंबन की आज्ञा पुनर्जीवित नहीं हो सकती।' हां, नई जांच के साथ नई से निलम्बन तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने पर अवैध नहीं है। सन् १९५५ मे सर्वोच्च

AIR 1963 S. C. 687

74. 1963 RLW 374 [AIR 1963 Raj. 204]

सेवा नियमों में प्रावधान है कि—यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच चालू हो और उसकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी हो गई हो; तो जब तक जाच मे अन्तिम आज्ञा नही दी जायेगी, वह आयु के आधार पर स्वत: निवृत्त नही माना जावेगा।*

(ख) अस्थाई कर्मचारी —के निलम्बन का प्रश्न ही नही उठता; क्योंकि उसकी सेवायें किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और कोई कारण बताने या आरोप लगाने की आवश्यकता नही है।[81A]

७. निलम्बन आज्ञा की अपील व पुनरीक्षा—

निलम्बन की आज्ञा की अपील नियम २२ के अधीन की जा सकती है और उस पर विचार करने की विधि नियम ३१(१) मे दी गई है। [देखिये नियम २२ व ३० की व्याख्या]

निलम्बन की आज्ञा की पुनरीक्षा का अलग कोई प्रावध न नही है, किन्तु राज्यपाल द्वारा नियम ३४ के अधीन किसी भी आज्ञा की पुनरीक्षा की जा सकती है। शब्द 'आज्ञा' (Order) में निलम्बन की आज्ञा भी सम्मिलित है।

८. निलम्बन की आज्ञा व न्यायालय की शरण —

निलम्बन एक अस्थाई दशा है न कि दण्ड। ऐसी परिस्थिति मे न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते। एक उच्च न्यायालय मे पेश की गई याचिका (रिट) मे निलम्बन-आज्ञा उचित सामग्री पर आधारित थी या नही, इस पर विचार नही किया जा सकता; परन्तु यदि आज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही दी गई हो, तो यह दशा भिन्न होगी[81B] और न्यायालय उस आज्ञा को निरस्त कर सकेगा।[82] निलबन की अस्थाई आज्ञा से संविधान का अनुच्छेद ३११ प्रभावित नही होता[83] किन्तु एक भिन्न मत भी है कि—यह एक अर्द्ध-न्यायिक आज्ञा है अत: संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन याचिका (Petition) पेश की जा सकती है।[84] कुछ विशेष परिस्थितियो में स्वीकृत हुई याचिकाओं का उल्लेख व्याख्या खड २ (ख) में किया जा चुका है।

९. निलम्बित कर्मचारी की स्थिति (Status) व अधिकार (Rights)—

(क) निलम्बित—कर्मचारी राज्य कर्मचारी है और उसके पद के आगे शब्द 'निलंबित' (Under Suspension) लिखा जाता है। उसे कार्य व विशेषाधिकार से वंचित किया गया है; फिर भी वह सेवा मे है[85] वह राज्य कर्मचारियों की आचार संहिता का पालन करने के लिये बाध्य है। वह कही नौकरी या धंधा नही कर सकता और न सरकार उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकती है। वेतन प्राप्त करना उसका अधिकार नहीं है, परन्तु उसे नियमानुसार 'निर्वाह-भत्ता' (Subsistance Allowance) मिलेगा।[86]

81.A ए० एम० सिंह बनाम विशेष धिकारी मनीपुर AIR 1960 Manipur 45.

81.B AIR 1964 J. K. & 14

82. AIR 1954 Pepsu [illegible]

83. AIR 1957 Madras 46; AIR 1957 S.C. 246; AIR 1953 Punjab 298

84 AIR 1954 Bhopal 25

85. AIR 1958 Cal. 239 (241), 1957 Punjab 130 [137] and 1953 Orissa 329

86. AIR 1957 Punjab 130, 1957 Raj 130

* देखिये राजस्थान सेवा नियम ५६ (ख) व २१० (ग) तथा स्पष्टीकरण (विज्ञप्ति सं० एफ० ७ क (२२) वि. वि.—(क)। नियम। ५९ दि० ३-१०-६०)।

न्यायालय ने ओमप्रकाश के मामले में भी महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, उस पर भी इस बार *पुर्नविचार नहीं हुआ।* ऐसी *परिस्थिति में ये तीनों निर्णय लागू हैं और मान्य हैं पर इनका सामंजस्य* करना कठिन है। इस प्रकार समस्या का समाधान विवादग्रस्त ही है और न्यायालयों के द्वार अब भी खुले हैं।

पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन : अवैध

इन महत्वपूर्ण निर्णयो तथा नियम १३ के उप नियम (२), (३) व (४) के प्रकाश में निम्न दशाओं में पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन अवैध माना जावेगा—

१. जब एक राज्य कर्मचारी को २४ घंटे से अधिक समय के लिये हिरासत में नहीं रोका गया हो, [उप नियम (२)]

२. जब कि एक कर्मचारी निलम्बित नहीं था व उसे दिये गये असाधारण दण्ड की आज्ञा अपील, पुनरीक्षा या याचिका में निरस्त कर दी गई हो और मामले को पुनः जांच *या कार्यवाही या अन्य निर्देश के साथ लौटा दिया गया हो।* [उप नियम (३) व (४)]

३. *जब किसी राज्य कर्मचारी को पुनः स्थापित* (re-instated) किया गया हो, तो उसे उसी दिन पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बित नहीं किया जा सकता।[75]

४. जब निलम्बन-आज्ञा में पीछे या आगे के दनांक से लागू होने का प्रसंग हो, तो वह पूर्वकालिक होने से अर्थहीन होगी।[76]

५. पूर्वकालिक प्रभाव से बिना नियमों में प्रावधान के निलम्बन कर देना। जैसे दि० ६–६–५१ से ३१–८–५५ तक के लिए दि० ३१–८–५५ को निलम्बन आज्ञा जारी करना।[77]

६. जब कि एक कर्मचारी को निलम्बन के बाद कार्य करने की अनुमति दे दी गई हो, तो निलम्बन स्वतः समाप्त हो गया। अब उसे पिछले दिनांक से निलम्बित नहीं किया जा सकता।[78]

७. जब किसी ने वास्तव में अपने पद पर कार्य किया हो, तो उसे उन दिनों के लिये निलम्बित नहीं माना जा सकता।[79]

६. (क) सेवा निवृत्ति अवकाश में निलम्बन

(Suspension During Leave Preparatory to Retirement)

एक राज्य कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति की तैयारी में अवकाश पर जा रहा है या चला गया है; उसे विभागीय जांच के दोहरान निलम्बित किया जा सकता है और उसका सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि—सेवा निवृत्ति के लिये अवकाश पर गये कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया जा सकता।[80] परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को नहीं माना है और अपने निर्णय में इस प्रकार के निलम्बन को वैध माना है।[81] राजस्थान

75. AIR 1958 M.P. 41; AIR 1958 Cal. 239
76. AIR 1959 M.P. 404
77. AIR 1958 A.P. 619
78. AIR 1959 All. 686
79. AIR 1957 Orissa 51; AIR 1960 Bom. 274; AIR 1963 Raj. 203
80. AIR 1958 J. & K. 41.
81. प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1964 S.C. 72

सेवा नियमों में प्रावधान है कि—यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच चालू हो और उसकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी हो गई हो; तो जब तक जांच मे अन्तिम आज्ञा नही दी जायेगी, वह आयु के आधार पर स्वत: निवृत्त नही माना जावेगा ।*

(ख) अस्थाई कर्मचारी—के निलम्बन का प्रश्न ही नही उठता; क्योंकि उसकी सेवायें किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और कोई कारण बताने या आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है ।[81A]

७. निलम्बन आज्ञा की अपील व पुनरीक्षा—

निलम्बन की आज्ञा की अपील नियम २२ के अधीन की जा सकती है और उस पर विचार करने की विधि नियम ३६(१) मे दी गई है । [देखिये नियम २२ व ३० की व्याख्या]

निलम्बन की आज्ञा की पुनरीक्षा का अलग कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु राज्यपाल द्वारा नियम ३४ के अधीन किसी भी आज्ञा की पुनरीक्षा की जा सकती है । शब्द 'आज्ञा' (Order) मे निलम्बन की आज्ञा भी सम्मिलित है ।

८. निलम्बन की आज्ञा व न्यायालय की शरण —

निलम्बन एक अस्थाई दशा है न कि दण्ड । ऐसी परिस्थिति में न्यायालय इसमे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते । एक उच्च न्यायालय मे पेश की गई याचिका (रिट) मे निलम्बन-आज्ञा उचित सामग्री पर आधारित थी या नहीं, इस पर विचार नही किया जा सकता; परन्तु यदि आज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही दी गई हो, तो यह दशा भिन्न होगी[81B] और न्यायालय उस आज्ञा को निरस्त कर सकेगा ।[82] निलबन की अस्थाई आज्ञा से संविधान का अनुच्छेद ३११ प्रभावित नही होता[83] किन्तु एक भिन्न मत भी है कि—यह एक अर्द्ध-न्यायिक आज्ञा है अत: संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन याचिका (Petition) पेश की जा सकती है ।[84] कुछ विशेष परिस्थितियों मे स्वीकृत हुई याचिकाओं का उल्लेख व्याख्या खंड २ (ख) में किया जा चुका है ।

९. निलम्बित कर्मचारी की स्थिति (Status) व अधिकार (Rights)—

(क) निलम्बित—कर्मचारी राज्य कर्मचारी है और उसके पद के आगे शब्द 'निलंबित' (Under Suspension) लिखा जाता है । उसे कार्य व विशेषाधिकार से वंचित किया गया है; फिर भी वह सेवा मे है[85] वह राज्य कर्मचारियों की आचार संहिता का पालन करने के लिये बाध्य है । वह कही नौकरी या धंधा नही कर सकता और न सरकार उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकती है । वेतन प्राप्त करना उसका अधिकार नहीं है, परन्तु उसे नियमानुसार 'निर्वाह-भत्ता' (Subsistance Allowance) मिलेगा ।[86]

81 A ए० एम० सिंह बनाम विशेष धिकारी मनीपुर AIR 1960 Manipur 45.
81 B AIR 1964 J. K. & 14
82. AIR 1954 Pepsu 98
83. AIR 1957 Madras 46; AIR 1957 S.C. 246, AIR 1963 Punjab 298
84 AIR 1954 Bhopal 25
85. AIR 1958 Cal. 239 (241), 1957 Punjab 130 [133] and 1953 Orissa 329
86. AIR 1957 Punjab 130, 1957 Raj.130

* देखिये राजस्थान सेवा नियम ५६ (ख) व २१० (ग) तथा स्पष्टीकरण (विज्ञप्ति सं० एफ० ७ क (२२) वि. वि.—(क) । नियम । ५९ दि० ३–१०–६८) ।

न्यायालय ने ओमप्रकाश के मामले में भी महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, उस पर भी इस बा पुर्नविचार नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में ये तीनों निर्णय लागू हैं और मान्य हैं पर इनका सामंजस्य करना कठिन है। इस प्रकार समस्या का समाधान विवादग्रस्त ही है और न्यायालयों के द्वार अब भी खुले हैं।

पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन : अवैध

इन महत्वपूर्ण निर्णयो तथा नियम १३ के उप नियम (२), (३) व (४) के प्रकाश में निम्न दशाओं में पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन अवैध माना जावेगा—

१. जब एक राज्य कर्मचारी को २४ घंटे से अधिक समय के लिये हिरासत में नहीं रोका गया हो, [उप नियम (२)]

२. जब कि एक कर्मचारी निलम्बित नहीं था व उसे दिये गये असाधारण दण्ड की आज्ञा अपील, पुनरीक्षा या याचिका मे निरस्त कर दी गई हो और मामले को पुनः जांच या कार्यवाही या अन्य निर्देश के साथ लोटा दिया गया हो। [उप नियम (३) व (४)]

३. जब किसी राज्य कर्मचारी को पुनः स्थापित (re-instated) किया गया हो, तो उसे उसी दिन पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बित नहीं किया जा सकता।[75]

४. जब निलम्बन-आज्ञा में पीछे या आगे के दिनांक से लागू होने का प्रसंग हो, तो वह पूर्वकालिक होने से अर्थहीन होगी।[76]

५. पूर्वकालिक प्रभाव से बिना नियमों में प्रावधान के निलम्बन कर देना। जैसे दि० ९-६-५१ से ३१-८-५५ तक के लिए दि० ३१-८-५५ को निलम्बन आज्ञा जारी करना।[77]

६. जब कि एक कर्मचारी को निलम्बन के बाद कार्य करने की अनुमति दे दी गई हो, तो निलम्बन स्वतः समाप्त हो गया। अब उसे पिछले दिनांक से निलम्बित नहीं किया जा सकता।[78]

७. जब किसी ने वास्तव में अपने पद पर कार्य किया हो, तो उसे उन दिनों के लिये निलम्बित नहीं माना जा सकता।[79]

६. (क) सेवा निवृत्ति अवकाश में निलम्बन (Suspension During Leave Preparatory to Retirement)

एक राज्य कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति की तैयारी में अवकाश पर जा रहा है या चला गया है; उसे विभागीय जांच के दोहरान निलम्बित किया जा सकता है और उसका सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि—सेवा निवृत्ति के लिये अवकाश पर गये कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया जा सकता।[80] परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को नहीं माना है और अपने निर्णय में इस प्रकार के निलम्बन को वैध माना है।[81] राजस्थान

---

75. AIR 1958 M.P. 41; AIR 1958 Cal. 239
76. AIR 1959 M.P. 404
77. AIR 1958 A.P. 619
78. AIR 1959 All. 686
79. AIR 1957 Orissa 51; AIR 1960 Bom. 274; AIR 1963 Raj. 203
80. AIR 1958 J. & K. 41.
81. प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1964 S.C. 72

विज्ञप्ति सं० F 4(8)AA/III/67 दि० २-७-६७ के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि—नियम ५३(२) के अधीन जो अनियोजन प्रमाण-पत्र (Non-Employment Certificate) कर्मचारी देगा, वह—

(१) राजपत्रित कर्मचारी होने पर इस प्रमाण-पत्र को उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसने निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया हो, और

(२) अराजपत्रित कर्मचारी होने पर यह निर्वाह भत्ता वितरण करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रति माह अनियोजन-प्रमाण-पत्र देने पर अर्द्ध वेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन तथा उस पर प्राप्य मंहगाई भत्ता निलम्बित कर्मचारी को मिलेगा। अर्द्ध वेतन अवकाश के लिये नियम ९७ (R.S.R.) में बताया गया है कि—

(क) निलंबन से पूर्व के पूरे १० मास की औसत वेतन निकालकर उसका आधा।

या

(ख) मूल वेतन (Substantive Pay) जो निलंबन होने के दिन मिलता था, उसका आधा।

इन दोनों में से जो भी अधिक हो। यहां 'वेतन' शब्द में नियम ७(२४) के अधीन विशेष वेतन व व्यक्तिगत वेतन भी शामिल है और नियम ९७ (1) (i) (क) के अधीन औसत मासिक उपार्जित वेतन में वह सम्मिलित होगी और यही राशि अधिक होने पर मिलेगी व इस पर जितना मंहगाई भत्ता मान्य होगा; वह मिलेगा।

(ग) निलम्बन-काल में अवकाश की स्वीकृति नियम-(५५—R.S.R.) निलंबन-काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

R. S. R. के नियम ५५ के अन्तर्गत निलंबन-काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृति पर प्रतिबन्ध डाला गया है। फिर भी इस नियम के पालन में उसके परिवार आदि में अधिक बीमारी होने की दशा में उसे कई कठिनाइयां होती हैं, इसलिये राजप्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि—ऐसे मामलों में उस पद को भरने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उसे मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है। यह स्वीकृति अत्यावश्यक परिस्थितियों में जांच की स्थिति को एवं उसकी प्रगति में राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति के सम्भावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए उचित समय के लिये दी जावेगी।

(घ) निलम्बन-काल में चिकित्सा परिचर्या—एक निलम्बित राज्य कर्मचारी सेवा में माना जाता है, अतः उसे नियमानुसार चिकित्सा-परिचर्या के लिये व्यय का प्रत्यावर्तन मिलेगा।† उसे बिना किराया के वार्ड देने के लिये निलम्बन के पूर्व का वेतन ध्यान में रखा जावेगा।*

---

†सामान्य शासन विभाग (क) आदेश सं० एफ ४ (२२) जी० ए०/ए०/५९ दि० १२-११-५९ द्वारा निविष्ट।

*सामान्य प्रशासन विभाग (क) अधिसूचना सं० एफ० ४ (२२) जी० ए०/ए०/ग्रुप (२) ५७ दि० ५-५-६१ द्वारा विज्ञप्त।

(ख) निर्वाह भत्ता (Subsistance Allowance) और उसकी शर्तें—

राजस्थान सेवा नियम ५३, जो कि विज्ञप्ति स॰ F/1(44) F.D. (E-Rules)/63 दिनांक २२–१–६४ द्वारा संशोधित किया गया है; मे निर्वाह-भत्ता का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है—

अध्याय (८) राजस्थान सेवा नियम (५३)

निर्वाह अनुदान (Subsistance Grant)—(१) एक निलंबित राज्य कर्मचारी को निम्न भुगतान दिया जावेगा,

(क) निर्वाह भत्ता, यदि वह राज्य कर्मचारी अर्द्ध वेतन अवकाश पर होता, तो उसे जो अवकाश वेतन मिलता तथा उस अवकाश वेतन पर जो महगाई भत्ता मिलता उसके बराबर।

परन्तु जब निलंबनकाल १२ माह से अधिक हो, तो सक्षम प्राधिकारी पहले बारह मास के बाद निर्वाह भत्ते की राशि में परिवर्तन कर सकेगा—

(i) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन का समय जिन कारणों से लम्बा हुआ, उनको लेखबद्ध करते हुए; वह सीधा राज्य कर्मचारी के कारण नहीं हुआ हो, तो यथोचित राशि, जो क पहले १२ मास में प्राप्त किये जा रहे निर्वाह भत्ते के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो; की वृद्धि कर सकता है।

(ii) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबनकाल कर्मचारी के कारण लंबा हुआ हो, तो पहले १२ मास मे मिल रहे निर्वाह भत्ते के ५० प्रतिशत तक की राशि निर्वाह भत्ते में से कम की जा सकती है।

स्पष्टीकरण—जिस दिनांक से राज्य कर्मचारी को निलंबित किया गया है, उसी से १२ माह का समय गिना जावेगा।

(ख) अन्य कोई क्षतिपूरक भत्ता जो ऐसे वेतन के आधार पर समय-समय पर प्राप्त हो, जिसको कि राज्य कर्मचारी अपने निलंबन के दिनाक को प्राप्त कर रहा था। परन्तु शर्त यह है कि राज्य कर्मचारी क्षतिपूरक भत्ते के लिये अधिकारी नही होगा जब तक कि उक्त अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं हो जाय कि—राज्य कर्मचारी उन व्ययों को कर रहा है, जिनके लिये उन्हें यह स्वीकृत किया गया था।

(२) उप नियम (१) के अधीन कोई भुगतान नहीं किया जावेगा जब तक कि राज्य कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र पेश नही करे कि—वह किसी नौकरी, व्यापार, धन्धा या कार्य में नियोजित नहीं है;

परन्तु शर्त यह है कि—वह कर्मचारी जिसे सेवाच्युत, सेवा से हटाना या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया हो और जिसे निलंबित किया गया था या राजस्थान असैनिक सेवायें (व॰ नि॰ व अ॰) नियम १९५८ के नियम १३ के उप नियम ३ या ४ के अधीन निलंबित माना गया था; यदि वह निलंबितकाल की किसी अवधि के लिये उक्त प्रमाण-पत्र पेश करने में असफल रहे, तो उस अवधि के लिये जो निर्वाह भत्ता उसे मिलना चाहिये था उससे जितना कम उपार्जित किया (कमाया), उसके बराबर निर्वाह भत्ता मिलेगा और यदि उपार्जित आय निर्वाह भत्ते से ज्यादा हो, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।"

विज्ञप्ति सं० F 4(8)AA/III/67 दि० ३-७-६७ के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि—नियम ५३(२) के अधीन जो अनियोजन प्रमाण-पत्र (Non-Employment Certificate) कर्मचारी देगा, वह—

(१) राजपत्रित कर्मचारी होने पर इस प्रमाण-पत्र को उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसने निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया हो, और

(२) अराजपत्रित कर्मचारी होने पर यह निर्वाह भत्ता वितरण करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रति माह अनियोजन-प्रमाण-पत्र देने पर अर्द्ध वेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन तथा उस पर प्राप्य मंहगाई भत्ता निलम्बित कर्मचारी को मिलेगा। अर्द्ध वेतन अवकाश के लिये नियम ९७ (R.S.R.) मे बताया गया है कि—

(क) निलबन से पूर्व के पूरे १० मास की औसत वेतन निकालकर उसका आधा।

या

(ख) मूल वेतन (Substantive Pay) जो निलंबन होने के दिन मिलता था, उसका आधा।

इन दोनों मे में जो भी अधिक हो। यहां 'वेतन' शब्द में नियम ७(२४) के अधीन विशेष वेतन व व्यक्तिगत वेतन भी शामिल है और नियम ९७ (1) (i) (क) के अधीन औसत मासिक उपार्जित वेतन मे यह सम्मिलित होगी और यही राशि अधिक होने पर मिलेगी व इस पर जितना मंहगाई भत्ता मान्य होगा; वह मिलेगा।

(ग) निलम्बन-काल में अवकाश की स्वीकृति नियम–(५५—R.S.R.)निलंबन-काल मे राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

R. S. R. के नियम ५५ के अन्तर्गत निलंबन-काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृति पर प्रतिबन्ध डाला गया है। फिर भी इस नियम के पालन में उसके परिवार आदि में अधिक बीमारी होने की दशा मे उसे कई कठिनाइयां होती हैं, इसलिये राजप्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि—ऐसे मामलों मे उस पद को भरने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उसे मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है। यह स्वीकृति अत्यावश्यक परिस्थितियों मे जांच की स्थिति को एवं उसकी प्रगति में राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति के सम्भावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए उचित समय के लिये दी जावेगी।

(घ) निलम्बन-काल मे चिकित्सा परिचर्या—एक निलंम्बित राज्य कर्मचारी सेवा में माना जाता है, अत: उसे नियमानुसार चिकित्सा-परिचर्या के लिये व्यय का प्रत्यावर्तन मिलेगा।† उसे बिना किराया के वार्ड देने के लिये निलम्बन के पूर्व का वेतन ध्यान मे रखा जावेगा।*

†सामान्य शासन विभाग (क) आदेश स० एफ ४ (२२) जी० ए०/ए०/५९ दि० १२-११-५९ द्वारा निविष्ट।

*सामान्य प्रशासन विभाग (क) अधिसूचना सं० एफ० ४ (२२) जी० ए०/ए०/प्र.प (२) ५७ दि० ५-५-६१ द्वारा विज्ञप्त।

(ङ) **निलम्बन में यात्रा भत्ता**—एक निलंबित कर्मचारी 'राज्य कर्मचारी' बना रहता है। अतः अधिकृत यात्रा के लिये वह यात्रा भत्ता (T.A.) का अधिकारी है। इसके लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम ६२ के अधीन निम्न प्रावधान है—

(१) एक निलम्बित राज्य कर्मचारी को विभागीय जांच में (पुलिस जांच के अलावा) भाग लेने के लिये उसके मुख्यावास से या जहां उसे रहने की स्वीकृति दी गई है, वहां से जांच के स्थान तक साधारण यात्रा पर मिलने वाला यात्रा भत्ता मिलेगा।

(२) परन्तु उसकी प्रार्थना पर जांच किसी बाहरी स्थान पर होगी, तो कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।

(३) वह कर्मचारी उसी श्रेणी में माना जावेगा, जिसमें वह निलम्बन से पूर्व था।

(४) निलम्बित कर्मचारी अपने बचाव के लिए दूसरे स्थानों पर सरकारी रिकार्ड देखने जावे, तो उसे साधारण यात्रा के समान यात्रा भत्ता मिलेगा; परन्तु विश्राम के लिये कोई भत्ता (यानी दैनिक भत्ता) नहीं मिलेगा। इसके लिये जांच अधिकारी या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।*

(५) (i) निलम्बित कर्मचारी को यदि पुलिस या विशेष पुलिस संस्थान (S. P. E.) द्वारा की जाने वाली जांच हेतु, जिसमें उसके बारे में शामिल होने का संदेह हो, तो उसे अपने कार्यालयाध्यक्ष की स्वीकृति या निर्देश के अनुसार साधारण यात्रा के समान यात्रा भत्ता मिलेगा।

(ii) यदि वह कर्मचारी अदालत में दोषी के रूप में जावे और बाद में बरी हो जावे तथा सेवा में पुनःस्थापित कर दिया जावे, तो उसे कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। यह यात्रा व्यय को संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (घ) के अधीन चाहे गये व्यय में शामिल कर सकेगा, परन्तु लोक सेवा आयोग द्वारा जो राय दी जावेगी, उसके अनुसार ऐसे मामलों में साधारण यात्रा भत्ता तक की राशि वापस मिल सकेगी।‡

(च) **मुख्यावास**—कर्मचारी को अपने मुख्यावास पर रहना आवश्यक है। वह सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर मुख्यावास छोड़ सकता है। यदि बिना स्वीकृति के वह मुख्यावास छोड़ देता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है; जो कि एक साधारण प्रकार की होगी।[87]

(छ) **गृह किराया भत्ता**—गृह किराया-भत्ता नियम ६ के अधीन जो निलम्बित कर्मचारी किराये के मकान में रहता हो, उसे निर्वाह भत्ता की राशि पर गृह किराया भत्ता मिलेगा। बाद में यदि उसे जो वेतन मिलता है; उसके आधार पर इस प्राप्त की गई राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(ज) **सरकारी निवास भवन**—निलम्बित कर्मचारी को सरकारी मकान खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि नियमानुसार उसका आवंटन निरस्त नहीं किया गया हो या उसे सेवा से नहीं हटा दिया गया हो।[88]

87. 1957 Nagpur L. J. 875)

88. सरकारी मकान आवंटन नियम १२, १७ व १८ देखिये।

*(देखिये—No. 1 F. D. Memo No. D. 737/59 F. 7d (12) F.D.A./Rules/59 dated 5-12-59)

‡(देखिये—F.D. Memo No. F7(d)(18) F.D.—A/Rules/57 dated 8-9-60)

उसका पूर्वादेश निरस्तकर दि० १५.७.५५ को पुन: दि० २६.१२.५० से निलम्बित माना गया।

(३) तीसरी बार उसे दि० १६.६.५६ के आदेश द्वारा प्रतिमरूप से निष्कासित किया गया और निष्कासन को दि० २६.१२.५० से प्रभावशील माना गया।

(४) फिर दिनांक १८-१२-५६ को आदेश किया गया कि निष्कासन दिनांक १६-६-५६ से प्रभावशील होगा। इस प्रकार दिनांक २८-१०-४९ से दिनांक १६-६-५६ तक उसे लगभग ६ वर्ष ७½ माह तक जांच के अधीन निलम्बित रखा गया और कुल चार बार उसके लिये दण्ड के आदेश निकाले गये।

राजस्थान उच्च-न्यायालय के आदेश पर उसे केवल दिनांक १५-७-५५ से १६-६-५६ तक निलम्बित माना गया और दिनांक १५-७-५५ के आदेश के पूर्वकालिक प्रभाव(यानी-२६-१२-५० से १५-७-५५ तक) के समय को अवैध माना।

यह सब यही प्रकट करता है कि किस प्रकार एक राज्य कर्मचारी को तंग किया जा सकता है ? चाहे वह दोषी ही पाया गया, परन्तु उसे तीन बार निष्कासित करना, दो बार निलम्बन करना, यह सब विचारणीय है। इसी प्रकार पंजाब के श्री आर० पी० कपूर I.C.S. के साथ भी लगातार खिलवाड चलता रहा। एक राज्य कर्मचारी को जान बूझकर अनुपस्थित रहने व स्थानान्तर की आज्ञा की अनुपालना उसके पिता की बीमारी व बाद मे मृत्यु के कारण नही करने सकने पर उसे ७ वर्ष से भी अधिक निलम्बित रखा गया। ऐसे उदाहरण न्याय संगत नही कहे जा सकते।

डॉ० पिथानी व श्री माहेश्वरी के शब्दो मे* "वह (कर्मचारी) उसी नियम की सीमा-रेखा (Orbit) मे वास्तव मे दण्डित किया गया, जिसमे कि निलम्बन अब दण्ड नही रहा है। यह नियम अनुशासनिक प्राधिकारी को किसी साधारण अपराध के लिये धुंधले आधारों पर इसके दुष्परिणाम को जानते हुए भी एक राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने की असीमित व विरोधात्मक शक्ति प्रदान करता है। राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने का कोई बाह्य मापदण्ड (objective-test) निर्धारित नहीं किया गया है। न निलम्बन से पहले बचाव के लिए एक अवसर देने का कोई प्रावधान है और न निलम्बन के कारण अभिलिखित करने का। आजकल जब प्रत्येक प्रशासनिक कार्य के लिए सहज न्याय प्रदान करने की प्रवृत्ति है, तो क्या यह असामान्य नहीं है कि जिन नियमो का उद्देश्य निलम्बन को एक दण्ड के रूप से हटाया जाना था, उन्हीं के द्वारा राज्य कर्मचारी दण्डित किये जा रहे हैं ?"

यद्यपि सरकार के नीति-निर्देशो के द्वारा निलम्बन की अवधि ६ माह की अधिकतम बताई गई है, किन्तु वास्तव में कई कर्मचारी वर्षों तक निलम्बित रहे है। ऐसी स्थिति मे "निलम्बन" के नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और कुछ ज्वलन्त प्रश्नो का प्रतिकार ढूंढना आवश्यक है। इसके लिए विधायिका व न्याय-पालिका दोनों से निवेदन किया जा सकता है। इनमे से कुछ प्रश्न ये है—

(१) निलम्बन का उद्देश्य क्या है ?

---

* Civil Services (C. C. A. Rules) in Rajasihan; By Dr. T. D. Pithani & R. M. Maheshwari--Page 55 Note 8.

(२) निलम्बन की अवधि की सीमा क्या है ?

(३) निलम्बन के आधार अभिलिखित किये जाने चाहिए।

(४) निष्पक्ष या सही जांच के लिए क्या निलम्बन ही एक मात्र उपाय है-या— उस पद व स्थान से स्थानान्तर करके भी काम निकाला जा सकता है ?

(५) निलम्बन यदि अवश्यम्भावी ही हो, तो आरोप पत्र भी उसी आज्ञा के साथ क्यों नहीं दिया जा सकता ?

(६) क्या निलम्बन से पूर्व दोषी कर्मचारी को सही स्थिति बताने का एक अवसर देना सहज न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल होगा ?

(७) क्या निलम्बन काल में मिलने वाला निर्वाह—भत्ता पर्याप्त है ?

(८) यदि निलम्बन का आधार कोई असाधारण दण्ड के योग्य अपराध या दोष ही है, तो फिर जांच के बाद साधारणदण्ड के बाद उसे दोषी क्यों समझा जाता है और उसको पूरा वेतन क्यो नहीं दिया जाता ?

इस नम्र निवेदन के साथ आशा है, यह विवेचन हमारे विधायकों व प्रशासकों को इस ओर सोचने के लिये कम से कम एक संकेत प्रदान करेगा।

A Call for Quick Decisions.

On May 20, 1968.

Inagurating the two-days annual conference of the Rajasthan Administrative Service Association at Jaipur, the Chief Minister of Rajasthan Shri Sukhadia askedthe officers to try to understand the spirit behind the Government circulars, rules and regulations instead of implementing them rigidly. He said that the mental attitude of officers in foreign countries was to help the public but here it was to raise queries on technical grounds The Chief Minister pleaded for quick decisions and said, " it is true that there can be a mistak in it but it can be set right. To evade taking decisions is the biggest weakness of an administrator".

भाग (५) PART (V)

अनुशासन

(DISCIPLINE)

परिचय—यह एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमे कुल ७ नियम हैं, जिनके अन्तर्गत दण्ड के प्रकार, अनुशासन प्राधिकारी, साधारण व असाधारण दण्डों की प्रक्रियायें, संयुक्त जाच व विशेष प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है।

दण्ड के प्रकार

[Nature of Penalties]

Rule 14.—The following penalties may, for good and sufficient reasons which shall be recorded, and and as hereinafter provided, be imposed on a Government servant, namely:—

(i) Censure;

(ii) Withholding of increments or promotion;

(iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of any law, rule or order;

(iv) Reduction to a lower service, grade or post or to a lower time scale † or to a lower stage in the time scale or in the case of pension to an amount lower than that due under the rules;

(v) Compulsory retirement on proportionate pension;

(vi) Removal from service which shall not be a disqualification for further employment;

(vii) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for further employment.

EXPLANATION (1) The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule :—

(i) withholding of increments of a Government servant for failure to pass a departmental examination in accordence with the rules or orders governing the service or post or the terms of his appointment;

---

† F 3(2) Apptts/(A) 60/Group III dated 8-12-60 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time-scale on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of Government servant, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion to a lower service, grade or post of a Government servant officiating in a higher service, grade or post on the ground that he is considered after trial, to be unsuitable for such higher service, grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;

(v) reversion to his permanent service, grade or post of a Government servant appointed on probation to another service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing probation;

(vi) compulsory retirement of a Government servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(vii) termination of the service—

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of probation, in accordance with terms of his appointment or the rules and orders governing probation; or

(b) of a temporary Government servant appointed otherwise than under contract on the expiration of the period of appointment;

(c) of a Government servent employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement:

(d) of a Government servant in the services of any of the integrating units of Rajasthan, on non-selection or non-absorption for appointment in any of the services of the integrated State of Rajasthan in accordance with the integration rules.

EXPLANATION-(2) The discharge of a person appointed on an *ad hoc* or provisional basis to any of the posts in the integrated set up of the Rajasthan Services otherwise than for reasons of non-selection or non-absorption to any services or posts in accordance with the integrated rules, shall amount to removal or dismissal as the case may be.

NOTE—*The disqualification for future employment on account of dismissal unc er Rule 14 (vii) can only be waived by the Government if the merits of an inividual case so justify.

नियम १४. निम्नलिखित दण्ड उचित और पर्याप्त कारणों से, जो कि अभिलिखित होंगे, और आगे बताये अनुसार, किसी राज्य कर्मचारी को दिये जा सकते हैं:—

(१) परिनिन्दा;

(२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक देना;

(३) किसी विधि, नियम या आज्ञा की उपेक्षा अथवा उल्लंघन से सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्ण या आंशिक रूप में वेतन में से वसूली करना;

(४) निम्नस्तर सेवा, श्रेणी या पद पर या निम्नस्तर समय-मान (Time scale) में अथवा § उसी समय-मान में नीचे के स्तर पर अवनत कर देना या पेंशन की दशा में नियमानुसार जितनी पेंशन देय हो, उससे कम कर देना;

(५) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्यतः सेवा निवृत्त (रिटायर) कर देना;

(६) सेवाच्युति (सेवा से हटाया जाना) जो कि पुनर्नियोजन के लिए अनर्हता (अयोग्यता) नहीं होगी;

(७) निष्कासन (पदच्युत किया जाना), जो कि सामान्यतः पुनर्नियोजन के लिए अनर्हता ह

स्पष्टीकरण—(१) इस नियम के अर्थ में निम्न को दण्ड नहीं समझा जावेगा—

(i) राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों या उसकी सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा पास करने में असफलता के कारण वेतन वृद्धि रोक देना;

(ii) किसी राज्य कर्मचारी को समय-मान में दक्षतावरी (E.B.) पर उस को पार करने की अयोग्यता के कारण रोक देना;

(iii) किसी राज्य कर्मचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसे उस सेवा, श्रेणी अथवा पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नति न देना, जिसके लिये वह योग्य है;

(iv) किसी ऊंची सेवा, श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी राज्य कर्मचारी को निम्नस्तर सेवा, श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिया जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद के लिये अनुपयुक्त समझा गया है अथवा किसी प्रशासकीय आधार पर, प्रत्यावर्तित कर देना जो उसके आचरण से सम्बन्धित नहीं है;

(v) परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा, श्रेणी या पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि में ही अथवा अवधि समाप्त हो जाने पर उसकी नियुक्ति

* विज्ञप्ति सं० F 3 (5) Apptts (A) 61/Group III dated 22-2-61 द्वारा निविष्ट।

§ विज्ञप्ति एफ० ३ (२) नियुक्ति (क)/६०/श्रे ३/दिनांक ८—१२—६० द्वारा प्रतिस्थापित।

की शर्तों के अनुसार या परिवीक्षा पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार उसे उसकी स्थायी सेवा श्रेणी या पद पर फिर प्रत्यावर्तित कर देना;

(vi) किसी राज्य कर्मचारी को अधिवार्षिकी हो जाने अथवा सेवा निवृत्त करने सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से निवृत्त कर देना।

(vii) सेवा की समाप्ति—(पर्यवसान)

(क) ऐसे राज्य कर्मचारी का, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार या परिवीक्षा पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार परिवीक्षा की अवधि में ही या उसके बाद, या

(ख) किसी संविदा (Contract) के अतिरिक्त अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये राज्य कर्मचारी का, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर;

(ग) किसी राज्य कर्मचारी का, जो किसी संविदा के अन्तर्गत नियोजित किया गया हो, ऐसी संविदा की शर्तों के अनुसार;

(घ) राजस्थान में एकीकृत इकाइयां (राज्यों) में से किसी के ऐसे कर्मचारी की एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं में से किसी में भी नियुक्ति के लिए न चुने जाने या न मिलाये जाने के कारण।

स्पष्टीकरण—(२) राजस्थान सेवाओं के एकीकृत प्रारूप में किसी पद पर तदर्थ या अस्थायी (Provisional) आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को एकीकरण नियमों के अनुसार किन्हीं सेवाओं या पदों पर न चुने जाने या न मिलाये जाने (Non-absorption) के अतिरिक्त किसी आधार पर सेवा मुक्त किये जाने को सेवा से हटाया जाना या निष्कासित किया जाना, जैसी भी दशा हो, समझा जायेगा।

* टिप्पणी—नियम १४(७) के अन्तर्गत निष्कासन के कारण पुनर्नियोजन के लिये अनर्हता केवल सरकार द्वारा ही हटाई जा सकती है, यदि किसी विशेष मामले के गुण-दोष से ऐसा किया जाना न्यायोचित हो।

व्याख्या

१. परिचय
२. दण्ड के प्रकार
३. दण्ड का आधार व मात्रा-'उचित व पर्याप्त कारण' का अर्थ
४. साधारण दण्ड—
   (१) परिनिन्दा (Censure)
   (२) वेतन वृद्धि व पदोन्नति रोकना
   (३) वेतन से वसूली
५. असाधारण दण्ड—
   (४) पदावनति
   (५) अनिवार्य सेवा निवृत्ति
   (६) सेवाच्युति
   (७) निष्कासन

१. परिचय—इस नियम में किसी राज्य कर्मचारी को उचित व पर्याप्त कारणों पर जो सात प्रकार के दण्ड (सजा) दिये जा सकते हैं, उनका वर्णन है तथा दो स्पष्टीकरणों द्वारा उन परि-

* विज्ञप्ति सं एफ ३ (५) नियुक्ति (क) ६१/ग्रे.३/दिनांक २२—२—६१ द्वारा निविष्ट।

स्थितियों को भी बताया गया है; जिन्हें दण्ड नहीं माना जा सकता । यह नियम केन्द्रीय नियम (१३) के समान है । अन्त की टिप्पणी में सेवा से निष्कासन को आगे पुनः नियोजन हेतु अयोग्यता हटाने का प्रावधान भी है ।

२. दण्ड के प्रकार—इस नियम में सात प्रकार के दण्ड बताये गये हैं, जिनमें से पहले तीन साधारण दण्ड माने जाते हैं—

(१) परिनिन्दा (Censure),

(२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना (Withholding of increments or promotion) और

(३) वेतन से वसूली (Recovery from pay)

इसके बाद (४) से (७) तक चार असाधारण दण्ड बताये गये हैं—

(४) पदावनति (Reduction)

(५) अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

(६) सेवाच्युति (Removal) और

(७) निष्कासन (Dismissal)

इन दण्डों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही या विभागीय जाँच की जानी आवश्यक है, जिसकी प्रक्रिया साधारण दण्डों के लिये नियम १७ में व असाधारण दण्डों के लिए नियम १६ में दी गई है । यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं है, वरन् एक संवैधानिक अनिवार्यता है । अतः संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों की परिपालना करने के लिये इस निश्चित प्रक्रिया की अनुपालना आवश्यक मानी गई है ।

उपरोक्त सात प्रकार के दण्डों को जो प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर लागू कर सकते हैं, उन्हें 'अनुशासनिक प्राधिकारी' कहा जाता है, जिनका वर्णन आगे नियम १५ मे किया गया है, व इसकी परिभाषा नियम २ (ग) मे की जा चुकी है । इन सात प्रकार के दण्डो के अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड देने का प्रावधान नहीं है, जैसे—वेतन रोकना, बकाया अवकाश होते हुए भी निर्वेतन अवकाश देना, जुर्माना कर देना, यात्रा भत्ता रोक देना, जबरन वेतन वृद्धि अकारण रोके रखना । ये सब एक कर्मचारी को तंग करने के लिये अपनाये गये अवैध साधन हैं; जो एक अच्छे अधिकारी द्वारा नहीं अपनाये जाते । कोई आदेश दण्ड के रूप मे है या नहीं, यह प्रत्येक मामले मे विचारणीय तथ्य है, जिसका अलग से निर्णय हो सकता है [1]

३. दण्ड का आधार व मात्रा—(The grounds and quantum of punishment)

दण्ड देने के लिए इस नियम मे दो शर्तें दी गई हैं—(१) उचित और पर्याप्त कारणों के लिए, जो कि अभिलिखित किये जावेंगे और (२) आगे नियम १६ व १७ मे दिये गये तरीको (प्रक्रिया) को अपनाकर ।

इस प्रकार आरोपों के विरुद्ध नियम १६ या १७ मे दी गई प्रक्रिया के आधार पर विभागीय जांच पूरी करने के बाद जब आरोप सिद्ध हो जावें, तो उन आरोपों की गम्भीरता व दोषी

1. AIR 1958 Kerala 352

के आचरण दोनों को ध्यान में रखकर ही क्या दण्ड दिया जा सकता है? —यानी—दण्ड की मात्रा निश्चित की जावेगी।

उचित व पर्याप्त कारण का अर्थ

"उचित व पर्याप्त कारणों" (Good & Sufficient Reasons) की शब्दावली की कहीं भी कोई व्याख्या नहीं की गई है और यह केवल अनुशासन-प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह परिस्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए तथा पुराने उदाहरणों को देखते हुए जो उचित व पर्याप्त समझे, वह दण्ड दे। इस प्रकार इन नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेक का क्षेत्र बहुत विशाल रखा गया है और उसका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ा दिया है। दण्ड का उद्देश्य यही है कि दोषी कर्मचारी को उचित दण्ड मिले, ताकि दूसरों को शिक्षा मिल सके और दोषी भी भविष्य में सुधार कर कुशल बन सके। कम दण्ड देने से वह लापरवाह हो सकता है और अधिक दण्ड देने से वह हतोत्साह हो सकता है।* आज के युग में दण्ड को सुधार का एक साधन माना गया है; अतः दण्ड देते समय सुधार का विचार ध्यान में रखना आवश्यक है।

राज्य सेवा में राज्य कर्मचारी का आचरण लिखित व अलिखित दोनों रूपों में माना गया है। फिर भी उसके लिए एक आचरणावली (Code of conduct) बनायी गयी है। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिये जो "राजस्थान असैनिक सेवा (आचरण) नियम" बनाये गये हैं, वे आगे परिशिष्ट (व) में दिये गये हैं। इन नियमों को भंग करना दुराचरण (Misconduct) है और दण्डनीय है।

यदि कोई दण्ड कई आरोपों पर आधारित हो और उनमें से एक या अधिक आरोप के कारण सिद्ध न हो सकें, तो यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि—वह दण्ड की मात्रा कौन से कारण या आरोप पर आधारित है और वह मात्रा टिक नहीं सकती।[2]

सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय[3] है कि—"जांच करने के बाद ही दण्ड देने का प्रश्न उठता है, जब कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट आ जाती है। दण्ड का प्रस्ताव करना जांच अधिकारी का काम नहीं है, यह अनुशासन अधिकारी या दण्डाधिकारी का है। जब जांच अधिकारी साक्ष्य का विवेचन करे और अपने साराश दे, तो वह दण्ड के लिये, यदि उचित समझे तो, सुझाव दे सकता है। किन्तु साक्ष्य का सारांश व दण्ड का सुझाव जो जांच अधिकारी बतावे, वह दण्ड देने वाले प्राधिकारी को बाध्य नहीं कर सकते।"

अनुशासन प्राधिकारी को अपने विशाल विवेक (discretion) में बहुत सावधानी और सतर्कतापूर्वक विचार करना चाहिये।[4] दण्ड देने वाले प्राधिकारी का विवेक सही (Sound), वैध (legal), नियमित (Regular), कानून से प्रदर्शित व नियमों से प्रशासित होना चाहिये। यह असंतुलित (arbitrary), संदिग्ध (vague) और असंयत (fanciful) नहीं होना चाहिये व अफवाहों (rumours) से प्रभावित नहीं होना चाहिये।[5] यदि एक निश्चित छपे हुये प्रपत्र को भरकर दण्ड देने की केवल औपचारिकता करदी गई, तो इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।[6] जब एक उपजिलाधीश (S.D.O.) ने प्रार्थी को, एक रुपया घूंस का प्राप्त करने पर और तहसीलदार

2. AIR 1963 Punjab 336
3. AIR 1962 S.C. 1130
4. AIR 1933 Sind 49
5. AIR 1952 Punjab 103
6. ILR 1938 Cal 789

Hand Book on Disciplinary Procidings—Page 11, Para 17 (ii)

द्वारा जांच कर लेने पर कि— आरोप सिद्ध नही हुआ; फिर भी निष्कासन की सजा दे दी। इसे जिलाधीश ने बाद मे सही माना। किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना कि—वे कारण जिनके आधार पर जिलाधीश ने निष्कासन की आज्ञा को सही माना; वे उक्त राज्य कर्मचारी के निष्कासन के लिये कोई उचित व पर्याप्त कारण नही है।[7] ये शब्द 'उचित व पर्याप्त कारण' दण्ड देने वाले प्राधिकारी को विशाल विवेक प्रदान करते हैं कि—वह दुराचरण की प्रकृति व गंभीरता का निश्चय करे।[8] उडीसा उच्च न्यायालय ने तो इस पर करारा निर्णय दिया है,[9] जिसमे कहा है कि— उचित व पर्याप्त कारण क्या हैं, इसे दण्ड देने वाले प्राधिकारी के अनियंत्रित व अनिर्देशित विवेक पर (Unfettered & unguided discretion) पर छोड दिया गया है। यह नियम दुराचरण के स्वरूप और उसके लिये दिये जा सकने वाले दण्ड की न्यायोचितता का वर्णन नहीं करता और इसे दण्ड देने वाले प्राधिकारी के विवेक पर छोड दिया है।"

इसी प्रकार दण्ड की मात्रा का क्षेत्र अनुशासन प्राधिकारी के लिये खुला छोड़ दिया गया है। यदि इस क्षेत्र को न्याय सगत बनाना है, तो विधायिका को इसे भी अधिनियमित करने के इस महान कार्य को हाथ मे लेना चाहिये; ताकि आये दिन के विवादो से कुछ सीमा तक मुक्ति मिल सके।

४. साधारण दण्ड—(Minor Penalties)

(१) परिनिन्दा (Censure)

इस शब्द की कही कोई परिभाषा नही की गई है। यह एक साधारण व औपचारिक दण्ड है, जो यह प्रकट करता है कि—सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, जो कलंकस्वरूप है या उसकी भारी भूल (Omission) है और उसके लिये उसे नाममात्र का दण्ड दिया गया है।

'परिनिन्दा' का दण्ड देने के लिये तीन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है—

(१) कि सम्बन्धित व्यक्ति किसी कलक योग्य कार्य या भूल का दोषी पाया गया है।

(२) इस दोष का पता लगाने के लिये नियम १७ के अनुसार कार्यवाही की गई और रिकार्ड तैयार किया गया है और

(३) इस कार्यवाही के आधार पर दोष प्रमाणित हुआ, जिसके उचित व पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

भारत सरकार के गृह विभाग के मीमो स० 39/21/56 Ests.(A) दि० १३-१२-५६ द्वारा परिनिन्दा का क्षेत्र इस प्रकार बताया गया है—

"परिनिन्दा की आज्ञा एक औपचारिक व लोक कार्य है, जो यह बताने के अभिप्राय से है कि—सम्बन्धित व्यक्ति ने कोई कलक योग्य कार्य या भूल की है और उसके बदले मे उसे औपचारिक दण्ड दिया जाना आवश्यक समझा गया है। बताये हुये तरीके के अनुसरण मे उचित व पर्याप्त कारणों के लिये जब औपचारिक दण्ड चाहा जावे, तभी यह 'परिनिन्दा' होगा, अन्यथा नही। इस प्रकार के दण्ड का अभिलेख उस अधिकारी के गुप्त प्रतिवेदन पर रखा जावेगा और "उसे प्रतिनिन्दित किया गया"—यह तथ्य उसके उच्च पद पर पदोन्नति के लिये योग्यता या गुण के मूल्यांकन पर प्रभाव डालेगा।"

7. ILR 1958 Raj. 432
8. AIR 1963 M.P. 115
9. AIR 1958 Orissa 96.

प्रत्येक चेतावनी, परिनिन्दा नहीं—

प्रशासन में कई बार उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को समय-समय पर आलोचनात्मक रूप से उनकी गलतियों के लिये लिखता है, या चेतावनी (Warning) देता है, तो वह 'परिनिन्दा' नहीं मानी जाती, जब तक कि—उसके लिये नियम १७ के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई हो और चेतावनी को एक औपचारिक-दण्ड के रूप में न दिया गया हो और ऐसी प्रत्येक अनौपचारिक चेतावनी को किसी कर्मचारी के गुप्त-प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

गुप्त प्रतिवेदन में प्रविष्टियां व परिनिन्दा—

सरकार के निर्देशों के अधीन गुप्त प्रतिवेदन में उच्चाधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल प्रविष्टियां (adverse remarks) कर्मचारी के मार्गदर्शन के लिये होती हैं, किन्तु उनका प्रभाव 'परिनिन्दा' के समान पदोन्नति के समय माना जाता है।

गुप्त प्रतिवेदन में एक उच्चाधिकारी द्वारा जो प्रतिकूल प्रविष्टि उसके कर्तव्यपालन के दौरान की गई हो और जिसे उस कर्मचारी को सूचित नहीं किया गया है; वह 'परिनिन्दा' नहीं हो सकती और इसमें संविधान का अनुच्छेद ३११ यहां प्रभावित नहीं होगा; अतः न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।[10]

(२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना
(Withholding of Increments or Promotion)

इस दण्ड के दो रूप हैं—(१) वेतन वृद्धि रोकना या (२) पदोन्नति रोकना। शब्द 'या' (OR) का प्रयोग करके, ये दो अलग-अलग दण्ड माने गये हैं। दोनों दण्ड एक साथ देना इस नियम की भावना नहीं है, अन्यथा आगे "या दोनों" (Or both) शब्दों का और प्रयोग किया जाता। अतः दोनों में से एक दण्ड ही एक बार दिया जा सकता है।

सेवाकाल के दौरान राजस्थान सेवा नियम २९ के अधीन एक वर्ष की सेवा के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, जो कि नियमानुसार स्वतः दी जानी चाहिये। नियम ३० के अधीन दक्षतावरी (Efficiency Bar) पर पहुंचने पर वेतन वृद्धि तभी मिलेगी, जब कि कर्मचारी का कार्य उसके उच्चाधिकारी संतोषजनक समझें। परन्तु इस प्रकार दक्षतावरी पार न करने से रोकी गई वेतन वृद्धि स्पष्टीकरण (१) (ii) के अधीन दण्ड नहीं मानी गई है और इसके लिये न्यायालय में अपील नहीं हो सकती।[11] इसी प्रकार विभागीय परीक्षा में सफल होना आवश्यक हो और कर्मचारी उसमें असफल रहता है, परिणाम स्वरूप उसकी वेतन वृद्धि रोक ली जावे, तो यह दण्ड नहीं माना जावेगा।††

वेतन वृद्धि सामान्य रूप से कर्तव्यपालन के लिये दी जाती है, किन्तु यदि कोई कर्मचारी लापरवाही करता है या उसमें कोई अन्य कमी हो, तो उसकी वेतन वृद्धि नियमानुसार रोकी जा सकती है। इसी प्रकार पदोन्नति अच्छा काम करने वालों को नियमानुसार दी जाती है। किन्तु वेतन वृद्धि या पदोन्नति प्राप्त करना किसी कर्मचारी का स्वत्वाधिकार नहीं है।[12] यह उसकी कार्य-

10. AIR 1954 Ajmer 22; श्रीनरेश बनाम राज्य ILR (1965) 15 Raj. 664
11. 1960 RLW 395 (387)
12. AIR 1959 All. 393

†† देखिये स्पष्टीकरण (१) (i) नियम १४

कुशलता और सदाचरण पर निर्भर करता है। यदि पदोन्नति के अवसर के समय दूसरे समान या कम सेव वालों (Juniors) को पदोन्नति दे दी जावे और उसके मामले पर कोई ध्यान न दिया हो, तो यह दण्ड है और नियमों के प्रतिकूल होने से अवैध है।[13] किन्तु नियमानुसार उसके मामले पर ध्यान देने के बाद पदोन्नति नही की गई; तो यह नियम १४ के स्पष्टीकरण (१)(ii) के अनुसार दण्ड नही है। वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, दक्षतावरी पर रोकना—ये कर्मचारी को अधिक वेतन पाने से रोकते हैं, परन्तु इन्हे 'पदावनति' (Reduction in rank) नही कहा जा सकता, अतः ये संविधान के अनुच्छेद ३११ मे वर्णित दण्डो की श्रेणी मे नही आते।[14]

पदोन्नति रोकने के लिये सक्षम प्राधिकारी को जब यह विश्वास हो जाता है कि—वह कर्मचारी किसी गलत कार्य या गंभीर त्रुटि का दोषी (guilty of some act or omission) है, जैसे—कर्तव्यपालन मे लापरवाही या आज्ञा नही मानना या इसी प्रकार का कोई दोष।* तो नियम १७ में दी गई प्रक्रिया के बाद सक्षम प्राधिकारी वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने का आदेश देगा। आदेश मे यह स्पष्ट होना चाहिये कि—वेतन वृद्धि किसी अवधि विशेष के लिये रोकी गई है यानी—१ या २ या ५ वर्ष के लिये या पूर्ण सेवाकाल के लिये। अवधि विशेष के लिये रोकी जाने वाली वेतन वृद्धि को **बिना संचयी प्रभाव से** (Without cumulative effect) रोकी गयी कहते हैं, जब कि हमेशा के लिए रोकी गई वेतन वृद्धि के लिए **संचयी प्रभाव से** (With cumulative effect) शब्दो का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पदोन्नति भी सदा के लिए या कुछ अस्थाई समय के लिए रोकी जाती है। आज्ञा मे ये प्रभाव स्पष्ट किये जाने चाहिए।*

पदोन्नति मे नियुक्ति प्राधिकारी का विवेक (discretion) विस्तृत है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, बशर्ते कि नियमानुसार ध्यान दिया गया हो।[15] किन्तु जब किसी एक अधिकारी पर दूसरे को पदोन्नत किया गया हो, तो उस आज्ञा में कारणों का उल्लेख करना वांछनीय है।[15A] ऐसे मामलों का प्रतिकार उच्चाधिकारियों से अपील करके किया जा सकता है, न कि न्यायालय मे।[16]

पदोन्नति व संविधान का अनुच्छेद १६—

संविधान के अनुच्छेद १६ मे नियुक्ति या नियोजन के लिए सब नागरिकों को समानता (Equality) का मूल अधिकार दिया गया है। इसमे शब्दावली—"नियोजन सम्बन्धी मामलों ..." (......matters relating to employment) का क्या तात्पर्य है और क्या इस मूल अधिकार मे पदोन्नति की समानता भी सम्मिलित है—अर्थात्—पदोन्नति संविधान के अनुच्छेद १६ की उक्त शब्दावली मे आती है या नही ? यह एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद रहा है।

13. AIR 1964 Mysore 229
14. ILR 1958 Raj. 134 [AIR 1958 Raj. 239] and AIR 1959 Punjab, 643
15. AIR 1955 Nagpur 289, AIR 1957 J&K 8, AIR 1955 S C. 41.
15.A-AIR 1957 J. & K. 31
16. AIR 1655 Nagpur 289, AIR 1554 Punj. 134 AIR 1957 J. & K. 29 (F.B.). AIR 1958 Manipur 35; AIR Madras 270 and AIR 1960 M.P. 216

*Handbook on Disciplinary Proceedings (Page 12) (Govt. of Rajasthan) Para 17 (vii) & (viii)

बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय[17] में तथा पटना उच्चन्यायालय ने अपने निर्णय[18] में बताया है कि—नियोजन या नियुक्ति देते समय ही नहीं, उसे समाप्त करते समय भी अनुच्छेद १६ लागू होता है। किन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय[19] में उक्त दोनों उच्च न्यायालयों से असहमति प्रकट करते हुए बताया कि—सेवा में आने के बाद के मामलों, जैसे—पदोन्नति, उच्च पद के लिए चयन, वेतन में वृद्धि या कटौती, सेवा में छंटनी या सेवा से मुक्ति (termination); के लिए यह अनुच्छेद १६ (१) लागू नहीं होता।

सन् १९६० में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, किन्तु निर्णय[20] में पदोन्नति का मामला अनिर्णीत रहा। बाद में १९६२ में जनरल मैनेजर द० रेल्वे बनाम रंगाचार्य[21] में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर अपना निर्णय दिया कि-अनुच्छेद १६ (२) में नियोजन के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें अनुच्छेद १६ (१) में वर्णित सभी नियोजन सम्बन्धी मामले सम्मिलित हैं। अतः किसी चयनित पद (Selection Post) पर पदोन्नति उक्त अनुच्छेद १६ (१) व (२) दोनों में सम्मिलित है। इस प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय[22] की सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है।

इस प्रकार पदोन्नति के मामले संविधान के अनुच्छेद १६ के अन्तर्गत आते हैं और उच्च न्यायालय उन पर निर्णय दे सकते हैं।

(३) वेतन से वसूली
(Recovery from Pay)

प्रत्येक व्यक्ति भूल करता है। प्रसिद्ध कहावत भी है—"भूल करना मानवीय है" (To err is humane) परन्तु यदि वह भूल किसी कर्मचारी द्वारा दुर्भावना से की जावे; तो वह दण्डनीय है। इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने का माप दण्ड यह है कि-प्रत्येक राज्य कर्मचारी सरकारी धन के व्यय में उसी प्रकार समान ध्यान रखेगा जैसा कि एक साधारण कोटि का व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय व सुरक्षा के लिये करता है। प्रत्येक कर्मचारी को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि-यदि उसके कारण हुये छल या लापरवाही से सरकार को आर्थिक हानि हुई, तो उसके लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जहाँ तक उसकी निजी लापरवाही या कार्यवाही से यह हानि हुई हो।[23]

इस प्रकार की गई हानि की पूर्ति करने का दण्ड दिया जाने के लिये निम्नलिखित शर्तें ध्यान में देने योग्य हैं—

(१) सरकार को आर्थिक हानि हुई हो,

(२) उक्त हानि उस राज्य कर्मचारी के द्वारा नियम या आदेशों की अवहेलना करने से या लापरवाही करने से हुई हो,

(३) नियम १७ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय कार्यवाही की गई हो।

---

17. AIR 1959 Bombay 134
18. AIR 1957 Patna 617
19. AIR 1960 All. 484
20. AIR 1960 S.C. 384
21. AIR 1962 S.C. 36
22. AIR 1961 Madras 35
23. देखिये—सामान्य वित्तीय व लेखा नियम (G.F.&A.R.) नियम २३।

इस प्रकार उक्त दण्ड देने से पहले दोषी कर्मचारी को आवश्यक स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। जब तक की दण्ड देने वाला प्राधिकारी निम्न तीन बातो पर अस्थाई रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल ले, वह इस नियम के अन्तर्गत कोई वसूली प्रस्तावित नही कर सकता।[24]

(१) कि—सरकार को आर्थिक हानि हुई है,

(२) कि—उक्त हानि राज्य कर्मचारी के द्वारा की गई लापरवाही या नियमो या आदेशो की पालना नही करने से हुई है, और

(३) कि—उक्त हानि की कितनी राशि या उसका कोई भाग उक्त कर्मचारी से वसूल किया जाना चाहिये।

यहा समुचित-अवसर देने के लिये उपरोक्त तीन बातो पर जो अस्थाई निष्कर्ष निकाला गया है, उसके आधार या कारणो को उक्त दोषी कर्मचारी को स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये। इसका उत्तर देने के लिये हर समय सुविधा उक्त कर्मचारी को दी जानी चाहिये, ताकि वह अपना पूरा बचाव पेश कर सके। अन्तिम आज्ञा उक्त दोषी कर्मचारी के स्पष्टीकरण को ध्यान मे रख कर हीं पारित की जा सकती है। जहा कही सरकार ने ऊपर बतायी तीन बातो मे से किसी एक पर भी निश्चय (finding) नही दिया हो, तो पारित की गई आज्ञा अशुभ (Bad) है और उसे निरस्त किया जा सकता है। यदि किसी विधि (Statute) मे अन्य प्रावधान न हो, या दोनो पक्षो मे कोई इकरार न हो, तो वेतन मे स अतरलित हानि (Unliquidated damages) [जैसे—लापरवाही या इकरार टूटने से हानि] के लिये वसूली या कटौती नहीं की जा सकती। केवल न्यायालय ही एक दूसरे के विरूद्ध मामले का निपटारा कर सकते है। इस प्रकार असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम यदि कानून का प्रभाव रखने वाले विधि सम्पन्न नियम नही है, तो राज्य सरकार को एक कर्मचारी के वेतन मे कटौती का कोई अधिकार नही है और राज्य को यह छूट नही है कि—वह यह कहे कि य नियम उस पर बाधित नहीं हैं।[25]

किश्तो में वसूली—राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि को वसूली दोषी कर्मचारी के वेतन मे से सुविधाजनक किश्तो में दोषी की हैसियत को ध्यान मे रखते हुये की जानी चाहिये।[26]

सेवानिवृत कर्मचारी से वसूली—

यदि कोई सेवा निवृत कर्मचारी (पेन्शनर) किसी विभागीय न्यायिक कार्यवाही मे दुराचरण का दोषी पाया जावे या उसकी लापरवाही से सरकार को कोई आर्थिक हानि हुई हो, तो सरकार को अधिकार है कि—वह सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) या उसका कोई भाग हमेशा के लिये या किसी विशेष समय के लिये रोक ले या बन्द करदे या निवृति वेतन (पेशन) मे से उक्त हानि या उसके अश की वसूली करे।[27]

इस प्रकार वेतन मे से वसूली एक साधारण दण्ड माना गया है किन्तु यदि किसी कर्मचारी की ईमानदारी पर सदेह हो, तो उसके लिये उसे कोई असाधारण दण्ड दिया जाना चाहिये। यह दण्ड तो केवल लापरवाही और अवज्ञा से सरकार को हानि पहुचाने पर ही दिया जावेगा।

---

24 AIR 1955 V P 21

25 रामचरण बनाम विंध्य राज्य AIR 1955 V P 21

26 Hand book on Disciplinary Proceedings—Page 13 —Para 17 [ix]

27 देखिये राजस्थान सेवा नियम (१७०)।

५. असाधारण दण्ड
(Major Penalties)

असाधारण दण्डों का इस वर्णन नियम १४ में (४) से (७) तक किया गया है। ये इस प्रकार हैं—

(४) पदावनति या पंक्ति च्युति (Reduction in rank)
(५) अनिवार्य-सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement)
(६) सेवाच्युति या हटाना (Removal)
(७) निष्कासन या बर्खास्तगी (Dismissal)

संवैधानिक संरक्षण: —

संविधान के अनुच्छेद †३११ में इनमें से तीन के नाम आये हैं। अनिवार्य सेवा निवृत्ति एक तरह से सेवाच्युति में ही सम्मिलित है। अतः इन दण्डों के लिये इस अनुच्छेद में जो शर्तें दी गई हैं, उनका पालन अनिवार्य है। इस प्रकार राज्य कर्मचारी को असाधारण दण्डों के मामले में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जिसका हनन होने पर वह उच्च न्यायालय में शरण लेकर इसका प्रतिकार प्राप्त कर सकता है। परन्तु प्रशासनिक कारणों से बिना दोषारोपण किये सेवा से हटाना दण्ड नहीं माना गया है; इसलिये इस परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद ३११ का संरक्षण राज्य कर्मचारी को प्राप्त नहीं हो सकता।[1]

पदावनति के लिये संविधान में केवल एक शर्त द्वारा संरक्षण दिया गया है कि—

"उसे बचाव के लिये 'यथोचित अवसर' दिया जावेगा और वास्तविक दण्ड के विरुद्ध अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जावेगा।" [३११ (२)]

किन्तु सेवाच्युति और निष्कासन के लिये एक शर्त और है कि—"किसी राज्य कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी ये दण्ड नहीं दे सकते।" [३११(१)]

इन दण्डों को देने से पूर्व जो विभागीय जांच होती है, उसकी प्रक्रिया नियम (१६) में दी गई है।

यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि—कोई भी कार्यवाही मानी पदावनति, सेवाच्युति या निष्कासन दण्ड हैं या नहीं ? इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रसिद्ध धींगरा-कांड[2] में इसके लिये दो मापदण्ड बताये हैं—

(१) कि—उस कर्मचारी का उस पद पर कोई अधिकार है या नहीं ? या
(२) कि—उक्त कर्मचारी पर इस आदेश का कोई दण्डात्मक प्रभाव (penal consequences) पड़ा है या नहीं ? जैसे—वेतन या भत्ते की जब्ती या अपनी मूल श्रेणी (पद) में वरिष्ठता की हानि, या भविष्य में पदोन्नति के अवसरों का रुक जाना आदि।

इन दो माप दण्डों में से कोई एक भी यदि मौजूद है, तो संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित होता है।

---

1. AIR 1958 S.C. 217
2. AIR 1958 S.C. 36

† देखिये परिशिष्ट (क) (१) में।

(४) पदावनति
[Reduction in rank]

तालिका

(१) अर्थ—

"पदावनति" का अर्थ है—किसी उच्च पद से हटाकर किसी कर्मचारी को निम्न श्रेणी, पद, वेतनमान या समय श्रृंखला पर प्रत्यावर्तित कर देना (वापस भेज दिया जाना) या निवृत्ति वेतन (पेंशन) मे कटौती कर देना। संविधान के अनुच्छेद ३११ में इस शब्द का प्रयोग किया जाने से अब इसका तकनीकी अर्थ हो गया है और इसका अब साधारण लोकप्रिय अर्थ वाले शब्द के रूप मे प्रयोग नही किया सकता। विभिन्न सेवा नियमों के अधीन किसी अनुशासनहीनता या दुराचरण के कारण किया जाने वाला प्रत्यावर्तन दण्ड है।[1] एक नियमावली मे कुछ विशेष परिस्थितियो मे एक व्यक्ति को एक स्थाई पद धारण करने का कानूनी अधिकार दिया गया है, तो दूसरी नियमावली उस राज्य कर्मचारी को उसके पद पर से अवनत या निष्कासित करने मे संरक्षण प्रदान करती है। वे सब नियम यह उद्घोषित करते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियो के अतिरिक्त एक स्थाई राज्य कर्मचारी को उसके पद से अवनत या निष्कासित नही किया जा सकता।[2]

(२) पदावनति के दो भेद (Two kinds of Reduction)

पदावनति शब्द के दोहरे अर्थ के कारण इसके दो भेद होते हैं—

(१) प्रत्यावर्तन (Reversion) या वापसी या पुनर्गमन—कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनमे उच्च पद, श्रेणी आदि से निम्न पद या श्रेणी मे किसी कर्मचारी को वापस भेजा जाता है; परन्तु इसे दण्ड के रूप मे नही माना जा सकता। ऐसी वापसी या पदावनति को "प्रत्यावर्तन" कहते हैं।

(२) पदावनति (Reduction)—जब किसी कर्मचारी को दण्ड के रूप मे निम्न पद या श्रेणी मे वापस भेजा जावे, तो यह 'पदावनति' होगी, जो कि नियमो मे एक दण्ड है।

इस प्रकार प्रत्येक पदावनति एक दण्ड है, परन्तु प्रत्येक प्रत्यावर्तन दण्ड नही। प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक कार्य मात्र है, जबकि पदावनति एक अर्द्ध-न्यायिक।

(३) पदावनति के अपवाद या प्रशासनिक प्रत्यावर्तन—

इस नियम १४ के स्पष्टीकरण (४) व (५) मे दो अपवाद बताये गये हैं, जो पदावनति नही हैं; वरन् केवल साधारण अर्थ मे प्रत्यावर्तन हैं—

1. सतीशचन्द्र बनाम भारत संघ AIR 1953 S C. 250

2. पंजाब राज्य बनाम सुखबानसिंह AIR 1957 Punjab 191

(१) स्थानापन्न पद (Officiating Post) पर कार्य करने वाले कर्मचारी का (क) उसके प्राचरण से प्रसम्बन्धित प्रशासनिक कारणों से या (ख) उसकी उस पद के लिये प्रनुपयुक्तता के कारण किया गया प्रत्यावर्तन।

(२) परिवीक्षाधीन कर्मचारी (on probation)—का उसकी नियुक्ति, सेवा व परिवीक्षा की शर्तों के प्रनुसार उचित प्रगति न करने पर किया गया प्रत्यावर्तन।

ऐसे प्रत्यावर्तन के मामलों का विवेचन प्रागे खण्ड (८) में किया गया है।

(४) पदावनति का माप दण्ड (Test of Reduction)

कोई प्रत्यावर्तन पदावनति है या नहीं —प्रर्थात्— पदावनति किन परिस्थितियों में दण्ड मानी गई है? यह प्रनेक न्यायालयों के विचार का प्रश्न रहा है। संविधान में प्रयुक्त "निष्कासन सेवाच्युति व पदावनति (Dismissal, Removal and Reduction) इनके लिये जो मापदण्ड हम पहले बता चुके हैं, वे ही यहां भी लागू होंगे। सारूप में दो मापदण्ड सुप्रसिद्ध धींगरा काण्ड में सर्वोच्च न्यायालय ने माने हैं,[3] जो प्रब सर्वमान्य हैं—

(१) कर्मचारी का वैध प्रधिकार (right to post)—क्या उस सेवा, पद, श्रेणी, वेतन शृंखला या समयमान पर बने रहने का किसी कर्मचारी को नियमानुसार प्रधिकार है? यदि हां, तो उसका प्रत्यावर्तन दण्ड —यानी— पदावनति माना जावेगा[4] —या—

(२) दुष्परिणामी प्रभाव (evil-consequences) —यानी— प्रत्यावर्तन के प्रादेश का यदि कर्मचारी के वैध प्रधिकार से प्राप्त वेतन व विशेष प्रधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो पदावनति दण्ड के रूप में मानी जावेगी।[5]

प्रागे खण्ड (१०) में पदावनति के प्रनेक उदाहरण न्यायालयों के निर्णयों के प्राधार पर दिये गये हैं।

(५) सुप्रसिद्ध धींगरा-काण्ड—

पदावनति के प्रश्न पर श्री पुरुषोत्तमलाल धींगड़ा के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय हो चुका है। नीचे हम उसके कुछ निष्कर्ष दे रहे हैं, जो प्रागे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे—

(क) भारत संघ बनाम पुरुषोत्तमलाल धींगरा (AIR 1956 Panjab 207)
न्यायमूर्ति श्री भण्डारी, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब उच्च न्यायालय ने बताया गया है कि—

> १ "संविधान प्रपरोक्ष रूप से यह घोषणा करता है कि—पदावनति के सभी मामले समान माने जाने चाहिये। मेरे ध्यान में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं प्राया जिससे एक न्यायालय साधारण प्रक्रिया में हुये प्रत्यावर्तन प्रौर दण्ड के रूप में दिये गये प्रादेश से हुए प्रत्यावर्तन में कोई प्रन्तर स्पष्ट करने में समर्थ हो सके —या— यह घोषित करने में समर्थ बताता हो कि किसी एक मामले में प्रारोप देने व सुनवाई करने की प्रावश्यकता है प्रौर दूसरे में नहीं।......

3. AIR 1958 S.C. 36
4. AIR 1956 Punjab 207; AIR 1958 S.C. 36
5. AIR 1958 All. 656; 1954 Cal. 383

२. इन सेवा नियमों से निम्नलिखित ठोस कानूनी परिणाम निकलते हैं कि—

(१) जहां कोई व्यक्ति किसी स्थाई पद (Permanent Post) पर मूल रूप से (substantively) नियुक्त किया गया है, उसे उस पद को धारण करने का स्पष्ट, पूर्ण व विशेष अधिकार प्राप्त है। परन्तु जो व्यक्ति किसी स्थाई पद पर स्थानापन्न रूप से (officiating) नियुक्त किया गया है, उसे ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और

(२) इसी प्रकार मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति को नियम १५ का संरक्षण प्राप्त है, किन्तु स्थानापन्न को नहीं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि एक राज्य कर्मचारी को बिना सुने पदावनत कर देने पर जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, वह केवल किसी उच्च पद मूल रूप से प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही है और केवल उसे ही उस पद को धारण करने का कानूनी अधिकार है। एक व्यक्ति जो स्थानापन्न रूप से किसी उच्चपद को धारण किये हुये हो, उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होने से सक्षम उच्च प्राधिकारी द्वारा बिना कोई आरोप लगाये या सुनवाई किये उसे उच्च पद से हटाया जा सकता है।

इस प्रकार मुझे यह प्रतीत होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो कि एक विशेष पद मूल रूप से धारण करता है; किसी निम्न पद पर उसी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो उसे यह आपत्ति (Protest) करने का अधिकार है कि यह निम्न पद पर स्थानान्तर पदावनति (reduction in rank or demotion) है, जो कि सुनवाई करने के बाद ही प्रभावशील हो सकता है।

यह आपत्ति (का अधिकार) उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, जो किसी विशेष पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा है और जिसे बिना किसी नोटिस या सुनवाई के उसके अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। वह (व्यक्ति) दोहरी हानि (Double disadvantage) से दुःखी होता है कि वह न तो संविधान के अनुच्छेद ३११ का संरक्षण प्राप्त कर सकता है और न ही मूल नियमों के नियम 15 (Rule-15 of Fundamental Rules) का। वास्तव में ऐसा कोई अधिनियम या नियम नहीं है, जो उसके इस मामले में पूरा पड़ता हो और उसे पदावनति के विरुद्ध संरक्षण देता हो।

संविधान सुस्पष्ट भाषा में यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को तब तक पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का यथोचित अवसर नहीं दिया गया हो और सक्षम अधिकारी पर इस कर्तव्य का भार डालता है और सम्बन्धित कर्मचारी को अपने आपको बचाने का अवसर दिये बिना चाहे कुछ भी कारण क्यों न हो पदावनत करने से रोकता है।

(ख) पुरुषोतमलाल धींगरा-बनाम-भारत संघ (AIR 1958 S.C.36)

यह मामला अपील में सर्वोच्च न्यायालय तक गया और पदावनति का एक दण्ड के रूप में विश्लेषण करते हुए उक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि—

"... इसी प्रकार 'पदावनति' एक दण्ड के रूप में हो सकती है या यह प्रभाव शून्य रूप में (may be an innocuous thing)। यदि किसी विशेष श्रेणी (Rank)

पर किसी राज्य कर्मचारी को अधिकार प्राप्त है, तो यह पदावनति एक दण्ड के रूप में कार्य करेगी; क्योंकि ऐसी स्थिति में वह उस पद के विशेष अधिकारों व वेतन आदि से वंचित रहेगा। यदि, येन केन, उस विशेष श्रेणी पर उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, तो एक स्थानापन्न उच्च श्रेणी से उसकी मूल निम्न श्रेणी पर पदावनति साधारणतया एक दण्ड नहीं होगी। किन्तु केवल इसी तथ्य से कि एक कर्मचारी किसी पद या श्रेणी के लिए अधिकृत नहीं है और सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष संविदा से या नियमों के अधीन उसे किसी निम्न पद पर अवनत करने का अधिकार है, इसका यह अर्थ नहीं हैं कि एक कर्मचारी को निम्न पद या श्रेणी में पदावनत करने की कोई आज्ञा, किसी भी दशा में दण्ड नहीं हो सकती। इन मामलों में पदावनति दण्ड के रूप में है या नहीं, इसे निश्चित करने का वास्तविक मापदण्ड (Test) यह पता लगाना है कि क्या वह पदावनति की आज्ञा उस कर्मचारी को दण्डनीय परिणाम पर पहुंचाती है (visits the servant with any penal consequences)। इस प्रकार यदि वह आज्ञा उसके वेतन या भत्तों को जब्त करती है या उसकी मूल श्रेणी में वरिष्ठता की हानि पहुंचाती है या उसके पदोन्नति के भविष्य के अवसर की हानि पहुंचाती है; तब वह परिस्थिति यह संकेत करती है कि यद्यपि दिखाई देने में (in form) सरकार ने किसी कर्मचारी के नियोजन (नौकरी) को समाप्त करने या पदावनति करने के अपने अधिकार का नियोजन की संविदा (शर्तनामे) या नियमों के अधीन प्रयोग करना चाहा है, परन्तु सत्य व वास्तविक रूप में (in truth & reality) सरकार ने नियोजन की समाप्ति एक दण्ड के रूप में की है। 'समाप्ति' (Termination) या 'पद से हटाना' (discharge) इस अभिव्यक्ति का प्रयोग अन्तिम (conclusive) नहीं है। इस प्रकार की प्रभाव शून्य अभिव्यक्तियों (innocuous expressions) के प्रयोग करने के बावजूद, न्यायालय को उपनिर्दिष्ट दो मापदण्डों का प्रयोग करना ही होगा, अर्थात्—

(१) उस कर्मचारी को उस पद या श्रेणी पर कोई अधिकार प्राप्त है या नहीं, या

(२) ऊपर बताये प्रकार के बुरे परिणामों का उस पर प्रभाव पड़ा है।

[(1) whether the servant had a right to the post or rank, OR
(2) whether he has been visited with evil consequences of the kind hereinbefore referred to.]

यदि किसी मामले में इन दोनों में कोई एक शर्त (मापदण्ड) संतुष्ट हो जाती है, तो यह मानना पड़ेगा कि—कर्मचारी को दण्डित किया गया है और उसकी सेवा की समाप्ति (termination of service) को पेशा में निष्कासन व सेवाच्युति माना जावेगा या उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तन को पदावनति माना जावेगा तथा यदि उन नियमों व संविधान के अनुच्छेद ३११ की शर्तों का पालन नहीं किया हो, जो कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करते हैं; तो उस सेवा समाप्ति या पदावनति को अनुचित (wrongful) तथा उस कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जावेगा।

निर्णय लिया गया कि—तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर नियुक्त किया गया था, और उसे उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था; अतः उसकी पदावनति उसके किसी अधिकार को नहीं छीनती और इस (पदावनति)

नियमों पर जो दृष्टिकोण (View) लिये हैं, उनसे भी संकीर्ण दृष्टिकोण इस मामूली नियमावली पर हमें क्यों लेना चाहिये ? हमें अपने संविधान की अपेक्षा नियमों व विनियमों (Rules & Regulations) को महान् पवित्रता और अधिक बाध्य शक्ति क्यों देनी चाहिये ? हमें दृढता व उत्साह शक्ति के साथ न्याय करने में क्यों हिचकिचाना चाहिये ? जहां सरकार दया के साथ न्याय का हनन करने को प्रयत्नशील है और हम, न्यायालय; एक पौंड मांस की मांग करते हुए शाइलॉक को रा प्रोत्साहित कर रहे हैं और ऐसा क्यों ? क्योंकि 'यह याचिका एक बाध्यपत्र (Bond) में है।' मैं इनमें से किसी को नहीं मानूंगा। जो सब मैं देख सकता हूं, वह यही है कि--एक मनुष्य जिसके साथ अन्याय किया गया और मैं इसका सीधा उपाय देख सकता हूं और मैं उसी को अपनाऊंगा।"

[Why should we take a narrower view of a mere set of rules than this Court and the Federal Court & the Privy council havo taken of the constitution and the Act of a Legislature and even of a Supreme Parliament ? Why should we give greater sanctity and more binding force to rules and regulations than to our own constitution ? Why should we hesitate to do justice with firmness and vigour. Here is Government straining to temper justice with mercy and we, the Courts, are out-shylocking Shylock in demanding a pound of flesh, and why ? because 'it is writ in the bond.' *I will have none of it. All I can see is a man who has been wronged and I can see plain woy out. I would take it.*"]

इस प्रकार यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इन निर्णयों द्वारा असाधारण दण्डों का मापदण्ड निर्धारित कर दिया है, जो सर्वमान्य है; फिर भी न्यायमूर्ति श्री बोस के असहमति के विचारों ने अब भी न्याय-क्षेत्र के सामने एक चेतावनी प्रस्तुत की है; जिसके आधार पर सरकार द्वारा किये जाने वाले कठोर-कार्यों के विरुद्ध कुछ रोक लगाने के लिये अब भी न्यायालयों के द्वार खुले पड़े हैं।

(६) पदावनति के प्रकार (Forms of Reduction)

नियम १४ (४) के अंतर्गत पदावनति छः प्रकार से हो सकती है—

(१) निम्न सेवा (Service) में पदावनति ।
(२) निम्न श्रेणी (ग्रेड) " "
(३) निम्न पद (Post) " "
(४) निम्न समय-मान (Time scale) "
(५) उसी समय-मान में निम्न स्तर (lower stage) पर पदावनति ।
(६) पेन्शन की दशा में, नियमानुसार देय पेन्शन से कम पेन्शन देना ।

(७) पदावनति कब और कैसे ?

पदावनति का दण्ड किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, यह अनुशासनिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है; क्योंकि इसके लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है ।[8] उचित व पर्याप्त

8. देखिये—व्याख्या खण्ड (३) दण्ड का आधार व मात्रा ।

कारणो के आधार पर नियम १६ में दी गई प्रक्रिया के अधीन विभागीय जाँच के बाद ही यह दण्ड दिया जा सकता है। इसके लिये सविधान के अनुच्छेद ३११ मे दी गई शर्तों का पालन आवश्यक है।[9]

पदावनति की आज्ञा मे आदेशकर्ता अधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिये कि—पदावनति की कोई सीमा या अवधि है या नही। जहाँ अवधि स्पष्ट रूप से बताई गई हो, वहाँ अधिकारी को यह भी बता देना चाहिये कि—उस अवधि या सीमा की समाप्ति के बाद पदावनति की अवधि भविष्य की वेतन वृद्धि को रोकेगी या नहीं। यदि हा, तो कब तक ? स्थायी रूप से पदावनति का दण्ड साधारण रूप से नही देना चाहिये, क्योकि इससे अच्छा कार्य करने की भावना समाप्त हो जाती है और सम्बन्धित अधिकारी का मनोबल गिर जाता है इसलिये पदावनति का स्पष्ट (Specific) रूप होना चाहिये। ऐसा राजस्थान सरकार का आदेश[10] व नियम है।[11]

(८) पदावनति—निम्न परिस्थितियो में दण्ड नहीं—

विभिन्न उच्च न्यायालय कुछ विशेष परिस्थितियो में किये गये प्रत्यावर्तन (Reversion) को दण्ड नही मानते हैं —

(क) स्थानापन्न पद पर से अपने मूलपद पर वापसी या प्रत्यावर्तन यदि बिना किसी दोषारोपण के किया गया है तो वह पदावनति दण्ड नही मानी गई है। स्थानापन्न पद पर अनुपयुक्त (Unfit) होने पर मूलपद पर वापस किया जा सकता है।[12] यदि किसी पद पर पदाधिकार (Lien) उत्पन्न नही हुआ तो उस कर्मचारी को उस उच्च पद पर कोई अधिकार प्राप्त न होने से यदि उसे कम वेतन के पद पर स्थानान्तरित कर दिया जावे, तो सविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होगा।[13] यदि किसी स्थानापन्न या अस्थाई पद पर से किसी व्यक्ति को मूल पद पर साधारण रूप से वापस भेजा जावे तो यह दण्ड नहीं। ऐसा नागपुर,[14] कलकत्ता,[15] पटना,[16] ट्रावन्कोर-कोचीन,[17] राजस्थान,[18] पजाब,[19] उत्तर प्रदेश[20] उच्च न्यायालयों ने माना है

9 पी० सी० वाधवा बनाम भारत सघ, AIR 1954 S C 423

10 Hand book on Disciplinary Proceedings—Page 12, Para 17 [iv]

11 देखिये—राजस्थान सेवा नियम ३४

12 हरबर्शसिंह ब० पजाब राज्य AIR 1960 Punjab 65
केदारनाथ अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 1954 Ajmer 22
स० मोहेन्द्रसिंह बनाम पटियाला राज्य AIR 1955 Pepsu 106
के० सी० शर्मा बनाम कट्रोलर AIR 1956 All 480
धीजाधारीदत्त बनाम भारत सघ AIR 1958 Calcutta 546

13 रतनलाल गुलाटी बनाम भारत सघ, AIR 1955 Punjab 239
चिरजीलाल बनाम भारत सघ ILR 1957 Raj 5

14 एम० बी० विचोरारी बनाम मध्यप्रदेश AIR 1952 Nag 238
लक्ष्मीनारायण चिरजीलाल भार्गव बनाम भारत सघ AIR 1956 Nag 113

15 बिदुभूषण मजूमदार बनाम चीफ इजीनियर AIR 1958 Cal 623

16 स्योभोलाल बनाम चीफ कन्जरवेटर फारेस्ट AIR 1956 Patna 273

17 सबास्तिया टी० के० बनाम राज्य AIR 1955 T C 12

18 चिरजीलाल बनाम भारत सघ AIR 1957 Raj 81
जी० के० टण्डन बनाम जुडिशियल कमिश्नर AIR 1957 Raj 230 AIR 1958 Raj 245

19 भारत सघ बनाम पुरुषोत्तमलाल धीगरा AIR 1955 Punjab 207
पजाब बनाम सुखवर्शसिह AIR 1957 Punj 42
गिरधारीलाल बनाम पजाब AIR 1960 Punj 244 AIR 1957 Punj 42

20 राधारमण सक्सेना ब० उत्तर प्रदेश AIR 1959 All 135

तथा सर्वोच्च न्यायालय [21] तक इसी निर्णय की पुष्टि की गई है। प्रत्यावर्तन के कारण का उल्लेख करने या न करने या वह उच्च पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया, यह लिखने से इसमें कोई अन्तर नहीं आता। [22]

(ख) **अस्थाई पद पर से** किसी कर्मचारी का प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं है। क्योंकि उक्त पद की समाप्ति के बाद उस कर्मचारी को अपने पूर्व पद जाना ही होगा। उसकी यह पदोन्नति स्वयं अस्थाई थी। इस मत की पुष्टि इलाहाबाद [23] पंजाब [24] नागपुर [25] राजस्थान (अजमेर) [26] उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय [27] ने की है।

(ग) विभिन्न **प्रशासनिक कारणों से** किया गया प्रत्यावर्तन दण्ड नहीं माना गया है। उदाहरणार्थ—किसी संवर्ग विशेष के पद पर दूसरे संवर्ग के कर्मचारी को अस्थाई कमी को पूरा करने के लिये स्थानापन्न या अस्थाई रूप मे लगाया जावे और उस पद के अधिकृत व्यक्ति के आने पर अस्थाई व्यक्ति को हटा दिया जावे, तो यह पदावनति नही। [28] इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि प्रत्यावर्तन बिना किसी कारण का उल्लेख किया गया या यह लिखा गया कि—वह व्यक्ति उस पद के लिये उपयुक्त नहीं था। [29] जब तक वेतन आदि प्राप्त करने के किसी प्राप्त या उपार्जित अधिकार का हनन नहीं हो, प्रत्यावर्तन दण्ड नही माना गया। [30] जब तक कोई दण्ड प्रत्यारोपित नही किया गया हो, मूल पद पर प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक प्रयास माना जावेगा। [31] यदि प्रत्यावर्तन किन्हीं बाहरी कारणों से किया गया हो, जो कि कर्मचारी के आचरण से सम्बन्धित नहीं हो; तो ऐसी दशा मे यह दण्ड नही माना जावेगा। [32] यदि वरिष्ठता सूची के बावजूद भी रिक्त पदो की संख्या कम होने से किसी कर्मचारी का पदोन्नति के लिये चयन नहीं हो सके और उसे पूर्व पद पर वापस भेज दिया जावे, तो यह दण्ड नही है और संविधान के अनुच्छेद १६ (१) तथा ३११ (२) आकर्षित नहीं होते। [33] यदि पदोन्नति करने में कोई अनियमितता होगई हो, तो पूर्व पद पर वापसी एक प्रशासनिक कार्य है दण्ड नही। [34] यदि नेत्र ज्योति कमजोर होने से एक टिकिट जांच कर्ता को उसके पूर्व पद पर वापस भेज दिया गया। इसमें कोई दुराचरण की शिकायत नहीं थी। अतः यह पदावनति नही माना गया। [35] यदि राज्यों के पुनर्गठन या विलय के कारण सेवाओं के के विलीनीकरण से किसी को अपने पूर्व पद पर वापस भेजा गया हो, तो वह भी पदावनति नहीं मानी गई। नये राज्य की सेवा की शर्तों पर ही वे कार्य करेंगे। [36]

---

21. पुरुषोत्तमलाल धींगडा बनाम भारत संघ AIR 1958 S.C. 36
    बम्बई राज्य ब० एफ० ए० अब्राहम AIR 1962 S C. 794
22. जी०के० टंडन Vs. चीफ कमिश्नर अजमेर राज्य ILR 1958 Raj. 12
23. AIR 1958 All. 741; AIR 1963 All. 358
24. AIR 1952 Punjab 476; AIR 1955 Punjab 228, 229
25. AIR 1956 Nag. 113
26. AIR 1954 Ajmer 22
27. AIR 1958 SC 36; AIR 1957 SC 836
28. AIR 1965 Kerala 84; AIR 1963 Orissa 164; AIR 1958 SC 36; बम्बई राज्य बनाम एफ. एब्राहीम AIR 1962 SC 794
29. ILR 1958 Raj. 12
30. AIR 1959 All. 135; 1960 Punjab 244
31. AIR 1960 Punjab 65 AIR 1954 Ajmer ?
    1955 Pepsu 106, 1956 All. 480
    1956 Bom. 455; 1954 Cal. 383;
    1959 Cal. WN 859; 1?1 Cal. WN 8?
    AIR 1957 J & K 11; 1956 M.B. 172;
    1957 Mysore 8. 1952 Nagaur 288;
    1955 Patna 381; and AIR 1955 T.C. 1?
32. AIR 1959 Madras 1; 1960 Kerala; 231 1961 Kerala 203
33. AIR 1956 Pepsu 26
34. AIR 1956 Orissa 113: AIR 1954 S.C. 1957 All. 152: AIR 1958 S C. 36 and AIR 1963 Cal. 563
35. ILR 1954 Raj 630
36. AIR 1658 S.C. 228; AIR 1956 Pepsu ?
    AIR 1955 S C. 817 (830)
    AIR 1654 S.C. 447 (451)

अनुच्छेद ३११ (२) में 'श्रेणी' शब्द का संदर्भ किसी व्यक्ति के वर्गीकरण से है न कि किसी संवर्ग मे किसी स्थान विशेष से । अतः उसी सवर्ग की वरिष्ठता सूची मे कुछ स्थान खो देना पदावनति नही है और अनु० ३११ (२) आकर्षित नही होता । [37] पदावनति स्थायी रूप से हो या अस्थाई, इसका उल्लेख अनु० ३११ (२) मे नही है परन्तु जांच के दोहरान निलम्बन पदावनति नही है । अतः अनु०३११ (२) आकर्षित नही होता । [38] एक विभाग से दूसरे विभाग मे समान पद पर किया गया स्थानान्तर पदावनति नही माना गया ।[39] वरिष्ठता की सूची के पुनर्गठन या नई वेतन शृंखलायें लागू करने से पहले प्रभावित होने वाले कर्मचारियो को सूचना देना आवश्यक नही, क्योकि इसमें पदावनति नहीं मानी जा सकती । [40]

(९) परिवीक्षाधीन (On Probation) कर्मचारी का प्रत्यावर्तन (Reversion)—

इन नियमों के अधीन स्पष्टीकरण १ (५) मे परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उसके पद पर परिवीक्षाधीन (On probation) नियुक्ति की शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यह दण्ड नही माना जा सकता, परन्तु यदि उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाये गये हों, तो अनुच्छेद ३११ (२) की शर्तें लागू होंगी । [41]

(१०) पदावनति दण्ड के रूप में—

निम्न परिस्थितियो मे प्रत्यावर्तन को दण्ड माना गया है :—यदि किसी भी कर्मचारी को (चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई या स्थानापन्न) आरोपों या शिकायत के आधार पर प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो यह दण्ड है ।[42] पदावनति को दण्ड मानने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने दो मापदण्ड बताये है—(१) उस पद पर वैध अधिकार होना या (२) दण्डनीय परिणाम उस आज्ञा से निकलते हो ।[43] सचिव द्वारा की गई शिकायत पर एक कर्मचारी का प्रत्यावर्तन किया गया । यद्यपि वह उस पद पर स्थाई (confirmed) नही था और उसे अपने मूल पद पर ही भेजा गया था, जहां कि उसका पदाधिकार (lien) था । परन्तु शिकायत पर वापसी की जाने से यह दण्ड माना गया ।[44] एक जेलर को फौजदारी न्यायालय ने सब आरोपों से मुक्त कर दिया, परन्तु उसे अपने पूर्व पद जो कि राजपत्रित था पर पुनःस्थापित न करके उसे निम्न पद (अराजपत्रित) पर नियुक्त किया गया । इसे न्यायालय ने पदावनति मानकर अवैध बताया ।[45] सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय मे बताया है कि—जहा प्रत्यावर्तन का आधार असंतोषजनक आचरण बताया गया, परन्तु उसका न तो कोई विवरण दिया गया और न अपीलकर्ता से इसका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया । जिस समय अपीलकर्ता को प्रत्यावर्तित किया गया, उसी समय उससे कनिष्ठ अधिकारी राज्य के आई० पी० एस० सवर्ग में वरिष्ठ वेतन शृङ्खला मे कार्य कर रहे थे । ऐसी परिस्थिति मे अपीलकर्ता के विरुद्ध दिया गया प्रत्यावर्तन का आदेश सविधान के अनु० ३११(२) के अर्थ मे पदावनति है और सरकार की

---

37. उच्चन्यायालय कलकत्ता बन म अमलकुमार, AIR 1962 S C. 1704, AIR 1958 Madras 53.

38. प्रेमबिहारीलाल बनाम महत भारत AIR 1954 M.B. 49 AIR 1957 S C. 246, AIR 1957 Assam 77, 1958 Raj. 239, 1957 Madras 46, 1945 Calcutta 60, 1955 Patna 131

39. AIR 1952 Orissa 285, जी.के टडन बन म चीफ कमिश्नर AIR 1957 Raj. 230

40. AIR 1960 Bom. 431, AIR 1960 Bom. 14, 1958 Bom. 283

41. AIR 1955 Patna 327: [ILR 54 Patna 179.) ILR (1954) Nagpur 371; [AIR 1954 Nag 229 [illegible]]; 1958 Cal W.N. 128, AIR 1954 Cal. 383 C, AIR 1958 A.P. 269

42. AIR 1953 S C. 250, AIR 1958 M B. 137, AIR 1956 Bom 456

42. AIR 1958 S.C. 36

44 AIR 1957 All. 73

45. AIR 1956 Manipur 34

आज्ञा अवैध व शून्य है।[46] जब पदावनति दण्ड स्वरूप की जावे, तो संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित होता है और उसकी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।[47] दण्ड के रूप में किया गया प्रत्यावर्तन पदावनति है और भविष्य में पदोन्नति के लिए बाधा है।[48] यदि शिकायत व जांच के बाद प्रत्यावर्तन किया गया हो, तो वह पदावनति है।[49] जांच-आयुक्त ने, येनकेन, अपीलकर्ता को दोष मुक्त कर दिया, परन्तु सरकार द्वारा उसे अपने मूल पद तहसीलदार पर प्रत्यावर्तित कर देना दुष्प्रवृत्ति था, इसलिये दण्ड था। अतः अनु० ३११ (२) की अनुपालना के बिना सरकार की आज्ञा शून्य है।[50] एक स्थाई लिपिक जिलाधीश कार्यालय में, पंचायत सहायक के उच्च पद पर चयन (Selection) के बाद नियुक्त किया गया और लिपिक के रूप में वेतन पाता रहा। दोनों पदों का कार्य भिन्न प्रकार था। उसका अपने स्थायी पद (क्लर्क) पर प्रत्यावर्तन पदावनति माना गया।[52] प्रार्थी को 1946 में स्थानापन्न थानेदार पुलिस बनाया गया। उसके विरुद्ध आरोप लगाकर १ वर्ष तक जांच की गई और बाद में उसे बिना नोटिस दिये प्रत्यावर्तित कर दिया गया। अतः अनु० ३११ (२) के हनन के कारण पदावनति की आज्ञा अवैध मानी गई।[52]

किसी समय-मान में निम्न श्रेणी पर भेज देना, पदावनति माना गया है।[53] स्थानापन्न पद से मूलपद पर प्रत्यावर्तन में यदि वरिष्ठता में कमी आती है, तो यह साधारण प्रत्यावर्तन न होकर दुष्प्रभावित होने से दण्ड माना गया, जैसा कि AIR 1958 S. C. 36 में बताया गया है। अतः धारा २४० (३) भा. स. अधि. १९३५ (अनु० ३११ के समकक्ष) आकर्षित मानी गई।[54]

(११) देय निवृत्ति वेतन (पेन्शन) में कमी (Reduction in the case of pension to an amount lower than that due under rules)

सेवा-निवृत्ति पेन्शन नियमानुसार आवश्यक सेवाकाल पूरा करने के बाद या निश्चित आयु (५५ वर्ष) पूरी करने के बाद देय होती है।[55] भविष्य में सद्व्यवहार (Good Conduct) बनाये रखना पेंशन की एक शर्त है[56] और सेवाकाल सन्तोषजनक होने पर ही पूरी पेन्शन का अधिकार है।[57] नियमानुसार केवल योग्यतापूर्वक सेवाकाल पूरा करने या अधिकतम सेवा की आयु पर पहुंचते ही पेंशन साधारण रूप से स्वीकृत नहीं की जाती, इसके लिए कर्मचारी के सेवाकाल को देखकर ही सक्षम प्राधिकारी निर्णय करता है। यदि सेवाकाल संतोषजनक न हो, तो उसमें कटौती या कमी (Reduction) की जा सकती है। अतः यह एक प्रकार का दण्ड है, क्योंकि अर्जित लाभ में कटौती करते ही धींगड़ा-कांड[58] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया दूसरा मापदण्ड लागू हो जाता है। अतः इन राजस्थान असैनिक सेवा (व०, नि० अ०) नियमों के नियम १९ (१०) (ii)

---

46. पी० सी० वाधवा बनाम भारत संघ
AIR 1964 S.C. 423
47. बिन्दुभूषण मजूमदार बनाम चीफ इंजिनियर
AIR 1958 Cal. 623; AIR 1964 S.C. 423
48. Sebastian T.K. Vs. State:
AIR 1955 T.C. 12, AIR 1955 Pepsu 10
49. गणेश बालकृष्ण देशमुख बनाम मध्यभारत
AIR 1956 M.B. 172;
AIR 1962 Orissa 295;
AIR 1952 Nagpur 393,
AIR 1954 Calcutta 393;
AIR 1955 Ajmer 23; AIR 1957 S.C.896;
AIR 1956 M.B. 105; AIR 1955 Pepsu 106
50. ग० गुरुसिंह बनाम पंजाब राज्य
AIR 1962 S.C. 1711
51. शंभूजी श्रीवास्तव बनाम उत्तरप्रदेश शासन
AIR 1964 All. 528
52. अप्पाराव बनाम डी आई.जी. पुलिस
AIR 1858 A.P. 269
53. Rule 14 (4) देखिये;
ILR [1954] Cut. 684 [704];
AIR 1959 Orissa 167;
AIR 1958 S.C. 36
54. माधव बनाम मैसूर राज्य
AIR 1962 S. C. 8
55. R.S.R.—56
56. R.S.R.—169
57. R.S.R.—243
58. AIR 1956 S.C. 36

के अधीन लोक सेवा आयोग की सहमति लेनी होगी। प्रभावित कर्मचारी को नियमानुसार अपील करने का अधिकार होगा, जो कि सेवाच्युति या निष्कासन के दण्डाधिकारी के समक्ष होगी।[60] यदि जांच के बाद यह पाया जावे कि उस कर्मचारी के प्रमाद (लापरवाही) से या धोखे से सरकार को हानि हुई है, तो उसकी सेवा पूर्णत सतोषजनक नही मानी जा सकती है।[61] सरकार को जो आर्थिक हानि हुई, उसमें तथा पेंशन मे की गई कमी की राशि में कोई सम्बन्ध नहीं माना जा सकता ऐसा करना गलत है। परन्तु जिस समय यह हानि हुई, उस अवधि को असंतोषजनक माना जावेगा और उसी के अनुसार पूरे सेवाकाल को ध्यान मे रखकर यह कटौती की जावेगी।[62] यह कटौती स्थाई यानी हमेशा के लिए होगी किसी एक वर्ष भर के लिये नही।[63] इस नियम का साधारण पेन्शन को नाम मात्र राशि या कुछ नहीं की स्थिति तक कटौती करने में प्रयोग नहीं किया जावेगा।[64] यह कटौती एक दण्ड के रूप मे है, अतः इसके लिए नियम १६ में दिये गये तरीके से जांच पूरी करने के बाद प्रभावित कर्मचारी को कारण बताने का नोटिस दिया जाने के बाद ही आज्ञा दी जावेगी।

सेवा के बदले में नियमानुसार कर्मचारी पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद ३१ के अर्थ में "सम्पत्ति" का अधिकार होगा। अतः यदि अन्यायपूर्ण तरीके से पेंशन में कटौती की जाती है, तो अनुच्छेद ३१ का भंग होने से अनुच्छेद २२६ के अधीन संरक्षण प्राप्त होगा।[65] किन्तु देय पेन्शन मे कमी करना एक कर्मचारी की पदावनति नही है। अतः अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होगा। पदावनति केवल उसी मामले में लागू होती है, जबकि किसी कर्मचारी को पदावनति के बाद सेवा करनी हो। इसका पेंशन मे कमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।[66] यदि आरोप सिद्ध हो जावे, तो पेंशन मे कमी की सजा दी जा सकती है।[67] देय से कम पेंशन दी जाने पर व्यवहार न्यायालय (Civil court) मे वाद (Suit) पेश किया जा सकता है।[68] किन्तु मद्रास उच्च न्यायालय ने इसको नही माना है।[69] अनु० ३०२ (सेवा नियम २४८ R.S.R. के समकक्ष) के अधीन पेंशन मे कटौती के लिये एक कर्मचारी के पूरे कार्यकाल का सर्वेक्षण करके ही यह निर्णय सम्भव होगा कि उसका कार्यालय 'पूर्णतः संतोषजनक' (Thorou_hly Satisfactory) रहा या नहीं। यदि इसके लिए मस्तिष्क नहीं लगाया गया, तो उक्त प्रावधान को सही स्वीकार नही किया जा सकता।[70]

---

59. RSR 248 Note 2
60. RSR 248 Note 3
61. RSR 248 Note 4 [a]
62. RSR 248 Note 4 [b]
63. RSR 248 Note 4 [c]
64. RSR 248 Note 5
65. भगवानसिंह बनाम भारत संघ AIR 1962 Punjab 503
66. एम. नरसिंहाचर बनाम मैसूर राज्य AIR 1960 S.C. 247. पी.सी. माधवन बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य AIR 1957 S C. 236
67. AIR 1957 Madras 612
68. गुरदीपसिंह बनाम भारत संघ AIR 1962 Punjab 8
69. एम. सज्जनम बनाम मद्रास राज्य AIR 1963 Madras 49
70. एस. सुब्बाराव बनाम मैसूर राज्य AIR 1964 Mysore 221

(५) अनिवार्य सेवा निवृत्ति

(Compulsory Retirement)

तालिका

(१) अर्थ व परिचय—

"अनिवार्य सेवा निवृत्ति" शब्द विवादास्पद रहा है। सेवा नियमों में विभिन्न राज्यों में इस शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। राजस्थान सेवा नियमों (R.S.R.) के अनुसार सेवा निवृत्ति दो प्रकार की है—

(१) ऐच्छिक (optional)—नियम २४४( )

(२) अनिवार्य (compulsory)—नियम ५६ व २४४ (२)

इसी प्रकार राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमों में भी इसके दो रूप सामने आते हैं—

(१) अनिवार्य सेवा निवृत्ति—एक दण्ड के रूप में, नियम १४ (५) के अन्तर्गत;

(२) अनिवार्य सेवा निवृत्ति, जो इसका अपवाद है यानी दण्ड नहीं है—इस नियम के स्पष्टीकरण (१)(iv) के अन्तर्गत, जो राजस्थान सेवा नियम २४४(२) के अधीन होने से दण्ड नहीं है।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति यदि दण्ड के रूप में की गई हो, तो यह एक प्रकार से सेवाच्युति (Removal) के समान है; जिसमे अर्जित लाभ यानी पेंशन की हानि नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि—"अनिवार्य सेवा निवृत्ति" की आज्ञा निष्कासन व सेवाच्युति दोनों से भिन्न है, क्योंकि यह कोई दण्ड का रूप नहीं है और इसका कोई दण्डात्मक परिणाम नहीं है और सेवा निवृत्त व्यक्ति अपने सेवाकाल के आधार पर सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) प्राप्त करने का अधिकारी है।[1] अत: इससे संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित नहीं होता।

इसी मत को पंजाब उच्च न्यायालय ने अपने 1963 के एक निर्णय[2] में माना है।

२. दो भेद:—

"अनिवार्य सेवा निवृत्ति" के इस प्रकार दो भेद हमारे सामने आते हैं:—

(१) प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में, जो राजस्थान सेवा नियम ५६ व २४४ के अन्तर्गत हैं।

---

1. बम्बई राज्य बनाम सौभागचन्द्र (दोषी काण्ड)
AIR 1957 S. C. 892;
श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश
AIR 1954 S. C. 369;
1957—1 Andhra W.R. 370;
ज्ञानमणि बनाम आन्ध्र प्रदेश (Unreport W.A. No. 69/1956.
AIR 1956 Punjab 42; 1956-2 Madr L. J. 352.
2. पंजाब राज्य बनाम रामप्रसाद
AIR 1963 Punjab 345.

(२) दण्ड के रूप में, जो इन नियमो के नियम १४(५) व राजस्थान सेवा नियम १७२(क) के अन्तर्गत है। हम आगे इन दोनो का विवेचन करेंगे।

३. प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में—अनिवार्य सेवा निवृत्ति दण्ड नहीं

विभिन्न नियमो मे प्रशासनिक कार्यवाही के रूप मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति के चार रूप हैं.—

(१) अधिवार्षिकी (Superannuation) या सेवा निवृत्ति (Retirement) के नियमो के अधीन निश्चित आयु (५५ वर्ष) पूरी कर लेने पर की गई सेवा निवृत्ति राजस्थान सेवा नियम ५६ के अधीन है। यह दण्ड नही है।[3]

(२) ३० वर्ष तक योग्य-सेवा (Qualifying Service), जैसा कि—राजस्थान सेवा नियम अध्याय (१८) के खड (१) मे नियम १७७ से १७९ तक बताया गया है; पूरी करने के बाद एक राज्य कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ३ माह का नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है।[4]

(३) २५ वर्ष तक योग्य सेवा पूरी करने के बाद किसी भी राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने का अधिकार सरकार ने नियमानुसार[5] अपने पास सुरक्षित रखा है, यह भी दण्ड नही है।[6] इसके लिये तीन शर्तें हैं —(क) २५ वर्ष की योग्य सेवा पूरी होना; (ख) बिना कारण बताये जनहित मे उचित समझने पर, और (ग) तीन माह का नोटिस देकर। नोटिस के लिये स्वीकृत प्रपत्र स० १ से ४ हैं, ताकि नोटिस मे एक रूपता रहे व कानूनी दोष न आसके।[7] इसके लिये "जनहित" की कही परिभाषा नही की गई है, किन्तु इस नियम मे दिये अधिकार का अभिप्राय यही है कि—केवल वह राज्य कर्मचारी जिसकी दक्षता समाप्त प्रायः होगई है; परन्तु उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से अदक्षता या दक्ष नही रहने का आरोप लगाना वाछनीय नही है और उसकी अदक्षता निवृत्ति-भत्ता(compassionate-allowance) देकर हटाने की स्थिति योग्य नही है। ऐसी परिस्थिति मे उसे व्यक्तिगत कारणों से सेवामे बनाये रखना उचित नही माना जाता, न कि आर्थिक कारणो से।[8] इस नियम के अधीन की गयी सेवा निवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११(२) को आकर्षित नही करती, क्योंकि इसे एक दण्ड नही माना जाकर सरकार द्वारा सुरक्षित अधिकार के अधीन निश्चित सेवाकाल की पूर्ति के बाद ही किया जाता है। ऐसी स्थिति मे इन नियमो मे प्रदत्त प्रक्रिया[9] के पालन की भी कोई आवश्यकता नहीं है।[10] यह नियम आशिक भविष्यनिधि योजना के

3 नियम १४ की टिप्पणी १ (४) व राजस्थान सेवा नियम ५६;
श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1954 All 235
हरेन्द्रनाथ बनाम प० बगाल राज्य AIR 1958 Cal 411
केशवराव बनाम निदेशक डाक तार AIR 1958 A P. 697.

4. R.S.R—244 [1]

5. R.S R —244 [2] with notes there under

6. C C.A. Rules-Rule 14 Explanation 1 [iv]

7. विज्ञप्ति स० एफ १ (१६) नियुक्ति (क-२)।६३ दिनांक २४-१-६४

8. R S R 244—Note [1]

9 C C A Rules 16.

10. R S R.-244-Note [2]; AIR 1957 S C. 892, AIR 1954 S C 369, ILR 1962 Raj 69; ILR [1961] 11 Raj 371, AIR 1960 S C. 1305, 1958 S C. 36.

सदस्य राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होता है और इस दशा में 'योग्य सेवा' से तात्पर्य जिस दिन से वह कर्मचारी अंशिक भविष्यनिधि में कटौती की रकम देने लगता है, उस दिन से गिनी गई २५ वर्ष की सेवा से होगा।[11] इस प्रकार की सेवा निवृत्ति का निर्णय निम्न प्राधिकारी लेंगे[12] :—

(क) अधीनस्थ सेवा के लिये—विभागाध्यक्ष व सम्बन्धित सचिव संयुक्त रूप से निर्णय लेकर सम्बन्धि मंत्री से स्वीकृति लेंगे व अन्तिम आज्ञा विभागाध्यक्ष जारी करेंगे।

(ख) आरक्षी व मुख्य आरक्षी के लिए महानिरीक्षक आरक्षी निर्णय लेंगे व गृह-सचिव की स्वीकृति लेकर अंतिम आज्ञा जारी करेंगे।

(ग) अनुसचिवीय (लिपिक वर्ग) के लिए नियुक्ति प्राधिकारी प्रस्ताव करेंगे व विभागाध्यक्ष सम्बन्धित प्रभारी मंत्री से स्वीकृति लेंगे, बाद में अंतिम आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी जारी करेंगे।

इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अधिकार सरकार ने विज्ञप्ति सं. एफ १ (८४) वि. वि. क / (नियम).६२ दि. १३-१२-६३ व एफ १ (१६) (नियुक्ति) (क-२)।६३ दि. २९-६-१९६२ में किये हैं।

(४) २५ वर्ष की योग्य-सेवा पूर्ति के पूर्व यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा योग्य नहीं है और चिकित्साधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि—उक्त कर्मचारी राज्यसेवा के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से स्थाई रूप से अशक्त (incapacitated) हो गया है या किसी विशेष प्रकार की शाखा में सेवा करने मे असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में उसे अशक्तता-सेवानिवृत्ति वेतन(Invalid pension) देकर सेवा निवृत किया जा सकता है।[13] ऐसी सेवा निवृति के लिये स्वयं कर्मचारी भी आवेदन कर सकता है—या—सरकार स्वयं ऐसी कार्यवाही करसकती है। क्योंकि यह कार्यवाही दोनों पक्षों की सहमति से होती है, अतः दण्ड नहीं है। यदि कर्मचारी सहमत न भी हो, तो भी उसे निवृत्त किया जाना दण्ड नहीं है। इसके लिये राजस्थान सेवानियम अध्याय (२०) के खण्ड (३) में नियम २२८ से २३६ तक वर्णन किया गया है।

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

राजस्थान सेवा नियम २४४ (२) के अधीन सेवा निवृत्ति इस नियम (नियम १४) के अधीन दण्ड नहीं माना गया है। अतः नियम १६ से चाही गई जांच की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार की अनिवार्य सेवा निवृति संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) को आकर्षित नहीं

11. R.S.R.-244-Note [3]

12. नियुक्ति (२-क) विभाग की विज्ञप्ति सं० एफ १ (१६) नियुक्ति (२-क)।६३ दि. २४-८-६६ व समसंख्या दि. ३-५-३७ के अधीन प्रदत्त।

13. R.SR.—228

करती।[14] राजस्थान सेवा नियम २४४ (२) में राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद के अंतर्गत कार्यालय का पदभार धारण करने का सिद्धान्त कुछ अंश तक प्रतीत होता है। इस नियम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि-यह संपूर्ण-अधिकार प्रार्थी (सर्कल इन्सपेक्टर पुलिस) के मामले में केवल सरकार में निहित है। इस अधिकार का प्रयोग जनहित की मांग का निर्णय करना सरकार का उत्तरदायित्व है, जो उसके विवेक के अधीन है।[15] इस मामले में निर्णय कार्य प्रणाली-नियम ३१ (७) के अधीन मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समक्ष प्रस्ताव पेश कर उनकी स्वीकृति के बाद ही लिया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी अन्य उच्चाधिकारी द्वारा नहीं लिया जा सकता। अपीलार्थी के कागजात मुख्यमंत्री के बाद आगे राज्यपाल के समक्ष पेश नहीं हुए। अतः कानून में यह आदेश बुरा होने से निरस्त किया गया।[16] राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्य प्रणाली नियम ३१ (७) (क) के अधीन तीन प्रकार की अनिवार्य निवृत्ति के आदेशों के लिये राज्यपाल की स्वीकृति को आवश्यक माना है. परन्तु सर्वोच्च न्यायालय[17] ने इनकी अपील के निर्णय में इसे नहीं मानते हुये बताया कि-उक्त नियम ३१ (७) (क) में केवल दण्ड के रूप में की गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति का ही प्रसंग है, न कि अन्य दो प्रकार की अनिवार्य सेवा निवृत्तियों का भी-यानी-(क) अधिवार्षिकी आयु की प्राप्ति पर और (ख) रा०सें० नियम २४४ (२) के अधीन दी गई सेवा निवृत्तियों के लिए राज्यपाल के आदेश होने का नियम लागू नहीं होता।[17] किसी कर्मचारी को सेवा में रखना जनहित में उचित है या-नहीं, इस तथ्य के ज्ञान के लिये की गई जांच सरकार के आन्तरिक संतोष के लिये है, चाहे इसमें अदक्षता आदि जैसे आरोप भी क्यों न हों और वे सिद्ध भी हुए हों, तो भी इससे किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता और यह अनुच्छेद ३११ (२) के क्षेत्र में नहीं आता।[18]

एक मामले में प्रार्थी के विरुद्ध दिए गये अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश में आरोप या दोषारोपण का कोई तत्व नहीं था। यह आदेश इस आधार पर था कि—(१) २५ वर्ष की सेवा पूरी करली है, व (२) जनहित में प्रार्थी की सेवा में आगे रखना उचित नहीं है, क्योंकि उसका आचरण सेवा के दौहरान स्तर का नहीं था। यह आदेश निष्कासन के आदेश से आवृत नहीं होता और अनुच्छेद ३११ (२) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते।[19] अनिवार्य सेवा निवृत्ति से प्रार्थी के वेतन या भत्तों और उस द्वारा अर्जितलाभों का हनन नहीं होता। ऐसी अनिवार्य सेवा निवृत्ति दण्ड नहीं

---

14. कपूरचन्द बनाम राजस्थान राज्य I.L.R. 1962 Raj. 69
श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1954 S C. 369.
गंगाराम बनाम राजस्थान I.L.R. [1961] 11 Raj 37;
बम्बई राज्य बनाम सौभाग चन्द दोषी AIR 1957 S C. 892.
पुरुषोत्तमलाल धींगरा बनाम भारत संघ AIR 1958 S.C. 36.
दलीपसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1960 S C. 1305.
15. श्रीपाल जैन बनाम आई. जी. पी. राजस्थान ILR 1961. Raj. 536.
16. श्रीपाल जैन बनाम आई जी पी. राजस्थान ILR 1961 Raj. 536 (1961 RLW 182)
17. राजस्थान राज्य बनाम श्रीपाल जैन AIR 1963 S. C. 1323.
18. शकरदत्त तिवाड़ी बनाम मध्य प्रदेश AIR 1956 Nagpur 162;
रामाधारसिंह बनाम बिहार राज्य AIR 1954 Patna 187.
19. के आर. जोशी बनाम बम्बई राज्य AIR 1958 Bom. 90;
मीर खुरशीद अली मीर अशरफ अली बनाम आई. जी. पी. भोपाल AIR 1960 M. P. 117;
रामकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1954 All. 343.
मुइनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश शासन 1966 All. 484.

है और न संविधान के अनुच्छेद ३११ के अर्थ में निष्कासन या सेवाच्युति ही है।[20] एक राज्यकर्मचारी की आयु ५५ वर्ष की पूरी होने के प्रमाण में हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये।[21] जिस आयु पर एक कर्मचारी सेवा निवृत होता है, उसका निश्चित होना सेवा की एक शर्त है और उस अवधि तक सेवा में रहना उसका अधिकार है, बशर्ते कि अदक्षता या जनहित के कारण उसे निवृत नहीं कर दिया जावे।[22]

राजस्थान सरकार ने एक आज्ञा जारी की कि—दिनांक १-५-४६ को जो कर्मचारी ५५ वर्ष के हो गये या जिनकी योग्य सेवा ३० वर्ष की हो चुकी है, वे सब सेवानिवृत्त हो जायेंगे। प्रार्थी ने ३० वर्ष सेवा की, उसे भी निवृत्त कर दिया गया। बिना नोटिस दिये प्रार्थी को ५५ वर्ष की आयु तक नहीं हटाया जाना चाहिये था। इस प्रश्न पर राजस्थान उच्च न्यायालय[23] ने इसे स्वीकार नहीं किया और निर्णय दिया कि ५५ वर्ष की आयु तक सेवा में रहने का उसे कोई अधिकार नही है और इस नये नियम में कोई भेदभाव नही बरता गया है। अतः अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन प्रार्थी को नोटिस दिया जाना आवश्यक नही था। ऐसा ही मध्यभारत व इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के भी निर्णय हैं।[24] यदि कोई राज्यकर्मचारी ५५ वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्ति का आवेदन करे, तो उसे बाद में शिकायत का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने ३१ वर्ष तक योग्य सेवा पूरी की और सेवा निवृत्ति के लिए जोर दिया और निवृत्ति पूर्व के अवकाश पर ११ माह २५ दिन के लिये चला गया। अवकाश पूरा होने के १० दिन पहले उसने विचार बदला और पुनः सेवा पर आना चाहा। सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस मामले में अन्त मे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि समस्त परिस्थिति प्रार्थी की स्वय के द्वारा चाही गई और उत्पन्न की गई थी। उसे सेवानिवृत्ति करने के लिए किसी ने नहीं चाहा। अतः वह न्यायालय से सहायता नही ले सकता।[25] धावन राज्य के कानून सं० २००४ धारा सं० २६ के अधीन वहां के शासक (राजा) के कर्तव्य विलय के समय सौराष्ट्र राज्य को सौंप दिये गये। अतः सौराष्ट्र राज्य किसी राज्य कर्मचारी को उन पर लागू पुराने नियमों के अधीन ६० वर्ष की आयु पूरी करने से पहले सेवा निवृत नही कर सकता।[26]

जहां प्रार्थी ने निष्कासन के दण्ड से बचने के लिए आनुपातिक निवृत्ति-वेतन पर निवृत होना स्वीकार कर लिया; तो वहां किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी। उसने स्वयं ने कम दण्ड

20. आर. पी. अग्रवाल बनाम बिहार राज्य
AIR 1962 Patna 40.
आसाम राज्य बनाम हरनाथ बरुआ
AIR 1957 Assam 77;
गोपालमल बनाम राज्य
1965 RLW 44;
कपूरचन्द बनाम राज्य
ILR 1962 Raj; 69.
गंगाराम पुरोहित बनाम राज्य
ILR 1961 Raj. 371;

21. बद्रीप्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश
AIR 1957 All. 124;
जैनुद्दीन बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य
AIR 1954 T. C. 32;
श्यामजीनारायण जी बनाम उत्तर प्रदेश शासन
AIR 1954 Nagpur 161

22. पदमनाभाचार्य बनाम मैसूर राज्य
AIR 1962 Mysore 510;
नित्मोचिन्दरसिंह बनाम पेप्सू राज्य
AIR 1956 Pepsu 65.

23. केवलमल सिंघवी बनाम हेतराम
LIR 1951 Raj 405;
गंगाराम पुरोहित बनाम राजस्थान राज्य
ILR 1961 Raj. 371,
रामावतार पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
AIR 1962 All: 328,
मुंशीराम बनाम मध्य भारत राज्य
AIR 1954 M. B. 54.
जयराम-बनाम-भारत संघ
AIR 1954 S. C. 585.

26. भोलानाथ जे० ठाकेर बनाम सौराष्ट्र राज्य
AIR 1954 S.C. 683

को स्वीकार किया है और अपनी आखें खोलकर उसके परिणाम को जानते हुए ऐसा किया है। अत. कोई सहायता नही दी जा सकती।[27] प्रार्थी को निरीक्षक का मूलपद दिया जा रहा था, परन्तु उसने स्वीकार नही किया। बाद में छंटनी की नीति के कारण उसे आनुपातिक निवृत्ति-वेतन पर सेवा निवृत्ति कर दिया गया। इसे साधारण रूप से हुई निवृत्ति मानी गई, सेवाच्युति नहीं।[28]

४. अनिवार्य सेवा निवृति एक दण्ड के रूप में

प्राचीन नियमो मे, जो १९५० में बने थे, सेवाच्युति (Removal) के अन्तर्गत ही अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी सम्मिलित थी और इन दोनो मे कोई अन्तर नहीं था।† परन्तु प्रश्न यह था कि क्या सभी प्रकार की अनिवार्य सेवा निवृत्ति, जो आधिवार्षिकी आयु के पहले की जावे, एक दण्ड है? सन् १९५४ मे सर्वोच्च न्यायालय ने श्यामलाल बनाम उत्तरप्रदेश शासन[29] मे जो निर्णय दिया, उस समय केन्द्रीय सेवा (व०नि०अ०) नियमों मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड के रूप मे कोई प्रावधान नही था। अत इसे दण्ड नही माना गया परन्तु दोषारोपण होने पर इसे दण्ड माना जावेगा।[31] ऐसी परिस्थिति मे नये केन्द्रीय नियम १९५७ मे बनाये गये, तो उसमे स्पष्ट रूप से इसे एक दण्ड घोषित किया गया और अपवाद स्वरूप एक टिप्पणी जोडी गई। इसी आधार पर १९५८ में वर्तमान नियम राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा बनाये गये। अब "अनिवार्य सेवा निवृति" एक दण्ड भी हैं।*

(क) दण्ड का माप दण्ड—(Test or measure of punishment)

अनिवार्य सेवा निवृत्ति एक दण्ड है या नही? इस प्रश्न की जांच के लिये कई निर्णय विभिन्न न्यायालयो द्वारा आज तक दिये गये हैं। सुप्रसिद्ध धीगरा काण्ड[31] मे दो मापदण्ड बताये गये थे—(१) किसी स्थाई पद पर वैध अधिकार होना या (२) आज्ञा का दुष्परिणाम होना। आगे चलकर दलिपसिंह काण्ड[32] मे दो मापदण्ड इस प्रकार बताये गये—(१) क्या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का कारण कोई आरोप था? और (२) क्या निष्कासन या सेवाच्युति की तरह अर्जित लाभ (पेंशन आदि) की हानि हुई है। इस प्रकार ये मापदण्ड लागू करने पर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि—कोई अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आज्ञा दण्ड है या नही? इसके केवल दो अपवाद वैध हो सकते हैं —

(१) आधिवार्षिकी आयु पर (नियम ५६ के अनुसार) पहुचने पर की गई सेवा निवृत्ति[33]। और

(२) यदि सेवा नियमो मे कुछ निश्चित अवधि तक योग्य सेवा (२५ वर्ष, नियम २४४) के बाद सेवा निवृत्ति का प्रावधान रखा गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने

---

27 आसाम राज्य बनाम हरनाथ बरुआ AIR 1957 Assam 77

28 शिवनाथसिंह बनाम राज्य AIR 1958 M B 40

29 AIR 1954 S C 369

30 AIR 1956 Bom 455 AIR 1958 S C 36

31 AIR 1958 S C 36

32 AIR 1960 S C 1305 AIR 1958 M B 13[illegible]

33 AIR 1954 All 235 AIR 1958 Cal 411 AIR 1958 A P 697

†राजस्थान असैनिक सेवायें (व०नि०अ०) नियम १९५०—नियम १५ (६)

*राजस्थान असैनिक सेवायें (व०नि०अ०) नियम १९५८—नियम १४ (५) टिप्पणी (१) (vi)

अपने बहुत से निर्णयों[34] में ऐसा निर्णय लिया है और राजस्थान उच्च न्यायालय[35] ने इसे एक स्थापित–कानून (Settled Law) मान लिया है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्तिम निर्णय[36] में यह स्पष्ट कर दिया है कि—अब इस प्रश्न को वापस नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि यह इसी न्यायालय के अनेकों निर्णयों द्वारा स्थापित हो चुका है।[34]

(ख) दण्डाधिकारी व जांच का तरीका—

क्योंकि इसे एक असाधारण दण्ड माना गया है; अतः इसे केवल राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अनुशासनिक प्राधिकारी ही प्रदान कर सकता है, जिसे निष्कासन या सेवाच्युति के अधिकार भी प्रदत्त हों।

इस दण्ड के देने से पहले नियम १६ में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार विभागीय जांच करनी होगी और दण्ड देने से पूर्व अनुच्छेद ३११(२) के अधीन दोषी कर्मचारी को नोटिस भी देना होगा।

(ग) दण्ड की परिस्थितियां व सेवा निवृत्ति वेतन का निर्णय—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दण्ड को राजस्थान सेवा नियम १७२ क के द्वारा§ स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है—

> १७२ क—अनिवार्य सेवा निवृत्ति, दण्ड के रूप में—ऐसा दण्ड देने के लिये सक्षम प्राधिकारी अनिवार्य सेवा निवृत्ति किये गये एक अधिकारी को सेवा निवृत्ति वेतन स्वीकृत कर सकेगा, जिसकी दर दो-तिहाई से कम नहीं होगी और पूरी अशक्तता निवृत्ति वेतन से अधिक नहीं होगी; जो कि उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दिन से प्राह्य हो।

यह दण्ड देने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए उपरोक्त नियम के साथ राज्य सरकार ने एक निर्णय * लिया है कि किन्हीं परिस्थितियों में जब किसी कर्मचारी को सेवा में बनाये रखना वांछनीय नहीं समझा जावे और उसे निष्कासित या सेवा मुक्त करना भी निवृत्ति वेतन नहीं मिलने के कारण अधिक कठोर समझा जावे; तो उसे यह दण्ड देने के लिए ही इसको लागू किया गया है। इसकी भावना यह है कि—ऐसे सेवा निवृत्त व्यक्ति को पूरी अशक्तता–निवृत्ति वेतन† (Invalid Pension) और मृत्यु-एवं-निवृत्ति वृत्ति (death-cum-retirement gratuity) जो निवृत्त होने के दिन प्राह्य हो, **साधारणतया** स्वीकार की जा सके। परन्तु जहां किसी मामले में परिस्थितियां विपरीत हों, तो सक्षम प्राधिकारी जो दण्ड देता है वह निवृत्ति के लाभों में ऊपर बताये अनुसार जितनी उचित समझे कटौती कर सकता है। यह कमी या कटौती सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन)

---

34. AIR 1958 S.C. 36; AIR 1962 S.C. 1711; AIR 1954 S C 369, AIR 1960 S.C. 1305; 1954 S C. 585, AIR 1964 S.C. 1585; 1957 S.C. 892; 1958 S.C. 232; 1963 S.C. 1160; 1963 S. C. 1323, 1964 S.C. 72

35. ईश्वरी प्रसाद बनाम राज्य AIR 1965 Raj 147

36. टी० जी० शिवचन्द बनाम मैसूर AIR 1965 S. C. 280.

§ राजस्थान सेवा नियम १७२ क, विज्ञप्ति सं० 8152/एफ–7 क/(नियम)/57 दिनांक १५ फरवरी १९५८ द्वारा निविष्ट।

* Hand book on Disciplinary proceedings (Govt. of Raj.)—Page 12, Para 17 (ii)

† विज्ञप्ति सं० १५३/५९/एफ०7/A(4) F.D.A. Rules/58 दि० ३०-४-५९ के अधीन।

या निवृत्ति-वृत्ति (ग्रेच्युटी) या दोनों मे की जा सकती है। यदि इस प्रकार सेवा निवृत्त किया गया व्यक्ति निवृत्ति से ५ वर्ष मे ही मर जाता है और जिस निवृत्ति वेतन स्वीकार किया गया था; तो उसका परिवार पारिवारिक निवृत्ति वेतन (पेंशन) पाने का अधिकारी होगा। परन्तु यह राशि वास्तव में स्वीकृत की गई निवृत्ति वेतन की राशि से आधी होगा, पर १५० रु० प्रति माह से अधिक नही होगी। उसकी अवशेष वृत्ति (Residuary death gratuity) में कोई कटौती नही की जावेगी। जो प्राधिकारी निष्कासन व सेवामुक्ति का दण्ड देने के लिये सक्षम हैं, वही अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड भी दे सकेगा। इस प्रकार से दण्डित कर्मचारी को नियमानुसार निवृत्त होने से पूर्व अर्जित अवकाश दिया जावेगा।

(घ) महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति को निम्न परिस्थितियो मे दण्ड माना गया है व आज्ञाओं की वैधता को चुनौती दी गई है:—

एक कैशियर को २५ वर्ष की योग्य-सेवा पूरी करने पर जिलाधीश ने अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया। यह कहा गया कि—जिलाधीश को ऐसा अधिकार नही था। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि—राज्यपाल ने राजस्थान सेवा नियम २४४ (२) के अधीन मामलों मे अपने अधिकार यदि विशिष्ट रूप से किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नही किये हैं, तो किसी दूसरे को उनका प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। और क्योंकि ऐसी निवृत्ति अवैध है, इसे पूर्वकालिक-प्रभाव से शक्ति का प्रत्यायोजन कर वैध नही किया जा सकता।[37] यद्यपि अपील के दोहरान सरकार ने असक्षम प्राधिकारी की आज्ञा को भी स्वीकार (upheld) किया है, परन्तु इससे वह आज्ञा सक्षम नही हो जाती।[38]

२५ वर्ष की योग्य सेवा पूरी होने के पहले यदि बिना शारीरिक या मानसिक अशक्तता या अक्षमता (disibility) के अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आज्ञा दे दी गई, तो संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित होता है और उसकी शर्तों का पालन किये बिना दी गई आज्ञा अवैध करार दी गई।[39] किन्तु आंध्र उच्च न्यायालय ने इस मत को नही माना है।[40]

जहां अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कोई आयु नियमो मे निश्चित नही की गई हो या यदि ऐसा नियम हो और उसमे निश्चित आयु से पहले किसी राज्य कर्मचारी को निवृत्त कर दिया गया हो; तो यह केवल निष्कासन या सेवाच्युति माना जावेगा।[41] 'अपरिपक्व सेवा निवृत्ति" (Premature Retirement) निश्चयरूप से एक दण्ड का रूप है और कश्मीर असैनिक सेवा नियम ३० की दृष्टि मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति मे आता है। अतः नियमानुसार ठीक व पर्याप्त कारणों के बिना किसी राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता।[42] एक राज्य कर्मचारी योग्य

37. कपूरचन्द बनाम राजस्थान राज्य, ILR 1962 Raj. 69; ILR (1955) 5 Raj. 214 and AIR 1953 S.C. 95
38. AIR 1942 F.C. 3; ILR 1962 Raj. 69
39. गगाराम बनाम राजस्थान राज्य ILR 1961 Raj. 371

* R. S. R. 228

40. आन्ध्र सरकार बनाम मो० मोहिनुद्दीन AIR 1964 A P. 206
41. बम्बई बनाम सी. म. दोषी AIR 1957 S C. 892
42. हरिचन्द रैना बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1958 J & K 60

सेवा के निश्चित वर्षों को पूरा करने के बाद आनुपातिक निवृत्ति वेतन प्राप्त करने के लिये अधिकृत हो जाता है । यदि इससे पहले अदक्षता के कारण अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कार्यवाही की गई, तो यह दण्ड है ।[43] जहां एक ओर राज्य किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जहाँ एक नियम बनाकर वह आधिवार्षिकी आयु निश्चित करता है और दूसरा नियम १० वर्ष की सेवा के अन्त में किसी स्थायी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का जोड़ता है, तो इसे अनुच्छेद ३११(२) से बाहर नहीं माना जा सकता और ऐसे नियम के अधीन किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति, चाहे उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति कहा गया हो, वास्तव में संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अधीन सेवाच्युति है ।[44] सरकार ने एक ओर नियमानुसार एक आज्ञा जारी करके एक कर्मचारी की सेवायें ११ माह २० दिन के लिये बढ़ा दी । इसके १५ दिन बाद उस आज्ञा को वापस ले लिया और प्रार्थी को तदानुसार पद से मुक्त कर दिया । बिना प्रार्थी का स्पष्टीकरण लिये दिया गया उक्त आदेश दण्डात्मक होने से गलत माना गया ।[45] कोई आदेश सेवाच्युति है या नहीं—इसका एक मापदण्ड यह माना गया है कि—यह कोई कलंक (Stigma) लाता है या नहीं । यदि कलक है, तो यह अनुच्छेद ३११(२) के अर्थ में सेवाच्युति है । आज्ञा का उद्देश्य कलंक लगाना नहीं था यह कुछ नहीं माना जा सकता, परन्तु कलंक है या नहीं; यही आवश्यक है । ऐसी कार्यवाही के लिये सेवा में कलक पर जोर नहीं देना चाहिये । इस आज्ञा में जहां प्रार्थी को कुछ दोषों के लिये उत्तरदायी मानकर उससे कुछ राशि वसूल करने का निर्देश है और फिर यह कहा गया है कि—जनहित में उसको सेवा मे रखना उचित नहीं समझा गया । इस पर निर्णय दिया गया कि—यह आज्ञा दण्ड के रूप में दी गई है ।[46]

(६) सेवाच्युति व (७) निष्कासन
(Removal & Dismissal)

तालिका

१. महत्व व अर्थ
२. दोनों में अन्तर
३. दण्ड का मापदण्ड व संवैधानिक-संरक्षण
४. पूर्वकालिक प्रभाव में—
५. अपवाद : प्रशासनिक पर्यावसान-दण्ड नहीं
 (क) परिवीक्षाधीन
 (ख) अस्थाई कर्मचारी
 (ग) संविदा पर
 (घ) एकीकरण के दौहरान
६. सक्षम प्राधिकारी
७. अवकाश नहीं
८. दण्डों का प्रभाव
९. पुनःस्थापन व उसका प्रभाव

(१) महत्व व अर्थ—

किसी कर्मचारी के लिये उसकी "**सेवा की समाप्ति**" सबसे बडा दण्ड है और कलंक का कारण भी । इन दोनों शब्दों मे बहुत समीपता व समानता होने से इनका प्रयोग कई बार सांय-

43. AIR 1960 MP 117
44. डी. एल. धर व अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य
AIR 1964 J & K 92;
गुरुदेवसिंह सिधु बनाम पंजाब राज्य
AIR 1964 S.C. 1585
45. के. श्य मराव बनाम मैसूर राज्य
AIR 1963 Mysore 208
46. कपरचन्द बनाम राजस्थान राज्य
AIR 1962 Raj. 258;
AIR 1958 S.C. 1905 and
AIR 1958 S.C. 36
I. L. R. (1962) 12 Raj. 69
RLW (1962) 506

साथ या पर्यायवाची के रूप मे किया जाता है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) मे इनका प्रयोग हुआ है, किन्तु इनका कही भी अर्थ स्पष्ट नही किया गया। सभव है या तो सविधान के निर्माता ऐसा करना भूल गये, या उन्होने यही समझा होगा कि—ये शब्द सुप्रसिद्ध हैं और इनका प्रयोग असाधारण-दण्डो के रूप मे ही किया जाता है। इनके पर्यायवाची रूप मे अंग्रेजी मे "Termination" शब्द का भी प्रयोग होता है। कई बार शब्द समूह "discharged from service" या "Dispensed with the service" का प्रयोग भी इनके अर्थ मे होता है। हिन्दी मे भी इसी प्रकार **सेवामुक्त, सेवाच्युति, सेवा से निष्कासन, सेवावनत, सेवा से हटाना**—आदि का प्रयोग इस अर्थ मे किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सुप्रसिद्ध निर्णय[1] मे इन शब्दो की व्याख्या इस प्रकार की है—

"अनुच्छेद ३११ दो सुप्रसिद्ध शब्दो—निष्कासन (dismissed) और सेवाच्युति (removed) का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से या आवश्यक परिणाम रूप से यह नही बताता कि—राज्य कर्मचारी का निष्कासन या सेवाच्युति किस कोटि का है। क्योंकि यह अनुच्छेद राज्य कर्मचारी को सरक्षण या बचाव प्रदान करता है जिसे अन्यथा सरकार की दया पर निर्भर रहना पडता, अत इन शब्दो को साधारणतया उदार या किसी मूल पर उनका प्राकृतिक अर्थ लगाना चाहिये। सविधान मे कही ऐसा सकेत नही है, जो न्यायालय को इस सरक्षण के क्षेत्र मे कमी करने को बाध्य करता हो। शब्द 'Dismiss' का शब्द कोष मे अर्थ है—'to let go; to relieve from duty" अर्थात्—जाने देना, कार्य से मुक्त करना। शब्द 'Remove' का अर्थ है—"to discharge, to get rid off, to dismiss" अर्थात्—मुक्त करना, पिंड छुडाना आदि। इस प्रकार अपने साधारण अर्थ मे इन शब्दो का अर्थ किसी व्यक्ति के कार्यालय से पर्यवसान (termination) से कुछ भी अधिक या कम नही है। किसी को उसके कार्यालय से निष्कासित या सेवाच्युत करने का प्रभाव उसे उस कार्यालय से मुक्त करने से है। इस अर्थ में, ये शब्द राज्य कर्मचारी के सब प्रकार के सेवा से पर्यवसान को ध्वनित करते हैं। किन्तु प्रत्येक सेवा-पर्यवसान दण्ड नही हो सकता। कलकमय सेवा-पर्यवसान ही दण्ड माना गया है।

"अनुच्छेद ३११ मे प्रयोग किये गये शब्द "निष्कासन", "सेवाच्युति" और "पदावनति" ये सब तकनीकी शब्द हैं और इनका लोकप्रिय अर्थ मे प्रयोग करना स्वीकार्य नही है।[2] ये तीन प्रकार के असाधारण दण्डो को बताते हैं।[3]

इन शब्दो—सेवाच्युति, निष्कासन व पदावनति—को सम्बन्धित सेवा नियमो मे कई दण्डो के अर्थ मे प्रयोग किया गया है, जो अनुशासनहीनता या दुराचरण आदि के लिये रखे गये हैं; इन्हें उसी के अर्थ मे समझा जाना चाहिये और ये दुराचरण या अनुशासनहीनता पर ही आधारित होने चाहिये।[4] अनुच्छेद ३११ (२) मे प्रयुक्त 'सेवाच्युति' शब्द का प्रयोग किसी कर्मचारी के दोष के कारण से हुई सेवाच्युति के लिये किया गया है। यदि उसके आचरण से इसका कोई सम्बन्ध नही है,

1. मोतीराम बनाम उ० पू० सी० रेल्वे
AIR 1964 S C 600
2. विश्वनाथसिंह बनाम डी. टी. एस. उ० पू० रेल्वे
AIR 1956 Patna 221, AIR 1961 Cal 43
AIR 1958 Assam 181, AIR 1955 All 496
3. खेमचन्द बनाम भारत सघ
AIR 1958 S C 600
4. सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारत सघ
AIR 1953 S C 250

तो 'यथोचित अवसर' देने से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे साधारण शब्दों में ऐसा क्यों न कहा जावे कि—किसी कर्मचारी को सेवाच्युत कर दिया गया है।[5] अनुच्छेद ३११ में सेवाच्युति शब्द का प्रयोग इसके सेवा समाप्त करने के विशाल अर्थ में नहीं किया गया है, परन्तु इसके सीमित अर्थ में दण्ड के रूप मे सेवा समाप्ति के लिये किया गया है।[6]

इसमें कोई संदेह नहीं है कि—सेवाच्युति, निष्कासन के समान अर्थ में प्रयोग करते हुए; साधारणतया यह प्रकट करती है कि—किसी अधिकारी को किसी भी प्रकार से कलंकमय या अयोग्य माना गया है, या यों कहें कि—वह दुराचरण, या योग्यता या क्षमता या कार्य करने की इच्छा से विहीन होने का दोषी है। इस प्रकार सेवाच्युति की कार्यवाही जो इन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध की गई वह उसके कुछ व्यक्तिगत कारणों पर आधारित है व उचित है। ऐसे कारण उसके विरुद्ध कुछ दोष या आरोप लगाते हैं, जिनको वह आसानी से स्पष्ट कर सकता है या उत्तर द्वारा अभिलंडित (controverted) कर सकता है।[7] जहां सेवा नियमों (व० नि० अ०) के अधीन दण्ड देना चाहा गया हो, वहां सेवा के पर्यवसान (termination) का अर्थ निष्कासन या सेवाच्युति से ही हो सकता है।[8] दुर्व्यवहार के आरोप के आधार पर सेवाओं की समाप्ति करना निष्कासन है।[9] जब कि आज्ञा में उल्लेख है कि—किसी कर्मचारी को सेवामें रखना अवांछनीय पाया गया, तो यह स्पष्टरूप से उस कर्मचारी पर कलंक (stigma) है और यह निष्कासन की आज्ञा है, केवल कार्यमुक्ति (discharge) की नहीं।[10]

इस प्रकार कलंकमय आज्ञा से सेवा से हटाया जाना निष्कासन या पदच्युति है।

(२) दोनों में अन्तर—

इन नियमों में दण्ड (६) व (७) के रूप में इनका वर्णन करते हुये इनका अन्तर स्पष्ट किया गया है—

(६) सेवाच्युति (सेवा से हटाया जाना), जो कि पुनर्नियोजन के लिये अनर्हता (अयोग्यता) नहीं होगी;

(७) निष्कासन (पदच्युत किया जाना), जो कि सामान्यतः पुनर्नियोजन के लिये अनर्हता होगी।

संविधान में दोनो शब्द समान स्तर पर खड़े हैं, जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं, किन्तु सेवा सम्बन्धी नियमों में इनका अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है कि—सेवाच्युति निष्कासन से कुछ कम श्रेणी का दण्ड है।[11] जहां सेवाच्युति के बाद पुनः नौकरी करने पर रोक नहीं है, वहाँ निष्कासन के बाद उसे सदा के लिये सरकारी नौकरी से वंचित किया गया है। ये शब्द "सेवा से मुक्त कर दिया जाय"—निष्कासन के दण्ड के लिये प्रयुक्त हुये हैं, न कि सेवाच्युति के लिये।[12]

---

5. केवलराम बनाम हेतराम ILR 1951 Raj. 405
6. राजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश शासन AIR 1954 All. 343
7. श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1954 S.C. 369
8. परमिन्दरसिंह बनाम भारत संघ ILR 1962 Raj. 595
9. ज्योतिर्मोयी शर्मा बनाम भारत संघ AIR 1962 Cal. 349
10. जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ AIR 1964 S.C. 449
11. दयानिधिराथ बनाम बी. एस. महान्ते AIR 1955 Orissa 33
12. सुन्दरलाल चेचानी बनाम सम्पतलाल RLW 1963 P. 582

(३) दण्ड का मापदण्ड व संवैधानिक संरक्षण—

संविधान के अनुच्छेद ३११ के अर्थ मे किस प्रकार की सेवा-समाप्ति (Termination) दण्ड रूप में—यानी—सेवाच्युति या निष्कासन मानी जा सकती है, इसके लिये विभिन्न न्यायालयो ने कुछ मापदण्ड बताये हैं। सुप्रसिद्ध धींगरा काण्ड[13] मे दो मापदण्ड बताये गये हैं, जिनका हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, वे इस प्रकार है—

(१) किसी स्थायी पद पर वैध (कानूनी) अधिकार होना,[14]

(२) आज्ञा का दुष्परिणाम होना जिससे अर्जित लाभ की हानि होना।[15]

बाद के निर्णयों में एक और मापदण्ड हमारे सामने आया है—

(३) किसी आज्ञा से कर्मचारी पर कोई दोष या कलंक (stigma) लगाया गया हो।[16] यह भी एक प्रकार से दुष्परिणाम ही है।

इस प्रकार कुल तीन मापदण्ड हुये, इनमे से कोई एक भी यदि मौजूद है, तो वह आज्ञा दण्ड के रूप मे है और उसके लिये संविधान के अनुच्छेद ३११ मे दो प्रकार से संरक्षण दिया गया है—

(१) जिस प्राधिकारी ने किसी कर्मचारी को नियुक्त किया है केवल वही नियुक्ति प्राधिकारी या उसके समकक्ष श्रेणी (Co-ordinate in Rank) का प्राधिकारी उसे सेवाच्युत या निष्कासित कर सकता है, अन्य कोई नही।

(२) अपने बचाव के लिये उसे "यथोचित अवसर" दिया जावेगा।

इन दोनों शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इनकी अनुपालना नहीं करने पर आज्ञा अवैध व शून्य मानी जाती है।

(४) पूर्वकालिक प्रभाव से निष्कासन या सेवाच्युति—(Retrospective effect in order of removal or dismissal)

यह एक मान्य सिद्धान्त है कि—सक्षम प्राधिकारी निष्कासन या सेवाच्युति के दण्ड को उस अवधि के लिये प्रभावशील नहीं बना सकता, जबकि—कोई व्यक्ति सेवा में था या कानून की दृष्टि में सेवा मे माना गया था।[17] इस प्रकार वास्तव मे जब कार्य किया हो, उस समय को 'कार्य नही किया हुआ' नही माना जा सकता। पूर्वकालिक प्रभाव से किये गये निलम्बन, सेवाच्युति या निष्कासन की सभी न्यायालयो ने भर्त्सना की है और उन्हे अवैध माना है।[18] विचाराधीन आज्ञा दण्ड बन जाती है, क्योंकि इसे पूर्वकालिक प्रभाव से लागू किया गया है। अतः इसके पूर्वकालिक

13. AIR 1958 S.C. 36
14. AIR 1958 S.C. 36; AIR 1956 Punjab 20
15. AIR 1958 All. 656; AIR 1954 Cal. 383
16. AIR 1958 S.C. 217; AIR 1960 S C 1305; AIR 1958 M B 135; AIR 1953 S C 250; AIR 1956 Bom 455; AIR 1958 M P 135; AIR 1957 S C 892; AIR 1953 Punjab 345, AIR 1958 S C 36
17. बी बी. डोरनिकर बनाम चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर, नागपुर कॉर्पोरेशन AIR 1960 Bombay 274
18. सुधिरजन हल्दार बनाम प० बंगाल राज्य AIR 1961 Calcutta 626 'निलम्बन' के शीर्षक मे पृष्ठ ४७ पर नीचे टिप्पणी सं० ५६ भी देखिये।

प्रभाव के अंश को निरस्त किया गया।[19] ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि—सेवा समाप्ति की आज्ञा किसी पिछली दिनांक से मानी जावे।[20]

यह साधारण नियम है कि—कोई आज्ञा, जिसमे निष्कासन की आज्ञा भी सम्मिलित है; केवल उसके जारी होने के दिनाक मे ही प्रभावशील हो सकती है। यदि इसे पूर्वकालिक प्रभाव से लागू करना हो, तो इसके लिए कानून या सम्बन्धित नियमों में कोई प्रावधान होना चाहिये; जो उस आज्ञा के पूर्वकालिक प्रभाव की स्वीकृति देता हो।...किन्तु इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो अनुशासन-प्राधिकारी को पूर्वकालिक प्रभाव से किसी कर्मचारी को निष्कासित करने की स्वीकृति देता हो। निलम्बन के दिनांक से निष्कासन की आज्ञा देना इसलिए भी अनियमित है कि इससे दोषी कर्मचारी को जो अधिकार F.R.53 (R.S.R.–53) में प्राप्त है, उसे उनसे वंचित किया गया है। F.R.53 के अधीन उसे निर्वाह भत्ता मिलता है, जिसके लिये अनुशासनिक-प्राधिकारी बाध्य (Bound) हैं। अतः इस प्रावधान के प्रतिकूल आज्ञा नही दी जा सकती। 'कारण बताओ नोटिस' म भी पूर्वकालिक प्रभाव से निष्कासन का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार इसके लिये दोषी कर्मचारी को अनुच्छेद ३११ के अधीन समुचित अवसर नही दिया गया। अतः पूर्वकालिक प्रभाव देने वाले अंश को आज्ञा मे से निरस्त किया गया।[21]

राजस्थान सरकार ने निर्देश-पुस्तिका मे यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि न्यायालय द्वारा सजा हो जाने पर निष्कासन का आदेश आज्ञा के दिनांक से लागू होगा, निलम्बन या सजा के दिनांक से नहीं। ऐसे मामलों में अपील के निर्णय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और राज्यकर्मचारी को समान स्थिति (State qus) में रहने देना चाहिये।[22]

अपवाद : प्रशासनिक पर्यावसान—दण्ड नहीं

नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) के अधीन उपखण्ड (७) में निम्नलिखित ४ परिस्थितियाँ ऐसी बताई गई हैं, जिनमे सेवा की समाप्ति केवल 'प्रशासनिक पर्यविसान या सेवा समाप्ति' (Termination on administrative grounds) मानी जावेगी, जो दण्ड नहीं होगी—

(क) परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उसकी परिवीक्षा की शर्तों के आधार पर सेवा-मुक्त करना।

(ख) अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सेवाकाल समाप्त होने पर हटाना।

(ग) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा की शर्तों के अनुसार मुक्त करना।

(घ) राजस्थान के एकीकरण के बाद जिनका चयन नहीं हो सका या जिनको सेवाओं में विलीन (absorption) नहीं किया जा सका, अतः सेवामुक्त किया जाना।

किन्तु स्पष्टीकरण (२) के अनुसार यदि तदर्थ या अस्थायी रूप से एकीकरण के समय नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को अचयन या अविलय (Non-selection or non-absorption) के अलावा अन्य कारणों से हटाया गया, तो वह निष्कासन या सेवाच्युति माना जावेगा।

---

19. सरवनसिंह बनाम भारत संघ
AIR 1960 H P 24

20. जयकुमार बनाम संघीय क्षेत्र, मनीपुर
AIR 1963 Manipur 25

21. तोम्बीसिंह बनाम गोपालसिंह
AIR 1963 Manipur 28

22. HAND BOOK OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS–Para 17 (vi) Page 12 and Circular No. F 5 (31) Apptts. (A-II) /61 dated 28th December 1961.

किन्तु यदि ये प्रशासनिक सेवा समाप्तियां किसी कलंक या दोष को बताते हुए की जायेंगी, तो यह दण्ड मानी जावेंगी, जैसा कि दण्डो के 'मापदण्ड' के सिद्धान्तो [व्याख्या खंड (ग)] में पहले बताया जा चुका है।

(क) परिवीक्षाधीन (Probationer) की सेवा समाप्ति—

'परिवीक्षा' का अर्थ है—'चरित्र या आचरण की जाच।' राजस्थान सेवा नियम मे 'परिवीक्षाधीन' (probationer) और 'परिवीक्षा पर' (On probation) दो शब्दो का प्रयोग किया गया है। परिवीक्षाधीन की नियुक्ति किसी मूलपद या रिक्तस्थान पर मूलरूप से निश्चित शर्तों के साथ की जाती है।[23] जब कि 'परिवीक्षा पर' नियुक्ति अस्थाई या स्थानापन्न रूप से किसी पद पर किसी कर्मचारी की उपयुक्तता की जांच के लिये कुछ शर्तों के अधीन की जाती है। इस प्रकार 'परिवीक्षा पर' नियुक्ति कर्मचारी की सेवा समाप्ति प्रशासनिक नही हो सकती; किन्तु परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति की शर्तों के पूरा न होने पर सेवा से हटाया जा सकता है; परन्तु उसे हटाने के लिये जाँच नहीं करनी चाहिये कि वह योग्य है या नहीं।[24] प्रथमत. और स्पष्टत: परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति कोई दण्ड नही है, अत सविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होता।[25] ऐसी जांच के बाद की परिवीक्षाधीन व्यक्ति उस पद के लिये योग्य है या नही, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। परन्तु यह दण्डात्मक नही है।[26] प्रार्थी को प्रगति-सहायक के पद पर चयनित कर लिया गया और उसके नियुक्ति-पत्र मे यह उल्लेख था कि उसकी सेवायें बिना कोई कारण बताये और बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेंगी। प्रार्थी ने इसे स्वीकार कर लिया और उसका मूल परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया, पर समय समय पर उसे बढा दिया गया। अन्त मे उसे सूचित किया गया कि उसका परिवीक्षाकाल आगे नही बढ़ाया जा सकता और उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई। इस पर निर्णय लिया गया कि उसकी सेवाये नियुक्ति की शर्तों और परिवीक्षा के नियमो के अधीन समाप्त की गई है, एक दण्ड के रूप में नहीं।[27] एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नही है कि उसे स्थाई (Confirmed) किया जावे या मान लिया जावे।[28] यह तो नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करता है। एक कर्मचारी का नाम पक्तिबद्धता-सूची मे अधीनस्थ सेवा मे परिवीक्षाधीन था। उसने ८ वर्ष तक अधीनस्थ सेवा मे व फिर अगले १० वर्ष तक राज्य सेवा में लगातार सेवा की, किन्तु उसे फिर भी परिवीक्षाधीन ही माना गया।[29] किन्तु दुराचरण के आरोप से परिवीक्षाधीन व्यक्ति को दण्डित करने के लिये अनुच्छेद ३११ की अनुपालना आवश्यक होगी।[30] समय-समय पर परिस्थितियो के अनुसार परिवीक्षाकाल मे वृद्धि करना सरकार की शक्ति मे है।[31] परन्तु यदि उसे किसी विशेष दोष या दुराचरण के आरोप के बाद हटाया जावे, तो उसे अनु० ३११

23. राजस्थान सेवा नियम—7 (30)
24. शिवनारायण बनाम कुलपति, सागर विश्वविद्यालय
AIR 1960 M P 208
25. पूर्णानन्द पत्रा बनाम जिलाधीश, केन्द्रीय आबकारी
AIR 1960 Calcutta 314
26. उड़ीसा राज्य बनाम रामनारायणदास
AIR 1961 S C 177
27. रामचन्द्र बनर्जी बनाम भारत सघ
AIR 1963 S C 1552
28. सुखवशसिंह बनाम पजाब राज्य
AIR 1962 S C 1711
29 हर्टनैल प्रेस्कोटसिंह बनाम उ०प्र० शासन
AIR 1957 S C 886
30. पुरुषोतमलाल धींगरा बनाम उ० प्र० शासन
AIR 1958 S C 36
31 अमृतलाल बनाम म०प्र० शासन
AIR 1953 Orissa 329.
गोपीकिशोर बनाम बिहार राज्य
AIR 1955 Patna 372

के अनुसार अवसर देना होगा।[31] यह पर्याप्त होगा यदि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के लिये कारण बताकर उनके विरुद्ध उत्तर देने का एक अवसर दिया जावे और उसके उत्तर पर विचार करके आज्ञा पारित की जावे।[32] परिवीक्षाधीन व्यक्ति का उस पद पर रहने को कोई अधिकार (स्वत्वाधिकार Lien) नहीं होता, अतः उसे हटाया जा सकता है।[33] यदि एक परिवीक्षाधीन को भ्रष्टाचार और असंतोषजनक काय के कारण,[34] या शारीरिक अनुपयुक्तता,[35] या विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर[36] या अयोग्य आचरण के लिये[37] हटाया गया, तो इसे दण्ड माना गया और प्रार्थी को अनु० ३११ का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा माना गया। परन्तु विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर इसे परिवीक्षा की एक आवश्यक शर्त होने के कारण दण्ड नहीं भी माना है।[38]

सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा यह स्पष्ट किया है कि—परिवीक्षाधीन व्यक्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर उसे बिना नोटिस दिये व कारण बताये हटाया जा सकता है।*

(ख) अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्ति—(Termination of temporary Govt. Servant)

(१) दण्ड नहीं—एक 'अस्थाई पद' का अर्थ है—'वह पद जो सीमित समय के लिये निश्चित वेतन दर को लिये हुए स्वीकृत हो।"[39] इस अस्थाई पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति 'अस्थाई कर्मचारी' है। बिना किसी संविदा के नियुक्ति अस्थाई राज्य कर्मचारी को निश्चित समय की समाप्ति पर हटा देना दण्ड नही है।[40] उसकी सेवायें कभी भी एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।[41] इसके लिए कोई कारण बताने व दुराचरण या अदक्षता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। सधारणतया उसे दण्ड के रूप में नहीं हटाना चाहिये। बिना कोई कलंक या दोष लगाये उसे हटाया जा सकता है।[42] यदि बिना कोई कारण दिये अस्थाई सेवाओं के नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति की जावे, तो अनुच्छेद १६ भंग नहीं होता।[43] अस्थाई पद को स्थाई पद में बदलने का कोई नियम नहीं है। यदि ३० दिन पहले नोटिस दे दिया जावे, तो फिर सेवा समाप्ति के

---

32. अवधेशकुमार बनाम बिहार राज्य
AIR 1961 S C _; AIR 1958 S C 36
1960 BLJR 220;
गोपीकिशोर बनाम बिहार राज्य
AIR 1961 S C 177
33. राजेन्द्रचन्द्र बनर्जी बनाम भारत संघ
AIR 1963 S C 1552
34. बिहार राज्य बनाम गोपीकिशोर प्रसाद
AIR 1960 S C 689
35. डा० काशीराम आनन्द बनाम उ० प्र०
AIR 1956 All. 330
36. राजाराम बनाम राज्य
AIR 1958 All. 141
37. डूंगरसिंह बनाम म० प्र० शासन
AIR 1955 Nag. 107
38. AIR 1960 Calcutta 314 and
AIR 1963 Manipur 25
39. RSR-7(35)
40. Explanation (i) (vii) (a) of Rule 14 of these rules
41. अहमद शेख बनाम डिवीजनल वन अधिकारी
Rule 23-A RSR; AIR 1957 J & K 11
42. जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ
AIR 1964 S C 449
43. वीरेन्द्रसिंह वर्मा बनाम प्रतिरिक्त निदेशक कृषि
AIR 1960 All. 647

* विज्ञप्ति सं. ७३६५।१६० २४(३८) नियुक्ति (क) ५० दि. १६-६-५७

लिये प्रार्थी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता।[44] सरकार अन्य मालिक की तरह जब उचित समझे, अस्थाई कर्मचारी को सेवायें समाप्त करने के लिये सशक्त है।[45] जब एक अस्थाई कर्मचारी को किसी नियत अवधि के लिये नियुक्त किया गया हो, तो उस अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है और किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। एक माह के नोटिस का प्रश्न तभी उठता है, जबकि नियुक्ति किसी अनिश्चित अवधि के लिये की गई हो।[46] जब नियुक्ति स्थायी हो, तो उसके पीछे कुछ संवैधानिक सरक्षण (गारंटी) होता है। परन्तु अस्थाई कर्मचारी के लिये दूसरे मालिकों की तरह सरकार भी विशेष शर्तों के अधीन संविदा करने के लिये स्वतन्त्र है।[47] अस्थाई कर्मचारी का किसी पद को धारण करने का कानूनी अधिकार नहीं होने से उसे बिना कलंक के हटाना दण्ड नही है।[48] कई बार कुछ प्रशासनिक कारणों से भी अस्थाई कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जाती हैं, जैसे—किसी सेवा की स्वीकृत-संख्या मे कमी से,[49] या किसी पद की समाप्ति पर,[49A] या सरकार के किसी विभाग या संगठन की समाप्ति पर,[50] या किसी सस्थापन की समाप्ति पर,[51] किसी कालेज में से विषय को उठा देने पर,[52] या राष्ट्र विरोधी तोड़-फोड़ की कार्यवाही में भाग लेने पर,[53] या किसी कर्मचारी के अवशिष्ट (Surplus) घोषित किये जाने पर,[54] या उसके पूर्व कृत्यों पर असतोष होने पर,[55] या वह पहले सजायाफ्ता था और इसका पता नियुक्ति के बाद मे चलने पर,[56] या किसी पद पर उपयुक्त न समझा जाने पर,[57] या आयोग द्वारा चयन न होने पर,[58] या हड़ताल मे खुला भाग लेने पर—[59] एक माह का नोटिस देकर इन परिस्थितियो मे किसी को हटा देना दण्ड नहीं माना गया है और अनुच्छेद ३११ आकर्षित नहीं होता।

(२) दण्ड हैं—किन्तु दोष या कलंक लगाने पर इन्हें दण्ड माना गया है[60]—जैसे—अवैध लालच (भ्रष्टाचार) के कारण,[61] या बुरे काम व दुर्व्यवहार के कारण,[62] या दुराचरण के

44. ध्रुव मालवीय बनाम उ० प्र० शासन AIR 1961 All. 421
45. श्रीनिवास बनाम भारत संघ AIR 1965 Bombay 455
46. थामस गोर्लसिंह बनाम भारत संघ AIR 1962 Manipur 52
47. सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारत सघ AIR 1958 S C 250
48. धींगड़ा काण्ड AIR 1958 S C 36
49. के० श्रीनिवासन बनाम भारत संघ AIR 1958 S C 419
49.A बृजनन्दन बनाम बिहार राज्य AIR 1955 Patna 353
50. महेश्वरी प्रसाद बनाम आर.ई.ओ. AIR 1957 Patna 555
51. अब्दुल कादर बनाम राज्य AIR 1957 Hydrabad 12
52. गोपालनारायण मिश्रा बनाम रीजनल अपील कमेटी AIR 1965 All. 252
53. पी. बालकोटेश बनाम भारत संघ AIR 1958 S C 232
54. बलवीरसिंह बनाम म०प्र० शासन AIR 1955 Nagpur 289
55 के०एम० गुरुपा प्रसाद बनाम केरल राज्य AIR 1965 Kerala 19
56. ईश्वरी प्रसाद बनाम राज्य 1965 RLW 7
57. गुलाम अहमद बनाम आई०जी०पी० AIR 1959 J & K 136
58. विश्वेश्वर बनाम चेयरमैन एस०टी०ए० AIR 1955 Nagpur 163
59. श्रीमती अनिमा मुंशी बनाम इंजिनीयर AIR 1954 Calcutta 561
60. AIR 1958 S C 36; 1958 S C J 451 AIR 1958 S C 217; AIR 1960 S C 1305
61. मदनगोपाल बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 S C 531
62. हरिश्चन्द्र बनाम उपनिदेशक शिक्षा 1964 RLW 635

आरोप के आधार पर,[63] या उसकी ईमानदारी व क्षमता पर दुष्प्रभाव डालते हुए आज्ञा देने पर,[64] या उसे सेवा में रखना अवांछनीय है—इस प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण,[65] या वह पूर्व सजायाफ्ता है,[66] या वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य है,[67] कोई चेतावनी दी गई[68]—इन मामलों में सेवा समाप्ति को दण्ड माना गया और अनुच्छेद ३११ का संरक्षण दिया गया है। जहाँ कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवामें रखकर प्रार्थी को वरिष्ठ होने पर भी हटा दिया गया, तो यह एक दण्ड समझा गया।[69] निश्चित अवधि के पहले सेवा से हटाना दण्ड माना गया है।[70] एक कर्मचारी को नियत अवधि के लिये (६ माह) नियुक्त किया गया। ६ माह बाद उसकी अवधि समय-समय पर बढ़ा दी गई। बाद में आयोग से चयन नहीं होने के कारण उसे तुरन्त हटा दिया गया। इस पर निर्णय दिया गया कि—समय-समय पर अवधि बढ़ाने से यह नहीं माना जा सकता कि—नियुक्ति निश्चित अवधि के लिये ही थी। अतः ऐसी अस्थाई नियुक्ति में संविधान का अनुच्छेद ३११ आकर्षित होगा।[71] एक व्यक्ति बीमारी के प्रमाण-पत्र पर उपार्जित अवकाश पर गया। बाद में उसने कई बार अवकाश वृद्धि की। बाद मे उसकी आगे वृद्धि अस्वीकार कर दी गई और उसे काम पर नहीं आने पर सेवा से हटा देने का नोटिस दिया गया। इस दशा में इसे दण्ड नहीं माना गया।[72] परन्तु एक कर्मचारी को यह सूचित किया गया कि—उसका सम्पूर्ण ग्राह्य अवकाश समाप्त हो गया है और अब अनुपस्थित रहने पर उसकी सेवाओं को समाप्त मान लिया जावेगा। परन्तु सेवा समाप्ति की कोई आज्ञा जारी नहीं की गई। इस पर यह माना गया कि—सरकार उसकी सेवायें समाप्त कर सकती है, पर उसे राज्य कर्मचारी मानकर जो भी वेतन-भत्ते आदि ग्राह्य हों, उनका भुगतान करना पड़ेगा।[73]

निर्देश-पुस्तिका में बताया गया है कि—स्थानापन्न या अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति या प्रत्यावर्तन के लिये (क) कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। (ख) राजस्थान सेवा नियम २३—क के अधीन बिना दुराचरण बताये आज्ञा जारी करनी चाहिये और (ग) परिवीक्षाधीन के लिये भी कोई कारण नहीं देना चाहिये।[74]

(ग) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा समाप्ति—(Termination of services under agreement)

संवदा या इकरारनामे की शर्तों के अनुसार सेवा समाप्त करना दण्ड नहीं है।* यह कई निर्णयों द्वारा एक सुनिश्चित मत है।[75] सरकार विशेष संविदा द्वारा अस्थाई नियुक्ति करने के लिये

63. ज्योतिर्मयी शर्मा बनाम भारत संघ AIR 1962 Calcutta 349
64. दर्शनसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1964 Punjab 354
65. जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ AIR 1964 S C 449
66. गोपालचन्द्र बनाम केन्द्रीय क्षेत्र त्रिपुरा AIR 1960 Tripura 31 and केन्द्रीय क्षेत्र त्रिपुरा बनाम गोपालचन्द्र AIR 1963 S C 601
67. किशनलाल सरमोलाल बनाम म० प्र. शासन AIR 1956 M B 100
68. जे०एम० वर्मा बनाम उ०प्र० शासन AIR 1962 All. 471
69. सुखानन्द ठाकुर बनाम बिहार राज्य AIR 1957 Pat. 617
70. श्यामबिहारी तिवारी बनाम भारत संघ AIR 1963 Assam 54
71. ईश्वरदास मेहता बनाम पेप्सू राज्य AIR 1952 Pepsu 148
72. डा० परमानन्द बनाम जिला बोर्ड AIR 1962 Patna 452
73. जितेन्द्र मोहन साहा बनाम डाइरेक्टर हैल्थ AIR 1963 Cal. 638
74. Handbook of Disciplinary Proceedings: Para—4 [xi]
75. AIR 1960 Cal. 549; AIR 1956 All. 572; AIR 1959 All. 643, AIR 1951 All. 793 AIR 1969 All. 234 AIR 1952 Punjab 20; AIR 1957 Patna 326; AIR 1957 MP 133; AIR 1963 Mysore 193; AIR 1959 Bom. 147; AIR 1954 H P. 1.

* Explanation 1 (vii) (c) of these rules.

सशक्त है, परन्तु उसकी शर्तें संविधान के प्रतिकूल नही हो सकती ।[76] उन शर्तों से सरकार तो बाध्य है ही,[77] परन्तु जो व्यक्ति सरकारी सेवा के साधारण नियमो व विनियमो से अपने को बाधता है; तो यही माना जावेगा कि— वह केवल वैध शर्तों से ही आबद्ध है ।[78] किन्तु दुराचरण के कारण किसी को हटाया गया, वहाँ "संविदा की शर्तों के अधीन" शब्द का आज्ञा मे प्रयोग करने पर भी आज्ञा के शब्दो से और परिस्थितियो से उसका अभिप्राय (intention) समझा जा सकता है । अत अनुच्छेद ३११ की शर्तों के पालन के बिना वह आज्ञा शून्य है ।[79] यदि संविदा की अवधि के पहले सेवा समाप्त की जाती है, तो उस कर्मचारी को संविदा की अवधि के लिये सेवारत माना जावेगा ।[80] अर्थात्—उसे वेतन आदि का लाभ मिलेगा, चाहे सरकार उससे कोई कार्य नही ले ।

(घ) एकीकरण के दौरान अचयन या अविलयन पर सेवा समाप्ति—(Termination due to non-selection or non-absorption in course of Integration of Rajasthan)

राजस्थान के एकीकरण के समय यह प्रावधान रखा गया था । अब इसका उतना महत्व नही है । जब कई राज्य राजस्थान मे एकीकृत हुये, तो उन राज्यो के कई कर्मचारी एकीकरण के नियमो के अनुसार सेवाओं मे चयनित नही हो सके या विलयित (शामिल) नही किये जा सके; उन्हे सेवा से मुक्त (discharge) कर दिया गया । इसे दण्ड नही माना गया । राज्यो के विलय के साथ ही उन राज्यो की सेवा की शर्तें समाप्त मानी गई और जिन्हे नये राज्य की सेवा मे रहना है, उन्हे नई शर्तें व नियम मानने ही होंगे । अत यह संविधान के प्रतिकूल नही है ।[81]

अचयन या अविलयन के अतिरिक्त अन्य कारणो से यदि तदर्थ आधार पर किसी पद पर लगाये गये किसी देशी राज्य के कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जाता है, तो यह मुक्ति की आज्ञा सेवाच्युति या निष्कासन, जैसी भी परिस्थिति हो, माना जावेगा ।[82] यह प्रत्येक मामले के तथ्यो पर निर्भर होगा ।[83]

(ङ) सक्षम प्राधिकारी (Competant Authority)

संविधान के अनुच्छेद ३११(१) में सेवाच्युति एवं निष्कासन के असाधारण दण्डों के लिये निम्न को सक्षम प्राधिकारी बताया गया है—

(१) नियुक्ति प्राधिकारी, जिसने उस राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की थी, या

---

76. शारदाप्रसाद बनाम महालेखाकार
AIR 1955 All 496
पतितपावन बोस बनाम कमिश्नर
AIR 1957 Cal 720

77. सतीशचन्द्र बनाम भारत संघ
AIR 1953 S C 250

78. फकीरचन्द बनाम चक्रवर्ती
AIR 1954 Cal. 566

79. डॉ० मेनन बनाम डाईरेक्टर हरिजन कल्याण
AIR 1957 All. 403

80. बम्बई राज्य बनाम डा० एन० [illegible]
AIR 1963 Bom 13

81. ए एम. सिह बनाम मो. एस. डी. [illegible]
AIR 1960 Mani, 45.
अमरसिंह राजवी बनाम [illegible]
AIR 1958 SC 228 [illegible]
AIR 1955 SC 817 [illegible]
ILR 1954 Raj 735

82 Explanation—2 to [illegible] Rule

83 ईश्वर नारायण [illegible]
AIR 1957 All [illegible]
बम्बई राज्य [illegible]
[illegible]

(२) उसके समकक्ष श्रेणी (Co-ordinated Rank) का प्राधिकारी। नियम २(क) के परन्तुक तथा नियम १२ में यह स्पष्ट कर दिया है कि—नियुक्ति अधिकारी कौन होता है और उसके क्या अधिकार हैं ? अनुशासनिक प्राधिकारी को नियम १४ में वर्णित सब दण्ड देने का अधिकार है, किन्तु यदि वह स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी नही है; तो वह निष्कासन व सेवाच्युति के दण्ड नहीं दे सकता। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णयों का विवेचन पहले नियम २(क) व नियम (१२) के अधीन किया जा चुका है।

७. जांच के दोहरान अवकाश नहीं :

राजस्थान सेवा नियम ५५–क के अधीन यदि किसी राज्य कर्मचारी को निष्कासित, सेवाच्युत या अनिवार्य-सेवानिवृत करने का निश्चय सक्षम दण्डाधिकारी ने कर लिया हो, तो उसे कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

८. दण्डों का प्रभाव :

सेवाच्युति का प्रभाव यह है कि वर्तमान सेवा से हटा देने के बाद वह पुनः राज्य की सेवा कर सकता है; परन्तु निष्कासन के बाद सेवा में उसे पुनः नियोजित नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी अयोग्यता का कलंक है, जो यह प्रकट करता है कि उक्त कर्मचारी किसी दुराचरण का दोषी रहा है, या उसमें योग्यता या क्षमता का अभाव है, या उसमें अपने कर्तव्य पालन के लिये दृढ़-इच्छा (will) का अभाव है।

सन् १९६१ में राजस्थान सरकार ने इस नियम के अन्त में एक टिप्पणी (Note)‡ निविष्ट कर यह प्रावधान कर दिया है कि यदि किसी व्यक्तिगत मामले के गुणावगुणों के आधार पर न्यायोचित समझा जावे, तो सरकार भविष्य में नियोजन के लिए अयोग्यता की शर्त को क्षमा कर सकती है। इससे समुचित मामलो में राज्य कर्मचारियों को कुछ प्रतिकार अवश्य मिल सकेगा और उनका भविष्य अन्धकारमय नही रहेगा।

राज्य सेवा से निष्कासन से इसके अतिरिक्त और कोई दुराचरण (Other misconduct) नहीं माना जा सकता। एक निष्कासित कर्मचारी अधिवक्ता (वकील) के लिये पंजीकरण करा सकता है। मद्रास उच्चन्यायालय ने बताया है कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी, इस तथ्य को दुराचरण माना जावेगा, परन्तु इस नियम को विभागीय जांच व उसके निर्णय पर लागू नहीं किया जा सकता।[84]

इसके अतिरिक्त निष्कासन व सेवाच्युति दोनों दण्डों के मामले में दण्डित कर्मचारी को कोई अर्जित लाभ (ग्रेच्युटी या पेंशन) प्रदान नहीं किया जाता। परन्तु समुचित मामलों में विशेष ध्यान रखकर उस कर्मचारी को करुणता भत्ता (Compassionate-Allowance) की स्वीकृति दी जा सकती है, जो कि डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलने वाली अशक्तता पेन्शन के दो तिहाई भाग से अधिक नही होगा।[85]

इस प्रकार दुराचरण, दिवालियापन या अदक्षता के कारण हुए निष्कासन या सेवाच्युति से तब तक की सेवायें विच्छिन्न व समाप्त हो जाती हैं, परन्तु आयु के कारण या विभागीय परीक्षा

---

84. मद्रास बार कौंसिल बनाम वी.के. रघुवंशा AIR 1964 Madras 493 [Special Bench]

85. RSR—Rule 172 with notes.

‡ विज्ञप्ति सं० एफ० २ (५) नियुक्ति (क)/६१ दि० २२-२-६१द्वारा निविष्ट की गई।

में अनुत्तीर्ण होने कारण से की गयी सेवाच्युति या निष्कासन से ऐसा नहीं होगा; क्योंकि इन परिस्थितियों में ये दण्ड नहीं है।[86]

६. पुनः स्थापन व उसका प्रभाव

पुनःस्थापन (Re-instatement) का अर्थ है—कार्य या सेवा पर वापस लेना। साधारण रूप से निलम्बन के बाद कार्य पर वापसी को भी पुनः स्थापन ही कहते हैं, परन्तु तकनीकी व कानूनी रूप से यह गलत प्रयोग है। इस प्रकार पुनः स्थापन परिस्थितियों के अनुसार दो प्रकार का हो सकता है—

(१) जांच के बाद दोषमुक्त होने पर, या न्यायालय से मुक्त (बरी) होकर वापसी पर—यह निलम्बन के बाद होता है।

(२) निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड देने के बाद—

(क) अपील या पुनरीक्षा में दण्ड को निरस्त कर देने पर; या

(ख) सक्षम न्यायालय द्वारा दण्ड को निरस्त या शून्य कर देने पर।

इस प्रकार सेवा में वापस आने को ही 'पुनःस्थापन' माना गया है।

पुनःस्थापित होने पर राज्य कर्मचारी अपने वेतन आदि के लिये मांग कर सकता है। उसके निलम्बनकाल को नियमानुसार नियमित किया जाता है और वेतन व अवकाश आदि के लिये स्पष्ट आज्ञा जारी की जाती है।‡ अपील या पुनरीक्षा में पुनःस्थापित किया जाने पर राज्यकर्मचारी की पिछली सेवा गिनी जाती है। किन्तु निष्कासन के दिन से पुनःस्थापन के दिन तक की अवधि और निलम्बन की अवधि (यदि कोई हो, तो) सेवा नहीं मानी जावेगी, जब तक कि पुनःस्थापन करने वाला अधिकारी उसे कार्य या अवकाश के रूप में एक विशेष आज्ञा से नियमित नहीं कर दे।* यदि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से किसी कर्मचारी को पुनःस्थापित किया जाता है, तो निर्णय में दिये निर्देश के अनुसार उक्त कर्मचारी को कार्यरत (on duty) माना जाना, वेतन आदि देना—निर्भर करेगा। न्यायालय के स्पष्ट आदेश के न होने पर सक्षम प्राधिकारी आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

---

86. RSR—Rule 208 [a]

‡ राजस्थान सेवा नियम—नियम ५४ देखिये; निलम्बन की व्याख्या का खण्ड (१०) पृष्ठ ५९ भी देखिये।

* राजस्थान सेवा नियम—नियम २०९, २१० (ग) देखिये।

अनुशासनिक प्राधिकारीगण
(DISCIPLINARY AUTHORITIES)

Rule—15.

(1) In respect of the State Services, the Government or the authority specially empowered by the Government in that behalf; in respect of the Subordinate Services, the Head of Department or the authority specially empowered by the Head of Department with the approval of the Government, and in respect of the Ministerial Services and ClassIV Services, the Head of Office shall be authorised to inflict all penalties specified in rule 14.

*In exercise of the powers conferred by Rule 15(1) of the Rajasthan Civil Services (C. C. & A.) Rules 1958, the Governor has been pleased to delegate to Administrative Judge† or a Judge nominated by the Chief Justice of the Rajasthan High Court the power to impose on members of Rajasthan Judicial Service, any of the penalties prescribed under the said Rules, except of removal and dismissal from service.

(2) In respect of the State Services, the power of appointment to which is not delegated to a subordinate authority, before imposing the penalties other than censure and withholding of increments the Public Service Commission *shall* be consulted.

नियम—१५.

(१) राज्य सेवाओं के लिए सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी, अधीनस्थ सेवाओं के लिए विभागाध्यक्ष अथवा सरकार की स्वीकृति से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी और अनुसचिवीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिये कार्यालयाध्यक्ष नियम १४ में निर्दिष्ट सब दण्ड देने के लिये प्राधिकृत होंगे।

*राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १५(१) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर प्रशासनिक यायाधीश या † राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश को राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों को इन नियमों में वर्णित, पदच्युति व निष्कासन के अतिरिक्त, कोई दण्ड देने का अधिकार प्रत्यायोजित करते हैं।

(२) राज्य सेवाओं के विषय में, जिन में नियुक्तियां करने का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है; परिनिन्दा और वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त अन्य दण्ड देने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना पड़ेगा।

---

* विज्ञप्ति सं. एफ ३ (१) नियुक्ति (क)।६० ग्रु० ३ दि. १६-९-६० एवं

† दि० ९-१-६१ द्वारा निविष्ट।

व्याख्या

१. परिचय—

इस नियम के उपनियम (१) मे अनुशासनिक–प्राधिकारियो का वर्णन किया गया है तथा उपनियम (२) मे लोकसेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितिया बताई हैं। यह नियम केन्द्रीय नियमो के नियम १४ के समतुल्य है।

२. अनुशासनिक प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र—

नियम २ (ग) मे 'अनुशासनिक प्राधिकारी' की परिभाषा बताते हुये उसे दण्ड देने के लिये सक्षम प्राधिकारी बताया गया है। दूसरे शब्दो मे 'अनुशासन प्राधिकारी' एक प्रकार से 'दण्डाधिकारी' (Punishing Authority) है। साधारण नियम है कि—"नियुक्ति व दण्ड (अनुशासन) के अधिकार साथ साथ चलते हैं, जिनका प्रयोग मालिक (या सरकार) करता है।" किन्तु प्रशासन के हित मे अधिकारो के प्रत्यायोजन के बिना कार्य नही चल सकता। इसी दृष्टिकोण से अनुशासनिक–प्राधिकारियो को दण्ड देने के अधिकार इस नियम द्वारा प्रदान किये गये है। नियुक्ति-प्राधिकारी को मूल रूप से अनुशासन प्राधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। एक ही प्राधिकारी नियुक्ति-प्राधिकारी व अनुशासनिक प्राधिकारी हो सकता है, किन्तु प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नही हो सकता।

नियुक्ति-प्राधिकारी का वर्णन नियम १२ मे तथा परिभाषा नियम २ (क) मे दिए गए हैं, जहा उन पर विस्तृत विवेचन हो चुका है।

अनुशासन प्राधिकारियो को नियम १४ मे वर्णित सभी दण्ड देने के अधिकार इस नियम मे दिए गए हैं, किन्तु संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य प्राधिकारी निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड नही दे सकता। ऐसी परिस्थिति मे इस नियम के प्रावधान इस संवैधानिक शर्त के अधीन ही रहेंगे। अत जो अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्ति-प्राधिकारी नही हैं वे निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड देने के लिए सक्षम नही है। वे इनके अतिरिक्त दण्ड—यथा—नियम १४ मे वर्णित (१) से (५) तक दण्ड दे सकेंगे। आगे एक तालिका मे नियुक्ति-प्राधिकारी एव अनुशासनिक प्राधिकारी का तुलनात्मक विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

इस तालिका को देखने से ऐसा मालूम होता है कि—जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वही अनुशासनिक प्राधिकारी भी हैं। किन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। विभिन्न राज्य सेवाओ के लिए विभिन्न प्राधिकारियो को राज्य सरकार ने अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किया है, किन्तु वे उन सेवाओ के नियुक्ति प्राधिकारी नही हैं। उदाहरणार्थ—राजस्थान न्यायिक सेवा (R.J.S.) के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल या राजस्थान सरकार है, परन्तु उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्याया... ...धीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत कोई न्यायाधीश को विज्ञप्ति द्वारा अनुशासनिक-प्रा...

(३) नियुक्ति प्राधिकारी-बनाम-अनुशासनिक प्राधिकारी—एक तालिका

सेवा वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी
१. राज्य सेवायें—	(क) राज्य सरकार या (ख) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी।	(क) राज्य सरकार, या (ख) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
२. अधीनस्थ सेवायें-	(क) विभागाध्यक्ष, या (ख) सरकार की स्वीकृति के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी।	(क) विभागाध्यक्ष, या (ख) राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
३. लिपिक वर्ग— एवं ४. चतुर्थश्रेणी सेवायें —	कार्यालयाध्यक्ष (विभागाध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों व दिए गए निर्देशों के अधीन)	कार्यालयाध्यक्ष

के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा (R.P.S.) के नियुक्ति प्राधिकारी भी राज्यपाल हैं, किन्तु परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अधिकार महानिरीक्षक-आरक्षी को प्रदत्त किए गए हैं, अतः वह अनुशासनिक प्राधिकारी है, परन्तु नियुक्ति अधिकारी नहीं। राजस्थान तहसीलदार सेवा (R.T.S.) में नियुक्ति के अधिकार राजस्वमण्डल को प्रत्यायोजित हैं; अतः राजस्व मण्डल नियुक्ति प्राधिकारी व अनुशासनिक प्राधिकारी दोनों है। किसी कर्मचारी के लिये एक से अधिक अनुशासनिक प्राधिकारी हो सकते हैं, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी केवल एक ही होगा। जैसे—तहसील में एक कनिष्ट लिपिक (L.D.C.) है, उसके लिये कार्यालयाध्यक्ष होने के कारण तहसीलदार अनुशासनिक प्राधिकारी है; जो उसे दण्ड सं० (१) से (४) तक दे सकता है, किन्तु उसकी नियुक्ति यदि उपजिलाधीश ने (S.D.O.) की हो, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी व अनुशासनिक प्राधिकारी दोनों हुआ। अब भी जिलाधीश विभागाध्यक्ष होने के नाते उसका अनुशासनिक प्राधिकारी है। इस प्रकार अनुशासनिक प्राधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं।

अनुसूची (ख) में लिपिकवर्ग व चतुर्थश्रेणी सेवाओं के लिये नियम १४ (१) में प्रदत्त अधिकारों के लिए कार्यालयाध्यक्ष व उच्चप्राधिकारियों का वर्णन दिया गया है। 'कार्यालयाध्यक्षों' के इस अधिकार को कई विभागाध्यक्षों ने लिपिकवर्ग सेवाओं के लिये सीमित व संकुचित कर दिया है। जैसे—उच्चलिपिकों व लेखालिपिकों के विरुद्ध ये अधिकार कई विभागों में विभागाध्यक्ष ने अपने पास सुरक्षित रख लिये हैं। वास्तव में यह कार्यवाही नियम १५ (१) की भावना के प्रतिकूल है, फिर भी उच्चप्राधिकारी होने के नाते वे ऐसा कर सकते हैं।

४. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

नियम २ (क) व १२ (पृष्ठ १५ व ३३ पर देखिये) मे दिये हुये निर्णयों के अनुक्रम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहां और दिये जा रहे हैं—

यदि एक राज्यकर्मचारी को निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया, तो वह संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) के प्रतिकूल होने से अवैध है।[1] नियुक्ति प्राधिकारी निष्कासन या सेवाच्युति का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नही कर सकता।[2] अनुच्छेद ३११ (१) मे प्रयुक्त 'अधीनस्थ' से अर्थ श्रेणी (Rank) मे अधीन होने से है, न कि कार्य मे; अन्यथा सम्पूर्ण संरक्षण ही स्वप्नमात्र रह जायगा।[2] एक व्यक्ति दूसरे के अधीनस्थ है, जबकि वह कानूनन उसके आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य है या वह उसके नियन्त्रण मे है।[3] नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी को सब अधिकार प्राप्त हैं और वह किसी कर्मचारी को हटा सकता है।[4] एक व्यक्ति किसी विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद मे दूसरे विभाग मे भेज दिया गया। अब उसे उस नये विभाग के विभागाध्यक्ष से निम्नस्तर का कोई प्राधिकारी नही हटा सकता।[5] यदि एक व्यक्ति पहले किसी एक राज्य में नियुक्त किया गया और प्रतिनियुक्ति पर दूसरे किसी राज्य मे भेजा गया। उसे बाद मे उस दूसरे राज्य की सेवा मे सम्मिलित कर लिया गया। यह जिस प्राधिकारी के आदेश से हुआ, वही उसे निष्कासित या सेवाच्युत कर सकता है, अन्य कोई नही।[6] यह सबसे महत्वपूर्ण है कि—अनुच्छेद ३११ (१) केवल निष्कासन या सेवाच्युति पर ही लागू होता है; पदावनति या निलम्बन पर नहीं।[7] जहां एक प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निष्कासित कर सकता है, तो उससे उच्चतर अधिकारी तो ऐसा कर ही सकता है।[8]

५. लोकसेवा आयोग से परामर्श—

उपनियम (२) के अधीन केवल राज्य सेवाओ के उन सदस्यों के विरुद्ध, जिनकी नियुक्ति के अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नही किये हैं, नियम १२ मे वर्णित दण्डों में से परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त अन्य दण्ड देने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा—अर्थात्—निम्नदण्डो के लिये आयोग से परामर्श आवश्यक होगा—

(१) पदोन्नति रोकना,
(२) वेतन मे से वसूली,
(३) पदावनति,
(४) अनिवार्य सेवानिवृति,
(५) सेवाच्युति और
(६) निष्कासन।

1 AIR 1958 SC 36 [44]
AIR 1957 Manipur 37
2. रामचन्द्र बनाम डी. आई. जी. पुलिस
AIR 1957 MP 126 [128]
AIR 1938 PC 27
3 1954 Allahabad LJ 515 [517]
4. AIR 1958 Cal 49. AIR 1958 Cal. 278
शेरसिंह बनाम राज्य
AIR 1956 Raj. 110 [112]
5. सौभागमल बनाम राज्य
AIR 1954 Raj. 207
6. बी० पी० त्रिपाठी बनाम राज्य
AIR 1956 Bhopal 37 [39]
7. शिवनन्दनसिंह बनाम प. बंगाल
AIR 1954 Cal. 60 [65]
8. मद्रास राज्य बनाम जी. सुन्दरम
AIR 1965 SC 1103

इस प्रकार यह प्रावधान केवल उन्हीं राज्य-सेवाओं के लिये लागू होता है, जिनकी नियुक्ति सरकार अर्थात् राज्यपाल स्वयं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड ३ (ग) में आयोग से परामर्श का प्रावधान है, जो आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित व नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है।[8A] अतः ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति स्वय सरकार राज्यपाल के प्रसाद से करती है। संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (ग) के परन्तुक के अधीन विज्ञप्ति निकालकर सरकार किसी सेवा विशेष के सदस्यों को इस प्रावधान से मुक्त भी कर सकती है।[9] यह खण्ड उच्चन्यायालय के स्थापन (स्टाफ) पर लागू नहीं होता।[10]

आयोग से परामर्श करने के पीछे यह प्रचलित धारणा है कि—"राजा (सरकार) कोई अन्याय (Wrong) नहीं करता और राजा (सरकार) की आज्ञा अन्तिम होती है, अतः उसका अपील नहीं होती।" किन्तु प्रजातन्त्र में ऐसी आज्ञा के पूर्व आयोग का परामर्श लेने से कुछ लाभ हैं—(१) राज्यकर्मचारियों को संतोष रहता है कि उनके मामले में एक निष्पक्ष संगठन का परामर्श लिया गया है; (२) जिस आयोग ने नियुक्ति से पहले चयन किया था, वह उसकी उपयुक्तता का साक्षी है; अतः उसका परामर्श लेना उचित है; (३) सरकार के द्वारा यदि कोई असगत व न्यायविहीन निर्णय लिया जा रहा हो, तो उस पर एक दक्ष-परामर्श मिल जाने से सुधार हो सकता है। (४) संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (ग) में इसका प्रावधान होने से यह एक संवैधानिक मांग को पूरी करता है। "आयोग से परामर्श लेने का संविधान का प्रावधान अनिवार्य (Mandatory) है या निर्देशक (directory)" यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, जिसका विवेचन हम पृष्ठ १६-१७ पर कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यह प्रावधान निर्देशक है और इसकी अनुपालना न करने पर याचिका नहीं लाई जा सकती।[11] परन्तु निर्देशक प्रावधान होने से इसे जानबूझ कर सरकार नहीं टाल सकती।[12] इस सम्बन्धी सरकारी निर्देश भी हैं,* जिनके अनुसार सरकार आयोग से परामर्श लेती है।

इस उपनियम (२) में जो परामर्श लेने का प्रावधान है, वह नियम २३ में अपील के संबंध के प्रावधान से सर्वथा भिन्न है —अर्थात्—राज्य सेवा के जिन सदस्यों की नियुक्ति सरकार ही करती है, उनको दिये गये दंड की कोई अपील नहीं होती; केवल पुनरीक्षा (Review) होती है। अतः नियम २३ के अधीन राज्य सेवा के उपरोक्त सदस्यों के लिये आयोग का परामर्श नहीं लिया जा सकता परन्तु पुनरीक्षा के नियम ३२ से ३४ मे यह परामर्श लिया जाता है।

8.A AIR 1954 Cal. 60 [63]
9. AIR 1955 Madras 468
10. AIR 1956 SC 285 [294]
11. AIR 1957 SC 912
12. AIR 1957 Punjab 57; 1958 Manipur 55

* Hand book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj.)—Para 17 (x) Page 34, Appendix 9.

उपस्थिति मे की जाती है। चाहे विभागीय जाच प्राथमिक जांच की पुनरावृत्ति है या नही, परन्तु विभागीय जाच कानून के अधीन बने व स्थापित नियमो के अधीन सही रूप से की जाती है। किसी को यह मानकर नही चलना चाहिये कि प्रार्थी दोषी है। सम्पूर्ण मामले की खुले मस्तिष्क से जांच करनी चाहिये।[17] प्राथमिक जांच का सेवा नियमो मे कही उल्लेख नही है।

(ख) विभागीय जाच का स्वरूप व उद्देश्य —

विभागीय जाच निष्कासनकर्ता प्राधिकारी की ओर से सूचनाओ का सग्रह है।[18] उसे एक प्रशासनिक मामले मे निर्णय करना है, जिसके लिये वह सामग्री जुटाकर इस प्रकार से कार्यवाही करता है जो सभव व सुगम हो, बशर्ते कि प्रभावित पक्ष को उस सगत व पक्षपातपूर्ण सामग्री को सही या विरोधित करने का स्वच्छ अवसर मिल गया हो।[19] विभागीय जांच अनिवार्यत प्राथमिक रूप की है जो सरकार यह सतोष प्राप्त करने के लिये कराती है कि कोई मामला अनुशासनिक कार्यवाही के योग्य है या नहीं। इसमे दोषी व्यक्ति को अपने बचाव मे सब कुछ कहने व आरोपो के लिए उत्तर पेश करने व गवाहो के बयान कराने की पूरा छूट है। सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रावधानो की पालना करने के बाद ही सरकार कोई कार्यवाही (दण्ड की) कर सकती है, केवल सेवानियम ५५ के अधीन जांच इसके लिये पर्याप्त नही होगी।[20]

विभागीय जाच का उद्देश्य सत्य का पता लगाना है, अत सभी कदम (steps) जो कि इसके लिये सम्भव हो या सम्भव हो सकते हों, वे सब आवश्यक कदम माने जावेंगे[21] इस जाच का प्रयोजन केवल सरकार को राज्य कर्मचारी के आचरण के सम्बन्ध मे सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुचने में और यदि आवश्यक हो, तो क्या दण्ड दिया जाय यह तय करने में मदद करना है।[22] इस प्रकार विभागीय जाच के दो उद्देश्य हुये—

(१) तथ्यों की सत्यता का पता लगाना और

(२) दण्ड की मात्रा व भेद का निश्चय। करने मे सरकार की मदद करना।

यह एक केवल औपचारिकता नहीं है परन्तु यह एक गम्भीर कार्यवाही है, जिसका अभिप्राय सम्बन्धित अधिकारी को आरोपों का सामना करने व अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का एक अवसर देना है इस प्रकार की जाच के अभाव मे प्रार्थी के विरुद्ध तथ्यो पर दबाव डालना और यह मान लेना कि उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों (admissions) को ध्यान मे रखते हुये जांच कोई उपयोगी उद्देश्य को पूरा नही करेगी, यह उचित (fair) नही होगा।[23]

17. अमूल्यरतन बनाम डिप्टी चीफ मैके० इन्जि०
AIR 1961 Cal 40

18 जॉन वेन यॉन बनाम आंध्र प्रदेश
AIR 1958 A.P 112

19. शिक्षा बोर्ड बनाम राइस
(1911) A C 179

20 दादाराव भंगोजी तिकडे बनाम मध्य-प्रदेश
AIR 1958 Bombay 204

21. उत्तर प्रदेश शासन बनाम सी० एस० शर्मा
AIR 1963 All 94

22 के० आर० शर्मा बनाम पजाब राज्य
AIR 1958 Punjab 27

23 जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत
AIR 1961 SC 1070

(ग) विभागीय जांच की दो स्थितियां (Two Stages of Departmental Enquiry)

संविधान के अनुच्छेद ३११ की सही शब्द रचना के आधार पर यह एक निश्चित निष्कर्ष है कि 'यथोचित अवसर' में दोषी को दो स्थितियों पर अवसर देना सम्मिलित है **पहली स्थिति**, जिसे विभागीय जांच कहा जाता है, ज्योंही किसी कर्मचारी से उच्चाधिकारियों द्वारा दण्ड देने की नियत से आरोपों का उत्तर पूछा जाता है, आरम्भ होती है और **दूसरी स्थिति** प्रस्तावित दण्ड की सूचना के समय से आरम्भ होती है।[24]

विभागीय जांच सम्बन्धित कर्मचारी को आरोपों का सही स्पष्टीकरण पेश करने, साक्ष्य को जानने, विरोधी गवाहों से तर्क करने और बचाव पेश करने का अवसर देना है। । केन्द्रीय प्रसैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९५७ में भी जांच की दो स्थितियां निहित हैं; इसी प्रकार अन्य राज्यों व विभागों के नियमों में भी ऐसा ही है। यदि किन्हीं नियमों के बिना भी किसी कर्मचारी को निष्कासित, सेवामुक्त, सेवाच्युत या पदावनत करने का दण्ड देना है, तो भी जांच की दो स्थितियां होंगी। विभागीय जांच पूर्णत: आवश्यक है। इसी प्रकार राजस्थान के नियमों में भी ये दोनों स्थितियां हैं और नियम १६ (१) के अधीन जांच आवश्यक है और जांच की प्रक्रिया भी यथासम्भव आवश्यक है।

(घ) विभागीय जांच : न्यायिक कार्यवाही है या नहीं ?

विभागीय जांच न्यायिक कार्यवाही (Judicial Proceedings) है या नहीं ?—यह एक मतभेद का प्रश्न रहा है। कठोर अर्थ में विभागीय जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। किन्तु यह अब सुनिश्चित हो गया है कि सहज न्याय के सिद्धान्त इस कार्यवाही पर उसी शक्ति से लागू होते हैं। जितनी से सब न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं।[25] किन्तु **सर्वोच्च न्यायालय** ने **बचित्तरसिंह**[26] के मामले में बताया है कि—"राज्य कर्मचारी के विरुद्ध की गई विभागीय जांच को (क) जांच (जिसमें कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य हैं या नहीं—इस प्रश्न का निर्णय निहित है) और (ख) कार्यवाही करना (जिसमें किसी मामले में दोषारोपण सत्य पाये गये, कर्मचारी को दण्ड देना है या नहीं और यदि हां, तो किस प्रकार) इन दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और ऐसा तय करने के बाद यह नहीं माना जा सकता है कि पहली बिन्दु जिसमें साक्ष्य के आधार पर निर्णय सम्मिलित है, वह **न्यायिक** है; जबकि दूसरी शुद्ध रूप में **प्रशासनिक निर्णय** है, जो सरकार द्वारा बदला जा सकता है। राज्य कर्मचारी के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही इस प्रकार

---

24. खेमचन्द बनाम भारत संघ
AIR 1959 S C 300

25. सौभागमल बनाम राजस्थान राज्य
AIR 1954 Raj. 207;
मेघराज बनाम राजस्थान राज्य
AIR 1956 Raj. 28;
ज्योति प्रसाद बनाम एस० पी०
AIR 1958 Punjab 327;
अनन्तनारायण बनाम जनरल मैनेजर, दक्षिण रेल्वे
AIR 1956 Mad. 220;
मंगलसिंह बनाम राज्य
AIR 1956 MB 257;
आन्ध्र राज्य बनाम कामेश्वर राव
AIR 1957 AP 794;
आशुतोषदास बनाम प० बंगाल राज्य
AIR 1956 Cal. 278;
बसन्तराव बनाम बम्बई राज्य
AIR 1955 NUC [Bom.] 552

से विभाजनीय नही है । यहां केवल एक क्रमिक कार्यवाही है, यद्यपि उसमे दो स्थितियां हैं । **पहली स्थिति**, राज्यकर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप साक्ष्य के आधार पर स्थापित हुये या नहीं— इसके निष्कर्ष तक आने की है और दूसरी स्थिति, केवल तभी आती है, यदि यह पाया जावे कि वे (आरोप) स्थापित हो गये हैं । वह स्थिति सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही (दण्ड) करने से सम्बन्धित है । **ये दोनों स्थितियां समान रूप से न्यायिक हैं ।** इस प्रकार कार्यवाही की यह स्थिति (दूसरी) पहली से कम न्यायिक नही है । परिणाम स्वरूप दुराचरण से दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही (Action) एक न्यायिक आज्ञा है और यह दण्डाधिकारी की इच्छा (Will) पर नहीं बदली जा सकती । वास्तव में, दण्ड के प्रश्न पर दिये जाने वाले नोटिस का यही उद्देश्य है कि यह दिया गया दण्ड स्थापित आरोपों और मामले की अन्य सहायक परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित है ।

इस प्रकार विभागीय जांच में किसी आरोप के लिये दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध दिये गये दण्ड को एक प्रशासनिक आज्ञा मानना पूर्णतः गलत है ।

[It is thus wholly erroneous to characterise the taking of action against a person found guilty of any charge at a departmental enquiry as an administrative order.][26]

(ङ) विभागीय जांच की प्रक्रिया (तरीका)

'विभागीय जांच' असाधारणदण्ड देने की प्रक्रिया को ही कहते हैं । यह नियम १६ में दी गई है, जिसे इसी नियम मे अनिवार्य बताया गया है । यह नियम एक राज्य कर्मचारी को यह अधिकार देता है कि—उसके विरुद्ध जांच इसमे बताई प्रक्रिया से की जावे । इसे जांच कर्त्ता अधिकारी की धुन [Whims] और इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है कि वह मनमाने तरीके से जांच करे ।[27]

(च) राज्य कर्मचारी और विभागीय जांच—

जिस राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय-जांच आरम्भ हुई या चल रही है, वह उस कार्यवाही के दौहरान हर आवश्यक स्थिति पर एक 'राज्य कर्मचारी' रहना चाहिये ।[28] यदि किसी भी समय बीच मे वह राज्य कर्मचारी नही रहता है, तो सरकार को उसके विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नही है । त्यागपत्र [स्तीफा] देने पर वह स्वतः ही राज्यकर्मचारी नहीं रहता मालिक व नौकर का सम्बन्ध समाप्त होते ही राज्य कर्मचारी के आचरण के लिये विचाराधीन जांच अक्षम [Incompetent] रह जाती है ।[29] किन्तु जब त्यागपत्र पर्याप्त नहीं था और उचित नोटिस नहीं दिया गया था, ऐसी दशा मे अनुशासनिक कार्यवाही करने से अधिकारियों को वंचित नहीं किया जा सकता ।[30] सेवानिवृत्ति के बाद जांच नही चल सकती ।[31]

जैसा कि बताया जा चुका है, विभागीय जांच दण्ड देने के पहले एक अनिवार्यता है,

26. अच्छित्तरसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 SC 395.
27. कन्हैयालाल बनाम राजस्थान राज्य ILR 1957 Raj. 823
28. सुब्बाराव बनाम मैसूर राज्य AIR 1964 Mysore 221
29. हरिचरण बनाम राज्य AIR 1955 T & C 245
30. हरविलास बनाम कमिश्नर आयकर AIR 1963 Cal. 359
31. आसम राज्य बनाम पदमाराम AIR 1965 SC 473; नवलकिशोर बनाम राज्य AIR 1957 Raj. 82

बाध्यता है। संविधान के अनुच्छेद ३११ के कारण इससे मुक्ति नहीं मिल सकती और इसके बिना कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता।[32] अनुच्छेद ३११ द्वारा राज्य की शक्तियों पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह मूलरूप की अपेक्षा प्रक्रिया सम्बन्धी है (...is procedural rather than substantive)[33] रेल्वे एस्टेब्लिशमेंट कोड का नियम १७०९ में जहाँ बिना जांच के हटाने का प्रावधान है, वह अवैध है; क्योंकि कोई नियम संविधान के प्रावधानों से ऊपर नहीं जा सकता।[33] केवल एक बार जांच शुरू कर देने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार नोटिस देकर प्रार्थी की सेवायें कभी भी समाप्त करने के अधिकार से वंचित हो गई। सरकार कभी भी जांच को बन्द कर सकती है।[34] प्रारम्भ करने की शक्ति में वापस लेने की शक्ति आवश्यक रूप से निहित है।[35] यह आवश्यक नहीं है कि जांच पूरी की जावे और सम्बन्धित कर्मचारी उसे पूरा करने लिए जोर दे।[34] प्रार्थी के विरुद्ध नियम १६ के अधीन जाँच प्रस्तावित की गई और आरोप पत्र दिया गया। बाद में उसे नियम २४४ (२) राजस्थान सेवा नियम के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया। प्रार्थी का यह कथन कि पहले जांच पूरी की जावे और बाद में उसे सेवानिवृत्त किया जावे, न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया; क्योंकि जिसे सेवानिवृत किया जाता है, वह सेवा का सदस्य नहीं रहता और न असैनिक पद धारण करता है। अतः सेवा निवृत्ति की आज्ञा प्रभावित होने के बाद न उसको कोई दण्ड दिया जा सकता है और न ही जांच जारी रखी जा सकती है।[36]

संविधान के लागू होने से पूर्व रियासतों के कर्मचारियों को कोई संरक्षण नहीं था और बिना जांच के उन्हें हटाया जा सकता था,[36A] पर यह अब सम्भव नहीं है।

(४) विभागीय जांच और सहज न्याय के सिद्धान्त
[Departmental Enquiry and Principles of Natural Justice]

विभागीय जांच और अनुशासनिक कार्यवाही पर सहज न्याय के सिद्धान्त उसी शक्ति लागू होते हैं, जितनी से वे न्यायिक-कार्यवाही पर लागू होते हैं; यह एक सुनिश्चित व सुस्थापित निर्णय है।[37] सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक कार्यवाही भी मान लिया है।[38] सहज न्याय के सिद्धान्तों का वर्णन किसी विधि (कानून) में अलग से स्पष्ट नहीं मिलता। ये विभिन्न न्यायालय-निर्णयों के आधार पर व हरेक मामले के तथ्यों पर आधारित व स्थापित सिद्धान्त हैं। यहां संक्षेप में इन सिद्धान्तों के नियमों की सूची दी गई है—

(१) सहजन्याय का आधार निष्पक्षता या समता (equity), सत्यनिष्ठा (honesty) और औचित्य (Right) हैं।

32. रामलाल बनाम भारत संघ 1963 RLW (128)
33. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय बनाम जिला दण्ड नायक AIR 1960 All. 55
34. एस. एम. पाण्डेय बनाम मध्यप्रदेश AIR 1961 MP 293; श्रीमती रामदुलारी कठिवार बनाम विद्यालय निरीक्षक— AIR 1961 All 64
35. आर. मारकैया बनाम ट्रिब्यूनल AIR 1962 AP 303
36. नवलकिशोर दुबे बनाम राजस्थान राज्य AIR 1957 Raj. 82
36.A लाल्ना मव.नी सहाय बनाम राज्य 1955 RLW 30
37. AIR 1954 Raj. 217; AIR 1956 Raj. 28; 1953 Punjab 327; 1956 M.B. 257; 1957 AP 794; 1956 Cal. 278; and 1955 NUC (Bom) 552; 1964 SC 396; 1963 Cal. 316; 1954 Hydrabad 201; 1958 All. 607
38. बच्चित्तरसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 SC 395

(२) कोई व्यक्ति अपने स्वय के कार्य के लिये न्यायाधीश नही हो सकता।[39]

(३) किसी की बिना सुने भर्त्सना नही की जावे,[40] और प्रारम्भ से ही दोषी मान कर न चला जावे।[40A]

(४) निर्णय सद्‌विश्वास (good faith) मे किया जावे।[41]

(५) किसी व्यक्ति को उसका अपराध स्पष्ट बताया जावे।[40]

(६) न्याय केवल किया जाना ही नही चाहिये, वरन् न्याय किया जा रहा है, यह स्पष्ट व निसदेह रूप से प्रतीत होना चाहिये।[42]

(७) किसी पक्ष की पीठ पीछे इकट्ठी की गई सामग्री उसके विरुद्ध विश्वास नहीं की जा सकती।[43]

उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर इसके निम्नलिखित दो रूप सामने आते हैं:—

(१) यथोचित अवसर का सिद्धान्त (Doctrine of Reasonable Opportunity)

(२) पक्षपात का सिद्धान्त (Doctrine of Bias)

इनका विस्तृत विवेचन परिशिष्ट (क) मे किया गया है तथा यथासम्भव प्रसग मे भी इनका उल्लेख किया गया है।

(५) विभागीय जांच और अभियोजन (Departmental Enquiry and Prosecution)

यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई ऐसा दण्डात्मक-आरोप (Criminal charge) हो, जिसके लिए सक्षम न्यायालय मे मुकदमा चलाया जा सकता हो; अथवा किसी कर्मचारी को सज्ञेय-अपराध (Cognizable Offence) मे गिरफ्तार कर लिया गया हो; तो यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि पहले अभियोजन (Prosecution) किया जावे या विभागीय जाच।[44] अभियोजन के साथ साथ विभागीय जाच करते रहने से न्यायालय की मानहानि नही होती,[44A] परन्तु न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, ताकि कर्मचारी के बचावपक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडे।[44B] राजस्थान सरकार का निर्देश है कि† साधारणतया पहले विभागीय जांच की जावे, जहा विभागीय और कानूनी दोनों कार्यवाहियां सम्भव हों। पुलिस मे इसका अन्वेषण (तफतीश) चालू रखा जा सकता है, किन्तु न्यायालय में अभियोग पत्र (चालान) तभी पेश किया जावे, जब कि विभागीय जाच पूरी हो जाय और दोषी को दण्डित कर दिया जावे। जहां

39 [1926] AC 586, AIR 1951 All 257 [FB]

40. आर. सी. वर्मा बनाम आर.डी. वर्मा AIR 1958 All 532

40.A AIR 1961 Cal. 40

41. करुणानिधि नायडू बनाम मद्रास राज्य 1956-II-LLJ 347

42. नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1959 SC 1376

43. श्यामसुन्दर मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1957 Orissa 222;

44. डा० प्रतापसिंह बनाम पजाब राज्य AIR 1963 Punj 298
अब्दुल रहीम बनाम सी ई.ओ. आंध्र AIR 1964 AP 407

44A. AIR 1962 M P. 72

44.B दिल्ली क्लाथ मिल बनाम कुशलभान AIR 1960 SC 806

†विज्ञप्ति स० एफ. २३(१६) नियुक्ति (क)५७ ग्रु० ३ दि० ६–२–६२ के अनुसार।

उपलब्ध साक्ष्य (शहादत) के आधार पर स्पष्ट मुकद्मा बनता हो और जिसमें सजा होने की हद संभावना हो, वहां पहले अभियोजन आरम्भ किया जा सकता है। विभागीय जांच या अभियोजन में से चयन करना सरकार का कार्य है, न्यायालय अपना अभिमत जोर से लागू नहीं कर सकता।[45] किसी कर्मचारी पर पुलिस–अधिनियम में अभियोजन चलाया जा सकता हो, उसी मामले में विभागीय जांच भी की जा सकती है।[46]

एक राज्य कर्मचारी को अदक्षता, अवज्ञा, भ्रष्टाचार की सामान्य प्रतिष्ठा और किसी अपराध करने के समुचित संदेह के कारणों पर निष्कासित या सेवाच्युत किया जा सकता है। जहां आरोपित दुराचरण भारतीय दंड संहिता (I.P.C.) के अधीन कोई अपराध बनता हो, तो यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि पहले न्यायालय में मुकद्मा चलाया जाय और बाद में मुकद्में के निर्णय के बाद उसके विरुद्ध विभागीय जांच आरम्भ की जाय अथवा बिना फौजदारी अभियोजन के ही उसके विरुद्ध विभागीय जांच आरम्भ की जाय। जहां दुराचरण से कोई अपराध बनता हो, वहां अनुच्छेद ३११(२) के परन्तुक (क) से विभागीय जांच स्पष्ट हो जाती है, जो यह दिखाता है कि राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकती है और उसे बिना अभियोजन चलाये और बिना न्यायालय से दण्डित हुये जांच के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप निष्कासित या सेवाच्युत किया जा सकता है। परन्तु वह न्यायालय द्वारा दण्डित हो गया हो, तो उसे निष्कासित, सेवाच्युत या पदावनत करने के लिये संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के प्रावधानों की अनुपालना करना भी आवश्यक नहीं है।[47]

विभागीय जांच का उद्देश्य किसी राज्य कर्मचारी के आचरण के सम्बन्ध में दण्ड का निर्णय करने के लिए सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करना है, यदि ऐसा दण्ड देना उचित हो। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध लगाये आरोप तत्स्वरूप से भ्रष्टाचार–निरोधक–अधिनियम की धारा ५(२) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६१ व १०६ से भी आवृत होते हों, तो ऐसा मानकर जांच अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही को दण्डात्मक या अर्द्धदण्डात्मक (Criminal or Quasi-Criminal) नहीं माना जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जांच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा १०३(४) के प्रावधानों का पालन करने को बाध्य नहीं है। यदि इन प्रावधानों का पालन करने से जांच अधिकारी मना कर दे, तो अनुच्छेद २२६ के अधीन प्राप्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा वह आज्ञा निरस्त करने योग्य नहीं है।[48]

ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं है, जो न्यायालय को ऐसा अधिकार प्रदान करता हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में दण्डात्मक–अभियोजन आरम्भ कर दिया गया हो, तो केवल इसीलिए विभागीय कार्यवाही को स्थगित कर दिया जावे। दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न प्रतीत होता है। विभागीय जांच का उद्देश्य यह है कि क्या कोई अधिकारी सेवा में रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं? दूसरी ओर फौजदारी कार्यवाही का उद्देश्य दंड संहिता के अधीन अपराध के लक्षण प्रमाणित होते हैं या नहीं, इसका पता लगाना है। इन दोनों कार्यवाहियों का क्षेत्र पूर्णतः समान नहीं है और संविधान का अनुच्छेद २०(३) इस मामले में लागू नहीं होगा। क्योंकि यह

45. सरदार दलमेरसिंह बनाम पेप्सू राज्य AIR 1955 Pepsu 97
46. भगवतसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1960 SC 1210
47. मध्यप्रदेश शासन बनाम लाइलीशरण सिन्हा AIR 1958 MP 326
48. AIR 1954 SC 375

केवल उसी मामले मे लागू होता है, जहां उसी समान आरोप के लिए मुकद्दमा चलाया जा रहा हो। विभागीय जांच मे व्यक्ति के विरुद्ध कोई फौजदारी (दण्डात्मक) अपराध के लिए कार्यवाही नहीं होती।[49] नियम या आदेश केवल विभागीय प्राधिकारियों को यह निश्चय करने की इच्छा (option) प्रदान करते हैं कि दुराचरण के लिये विभागीय जांच या अभियोजन करना है। खण्ड ७२ सरकारी आदेश संहिता (M.G O.) यह नहीं बताता कि जहा दण्डात्मक अभियोजन हो, वहा साथ-साथ विभागीय जांच नही हो सकती।[50] संविधान के अनुच्छेद २०(३) के अधीन संरक्षण तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित कर सके कि—उनके अभियोजन के लिये किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय, पुलिस या अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष उसके विरुद्ध दोषारोपण किया है।[51] किसी रेल्वे दुर्घटना के लिये की गई वैधानिक विभागीय जाच को अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जाच नही माना जा सकता।[52] एक सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध जांच-कमेटी ने रेल दुर्घटना की जांच के बाद निर्णय दिया। जिसके आधार पर उसे पदावनत कर दिया गया। इस पर माना गया कि—वैधानिक जाच कमेटी द्वारा की गई दुघटना की जाच के निष्कर्ष अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच का निष्कर्ष नही माना जा सकता। अतः संवैधानिक नियमो का भग हुआ है।[53] ऐसी वैधानिक जांच के बाद नियमानुसार आरोप देकर पुन विभागीय जांच करके ही कर्मचारी को दण्डित किया जा सकता है।

एक बार जब मामला न्यायालय मे दे दिया गया है, तो यह उचित होगा कि विभागीय जाच को स्थगित कर दिया जावे।* यदि ऐसा नही किया गया, तो दोनो कार्यवाही साथ साथ चल सकती हैं।[53A] जब तक फौजदारी आरोप विचाराधीन है, विभागीय जांच शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।[53B] यदि विभागीय जाच विधि द्वारा किसी राज्य कर्मचारी के दुराचरण के लिये सरकार को किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुचने मे सहायता करती है तो फौजदारी कार्यवाही अलग से स्थगित की जा सकती है।[53C]

[इस प्रसग मे पीछे देखिये—पृष्ठ ४२ पर (ब) स्वत निलम्बन, पृष्ठ ४४ पर (ड) फौजदारी जाच या मामले मे निलम्बन, पृष्ठ ६१ फौजदारी मुकद्दम के बाद]

अभियोजन की अनुमति (Sanction for prosecution)—

निराधार व संदेहयुक्त मामलो में अभियोजन को निरुत्साहित करने के लिए एक राज्य कर्मचारी के अभियोजन से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C) की धारा १९७ व धारा (६) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अधीन नियुक्ति-प्राधिकारी से अनुमति (Sanction)

49. AIR 1958 Cal 682
50. भगवानसिंह बनाम उपायुक्त सीतापुर AIR 1962 All 232
51 AIR 1954 SC 300, 1955 Madras 716, 1958 Cal 682, 1963 Patna 38
52. अमलेन्दु घोष बनाम उ०पू० रेल्वे AIR 1960 SC 992
53. पूर्वोक्त स० ५२; पी. एकम्बरम् अन्तुरगम बनाम जनरल मॅनेजर AIR 1962 Mysore 84
53.A भगतसिंह बनाम पजाब राज्य AIR 1960 SC 1210; मध्यप्रदेश बनाम तरलसिंह AIR 1958 M P 325- करूप उदायर बनाम मद्रास राज्य AIR 1956 Madras 460
53 B AIR 1957 Orissa 52. 1952 Nagpur 170 1954 Nag 729
53.C एस ए वेंकटरमण बनाम भारत सघ AIR 1954 SC 375

*विज्ञप्ति - ० फ १०(१६) एफ-३(१)एच० ए०/५६ दि० १५-१२-५६

लेनी आवश्यक है। इसके बाद ही न्यायालय में अभियोग-पत्र (चालान) पेश किया जा सकता है। ऐसी अनुमति के लिये यदि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस या अन्य प्राधिकारी किसी दोषी कर्मचारी का अभियोजन प्रस्तावित करता है, तो नियुक्ति-प्राधिकारी को उस तथ्यात्मक विवरण (factual report) की बहुत ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिये और फिर उस मामले के तथ्यों को देखते हुए अनुमति दी जा सकती है या अस्वीकार की जा सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं जिला पुलिस से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त होने के दिनांक से ५ दिन में निपटा देना चाहिये। यदि अनुमति दी जावे, तो वह यथासंभव विस्तृत हो और उसमें विशेषरूप से यह उल्लेख किया जावे कि—नियुक्ति प्राधिकारी ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया है और वह ऐसी अनुमति देने के लिये सक्षम है। यह अनुमति स्वीकृत प्रपत्र (१४) में दी जानी चाहिये,* जो आगे परिशिष्ट (ख) (५) में दिया गया है।

समझौते (Convenant) के अनुच्छेद २० के अधीन केवल दीवानी व फौजदारी कार्यवाही के लिये राजप्रमुख की अनुमति लेना चाहा गया है। जांच-आयोग की कार्यवाही जो राज्य कर्मचारी के दुराचरण के लिये की गई फौजदारी प्रकार की कार्यवाही नहीं है।[54] राज्य कर्मचारी के अभियोजन की अनुमति वैध रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही दी जानी आवश्यक है। बीकानेर संभाग के उत्तरी रेल्वे के डिवीजनल इन्जिनियर, जो एक रेल्वे कर्मचारी के न तो नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न उन्हें ऐसे अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे, फिर भी अभियोजन की अनुमति दे दी; जो कि कानूनन अशुभ (अवैध) है।[55]

धारा १९७ Cr. P. C. का संरक्षण केवल उसी व्यक्ति को मिलता है, जो अपराध के संज्ञान लेने के दिन किसी कार्यालय में कार्य कर रहा था।[56] इसके लिये दो बातें सिद्ध करनी होती हैं—(१) सरकार की अनुमति के बिना उस राज्य कर्मचारी को पद से नहीं हटाया जा सकता और (२) अपराध उसके द्वारा शासकीय काय करते समय किया गया हो। इसे सिद्ध करने के लिये आरोपित अपराध और शासकीय कार्य (official duty) में यथोचित सम्बन्ध होना चाहिये। यदि उसमें किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हुए भी अपराध किया, तो उसे संरक्षण प्राप्त है; परन्तु इनका सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक है।[57] धारा ६ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (सं० २।१९४७) एवं धारा १९७ Cr. P. C. के अधीन दो एतराज उठाये जा सकते हैं—(१) कि—अभियोजन की अनुमति देने वाला प्राधिकारी कानून या कार्यप्रणाली-नियमों के अधीन सक्षम नहीं था और (२) कि—अनुमतिदाता ने उन तथ्यों व परिस्थितियों पर मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, जिन पर अभियोजन आधारित है। न्यायालय को इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिये।[58] अनुमति की आज्ञा में किसी घटना की गलत तिथि लिखी जाने से वह अवैध नहीं हो जाती।[59] कार्यप्रणाली नियमों के नियम ३१ के अनुसार अनुमति सम्बन्धित मंत्री द्वारा दी जा सकती है। इसका प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष अन्तिम आज्ञा हेतु पेश करना आवश्यक नहीं।[58]

---

54. पी. जोजेफ जान बनाम ट्रावनकोर कोचीन AIR 1955 SC 160
55. परमेश्वरदयाल बनाम राज्य AIR 1963 Raj. 126
56. AIR 1932 Sind 177; 1937 Nagpur 293; 1952 Nag 12; 1953 All. 420; 1959 SC 107; 1960 Raj. 247
57. AIR 1956 SC 44; 1955 SC 287 and 1962 RLW 148
58. राज्य बनाम ताराचन्द 1963 RLW 8
59. कृष्णकुमार बनाम राज्य 1963 RLW 34

*Hand Book on Disciplinary Proceedings : Page 11, Para 16.

अभी हाल ही में मार्च १९६८ मे इसी मामले की अपील मे राज्यपाल की अन्तिम आज्ञा होना आवश्यक मान लिया गया है।[60]

न्यायालय से विमुक्त (बरी) हो जाने पर—(After acquittal from th e Cou of Law)—

न्यायालय मे मुकद्मा चलने के बाद जब अन्त मे किसी अभियुक्त कर्मचारी को विमुक्त (वरी) व दोषरहित घोषित कर दिया गया, इसके बाद मे भी उन्ही अ रोपो पर विभागीय-जाँच शुरू करने के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद रहा है। एक मत यह है कि उन्ही तथ्यो के आधार पर राज्य सरकार आगे पुन: जाच आरम्भ कर सकती है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की मान्यता है 'क्योकि फौजदारी अदालत ने प्रार्थी को सजा नही दी केवल इसी कारण से विभाग को उस मामले मे आगे जाँच करने से मना नही किया जा सकता है। विभाग को छूट है कि वह उचित जाँच के बाद उसे निष्कासन का दण्ड दे।'[61] पटना उच्च न्यायालय ने भी इसी मत की पुष्टि की है,[62] इसके विपरीत दूसरा मत इसे अस्वीकार करता है। मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय ने निर्णय दिया है कि—सहज न्याय के प्रारम्भिक सिद्धान्तो का महा हनन हुआ है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार अभियुक्त दोषमुक्त है, जब कि विभागीय प्राधिकारी न्यायालय के इस निर्णय के ऊपर बैठना चाहते है। यदि इसे स्वीकार कर लिया गया, तो न्याय-प्रशासन का मूल आधार ही कांप उठेगा। यह सत्य है कि न्यायालय विभागीय प्राधिकारी के निर्णय पर अपीलीय न्यायालय की तरह विचार नहीं कर सकता, परन्तु उसी प्रकार यह भी समान सत्य है कि विभागीय प्राधिकारी को न्यायालय के निर्णय पर एक अपीलीय न्यायालय की तरह बैठने की अनुमति नही दी जा सकती। अतः इस विभागीय जाच मे लगाये गये आरोप नही बनाये जा सकते। विभागीय जाँच मे आगे की कार्यवाही एक शून्य की तरह है, उन्हे यह न्यायालय अदृष्टिगत (ignore) कर सकता है। यदि इस विभागीय जाँच से दोष के निष्कर्ष पर नही पहुंचा जा सकता, तो अपीलकर्ता से प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध कारण बताने के नोटिस पर उत्तर भी नही मागा जा सकता।[63]—सन् १९६४ मे भी इस उच्च न्यायालय ने इसी मत की पुष्टि की है।[64] सन् १९६२ मे मैसूर उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही निर्णय दिया है।[65]

हा, उन्ही आरोपो के अतिरिक्त अन्य आरोपो पर विभागीय जाच की जा सकती।[66]

इस प्रकार दूसरा मत कि विभागीय जाच की अनुमति नही दी जा सकती, न्याय सगत व उचित प्रतीत होता है।

---

60. ताराचन्द बनाम राज्य (१९६८ [मार्च] राजस्थान)
61. राधाकृष्ण पटनायक बनाम उडीसा राज्य AIR 1962 Orissa 125
62. परमदेवसिंह बनाम बिहार राज्य AIR 1956 Patna 228
63. कमर अली वाहिद अली बनाम मध्यप्रदेश AIR 1959 MP 46
64. रामस्वरूप शर्मा बनाम डि० कम० सुपरिन्टेन्डेन्ट AIR 1964 MP 155
65. पी एवम्बरम पुन्नुरंगम बनाम जनरल मैनेजर AIR 1962 Mysore 84
66. डी, सिन्हा बनाम रीजनल ट्रासपोर्ट अथारिटी AIR 1952 Madras 853
नारायणदेव बनाम बिहार राज्य AIR 1956 Patna 228

असाधारण दण्ड देने की प्रक्रिया

[Procedure for Imposing Major Penalties]

Rule—16

(1) Without prejudice to the provisions of the Public Servants (Enquiries) Act, 1850, no order imposing on a Government servant any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 shall be passed except after an inquiry held, as far as may be, in the manner hereinafter provided.

(2) The Disciplinary Authority shall frame definite charges on the basis of the allegations on which the inquiry is proposed to be held. Such charges together with the statement of allegations, on which they are based, shall be communicated in writing to the Government servant, and he shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority, a written statement indicating whether he admits the truth of all or any of the charges, what explanation or defence, if any, he has to offer and whether he desires to be heard in person;

Provided that it shall not be necessary to frame any additional charges when it is proposed to take action in respect of any statement or allegation made by the person charged in the course of his defence.

EXPLANATION—In this sub-rule and in sub-rule (3) the expression "the Disciplinary Authority" shall include the authority competent under these rules to impose upon the Government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 14.

(3) The Government servant shall, for the purpose of preparing his defence, be permitted to inspect and take extracts from such official records as he may specify, provided that such permission may be refused, if for reasons to be recorded in writing, in the opinion of the Disciplinary Authority such records are not relevant for the purpose or it is against the public interest to allow him access thereto.

(4) On receipt of the written statement of defence or if no such statement is received within the time specified, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the charges, as are not admitted or, if it considers it necessary so to do, appoint a Board of Inquiry or an Inquiring Officer for the purpose.

(5) The Disciplinary Authority may nominate any person to present the case in support of the charges before the authority inquiring into the charges (hereinafter referred to as the Inquiry

Authority). The Government servant may present his case with the assistance of any other Government servant approved by the Disciplinary Authority, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the Disciplinary Authority is a legal practitioner or unless the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

**EXPLANATION*—For the purpose of this sub-rule, a Public Prosecutor, Prosecuting Inspector or a Prosecuting Sub-Inspector shall be deemed to be a legal practitioner.

(6) (a) The Inquiring Authority shall, in the course of the inquiry consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material in regard to the charges. The Government servant shall be entitled to cross examine witnesses examined in support of the charges and to give evidence in person. The person presenting the case in support of the charges shall be entitled to cross examine the Government servant and the witnesses examined in his defence. If the Inquiring Authority declines to examine any witness on the ground that his evidence is not relevant or material, it shall record its reasons in writing.

§ (b) The Inquiring Authority may, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, recall witnesses for examination in part-heard case being conducted by him.

§ (c) In case a Government servant against whom inquiry has been ordered fails to attend the inquiry proceedings inspite of clear service of summons, the Inquiring Authority may proceed with the inquiry in the absence of such Government servant keeping in view the provisions of rule 19 (ii) of these rules.

§ (d) In case of joint departmental inquiries under rule 18 of these Rules if on any date one or more Government Servant/s fails/fail to appear before the Inquiring Authority, but the Government servant/s assisting them under specific approval of the disciplinary authority is/are present, the Inquiring Authority may proceed with the inquiry.

---

* Inserted vide No. F 3(6) Apptts. (A-III)/63 dated 16-7-63

§ Added vide No F. 3 (5) Apptts. (A-III) 65 dated 11. 3. 66.

(7) At the conclusion of the inquiry, the Inquiring Authority shall prepare a report of the inquiry, recording its findings on each of the charges together with reasons therefor. If in the opinion of such authority the proceedings of the inquiry estblish charges different from those originally framed, it may record findings on such charges provided that findings on such charges shall not be recorded unless the Government servant has admitted the facts constituting them or has had an opportunity of defending himself against them.

(8) The record of inquiry shall incude:—

(i) The charges framed against the Government servant and the statement of allegations furnished to him under sub-rule (2);

(ii) his written statement of defence, if any;

(iii) the oral evidence taken in the course of the inquiry.

(vi) the documentary evidence considered in the course of the enquiry.

(v) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Inquiring Authority in regard to the inquiry; and

(vi) a report setting out the findings on each charge and the reasons therefor.

(9) The Disciplinary Authority shall, if it is not the Inquiring Authority, consider the record of the inquiry and record its findings on each charge.

* The Disciplinary Authority may while considering the report of the Inquiring Authority for just and sufficient reasons to be recorded in writing remend the case for further/*de novo* inquiry in case it has reason to believe that the inquiry already conducted has been laconic in some respect or the other.

10. (i) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on the charges is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of rule 14 should be imposed, it shall:

(a) furnish to the Government servant a copy of the report of the Inquiring Authority and, where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority a statement of its findings together with brief reasons for disagreement, if any, with the findings of the Inquiring Authority; and

* Inserted vide No. F. 3(5) Apptts. (A-III)/65 dated, 11.3.66.

§ (b) give him a *notice* stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within a specified time such representation as he may wish to make on the proposed penalty, provided that such representation shall be based only on the evidence adduced during the enquiry.

(ii) (a) In every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in response to such notice, if any, shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Commission for its advice.

(d) On receipt of the advice of the Commission, the Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, made by the Government servant as aforesaid and the advice given by the Commission and determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and pass appropriate order in the case.

(iii) In any case in which it is not necessary to consult the Commission, the Disciplinary Authority shall consider the represenation, if any, made by Government servant in response to the notice under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and pass appropriate orders in the case.

(11) If the Disciplinary Authority having regard to its findings is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 14 should be imposed, it shall pass appropriate orders in the case;

Provided that in every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Commission for its advice and such advice taken into consideration before passing the orders.

(12) Orders passed by the Disciplinary Authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the Inquiring Authority and where the Disciplinary Anthority is not Inquiring Authority, a statement of its findings together with brief reasons for disagreement, if any, with the findings of the Inquiring Authority, unless

§ Substituted Vide No F. 3 (8) Apptts (A-III) 64 dated 20.3.65

they have already been supplied to him, and also a copy of the advice, if any, given by the Commission, and where the Disciplinary Authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

‡It will, however, not be necessary to furnish a copy of the report of the Enquiry Officer in the case where any penalties specified in clauses (i) to (iii) of the Rule 14 is imposed on the Government servant.

नियम—

(१) लोक सेवक (जांच) अधिनियम १८५० के प्रावधानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, किसी राज्य कर्मचारी को नियम १४ के खंड (४) से (७ तक में वर्णित कोई दण्ड देने की कोई भी आज्ञा यथासम्भव आगे दी गई प्रक्रिया (विधि) के अनुसार जांच किये बिना पारित नहीं की जावेगी।

(२) जिन अभिकथनों पर जांच प्रस्तावित की गई है, उनके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी निश्चित आरोप तैयार करेगा ऐसे आरोप अभिकथनों के विवरण सहित, जिन पर कि वे आधारित हैं; राज्य कर्मचारी को लिखित में दिए जावेंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित अवधि में एक लिखित प्रतिकथन जिसमें यह बताते हुए कि क्या वह सब अथवा उनमें से किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है, उसे क्या स्पष्टीकरण या बचाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

परन्तु अपने बचाव के दोहरान में आरोपित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान या लगाए गए अभिकथनों के सम्बन्ध में जब कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो, तो कोई अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम व उपनियम (३) में प्रयुक्त शब्द "अनुशासनिक प्राधिकारी" में वह प्राधिकारी सम्मिलित होगा जो किसी राज्य कर्मचारी पर नियम १४ के खंड (१) से (३) में वर्णित दण्ड देने के लिए सक्षम है।

(३) राज्य कर्मचारी को अपने बचाव (बारयत) की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा वर्णित कार्यालय के अभिलेख (रेकार्ड) का निरीक्षण करने तथा उसमें उद्धरण लेने की अनुमति दी जायगी, परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की सम्मति में ऐसा अभिलेख उस प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं हो अथवा उस अभिलेख तक उसकी पहुंच की अनुमति देना लोक हित में नहीं हो, तो उन कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसी अनुमति देने से अस्वीकार भी किया जा सकता है।

(४) बचाव में लिखित प्रतिकथन प्राप्त होने पर या निश्चित अवधि में ऐसा प्रतिकथन प्राप्त नहीं होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं उन आरोपों की जाँच कर सकेगा जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है या आवश्यक समझे तो, कोई जांच मण्डल या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

‡ Added Vide No F 3 (13) Apptts (A-III)/63 dated 16. 6. 65.

(५) अनुशासनिक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जांच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे यहां से आगे जाच–प्राधिकारी कहा जायगा) आरोपों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने के लिए मनोनीत कर सकता है। राज्य कर्मचारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य राज्य कर्मचारी की सहायता से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु किसी वकील को इस प्रयोजनार्थ नहीं रख सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई वकील न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति न दे दे।

*स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ एक लोक-अभियोक्ता, अभियोजन-निरीक्षक या अभियोजन-सह्-निरीक्षक को वकील माना जावेगा।

(६) (क) जांच प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसी दस्तावेजी (शहादत) पर विचार करेगा और ऐसी मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के सम्बन्ध में सुसगत व सारभूत हो। राज्य कर्मचारी को आरोपों की पुष्टि में बयान देने वाले साक्षियों से तर्क (जिरह) करने का अधिकार होगा एव वह स्वय साक्ष्य दे सकेगा। आरोपों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति राज्य कर्मचारी व उसके बचाव में बयान देने वाले साक्षियों से तर्क कर सकेगा। यदि जाच अधिकारी किसी साक्षी का कथन (बयान) लिखने से इस आधार पर मना कर दे कि उसकी साक्ष्य सुसगत या सारभूत नहीं है, तो वह इसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

† (ख) उचित और पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करके जांच प्राधिकारी उसके द्वारा सचालित किये जा रहे आधे–सुने मामले में गवाहों को बयानों के लिए दुबारा बुला सकेगा।

† (ग) यदि वह राज्य कर्मचारी जिसके विरुद्ध जाच का आदेश हुआ है स्पष्ट रूप से सम्मन प्राप्त करने के बाद जांच कार्यवाही में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो जाच अधिकारी इन नियमों के नियम १६ (२) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये उस राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति में जांच जारी रख सकेगा।

† (घ) इन नियमों के नियम १८ के अधीन संयुक्त-जाच के मामले में, यदि किसी दिनाक पर एक या अधिक राज्य कर्मचारी जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है (रहते हैं) किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी की विशेष अनुमति से उसकी सहायता करने वाला राज्य कर्मचारी उपस्थित है (हैं) तो जाच अधिकारी जाच को जारी रख सकेगा।

(७) जाच की समाप्ति पर जाच प्राधिकारी जाच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमे प्रत्येक आरोप पर उसका निष्कर्ष मय कारणों के अभिलिखित किया जायगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की सम्मति में जाच की कार्यवाही मूल आरोपो से भिन्न आरोप प्रमाणित करे तो वह उन पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा; परन्तु ऐसे आरोपो पर

---

* विज्ञप्ति स० ३(६) नियुक्ति (क–३)/६३ दि० १६–७–६३ द्वारा निविष्ट।

† विज्ञप्ति स० एफ. ३(२) नियुक्ति (क–३) दि० ११–३–६६ द्वारा निविष्ट

निष्कर्ष तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि या तो राज्य कर्मचारी ने उन तथ्यों को स्वीकार नहीं कर लिया हो जिनसे कि आरोप बनते हों या उसको उनके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा (बचाव) प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल चुका हो।

(८) जांच का अभिलेख (निम्न को) सम्मिलित करेगा—

(१) राज्य कर्मचारी के विरुद्ध बनाये गये आरोप व अभिकथनों का विवरण जो उसे उपनियम (२) के अधीन दिये गये थे।

(२) उसके बचाव का लिखित प्रति कथन, यदि कोई हो।

(३) जांच के दोहरान ली गई मौखिक साक्ष्य।

(४) जांच के दोहरान विचार किया गया दस्तावेजी साक्ष्य।

(५) अनुशासन प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जांच के सम्बन्ध में दी गई आज्ञायें, यदि कोई हो; और

(६) रिपोर्ट जिसमें प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्कर्ष दिये गये हों।

(९) यदि वह (स्वयं) जांच प्राधिकारी नहीं है, तो अनुशासन प्राधिकारी जांच के अभिलेख पर विचार करेगा तथा प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष देगा।

‡ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी न्यायोचित व पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए जब कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि की गई जांच किसी न किसी प्रकार से दूषित हो गई है, तो वह मामले को आगे या पुन: जांच के लिए वापस भेज सकेगा।

(१०) (i) यदि आरोपों के निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि नियम १४ के खण्ड (४) से (७) में वर्णित कोई एक दण्ड दिया जाना चाहिये, तो वह—

(क) राज्य कर्मचारी को जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, तो उस पर अपने निष्कर्ष का विवरण मय जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों के, यदि कोई हो तो, देगा।

† (ख) उसे एक नोटिस (सूचना); जिसमें उसे दिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख करते हुए; देगा कि—वह प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध जैसा वह चाहे वैसा अभिवेदन निर्दिष्ट समय में प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि वह अभिवेदन केवल उसी साक्ष्य पर आधारित होगा, जो जांच के दोहरान प्रस्तुत किया गया था।

(ii) (क) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, उसमें जांच का अभिलेख मय खण्ड (१) के अधीन

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(५) नियुक्ति (क—३)६५ दि० ११—३—६६

† विज्ञप्ति सं० एफ १(८) नियुक्ति (क—३)६४ दि० २०-२-६५ द्वारा प्रतस्थापित।

दिये गये नोटिस तथा उसके उत्तर में प्रस्तुत किये ग अभिवेदन की प्रति के, अनुशासन प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सम्मति के लिये प्रेषित किया जायेगा।

(ख) आयोग की सम्मति प्राप्त होने पर, अनुशासन प्राधिकारी ऊपर निर्दिष्ट राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिवेदन; यदि कोई हो; तथा आयोग की सम्मति पर विचार करके यह निश्चय करेगा कि राज्य कर्मचारी को क्या दण्ड, यदि कोई देना हो, दिया जाना चाहिये और वह उस मामले मे समुचित आज्ञा पारित करेगा।

(iii) किसी मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हो, अनुशासन प्राधिकारी खण्ड (i) के अधीन दिये गये नोटिस के उत्तर में राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिवेदन पर विचार करेगा और निश्चय करेगा कि उसे क्या दण्ड, यदि कोई देना हो, दिया जाना चाहिये और उस मामले, में समुचित आज्ञा पारित करेगा।

(११) यदि अनुशासन-प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह सम्मति बनावे कि नियम १४ के खण्ड (१) से (३) मे निर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड दिया जाना चाहिये, तो वह उस मामले में समुचित आज्ञा पारित करेगा।

परन्तु प्रत्येक ऐसे मामले मे जिसमें आयोग का परामर्श लेना आवश्यक हो, तो जांच का अभिलेख अनुशासन प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सम्मति के लिये भेजा जायगा तथा आज्ञा देने के पहले ऐसा सम्मति पर विचार किया जायगा।

(१२) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा राज्य कर्मचारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति और जहां अनुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नही हो, तो उसके निष्कर्षों का एक विवरण मय असहमति के संक्षिप्त कारणों के यदि कोई हो तो और यदि वे पहले ही उसे नही दे दिये गये हों, और आयोग की सम्मति की एक प्रति; यदि कोई हो, जहा अनुशासन प्राधिकारी ने आयोग की सम्मति को स्वीकार नही किया हो, तो अस्वीकृति के कारणों का एक-संक्षिप्त विवरण भी दिया जावेगा।

‡ जहां किसी मामले में एक राज्य कर्मचारी को नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में वर्णित दण्डो में से कोई एक दण्ड दिया गया हो, तो जाच-अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति देना, येनकेन, आवश्यक नही होगा।

---

‡विज्ञप्ति सं० एफ०३(१३) नियुक्ति (क—३)६३ दि० १६-६-६२ द्वारा निविष्ट।

व्याख्या

(१) परिचय—विभागीय जांच का महत्व

(२) उपनियम (१) का विश्लेषण
- (क) लोक-सेवक अधिनियम के अधीन जांच
- (ख) 'यथा सम्भव आगे दी गई प्रक्रिया' का अर्थ

(३) जांच के स्वीकृत प्रपत्र

(४) प्रक्रिया की ८ स्थितियां

१. दोषारोपण—
- (क) जांच का प्रस्ताव
- (ख) आरोप-पत्र
- (ग) 'व्यक्तिगत सुनवाई' का अर्थ
- (घ) अतिरिक्त आरोप बनाना
- (ङ) अनुशासन प्राधिकारी का अर्थ

२. प्रतिकथन—
- (१) बचाव की तैयारी
- (२) लिखित-प्रतिकथन
- (३) जांच अधिकारी और जांच—
  - (क) नियुक्ति
  - (ख) मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि
  - (ग) दोषी कर्मचारी के सहायक
  - (घ) वकील के लिए अनुमति नहीं

३. साक्ष्य (शहादत)—
- (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं
- (ख) दस्तावेजी शहादत
- (ग) मौखिक साक्ष्य—गवाहियां
- (घ) तर्क-परीक्षा (Cross Examination)
- (ङ) शपथ नहीं
- (च) अनुपस्थिति में कार्यवाही

४. निष्कर्ष—
- (१) जांच-रिपोर्ट व निष्कर्ष—
- (२) जांच का अभिलेख

५. विचार—
- (१) अनु० प्राधि० द्वारा विचार व निष्कर्ष
- (२) पुनः जांच
- (३) दण्ड देने का प्रस्ताव

६. अनुच्छेद ३११ का नोटिस—
- (१) 'यथोचित अवसर' का अर्थ
- (२) अभिवेदन की प्राप्ति व विचार

७. आयोग से परामर्श—

८. निर्णय—
- (१) अन्तिम आज्ञा
- (२) आज्ञा का सम्प्रेषण

१. परिचय—

इस नियम में १२ उपनियम हैं, जिनमें असाधारण प्रकार के दण्ड देने से पूर्व की जाने वाली विभागीय-जांच की कार्यवाही का वर्णन है, जो दो स्थितियों (Stages) व आठ कदमों के रूप में विभाजित की जा सकती है—

(क) विभागीय जांच—(*Departmental Enquiry*)
- १. दोषारोपण (Charge sheet) (उपनियम २)
- २. प्रतिवेदन ((Written Statement) [उपनियम ३, ४ (क) (ग)]
- ३. साक्ष्य (Evidence) [उपनियम ४ (ग), ५, ६]
- ४. निष्कर्ष (Findings) व रिपोर्ट (उपनियम ७, ८)

(ख) विभागीय कार्यवाही (Departmental Proceedings or Action)
- ५. जांच रिपोर्ट पर विचार व निष्कर्ष (उपनियम ९)
- ६. कारण-बताओ-नोटिस (अनु० ३११) उपनियम १० (i)
- ७. आयोग से परामर्श [उपनियम १० (ii) (iii)]
- ८. निर्णय या अन्तिम आज्ञा (उपनियम १० (ii), (iii), ११ व १२)

यह नियम केन्द्रीय-नियमों के नियम १५ के समतुल्य है। इस जांच की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय पृष्ठ ६ पर पहले दिया जा चुका है।

विभागीय जांच का महत्व—

विभागीय जांच में दोषी कर्मचारी के साथ न्याय हो तथा सरकार की प्रतिष्ठाभंग नहीं हो, यह इसके महत्व का मूलसिद्धान्त है। यदि अवैध प्रक्रिया के कारण जांच दूषित हो जाती है, तो सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस लगती है व दोषी कर्मचारी भी परेशान हो जाता है। अतः गलत व बेढंगी जांच करने वाले जांच-अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये। यहां तक कि उसके विरुद्ध निष्कासन का दण्ड तक दिया जा सकता है।[1] निर्देश पुस्तिका में स्पष्ट दिया गया है कि निर्दिष्ट प्रक्रिया को न अपनाने पर जांच अधिकारी या अनुशासनिक-प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये।* अनुचित व अवैध से निष्कासित कर्मचारी न्यायालय से दोष-मुक्त होकर वेतन की बकाया का वाद (दावा) भी कर सकता है।[2] और उसे पूरा वेतन मिलता है।[3] राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कानसिंह ने हरिश्चन्द्र बनाम उपनिदेशक शिक्षा विभाग के मामले में[4] स्पष्ट निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिये; जो नहीं होने पर कर्मचारी को अकथनीय कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं और राज्य को भी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है।[4]

अतः आगे दी गई प्रक्रिया का पूरा पालन करना आवश्यक है।

२—उपनियम (१) का विश्लेषण—

इस उपनियम में निम्न ३ बातें बताई गई हैं—

(क) लोक सेवक जांच अधिनियम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना यह जांच की जावेगी। इस अधिनियम का आगे परिशिष्ट (ख) में विवेचन किया गया है।

(ख) 'यथा सम्भव आगे दी गई प्रक्रिया'—यहां 'यथा सम्भव' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि आगे की जांच की प्रक्रिया में यदि कोई गलती या दोष रह जावे, तो वह पूरी जांच को दूषित नहीं करेगा, बशर्ते कि सहज न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए संविधान के अनुच्छेद ३११ का अक्षरशः पालन कर लिया गया हो। किसी नियम विशेष का पालन नहीं करना ही जांच को निरस्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है।[5]

(ग) विभागीय जांच के बिना नियम १४ में वर्णित असाधारण दण्ड (४) से (७) की कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती।

---

1. द्वारकाचंद बनाम राज्य AIR 1958 Raj 36 (1957 RLW 587)
2. AIR 1958 SC 36
3. तरुणकुमार बनाम-द० पू० रेल्वे AIR 1565 Cal 75
4. AIR 1965 Raj 108
5. ए० के व्यास बनाम राजस्थान राज्य AIR 1960 Raj 1419; गोपीनाथ नायर बनाम राज्य AIR 1960 Kerala 63; एम० ठाकुरजी बनाम मद्रास AIR 1955 Andhra 168, फकीरचंद बनाम चक्रवर्ती AIR 1954 Calcutta 566

* Hand book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj.)—Para 4 (iv)

(३) जांच के स्वीकृत प्रपत्र—(Standard forms for enquiry)—

विभागीय-जांच में अनियमितता न हो तथा सब विभागों में कार्य-प्रणाली में एकरूपता रहे, इसके लिए नियुक्ति विभाग ने स्वीकृत प्रारूप प्रपत्र (Draft standard forms) प्रकाशित किये हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है‡—

प्रपत्र सं०	(१)	निलम्बन की आज्ञा	नियम १३ (१) (क)
"	(२)	" "	नियम १३ (१) (ख)
"	(३)	ज्ञापन—(नोटिस)	नियम १६ (२)
"	(४)	आरोपों का विवरण	"
"	(५)	दोषारोपण का विवरण-पत्र	"
"	(६)	निलम्बन के प्रत्याहरण की आज्ञा नियम १३ (५)	
"	(७)	जांच अधिकारी की नियुक्ति की आज्ञा नियम १६ (४)	
"	(८)	संयुक्त जांच के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति की आज्ञा (नियम १८)	
"	(९)	दूसरे जांच अधिकारी की नियुक्ति की आज्ञा	
"	(१०)	दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति की अस्वीकृति १६ (४)	
"	(११)	कारण बताओ नोटिस (अनु० ३११ (२) एवं नियम १६ (१०) (i) (ख) जांच रिपोर्ट से सहमति पर)	
"	(१२)	कारण बताओ नोटिस (जांच रिपोर्ट से असहमति पर)	
"	(१३)	आयोग से परामर्श की प्रति लिपि नियम १६ (१२)	
"	(१४)	अभियोजन की स्वीकृति (धारा १९७ Cr. P. C. व धारा ६ Pre. C. Act)	
"	(१५)	अपील/पुनरीक्षा में आयोग से परामर्श	

(४) जांच-प्रक्रिया के आठ कदम या सीढ़ियां (Steps)

उपनियम (२) का विश्लेषण

इस उपनियम में निम्न ५ बातें बताई गई हैं—

(क) अनुशासन प्राधिकारी दोषारोपण के आधार पर निश्चित आरोप बनायेगा। यहां नियम १४ में वर्णित (१) से (३) तक दण्ड देने के लिये सक्षम-प्राधिकारी भी अनुशासनिक-प्राधिकारी है—अर्थात्—वह आरोप बना सकता है।

(ख) जांच का प्रस्ताव, आरोप-पत्र और दोषारोपण का विवरण पत्र लिखित में दोषी कर्मचारी को भेजे जावेंगे।

(ग) अनुशासनिक-प्राधिकारी लिखित—प्रतिकथन के प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित कर दोषी से उत्तर मांगेगा।

(घ) वह तीन प्रश्न भी पूछेगा—

‡ विज्ञप्ति सं० डी० १३८९९/एफ २१ (५२) नियुक्ति (क)/५७ दिनांक ९-१२-५७ द्वारा विज्ञप्त। प्रारूप पपत्र देखिये परिशिष्ट (ख) में।

(१) कि—क्या वह (दोषी कर्मचारी) सब या किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है ?

(२) कि—उसे क्या स्पष्टीकरण या बचाव पेश करना है ? और

(३) कि—क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है ?

(८) आरोपित व्यक्ति अपने बचाव के समय जो बयान या दोषारोपण करता है, उसके सम्बन्ध मे कोई दण्ड देने के लिए अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नही होगा।

(१) दोषारोपण

(क) जांच का प्रस्ताव—

जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत या रिपोर्ट आती है, तो उस पर विचार करने के बाद आवश्यक हो, तो 'प्राथमिक जाच' की जाती है; जिसके आधार पर विभागीय जांच प्रस्तावित की जाती है। जाच के प्रस्ताव की सूचना दोषी कर्मचारी को प्रपत्र (३)‡ मे दी जाती है। जिसके साथ उसे एक आरोप-पत्र प्रपत्र (४) मे तथा आरोपो व अभिकथनों का विवरण प्रपत्र (५) मे भेजा जाता है और उसे लिखित-प्रतिकथन प्रस्तुत करने के लिये अवधि का उल्लेख करते हुये निम्न बातें पूछी जाती है—

१. कि वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है।
२. अपने बचाव की पुष्टि मे प्रस्तुत किये जाने वाले गवाहों की सूची।
३. बचाव मे प्रस्तुत किये जाने वाले प्रलेखो (दस्तावेजो) की सूची।
४. बचाव की तैयारी के लिये जिन अभिलेखों (Records) का निरीक्षण करना व उद्धरण लेना चाहे, उनकी सूची।

इस प्रकार जाच के प्रारम्भ में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की सूचना दोषी कर्मचारी को दी जाती है।

(ख) आरोप-पत्र (Charge Sheet)—इसके दो अंग होते हैं—

(१) निश्चित (definite) आरोप तथा (२) जिन अभिकथनो या दोषारोपणों पर वे आधारित हैं, उनका विस्तृत विवरण (Statement of allegations)। ये लिखित मे दोषी कर्मचारी को जाच प्रस्ताव के साथ भेजे जावेंगे। इसकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये रजिस्टर्ड ए० डी० से भेजा जावे या व्यक्तिगत रूप से तामील करवाई जावे।*

१. आरोप-पत्र की आवश्यकता व उद्देश्य—

आरोप पत्र देने के साथ ही विभागीय जांच आरम्भ होती है।[6] आरोप (charge) और दोषारोपण (allegations or accusation) मे अन्तर होता है। जब किसी दोषारोपण के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी किसी कर्मचारी को दण्डनीय मानकर उससे उनके 'विषय मे पूछना है,'।

6. अमूल्यरतन बनाम डि.ची. मैक. इन्जिनियर AIR 1961 Cal. 40

‡ देखिये परिशिष्ट (ख)

*Hand Book on Disciplinary Proceedings—Page 4, Para 8.

तो इसे 'आरोप' कहा जाता है। 'आरोप' (charge) और 'अपराध' (offence) भी पूर्णतः भिन्न हैं। 'अपराध' शब्द फौजदारी मामलों में दण्डनीय-कृत्य के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि 'आरोप' विभागीय जांच में किसी किये गये कार्य या भूल के लिये प्रयुक्त होता है। संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के परन्तुक (क) में प्रयुक्त शब्द 'आरोप' का सम्बन्ध 'अपराध' से है। परन्तु आवश्यक नहीं है कि—'आरोप' शब्द का प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C.) के अर्थ में ही किया जावे।[7] आरोप-पत्र देने का उद्देश्य यही है कि—दोषी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का पूरा पता चल सके व वह उससे अपना बचाव करने का यथोचित अवसर प्राप्त कर सके। सहज न्याय के सिद्धान्त की यही मांग है।[8]

आरोपों का स्वरूप—(Form of Chrages)

(१) आरोप सुस्पष्ट (clear) व सुनिश्चित होने चाहिये।[9]

(२) लिखित में दोषी को दिये जाने चाहिये।

यदि आरोप-पत्र की भाषा संदेहास्पद (vague) व अनिश्चित हो, तो इसे यथोचित अवसर का हनन माना गया है।[10] उदाहरणार्थ—"प्रार्थी का कार्य परिवीक्षाकाल में असन्तोषजनक रहा।" यह संदेहास्पद है। इसका उत्तर देने के लिये प्रार्थी की समझ में यह नहीं आता कि—उसका वास्तविक दोष क्या है।[11] प्रार्थी के विरुद्ध ३७७ फर्जी पास देने का आरोप लगाया गया। परन्तु यह नहीं बताया गया कि—वे पास कब, किसको व कहां के लिये दिये गये। अतः आरोप को अस्पष्ट माना गया।[12]

आरोप संक्षिप्त (precise) व निश्चित (accurate) होने चाहिये।[13] एक अवसर यथोचित हो, इसके लिये दोषी कर्मचारी को साफ शब्दों में पूरे विवरण सहित यह बताया जाना आवश्यक है कि—उस पर आरोपित किये जाने वाले दोष क्या हैं।[14] जब आरोप-पत्र में बिना दिनांक बताये यह नहीं कहा गया कि—दोषी ने कब और कहाँ सरकार की नीति का विरोध किया तो आरोपों को संदेहास्पद (vague) व अनिश्चित indefinite) माना गया है।[15] एक कर्मचारी द्वारा स्वतः कार्य करना बन्द कर देना 'हड़ताल' (strike) नहीं होता। अतः यह आवश्यक माना

---

7. AIR 1959 Punjab 169
8. फायर स्टोन टायर कं० बनाम जैक 1954—ILLJ 281 HC Bom.
9. रामानन्द बनाम डिवी. मै० इन्जिनियर उत्तर रेल्वे ILR 1962 Raj. 302; रनवीरसिंह बनाम सुप० स्माल आर्मस् फैक्ट्री AIR 1957 All. 274; AIR 1963 Tripura 20
10. भारत संघ बनाम कुलचन्द्र AIR 1963 Tripura 20; रवीन्द्र मोहन बनाम संघीय क्षेत्र त्रिपुरा AIR 1961 Tripura 1; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रामाराव AIR 1963 SC 1723; पंजाब राज्य बनाम चुन्नीलाल, AIR 1863 Punjab 503
11. त्रिभुवननाथ बनाम भारत संघ AIR 1953 Nagpur 139; 1954 ILLJ Bom. 281
12. अमूल्य रतन बनाम डि. चौ. मै. इन्जिनियर AIR 1961 Cal. 40
13. पूर्वोक्त सं. १२; अनन्त नारायण बनाम दक्षिण रेल्वे AIR 1956 Mad. 220.
14. त्रिभुवननाथ पांडेय बनाम भारत सरकार AIR 1953 Nagpur 138-9 निरंजनप्रसाद बनाम राज्य AIR 1960 All. 323
15. AIR 1956 Madras 220

गया है कि—आरोप-पत्र मे उस साक्ष्य (गवाही) का उल्लेख होना आवश्यक है, जिसके आधार पर विभाग उन परिस्थितियों को सिद्ध करना चाहता है, जो उस कर्मचारी के इस कार्य को 'हड़ताल' प्रमाणित करेंगे। जहा आरोप-पत्र मे ऐसा विवरण नही हो, तो यह माना गया कि—आरोपों के विरुद्ध स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया।[16] जो आरोप कानून की सीमा से बाहर हैं और जो सक्षिप्त व सुनिश्चित नही हैं—इन दोनों मे स्पष्ट भेद है। दूसरी दशा में कारणों को भुलाया गया है, मानो कोई कारण ही नहीं बताया गया। अतः उन्हें शून्य माना गया।[17] यदि आरोप संदेहास्पद व अनिश्चित हों, तो यह यथोचित अवसर नहीं देना होने से सहज-न्याय क[18] सिद्धान्तों का हनन है और इससे पूरी जांच दूषित हो गई। जब आरोप मे विशेष घटनाओं का उल्लेख करते हुये उनके समय, स्थान, शिकायत करने वालो के नाम और प्रार्थी के विरुद्ध आरोप के दोषारोपण का विवरण है। तो आरोप मे कोई दोष (defect) नही माना गया।[19] विभागीय जांच मे पहली आवश्यक बात यही कि-किसी अधिकारी के विरुद्ध जो कार्यवाही प्रस्ताविन की गई है, उसके आधारों (कारणों) को निश्चित आरोपो के रूप मे सक्षिप्त किया जावे व साथ मे दोषारोपण का विवरण भी हो, जिस पर प्रत्येक आरोप आधारित हो जिनको आज्ञा के समय ध्यान मे रखा जाने का प्रस्ताव है। इसका नियमो में प्रावधान भी है।[20] एक अधिकारी (S.D.O) के विरुद्ध लगाये गये आरोप अत्यत संदेहास्पद व अनिश्चित थे। (जैसे—समय पर चेतावनी के बावजूद उसने बड़ी रकमों के बिल दण्डनीय व गम्भीर लापरवाही से पारित किये। किन्तु इसमे बिलों का विवरण नही दिया गया।) प्रार्थी ने अपनी नौकरी के दोहरान अनगिनती बिल पास किये होंगे। न यह बताया गया कि किसने और कब चेतावनी दी थी।) वे दस्तावेज और विवरण भी उसे नहीं दिये गये, जिन पर वे आरोप आधारित थे। उसके मागने पर भी ये कागजात उसे नही दिये गये। इस पर निर्णय हुआ कि—प्रार्थी के विरुद्ध बनाये गये आरोप पूर्णतः दोष पूर्ण हैं और संदेहास्पद व अनिश्चित होने से उसे उनका स्पष्टीकरण करने का अवसर नही देते।[21] ऐसे मामले मे यह कहना सही नही है कि—प्रार्थी को सब तथ्यो व परिस्थितियो का पूरा पता था। उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं, इसका पता लगाना कर्मचारी के जिम्मे नही छोड़ा जाना चाहिये। यह सरकार के लिये अनिवार्य है कि—वह स्पष्ट आरोप मय पूरे विवरण सहित बनाकर उसे दे।[22]

निर्देश पुस्तिका में भी बताया गया है कि—आरोपो व दोषारोपणो के विवरण को ध्यान पूर्वक तैयार करना चाहिये और वे अधूरे व संदेहास्पद नही होने चाहिये। इसके लिये प्रपत्र (४) व (५) काम मे लेने चाहिये।‡

आरोप बनाने से पहले दोषी के बयान—आरोप बनाने के लिये दोषी को पूछताछ करने की अनुमति है, किन्तु उसके द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिये कोई अनिवार्यता नही है। संविधान का अनुच्छेद

16. बचीलाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन AIR 1959 All. 614
17. एम.आर एस मणि बनाम जिला दडनायक, मदुराई AIR 1959 Madras 162
18. भारत संघ बनाम कुनचन्द्र AIR 1963 Tripura 20
19. भानुप्रसाद बनाम राज्य AIR 1956 Saurashtra 14
20. AIR 1958 SC 300
21. AIR 1953 Nag 138; AIR 1954 Assam 8
22. AIR 1953 Nag 138

‡Hand Book on Disciplinary Proceedings : (Govt. of Raj.) Page 5 Para 8.

(२०), येनकेन, स्वयं के विरुद्ध गवाह होने के लिये बाध्य करने से संरक्षण देता है । 23 इस प्रकार दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र से पहले कोई बयान देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, यह संविधान के प्रतिकूल है ।

प्रत्येक अपराध का भिन्न आरोप—प्रत्येक दोष के लिये अलग से आरोप बनाया जाना चाहिये । यह वांछनीय है कि—कोई आरोप किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं बनाया जाना चाहिये जो पहले को किसी जांच में विषय सामग्री रहा हो; सिवाय एक प्रदक्षता या अक्षमता के जो कि एक प्रकार से क्रमिक दोष हो सकता है । पहले आरोप पत्र को निरस्त करके अनुशासन प्राधिकारी नया आरोप पत्र तैयार कर सकता है । 24 यदि एक ही जांच कई आरोपों पर की जावे, तो वह जांच दूषित नहीं होती । 25

प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख--अर्थहीन—

आरोपपत्र में जहां प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख किया गया, तो इसे न्यायालयों ने अनुचित माना है; क्योंकि बिना जांच किये और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही दण्ड का प्रस्ताव करना एक पक्षपातपूर्ण कल्पना है, और सहज न्याय के सिद्धान्त के पूर्णतया विरुद्ध है । पहले कई न्यायालयों ने इस प्रकार से प्रस्तावित दण्ड के उल्लेख के बाद दुबारा अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन नोटिस देना आवश्यक नहीं समझा था 26 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मध्यम मार्ग अपनाया 27 परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने खेमचन्द बनाम भारतसंघ 23 के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि-आरोप पत्र के साथ दण्ड का प्रस्ताव करना उचित नहीं है । जांच के बाद ही नोटिस में दण्ड को प्रस्तावित करना आवश्यक है ।

एक आरोप पत्र में लिखा गया—"कारण-बताओ कि क्यों नहीं आपको सैन्य से निष्कासित कर देना चाहिये या अन्यथा आपकी लापरवाही के लिये दण्डित किया जाना चाहिए……" इसके बाद जांच का प्रस्ताव व आरोपों का वर्णन किया गया । आरोप बनाने की इस विधि को अनुच्छेद ३११ की भावना के प्रतिकूल माना गया । आरोप की स्थिति में किसी दण्ड का प्रश्न ही नहीं उठता और इस प्रकार दण्ड का उल्लेख प्रार्थी के प्रति पक्षपात पूर्ण है 28 यदि आरोपपत्र में प्रस्तावित दण्ड सम्मिलित है, तो भी सब मामले को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण-याचिका (Writ-of Certiorary) अंतिम दण्डाज्ञा पारित होने तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती । 29

दोषारोपण का विवरण पत्र (Statement of Allegation)—

यह आरोप पत्र का दूसरा अङ्ग है, जिसके बिना आरोप स्पष्ट नहीं हो सकते । अतः साथ में इसका दिया जाना अनिवार्य है । इसके बिना सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है । किन्तु

---

23. खेमचंद बनाम भारत संघ
    AIR 1958 SC 300
24. विनोदचन्द बनाम भारत संघ
    AIR 1960 Punj. 147
25. कपूरसिंह बनाम भारत संघ
    AIR 1956 Punj. 58
26. भारतीय उच्चायुक्त बनाम आई.एम.लाल
    AIR 1948 PC 121; AIR 1954 Cal. 383
    ज्योतिनाथ बनाम असम राज्य
    AIR 1955 Assam 171;
    ईश्वरनारायण बनाम भारत संघ
    AIR 1957 All. 439
27. AIR 1956 Cal. 662
28. एस० मानिकम बनाम पुलिस अधीक्षक
    AIR 1964 Madras 375
29. श्रीकान्त उपाध्याय बनाम भारत संघ
    AIR 1663 Patna 38

यदि आरोप पत्र में ही दोषारोपण का विस्तृत विवरण दे दिया गया हो और उसमे दिये विवरण को ही आधार मानकर कार्यवाही की गई हो, तो यह केवल एक नियमितता है; परन्तु इससे मामले के गुणावगुण (merits) पर कोई प्रभाव नही पड़ा। अतः आरोप पत्र को अवैध नही माना गया।[30]

बचाव के उत्तर का समय—

इस उपनियम में 'निर्दिष्ट समय' मे आरोपों का उत्तर देने का उल्लेख है, जो अनुशासनिक प्राधिकारी निश्चित करेगा। परन्तु यह समय यथोचित होना चाहिये। कम से कम १५ दिन का समय दिया जाना चाहिये।‡ एक विज्ञप्ति† द्वारा सरकार ने कम से कम तीन सप्ताह और अधिक से अधिक दो माह का समय देने का निर्देश दिया है। एक कर्मचारी को उसी दिन स्पष्टीकरण देने को कहा गया और इस अल्प समय के लिए कोई कारण अभिलिखित नही किया गया। इसे यथोचित अवसर नही माना गया।[31] एक दिन का समय भी अपर्याप्त माना गया।[32] एक मामले मे ४८ घण्टे का समय दिया गया, जिस पर कोई एतराज नही किया गया। बाद मे याचिका के समय इसका एतराज किया गया, जो नहीं माना गया।[33] किन्तु एक मामले मे छः दिन का समय पर्याप्त माना गया।[34]

वास्तव में समय का पर्याप्त या अपर्याप्त होना प्रत्येक मामले पर निर्भर रहता है। यदि अनुशासनिक-प्राधिकारी कम समय देता है, तो उससे अधिक समय लेने के लिए लिखित मे प्रार्थना की जानी चाहिये और उसमे अधिक समय मांगने के कारणो का विस्तृत विवरण देना चाहिये। क्योंकि अभिलेखो का निरीक्षण करने मे तथा तैयारी करने मे समय लगता है, अत: दो मास तक का अधिकतम समय दिया जा सकता है। ऐसा प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड ए० डी० से भेजा जाना चाहिये, जो विपरीत परिस्थिति मे आगे न्यायालय मे प्रमाण का काम देता है।

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई का अर्थ (Meaning of Personal Hearing)—

इस उपनियम मे शब्दावली "...desires to be heard in person" अर्थात् 'व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है' का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ केवल यही नहीं होता कि कर्मचारी स्वयं उपस्थित होकर, जो कुछ कहना चाहे, कहे; परन्तु यह भी इसमे सम्मिलित है कि उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उसके सामने ली जावे।[35] संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) मे "—given a reasonable opportunity of being heard in respect of the charges"—अर्थात्—"आरोपो के सम्बन्ध मे उसे सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जावे"—

30. कन्हैयालाल बनाम राज्य AIR 1958 Raj 1
    माभाराम बनाम भारत संघ AIR 1953 Punj 137
31. AIR 1958 Raj 1
32. सुधीरजन बनाम प० बंगाल AIR 1961 Cal 626
    बुधादास बनाम पंजाब राज्य AIR 1965 Punj 352
33. प्रफुल्लकुमार बनाम कलकत्ता एस.टी. कार्पोरेशन AIR 1963 Cal. 116
34. बम्बई राज्य बनाम अमरसिंह AIR 1963 Guj 244
35. AIR 1958 Raj. 1

‡ Hand Book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj) Page 4, Para 8.

† विज्ञप्ति स० एफ ५ (४३) नियुक्ति (क)/६२ दि० ८-३-६३, देखिये पृष्ठ ६३ पर।

शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने खेमचन्द के मामले में बताया है कि— '**यथोचित अवसर** में पहला अवसर दोषों को असत्य सिद्ध करने व अपनी निर्दोषिता स्थापित करना है और अपने बचाव के लिए विपक्ष के गवाहों से तर्क (जिरह) करना और अपने गवाह पेश करना व स्वयं बयान देना है।[36]" अतः व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अर्थ स्वयं के बयान देना व अपने सामने साक्ष्य करवाना है। केन्द्रीय सेवाओं के नियम १५ (पहले ५५) में भी इसका उल्लेख है।

व्यक्तिगत सुनवाई से अर्थ "मौखिक जांच" से है। जहां प्रार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई की प्रार्थना को ठुकरा दिया गया, तो उसकी सेवाच्युति को अवैध माना गया।[37]

(घ) अतिरिक्त आरोप बनाना—

अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों में संशोधन या परिवर्तन करने या नये आरोप बनाने के लिये सक्षम है वह किसी भी समय किन्हीं आरोपों को हटा सकता है।[38] जांच के दौरान दोषी कर्मचारी द्वारा दिये गये बयानों या स्वीकारोक्तियों के आधार पर नये आरोप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस उप नियम (२) के परन्तुक में स्पष्ट बताया गया है।

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी का अर्थ और आरोप बनाने का अधिकार—

आरोप बनाने का अधिकार उपनियम (१) के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी को ही है। स्पष्टीकरण द्वारा यह बताया बताया गया है कि उपनियम (२) व (३) के प्रयोजनार्थ साधारण-दण्ड देने के लिये सक्षम प्राधिकारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। अतः जहां तक आरोप बनाने का प्रश्न है, वह आरोप बना सकता है और जांच प्रस्तावित कर उत्तर में प्रतिकथन प्राप्त कर सकता है और दोषी कर्मचारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उसे अपने बचाव की तैयारी के लिये दिखा सकता है। परन्तु इससे आगे की कार्यवाही वह नहीं कर सकेगा और उसे कागजात उच्च-प्राधिकारी को भेजने होंगे, जिसे असाधारण दण्ड देने के अधिकार हैं यानी जो नियुक्ति प्राधिकारी है। आरोप पत्र व दोषारोपण के विवरण पर हस्ताक्षर स्वयं अनुशासन प्राधिकारी को करने चाहिये, अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं। दण्डाधिकारी की ओर से उसके नाम से ही आरोप पत्र दिया जाना जाना चाहिये।‡ अनुशासनिक प्राधिकारी प्राथमिक जांच करने वाले प्राधिकारी को आरोप पत्र बनाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा निर्देश-पुस्तिका में निर्देश भी है।† बाद में वह उन पर सहमति [approval] दे देता है, तो ये आरोप अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा बनाये हुये ही माने जावेंगे।[39] साधारण दण्ड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी आरोप पत्र जारी कर सकता है, असाधारण दण्ड नहीं दे सकता।[40]

---

36. AIR 1958 SC 300
37. दादाराव शेगोजी तिड़के बनाम मध्य भारत A R 1958 Bom. 204
38. बी. सी. मजूमदार बनाम भारत संघ AIR 1960 Punj. 147; AIR AP 331
39. सुल्हेन्द्र चन्द्र दास बनाम संघीय क्षेत्र त्रिपुरा AIR 1962 Trip 15
40. सुदर्शनलाल बजाज बनाम एस.पी. अग्रवाल 1956 RLW 166

‡Hand book on Disciplinary Proceedings : (Govt. of Raj.) Page 5, Para 8

†Abid—Page 1, Para 3.

दूसरा कदम—

प्रतिकथन

बचाव की तैयारी (Preparation for Defence)—

दोषी कर्मचारी के बचाव का प्रथम साधन 'लिखित प्रतिकथन' (written statement) या स्पष्टीकरण (explanation) है, जिसको लिखने से पहले बचाव की तैयारी की जाती है। इस तैयारी मे निम्न बातें सम्मिलित होती हैं—(क) आरोप पत्र व दोषारोपण के विवरण पत्र का सूक्ष्म अध्ययन, (ख) प्रस्तावित साक्ष्य से सम्बन्धित दस्तावेजों की दी गई सूची का अध्ययन तथा ऐसे दस्तावेजों या कागजात की सूची बनाना, जो उस सूची मे शामिल नही है। (ग) दस्तावेज व अभिलेख (रिकार्ड) के निरीक्षण करने व उद्धरण लेने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी से अनुमति मागना। यह प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड ए० डी० से भेजा जावे। (घ) यदि प्रतिकथन पेश करने का समय कम हो, तो समय बढ़ाने के लिए कारणो को स्पष्ट करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावे। (ङ) अनुमति प्राप्त होने पर समस्त दस्तावेजो व अभिलेख का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद आवश्यक उद्धरण कागज पर नोट कर लेने चाहिये, तथा सम्बन्धित कागजात के प्रसग व क्रमांक व दिनांक व पैरा स० व लाइन स० तक नोट कर लेनी चाहिये, जहा से सम्बन्धित उद्धरण लिया गया हो। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए उपनियम (३) के प्रावधानो का इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है—

(१) दोषी कर्मचमारी को अपने बचाव की तैयारी मे कार्यालय के अभिलेख का—
   (क) निरीक्षण करने की ओर
   (ख) उसमे से अशो के उद्धरण (abstracts) लेने की अनुमति दी जायेगी।

(२) कार्यालय का रिकार्ड वह होगा, जो वह बतावेगा,

(३) अनुशासनिक प्राधिकारी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है, यदि उसकी सम्मति मे—
   (क) वह अभिलेख इस प्रयोजन के लिए सुसगत या सम्बन्धित नही हो, या
   (ख) लोकहित मे उस अभिलेख को दिखाना उचित नही हो।
   इसके लिए अनुमति नही देने के कारणों को अभिलिखित किया जावेगा। जिनकी प्रतिलिपि प्रपत्र (१०) पर दोषी कर्मचारी को दी जावेगी।

इस प्रकार इस उपनियम मे अभिलेखों की प्रतिलिपि देने का कोई प्रावधान नही है।

सरकारी निर्देश—

इस सम्बन्ध मे सरकार ने समय समय पर जो निर्देश † दिये हैं, उनका साराश इस प्रकार है—

*(१) कार्यालय-अभिलेख देखने का अधिकार असीमित नही है। सरकार इसके लिए इन्कार कर सकती है। परन्तु इस इन्कार करने के अधिकार का प्रयोग बहुत कम (very

† Hond Book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj.) Para 9 to 11.

* No. F 3 (25) Apptts. (A)/61 Gr. III dated 14-2-62 and Even No. dated 8-11-62.

sparingly) किया जाना चाहिए। कोई प्रलेख (दस्तावेज) बचाव के लिए सुसंगत है या नहीं, इसके लिए चाहे स्पष्ट सुसंगतता प्रतीत नहीं भी हो और यदि थोड़ी सी बचाव की संभावना की रेखा भी हो तो उसके देखने के लिये अनुमति से इन्कार नहीं करना चाहिये।

लोकहित में अभिलेख तक पहुंच इन्कार करने के मामले बहुत कम होते हैं। अतः इस आधार पर इन्कारी सोच समझ कर ही यथोचित व पर्याप्त आधार पर ही की जानी चाहिए। जब एक प्रलेख जांच के समय आरोप को सिद्ध करने के लिए पेश किया जाने को है, तो लोकहित का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

अनुमति नहीं देने की दशा में, समुचित व तात्विक कारणों को अवश्यमेव लिखित में अभिलिखित किये जाने चाहिये।

(२) जिन प्रलेखों (दस्तावेजों) का उल्लेख आरोप-पत्र मे किया गया है और जिन पर साक्ष्य आधारित होगा, उनकी सूची आरोप-पत्र बनाते समय बना लेनी चाहिये। इसमें साधारणतया प्रथम-सूचना (F.I.R.) यदि कोई हो, तो शामिल की जावेगी, किन्तु गुमनाम या बिना नाम की शिकायतें शामिल नहीं की जावेगी। इस सूची की एक प्रति आरोप पत्र के साथ ही दोषी कर्मचारी को दे दी जानी चाहिये या उसके बाद यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यदि दोषी कर्मचारी चाहे तो उसे इन प्रलेखों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(३) ऐसे प्रलेख व अभिलेख जिनका उल्लेख आरोप-पत्र में नहीं है, किन्तु दोषी कर्मचारी अपने बचाव में उन्हें देखना चाहता है और वह उन्हें अपने बचाव के लिये सुसंगत मानता है, तो साधारणतया उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना चाहिये तथा पैरा (१) में दिये निर्देशों का ध्यान रखना चाहिये।

(४) प्राथमिक जांच के बाद उसकी रिपोर्ट या पुलिस की जांच (तफतीश) की रिपोर्ट (सिवाय धारा १७३ (१) (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित कागजात के) गोपनीय मानी जाती है तथा उनका उद्देश्य सक्षम-प्राधिकारी को आगे की कार्यवाही के लिये सन्तोष दिलाना है। अतः इनका उल्लेख दोषारोपण के विवरण में नहीं होना चाहिए। ये प्रलेख दोषी कर्मचारी को नहीं दिखाये जाते।

(५) साक्षियों के बयान जो प्राथमिक-जांच या पुलिस की जांच के समय लिये गये थे, वे साक्ष्य के समय उनके बयानों की समानता या असमानता को बताने के काम में आते हैं। अतः जिन साक्षियों के बयान जांच के समय कराते हैं, केवल उनके बयान दोषी को दिखाये जा सकते हैं। कुछ मामलों में दोषी उन साक्षियों के बयान भी देखना चाहेगा, जिनको जांच में पेश नहीं किया जायेगा। ऐसे बयान समानता-असमानता (corroboration) बताने के काम नहीं आते, परन्तु यदि वे घटना के समय या उसके लगभग दिये गये हों, तो वे उपयोगी हैं और उन्हें दोषी को देना होगा।

(६) उपरोक्त साक्षियों के बयान केवल तर्क (जिरह) के समय काम आते हैं; अतः उनकी मांग उस समय की जानी चाहिये, जबकि उन्हें मौखिक-जांच में बयानों के लिए बुलाया जावे। साक्ष्य से पहले की स्थिति में इन बयानों के लिये मना किया जा सकता है, परन्तु यदि दोषी कर्मचारी 'लिखित प्रतिकथन' प्रस्तुत करने से पहले भी इन बयानों के लिए प्रार्थना करे, तो उसे ये दिखाये जा सकेंगे। बिना प्रार्थना के यह माना जायेगा कि दोषी को उनकी आवश्यकता नहीं थी। इनको अभिलिखित गवाहों के बयानों के समुचित समय पहले उपलब्ध करा दी जानी चाहिये।

(७) इन नियमो के उपनियम (३) मे प्रलेखों की प्रतिलिपियां देने का प्रावधान नही है। अतः साधारणतया विभिन्न प्रलेखो की प्रतिलिपिया देना आवश्यक नही है, केवल नियमानुसार निरीक्षण करने व उद्धरण लेने की अनुमति ही दी जावे।

कई बार ऐसे प्रलेख जिनकी सत्यता सदिग्ध मानी गई हो या जिनमे हस्तलेख की जांच का प्रश्न हो, तो दोषी कर्मचारी उनकी फोटोप्रति चाहता है। ऐसी फोटोप्रति स्वय सरकार बनवा कर दे, किसी निजी फोटोग्राफर के लिए अनुमति नही दी जा सकती।

अभिलेख के निरीक्षण के लिये यात्रा भत्ता—

दोषी कर्मचारी को निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद की गई यात्रा के लिए राजस्थान-यात्रा-भत्ता नियमो के नियम ६२, निर्णय(१)†के अनुसार यात्रा भत्ता मिलेगा, परन्तु वहा ठहरने का कोई दैनिक भत्ता नही मिलेगा।

प्रलेख (दस्तावेज) देखने की अनुमति नहीं देना—

इस उपनियम (३) मे 'shall be permitted" शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्द 'shall' का प्रयोग इस प्रकार की अनुमति को अनिवार्य बना देता है।

एक दोषी कर्मचारी जो विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा है, उसके बचाव के लिए आवश्यक सभी प्रलेखों को मगा सकता है।[40A] सुसगत प्रलेख, जिनके लिए दोषी को अधिकार है; नही दिए जाने पर उसे अपने बचाव के अधिकार का प्रभावशील प्रयोग नही करने दिया गया, तो नि सदेह यही माना जावेगा कि जाच सहजन्याय के सिद्धान्तो के अनुसार नही की गई।[41] कोई रिपोर्ट या प्रलेख जिस पर जांच प्राधिकारी अपने निष्कर्ष आधारित करता है, वह अपराधी को अवश्य दी जानी चाहिए।[42]

जहा मांगी गई प्रलेखों की प्रतिया भ्रष्टाचार व उच्चाधिकारियो के लिए अनैतिक कार्य हेतु महिलायें लाने के आरोपों से सम्बद्ध नही थी, तो सरकार ने उसकी प्रार्थना नहीं मानी; इसे उच्च न्यायालय ने उचित ठहराया है।[43]

गोपनीय-प्रलेख जिनका जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मे प्रसग दिया, प्रार्थी को नही दिये गये; यह 'यथोचित अवसर' के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात् अवैध है।[44]

प्रार्थी को न तो गवाहो के बयानो की प्रतिलिपिया दी गई और न दिखाई गई। तो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो का हनन हुआ है।[45]

40.A एन० लक्ष्मीनारायण बनाम सचिव जन निर्माण, आंध्र AIR 1961 A P. 289

41. मध्य प्रदेश शासन बनाम सी० एस० वैश्यम्पायन AIR 1961 S C. 1623

42. प्रबोधचन्द्र बनाम एक्जिक्यूटिव इन्जिनियर AIR 1955 Calcutta 276

43. गया प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1955 Pat. 305

44. बम्बई राज्य बनाम अमरसिंह AIR 1963 Gujrat 244

45. गोपी किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य AIR 1955 Patna 372

†देखिए विज्ञप्ति स० डी० ७३७/५९ एफ ७ (ए) (१२) वि०वि०/क/नियम/५६ दिनांक ५-१२-५६ तथा इस पुस्तक का पृष्ठ स० ५८ पर 'निलम्बन मे यात्रा भत्ता'।

सरकार विशेषाधिकार वाले प्रलेखों (Privileged documents) जैसे—लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट,[46] प्राथमिकजांच के बयान या गोपनीय जाँच के बयान,[47] भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट,[48] अन्य गोपनीय प्रलेख[49] को दिखाने से मना कर सकती है, परन्तु विशेषाधिकारी की रिपोर्ट,[50] गोपनीय पत्री (नोट)[51] या अन्य महत्वपूर्ण प्रलेख[52] नहीं देने पर यथोचित अवसर का हनन माना गया है।

सरकारी निर्देशानुसार प्रलेखों के निरीक्षण की अनुमति की अस्वीकृति प्रपत्र (१०)† में दी जानी चाहिए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १२३ के अधीन सरकार ने कारण बताते हुए विशेषाधिकार के अधीन कोई प्रलेख पेश नहीं किया, इस पर सोधी काण्ड में सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्तियों में मतभेद रहा और बहुमत से माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेन्द्र गड़कर ने (मा० न्यायमूर्ति श्री बी०पी० सिन्हा C. J, मा० न्यायमूर्ति श्री वांचू J. एवं स्वयं की ओर से) निर्णय दिया कि राज्य द्वारा मांगा गया विशेषाधिकार कि किसी विशेष प्रलेख को निरीक्षण हेतु नहीं दिया गया, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १६२ खण्ड २ के अधीन न्यायोचित है। मा० न्यायमूर्ति श्री कपूर ने यह माना कि किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने का विवेक विभागाध्यक्ष को प्राप्त है और इसके प्रस्तुत होने के विरुद्ध दिए गए अनुसचिवीय प्रमाणपत्र को दबाने का न्यायालय को अधिकार नहीं है। किन्तु माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्बाराव ने निर्णय दिया कि "यह मैं नहीं देख पा रहा हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को प्रकट करने से किस प्रकार लोक हित को हानि होगी और इस प्रकार की रिपोर्ट को प्रकट करने से कैसे लोक सेवा आयोग को दूसरे मामलों में अपने विचार प्रकट करने से रोका जा सकेगा। यह सरकार की (पोल) खोल सकती है कि किस प्रकार एक अच्छी सम्मति की वह अवहेलना करती है, किन्तु ऐसा खुलासा अवश्य ही जनहित में है। संविधान इस पर कोई गोपनीयता की मोहर नहीं लगाता, न लोकहित की ही ऐसी गोपनीयता की मांग है। न्याय प्रशासन और विशेषाधिकार की मांग के संघर्ष में, मैं निःसंकोच विशेषाधिकार की मांग को[53] निरस्त (Over rule) करूंगा।"

ससम्मान विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि एक ओर सन् ९११ में इस सोधी-काण्ड[53] में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १२३ व १६२(२) के अधीन प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिये विशेषाधिकार को मान लिया है; किन्तु दूसरी ओर, सन् १९५७ से

46. AIR 1961 S. C. 493
47. उमेश बग्गी बनाम कलेक्टर, गंजम AIR 1959 Orissa 152
48. पुनीतलाल साहा बनाम बिहार राज्य AIR 1957 Patna 357
49. दीनबन्धु राठी बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1960 Orissa 26
50. एस० नन्जनेश्वर बनाम मैसूर राज्य AIR 1960 Mysore 159
51. AIR 1963 Gujrat 244; AIR 1962 Raj. 265 (ILR 1962 Raj. 302) and AIR 1961 Calcutta 40.
52. प्रसादी बनाम वर्क्स मैनेजर AIR 1957 Cal. 4;
नारायणसिंह बनाम महानिरीक्षक पुलिस AIR 1954 V.P. 50;
रघुवन्श अहीर बनाम बिहार राज्य AIR 1957 Patna 100; & AIR 1961 A.P. 289; AIR 1962 Raj. 265
53. पंजाब राज्य बनाम सोधी सुखदेवसिंह AIR 1961 S.C. 493

†देखिये प्रपत्र (१०) परिशिष्ट (ख) में।

१९६२ तक के अपने अन्य निर्णयो मे यह मान्यता दी है कि 'विभागीय जाँच की प्रक्रिया मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नही होते।'[54] फिर सन् १९६३ मे बच्छित्तरसिंह के मामले[55] मे विभागीय जाच की दोनों स्थितियो को समानरूप के न्यायिक मान लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में विभागीय जाँच केलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नही होता है या नही? इस प्रश्न का अभी तक कोई अन्तिम समाधान सामने नही आया है और उपरोक्त तीनो प्रकार के निणयो मे सामन्जस्य करना कुछ कठिन सा हो गया है। साधारण ज्ञान के अनुसार १९६३ के बच्छित्तरसिंह के मामले व १९६१ के सोधी-काण्ड का यदि सामन्जस्य करे तो परिणाम यही निकलता है कि जब विभागीय कार्यवाही पूर्णत एक न्यायिक कार्यवाही है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुछ धारायें इस पर लागू मानी गई हैं; तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधान भी विभागीय जाच पर लागू होने चाहिए। जब तक इस प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है, यह प्रश्न विवादास्पद ही है, क्योंकि १९६१ के सोधी-काण्ड के बाद १९६२ के यू० आर० भट्ट के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य नियम के कठोर नियमो का लागू होना स्वीकार नही किया है।

(२) लिखित प्रतिकथन (Written Statement)—

लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करने के लिए उपनियम (२) मे दोषी कर्मचारी को सूचना देने का प्रावधान है और उपनियम (४) मे उस पर विचार करने व जाच अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान हैं। उपनियम (४) के विश्लेषण से निम्न बातें हमारे सामने आती हैं:—

(क) लिखित प्रतिकथन निश्चित समय मे प्राप्त नही होने पर या

(ख) लिखित प्रतिकथन प्राप्त होने पर

(ग) स्वय अनुशासनिक प्राधिकारी स्वीकार नही किये गये आरोपो की स्वय जाच करेगा या

(घ) आवश्यक समझे, तो जाच प्राधिकारी या जाँच मण्डल की नियुक्ति करेगा।

लिखित कथन का उद्देश्य व स्वरूप—

दोषी कर्मचारी आरोपो का स्पष्टीकरण करते हुए जो लिखित रूप मे अपना बचाव पेश करता है, उसे हम लिखित प्रतिकथन (Written Statement) या स्पष्टीकरण (Explanation) कहते हैं। लिखित प्रतिकथन जाच का एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोपो के विरुद्ध अपना स्पष्टीकरण पेश करना एक दोषी कर्मचारी का अधिकार है, किन्तु उसे स्पष्टीकरण या लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता। उसे सविधान के अनुच्छेद २० के अधीन सरक्षण प्राप्त है कि उसे स्वय के विरुद्ध एक साक्षी नही बनाया जा सकता। प्रतिकथन प्रस्तुत नही करने पर प्राधिकारी को इकतरफा कार्यवाही करने का अधिकार है। स्पष्टीकरण पेश करने में दोष का निषेध करना भी सम्मिलित है।[56] परन्तु लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करने से कई

---

54. भारत सघ बनाम बी. टी. वर्मा AIR 1957 S C 882
न्यूप्रकाश ट्रासपोर्ट क० बनाम न्यू स्वर्ण-ट्रान्सपोर्ट क० AIR 1957 S C. 232
यू० आर० भट्ट बनाम भारत सघ AIR 1962 S C. 1344

55. AIR 1963 S C 395.

56. AIR 1958 S C. 300

बार अनुशासन प्राधिकारी को जब यह संतोष हो जाता है कि आरोप निराधार हैं, तो इसी स्थिति पर विभागीय कार्यवाही समाप्त की जा सकती है । इस प्रकार लिखित प्रतिकथन का दोहरा उद्देश्य है- (१) स्पष्टीकरण से संतोष हो जानेपर कार्यवाही समाप्त की जा सकती है और (२) संतोष नहीं होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी को यह पता लग जाता है कि जांच के लिए वादहेतु (issues) क्या हैं ? और उन्हीं के आधार पर आगे जांच को शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है ।

इस प्रकार लिखित-प्रतिकथन एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जिसको तैयार करने में अत्यन्त सावधानी रखने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:—

(१) सर्वप्रथम यह निर्णय करना है कि लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करना है या नहीं । यदि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषी कर्मचारी यह उचित समझे कि लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा और इससे उसकी बचाव की साक्ष्य पहले ही खुल जावेगी, तो भी उसे औपचारिक रूप से एक संक्षिप्त प्रतिकथन पेश करना चाहिए, ताकि अनुशासन प्राधिकारी को इकतरफा कार्यवाही करने का अवसर नहीं मिले और दोषी की बचाव की साक्ष्य भी समय से पहले नहीं खुले ।

(२) यदि मामला ऐसा है कि जिसमें बचाव की साक्ष्य के खुल जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो लिखित-प्रतिकथन विस्तृत होना चाहिए, ताकि अनुशासनिक प्राधिकारी को इसी कदम पर संतोषप्रद स्पष्टीकरण मिल सके और जांच की लम्बी प्रक्रिया को यहीं समाप्त किया जा सके ।

(३) लिखित प्रतिकथन तैयार करने से पहले 'बचाव की तैयारी' करनी चाहिये, जैसा कि हम पिछले खण्ड में बता चुके हैं ।

(४) इसके बाद प्रत्येक आरोप और उससे सम्बन्धित दोषारोपण के विवरण को ध्यान से पढ़ कर एक एक तथ्य का निराकरण करते हुए स्पष्टीकरण करना चाहिए तथा यथासंभव प्रलेखीय साक्ष्य (दस्तावेजी शहादत) तथा मौखिक साक्ष्य का संकेत करना चाहिये, किन्तु कौन गवाह क्या विशेष तथ्य बतायेगा; यह नहीं बताना ही उचित होगा ।

(५) किसी भी आरोप को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उसके निराकरण का कोई उपाय सम्भव नहीं हो । क्योंकि आरोप को प्रमाणित करने का भार सरकार पर है, दोषी कर्मचारी पर नहीं । निर्दोषिता प्रमाणित करने का भार दोषी कर्मचारी पर डालना सहज न्याय नहीं माना गया है ।[57] अतः बचाव के लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि आरोप को अस्वीकार किया जावे ।

(६) प्रत्येक आरोप के स्पष्टीकरण में अभिलेख व प्रलेखों के उद्धरणों व प्रसंगों का उल्लेख करके उन्हें गलत सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिये ।

(७) यदि आरोप सुस्पष्ट व संक्षिप्त नहीं हो और संदिग्ध व अस्पष्ट हों; तो इसका उल्लेख प्रत्येक आरोप के स्पष्टीकरण के साथ कर देना चाहिये ।

---

57. एन० सी० बोहीदर बनाम राज्य
AIR 1962 Orissa 134.

(८) अपने बचाव के तर्कों की पुष्टि में नियमोपनियम तथा न्यायालय-निर्णयों के प्रसंग भी देने चाहिये; यदि आरोपों का आधार कानूनी या नियम सम्बन्धी हो।

(९) जांच के प्रस्ताव की सूचना मे मांगी गयी निम्न सूचनायें भी इसके साथ सम्मिलित करनी चाहिये—

(क) वह व्यक्तिगत सुनवाई —अर्थात्—मौखिक जांच चाहता है, और

(ख) उस जांच मे जिन साक्षियों (गवाहों) को पेश करना चाहता है, उनके नाम व पूरे पते सहित सूची।

(ग) बचाव में जो प्रलेख (दस्तावेज) पेश करना चाहता है, उनकी सूची। संभव हो तो उनकी प्रतिलिपिया भी संलग्न करनी चाहिये, बशर्ते कि उनको इस समय पेश करने से बचाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता हो; अन्यथा ये प्रलेख बाद में पेश किये जा सकते हैं।

(१०) लिखित-प्रतिकथन दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है—

(१) आरोप-पत्र के प्रत्येक आरोप को स्वीकार या अस्वीकार या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार, जैसा उचित हो; करते हुये संक्षिप्त उत्तर दे और साथ मे दोषारोपण के विवरण पत्र के आधार पर प्रत्येक आरोप का अलग-अलग विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुये अलग विवरण-पत्र संलग्न करे। इस प्रकार लिखित प्रतिकथन के दो भाग हुये (क) मुख्य भाग, जिसमे केवल आरोपों की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि का उल्लेख हो और (ख) प्रत्येक आरोप का स्पष्टीकरण करते हुये विवरण पत्र।

(२) प्रत्येक आरोप को स्वीकार या अस्वीकार करते हुये उसी के साथ दोषारोपण के विवरण पत्र के आधार पर प्रत्येक तथ्य का स्पष्टीकरण देते हुये।

इस प्रकार लिखित-प्रतिकथन को सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिये।

प्रतिकथन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—

साधारणतया अभिलेख आदि के निरीक्षण मे लगा समय 'निर्दिष्ट समय' में से कम कर दिया जाना चाहिये, निरीक्षण के बाद ही वास्तव मे लिखित-प्रतिकथन तैयार किया जा सकता है और इस कार्य मे भी पर्याप्त समय लगता है। जहां आरोप पत्र व उनका विवरण ८० पृष्ठों मे दिया गया और समय मे वृद्धि करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। इस पर माना गया कि आरोप बहुत लम्बे बनाये गये थे और उनके उत्तर के लिये दिया गया समय बहुत कम था। प्रार्थी के समय-वृद्धि के प्रार्थना पत्र को बिना पर्याप्त कारण बताये अस्वीकार किया गया है।[58] किन्तु यदि मांगा गया समय एक बार बढा दिया गया, तो बाद मे बार-बार समय मांगने का कोई कारण नही माना जा सकता।[59] एक मामले में प्रार्थी ने नोटिस प्राप्त होने के बाद कई कारणों जैसे

58. अहमद शेख बनाम गुलाम हुसैन AIR 1957 J&K 11

59. जोजफ जान बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य AIR 1955 S.C. 160

बीमारी, आवश्यक कागजात नहीं मिलने आदि पर बिना उत्तर दिये कई बार समय मांगा। अन्त में उसे सूचित किया गया कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें सक्षम अधिकारी का समय बढ़ाने से मना करना न्यायोचित माना गया।[60] कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि यदि लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो यह साक्ष्य के प्रारम्भ के पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।[61]

स्वीकारोक्ति (Admissions) का प्रभाव—

यदि लिखित-प्रतिकथन में किसी आरोप को दोषी कर्मचारी स्वीकार कर लेता है, उसके सम्बन्ध में आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती[62] और केवल विभागीय कार्यवाही यानी दण्ड देने का विचार व निष्कर्ष, नोटिस देना, आयोग से परामर्श व अन्तिम आज्ञा पारित करना, ही शेष रहेगी। एक मामले में माना गया है कि दोषी ने लोगों से 'पहले रुपये स्वीकार किये थे' यह कहने से और यह स्वीकार करने से कि 'उसने घूंस के रूप में रुपये स्वीकार किये थे'—अन्तर है। पहला कथन एक संदेह उत्पन्न करता है कि उसने संभवत: रुपये घूंस के रूप में लिये थे; परन्तु यह अपने आप में घूंस लेने की एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं मानी जा सकती।[63] यदि स्वीकारोक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, तो अधिकारी को जांच करके उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक होगा।[64] यदि जांच के दौहरान दोषी कर्मचारी ने क्षमायाचना (apology) करली हो, तो यह आरोपों की स्वीकारोक्ति मानी गई है। इसके बाद आगे जांच की आवश्यकता नहीं है, किन्तु वह दण्ड की मात्रा के विषय में कारण बताने के लिये अधिकृत है।[65] अत: उसे नोटिस दिया जाना उचित होगा। इसी प्रकार जहां प्रार्थी ने अपने आपको उच्चाधिकारियों की दया पर छोड़ दिया और दया मांग कर जांच मे बचाव पेश करने से मना कर दिया, इसके बाद उसे दण्डित किया गया। तो यह माना गया कि जांच नियमानुसार पूरी हो गई थी और दिया गया अवसर कानूनन पर्याप्त था।[66] दोषी द्वारा आरोप की तथाकथित-स्वीकारोक्ति पर जांच को समाप्त नहीं किया जा सकता। दोषी कर्मचारी द्वारा स्वीकारोक्ति करली गई, ऐसा मानकर उसे नियमानुसार जांच किये बिना सेवा से हटा दिया गया। इस पर निर्णय हुआ कि कर्मचारी के कथन स्पष्ट व असंदिग्ध रूप में अपराध की स्वीकारोक्ति (……clear or unambigous admission of guilt) नहीं थे, अत: संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की शर्तें पूरी नहीं हुई।[67]

60. निरंजन बनाम राज्य
AIR 1962 Orissa 78
61. शिशिरकुमार दास बनाम प. बंगाल राज्य
AIR 1955 Cal. 183
62. रवीन्द्र मोहन बनाम संघीय क्षेत्र
AIR 1961 Tripura 1;
कर्मसिंह बनाम ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर
AIR 1965 J&K 53;
रामाराव बनाम महालेखाकार
AIR 1963 Bom. 121.
63. निरंजन प्रसाद बनाम राज्य
AIR 1960 All. 323.
64. दक्षिण भारतीय रेल्वे बनाम अरुलप्पन
AIR 1957 Mad. 356
65. मेघराज बनाम भारत संघ
AIR 1956 Raj. 28
रामलाल बनाम भारत संघ
AIR 1963 Raj. 57
66. नौबतराय बनाम भारत संघ
AIR 1953 Punj. 137
67. जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत
AIR 1961 SC 1070; ILR (1955) Raj. 233
ILR (1963) 13 Raj. 28

जांच का प्रारम्भ—

जब दोषी कर्मचारी आरोपों को अस्वीकार करता है, तो उसके लिखित प्रतिकथन के आधार पर वाद-हेतु (issues) बनाकर उन आरोपों के लिये जाच करने की आवश्यकता होती है। यह जांच अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि वह आवश्यक समझे तो एक जांच-मण्डल भी नियुक्त किया जा सकता है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नही हो, तो असाधारण दण्ड देने योग्य मामला होने पर वह समस्त कागजात नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आगे की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।

(३) जांच अधिकारी और जांच (Inquiry Officer & Inquiry)—

(क) जांच अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of Inquiry Officer)—

जांच मण्डल या जांच अधिकारी की नियुक्ति अनुशासनिक प्राधिकारी करेगा। राज्य सरकार या अनुशासनिक प्राधिकारी जो दण्ड दे सकते है, साधारणतया जांच करने के अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारियो को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करे।[68] जांच अधिकारी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ली गई साक्ष्य पर निर्णय देना त्रुटिगत होगा।[69] प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स भी सुनवाई करेंगी और यदि एक व्यक्ति सुनवाई करे और दूसरा आज्ञा दे; तो यह प्रणाली न्यायिक कार्यवाही के सिद्धान्तों के विपरीत होगी।[70] "जो निर्णय दे, वही सुने" (one who decides must hear)[71] यह अमेरिकी निर्णय है, परन्तु 'निर्णय कर्ता ही साक्ष्य ले' यह यहा भी स्वीकार नही किया गया है।[72] किन्तु प्रद्योतकुमार के मामले मे[68] सर्वोच्च न्यायालय ने 'जो निर्णय दे, वही सुने' इस तर्क को अस्वीकार किया है और नागेश्वर के मामले[70] का यह अभिप्राय नहीं माना है कि अन्तिम आज्ञा देने वाले अधिकारी द्वारा ही साक्ष्य लिया जावे। मार्गन काण्ड[71] भी यह नही बताता, जैसा कि प्रदर्शित किया जाता है कि प्रशासनिक ऐजेंसी जो कि एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही मे निर्णय देती है, वह वास्तव में साक्ष्य सुने और गवाहो को देखे।[73] एक मामले मे डिवीजनल इंजिनियर जो नियुक्ति प्राधिकारी था, उसके स्थान पर कार्य कर रहे सहायक इंजिनियर ने जांच कमेटी की नियुक्ति कर दी। इस पर निर्णय हुआ कि अन्ततः जाच कमेटी एक सम्मति देने वाली कमेटी थी। अतः यदि वह सहायक इंजिनियर द्वारा गठित की गई, तो भी उसकी रिपोर्ट निर्मूल्य नही हो जाती और डिवीजनल मैके० इंजिनियर उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। एक सक्षम अधिकारी की आज्ञा को केवल जांच कमेटी के गठन में हुई साधारण अनियमितता पर उच्च न्यायालय के सक्षम चेतावनी नही दी जा सकती।[74] एक मामले में भारत सरकार के सचिव ने आरोप बनाकर उप उच्च आयुक्त

---

68. प्रद्योत कुमार बनाम न्यायाधिपति
AIR 1956 SC 285
59. अमूल्यकुमार बनाम एल०एम० बक्शी
AIR 1958 Cal. 470
70. गुल्लापल्ली नागेश्वरराव बनाम आन्ध्र प्रदेश
AIR 1959 SC 308
71. Morgan Vs. United States of America
(1935) 289 US 468
72. Pettiford Vs. State Board of Education
1962 SE 780 (790)
73. राघव मेनन बनाम महानिरीक्षक आरक्षी केरल
AIR 1961 Keral, 299
74. मदनसिंह बनाम भारत संघ
ILR (1961) II Raj. 193

को जांच अधिकारी नियुक्त किया । बाद में इस पर न्यायालय में एतराज उठाने पर निर्णय हुआ कि वास्तव में यह कोई अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं हैं । जांच अधिकारी केवल विषय सामग्री इकत्रित करता है, जिसके आधार पर दण्डाधिकारी अपने विचार के बाद निर्णय देता है ।[75] विभागीय जांच के नियमों की यह धारणा है कि जांच अधिकारी और दण्डाधिकारी दो भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं ।[76]

नया जांच अधिकारी—

जांच अधिकारी की नियुक्ति की आज्ञा प्रपत्र सं(७) या (८) में जारी की जावेगी और एक जांच कारी के स्थानातर पर दूसरे जाच अधिकारी की नियुक्ति की नई आज्ञा प्रपत्र (९) पर जारी ह और इसमे उसके नाम का उल्लेख होगा । इसे स्वयं अनुशासन प्राधिकारी अपने हस्ताक्षरों से ारी करेगा । * ऐसी दशा में दोषी कर्मचारी नये सिरे से जांच की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि विभागीय जांचें न्यायिक जांचों की तरह कठोरता पूर्वक संचलित नहीं की जाती ।[77] उपनियम ९ (ख) के अधीन आधे सुने मामलों में नया जांच अधिकारी उचित व पर्याप्त कारण अभिलिखित करके गवाहों को दुबारा बुला सकता है ।

जांच अधिकारी का स्तर—

जांच अधिकारी दोषी अधिकारी से वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिये ।[78] वह एक वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी होना चाहिये जिसे विभागीय जांच की प्रक्रिया का अनुभव व ज्ञान हो । ऐसा सरकारी निर्देश है ।†

जांच अधिकारी का कार्य क्षेत्र—

जांच अधिकारी केवल एक तथ्यान्वेषण प्राधिकारी (Fact finding Anthoirty) है । उसका कार्य तथ्यों का पता लगने के बाद समाप्त हो जाता है । उसे कोई दण्ड का अधिकार नहीं सौंपा जा सकता ।[79] उसे विश्वस्त रूप से सुसंगत विचार व कर्तव्य पालन के उत्तरदायित्व के विचार से कार्य करना चाहिये [80] वह जांच का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नही सौंप सकता ।[81] जांच मण्डल को नये आरोप बनाने व उन पर निष्कर्ष देने का अधिकार नहीं है ।[82] वह जांच के बाद दण्ड का सुझाव नहीं दे सकता ।[83]

---

75. ए० एम० सेठी बनाम भारत संघ AIR 1268 Delhi 26; बिमलकुमार पण्डित बनाम असम राज्य AIR 1962 Assam 88
76. बी० डी० मांकड बनाम सौराष्ट्र राज्य AIR 1956 Saurashtra 14.
77. स० हरजीतसिंह बनाम महानिरीक्षक, पारसी AIR 1963 Punj. 90
78. 1965 RLW 166
79. अब्दुलरहीम बनाम चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर AIR 1964 AP 407
80. गुलाम मोहम्मद बनाम प० बंगाल राज्य AIR 1964 Cal. 603; राधव मेनन बनाम राज्य AIR 1961 Kerala 299
81. आनन्दनारायण बनाम मध्यप्रदेश AIR 1964 M. P. 318; AIR 1958 Cal. 470
82. एस. सुब्बाराव बनाम मद्रास राज्य AIR 1964 Mysore 221.
83. ए० एन० डी० सिल्वा बनाम भारत संघ AIR 1962 SC 1130 and Hand Book on Disciplinary Proceedings Page 9

*Hand Book on Disciplinary Proceedings—Para 9.

† विज्ञप्ति सं. एफ ५ (३४) नियुक्ति-क ६२/ग्रे० ३ दिनांक १३-१२-६२ के अनुसार

जांच अधिकारी के गुण—

जांच के दोहरान 'पक्षपात के सिद्धान्त' की ओर ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि 'सहज न्याय के सिद्धान्तों' का एक अंग है । नीचे संक्षेप मे ऐसे नियम बताये जा रहे हैं, जो न्यायलयो द्वारा स्थापित हैं और जिनका पालन आवश्यक माना गया है—

१. कोई भी व्यक्ति अपने निजी कार्य के लिये न्यायाधीश नही बन सकता ।[84]

२ न्याय केवल किया जाना ही नही चाहिये, वरन् न्याय किया जारहा है, यह स्पष्ट व निस्संदेह रूप से प्रतीत होना चाहिये ।[85]

इसके लिये जांच अधिकारी उस मामले मे व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार सम्बन्धित या रूचि लेने वाला नही होना चाहिये ।[86] जाच का कार्य करने वाला व्यक्ति एक न्यायाधीश की स्थिति मे है और सहज न्याय के सिद्धान्त उससे 'निष्पक्ष मस्तिक' (Open mind) वाला होने की माग करते हैं । वह संद्धान्तिक और मामले मे पक्षपात से रहित होना चाहिये । उसे एक सम्मानपूर्ण कार्य निभाना है अतः उसे न्यायाधीश के समान विरक्ति (अलगाव) रखनी चाहिये ।[87]

शिकायत या रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति या जिसकी प्रेरणा से जांच प्रारम्भ की गई, उसे विभागीय जाच मे जाच अधिकारी नही बनाया जा सकता [88] जहा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जांच प्रारम्भ की कई । इस पर माना गया कि पुलिस-अधीक्षक स्वय को जांच नही करनी चाहिये थी ।[89] जिस उपशासन सचिव के विरुद्ध दोषी ने गम्भीर आरोप लगाये थे, उसी को जाच अधिकारी चुनकर सरकार ने प्रार्थी को सविधान से प्राप्त एक मात्र सुरक्षा से वंचित कर दिया ।[90] जिस अधिकारी ने दोषी कर्मचारी के निलम्बन तक की कार्यवाही मे भाग लिया हो, उसे जाच अधिकारी नही बनाया जा सकता ।[91] जिसने मामले को पक्षपातपूर्ण बनाया हो [92] या जो आरोपित अधिकारी के प्रतिकूल (biased) हो[93] उसे जाच अधिकारी नियुक्त नही किया जा

84. (1926) AC 586, AIR 1951 All 257 (FB)
85. ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27
नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1959 SC 1376
86. राजाराम बनाम राज्य AIR 1956 VP 14
ए० एस० रिजवी बनाम डिवी० इन्जिनीयर AIR 1964 Guj 139
87 ज्योतिप्रसाद बनाम एस० पी० AIR 1958 Punj 327
सुरेन्द्रचन्द्र दास बनाम त्रिपुरा क्षेत्र AIR 1962 Tri 15
ए० आर० एस० चौधरी बनाम भारत सघ AIR 1956 Cal 661
88. माधोनराम बशीलाल बनाम डिवी० फोरेस्ट अधिकारी, AIR 1955 Pepsu 127
89 AIR 1958 Punj 327
90 डा० के० एस० राव बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1957 AP 414
91. के० एन० रामा अय्यर बनाम राज्य AIR 1952 Pepsu 69
92. के० वी० नारायण राव बनाम राज्य AIR 1158 AP 636;
ईस्ट इंडिया इलेक्ट्रिक क. बनाम एस० दत्त गुप्ता 59, CWN. 192
93. सी. एस. शर्मा बनाम उत्तरप्रदेश AIR 1961 All 45,
गुरुदेव नारायण बनाम बिहार राज्य AIR 1955 Patna 131;
AIR 1958 Punjab 327

सकता। वह जांच में न्यायाधीश और गवाह[94] या न्यायाधीश और अभियोजक[95] दोनों रूप में भाग नहीं ले सकता। "एक अभियोजक न्यायाधीश नही हो सकता"—यह सिद्धान्त कठोरतापूर्वक विभागीय जांच पर लागू नहीं हो सकता।[96] किन्तु उसे अपने आपको एक साधारण अभियोजक के स्तर पर नीचे नहीं मानना चाहिए —अर्थात्—उसे यह महसूस नहीं करना चाहिये कि उसे अभियुक्त के विरुद्ध हर मूल्य पर दोष को सिद्ध ही करना है। उसे न्यायाधीश की सी विरक्ति के साथ कार्य करना चाहिये।[97] पक्षपात की केवल संभावना उसे अयोग्य नहीं बना सकती।[98] जहां किसी मामले में उसका आर्थिक हित निहित हो, तो उसे न्यायकर्ता नहीं माना जा सकता।[99] जिसने प्राथमिक जांच की हो उसे विभागीय जांच नही सौंपी जानी चाहिये।*

एतराज कब करें ?—

पक्षपात या प्रतिकूलता (Prejudiced or biased) के एतराज जांच के प्रारम्भ की स्थिति में ही उठाये जाने चाहिये। जब जांच का निष्कर्ष या परिणाम विरुद्ध निकलता हो, तब उठाये गये एतराज पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।[100]

उपनियम ५ का विश्लेषण—

इस उपनियम के विश्लेषण से तीन मुख्य बातें सामने आती हैं—

(१) अनुशासनिक-प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जांच-अधिकारी के समक्ष आरोपों की पुष्टि हेतु मनोनीत करता है। इसे **"विभागीय प्रतिनिधि"** (Departmental Representative) कहा जाता है।

(२) राज्य कर्मचारी सहायता के लिए, अनुशासन प्राधिकारी की अनुमति से; किसी राज्य कर्मचारी को अपना सहायक बना सकता है।

(३) वकील की सहायता लेने का निषेध किया गया है, किन्तु दो परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी जा सकती है—

(क) यदि विभागीय-प्रतिनिधि वकील या कानून-व्यवसाय का हो; या

(ख) किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अनुशासनिक-प्राधिकारी वकील की सहायता के लिये अनुमति दे दे।

---

94. आशुतोषदास बनाम बंगाल राज्य AIR 1956 Cal. 278
विजय चन्द्र चटर्जी बनाम प० बंगाल 1958 CWN 988
95. पंजाब राज्य बनाम कर्मचन्द AIR 1959 Punj. 402
96. बम्बई प्रान्त बनाम कुशालदास अडानी AIR 1950 SC 222;
रामेश्वरसिंह बनाम भारत संघ AIR 1962 MP 37
97. AIR 1956 Calcutta 222
98. राजाराम बनाम राज्य AIR 1956 VP 14
99. मानकलाल बनाम डा॰ प्रेमचन्द AIR 1955 SC 425
100. बालकिशन बनाम मुख्य सचिव AIR 1963 MP 216

*Hand book on Disciplinary Proceedings (Govt. of Raj.)—Page 5

आगे हम इनका विस्तृत विवेचन करेंगे।

(ख) मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि—(Departmental Represntative or Nominee)—

अनुशासनिक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को एक मामले में आरोपों की पुष्टि के लिए 'विभागीय प्रतिनिधि' मनोनीत करता है; जिसे उस मामले की पूरी जानकारी हो और जो अपनी सतर्कता और लगन से मामला जांच अधिकारी के सामने पेश करता है। वह जांच अधिकारी को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सच्चा सहायक हो सकता है।‡ साधारणतया वह एक राज्य कर्मचारी होता है; किन्तु किसी मामले की जटिलता को ध्यान में रखते हुई किसी विधिवेत्ता या वकील को भी मनोनीत किया जा सकता है। यह बहुत कम मामलों में ही किया जाता है। ज्यों ही कोई मामला जांच अधिकारी को भेजा जावे, उसी समय विभागीय-प्रतिनिधि का नाम भी प्रस्तावित कर देना चाहिये †

उसे नियमानुसार यात्रा भत्ता मिलेगा व यात्रा-भत्ता-बिल के साथ एक प्रमाण पत्र (प्रपत्र २) में संलग्न करना होगा।§

(ग) दोषी कर्मचारी के सहायक या 'प्रतिपक्ष-प्रतिनिधि' (Assistant or Defence Nominee)—

दोषी कर्मचारी को अपने बचाव के लिये कानूनी सलाह व सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिये इस उपनियम (५) मे वह किसी राज्य कर्मचारी को मनोनीत कर अनुशासन प्राधिकारी की अनुमति लेता है। सरकार का निर्देश है कि जांच प्राधिकारी/जांच मण्डल की नियुक्ति के १५ दिन में दोषी कर्मचारी अपने सहायक कर्मचारी का नाम मय उसकी लिखित सहमति के अनुशासनिक प्राधिकारी को भेज देगा। इस अवधि मे या बाद मे बढ़ाई गई अवधि में नाम प्रस्तुत न करने पर इसे जांच को स्थगित करने के लिये मान्य आधार नही माना जावेगा।* इस सहायक प्रतिनिधि को साधारण यात्रा के समान यात्रा भत्ता नियमानुसार सरकार देगी और उसके जांच के स्थान तक आने जाने व ठहरने का न्यूनतम समय कार्यरत (On duty) माना जावेगा। यदि वह सहायक कर्मचारी अवकाश पर हो, तो उसे कार्य पर वापस बुलाया गया नही माना जावेगा व वह समय अवकाश के रूप मे ही समझा जावेगा।× उसे अपने यात्रा भत्ता बिल के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा—

§प्रपत्र संख्या (२)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री⋯⋯ (नाम, पद, कार्यालय) ने श्री⋯⋯ (नाम, पद, कार्यालय) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में आरोपों का समर्थन करने हेतु/उक्त श्री ⋯⋯ (नाम, को उसका मामला प्रस्तुत करने मे सहायता देने हेतु दिनांक⋯⋯⋯⋯को ⋯⋯⋯ समय

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ५ (५४) नियुक्ति (क)/६२ ग्रे० ३ दि० ३-११-६२

† विज्ञप्ति सं० एफ ५ (१३) नियुक्ति (क) ६६ दि० १५-३-६६

* परिपत्र सं० एफ (२४) नियुक्ति (क–३) दि० १४-२-६४

× विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२६) वि० वि० (व्ययनियम) ६३ दि० १०-२-६४

§ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (३) वि० वि० (व्यय-नियम) ६३ दि० ८-७-६५

पर स्थान .... पर भाग लिया । उसे इस सम्बन्ध में कोई यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय नहीं दिया गया है ।

स्थान...... ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
अनु० प्राधिकारी/जांच अधिकारी/जांच मण्डल

(घ) वकील के लिये अनुमति नहीं—

इस उप नियम में साधारण मामलों में व्यवसायिक कानूनी-सलाहकार या वकील की सहायता की अनुमति नहीं दी गई है; किन्तु दो परिस्थितियों मे वकील की सहायता का प्रावधान रखा गया है—

(१) यदि विभागीय प्रतिनिधि वकील या लोक अभियोक्ता, अभियोजन-निरीक्षक या अभियोजन-सह-निरीक्षक (P.P , P.I. or P.S.I.) हो या

(२) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक-प्राधिकारी अनुमति दे ।

इस प्रकार यह मामला अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि—किस मामले में वकील की अनुमति दी जावे ? सरकार ने अनेक विज्ञप्तियों† द्वारा साधारणतया वकील के लिये अनुमति नही देने का निर्देश दिया है । किन्तु किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुमति दी जा सकती है । अतः इस प्रावधान से एक विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है, जिसपर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद रहा है ।

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

ऐसा कोई नियम नहीं है जो एक अधिकारी को, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो; विधि व्यवसाय के एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता हो ।[1] प्रार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया कि उसे वकील के लिए मना करने से सहज न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ, अत: जांच शून्य है । न्यायालय ने नियम ५५ में प्रयुक्त शब्द 'पर्याप्त अवसर' (adequate opportunity) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठाया कि क्या वकील की सहायता को पर्याप्त अवसर का एक अंग माना जावे ? इस पर विद्वान् महाधिवक्ता ने राजगोपाल आयगर बनाम कलेक्टर (नमक राजस्व) मद्रास[2] के सुप्रसिद्ध निर्णय को आधार बनाकर निवेदन किया कि शब्दावली 'to be heard in person' स्पष्ट रूप से वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व को अलग करती है । ऐसे अन्य न्यायालयों के भी कई निर्णय[3] हैं । इस प्रश्न को केवल नियम ५५‡ में आये शब्द

---

1. ए.के. व्यास बनाम राज्य
ILR (1960) 10 Raj. 419 [1961 RLW 104]
2. ILR 1938 Madras 127
[AIR 1937 Madras 735]
3. कादरतुल्ला बनाम उ.प. सीमान्त प्रदेश
AIR 1944 FC 72;
वीरास्वामी बनाम मद्रास प्रान्त
AIR 1948 Madras 379;
लक्ष्मीनारायण गुप्ता बनाम ए. एन. पुरी
AIR 1954 Calcutta 335;
AIR 1956 Madras 460;
पंजाब राज्य बनाम भगतसिंह
AIR 1955 Punjab 118

† विज्ञप्तियां सं० एफ २(३५) नियुक्ति (क)।५७ दि० ७-१०-५८; एफ २३(३६) नियुक्ति (क)।५७ दि० १७-१०-५८; सं० डी० १४३४०/एफ २३(६५) नियुक्ति (क)।५७ दि० ७-१०-५८; सं० डी० १४३४०/एफ २३(६५) नियुक्ति (ग)।५५ दि० ३०-१२-५६ ।

‡ अब केन्द्रीय नियम (१५) तथा राजस्थान नियम (१६)

'पर्याप्त अवसर' और 'व्यक्तिगत सुनवाई' के विचारों से ही नही, सविधान के अनुच्छेद ३११(२) में प्रयुक्त शब्दावली 'कारण बताने का यथोचित अवसर' (a reasonable opportunity of showing cause) के प्रकाश मे भी जाचना है। यदि किसी मामले की जटिलता और विशेष तथ्यों मे वकील की सहायता यथोचित अवसर का एक अंग माना जावे, तो इस अवसर के लिये मना करना सहज न्याय के सिद्धान्तो और सविधान के अनुच्छेद ३११(२) के सरक्षण को भग करना है। इस मामले में बताये गये मुख्य निर्णय,[3] फेडरल कोर्ट व अन्य न्यायालयो के निर्णयो में सविधान के प्रकाश मे इस प्रश्न पर विचार का अवसर नही मिला था। वकील की सहायता हर मामले में यथोचित अवसर का एक अंग नही मानी जा सकती।

.... इसी मामले मे एक तर्क यह दिया गया था कि—प्रार्थी स्वय जिला-न्यायाधीश रह चुका है, अतः यह स्वय एक प्रशिक्षित व्यक्ति होने से उसे वकील की सहायता की आवश्यकता नही थी। इसे न मानते हुए न्यायालय ने बताया कि—यह सोचना उचित नही है कि एक अच्छा वकील भी इतनी भारी सख्या मे गवाहो और प्रलेखो को बिना कानूनी सहायता के समाल सकता है। यह भी जोर देने की बात है कि—प्रार्थी ५५ वर्ष के वृद्ध पुरुष है और जांच के समय स्वाभाविकरूप से गभीर मानसिक सकट मे है। यह कहा जाना कि उन्हे एक साधारण (Non-lawyer) व्यक्ति की मदद की अनुमति दी गई थी, एक गलत समझी गई दयालुता (mistaken kindness) थी; क्योकि एक साधारण व्यक्ति इतने भारी बयानो, जिनकी प्रतिलिपिया तक नही दी गई थी; प्रलेखो की अत्यधिकता के समुद्र मे होगा कि वहां क्या समझे और चुने, क्या छांटे व लिखे? एक चिकित्सक स्वय की चिकित्सा के लिये एक उचित व्यक्ति नही हैं, एक वकील भी कम से कम बिना सहायता के अपना स्वय का मामला नही चला सकता। अब यह भी जानना है कि—सब न्यायाधीश, विशेषत. राज्य सेवा मे कार्य करने वाले न्यायाधीश, जिन्होने कभी बार मे कार्य नही किया हो, उनके सेवा निवृत्त होने पर वे कठिनता से ही अच्छे वकील बन पाते हैं। ....

इस मामले मे ३० अभियोजन के गवाह, १३ बचाव के गवाह और दो अदालती गवाहो के ट्रिब्यूनल ने बयान लिये। क्या इतने गवाहो के बयानो को लिखने, जाचने व परखने मे एक वकील की सहायता यथोचित अवसर का अंग नही थी? इतने भारी बयानो, बहुसख्यक गवाहो और प्रलेखो (दस्तावेजो) को ध्यान म रखते हुए निर्णय दिया गया कि—इस मामले क तथ्यो को देखते हुए प्रार्थी को वकील की सहायता लेने से मना करना, यहां तक कि नोट्स लेने के प्रयोजन से ही; नियम ५५ के अधीन **'पर्याप्त अवसर'** तथा सविधान के अनुच्छेद ३१ (२) के अधीन **'यथोचित अवसर'** का बहिष्कार (denial) है।[4]

यदि ऐसे विशेष तथ्य या परिस्थितिया प्रमाणित नही की गई, जिनमे प्रार्थी की वकील की माग को अनुचित रूप से ठुकराया गया और न यह बताया गया कि—प्रार्थी का मामला एक असाधारण प्रकार का था, जिसमे वकील की सेवायें विशेष मामला मानकर दी जानी चाहिये थी। अतः सहज न्याय के सिद्धान्तो का भग नही हुआ और जाच व उसकी रिपोर्ट को बिना क्षेत्राधिकार क नही माना जा सकता।[5]

---

4. नृपेन्द्रनाथ बागची बनाम मुख्य सचिव
AIR 1961 Calcutta 1 [15]

5. भारत सघ बनाम फुलचन्द्र सिन्हा
AIR 1963 Tripura 20

6 AIR 1954 Calcutta 335

वकील के लिये अनुमति देते समय दोषी कर्मचारी के शैक्षणिक स्तर व उसके अन्य अनुभवों और आरोपों के स्वरूप को देखते हुए उसके द्वारा बचाव कर सकने की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिये।[7] आंध्र उच्च न्यायालय ने एक मामले में, जिसमें प्रार्थी को सही या गलत रूप से यह समुचित आशंका थी कि—उसके विरुद्ध विभागीय जाच चिकित्सा–विभाग द्वारा एक पूर्व निश्चित व पक्षपातपूर्ण योजना (षड्यन्त्र) थी। अतः उसकी व्यवसायिक सहायता की प्रार्थना न्यायोचित मानी गई।[8] एक मामले में सब गवाहों की संख्या ९१ थी, कुल दस्तावेज १६६ थे। गवाहों के बयान ४३७ पृष्ठों में थे। प्रार्थी का लिखित-प्रतिकथन २५ पृष्ठ का था और ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट १३६ पृष्ठों में थी। इसमें माना गया कि—प्रार्थी को वकील की सहायता की अनुमति दी जानी चाहिये थी।[9]

किसी दोषी कर्मचारी को वकील की सहायता लेने का कोई मूल-अधिकार नहीं है, न ऐसा सहज न्याय का कोई सिद्धान्त है और न नियमों में प्रावधान है। आजकल वकील करना भी एक विलासिता सी हो गई है, जो मंहगी पड़ती है। अतः वकील की अनुमति नहीं देने से सहज न्याय का हनन नहीं होता; किन्तु उलझन भरे मामलों में वकील की सहायता की अनुमति दी जा सकती है। नियम में भी इसका प्रावधान है और न्यायालयों ने भी इसको माना है; पर इसे एक दोषी का अधिकार नहीं माना जा सकता और इससे पूरी जांच दूषित नहीं मानी जा सकती।[10] फिर भी मैसूर उच्च न्यायालय का सन् १९६४ का एक निर्णय इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार वकील प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान के साथ उत्पन्न हुआ है और उसी में संलग्न (imbedded in it) हो गया है। "संविधान द्वारा उत्पन्न अधिकार को किसी विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि (Law) या राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम से संकुचित नहीं किया जा सकता। एक अवसर प्रदान करने के संवैधानिक कर्त्तव्य को राज्यपाल द्वारा एक भेदभावपूर्ण कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जहां राज्य कर्मचारी पर अभियोग का कार्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के एक पुलिस निरीक्षक को सौंपा गया, तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि—यह देखने के लिये बहुत थोड़े से अनुकरण करने की आवश्यकता थी कि वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व करने की प्रार्थी की प्रार्थना को ठुकराने से बचाव में महान् जटिलता (embrassed) आ गई। (अर्थात्—बचाव का समुचित अवसर नहीं दिया गया)।[11]

संविधान के अनुच्छेद ३११(२) में सन् १९६३ में संशोधन किया गया, उसमें "a reasonable opportunity of showing cause" शब्दावली के स्थान पर "..... a reasonable opportunity of being heard ..of making representation..." करदी गई। इसमें "being heard in person" शब्दावली नहीं है, अतः राजगोपाल आयंगर के मामले[2] तथा नृपेन्द्रनाथ के मामले[4] में "...in person" के अर्थ में वकील नहीं होकर 'स्वयं व्यक्ति' होने का जो तर्क है; वह धराशायी हो जाता है। इस प्रकार मैसूर उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय[11] संविधान के प्रावधानों का अधिक प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है।

7. जेम्सबुशी बनाम जिलाधीश
AIR 1955 Orissa 152;
गुजरात राज्य बनाम अमरसिंह रावल
AIR 1963 Guj. 224
8. डा० के० सुब्बाराव बनाम हैदराबाद
AIR 1957 AP 414
9. नित्य रंजन बनाम राज्य
AIR 1962 Orissa 78
10. AIR 1955 Punjab 118;
CW No. 887 of 1959 [Punjab];
AIR 1957 AP 414;
ILR [1960] 10 Raj. 419;
AIR 1963 Tripura 20;
1963 Punjab 90; 1962 Gujrat 197;
1964 Orissa 241; 1958 All. 532
11. टी० मुनिस्वामी बनाम मैसूर राज्य
AIR 1964 Mysore 250

तीसरा कदम

साक्ष्य या शहादत (Evidence)

विभागीय जांच का सबसे महत्वपूर्ण कदम "साक्ष्य" है, जिसके आधार पर जांच-रिपोर्ट तैयार होती है और दण्ड के लिये निष्कर्ष दिये जाते हैं। दण्ड की मात्रा व प्रकार इस साक्ष्य पर ही निर्भर करती हैं। यह एक विधि (कानून) सम्बन्धी प्रावधान है, जिस पर कई मत हैं। यहां हम उप नियम (६) के खण्ड (क) के विश्लेषण के आधार पर निम्न परिणाम पर पहुंचते हैं :—

६ (क)—(१) जांच-प्राधिकारी प्रलेखीय-साक्ष्य (दस्तावेजी शहादत) पर विचार करेगा; और

(२) मौखिक-साक्ष्य (बयानी शहादत) लेगा—

(३) जो आरोप के सम्बन्ध मे सुसगत (relevant) या सारभूत (material) हो।

(४) राज्य कर्मचारी आरोप-पक्ष में बयान देने वाले गवाहों से तर्क (जिरह) करने के लिये अधिकृत होगा।

(५) विभागीय-प्रतिनिधि राज्य कर्मचारी तथा उसके बचाव पक्ष के गवाहो से तर्क (जिरह) करने के लिये अधिकृत होगा।

(६) जांच-प्राधिकारी किसी गवाह के बयान लेने से इन्कार कर सकता है, बशर्ते कि—

(क) उसकी साक्षी सुसंगत या सारभूत नही हो; और

(ख) इसके कारण लेखबद्ध किये जावेंगे।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) लागू नहीं—

उक्त खण्ड मे साक्ष्य की सम्पूर्ण-विधि को सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके आधार पर विभागीय जांच का सचालन किया जाता है। किन्तु इसमें कठोरता व सुस्पष्टता नहीं होने से जांच-प्राधिकारी के विवेक का क्षेत्र विशाल होगया है; यद्यपि वह इन नियमो की भावना के विरुद्ध जाकर स्वेच्छा से जांच नही कर सकता।[12] सभी न्यायालयो का यह मत रहा है कि—विभागीय जांच मे भारतीय साक्ष्य नियम के कठोर नियम लागू नही होते।[13] किन्तु सहज न्याय के सिद्धान्त लागू होते हैं, जो कही स्पष्ट एव सीमित रूप में (exactly) नही बताये गये। इस उप नियम मे दिया गया साक्ष्य का तरीका सहज न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है और यह जांच-प्राधिकारी पर बाधित है।[12]

विभागीय कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम या व्यवहार प्रक्रिया संहिता (C.P.C.) के प्रावधानो के अनुसार नही चलती। यह कार्यवाही सहज न्याय के नियमो के अनुसार होनी

12. ILR 1957 Raj. 823
13. AIR 1957 S C. 832, AIR 1957 SC 232, 1962 SC 1341; शिशिरकुमार दास बनाम राज्य AIR 1955 Cal. 183; अमूल्य कुमार सिकदार बनाम एल. एम. बक्शी AIR 1958 Cal. 470

चाहिये।[14] न्यायिक-कार्यवाही पर लागू होने वाली कठोर प्रणाली यहां अपनाना अनावश्यक है।[15] जहां प्रार्थी और उसके गवाहों का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित तरीके से नहीं लिया गया, तो माना गया कि ट्रिब्यूनल की जांच के न्यायिक प्रकार की होते हुए भी उस पर साक्ष्य अधिनियम प्रयुक्त नहीं होता। जांच में केवल सहज न्याय के सिद्धान्तों की अनुपालना आवश्यक है। यदि उसमें ऐसा कर लिया जाता है, तो उस निर्णय को इसी आधार पर कि—अपनाया गया तरीका न्यायालयों के समान कठोरता से नहीं पाला गया; चेतावनी नहीं दी जा सकती।[16] जब राज्य कर्मचारी कार्यवाही में भाग लेने से मना करता है और उपस्थित नहीं रहता, तो जांच अधिकारी को जो सामग्री उसके सामने प्रस्तुत की गई उसी के आधार पर आगे बढ़ने की छूट है। इस परिस्थिति में वह साक्ष्य कानून के कठोर नियमों का पालन करने को बाध्य नहीं है।[17] किन्तु उसे इकतरफा जांच करनी होगी[17A]

जांच प्राधिकारी द्वारा की गई जांच में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता, यद्यपि ये न्यायिक प्रकार की हैं। कानून की मांग है कि—प्राधिकारी जांच में सहज न्याय के नियमों का पालन करे और उनका निर्णय इसी आधार पर कि—न्यायालयों के समान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बुरा नहीं बताया जा सकता। सहज न्याय के नियमों के अनुसार-(१) एक पक्ष को अपना सुसंगत साक्ष्य जिस पर वह आधार बनाता है, पेश करने का अवसर मिलना चाहिये, (२) विपक्ष का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिये, और (३) उसे उस पक्ष के गवाहों की तर्क परीक्षा का अवसर मिलना चाहिये और (४) उसके विरुद्ध कोई सामग्री पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उसे उसका स्पष्टीकरण करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।[17B]

किन्तु जब सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय जांच को एक न्यायिक कार्यवाही मान लिया है[18] और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुछ धाराओं को भी मान्यता दी है;[19] तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सामान्य प्रावधान विभागीय जांच पर भी लागू होने चाहिये, चाहे उतनी कठोरता (rigidity) से नहीं; जितनी से अन्य न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। इसका हम पीछे पृष्ठ १४९ पर संकेत कर चुके हैं। अब हमें उप नियम (६) के खण्ड (क) के आधार पर यह देखना है कि—साक्ष्य की प्रक्रिया (तरीका) क्या होनी चाहिये और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन कौन से प्रावधानों की भावना यहां लागू होती है।

(१) साक्ष्य आरोपों से सुसंगत एवं सारभूत होनी आवश्यक—

साक्ष्य का सम्बन्ध तथ्यों से होता है, जो किसी घटनाक्रम के अङ्ग होते हैं। तथ्य (Fact) से तात्पर्य है[20]—(१) कोई वस्तु, वस्तुओं की स्थिति या सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो यानी—देखी, सुनी, छुई गई, सूंघी गई या चखी गई हो और (२) कोई मानसिक स्थिति, जिसमें कोई व्यक्ति सचेत हो। कोई तथ्य जिससे अपने आप या अन्य तथ्यों के साथ मिलने पर होने न होने,

14. ILR 1960 Raj. 1419
15. AIR 1958 Cal. 470; 1960 Kerala 63; 1958 Punjab 327
16. भारत संघ बनाम वी. टी. वर्मा AIR 1957 SC 882
17. AIR 1662 SC 1344
17.A AIR 1961 SC 1070
17.B फुलहरी चाय बागान बनाम वर्कमैन AIR 1959 SC 1111
कपूरसिंह बनाम भारत संघ AIR 1960 SC 493; AIR 1957 SC 882
18. AIR 1963 SC 395
19. AIR 1961 SC 493
20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ३

प्रकृति या अधिकार की सीमा, भार या अशक्तता, जोर देना या मना करना के भाव आवश्यक रूप से प्रकट होते हो; तो उसे 'वाद-हेतु तथ्य' (facts in issue) कहते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अध्याय (२) मे वर्णित तथ्यो की सुसगतता के प्रावधानो के अधीन जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे सुसगत कहते हैं। तथ्यो के मामलो पर आधारित साक्ष्य सारभूत होती है। सुसगतता के लिये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त इस प्रकार हैं[21] :—

१, साक्ष्य सुसगत तथ्यों और वाद-हेतु के तथ्यो (facts in issue) यानी—सारभूत तथ्यों की ही दी जा सकती है, अन्य की नही। (धारा ५)

२, एक ही घटना के अ ग बनने वाले तथ्यो की सुसगतता के तथ्य, जो वाद हेतु मे नही हैं और वे किसी वाद-हेतु के तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुये हैं कि वे उस घटना का एक अ ग बने हुये हैं; सुसगत हैं —चाहे वे उसी समय व स्थान या अलग समयो व स्थानो पर घटित हुये हो। (धारा ६)

३. वे तथ्य भी सुसगत हैं, जो किसी सुसगत तथ्य या वादहेतु के तथ्य के अवसर, कारण या प्रभाव—तुरत या अन्य प्रकार का—हैं; या वे उस वस्तुस्थिति के अ ग हैं, जो घटित हुई है या जो उनके घटित होने या व्यापार के लिये एक अवसर देते हैं। (धारा ७)

४. किसी संगत तथ्य सम्बन्धी भावना, तैयारी और पूर्वआचरण या बाद का आचरण भी सुसगत है। (धारा ८)

५. सुसगत तथ्यो को बताने या स्पष्ट करने के लिये आवश्यक तथ्य भी सुसगत हैं। (धारा ९)

६ कई बार वे तथ्य जो सुसंगत नही है, फिर भी वे सुसगत बन जाते हैं—(१) यदि वे किसी वादहेतु के तथ्य या सगत तथ्य के विपरीत हो (२) यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यो के साथ किसी वादहेतु के तथ्य के होने या न होने की अत्यधिक सभावना या असमावना को प्रकट करते हो। (धारा ११)

इस प्रकार सक्षेप मे किसी घटना के अ ग के रूप में जो भी तथ्य हैं, जिनसे वादहेतु यानी विवादस्पद प्रश्नो के बारे मे कोई होना, नहीं होना, मानसिक-स्थिति, योजना, सभावना आदि की झलक मिलती हो; ऐसे सभी तथ्य सारभूत व सुसगत हैं; जिनके लिये साक्ष्य देने की अनुमति है। विभागीय जाच में कई बार कई ऐसे तथ्य जो आरम्भ मे सुसगत प्रतीत नही होते; परन्तु आगे जाकर उनका गम्भीर परिणाम निकल सकता है। अत सहज न्याय के लिये अत्यधिक कठोरता के नियमो को न मानकर यथोचित अवसर देने का ध्यान रखा जाता है।

(१) साक्ष्य लेने की प्रणाली— (Mode of recording evidence)

साक्ष्य लेने की प्रणाली का कही भी सुस्पष्ट विवेचन इन नियमो मे नही किया गया गया है। सविधान का अनुच्छेद ३११ (२) मे जाच के लिये दो बातें महत्व पूर्ण हैं—

(१) आरोपो से सूचित करना और

(२) उन आरोपो के बारे मे सुनवाई का यथोचित अवसर देना।

21. भारतीय साक्ष्य अधिनियम-अध्याय (२)

इसमें पहली बात की पूर्ति आरोप पत्र जारी करने के साथ पूरी हो जाती है, फिर भी औपचारिक रूप से दुबारा आरोप सुनाना और दोषी का कथन कोई हो तो, अभिलिखित किया जाने की परम्परा बन गई है। दूसरी बात में सुनवाई (Hearing) आती है, जिसमें नियमानुसार शहादत ली जाती है। इनके आधार पर निम्न प्रणाली अपनाई जाती है:—

दोषी को बलाना व आरोपण—

जांच प्राधिकारी की नियुक्ति के बाद वह दोषी कर्मचारी को निश्चित दिनांक को निश्चित समय व स्थान पर उपस्थित होने की सूचना देता है। यह भी रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत तामील द्वारा भेजा जाता है। निश्चित दिन को दोषी के उपस्थित होने पर उसे आरोप पत्र व दोषारोपण का विवरण पत्र पढ़कर सुनाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि-वह आरोपों में से किसी एक या अधिक या सभी को स्वीकार करता है या नहीं? दोषी कर्मचारी यदि कुछ कहने से मना करता है, तो इस तथ्य को अभिलिखित किया जाता है। दोषी अपने लिखित प्रतिकथन को पूरा करने के लिये इस समय मौलिक कथन (बयान) दे सकता है। जिसे अभिलिखित किया जायेगा। * कथन देने से इन्कार करने को दोषों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता और कथन में स्पष्ट व संदेह रहित स्वीकारोक्ति न हो, तो औपचारिक जांच नहीं करना अवैध होगा।[22] यदि कुछ आरोप स्वीकार कर लिये गये हों या आंशिक रूप से स्वीकारोक्ति हो, तो पहले वादहेतु (issues) बना लेने चाहिये और उन्ही के लिये आगे साक्ष्य ली जानी चाहिये। यदि दोषी स्वयं अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करदे, तो उसे अपने आपको धन्यवाद देना चाहिये।[23] इसके लिये कोई उपचार न्यायालय के पास नही है।

गवाहों व प्रलेखों की सूची—

जिन प्रलेखों और गवाहों पर आरोप पक्ष निर्भर करना चाहता है, उनकी सूची यदि आरोपपत्र के साथ नहीं दी गई हो, तो अब दी जानी चाहिये। इसी प्रकार यदि दोषी कर्मचारी ने अपने प्रतिकथन के साथ गवाहों व प्रलेखों की सूची प्रस्तुत नहीं की हो, तो अब प्रस्तुत करनी चाहिये। गवाहों की सूची में उनके नाम व पूरे पते होने चाहिये तथा प्रलेखों के बारे में भी परिचय होना चाहिये कि-वे किसके अधिकार में हैं। दोनों पक्षों के प्रलेख भी जांच-अधिकारी के अभिलेख में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

पक्षपात का आक्षेप (एतराज)—

किसी भी प्रकार की पक्षपात की घटना या अनियमितता जो दोषी के ध्यान में आवे, उसी समय उसका आक्षेप उठा देना चाहिये। किन्तु जब जांच प्रतिकूल चली जाती है, तो उसके बाद किये गये आक्षेपों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।[24]

---

22. जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश AIR 1961 SC 1070
23. सेसराम शर्मा बनाम मध्य प्रदेश AIR 1959 M.P. 434
24. बालकिशन चतुर्वेदी बनाम मुख्य सचिव भोपाल AIR 1963 MP 216

* Hand Book on Disciplinary Proceedings: (Govt. of Raj.) Para—13

जाच अधिकारी न्यायालय नहीं—

जाच अधिकारी या मण्डल को न्यायालय नही माना गया है [25] और न उसे न्यायालय की तरह विशेष अधिकार प्राप्त हैं। न यह अपराध जाच (Criminal proceedings) है। [26] परन्तु गवाहो को बुलाने व प्रलेखो को मगाने के लिये † "राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही' (साक्षी आह्वान एव प्रलेख प्रस्तुती करण) अधिनियम १६५६ व नियम १६६० के अधीन उसे व्यवहार न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं। आदेशिकायें (सम्मन) जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा तामील कराई जावेगी और व्यवहार न्यायालयों मे काम आने वाले प्रपत्र आवश्यक परिवर्तनो के साथ काम मे लिये जावेंगे [27]

यह कही भी स्पष्ट नही है कि—उसे न्यायालय की मान हानि (Contempt of-Court) के लिये क्या अधिकार प्राप्त हैं। जांच के दोहरान दोषी कर्मचारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के लिये उन तथ्यो को अभिलिखित किया जा सकता है और अनुशासनिक प्राधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

साक्ष्य (शहादत) के दो प्रकार

साक्ष्य दो प्रकार की होती है—

(१) प्रलेखीय साक्ष्य (दस्तावेजी शहादत Documentary Evidence)
(२) मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)

यह कही स्पष्ट नही है कि—पहले कौन सी साक्ष्य ली जावेगी, परन्तु परम्परा के अनुसार पहले प्रलेखीय साक्ष्य को देखा जाता है और बाद में मौखिक साक्ष्य सुनी जाती है। यदि सम्पूर्ण मामला केवल प्रलेखों के साक्ष्य पर निर्भर हा तो मौखिक जाच आवश्यक नही है। यद्यपि नियम १६ की भाषा स्पष्ट नही है, फिर भी इससे यह तात्पर्य लेना कठिन है कि—मौखिक जाच एक अपरिहार्य अनिवार्यता (inevitable necessity) है, जबकि आरोप पूणत दस्तावेजों पर आधारित हों। [28] जो कुछ प्रलखीय व मौखिक साक्ष्य पेश करनी हो, वह कमचारी के सामने होनी चाहिय [28A]

पहले पूर्वपक्ष (आरोप या अभियोजन पक्ष) की शहादत आरम्भ होती है। जब इस पक्ष की शहादत पूरी हो जाती है, तो बचाव पक्ष (दोषी कर्मचारी के पक्ष) की शहादत आरम्भ होगी। स्वय दोषी कर्मचारी भी अपनी शहादत एक साक्षी के रूप मे देगा। उसकी शहादत साधारणतया बचाव पक्ष के गवाहों की शहादत के बाद मे होती है, किन्तु प्रलेखों पर आधारित मामले मे सबसे पहले भी दोषी के बयान लिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध मे सर्वोच्चन्यायालय ने "फायरस्टोन

---

25. जग्गाराव बनाम राज्य AIR 1957 AP 197
26 पी० जोजफ जॉन बनाम ट्रावन्कोर कोचीन AIR 1959 SC 16
27. राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षी आह्वान एव प्रलेख प्रस्तुतीकरण) नियम १९६०–नियम २ (८) व (५)
28 ILR 1960 Raj 1419
28 A मोहम्मद हनीफ बनाम डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट AIR 1957 All 634

† देखिये परिशिष्ट (ख) मे।

टायर एण्ड रबड कं० लि० बनाम वर्कमैन" २९ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय अभी दिया है, जिसका सारांश यहां दिया जा रहा है—

घरेलू जांच (Domestic Enquiry) की सब स्थितियों पर दोषी कर्मचारी को बचाव का अवसर दिया गया। इससे दोषी को कोई हानि (Disadvantage) नहीं हुई। सबसे पहले दोषी का बयान लेना सहज न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है। (निर्णय)

गवाहों के पहले दोषी को तर्क (जिरह) करने से सहज न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ, इस पर कई निर्णय३० पेश किये गये। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मामले यह बताते हैं कि दोषी से कुछ भी पूछा जाने से पहले उसके विरुद्ध साक्ष्य पेश होना आवश्यक है। किन्तु यह सब मामलों में कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं हो सकता। जहां दोषारोपण अभिलेख या स्वीकार किये गये तथ्यों पर आधारित हो, वहां परिस्थिति भिन्न होगी। ऐसे मामलों में दोषी का ध्यान उसके विरुद्ध जा रहे अभिलेख पर आधारित साक्ष्य की ओर दिलाने की अनुमति है। यदि वह उसका सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके, तो यह दोष के निष्कर्ष की ओर बढ़ाता है।

कुछ मामलों में पहले दोषी का कथन (version) लेना उचित (fair) भी हो सकता है, ताकि जांच भेद के तथ्यों को आवृत कर सके और उस द्वारा सुझाये गये मामले के पहलू पर गवाहों को उचित रूप से पूछा जा सके। यह सब न्याय व समान व्यवहार (fair play) का एक प्रश्न है। यदि यह दूसरा तरीका विवादग्रस्त तथ्यों के न्यायपूर्ण निर्णय की ओर ले जाता है, तो साधारण तरीके में दोषी के विरुद्ध पहले साक्ष्य के बयान होने से यह दोषी के लिए अधिक न्यायपूर्ण (fairer) है और यह कोई अपवाद नहीं माना जा सकता।

येनकेन, यह पूछना बुद्धिमतापूर्ण होगा कि दोषी पहले अपने बयान देना चाहता है या साक्ष्य पूरी होने तक प्रतीक्षा करना चाहता है; किन्तु उसे यह प्रश्न नहीं पूछने से जांच मूलत: (ipso facto) दूषित नहीं हो जाती, जब तक कि कोई अन्याय पूर्ण हानि नहीं हुई हो। केवलत भी जांच दूषित हुई कही जावेगी, जब कि व्यक्ति, जिससे पूछताछ की गई उसे कोई अलाभ (हानि) हुई हो या उसने ऐसा एतराज किया हो।

यह जोर दिया जाना, येनकेन, आवश्यक है कि उन सब मामलों में जिनमें विवादग्रस्त तथ्यों का प्रतिरोध किया गया हो, वहां इस न्यायालय के द्वारा उद्धृत मामलों में निर्धारित किया गया तरीका साधारणरूप से अपनाया जाना है।

दोषी के बयान पहले लेने का तरीका केवल स्पष्ट मामलों (clear cases only) में अपनाया जा सकता है (may be adopted)। ऐसे मामलों

---

29. (1968) II SCJ 83 (86)
30. टाटा आइल मिल कं० बनाम वर्कमैन [1963] 2 LLJ 78 : [1963] 6 FLR 257
सर एग्मल एण्ड स्टाम्पिंग वर्क्स बनाम वर्कमैन [1963] 2 LLJ 367 : (1964) 3 SCR 616; [1961] I SCJ 334
मीनालास टी इस्टेट बनाम वर्कमैन [1963] 2 LLJ 392 : [1964] I SCJ 98
एसोसिएटेड सीमेंट कं० बनाम वर्कमैन [1963] 2 LLJ 396 : [1964] SCR 652

का एक उदाहरण[31] हाल ही मे हमारे सामने आया था; जिसमें एक बैंक लिपिक ने ग्राहक को बैंक द्वारा उसकी स्वीकृत सीमा से अधिक अत्याहरण (Overdraft) करवा दिया था। उस लिपिक को ऐसा कोई अधिकार नही था। जाच के आरम्भ के पहले ही उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया था और क्षमायाचना की थी। उसके पहले बयान यह पता लगाने के लिए लिये गए, ताकि औपचारिक साक्ष्य लेकर दोष के चित्र को पूरा करने से पहले यदि कोई ऐसी परिस्थितिया हो, जिनसे उसका दोष कम होता हो। हमने निर्णय दिया था कि वह जांच उचित थी व उसमे सहज न्याय के सिद्धान्तों का कोई हनन नही हुआ।

इस वर्तमान मामले मे भी सुब्रह्मन्यम् ने जांच की आज्ञा के पहले यह शिकायत की थी कि उसका कथन पहले लिया जाना चाहिये। ठीक यही जाच अधिकारी ने किया। ... इन परिस्थितियो मे जाच मे सहज न्याय के सिद्धान्तो का कोई हनन नही हुआ।

(ख) प्रलेखीय साक्ष्य (दस्तावेजी शहादत) (Documentary Evidence)

चय—

प्रलेख (Document)[32]; से तात्पर्य कोई सामग्री (matter) को अक्षरो, अङ्को, ो द्वारा या इनके मिश्रित प्रयोग से प्रकट व वर्णित करने से है, अर्थात् अक्षरो, अङ्को या चिन्हों द्वारे किसी तथ्य को अभिलिखित करने वाला लेख 'प्रलेख' होता है—जैसे लिखित पत्र, विभिन ो से मुद्रित, फोटो, नक्शा, रेखाकन, खुदाई, ढाचा, आदि। न्यायालय या जाच प्राधिकारी के परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रलेखो को 'प्रलेखीय साक्ष्य' (दस्तावेजी शहादत) कहते प्रलेख के विवरण को प्राथमिक (Primary) या माध्यमिक (Secondary dence) साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मूल प्रलेख को प्रस्तुत करना मिक साक्ष्य' कहलाता है, जिसमे मूल प्रलेख, उसके अङ्ग, उसकी मुद्रित प्रतिया तथा उसकी ति (counter copy) भी सम्मिलित है।[32A] प्रलेखो को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होता है, किन्तु धारा ६५ मे वर्णित परिस्थितियों मे माध्यमिक साक्ष्य किसी प्रलेख के अस्तित्व दशाओ व विषय-वस्तु के लिये प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जैसे-प्रलेख किसी ऐसे व्यक्ति के पास प्रस्तुत नही करता हो, या उसे कानूनन पेश करने को वाध्य नही किया जा सकता हो, या नोटिस के पेश नही किया गया हो या जबकि मूल प्रलेख नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या लेख को उठाकर नही लाया जा सकता हो, या वह कोई लोक-प्रलेख (public document) दि।[33] माध्यमिक साक्ष्य मे निम्न सम्मिलित होते है—

(१) प्रमाणित प्रतिलिपिया (२) मूल से यत्र के द्वारा तैयारी की गई सही प्रतियाँ, मूल से तुलना की हुई प्रतिया, (४) मूल प्रति (counter parts) और (५) स्वय देखने रा किसी प्रलेख के विवरण का दिया गया मौखिक विवरण।[33]

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम करुणामय नर्जी
2 FJR 481 AIR 1968 SC 766

32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ३
32.A भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ६१ व ६२
33. भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ६४ व ६

इस प्रकार प्रलेखीय साक्ष्य का स्वरूप होता है ।

प्रस्तुतीकरण —

आरोपों की पुष्टि में आवश्यक दस्तावेज आरम्भ में ही अभिलेख पर रख देने चाहिए और दोषी कर्मचारी को भी उसके प्रतिकथन के साथ दस्तावेज पेश कर देने चाहिये ।* सूची में उल्लेख करने के बाद दस्तावेज बाद में भी पेश किया जा सकता है । "किन्तु देरी से पेश किये जाने के कारण से ही ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए ।"[33A]

कई दस्तावेजों को मौखिक शहादत के समय सम्बन्धित गवाह से प्रदर्शित (exhibit) करवाया जाता है और उन पर क्रमानुसार संख्या लगायी जाती है । अभियोजन के प्रलेखों पर ExP लिखकर आगे संख्या लगाते हैं और बचाव पक्ष के प्रलेखों पर ExD लिखकर । गवाहों से, यदि आवश्यकता हो तो, दस्तावेज की पुष्टि भी कराते है और तर्क (जिरह) में दस्तावेज के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं ।

प्रलेख उपलब्ध कराना—

जो प्रलेख किसी पक्ष द्वारा रिकार्ड पर मंगवाये जावें, उनकी सूची व प्रार्थना पत्र पेश होने पर जांच-अधिकारी उन्हें मंगाने के लिये आदेशिका (सम्मन) जारी करता है । सरकार का निर्देश † है कि-सम्मन किये गये गवाहों व दस्तावेजों या अभिलेखों को भिजाने की व्यवस्था विभागाध्यक्ष करेंगे ।

प्रलेखों को उपलब्ध कराने का कर्तव्य जांच प्राधिकारी का है, क्योंकि उसे प्रलेख मंगाने के अधिकार व शक्तियां विधि द्वारा प्रदत्त हैं ।

(ग) मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)

परिचय:—

उप नियम (६) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि—दोनों पक्षों के बयान लिये हुये (examined) गवाहों से तर्क (जिरह) करने का अधिकार है । अतः पहले मुख्य बयान (examination-in-chief) होंगे और फिर 'तर्क-बयान' (Cross Examination) । पुनः बयान (Re-examination) बारे में यह नियम शान्त है, फिर भी यदि आवश्यक हो, तो जांच प्राधिकारी पुनः बयान की अनुमति दे सकता है । इस प्रकार बिना मुख्य बयान के केवल तर्क यानी प्रश्न पूछने का अवसर देना अनियमित है । दोषी की पीठ पीछे कार्यवाही करने के बाद केवल तर्क (जिरह) करने के लिए कह दिया जाना अनियमित है ।[34] साक्षियों के सब कथन जिनके लिये न्यायालय अनुमति दे या मांग करे और जो जांच के तथ्यों के मामलों से सम्बन्धित हों; उन्हें मौखिक साक्ष्य कहते हैं ।[35] दस्तावेजों की विषय वस्तु के अतिरिक्त अन्य सब तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है । मौखिक जांच सब मामलों में प्रत्यक्ष (direct) होगी अर्थात् देखे गये तथ्य के लिए देखने वाले की, सुने हुये तथ्य के लिए स्वयं सुनने वाले की, अन्य इन्द्रियों से ज्ञात तथ्य के लिये इन्द्रिय से ज्ञान करने वाले की, सम्मति (opinion) या उसके

33A भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ६३

34. AIR 1933 1 1

35. भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा ३

*Hand Book on Disciplinary Proceedings-Page 9

† राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) दिनांक ८-१२-६० में प्रकाशित ।

आधार से सम्बन्धित होने पर उन आधारों पर सम्मति रखने वाले व्यक्ति की होगी; दूसरे व्यक्ति की नही।[36] साक्षी द्वारा देखे गये किसी दस्तावेज की विषय वस्तु के विवरण के लिये माध्यमिक-साक्ष्य के रूप मे भी मौखिक साक्ष्य मान्य है।[37]

साक्षियो के बयान (Examination of witnesses)

पहले अभियोजन-पक्ष के गवाह पेश होते हैं, फिर बचाव-पक्ष के। उनके बयान के तीन अङ्गो मे से पहले दो के लिए इस उपनियम (६) मे स्पष्ट स्वीकृति है —अर्थात्—मुख्य बयान (examination in chief) और तर्क (जिरह) बयान (cross examination)। साक्षी वे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनकी मौखिक साक्ष्य की अनुमति हो और जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो।[38] गवाहो की सख्या की कोई सीमा नही बाधी जा सकती, यह पक्षकारो पर निर्भर करता है कि कितने व कौन से गवाह पेश करने है; किन्तु उप नियम (६) मे बताये कारणो से जांच प्राधिकारी किसी गवाह के बयान लिखने से मना कर सकता है।

किसी गवाह को सुसगत प्रश्नो का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, चाहे उसके उत्तर के परिणाम स्वरूप उसको कोई दण्ड मिलने की सम्भावना क्यो न हो।[39] ऐसे महत्वपूर्ण व सुसगत प्रश्नो का उत्तर न देने पर गवाह के बयानो पर प्रतिकूल-धारणा (adverse presumption) बनाई जा सकती है।[39A] यही नियम तर्क परीक्षा मे भी लागू होता है।

(घ) तर्क-परीक्षा (जिरह Cross Examination)

नियमानुसार तर्क-परीक्षा एक अधिकार है, इससे किसी भी पक्ष को वंचित नही किया जा सकता। बयान व तर्क दोनो मामले से सुसगत व सारभूत तथ्यो पर आधारित होने आवश्यक हैं। तर्क परीक्षा केवल मुख्य बयान मे आये तथ्यो के लिये ही प्रश्न पूछने तक सीमित नही है, इसमे कई प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो परोक्ष रूप से मामले से सम्बन्धित होने से सुसगत हो सकते हैं।[39B] जो व्यक्ति कोई प्रलेख पेश करने के लिये आता है, वह केवल प्रलेख पेश करने के कारण से ही गवाह नही माना जा सकता; अत: उसे जब तक एक गवाह के रूप मे नही बुलाया जावे, तर्क परीक्षा नही की जा सकती।[40] गवाह की चरित्र सम्बन्धी तर्क-परीक्षा की जा सकती है।[41] दोषी के चरित्र के लिये आचरण की निन्दा का साक्ष्य पर कोई प्रभाव नही माना जाता,[42] परन्तु दोषी का पहल का सदाचरण फौजदारी मुकदमे मे सुसगत है।[43] परन्तु गवाहो के दुराचरण का प्रभाव उसकी साक्ष्य पर माना जाता है।[44] जब किसी प्रश्न के पूछने मे ही उसके उत्तर का सुझाव भी छिपा हो, तो उसे सीधा-प्रश्न (Leading Question) कहते हैं। ऐसे प्रश्न मुख्य बयान मे, यदि प्रतिपक्ष एतराज करे तो, नहीं पूछे जा सकते। प्रमाणित तथ्यो पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।[45] गवाह को उसके पहले दिये गये बयानो (जैसे प्राथमिक जाच के समय) के बारे मे तर्क-परीक्षा मे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके पूर्व कथनों का प्रसग देते हुये उनके बारे मे उससे प्रश्न पूछ कर जांच अधिकारी के सामने

39.B भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १३८

40. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १३९

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १४०

42. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा ५२ व ५४

43. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा ५३

44. AIR 1959 Cal. 693

45. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १४१, १४२ व १४३।

दिये गये बयानों से उनका विभेद (Contradiction) किया जा सकता है। [46] तर्क परीक्षा के दौरान एक गवाह से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनसे उसकी सत्यता (Veracity) की परीक्षा हो सके, या उसके जीवन के स्तर व पद का पता चल सके, या उसके चरित्र को आघात पहुंचाते हुये उसकी साख (Credit) को डगमगाया जा सके। [47] गवाह के उत्तर नहीं देने पर या घुमाफिरा कर उत्तर देने पर गवाह की साख के प्रतिकूल धारणा बनाई जा सकती है। [48] असभ्य व गुंडा गर्दी के प्रश्न (Indecent and Scandalous Questions) पूछने से न्यायालय मना भी कर सकता है। अपमान करने या नाराज करने के लिए पूछे गए प्रश्नों के लिए भी न्यायालय मना कर सकता है [49] विपक्ष की ओर से तथा न्यायालय की अनुमति से स्वपक्ष की ओर से किसी गवाह के विरुद्ध उसके विश्वसनीय नहीं होने के लिए अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्तियों का साक्ष्य लेकर या गवाह ने भ्रष्ट प्रभाव से या घूंस लेकर बयान दिये हैं, इसके प्रमाण पेश कर, या उसके पूर्वकथनों व नये कथनों में विभेद (अन्तर) को प्रमाणित करके, उसकी साख की भर्त्सना की जा सकती है। [50]

प्रत्येक गवाह के बयानों के अभिलेख में यह स्पष्ट लिखना चाहिये कि दोषी ने उसकी तर्क परीक्षा की या इसके लिये मना कर दिया। बयानों की समाप्ति पर गवाह को बयान पढ़कर सुनाने के बाद उसके तथा जांच प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये। यदि गवाह बयान सुनकर कोई एतराज करता है, तो उनका उल्लेख नीचे अलग से किया जावे व जांच प्राधिकारी, जैसा उचित सोचे, अपने विचार (remarks) भी दे सकता है। †

(ङ.) शपथ (Oath) नहीं—

भारतीय शपथ अधिनियम की धारा ४ के अर्थ में जांच प्राधिकारी एक न्यायालय नहीं है। अतः भारत सरकार व राज्य सरकार ने निर्देश ‡ दिया है कि जांच में गवाहों को शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है। बिना शपथ पर दिये बयानों के लिये किसी गवाह पर झूठी-गवाही देने का अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

साक्ष्य की समाप्ति व बहस—

दोनों पक्ष की साक्ष्य लेने के बाद दोषी व्यक्ति को, यदि वह चाहे तो, बहस (arguments) सुनाने का एक अवसर देना चाहिये। † दोषी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये नहीं पूछा गया, इसे यथोचित अवसर नहीं दिया जाना माना गया है। [51] व्यक्तिगत सुनवाई देने में असफलता से कोई अनियमितता या पक्षपात पैदा नहीं होता। [52]

गवाहों को यात्रा भत्ता—

विभागीय जांच में बुलाये गये दोनों पक्षों के गवाहों को नियमानुसार यात्रा भत्ता मिलता है। † राजस्थान यात्राभत्ता नियम ६३, टिप्पणी (३) के अनुसार राज्य कर्मचारियों को

---

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १४५
7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १४६
8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १४८
49. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १५१ व १५२
50. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा १५५
51. ILR 1957 Raj. 823
52. AIR 1963 MP 216

‡ विज्ञप्ति सं० ७-२-५२/A/S (II) दिनांक २६-११-५४ एवं विज्ञप्ति सं० एफ २(३५) नियुक्ति (क) ५१ दि० १७-१०-५८ द्वारा।

† Hand Book on Disciplinary Proceedings-Page 9.

साधारण यात्रा के समान यात्रा भत्ता तथा गैर–सरकारी गवाहों को नियम ६८ के अनुसार यात्रा भत्ता मिलेगा, जिसके लिये एक विज्ञप्ति ‡ द्वारा निर्देश भी दिये गये हैं। गैर सरकारी गवाहों को यात्राभत्ते का भुगतान करने के अधिकार विभागीय-जाच-आयुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं। * वह गवाहो की श्रेणी निश्चित कर सकेगा।

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

अपने विरुद्ध साक्ष्य देने वाले गवाहो की तर्क परीक्षा करना दोषी कर्मचारी का बहुमूल्य अधिकार है।[53] आरोपों का प्रतिरोध करने का अवसर नही देना सहज न्याय क सिद्धान्तो का हनन है।[54] दोषी कर्मचारी को गवाहो से तक परीक्षा करने का अधिकार है।[55] अनुच्छेद ३११ मे वांछित यथोचित अवसर मे अपने विरुद्ध पेश किये गये गवाहो से अपने बचाव के लिये तक परीक्षा करने का एक अवसर भी सम्मिलित है।[56] प्राथमिक जाच के समय लिया गया साक्ष्य केवल विभेद या पुष्टि के अतिरिक्त दोषी के विरुद्ध काम मे नही लिया जा सकता।[57]

दोषी की अनुपस्थिति में लिया गया साक्ष्य—अमान्य

जाच अधिकारी को समस्त मौखिक साक्ष्य आरोपित कर्मचारी की उपस्थिति मे लिखना चाहिये।[58] दोषी की अनुपस्थिति म लिये गये बयान मे बचाव का न्यायपूर्ण अवसर उसे नही दिया गया।[59] दोषी के पीठ पीछे लिये हुये बयानो के आधार पर उसे अपराधी मानना सहज न्याय के सिद्धान्तो का हनन है।[60] गवाहो के प्राथमिक जांच के बयानो पर ही उनसे तर्क परीक्षा का अवसर दिया गया। यद्यपि तर्क-परीक्षा ओजपूर्ण रही, किन्तु इसे अवसर नही माना गया।[61] शब्द "साक्ष्य' (Evidence) का अथ केवल तर्क नही हो सकता। आरोपित व्यक्ति के सामने नही लिया गया कोई साक्ष्य काम म नही लिया जा सकता।[62]

आरोपित अधिकारी दुबारा तर्क परीक्षा की या सब गवाहो के बयान समाप्त होने पर अपनी इच्छा मे तर्क परीक्षा की माग नहीं कर सकता।[63] गवाहो के बयानो के बाद प्रार्थी ने तर्क

53 महारमारत राज्य बनाम सी॰ एस॰ वैशम्पायन AIR 1961 SC 1623

54. बचेयलाल बनाम उत्तरप्रदेश AIR 1959 All 614
भागीराम बनाम डिवी॰ वन अधिकारी AIR 1955 Pepsu 172
AIR 1960 Mysore 159
AIR 1960 Kerala 63, 1962 Punjab 496

55. चम्परा भोरा बनाम बिहार राज्य AIR 1959 Patana 382

56. जुगलप्रसाद बनाम भारत सघ AIR 1959 Raj 112

57 ILR 1957 Raj 823, AIR 1959 Orissa 152

58 ILR 1957 Raj 823 1957 Orissa 70, 1951 All 532 and 1959 Raj 112

59 AIR 1961 Gujrat 63

60. गोपीनाथ नैयर बनाम राज्य AIR 1960 Kerala 63

61. आर॰ सी॰ वर्मा बनाम आर॰ डी॰ वर्मा AIR 1958 All 532
ए॰ आर॰ मुकर्जी बनाम डिप्टी चीफ मैक॰ इजिनियर AIR 1961 Cal 63,
श्यामलाल बनाम रोशनलाल AIR 1962 Punjab 496,
सुरेन्द्रचन्द्र दास बनाम त्रिपुराक्षेत्र AIR 1962 Tripura 15,
AIR 1963 Punjab 399, 1957 Orissa 143
1954 Calcutta 495, AIR 1957 Orissa 222

62 उत्तरप्रदेश शासन बनाम सी॰ एस॰ शर्मा AIR 1963 All 94

63 AIR 1957 All 767, 1957 All 436

‡ विज्ञप्ति स॰ एफ ३ (३) वि॰ वि॰ (व्यय नियम) ६३ दि. ८-७-६५।

* विज्ञप्ति स॰ डी. १६३९।५८ एफ. ६(८) वि॰ वि॰ (क) नियम।५८ दि॰ ११-६-५६

परीक्षा की मांग नहीं की, तो अब वह यह मांग नहीं कर सकता कि—सहज न्याय का हनन हुआ है।[64] जांच की समाप्ति पर किसी प्रलेख की पुष्टि के लिये एक गवाह को बुलाया गया और उसकी तर्क-परीक्षा का अवसर दोषी को दिया गया, तो अब वह कोई शिकायत नहीं कर सकता।[65] प्रार्थी को अपने विभागाध्यक्ष से तर्क परीक्षा करने की स्वीकृति नहीं दी गई, जो केवल कुछ पत्र पेश करने उपस्थित हुआ था। इस पर यह माना गया कि यदि तर्क परीक्षा की अनुमति दे दी जाती, तो अच्छा रहता। किन्तु इस मामले के तथ्यों से इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ, अतः जांच दूषित नहीं मानी गई।[66] एक मामले में एक असाधारण प्रक्रिया अपनाई गई कि आरोपों को प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं करके जांच मण्डल ने प्रार्थी से प्रश्न पूछना शुरू किया और बाद में उसे सेवा से हटा दिया गया। इस पर निर्णय हुआ कि सामान्य प्रक्रिया यानी मामले को गवाहों या अन्य साक्ष्य से प्रमाणित करके; नहीं अपनाई गई। अतः सेवाच्युति की आज्ञा को निरस्त किया गया।[67] तर्क परीक्षा से कोई लाभ नहीं होगा, इस आधार पर इसके लिये मना नहीं किया जा सकता।[67A] तर्क परीक्षा का अवसर पहली स्थिति में ही दे दिया जाना चाहिये।[67B] यदि स्वयं दोषी कर्मचारी तर्क परीक्षा से इन्कार कर दे, तो फिर उसे शिकायत नहीं हो सकती।[67C]

अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक यथोचित व सही अवसर में यह निहित है कि—किसी प्रकार का साक्ष्य—मौखिक या दस्तावेजी—पहले दोषी कर्मचारी के विरुद्ध पेश किया जाना चाहिये, ताकि वह यह जाने कि उसके विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने के लिये क्या साक्ष्य है और तब वह आरोपों का उत्तर देने के लिये अपनी ओर से साक्ष्य पेश करेगा। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, तो राज्य कर्मचारी के लिये यह कठिनता से आवश्यक होगा (अर्थात् —आवश्यक नहीं होगा) कि वह साक्ष्य पेश करे या इस प्रकार उसके विरुद्ध प्रमाणित नहीं किये गये आरोपों के लिये साक्ष्य देने की सोचे।[68]

गवाहों व प्रलेखों को प्रस्तुत नहीं कराना या नहीं बुलाना—

इस उप नियम में जांच अधिकारी को किसी गवाह के, यदि वह सुसंगत व सारभूत नहीं समझे तो; बयान लेने से मना करने की शक्ति दी गई है। किन्तु दस्तावेज मंगाने के लिये मना करने की शक्ति का यहां उल्लेख नहीं है; अतः यह स्पष्ट है कि—वह इसके लिये मना नहीं कर सकता। हां, यदि वह सुसंगत या सारभूत नहीं है; तो उसे साक्ष्य में सम्मिलित नहीं कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझ कर तथा बहुत कम करना चाहिये तथा इसके कारण तत्काल अभिलिखित किये जाने चाहिये। बाद में कारण लिखने से इस नियम का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।[68A] प्रार्थी ने १२५ बचाव-गवाहों की सूची पेश की, जिसमें से जांच प्राधिकारी ने चुने हुये आठ गवाहों को पेश करने की आज्ञा दी। इस पर माना गया कि—जांच अधिकारी को निष्पक्ष

---

64. एन० वासुदेवन नायर बनाम केरल राज्य AIR 1962 Kerala 43
65. गयाप्रसाद मिश्रा बनाम उत्तरप्रदेश AIR 1960 All. 618
66. ए० के० श्याम बनाम राज्य ILR 1960 Raj. 1419.
67. पशुपति बनर्जी बनाम डिप्टी चीफ इंजिनियर AIR 1960 Assam 51

67.A साधुराम बनाम इंजिनियर टेलिग्राफ AIR 1957 MP 52
67.B AIR 1958 All 532
67.C श्यामसिंह बनाम डी० आई० जी० पुलिस AIR 1965 Raj. 140
68. रामलाल बनाम भारत संघ AIR 1963 Raj. 57
68 A AIR 1962 Raj; 265 1963 All. 94; 1968 SC 158

होकर अन्य गवाहो को बुलाने के प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये, यदि प्रार्थी उनको पेश करने के लिये उचित मामला पेश करता है। क्योंकि सहज न्याय का प्राथमिक सिद्धान्त यही है कि —उसे उचित व निष्पक्ष व्यवहार दिया जावे।[69] जांच अधिकारी को प्रार्थी के लिये यह निश्चय नहीं करना है कि—उसके मामले के पक्ष मे किसके बयान लेने हैं और किसके नही।[70] परन्तु यदि इससे कोई पक्षपात नहीं हुआ हो, तो ऐसा नही माना जा सकता।[71] एक मामले मे वितरण-रजिस्टर पेश नहीं किया गया। इस पर माना गया कि—उस रजिस्टर के इन्द्राजात सुसंगत हैं या नही, इसका तय करना न कलेक्टर का काम था और न हमारा। हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि—वह रजिस्टर अवश्य ही सुसगत व सारभूत था। अतः सहज न्याय का हनन हुआ है।[72] जांच मण्डल द्वारा दोषी के चाहे गय गवाहो के बयान नही लेना न्याय के हर सिद्धान्त व सद्भावना के प्रतिकूल है।[73] इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है।[74] गवाहो को नही बुलाना अनेक निर्णयों द्वारा पक्षपातपूर्ण माना गया है।[75] यदि गवाह को बिना सूचना दिये बुलाकर और दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके बयान लिये गये, इसे सहज न्याय के सिद्धान्तो के विरुद्ध माना गया।[76] किन्तु गवाह जो सारभूत नहीं था, उसे पेश नही करना उचित ठहराया गया।[77]

इस प्रकार गवाहो और प्रलेखों को बुलाने व पेश करने तथा गवाहों के बयान लेने को सुविधा सहज न्याय के सिद्धान्तो का एक अंग मानी गई है और इसे साधारणतया बिना समुचित व ठोस कारणो के अस्वीकार नही करना न्यायोचित है।

उपनियम ६ (ख) ; आधे सुने मामले—

जब किसी जांच-प्राधिकारी का स्थानान्तर किया जाता है, तो वह आधे सुने मामले मे, यदि उचित व पर्याप्त कारण मौजूद हो, तो गवाहों को पुनः बुलाकर बयान ले सकता है। इस पर प्रतिपक्ष को दुबारा तर्क-परीक्षा करने का अवसर देना होगा।

उपनियम ६ (ग) व (घ) अनुपस्थिति में एक पक्षीय (इकतरफा *Ex parte*) कार्यवाही—

(१) उपनियम ६ (ग) के अनुसार जब दोषी कर्मचारी को स्पष्ट रूप से सूचना मिल जाती है और वह उपस्थित नही होता है, तो जांच प्राधिकारी जांच जारी रखेगा यानी वह एक पक्षीय जांच करेगा। किन्तु इसके लिए मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय नही किया जा

69. शिवदत्त बनाम पजाब राज्य
AIR 1962 Punjab 355;
गोस्वामी बनाम जनरल मैनेजर
AIR 1965 Cal. 557

70. डा० के सुब्बाराव बनाम हैदराबाद राज्य
AIR 1957 AP 414 (418);
आंध्र राज्य बनाम कामेश्वर राव
AIR 1957 AP 794

71. डा० जी० वी० पन्तुलु बनाम आंध्र सरकार
AIR 1958 AP 240

72. WA No. 131 [1955] Madras
WA No 739 (1953) Madras
WP No 114 [1955] Madras
[Unreported cases]
AIR 1957 AP 794;
AIR 1958 All. 532
AIR 1954 SC 51 [Criminal]

73. एस० ठाकुरजी बनाम मद्रास
AIR 1955 AP 168;
उत्तर प्रदेश शासन बनाम सी० एस० शर्मा
AIR 1963 All. 94

74. उत्तर प्रदेश शासन बनाम सी० एस० शर्मा
AIR 1968 SC 158

75. ILR 1962 Raj. 302; 1957 All. 634; 1958 All. 607

76. वीरसिंह भूषन बनाम राज्य
AIR 1960 Kerala 294

77. बगाल राज्य बनाम शैलेन्द्रनाथ बोस
AIR 1964 Cal. 184

सकता।[78] यहां दोषी को सम्मान की तामील का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति वश प्रार्थी उपस्थित नहीं होने की सूचना दे देता है, तो एक पक्षीय कार्यवाही संभव नहीं होगी। इस इकतरफा जांच के लिये नियम १९ (२) के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा—अर्थात्—यदि इन नियमों के अधीन प्रक्रिया का पालन यथोचित रूप से सम्भव नहीं होता प्रतीत हो, तो मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजा जावेगा; तो उस पर कारण अभिलिखित कर आगे कार्यवाही बिना प्रक्रिया के की जा सकेगी। किन्तु ध्यान रहे कि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम मामलों में ही होती हैं। अतः इसे एक साधारण आदत नहीं बनाई जा सकती। विधिवत् तरीका अपनाये बिना की गई बेढंगी जांच से सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध हो गई।[79]

(२) उपनियम ६ (घ) में संयुक्त-जांच में एक या अधिक कर्मचारी अनुपस्थित हो और उनका एक या अधिक सहायक उपस्थित हो; तो जांच उस या उनकी अनुपस्थिति में भी जारी रह सकेगी। दोषी कर्मचारी को बाद में शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

चौथा कदम—

निष्कर्ष (Findings)

उप नियम (७) का विश्लेषण—

इस उपनियम के विश्लेषण से निम्न तथ्य हमारे सामने आते हैं—

(क) (१) जांच की समाप्ति पर जांच अधिकारी एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करेगा। (२) इस रिपोर्ट में प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्कर्ष लिखा जावेगा—अर्थात्—आरोप सिद्ध हुआ या नहीं और उस आरोप के पक्ष या विपक्ष में क्या साक्ष्य था। कौन सा साक्ष्य स्वीकार किया या अस्वीकार किया गया।

(ख) (१) यदि जांच की कार्यवाही में साक्ष्य अन्य नये आरोप प्रमाणित करे, तो उन पर निष्कर्ष मय कारण दिये जावेंगे; (२) किन्तु उनको या तो राज्य कर्मचारी ने स्वीकार किये हों या उनका बचाव प्रस्तुत करने का एक अवसर मिल चुका हो। यदि यह अवसर नहीं मिला हो तो उसे फिर से दिया जावे और बाद में निष्कर्ष लिखे जावें।

जांच रिपोर्ट व निष्कर्ष—(Findings in Enquiry Report)—

जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष लिखने के लिये जांच अधिकारी को साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा और प्रत्येक आरोप पर अलग से विचार करना होगा। इसके लिये पूरी सावधानी रखनी चाहिये। जांच मण्डल को अपने निष्कर्षों में यह स्पष्ट बनाना चाहिये कि—किन प्रश्नों का निर्णय करना था और उनके प्रत्येक के पक्ष या विपक्ष में क्या साक्ष्य था और उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष या परिणाम असम्बद्ध विचारों या पक्षपात पूर्ण सामग्री से रंगा हुआ नहीं होना चाहिये। जांच मण्डल को किसी भी कारण से अपने निष्कर्ष संदेहों, अनुमानों या शंकाओं (Suspicions, Conjectures or Surmises) पर या बिना साक्ष्य के या सारभूत

78 श्यामनारायण शर्मा बनाम भारत संघ 1964 RLW 613

79. अमिया प्रसाद दास गुप्त बनाम डाइरेक्टर प्रोक्योरमेंट AIR 1956 Cal 114

और सुसगत साक्ष्य को अनुचित रूप से अस्वीकार करके या आंशिक रूप से साक्ष्य पर और आंशिक रूप से सदेहों, अनुमानों या श काओ पर आधारित नही करने चाहिये । [80] सुनी सुनाई या किसी की कही हुई साक्ष्य स्वीकार नही की जा सकती । (Hearsay evidence is inadmissible) ऐसी अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष टिक नही सकते । [81] आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध अभिलिखित स क्ष्य के प्रसग मे ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये, बचाव की कमजोरी का प्रसंग देना ही पर्याप्त नही होगा । [82] आरोपो को प्रमाणित करने का भार सरकार पर है । परन्तु निर्दोषिता प्रमाणित करने का भार कर्मचारी पर डालना सहज न्याय नही है । [83] यदि उच्च अधिकारी गलत तरीके से या बेईमानी से भी जाच करे, तो उसे राज्यसरकार दण्डित कर सकती है । [84] जांच अधिकारी को दोनो पक्ष की बहस (arguments) पर भी विचार करना चाहिये । निष्कर्ष को अभिलेख के बाहर की किसी सामग्री (extraneous matter) पर आधारित करना यथोचित अवसर का हनन माना गया है । [85] जांच अधिकारी को पुराना रिकार्ड [86], पहले के गलत कार्य [87], पुरानी बुरी रिपोर्ट [88], पुराना दण्ड [89], व्यक्तिगत जानकारी[90] या ऐसे तथ्य जिन पर जाच नहीं की गई हो [91]—विचार नही करना चाहिये; जब तक दोषी कर्मचारी को इनकी सूचना देकर बचाव मे स्पष्टीकरण देने का एक अवसर नहीं दे दिया गया हो । यदि जांच रिपोर्ट को साक्ष्य पर आधारित नही किया गया हो, तो वहां अनुच्छेद ३११ लागू होगा ।[91A] जाच अधिकारी अपनी रिपोर्ट मे दण्ड के लिये सुझाव नही दे सकता । [92] ऐसा सरकारी निर्देश † भी है । जाच अधिकारी किसी मामले मे किसी गवाह या अन्य के बारे में किसी विशेष परिणाम पर पहुचे, तो उसकी अलग से गुप्त रिपोर्ट (Secret) भेज सकता है ।*

80. गुलाम मोहिनुद्दीन बनाम प० बगाल
AIR 1964 Cal 503
81. उत्तरप्रदेश शासन बनाम मो० इब्राहीम
AIR 1959 All 223
82. ILR 1957 Raj 823
83. एस० मी० बोहीधर बनाम राज्य
AIR 1962 Orissa 1344
84 द्वारकाचन्द बनाम राज्य
1957 RLW 587
85. मदनलाल चावला बनाम प्रिंसिपल एच० बी० टी० इन्सटीच्यूट
AIR 1962 All 166;
नरेशनारायणसिंह बनाम महानिरीक्षक पुलिस
AIR 1954 VP 50;
हरबशसिंह बनाम पजाब राज्य
AIR 1962 Punjab 289,
रामराव लक्ष्मीकांत बनाम महालेखाकार
AIR 1963 Bom. 121
86. बरकतराम बनाम महानिरीक्षक
AIR 1955 VP 47,
एस० बी० एल० श्रीवास्तव बनाम महानिरी०
AIR 1957 Nag 18,
गिरजाशकर बनाम वरिष्ठ अधीक्षक डाक
AIR 1650 All. 624,
गोपालराव दामोदरजी बनाम मध्यप्रदेश
AIR 1964 Nag 90
87. साबीर अहमद मोलवी बनाम उत्तरप्रदेश
AIR 1960 All. 270
88. पंजाब राज्य बनाम दीवानचन्द
AIR 1963 Punj. 399
89. मैसूर राज्य बनाम के० मारो गौड
AIR 1964 SC 506,
AIR 1962 Tripura 14
90. आशुतोष दास बनाम प० बगाल
AIR 1956 Cal. 278
91 AIR 1956 AP 414' AIR 1957 Orissa 222
91.A श्यामनारायण शर्मा बनाम भारत सघ
ILR (1965) 15 Raj 58
AIR 1961 S C. 1344 and 1964 SC 364.
92 1965 RLW 166, AIR 1964 AP 407,
AIR 1962 SC 1130

† Hand Book on Discipinary Proceeding-Page 9
* नियुक्ति स० ९६६८/एफ ३३(८५) नियुक्ति (क)५७ दि० २१-८-५७ के अधीन ।

जांच का अभिलेख—(Record of Enquiry)

उपनियम (८) मे उस अभिलेख की सूची दी गई है, जो जांच के दोहरान तैयार किया जाता है। यह संक्षेप मे जांच की कार्यवाही की एक झलक प्रदान करता है:—

(१) आरोप पत्र व दोषारोपण (अभिकथन) का विवरण पत्र—जो उपनियम (२) के अर्धान प्रपत्र सं० ३, ४ व ५ में दोषी कर्मचारी को दिये गये थे।
(२) दोषी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो—लिखित प्रतिकथन।
(३) जांच में लिये गये मौखिक साक्ष्य के गवाहो के बयान।
(४) जांच मे काम मे आये प्रलेखीय साक्ष्य के कागजात।
(५) जांच के सम्बन्ध में दी गई आज्ञायें, यदि कोई हो, तो—

(क) अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आज्ञायें—

(१) जांच अधिकारी की नियुक्ति आदि की आज्ञायें (प्रपत्र सं० ७ ८ या ९)
(२) दस्तावेजो के निरीक्षण की अनुमति अस्वीकार करने की आज्ञा (प्रपत्र १०)
(३) लिखित प्रतिकथन पेश करने के लिए बढ़ाये गये समय आदि के बारे में दी गई आज्ञायें;
(४) अन्य आज्ञायें।

(ख) जांच प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञायें—

(१) दोषी कर्मचारी को जांच की सूचना
(२) जांच प्राधिकारी द्वारा निकाली गई आदेशिकायें (सम्मन) आदि।
(३) जांच की कार्यवाही की आज्ञा-सूची (Order sheet)
(४) जांच के दोहरान उठाये गये एतराज या प्रश्नों पर दी गई आज्ञायें।
(५) गवाहों या प्रलेखों को न मंगाने या बुलाने सम्बन्धी आज्ञायें।
(६) अन्य कोई आज्ञायें, जो जांच के दोहरान दी गई।

(६) जांच प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रत्येक आरोप पर कारणो सहित निष्कर्ष देते हुए।

पांचवां कदम—

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार व निष्कर्ष
(Consideration & Findings by Disciplinary Authority)—

उपनियम ९ का विश्लेषण—

इस उपनियम में निम्न बातें हैं—

(१) जांच प्राधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी अलग अलग हैं।
(२) अनुशासनिक-प्राधिकारी (क) जांच के अभिलेख को देखेगा (ख) उस पर विचार करेगा और (ग) अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
(३) विचार के समय अनुशासनिक प्राधिकारी समझे कि—जांच किसी प्रकार से दूषित (Laconic) हो गई, या अन्य कोई उचित व पर्याप्त कारण हों, तो कारण अभिलिखित करके—(क) आगे और जांच करने के लिये या (ख) नई जांच (*de novo*) के लिये मामले को वापस भेज सकेगा।

इस प्रकार जांच-रिपोर्ट पर अनुशासनिक प्राधिकारी तीन कार्य करेगा—(१) अभिलेख को देखना (२) उस पर विचार करना और (३) उस पर निष्कर्ष देना।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट आते ही पहले अनुशासन-प्राधिकारी पूरे अभिलेख को देखेगा कि उसमें उपनियम (८) के अनुसार सम्पूर्ण अभिलेख सम्मिलित हैं या नहीं। इसके बाद वह यह देखेगा कि पक्ष या विपक्ष की साक्ष्य क्या है और उसके आधार पर आरोपों पर विचार करेगा।

अभिलेख के आधार पर प्रत्येक आरोप पर जो साक्ष्य मौजूद है, उसको देखकर तथा जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष पर विचार करके वह यह देखेगा कि क्या जांच अधिकारी ने साक्ष्य का सही व नियमानुसार विवेचन व मूल्यांकन किया है। यदि नहीं, तो वह अपनी असहमति के कारण देते हुए अपना निष्कर्ष प्रत्येक आरोप पर देगा कि आरोप सिद्ध हुआ या नहीं। यहां अनुशासनिक प्राधिकारी का विवेक बहुत विशाल है। अतः उसे अपने विवेक का निष्पक्ष होकर प्रयोग करना चाहिये; क्योंकि इसी पर राज्य कर्मचारी का भविष्य और सरकार की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। लेशमात्र भी आशंका होने पर दोषी कर्मचारी को लाभ मिलना चाहिये। उसे निष्पक्ष व बिना किसी लगाव के तथा पूर्वकल्पित विचारों से मुक्त होकर निष्कर्ष देना चाहिये।[93] वह जांच मण्डल के निष्कर्षों को मानने के लिये बाध्य नहीं है।[94] वह प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जांच प्राधिकारी से भिन्न मत प्रकट कर उन निष्कर्षों को अनुचित व त्रुटिपूर्ण मान सकता है।[95] परन्तु इसके लिये उसे कारण स्पष्ट बताने होंगे। निष्पक्षता की मांग साक्ष्य लेने या उस पर विचार करने तक ही सीमित नहीं है, वह प्रक्रिया तक फैली हुई है।[96] जब जांच प्राधिकारी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पर बिना विचार किये ही औपचारिक नोटिस निकालकर नियोजी को निष्कासित कर दिया, तो उक्त आदेश को विधिविरुद्ध माना गया।[97]

(४) पुनः जांच—

यदि रिपोर्ट पर विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच में कोई दोष ध्यान में आवे या अन्य कोई सारभूत व पर्याप्त कारण हो, तो वह उस अभिलेख को उस दोष को *दूर करने के लिये आगे और जांच करने या फिर से नई जांच करने के लिए वापस भेजेगा।* ऐसी स्थिति में इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए दोषी कर्मचारी को नियमानुसार यथोचित अवसर फिर से देना होगा। जब तक अन्तिम आज्ञा नहीं होती, तब तक जांच को दुबारा कराने में कोई अवैधता नहीं होती।

(५) दण्ड का प्रस्ताव—

उप नियम १०(१) व (११) के विश्लेषण से यह स्पष्ट कि—जांच रिपोर्ट पर विचार करके अपने निष्कर्ष देने के बाद उन निष्कर्षों पर विचार कर अनुशासनिक प्राधिकारी अपना स्पष्ट अभिमत बनावेगा और उसे अभिलिखित करेगा कि—

---

93. पंजाब राज्य बनाम दीवानचन्द AIR 1963 Punjab 503
94. गंगाराम भाटिया बनाम संघ AIR 1959 Punjab 643; सी० ए० डिसूजा बनाम मध्यप्रदेश AIR 1961 MP 261
95. भारत संघ बनाम एच० जी० गोयल AIR 1964 SC 364
96 श्रीधरैया बनाम डी० एस० पी० अनन्तपुर AIR 1960 AP. 473; असमराज्य बनाम बिमलकुमार पंडित AIR 1963 SC 1612
97. AIR 1958 Raj; 595

(१) दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है, तो वह उसे दोष-मुक्त (exonerate) करते हुये आज्ञा पारित करेगा, जो दोषी कर्मचारी को लिखित में भेजी जावेगी। इसी आदेश के साथ वह राजस्थ न सेवा नियम ५४ के अधीन निलम्बन-काल के नियमन व वेतनादि के भुगतान का स्पष्ट आदेश भी देगा।†

(२) यदि कोई आरोप या कुछ आरोप प्रमाणित होते हैं, तो दोषी कर्मचारी को कैसा दण्ड देना है ? —साधारण या असाधारण।* इसके बाद—

(क) यदि कोई साधारण दण्ड देना हो, तो उपनियम (११) के अनुसार नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट दण्डों मे से कोई एक देने की आज्ञा देगा। किन्तु राज्य सेवाओं के जिन अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार सरकार में ही निहित हैं, तो उनको परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के दण्डों के अतिरिक्त अन्य दण्ड देने से पहले आयोग से परामर्श लिया जावेगा और उसको ध्यान में रखकर आज्ञा दी जावेगी।

परन्तु नियम (१६) में जांच करने के बाद उसे अचानक नियम (१७) की प्रक्रिया में बदल कर साधारण दण्ड नहीं दिया जा सकता। अतः पहले दोषी कर्मचारी को फिर से नोटिस देना होगा कि—क्यों न उसे साधारण दण्ड दिया जावे और उसके अभिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करके ही आज्ञा दी जा सकेगी।[98]

(ख) यदि कोई असाधारण दण्ड देना हो, तो उपनियम (१०) के अधीन कार्यवाही आगे करनी होगी। इसके लिये नियम १४ के खण्ड (४) से (७) में वर्णित कोई दण्ड देने का अस्थाई निर्णय किया जावेगा और इस प्रस्ताव की सूचना कर्मचारी को दी जावेगी। दण्ड के अस्थाई निर्णय के बाद ही नोटिस दिया जा सकता है, पहले नहीं।[99] दण्ड देने के समय पिछला अभिलेख (Past record) पर विचार नही किया जा सकता, यदि उसका उल्लेख इस नोटिस में नहीं किया गया है।[100]

छठा कदम—

अनुच्छेद ३११ (२) का नोटिस
[Notice under Art. 311 (2)]

यह कदम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य कर्मचारी को संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षण के अधीन है। सन् १९६३ से पहले विभागीय जाँच के लम्बे हो जाने से कठिनाइयां

98. किशनसिंह बनाम राज्य AIR 1966 Raj. 55
99. राज्य बनाम गजानन महादेव AIR 1954 Bom 351; धीरेन्द्रदास बनाम उडीसा राज्य AIR 1959 Orissa 96; कृष्ण गोपाल मुकर्जी बनाम राज्य AIR 1960 Orissa 37; एम. डी. तिवाड़ी बनाम वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस AIR 1961 All. 122; उडीसा राज्य बनाम विद्या भूषण AIR 1963 SC 779
100. AIR 1954 Nagpur 90; 1960 All. 270

† देखिये—पृष्ठ ५६ पर "(१०) पुनःस्थापन" और पृष्ठ १०९ पर "(६) पुनःस्थापन व उसका प्रभाव।

* देखिये—पृष्ठ ७१ से ७३—"(३) दण्ड का आधार व मात्रा।"

आती थी, उनको दूर करने के लिये संविधान में संशोधन किया गया। पुराने अनुच्छेद ३११ (२) की शब्दावली इस प्रकार थी—

> "३११ (२)—उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक निष्कासित नहीं किया जायगा या सेवाच्युत नहीं किया जायगा या पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक कि—उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखाने का उसे यथोचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।"

अब संशोधित शब्दावली इस प्रकार है—

"३११ (२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक निष्कासित नहीं किया जायेगा या सेवाच्युत नहीं किया जायेगा या पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसी जांच नहीं करली जाती, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का यथोचित अवसर दे दिया गया है और ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसा कोई दण्ड देना प्रस्थापित है, वहां जब तक उसे प्रस्थापित दण्ड के विषय में अभिवेदन, किन्तु जांच के दौहरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर; करने का यथोचित अवसर नहीं दे दिया जाता।"
इसके आधार पर निम्न बातें अनिवार्य हैं :—

(१) निष्कासन सेवाच्युति या पदावनति के दण्ड देने से पहले जांच होगी।

(२) जांच में आरोपों से अवगत कराया जावेगा व सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जावेगा।

(३) जांच के बाद प्रस्थापित दण्ड देने से पूर्व उसके विषय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभिवेदन प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर देना होगा।

यहां इस तीसरी शर्त के अधीन एक नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके उत्तर में कर्मचारी अपना अभिवेदन प्रस्तुत करेगा।

खेमचन्द काण्ड[1] में सर्वोच्च न्यायालय ने "यथोचित अवसर" (Reasonable Opportunity) को परिभाषित करते हुए बताया है कि—"संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) में अपेक्षित यथोचित अवसर में (क) एक कर्मचारी को अपना दोष अस्वीकार करने व अपनी निर्दोषिता प्रस्थापित करने का एक अवसर, (ख) अपने बचाव का एक अवसर और अन्त में (ग) प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर सम्मिलित है।"

"यथोचित अवसर" की विस्तृत व्याख्या परिशिष्ट (क) में 'सहज न्याय के सिद्धान्त' के अन्तर्गत की गई है। यह अवसर एक वास्तविक व पर्याप्त अवसर होना अनिवार्य है, न कि केवल नाम मात्र के लिये या शर्म के लिये।[2] यह कोई औपचारिकता नहीं है,[3] अनिवार्यता है।

1. AIR 1958 SC 300
2. AIR 1958 Punjab 327
3. के. वी. नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1958 AP 636
   हरगोविन्द शर्मा बनाम एस. सी. कागटी AIR 1960 Assam 141

दो अवसर आवश्यक—अनुच्छेद ३११ (२) चाहता है कि एक कर्मचारी को दो बार कारण बताने का अवसर दिया जावे, पहला आरोपों की जांच के समय और, दूसरा जब उसे दोषी पाया जावे, तो प्रस्तावित अस्थाई दण्ड के विरुद्ध ।[4]

नोटिस—नोटिस में शब्द योजना महत्वपूर्ण होती है । ऐसा नोटिस, जिसमें लिखा गया कि—"अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच प्राधिकारी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि—उक्त कर्मचारी को निष्कासित किया जावे," अवैध माना गया । इसमें केवल यह होना चाहिये कि—"अभी निष्कासन का दण्ड देना प्रस्तावित है" ।[5] दूसरे नोटिस मे यह लिखना अनिवार्य नहीं है कि—अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है और ऐसा नहीं लिखने से अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन नही होगा ।[6] इसके लिये प्रपत्र स० ११ व १२ काम में लिये जाने निर्देश है ।† इस नोटिस मे निम्न बातें होनी अनिवार्य हैं :—

(१) कि—अस्थाई रूप से अमुक दण्ड देना प्रस्तावित किया गया है । प्रत्येक प्रमाणित आरोप के लिये अलग-अलग दण्ड प्रस्तावित करना चाहिये ।[7] परन्तु तीनों असाधारण दण्ड एक साथ प्रस्तावित करना भी अवैध नहीं माना गया है ।[8] अस्थाई निर्णय पर पहुंचने के बाद दण्ड का ठीक नाम बताना आवश्यक है ।[9]

(२) कि—पुराने अभिलेख पर दण्ड देते समय विचार किया जावेगा । इस अभिलेख का विवरण व प्रतियां दी जानी आवश्यक है ।[10]

(३) नोटिस के साथ निम्न कागजात साथ देना भी अनिवार्य है[11] :—

(क) यदि अनुशासन प्राधिकारी जांच अधिकारी से पूणतः या अंशतः असहमत हो, तो उसके अस्थाई निष्कर्ष नोटिस मे दिये जाने आवश्यक हैं ।[8]

(ख) जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि ।

(ग) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट पर अपने निष्कर्ष मय कारण ।

(४) नोटिस मे अभिवेदन प्रस्तुत करने का निदिष्ट किया जावेगा ।

(५) अभिवेदन में दण्ड के प्रस्ताव के विरुद्ध वह जो कुछ कहना चाहे, दिये गये साक्ष्य के आधार पर, कह सकता है—इसका उल्लेख अनिवार्य है ।

---

4. ILR 1957 Raj. 823; AIR 1955 SC 160; AIR 1963 Mysore 163
5. बम्बई राज्य बनाम रावल अमरसिंह AIR 1963 Guj. 244
6. आसाम राज्य बनाम विमलकुमार AIR 1963 SC 1612
7. एस० सी० दास, बनाम त्रिपुरा AIR 1992 Tripura 15;
8. हुकमचन्द मलहोत्रा बनाम भारत संघ AIR 1959 SC 536

† देखिये परिशिष्ट (ख) में प्रारूप प्रपत्र ११ व १२

9. आई. एम. लाल बनाम भारत सरकार AIR 1943 PC 121
10. AIR 1957 MP 126; 1954 Nagpur 90. 1960 All 270; 1955 V.P. 47
11. AIR 1957 Orissa 184; 1958 Raj. 153; ILR 1954 Raj. 491; 1959 MP 322; 1962 Assam 34; 1961 All. 338; 1955 Cal. 183; 1963 Punjab 390; 1952 Nagpur 228; 1955 Hyd. 43; 1960 All. 543

नोटिस अवैध माना गया—नोटिस मे बताया गया कि दोषी का कार्य असंतोष-जनक है या आगे बिगड़ रहा है—इसमे कारण बताने के लिये सामग्री (आधार) नही है। अतः यह नोटिस का कागज होते हुए भी कारण नही बताने से अवसर प्रदान नही करता, अतः अवैध माना गया।[12] केवल यह बताना कि उसे क्यों नही दण्डित किया जावे—नोटिस नही माना गया।[13] यदि निष्कर्ष अनिश्चित और संदेहजनक शब्दो में हो, तो नोटिस समय से पहले दिया गया माना गया और दण्ड निरस्त किया गया।[14] यह नोटिस केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता है, अन्य कोई नही।[15] नोटिस दण्ड का अस्थाई निर्णय या प्रस्ताव करने के बाद दिया जावेगा। आयोग से परामर्श करने के बाद नही।[16]

सरकारी निर्देश—राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध मे निर्देश† दिये हैं कि-(१) जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों की प्रति कर्मचारी को दी जावे और (२) उसके अभिवेदन पर अन्तिम आज्ञा से पहले पूरा विचार किया जावे। भारत सरकार ने भी ऐसी ही कुछ विज्ञप्तियां निकाली हैं, जिनका उल्लेख परिशिष्ट मे केन्द्रीय सेवा नियमो के पृष्ठ १४ से १६ में किया गया है।*

नोटिस का उत्तर—अभिवेदन (Representation)

अभिवेदन निर्धारित समय मे प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि पर्याप्त कारण हो, तो इस समय मे वृद्धि के लिये प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिये। समय में वृद्धि नही की जावे, तो तुरंत अभिवेदन भेज देना चाहिये और उसमे स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये कि—समय मे वृद्धि करने का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया है और समय-वृद्धि के लिये बताये गये कारणों का भी उल्लेख कर देना चाहिये।

अभिवेदन मे दो बातें आयेंगी—

(१) कि—आरोप प्रमाणित नही हुये या साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके कारण देते हुए विस्तृत विवरण देना चाहिये।

(२) प्रस्तावित दण्ड अधिक है, इसके लिये उचित व पर्याप्त कारण नही है। अतः सहृदयता पूर्वक पुनः विचार किया जावे।

केवल दण्ड की मात्रा के लिये अभिवेदन करने को कहना उचित नहीं माना गया।[17] कर्मचारी को दण्ड की मात्रा और गुणावगुण (merits) दोनो पर अभिवेदन करने का अधिकार है।[18]

12. AIR 1959 All. 437
13. AIR 1955 Pepsu 31
14. AIR 1958 Raj. 153; 1960 Punj. 8, ILR 1954 Raj. 733
15. AIR 1961 Cal 1, 1955 AP 65; 1957 SC 246; 1959 AP 497, 1962 SC 1130; 1954 All. 437
16. AIR 1960 Madras 393; See Foot Note 4 also
17. मध्यप्रदेश बनाम लाडलीशरण सिन्हा AIR 1958 MP 326
18. बम्बई राज्य बनाम राजोजीभाई मोतीभाई पटेल AIR 1963 Guj. 130

† विज्ञप्तियां सं० एफ १०(१४) नाः प्र०/५० दि० १४-३-५० तथा सं० एफ ५(६७) नाः प्र०/क/५२ दि० १२-६-५४।

* G.I.M.H. Affairs Memo: No. F 2-9-59—Ests (A) dated 27-5-61 and 30-5-62; No. F 7-36-63—Ests (A) dated 7-3-64.

सातवां क़दम—

लोक सेवा आयोग से परामर्श
(Consultation with the Public Service Commission)

इस नियम (१६) में आयोग से परामर्श का उल्लेख दो बार यानी-(१) उप नियम (१०) के खण्ड (ii) (क) तथा (२) उप नियम (११) में किया गया है । उप नियम (११) में यदि कोई साधारण दण्ड—(अर्थात्–पदोन्नति रोकना या वेतन में से वसूली) राज्य सेवा के उस अधिकारी को देना हो, जिसकी नियुक्ति का अधिकार किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया गया हो, अर्थात्–राज्यपाल में ही निहित हो, तो आयोग से परामर्श के बाद ही दण्डाज्ञा दी जा सकेगी । यदि उनको असाधारण दण्ड देने हों, तो उपनियम (१०) (ii) (क) के अन्तर्गत आयोग से परामर्श लेना होगा ।

परामर्श लेना आवश्यक या नहीं ?

इस प्रश्न का विवेचन पहले † दो बार किया जा चुका है । ससम्मान निवेदन यह है कि राज्य सेवाओं के जिन अधिकारियों के लिये नियुक्ति के अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किये गये हैं, उनको नियम १४ (२) के अन्तर्गत परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त अन्य दण्ड देने से पूर्व आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है, क्योंकि इस नियम में शब्द 'Shall be consulted' का प्रयोग किया गया है, परन्तु केन्द्रीय नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । फिर संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (ग) के प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य नहीं माना है।[19] फिर राजस्थान लोक सेवायोग विनियम १९५१ ‡ के नियम ११ (४) (ग) में जो निषेधात्मक प्रावधान है, उसमें भी केवल उन मामलों का विवरण दिया गया है, जिनमें आयोग का परामर्श नियम १५ (२) में आवश्यक माना गया है । उनसे प्रशासित होने वाले मामलों में यह नियम आयोग के परामर्श को अनिवार्य बनाता है, चाहे ऐसा नहीं करने से संविधान का अनुच्छेद ३२० (१) (ग) आकर्षित नहीं होता, परन्तु नियम १५ (२) का भंग अवश्य होता है । ये नियम सरकार और कर्मचारी दोनों पर मान्य व बाधित हैं ।[20] और राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी आयोग के परामर्श को अनिवार्य माना है ।[21] अन्य उच्च न्यायालयों के भी ऐसे कई निर्णय हैं ।[22] अतः राजस्थान प्रसैनिक सेवाओं के मामले में तो यह अनिवार्य ही है और यह नियमों के अधीन मान्य व बाधित (Binding) भी है । सरकार के भी ऐसे ही निर्देश * हैं ।

पदोन्नति का प्रश्न—

नियम १५ (२) में केवल परिनिन्दा व वेतन वृद्धि को रोकने के दण्डों के अतिरिक्त अन्य दण्डों के लिये आयोग से परामर्श का उल्लेख है, परन्तु पदोन्नति को इससे वंचित नहीं किया

19. उत्तरप्रदेश बनाम मनबोधलाल
AIR 1957 SC 912,

यू० आर० भट्ट बनाम भारत संघ
AIR 1962 SC 1344

20. कन्हैयालाल बनाम राज्य,
ILR 1957 Raj. 823

21. चेनाराम बनाम राज्य-
AIR 1954 Raj. 12

22. AIR 1956 Saurashtra 14; 1957 Manipur 7; 1958 Patna 228; 1953 Nagpur 69

† देखिये पीछे व्याख्या में पृष्ठ सं० १६ से १७ एवं ११३ से ११४

‡ देखिये–परिशिष्ट (ख) में ।

* Hand book on Disciplinary Proceedings : (Govt. of Raj) Para 17 and Page 34, Appendix 2.

गया है। किन्तु राजस्थान लोक सेवायोग विनियम १९५१ के नियम ११ (४) (ग) मे परामर्श से वंचित रहने वाले दण्डो मे पदोन्नति भी स्वतः आजाती है, क्योकि जिन दण्डों के लिये परामर्श का उल्लेख है, उनमे पदोन्नति का उल्लेख नही है। अतः यह प्रावधान एक संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। ससम्मान निवेदन है कि-ये विनियम १९५१ मे बने और ये नियम १९५८ मे। अतः साधारण कानूनी परम्परा के अनुसार १९५८ के नियमो के प्रावधानों को अधिक मान्यता देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि-पदोन्नति के दण्ड को आयोग के परामर्श से वंचित नही किया गया है। इस प्रश्न पर अभी कोई न्यायालय-निर्णय भी उपलब्ध नही है।

परामर्श की विधि—

परामर्श हेतु सम्पूर्ण रिकार्ड भेजा जाता है, जिसमे कर्मचारी का अभिवेदन भी सम्मिलित कर दिया जाता है। दोषी कर्मचारी के अभिवेदन मे प्रस्तुत तथ्य या विधि सम्बन्धी बातों पर एक अलग टिप्पणी भेजी जा सकती है, परन्तु उसमे गुणावगुण (merits) सम्बन्धी कोई टिप्पणी नही भेजी जानी चाहिये, न आरोपो पर कोई निष्कर्ष देना चाहिये और न दण्ड के विषय मे कोई अभिमत प्रकट करना चाहिये। ऐसे भारत सरकार के निर्देश हैं। †

उपनियम १० (ii) (क) के अधीन आयोग को निम्न अभिलेख परामर्श हेतु भेजा जावेगा—

(१) जांच का अभिलेख,
(२) खण्ड (i) मे नोटिस (अनु० ३११ के अधीन)
(३) इसके उत्तर मे प्रस्तुत राज्यकर्मचारी का अभिवेदन।

परामर्श का महत्व—

इस पर पहले ‡ भी विचार किया जा चुका है यहा ध्यान देने योग्य बात यही है कि-आयोग को सम्मति को अनुशासनिक प्राधिकारी मानने के लिये बाध्य नही है। अनुच्छेद ३११ मे ऐसा कोई प्रावधान नही है और अनुच्छेद ३११ अनुच्छेद ३२० से नियन्त्रित नही होता। [23]

अन्तिम व आठवाँ कदम—

निर्णय (Decision)

(१) निर्णय या अन्तिम आज्ञा—

उप नियम (१०) (ii) (ख), (iii) एव (११) मे निर्णय या अंतिम आज्ञा देने की विधि बताई गई है, जो इस प्रकार है—

( ) यदि आयोग से परामर्श आवश्यक हो तो परामर्श के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी (क) कर्मचारी के अभिवेदन और (ख) आयोग की सम्मति पर विचार करेगा। (२) इसके

23. AIR 1957 SC 912; 1962 SC 1341

† G.I.M.H., O.M. No. 18-18-48 Ests. dated 20. 8. 49 and O.M. No. 39-23-54 Est. dated 18 6-54 and No- F 18-9-63 Ests (B) dated 4-8-56—referred at Page No. 9 to 10 of the C.C.S. (C.C.A.) Rules in Appendix B in this book.

‡ देखिये पृष्ठ-११४-इसी पुस्तक का।

लिये उसे अभिवेदन में उठाये गये तथ्यों और तर्कों पर अपना मस्तिष्क प्रयोग कर कारणों सहित अपने निष्कर्ष देने होंगे। (३) प्रत्येक आरोप पर विचार करने के बाद दण्ड की मात्रा का निश्चय करना होगा। यहां अनुशासन प्राधिकारी को विस्तृत विवेक है, जिसका प्रयोग संतुलित व निष्पक्ष मस्तिक से करना चाहिये। 24 इसके लिये सरकार ने कुछ निर्देश † भी दिये हैं। जो विचारणीय है। फिर अन्तिम आज्ञा दी जावेगी। (४) यदि आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हो, तो फिर केवल अभिवेदन पर विचार करके दण्ड का निश्चय कर अन्तिम आज्ञा दी जावेगी। (५) यदि अभिवेदन के विचार के समय और आयोग से परामर्श के बाद (यदि आवश्यक हो) अनुशासनिक प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि—कोई साधारण दण्ड या प्रस्तावित दण्ड से हलका दण्ड देना चाहिये, जो वह उसी के अनुसार अन्तिम आज्ञा जारी करेगा। किन्तु इसके लिये दुबारा नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि पहले नोटिस में इससे गंभीर दण्ड के प्रस्ताव की सूचना दी जा चुकी है (६) दण्डाज्ञा सम्बन्धित कर्मचारी को संप्रेषित की जावेगी। †

[कृपया नियम (१४) के अधीन विभिन्न दण्डों की व्याख्या में वर्णित निर्देशों और निर्णयों को भी इस प्रसंग मे देखने का कष्ट करें।]

(२) आज्ञा का सम्प्रेषण—

उप नियम (१२) के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा राज्य कर्मचारी को संप्रेषित की जावेगी। इसके साथ निम्न लिखित प्रलेख भी भेजे जावेंगे—

(१) जांच रिपोर्ट की एक प्रति।

(२) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का विवरण।

(३) जांच अधिकारी से असहमति के कारणों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो।

यदि उपरोक्त में से कोई प्रलेख पहले दिया जा चुका है; तो उसे पुन. नहीं भेजा जायेगा।

(४) आयोग की सम्मति, यदि कोई हो, (प्रपत्र १३) के साथ संलग्न

(५) आयोग की सम्मति से असहमति के कारणों का संक्षिप्त विवरण।

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह सूचित करना भी उचित होगा कि—इस आज्ञा की अपील किस प्राधिकारी के सम्मुख पेश होगी और इसके लिये इस आज्ञा की प्रति की प्राप्ति से ३ माह में अपील, यदि वह चाहे तो, पेश की जा सकती है। ताकि राज्य कर्मचारी को कोई असुविधा न हो।

---

24. AIR 1933 Sind 49; 1952 Punjab 103; 1963 MP 15; 1958 Orissa 96

† Hand Book on Disciplinary Proceedings—Page 10 & 11, Para 17.
इस पुस्तक का पृष्ठ ७२ भी देखिये।

साधारण-दंड देने की प्रक्रिया

(PROCEDURE FOR IMPOSING MINOR PENALTIES)

Rule—17.

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 14 shall be passed except after—

(a) the Government servant is informed in writing of the proposal to take action against him and of the allegations on which it is proposed to be taken and given an opportunity to make any representation he may wish to make;

(b) such representation, if any, is taken into consideration by the Disciplinary Authority;

(c) the Commission is consulted in cases where such consultation is necessary.

(2) the record of the proceedings in such cases shall include:—

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of allegations communicated to him;

(iii) his representation, if any;

(iv) the advice of the Commission, if any, and

(v) the orders on the case together with the reasons thereof.

नियम—१७.

(१) नियम १४ के खंड (१) से (३) में निर्दिष्ट कोई दण्ड की आज्ञा नहीं दी जायगी, सिवाय इसके बाद में (कि)—

(क) राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव से और दोषारोपों से, जिन पर ऐसा करना प्रस्तावित किया गया है, लिखित में सूचित कर दिया गया है और कोई अभिवेदन, जो वह देना चाहे; देने का एक अवसर दे दिया गया हो;

(ख) ऐसे अभिवेदन, यदि कोई हो, पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने विचार कर लिया हो;

(ग) जिन मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, आयोग से परामर्श कर लिया गया हो।

(२) ऐसी मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में (ये) सम्मिलित होंगे :—

(i) राज्य कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की जाने के प्रस्ताव क सूचना की प्रतिलिपि;

(ii) उसे संप्रेषित दोपारोपों (अभिकथनों) के विवरण-पत्र की प्रतिलिपि;

(iii) उसका अभिवेदन, यदि कोई हो;

(iv) आयोग की सम्मति, यदि कोई हो; और

(v) मामले में दी गई आज्ञा मय उसके कारणों के ।

व्याख्या

१. परिचय
२. साधारण दण्ड
३. दण्ड देने के प्रस्ताव की सूचना
४. अभिवेदन या स्पष्टीकरण
५. अभिवेदन पर विचार व निर्णय
६. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय
७. कार्यवाही का अभिलेख (उपनियम २)

१. परिचय—

इस नियम में दो उपनियम हैं । पहला उपनियम साधारण दण्ड देने की प्रक्रिया बतलाता है, जबकि दूसरे में इस कार्यवाही के अभिलेख की सूची दी गई है । यह नियम केन्द्रीय नियम १६ के समतुल्य है ।

२, साधारण दण्ड—

नियम १४ में प्रथम तीन दण्डों को साधारण दण्ड माना गया है—(१) परिनिन्दा, (२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना और (३) वेतन में से वसूली ।

[कृपया विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये-नियम १४, पृष्ठ ७० से ७७ तक]

३. दण्ड देने के प्रस्ताव की सूचना—

जब अनुशासनिक प्राधिकारी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट, कोई शिकायत या प्रतिवेतन के आधार पर किसी राज्यकर्मचारी को कोई साधारण दण्ड देने का अस्थाई निश्चय करे, तो उसे लिखित में इस प्रस्ताव की सूचना (नोटिस) देनी होगी । जब किसी मामले में मौखिक साक्ष्य पर दोपारोपण आधारित नहीं हो, तो केवल एक साधारण पत्र द्वारा राज्य कर्मचारी को सूचना दी जाती है, जिसके साथ उसके विरुद्ध लगाये गये दोपारोपण का विस्तृत विवरण होता है। और निश्चित अवधि में यदि वह चाहे तो, कोई स्पष्टीकरण (अभिवेदन) प्रस्तुत करने को कहा जाता है, अन्यथा इक तरफा कार्यवाही की जाने की भी शर्त होती है । इस सूचना (memorandum) में किसी प्रकार के प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख नहीं होना चाहिये, क्योंकि दण्ड का निश्चय अभिवेदन या स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के बाद वस्तुस्थिति पर विचार करके ही किया जा सकता है । इस सूचना पर स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी हस्ताक्षर करेगा; अन्य कोई नहीं तथा इसे रजिस्टर्ड-ए०डी० से या अन्य तरीके से सम्बन्धित कर्मचारी को भेजा जावेगा; ताकि उसकी प्राप्ति का निश्चय हो सके । †

† Hand Book on Disciplinary Proceedings : Page 4-Para 5

४. अभिवेदन या स्पष्टीकरण—

(Representation OR Explanation)

जब दोषी कर्मचारी को साधारण दण्ड देने के प्रस्ताव की सूचना (नियम १७ के अधीन) प्राप्त होती है, तो उसे ध्यान पूर्वक दोषारोपण के विवरण पत्र को पढ़ कर उसके तथ्यों की अलग सूची बनानी चाहिये और फिर अपने पास उपलब्ध रिकार्ड व अभिलेखों के आधार पर उनका स्पष्टीकरण तैयार करना चाहिये । यद्यपि इस नियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी राज्य कर्मचारी यदि कोई अभिलेख देखना चाहे, तो उसकी अनुमति मांगनी चाहिये । इसके लिये बिना देर किये अनुशासनिक अधिकारी को तुरन्त प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से पेश देना चाहिये । अधिकतर स्पष्टीकरण देने के लिये केवल १५ दिवस का समय दिया जाता है ।

[अन्य सुझावों के लिये पीछे देखिये—प्रतिकरण (पृष्ठ १४४), आरोपों का स्वरूप (पृष्ठ १४०) तथा अन्य सम्बन्धित बातें]

स्पष्टीकरण के साथ यह भी लिखा जा सकता है कि—वह व्यक्तिगत-सुनवाई चाहता है [1] और यदि आवश्यक हो, तो मौखिक साक्ष्य भी पेश करना चाहता है ।

अभिवेदन पर विचार व निर्णय—

स्पष्टीकरण या अभिवेदन प्राप्त होने पर या निश्चित अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं आने पर अनुशासनिक अधिकारी को उसके तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये मामले की परीक्षा करनी चाहिये । †

यदि अभिवेदन पर विचार करने पर अनुशासनिक अधिकारी को यह सन्तोष हो जावे कि—कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, तो वह कर्मचारी को दोषमुक्त कर देगा । परन्तु यदि अभिवेदन से कोई दोष प्रकट होता हो और सिद्ध होता हो, तो कोई एक साधारण दण्ड दिया जा सकता है । दण्डाज्ञा देने से पहले दोषी कर्मचारी को कोई कारण बताने का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है । जहां आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श कर लेना चाहिये और उसके बाद दण्डाज्ञा जारी करनी चाहिये । † आयोग की सम्मति अनुशासन अधिकारी पर बाधित नहीं है । वह उसे अस्वीकार कर सकता है, पर उसे इसके कारण अभिलिखित करने होंगे ।

दण्ड देने के लिये विभिन्न न्यायालय के निर्णयों की व्याख्या पीछे नियम १४ (पृष्ठ ७० से ७७) में की जा चुकी है । आगे कुछ और महत्वपूर्ण-निर्णय दिये जा रहे हैं—

६. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय—

नियम १६ व १७ की प्रक्रिया में अन्तर है । नियम १६ में साक्ष्य ली जाती है, परन्तु नियम १७ में ऐसा प्रावधान नहीं है । अतः स्पष्टीकरण ही स्वतः-परिपूर्ण (Self Contained) होना चाहिये, ताकि उसके आधार पर कर्मचारी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर सके । डा० किशन-सिंह के मामले में [1] माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री वर्मा, राजस्थान उच्चन्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसका सारांश इस प्रकार है:—

जहां प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप (१) निजी कार्य में सेना-डाक टिकटों का प्रयोग करना, (२) बीमारी के बिना बीमारी की छुट्टी लेना और (३) उच्चाधिकारियों से मिल

† Hand Book on Disciplinary Proceedings: Page 4—Para 6

1. डा० किशनसिंह बनाम राज्य AIR 1965 Raj. 175 (AIR 1966 Raj. 55)

कर अनुशासन भंग करने के थे। एक आरोप के लिये ५ वर्ष बाद व दूसरे के लिये २½ वर्ष बाद नोटिस दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने नोटिस में पूछा था कि—क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है या और कोई प्रलेखीय या मौखिक साक्ष्य अपने बचाव में पेश करना चाहता है। येनकेन, अचानक ही उसने दूसरी प्रक्रिया अपना कर नियम १६ के बजाय नियम १७ के अधीन कार्यवाही की। इस परिवर्तन के कोई कारण नहीं बताये गये और प्रार्थी को बिना व्यक्तिगत सुनवाई व किसी पक्ष के साक्ष्य के दण्डित किया गया। यह माना गया कि यह सहज न्याय के प्रथम सिद्धान्त के हनन का ज्वलंत मामला है।

"यह सत्य है कि—साधारण दण्ड देने के लिये नियम १६ के बजाय नियम १७ में कार्यवाही करने की अनुशासनिक प्राधिकारी को छूट है। किन्तु यदि वह नियम १७ में कार्यवाही करना चाहता है, तो वह नियम यह मांग करता है कि—राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध दिये जा रहे प्रस्तावित दण्ड के लिये और उन दोषारोपों के लिये जिन पर वह दण्ड आधारित हैं, लिखित में सूचना देना आवश्यक है। उसे जो वह चाहे, वैसा अभिवेदन पेश करने का एक अवसर भी देना चाहिये। हमने देखा है कि प्रार्थी को उस दण्ड की कोई सूचना नहीं दी गई, जो अनुशासनिक प्राधिकारी ने उसके विरुद्ध प्रस्तावित किया हो और वह नियम १७ में कार्यवाही करना चाहता है। हमारा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि—अनुशासनिक प्राधिकारी को नियम १७ के अधीन साधारण दण्ड देने का अधिकार नहीं है, केवल इसलिये कि—उसने प्रारम्भ में नियम १६ के अधीन कार्यवाही की; परन्तु यह निश्चय पूर्वक आवश्यक है कि—यदि वह नियम १६ से १७ में प्रक्रिया बदलना चाहता है, तो इस प्रभाव का स्पष्ट नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को नियम १७ में कार्यवाही करने से पहले देना पड़ेगा। एक मामले में जैसा कि यह मोजूद है, जहां प्रतिवादी प्रार्थी के विरुद्ध कुछ ऐसे दोषों के लिये कार्यवाही प्रस्तावित करता है, जो ५ वर्ष या २½ वर्ष पहले उसने किये बताये गये हैं, वहां यह और भी अधिक आवश्यक था कि—उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाती और जिस साक्ष्य के आधार पर उसे दण्डित करना चाहा गया था, उनकी उपस्थिति में जांचे जाने चाहिये थे।"

आयोग की सम्मति पर टिप्पणी (Comments) करने के लिये प्रार्थी को एक अवसर देने के लिये नोटिस दिया जाना सरकार के लिये आवश्यक नहीं था।[2] जहां एक कर्मचारी को कारण बताने का अवसर दिये बिना वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया। इस पर माना गया कि—प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देने में यह अंतर्हित है कि—कर्मचारी को केवल अपना उत्तर देने के लिये ही नहीं पूछा जावे, किन्तु उसके कारण बताने के अधिकार के अंग के रूप में उसे वह सामग्री भी दी जानी चाहिये, जिसके आधार पर उसे दण्ड देने का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि ऐसी सामग्री के बिना उसे भली प्रकार से उसको असिद्ध करने की स्थिति में नहीं रखा गया।[3] हानि के लिये वसूली के मामले में राज्य कर्मचारी को एक अवसर का अधिकार है। जहां औषधियों के स्टोर रजिस्टर व वास्तविक अवशेष में अन्तर पाया गया, तो सरकार ने राशि वसूली की आज्ञा दे दी। इस पर माना गया कि—उसके वेतन में से उसकी लापरवाही के कारण हुई सरकार को हानि के कारण प्रस्तावित वसूली के विरुद्ध अभिवेदन करने के एक अवसर के लिये उस राज्य कर्मचारी को अधिकार था।[4]

2. AIR 1961 MP 261
3. कैलाश नाथ सेठ बनाम डिवीजनल सुपरि० AIR 1961 All. 276
4. AIR 1955 VP 21; 1260 MP 294

वेतन वृद्धि रोकने व वेतन रोकने में अन्तर है। किसी को काम करने के लिये कहकर उसे भुगतान नहीं देना, संविधान के अनुच्छेद २३ मे वर्जित है। जहां विद्यालय-निरीक्षक ने एक अध्यापक को उसके असंतोष जनक काम के लिये वेतन देने से मना कर दिया, यह माना गया कि—वेतन रोक देना और अध्यापक से काम लेना, यह नियम भंग ही नहीं संविधान की भावना के विरुद्ध भी है।[5] एक कर्मचारी ने अपने वेतन मे कमी स्वीकार नहीं की, अतः उसका १८ माह तक वेतन रोक लिया गया और अन्त मे उसे सेवा छोड़ने को छूट (option) दी गई। इस पर माना गया कि—यदि देय वेतन समय पर नहीं दिया गया, तो उसके लिये वह निश्चय ही प्रतिफल (Compensation) पाने के लिये अधिकृत है।[6]

(७) कार्यवाही का अभिलेख। उपनियम (२)—

साधारण दण्ड की कार्यवाही मे निम्न अभिलेख रखा जाता है—

(१) राज्यकर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड की दी गई सूचना।
(२) दोषारोपण का विवरण पत्र, जो उसे भेजा गया।
(३) उसका अभिवेदन (स्पष्टीकरण) यदि कोई हो।
(४) आयोग की सम्मति, (यदि कोई हो) और
(५) कारणों सहित मामले मे दी गई आज्ञा।

संयुक्त-जाँच
(JOINT INQUIRY)

Rule—18.

(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the Government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

(2) Any such order shall specify :

(i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of every common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 14 which such Disciplinary Authority shall be competent to impose; and

(iii) whether the procedure prescribed in rule 16 or 17 may be followed in the proceeding.

5. AIR 1960 MP 294

6. AIR 1955 Cal: 45

नियम—१८.

(१) जहां किसी मामले में दो या अधिक राज्य कर्मचारी सम्बद्ध हों, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी, जो उन सब राज्य कर्मचारियों को निष्कासन का दण्ड देने के लिये सक्षम हो; यह निर्देश देते हुए आज्ञा जारी करेगा कि—उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक सम्मिलित कार्यवाही (Common proceeding में होगी।

(२) ऐसी कोई आज्ञा निर्दिष्ट करेगी (कि) :—

(i) प्राधिकारी, जो प्रत्येक सम्मिलित कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य करेगा;

(ii) नियम १४ में वर्णित दण्ड, जो ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी देने के लिये सक्षम होगा; और

(iii) नियम १६ या १७ में वर्णित प्रक्रिया इस कार्यवाही में अपनाई जायेगी या नहीं।

व्याख्या

यह नियम केन्द्रीय नियम १७ के समतुल्य है।

कुछ मामलों में दो या अधिक राज्य कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। ऐसे मामले में विभागीय कार्यवाही के लिये दो अलग-अलग सक्षम प्राधिकारियों को एक समान जांच न करनी पड़े, अतः संयुक्त जांच का प्रावधान रखा गया है। अधिकतर सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी संयुक्त जांच की आज्ञा दे सकता है, जिसमें तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिये—(१) इस संयुक्त जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होगा ? (२) कौन से दण्ड वह दे सकेगा और (३) नियम १६ या १७ की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं। ऐसे मामलों में दोषी कर्मचारियों में से वरिष्ठतम (Senior Most) को निष्कासित कर सकने वाला प्राधिकारी दोषियों को आरोप-पत्र देगा।*

संयुक्त जांच से यदि कोई पक्षपातपूर्ण हानि नहीं हो, तो वह दूषित नहीं होगी।[7] दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C.) के संयुक्त-जांच (joint trial) के प्रावधान विभागीय जांच के सम्बन्ध में आयात नहीं करने हैं।[8]

---

7. एम. वी. जोगाराव बनाम आंध्रप्रदेश AIR 1957 AP 197

8. एस. ठाकोरजी बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1955 AP 168

* Hand Book on Disciplinary Proceedings : (Govt. of Raj.)—Page 5, Para 10.

कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया

(SPECIAL PROCEDURE IN CERTAIN CASES)

Rule—19.

Notwithstanding anything contained in rule 16, 17 and 18-

(i) where a penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, or

(iii) where the Governor is satisfied that in the interest of the security of the state, it is not expendient to follow such procedure,

the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and pass such orders as it deems fit :

Provided the Commission shall be consulted before passing such orders in any case in which such consultation is necessary.

NOTE : If any question arises whether it is reasonably practicable to give any person an opportunity of showing cause under clause (2) of Article 311 of the Constitution, the decision thereon of the authority empowered to dismiss, or remove such person or to reduce him in rank, as the case may be; shall be subject to only one appeal to the next higher authority.

नियम—१६.

नियम १६, १७ और १८ में कुछ भी होते हुये—

(i) जहां एक राज्य कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दण्ड आरोपित करता है, जिसके कारण उसे किसी दण्डात्मक आरोप पर सजा हुई हो: या

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी को, कारण लिखित में अभिलिखित करते हुए; यह सन्तोष हो जावे कि उक्त नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन समुचित रूप से व्यवहार्य नही है; या

(iii) जहा राज्यपाल महोदय को यह संतोष हो जावे कि—राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का पालन समीचीन नही है,

तो अनुशासनिक-प्राधिकारी मामले की परिस्थितियो पर विचार कर आज्ञा पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

परन्तु किसी मामले में जहां आयोग का परामर्श आवश्यक हो, ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श करेगा।

टिप्पणी—यदि कोई प्रश्न उठता है कि—संविधान के अनुच्छेद ३११ के खण्ड (२) के अधीन कारण बताने का एक अवसर देना यथोचित रूप से व्यवहार्य है (या नहीं), तो निष्कासन या सेवाच्युति या पदावनति, यथास्थिति, के दण्ड देने के लिये अधिकृत प्राधिकारी के उस निर्णय पर अगले उच्चतर-प्राधिकारी को एक अपील हो सकेगी।

व्याख्या

परिचय—यह नियम केन्द्रीय नियम १८ के समतुल्य है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के परन्तुक (क), (ख) और (ग) के सिद्धान्तों पर आधारित है। अनुच्छेद ३११ (३) में परन्तुक (ख) के लिये निष्कासन करने वाले प्राधिकारी की आज्ञा को अंतिम माना गया है, यहाँ उसके लिए भी एक अपील, यदि कोई उच्चतर प्राधिकारी हो तो, करने का अधिकार बढ़ाकर न्याय का द्वार खोला गया है। यहाँ प्रक्रिया सम्बन्धी नियम १६, १७ व १८ में प्राप्त संरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।

तीन परिस्थितियां—

निम्न तीन परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान रखा है—

(क) दण्डात्मक-आरोप (Criminal Charge) के कारण सजा पाने पर;

(ख) जहां प्रक्रिया का पालन असंभव हो; और

(ग) राज्य की सुरक्षा के हित में।

(१) दण्डात्मक आरोप के कारण सजा पाने पर—

जहां कर्मचारी का आचरण ऐसा हो कि उसके लिये उसे किसी सक्षम न्यायालय ने दण्डात्मक-आरोप पर सजा दी हो, वहां बिना किसी प्रक्रिया के कोई भी दण्ड दिया जा सकता है। केवल दण्डात्मक आरोप से ही दण्ड नहीं दिया जा सकेगा, उस आरोप का परिणाम न्यायालय में सजा होना आवश्यक है, जो कि या तो समयावरोध से या अपील में स्थायी हो गई हो।[9] इसमें अपराध (Crimes) जो नैतिकपतन (Moral Turpitude) वाला है या अन्य—कोई अन्तर नहीं माना गया है। पुलिस एक्ट की धारा ३४ में दी गई सजा भी नैतिक पतन मानी गई।[10] शब्द 'आरोप' में इस खण्ड में किसी दोषारोपण (Accusation) की अपेक्षा की गई है, न कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तकनीकी अर्थ में। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अपमान पर दी गई सजा भी इस खण्ड में आ जाती है, चाहे भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) में वह एक अपराध (Offence) नहीं हो।[11] यदि अपील में सजा निरस्त करदी जावे, तो प्रार्थी को निष्कासन के दिनांक से जब तक उसे अनुच्छेद ३११ (२) की अनुपालना कर निष्कासित नहीं कर दिये जावे, बकाया वेतन मिलेगा और उसे पुनः स्थापित करना होगा।[12]

[देखिये पीछे व्याख्या में पृष्ठ १२७ पर]

9. आर. एस. दास बनाम डिवीजन सुपरि॰ AIR 1960 All. 538
10. दुर्गासिंह पंबनाम जाब राज्य AIR 1957 Punjab. 97
11. वेंकटरमा बनाम मद्रास राज्य AIR 1946 Madras 375
12. भारत संघ बनाम अकबर AIR 1961 Madras 436; दिलबाग बनाम डिवी॰ सुपरिन्टेंडेंट AIR 1959 Punj. 401 आर. एस. दास बनाम डिवी॰ सुपरि॰ AIR 1960 All. 538

(२) प्रक्रिया का पालन असंभव—

यदि गंभीर परिस्थितियों में उच्चप्राधिकारी को संतोष हो जावे कि—साधारण प्रक्रिया सभव नहीं है, तो इसके कारण अभिलिखित कर वह इस सरक्षण को त्याग सकता है।

यह 'संतोष' सक्षम प्राधिकारी का सतोष है, जो कि जाँच करने वाले उच्च प्राधिकारी का 'मानसिक सतोष' (Subjective Satisfaction) है।[13] परन्तु इसके लिये भी कुछ शर्तें ध्यान देने योग्य हैं—

(१) यह सन्तोष सक्षम दण्डाधिकारी का है। अतः निष्कासन या सेवाच्युति का दण्ड केवल नियुक्ति प्राधिकारी या उससे उच्चतर प्राधिकारी ही दे सकता है। यदि उच्चप्राधिकारी के आदेशानुसार कोई सीधा ही राज्य कर्मचारी को निष्कासित कर देता है, तो इस खण्ड के अधीन की गई कार्यवाही होने कारण भी उस आज्ञा को जीवित नहीं रखा जा सकता।[13] अतः यहाँ सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा व संतोष दोनो आवश्यक हैं।

(२) नियम १६, १७ या १८ की प्रक्रिया का अवसर नही देने के लिये कारण अभिलिखित करना आवश्यक है। इसके विना आज्ञा टिक नही सकती।[14]

(३) शब्दावली 'यथोचित रूप से व्यवहार्य नहीं' '(Not reasonably practicable)' उस परिस्थिति की ओर संकेत करती है, जबकि दोषी व्यक्ति का पता न लग सके या उसे नोटिस देना संभव नही हो या सभव प्रतीत नहीं होता हो।[15] अतः इसके कारण स्पष्ट व पर्याप्त होने चाहिये, अन्यथा इसे दुर्भावना (*Mala fides*) मानकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी; क्योंकि खण्ड (२) और (३) में अन्तर यही है कि—खण्ड (२) में राष्ट्र विरोधी गतिविधियो के कारण आज्ञा नही दी जा सकेगी। इसमे दोषी व्यक्ति † के फरार (गायब) हो जाने या पत्र व्यवहार समव न होने पर ही कार्यवाही की जा सकती है।

(३) राज्य-सुरक्षा के हित में—

जहा राज्यपाल को संतोष हो जावे कि—कोई कर्मचारी राज्य या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों मे लगा है और उसको सेवा मे बनाये रखना सुरक्षा के लिये घातक है, तो उसे अनुच्छेद ३११ (२) के परन्तुक (ग) मे निरकुश शक्ति दी गई है। इसके लिये किसी न्यायालय मे प्रश्न नही उठाया जा सकता।[16] इसके लिये राज्यपाल को स्वय कोई जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।[17] परन्तु इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही से पूर्व, जहाँ आवश्यक हो, आयोग से परामर्श किया जावेगा, परन्तु वह सम्मति बाधित नहीं होगी।

---

13. उडीसा राज्य बनाम पी. कृष्णस्वामी मूर्ति
AIR 1964 Orissa 29.
नरेन्द्र बनाम प० बगाल राज्य
AIR 1962 Cal. 481
14. भृगीराम बनाम अधीक्षक मारक्षी
AIR 1954 Assam 18
15. करतारसिंह बनाम यातायात आयुक्त
AIR 1965 J&K 53
16. बी० ईश्वरैया बनाम आंध्र राज्य
AIR 1958 AP 288;
AIR 1962 Cal. 481
जगदीश दाजेवा बनाम महालेखाकार बम्बई
AIR 1958 Bom. 583
17. AIR 1963 Cal. 481;
सत्येन्द्र बनाम भारत संघ
AIR 1962 Punjab 400
कपूरसिंह बनाम भारत संघ
AIR 1960 SC 493

† Hand Book on Disciplinary Proceedings.

सरकारी निर्देश है* कि—राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों में लगे राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध 'राजस्थान प्रसैनिक सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण) नियम १६५४'‡ के प्रधीन कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु इन नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो राज्यपाल इस खण्ड का यापम प्रयोग नहीं कर सकते।[18] साम्यवादी दल जब तक एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन हैं, उसकी गतिविधियों में भाग लेना राष्ट्र विरोधी नहीं माना जा सकता।[19] परन्तु अब राजनैतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेना आचरण नियमों में वर्जित कर दिया गया है।†

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप—यह सत्य है कि—अनुच्छेद ३११ (३) (तथा इस खण्ड में) सम्बन्धित प्राधिकारी का संतोष अंतिम है। किन्तु यह एक सुनिश्चित मत है कि—इस प्रकार के वैधानिक प्रावधान द्वारा प्रदत्त निरंकुशता (Finality) व्यवहार-न्यायालयों के सीमित क्षेत्राधिकार को नहीं छीनेगी।[20] वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग सद्भावपूर्ण (*Bona Fide*), युक्तियुक्त, बिना लापरवाही के और प्रदत्त उद्देश्य के लिये किया जाना आवश्यक है।[21] यह भी मत है कि—न्यायालय को पहले यह परीक्षा करनी होगी कि—क्या प्राधिकारी ने सद्भावना (Good Faith) में कार्य किया है? सद्भाव में कार्य करते हुए भी कहीं प्राधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग अस्वीकार्य उद्देश्य के लिये, या असंगत आधार पर, या संगत विचारों पर ध्यान दिये बिना, या गम्भीर अयुक्तियुक्तता (अनौचित्य) के लिये अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया है?[22] इस पर कई अंग्रेजी-निर्णय दर्शनीय हैं।[23]

प्रार्थी सदा बरहामपुर में था। आरोप पत्र उसके 'भारती साईकल स्टोर, बरहामपुर' के पते पर से रजिस्टर्ड डाक से 'अनुपस्थित' बताकर वापस आगये। तब तहसीलदार के द्वारा तामील भेजी गई। तीन बार दि० (२८-१२-५१, ४-१-५२ व १८-१-५२ को) तामील कराने वाला गया और उसने रिपोर्ट की कि—प्रार्थी घर पर नहीं था। परन्तु यह स्पष्ट पृष्ठांकन नहीं था कि उस पते पर तामील कुनन्दा ने पूछताछ की। रिकार्ड पर कहीं उल्लेख नहीं था कि—तहसीलदार ने आरोपों की एक प्रति उसके निवास स्थान पर चिपकवाई हो। दि० २९-१२-५१ को उपायुक्त को प्रार्थी का पत्र मिला कि—एक सप्ताह के लिये उसका पता 'भारती इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी, बरहामपुर' रहेगा। पर न तो यह सिद्ध किया गया कि—दोनों पते एक ही थे और न नये पते पर आरोप भेजे गये। परन्तु दि० १५-३-५२ को दूसरे पते पर अंतिम आज्ञा भेजी गई। इस प्रकार दि० ३-११-५१ से २६-१-५२ तक के आरोप देने की कोशिश की गई, जबकि दि० २६-१२-५१

18. बालकोटियाह बनाम भारत संघ 1958 SCR 1052; मेनन बनाम भारत संघ AIR 1963 SC 1160
19. AIR 1953 SC 1160
20. AIR 1964 Orissa 29
21. Halsbury: Laws of England (Edition III, Vol. 30, Page 688).
22. S.A. de Smith: Judicial Review of Administrative Action—(Page 188 & 243)
23. 1937-3 All ER 176; 1951 AC 66; 1911-3 All. ER 338 1951 AC 77; 1963—2 WLR 935 (950)

* Hand Book on Disciplinary Proceedings : (Govt. of Raj.)—Page 13, Para 18.

‡ ये नियम देखिए—परिशिष्ट (ख) (४) में।

† केन्द्रीय सेवायें आचरण नियम (५) व राजस्थान नियम (२१)

को ही नये पते की सूचना उपायुक्त को मिल चुकी थी और जान बूझकर उसने गम्भीर लापरवाही की कि–नये पते पर तामील नही करवायी । इसे अनुचित माना गया । फिर दूसरी गम्भीर अनियमितता यह की गई कि–दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड की सूचना (नोटिस) नहीं दी गयी और न उसको तामील के प्रयत्न करने का रिकार्ड पर कही उल्लेख है । अत: प्रार्थी ने जान बूझ कर तामील नही की, यह आधार स्वीकार नही किया जा सकता और अनुच्छेद ३११ (२) के परन्तुक (ख) मे प्रदत्त विवेक का दुरुपयोग माना गया ।[20]

एक अपील संभव—टिप्पणी के अनुसार इस नियम मे दिये गये आदेश की एक अपील अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है, परन्तु राज्य सरकार की आज्ञा की कोई अपील नही होगी ।[24]

आज्ञा का सम्प्रेषण

Rule—20.

Orders passed by the Disciplinary Authority other than the Government in cases of the Subordinate Service and the Ministerial Service will be communicated to the Government and those passed by the Disciplinary Authority in case of Class IV service to the next higher authority.

नियम—२०.

अधीनस्थ सेवाओं और लिपिक वर्ग सेवाओं के मामले में सरकार के अतिरिक्त अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आज्ञाये सरकार को तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के मामले में अनुशासनिक-प्राधिकारी द्वारा पारित ये (आज्ञायें) अगले उच्चतर प्राधिकारी को संप्रेपित की जावेंगी ।

व्याख्या

१. परिचय—

यह नियम दण्ड की आज्ञा पर नियंत्रण का एक साधन है, जो केन्द्रीय नियमो मे उपलब्ध नहीं है । इसमे दण्ड की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उच्च-प्राधिकारी या सरकार को देने की व्यवस्था है ।

२. सम्प्रेषण की व्यवस्था—

(१) चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के मामले में, दी गई दण्डाज्ञा की प्रति अगले उच्चप्राधिकारी को संप्रेषित की जावेगी ।

24. इन्हीं नियमों का नियम (२१) ।

(२) (क) अधीनस्थ सेवाओं के मामले में, यदि आज्ञा सरकार के अतिरिक्त अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी ने दी हो; और

(ख) लिपिक वर्ग सेवाओं के मामले में, दण्डाज्ञा की प्रति सरकार को भेजी जावेगी।

३. सम्प्रेषण का उद्देश्य—

अगले उच्चाधिकारी को आज्ञा की प्रति संप्रेषण करने का उद्देश्य दण्ड की मात्रा की पर्याप्तता और औचित्य को जाँचना और, यदि आवश्यकता हो, उसे पुनरीक्षित या संशोधित (To review and revise) करना है।‡ परन्तु ऐसा करने के लिये भाग (६) व (७) के प्रावधानों के अधीन ही कार्यवाही की जा सकेगी।

४. राज्य सेवाओं के लिये—

इस नियम में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार स्वयं अनुशासनिक-प्राधिकारी है; किन्तु जहां नियुक्ति के अधिकार किसी अधीनस्थ-प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किये हुये हैं, उस मामले में आज्ञा की प्रति सरकार को भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु प्रशासन के हित में आज्ञा भेज देना उचित होगा।

५. प्रभाव—

यदि इस नियम की अनुपालना नहीं की जाती है, तो इससे कार्यवाही दूषित नहीं हो सकती, क्योंकि यह कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हो कर केवल निर्देशक मात्र है।

एक समीक्षा—

पुनःजाँच या द्वितीय-जाँच

(Re-Inquiry Or Second-Inquiry)

किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उन्हीं आरोपों या तथ्यों पर पुनः जाँच या द्वितीय जांच करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नियमों में नहीं हैं, परन्तु ऐसी जांच के लिये कुछ ऐसे प्रावधान हैं; जो परोक्ष रूप से इसकी स्वीकृति देते हैं। पुनः जांच केवल चार परिस्थितियों में संभव हो सकती है—

(१) विभागीय जांच के बाद व अंतिम आज्ञा से पूर्व—(नियम १६ का उप-नियम ६)—जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करके तथा न्यायोचित व पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके अनुशासनिक प्राधिकारी आगे जांच (Further Inquiry) या पुनः जांच (De novo Inquiry or Re-Inquiry) के लिये आवश्यक आज्ञा दे सकता है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि वह जांच-प्राधिकारी की रिपोर्ट से असहमत हो या उसमें कोई प्रक्रिया

‡Hand Book on Disciplinary Proceeding : (Govt. of Raj.) Page 10.

सम्बन्धी दोष रह गया हो। सरकार को जांच-रिपोर्ट को अस्वीकार कर वापस आगे जांच के लिए भेजने की छूट है।[1] यदि जांच दूषित या अशुभ पाई गई, तो पुनः या नई जांच का निर्देश दिया जा सकता है।[2] [देखिये पृष्ठ १७७ (४) पुनः जांच]

(२) **अंतिम आज्ञा के बाद**—विभागीय जांच की अंतिम आज्ञा के दो परिणाम हो सकते हैं:—

(क) कर्मचारी को दोषमुक्त (Exonerate) कर देना, या

(ख) दण्डित करना।

पहली दशा में,—अर्थात्—दोषमुक्त कर देने के बाद उन्हीं तथ्यों या आरोपों पर दुबारा जांच करने का प्रश्न नहीं उठता; जब तक कि—नियमों में दोषमुक्त करने की आज्ञा की पुनरीक्षा का कोई प्रावधान न हो।[3] मद्रास उच्च न्यायालय[4] ने भी ऐसा ही माना है, परन्तु सरकार के पास ऐसा सुरक्षित अधिकार होना चाहिये कि वह आरोप मुक्त करने की आज्ञा की पुनरीक्षा कर सके।

अभी तक नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, न दोषमुक्त करने की यह आज्ञा इन नियमों में वर्णित किसी प्रावधान के अन्तर्गत आती है। यह तो इन नियमों के अधीन की जाने वाली कार्यवाही के लिये उचित व पर्याप्त कारण नहीं होने से उसकी विफलता है। अतः इसकी पुनरीक्षा नियम ३४ के अधीन, यह 'इन नियमों के अधीन कोई आज्ञा' न होने से; नहीं की जा सकती।

दूसरी दशा में,—अपील के बाद या न्यायालय द्वारा आज्ञा के निरस्त कर देने के बाद दुबारा जांच का प्रश्न उठता है। इसका परोक्ष रूप में प्रावधान नियम १३ (३) (४) [केन्द्रीय नियम १२ (३) (४)] में अंतर्हित है, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आगे जांच करना उचित समझता है; तो निलम्बन को पुनर्जीवित किया जाता है। फिर नियम २० में उच्चतर-प्रधिकारी या सरकार को आज्ञा की प्रति इसी उद्देश्य से भेजी जाती है कि-वह उसके औचित्य पर विचार कर सके। दुबारा जांच करने के लिये अपील प्राधिकारी नियम ३० (२) (ii) के अधीन या पुनरीक्षा-प्राधिकारी नियम ३२ (ग), ३३ (ग) व ३४ में मामले को वापस भेज सकता है। इससे प्रकट होता है कि-दुबारा जांच संभव है। यह जांच अपील-प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है। यदि अपील या न्यायालय से आज्ञा तकनीकी कमी यानी—प्रक्रियात्मक दोष के कारण, गुणावगुण पर नहीं; निरस्त हुई है, तो सरकार को उस दोष को दूर करने के लिये द्वितीय-जांच करने का अधिकार है।[5] सर्वोच्चन्यायालय का भी ऐसा ही निर्णय है।[6] यदि न्यायालय से कोई निर्देश नहीं दिया है, तो विधि के अनुसार सरकार आगे कार्यवाही कर सकती है।[7] परन्तु यदि दण्ड की आज्ञा को गुणावगुण (On merits) के आधार पर निरस्त किया गया हो, तो भी

1. के.सी. शर्मा बनाम असम राज्य AIR 1962 Assam 17; स. हरजीतसिंह बनाम महानिरीक्षक आरक्षी AIR 1963 Punjab 90
2. कोरुण्णि भूषन बनाम राज्य AIR 1960 Kerala 294
3. द्वारकाचन्द बनाम राज्य AIR 1958 Raj. 38
4. मद्रासराज्य बनाम गोपाल एय्यर AIR 1963 Madras 14
5. AIR 1962 Assam 17; 1960 Kerala 294 1963 Manipur 28; 1964 Manipur 8
6. देवेन्द्र प्रतापनारायण बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1962 SC 1334
7. AIR 1958 All. 532

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी, परन्तु निर्देशों के अभाव में सरकार कानूनी कार्यवाही कर सकेगी:अर्थात्-दुबारा जांच नहीं कर सकेगी; क्योंकि एक ही आरोप पर दुबारा जांच कर दुबारा दण्डित करना मना है।

(३) यदि फौजदारी आरोप पर न्यायालय ने किसी कर्मचारी को विमुक्त (बरी) कर दिया हो, तो विभागीय जांच नहीं करनी चाहिये; यह एक न्यायोचित मत है। इस विवाद का वर्णन हम पीछे पृष्ठ १२७ पर कर चुके हैं।

(४) यदि कर्मचारी ने कोई अपील न की हो और सरकार या प्राधिकारी को यह सन्तोष हो जाये कि—जांच में ईमानदारी नहीं बरती गई और दोषी को पर्याप्त दण्ड नहीं दिया गया; तो ऐसी असावधान-जांच (Slip Shod inquiry) करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही के बाद निष्कासन का दण्ड तक दिया जा सकता है।[3] ऐसी स्थिति में यदि पर्याप्त दण्ड नहीं दिया गया हो तो सरकार नियम ३२, ३३ या ३४ के अधीन उस आज्ञा की पुनरीक्षा कर दण्ड में परिवर्तन या वृद्धि कर सकती है।

3. AIR 1958 Raj. 38

भाग (६) (PART VI)

परिचयात्मक—

विभागीय-प्रतिकार

(Departmental Remedies for Disciplinary Action)

तालिका

परिचय—

किसी भी दण्ड का तुरन्त प्रतिकार सरकार ही दे सकती है। ये प्रशासनिक आज्ञायें हैं, अत. इनका पहला प्रतिकार सरकार के पास है, फिर अर्द्ध-न्यायिक होने से न्यायालय की शरण ली जा सकती है। विभागीय प्रतिकार का सहारा लिये बिना भी समुचित मामलों मे लेख-याचिका स्वीकार की जा सकती हैं।[1] [लेख याचिकाओं के लिये—देखिये परिशिष्ट (क)]

२. विभागीय प्रतिकार के तीन रूप—

(१) अपील (Appeal) [भाग (६) के अधीन]

(२) पुनरीक्षा (Review) [भाग (७) के अधीन]

(३) अभिवेदन (Representation)—यह पूर्णत. प्रशासनिक निवेदन है। अत: अन्य प्रतिकार उपयोगी न हों, वहीं इसका सहारा लिया जा सकता है। यह अ-कानूनी (Non-legal) प्रतिकार है, इसके द्वारा उच्चाधिकारी से न्याय की माग की जा सकती है, परन्तु अपील व पुनरीक्षा सारभूत अधिकार हैं और वैधानिक हैं। अपील व पुनरीक्षा के मामलो को तुरन्त निपटाने के लिये सरकार ने निर्देश जारी किये हैं। ‡

३, अपील- बनाम-पुनरीक्षा—(Appeal V/s Review)—

अपील और पुनरीक्षा दोनो विधि की उत्पत्ति (Creature of Statute) हैं।[2] संविधान के अनुच्छेद ३२० के अधीन शब्द 'ज्ञापन व याचिका' (memorial, and petitions) से शब्द 'पुनरीक्षा' (Review) आवृत होता है।[3] अत. यह संविधान की देन है। अनावश्यक ज्ञापनों मे समय बिताना विधिमय प्रतिकार नहीं होने से इनमे नष्ट हुआ समय एक लेख (writ) के लिये अपावह सिद्ध हो सकता है।[4] ज्ञापन प्रस्तुत करने का अधिकार अपील के

1. सम्बन्धम् बनाम जनरल मैनेजर AIR 1953 Mad 54; ए. आर. एस. चौधरी बनाम भारत संघ 1960 CWN 913; डा० मुकन्दलाल बनाम शिमला नगर पा० AIR 1953 Punj 88
2. 1905 AC 399; 1953 LAC 522
3. AIR 1957 SC 912
4. AIR 1954 Bom. 202

*Hand Book on Disciplinary Proceedings: (Govt. of Raj.)—Page 14, Part 20 and Noti. No. F 16(7) Apptts (A)/60 Gr. III dated 31.7.61.

के अधिकार के समान (Same or Similar) है। राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन विभागीय अपील के समान स्तर पर नहीं है. ऐसा कोई प्रावधान नही है। न यह अधिकार एक अपील से अधिक नियन्त्रित है।[5]

अपील का अर्थ होना है—पुनर्विचार। पहले दिये गये निर्णय पर उच्चाधिकारी पुनःविचार करता है कि—वह न्यायोचित है या नहीं और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में क्या उसकी मांग न्यायोचित है ? विचार की शर्तें नियम ३० (२) में दी गई हैं। ठीक इसी प्रकार का प्रावधान पुनरीक्षा में भी है, जहां या तो अपील नहीं की जा सकी या अपील का प्रावधान नहीं था। नियम ३२ व ३३ में दण्डाज्ञाओं की पुनरीक्षा होनी है, जबकि नियम ३४ में किसी भी आज्ञा की, जो इन नियमों के अधीन दी गई हो। पुनरीक्षा प्राधिकारी स्वयं (Suo moto) पुनरीक्षा कर सकता है, परन्तु अपील तो प्रभावित कर्मचारी ही पेश करेगा।

४. दोनों प्रभावित कर्मचारी के एक अधिकार के रूप में—

प्रत्येक आज्ञा का अपील या पुनरीक्षा नहीं हो सकती, जब तक कि—ऐसा कानून या नियमों में प्रावधान नहीं हो। ऐसा प्रावधान होने पर यह एक तात्विक-अधिकार है, केवल प्रक्रियात्मक विधि (कानून) मात्र नहीं।[6] जब पहले अपील का अधिकार दिया गया था, तो उसे छीना नही जा सकता। एक जेलर के विरुद्ध सरकार की बजाय यदि आज्ञा महानिरीक्षक जेल द्वारा दी जाती, तो उसे सरकार को अपील का एक अधिकार मिलता। परन्तु सरकार द्वारा आज्ञा दी जाने से उसका अपील का अधिकार छीना गया। इस पर निर्णय हुआ कि—अपील का अधिकार अविधायिकासत्ता (Non-Legislative body) द्वारा नियम बनाने की शक्तियों के अधीन बनाये किसी नियम या विनियम द्वारा छीना या संशोधित नहीं किया जा सकता।[7]

५. अपील की कार्यवाही के कदम—(Steps in proceedings of Appeal)—

नियमों में वर्णित कार्यवाही की प्रक्रिया के विश्लेषण से इसमें निम्नलिखित ७ कदम या सीढ़ियां हैं—

क्र.सं.	विवरण	नियमों का प्रसंग
१.	आज्ञा की प्राप्ति, काल मर्यादा और अपील की तैयारी	२४,२५
२.	प्रारूप व विषयवस्तु, प्रस्तुतीकरण	२६,२७
३.	अपील अवरोधन या अग्रेषण	२८,२९
४.	विचार	२१,२३.३०
५.	आयोग से परामर्श (यदि आवश्यक हो) ...	२३(४) व (६),३०(२)
६.	निर्णय व उसकी क्रियान्विति	३०(२),३१
७.	आगे की कार्यवाही (यदि कोई हो)	२३,(४),३२ ३३,३४

5. AIR 1963 Punjab 87
6. 1905 AC 369
7. भारत संघ बनाम सत्येन्द्रनाथ AIR 1955 Cal. 581; सारंगायन् बनाम मनीपुर राज्य AIR 1956 Manipur 35

आगे इन कदमों का वर्णन विभिन्न नियमों की व्याख्या के अन्तर्गत किया जावेगा।

(६) पुनरीक्षा की कार्यवाही के कदम—(नियम ३२,३३ व ३४)

१. पुनरीक्षा का आरम्भ।
२. अभिलेख मगाना।
३. आयोग से परामर्श (यदि आवश्यक हो)
४. निर्णय।
५. काल मर्यादा।
६ आगे की कार्यवाही।

इनका भी आगे नियमों के साथ विवेचन करेंगे।

अपीलें
(Appeals)

परिचय—

इस भाग मे कुल ११ नियम हैं, जिनमे अपील सम्बन्धी प्रावधान हैं। नियम २१ सरकार की आज्ञा के विरुद्ध अपील का निषेध करती है। नियम २२ मे निलम्बन आज्ञा के विरुद्ध अपील, नियम २३ मे दण्डाज्ञा की अपीलें व अपील-प्राधिकारियों का वर्णन, नियम २४ से २९ में अपील सम्बन्धी अन्य प्रावधानो का वर्णन, नियम ३० मे अपीलो पर विचार व निर्णय तथा नियम ३१ में अपीलो की आज्ञाओं की क्रियान्विति सम्बन्धी बातें बताई गई हैं।

सरकार द्वारा दी गई आज्ञायें अपील-योग्य नहीं
(ORDERS MADE BY GOVT. NOT APPEALABLE)

Rule—21.

Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against any order made by the Government, imposing any of the penalties specified in rule 14.

नियम—२१.

इस भाग में कुछ भी वर्णित होते हुये, नियम १४ में वर्णित कोई दण्ड देते हुए सरकार द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नही होगी।

व्याख्या

(१) सरकार की आज्ञा अंतिम (२) अपील के अधिकार का हनन

(१) सरकार की आज्ञा अंतिम—

'राजा (सरकार) कोई अन्याय नहीं करता और उसकी आज्ञा अंतिम होती है; अतः उसकी अपील नहीं होती।'—इस प्रचलित धारणा व संविधान के अनुच्छेद ३१० (१) में प्रदत्त 'राज्यपाल के प्रसाद' का सिद्धान्त यहां लागू किया गया है। सरकार शासन की सर्वोच्च-सत्ता होने से उसकी दी गई आज्ञा की अपील नहीं हो सकती, परन्तु ऐसी परिस्थिति में 'पुनरीक्षा' की जा सकती है।

(२) अपील के अधिकार का हनन—

अपील एक बहुमूल्य अधिकार है; परन्तु इसका प्रावधान नियमों में होना आवश्यक है। सरकार के पास की गई अपील अंतिम होती है। यदि सरकार ने स्वयं जांच करवाकर दण्डाज्ञा दी हो, तो इससे प्रार्थी का अपील का अधिकार समाप्त हो गया; परन्तु इससे कार्यवाही दूषित नहीं होती और नियमों में प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी अपील के अधिकार की मांग नहीं कर सकता।[8] इसमें कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है कि—सरकार ने स्वयं रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी परीक्षा कर दण्डाज्ञा दे दी। दोषी को अपील के अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने आज्ञा दी होती; तो अपील सरकार के पास होती। इस तर्क में कोई शक्ति नहीं है।[9] परन्तु कलकत्ता व मनीपुर उच्च न्यायालयों ने माना है कि—अपील का अधिकार नहीं छीना जा सकता।[11] ऐसी परिस्थिति में न्यायोचित यही होगा कि-दण्डाज्ञा निम्नतम सक्षम-प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये, ताकि नियमों में वर्णित अपील के अधिकार से किसी कर्मचारी को वंचित नहीं होना पड़े।

ऐसी दशा में, अपील न होकर उच्च-न्यायालय में लेखयाचिका द्वारा प्रतिकार मिल सकता है।

निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील
(APPEAL AGAINST ORDERS OF SUSPENSION)

Rule—22.

A Government servant may appeal against an order of suspension to the authority to which the authority which made or is deemed to have made the order is immediately subordinate.

---

8. बी. जॉन बैनयन बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1958 AP 112
9. के. सी. चन्द्रशेखरन् बनाम केरल राज्य AIR 1964 Kerala 87
10. AIR 1955 Cal. 581; 1956 Manipur 35

नियम—२२.

एक राज्य कर्मचारी निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को कर सकेगा; जिसके अधीन वह प्राधिकारी है, जिसने कि वह आज्ञा दी थी या दी गई मानी गई थी।

व्याख्या

(१) निलम्बन-आज्ञा अपील-योग्य
(२) अपील-प्राधिकारी
(३) अपील पर विचार

१. निलम्बन आज्ञा अपील योग्य—

जाच के दोहरान निलम्बन कोई दण्ड नही है, फिर भी अपील का अधिकार दिया है, ताकि अनुचित मामलो मे उच्च-प्राधिकारी हस्तक्षेप कर सकें। इस प्रकार नियम १३ (५) मे भी उच्चतर प्राधिकारी को निलम्बन-आज्ञा को कभी भी वापस लेने का अधिकार दिया गया है। वहा कोई कारण लिखने का प्रावधान नही है।

२ अपील-प्राधिकारी—

निलम्बन-आज्ञा की अपील उस उच्च प्राधिकारी के समक्ष होगी, जिसके कि आज्ञा देने वाला प्राधिकारी तुरन्त अधीनस्थ है। सरकार द्वारा दी गई निलम्बन आज्ञा की भी कोई अपील नही होगी (नियम २१), परन्तु उसकी पुनरीक्षा नियम ३४ के अधीन हो सकती है। सक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया निलम्बन लेखयाचिका द्वारा निरस्त किया गया है।[11] आरोपो के आधार पर निलम्बन अनुचित मान कर उसे एक तात्विक हानि (Substantial injury) मान कर आज्ञा को निरस्त किया गया।[12] लम्बे समय तक निलम्बन के बाद आरोप पत्र नही देने पर आज्ञा निरस्त की गई।[13] इसके लिये दावा भी किया जा सकता है।[14]

३. अपील पर विचार—

नियम ३० (१) के अधीन अपील पर विचार किया जाता है, जिसमे (क) नियम १३ के प्रावधनो को ध्यान मे रखते हुए और (ख) मामले की परिस्थितियों को देख कर निश्चय करना होता है कि-निलम्बन न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आज्ञा को पुष्ट या निरस्त किया जा सकता है।

४. अपील की प्रक्रिया—

नियम २५, २६, २७, २८, व २९ के प्रावधान समान रूप से इस अपील पर भी लागू होंगे।

---

11. AIR 1953 Cal 239; 1954 Pepsu 98
12. AIR 1956 Madras 220
13. AIR 1964 Patna 168
14. AIR 1956 Madras 220; 1954 SC 403 1957 Patna 515 1948 PC 121; 1964 Patna 168

दण्डाज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें

(Appeals against Orders imposing penalties)

Rule—23.

(1) A member of the [Subordinate Service of Police Department including R. A. C]*, Ministerial Service or class IV service may appeal against and order imposing upon him any of the penalties specified in rule 14 to the authority to which the authority imposing the penalty is immediately subordinate unless the Government by a general or special order specifies any other authority.

†[Provided that a member of the Ministerial service or class IV service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 is passed by the Commissioner for Departmental Enquiries as Head of Department in respect of embezzlement enquiry cases, may appeal to the Government in the Administrative Department in respect of that Department.

Provided further that a member of the Ministerial service or class IV service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 is passed by the Officer on Special Duty, Embezzlement Enquiry cases/Assistant Commissioner for Departmental Enquiries as Heads of Offices in respect of embezzlement enquiry cases may appeal to the Commissioner for Departmental Enquiries]

(2) A member of the subordinate service *[other than that of the Police Department including R.A.C.] may appeal :—

(a) to the Appointing Authority against an order made by an authority subordinate to it,

(b) to the Government against an order made by the Appointing Authority.

imposing upon him any of the penalties specified in rule 14.

*[Provided that a member of the subordinate service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 is passed by the Commissioner for Departmental enquiries as Head of Department in respect of embezzlement enquiry cases may appeal to the Government in the Administrative Department in respect of that Department.]

---

* No. F. [illegible] (1) Apptts (A-3) 60 Dated 16-9-60 & 9-1-61.

† No. F. 3 (3) Apptts (A)/63 Group III ता० २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया एवं दि० ६-७-५६ से प्रभावशील ।

(3) A member of the State Service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 is made by an authority other than the Government may appeal against such order to the Government.

*[Provided that a member of the Rajasthan Judicial Service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 except the penalty of removal or dismissal is made by an authority other than the Government may appeal only to §[a committee consisting of the Chief Justice and two Judges of the Rajasthan High Court nominated by him.]

*[Provided further that a member of the State Service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 under the delegated authority is passed by the commissioner for departmental enquiries as Head of Department in respect of embezzlement enquiry cases may appeal to the Government in the Administrative Department of that Department.]

(4) Except in respect of the Class IV Services, a final appeal shall lie to the Government against the order of the Appellate authority imposing any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of rule 14 and the Government shall consult the Public Service Commission before passing orders thereon:

Provided that in the case of the Ministerial Services of the Civil and Sessions' Courts, the final appeal shall lie to the High Court.

(5) Notwithstanding anything contained in sub rules (1) to (3) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 18 shall lie to the authority to which the authority functioning as the Disciplinary Authority, for the purpose of that proceeding is immediately subordinate.

(6) Where an appeal lies to the Government under this rule, the decision thereon shall be taken after consultation with the Public Service Commission, §[where such consultation is necessary.]

EXPLANATION—In this rule the expression "members of a Civil Service" includes a person who has ceased to be a member of that service.

नियम २३—

(१) *[पुलिस विभाग, मय राजस्थान सशस्त्र दल; की अधीनस्थ सेवा], लिपिक वर्ग सेवा या चतर्थ श्रेणी सेवा का एक सदस्य नियम १४ में वर्णित किसी दण्ड देने की आज्ञा के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसके दण्ड देने

* विज्ञप्ति स० एफ ३ (१) नियुक्ति (क-३) । ६० दि० १६-६-६० व ९-१-६१ द्वारा निविष्ट।
§ विज्ञप्ति सं० ३ (६) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० ६/१२ मई १६.४ द्वारा निविष्ट।

वाला प्राधिकारी तुरन्त अधीनस्थ है, जब तक कि सरकार किसी सामान्य या विशेष आज्ञा से कोई अन्य प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं कर दे।

† [परन्तु लिपिक वर्ग सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध नियम १४ में वर्णित कोई दण्ड देने की आज्ञा विभागीय जांच आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में गबन की जांच के विषय में दी गई हो, तो (वह) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में निहित सरकार को अपील कर सकेगा;

परन्तु लिपिक वर्ग सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध नियम १४ में वर्णित कोई दण्ड देने की आज्ञा विशेषाधिकारी, गबन-जांच मामलात या सहायक जांच आयुक्त, विभागीय जांच द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में गबन-जांच के विषय में दी गई हो, तो अपील विभागीय-जांच आयुक्त को कर सकेगा।]

(२) * [पुलिस विभाग मय राजस्थान सशस्त्र दल के अतिरिक्त अन्य] अधीनस्थ सेवा का एक सदस्य नियम १४ में वर्णित किसी दण्ड देने की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकेगा—

(क) उसके किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध नियुक्त प्राधिकारी को,

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध सरकार को।

* [परन्तु अधीनस्थ सेवा का वह सदस्य जिसे विभागीय जांच-आयुक्त द्वारा गबन जांच के मामले के सम्बन्ध में नियम १४ के वर्णित किसी दण्ड देने की आज्ञा के विरुद्ध अपील सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में निहित सरकार को कर सकेगा।]

(३) राज्य सेवा के किसी सदस्य को सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा नियम १४ में वर्णित कोई दण्ड देने की आज्ञा के विरुद्ध सरकार को वह अपील कर सकेगा।

* [परन्तु राजस्थान न्यायिक सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध नियम १४ में वर्णित दण्डों में से सेवाच्युति या निष्कासन के अतिरिक्त कोई दण्ड देने की आज्ञा सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी ने दी हो, तो वह केवल उस समिति के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसमें राजस्थान उच्चन्यायालय के मुख्यन्यायाधीश एवं उनके द्वारा मनोनीत दो न्यायाधीश होंगे।]

§ [परन्तु यह भी है कि—राज्य सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध नियम १४ में वर्णित कोई दण्ड देने की आज्ञा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन गबन-जांच के मामलों के विषय में विभागीय जांच आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में दी गई हो तो (वह) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में निहित सरकार को अपील कर सकेगा।]

† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (३) नियुक्ति (क-३)। ६३ दि० २७-४-६४ द्वारा निविष्ट एवं दि०१-७-५६ से प्रभावशील।

* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१) (क-३) ६० दि० १६-६-६० व ९-१-६१ द्वारा निविष्ट।

§ विज्ञप्ति सं० ३ (९) नियुक्ति (क-३) ६३ दि०६/१२ मई ६४ एवं सं० एफ ३ (१) नियुक्ति (क-३) ६० दि०९. १. ६१ द्वारा निविष्ट व प्रतिस्थापित।

(४) चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के अतिरिक्त, नियम १४ के खण्ड (४) से (७) में वर्णित कोई दण्ड देने की अपील-प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अन्तिम अपील सरकार को प्रस्तुत होगी और सरकार आज्ञा देने से पूर्व लोकसेवायोग से परामर्श करेगी।

परन्तु व्यवहार एवं अन्य न्यायालयों की लिपिक वर्ग सेवाओं के मामले में अन्तिम अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(५) उपनियम (१) से (३) में कुछ भी होते हुए भी नियम (१८) के अधीन सम्मिलित कार्यवाही में (दी गयी) आज्ञा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी, जिसके कि अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी तुरन्त अधीनस्थ हो।

(६) इस नियम के अधीन जहां कोई अपील सरकार को प्रस्तुत होती है, उसमें लोकसेवा आयोग से परामर्श के बाद उस पर निर्णय लिया जावेगा, * [जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो।]

टिप्पणी—

इस नियम में 'असैनिक सेवा के सदस्य' अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति जो अब सेवा का सदस्य नहीं है भी सम्मिलित है।

व्याख्या

१. परिचय—

इस नियम मे विभिन्न सेवाओं के लिये अपील प्राधिकारियों का वर्णन किया गया है। इसमे छः उपनियम, ६ परन्तुक और एक स्पष्टीकरण है। इस नियम को नियम २१ के साथ पढा जावेगा, जहां सरकार की आज्ञा की कोई अपील नहीं होती।

२. अपील प्राधिकारी—एक तालिका—

दण्ड की सामान्य प्रक्रिया के अधीन दी गई आज्ञाओं के विरुद्ध विभिन्न सेवाओं के मामलो मे कौन अपील-प्राधिकारी होगा, यह तालिका (क) द्वारा स्पष्ट किया गया है। गबन के मामलो की जांच, जिनमे ५० रू० से अधिक राशि का गबन हो; मे जाच आयुक्त द्वारा 'विभागाध्यक्ष' के रूप मे और विशेषाधिकारी या सहायक आयुक्त द्वारा 'कार्यालयाध्यक्ष' के रूप में दी गई दण्डाज्ञाओं के लिये तालिका (ख) मे अपील प्राधिकारियो का वर्णन किया गया है:—

* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (९) नियुक्ति (क) । ६३ दि० ६ । १२ मई ६४ द्वारा।

तालिका (क)

सेवायें	दण्ड का प्रकार (नियम १४)	दण्डाधिकारी (नियम १५(१)]	प्रथम अपील अपील-प्राधिकारी [नियम २३]	द्वितीय अपील [नियम २३ (४)—केवल असाधारण दण्डों के मामलों में]
१. राज्य सेवायें— (R.J.S. के अतिरिक्त)	सब दण्ड अधिकृत दण्डों के लिये-	(क) सरकार (ख) अन्य अधिकृत प्राधिकारी	कोई अपील नहीं (नियम २१) सरकार (राज्यपाल)	,,
R.J.S.	दण्ड १ से ३ ,, ४ व ५ ,, ६ व ७	प्रशासनिक न्यायाधीश ,, ,, सरकार	उच्चन्यायालय समिति ,, ,, ×	कोई प्रावधान नहीं ,,
२. अधीनस्थ सेवायें—				
(क) पुलिस विभाग के अतिरिक्त (नि० २३(२)]	सब दण्ड दण्ड १ से ५	(क) नियुक्ति प्राधिकारी (ख) अधिकृत प्राधिकारी	सरकार नियुक्ति प्राधिकारी	× सरकार
(ख) पुलिस विभाग [नि० २३(१)]	सब दण्ड दण्ड १ से ५	(क) नियुक्ति प्राधिकारी (ख) अन्य प्राधिकारी	सरकार उच्चतर प्राधिकारी	× सरकार
३. लिपिक वर्ग सेवायें				
(क) व्यवहार व सत्र न्यायालय में	सब दण्ड	अनुशासनिक प्राधिकारी	उच्चतर प्राधिकारी	उच्च-न्यायालय
(ख) अन्य सब [नि० २३(१)]	,,	,,	,,	सरकार
४. चतुर्थ श्रेणी सेवायें	,,	,,	उच्चतर प्राधिकारी	×

तालिका (ख) गबन-मामलों में अपीलें

सेवायें	दण्डाधिकारी	अपील-प्राधिकारी	
		प्रथम अपील	अंतिम अपील
१. राज्य सेवायें	जाच-आयुक्त	प्रशासनिक विभाग मे निहित सरकार	×
२. अधीनस्थ सेवायें	"	"	×
३. लिपिक वर्ग सेवायें	(क) "	"	×
	(ख) विशेषाधिकारी या सहायक आयुक्त	जाच आयुक्त	प्रशासनिक विभाग मे निहित सरकार
४ चतुर्थ श्रेणी सेवायें	(क) जाच आयुक्त	प्रशासनिक विभाग में निहित सरकार	नहीं
	(ख) विशेषाधिकारी या सहायक आयुक्त	जांच-आयुक्त	"

३. प्रथम अपील और अन्तिम अपील या द्वितीय अपील—

दण्ड की मूल आज्ञा की अपील प्रथम अपील होती है, परन्तु असाधारण दण्डों के मामलों मे उपनियम (४) मे केवल चतुर्थ श्रेणी सेवाओ को छोड कर अन्य सभी सेवाओ के लिये 'अन्तिम अपील' सरकार को होगी। अतः कुछ मामलो में यह द्वितीय-अपील हो सकती है, जब कि प्रथम अपील मे आज्ञा सरकार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी ने दी हो। इसका तालिका (क) व (ख) मे वर्णन किया गया है। द्वितीय अपील केवल निम्न मामलो मे होगी—

१ जब असाधारण दण्ड (नियम १४, दण्ड ४ से ७) दिया गया हो, और

२. दण्ड स० ४ व ५ अर्थात्—पदावनति और अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दण्ड जब किसी अधीनस्थ अधिकृत प्राधिकारी ने दिये हो, तो उसकी प्रथम अपील उसके उच्चतर प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी भी हो सकता है, के यहाँ होगी और अपील की आज्ञा की अन्तिम या दूसरी अपील सरकार को होगी, परन्तु व्यवहार व सत्र न्यायालयों के लिपिक वर्ग की अन्तिम अपील उच्च न्यायालय में होगी।

३. चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के मामले में कोई दूसरी अपील नही होगी।

सारांश यह है कि—असाधारण दण्ड की आज्ञा की अन्तिम अपील सरकार को होगी, चाहे वह प्रथम अपील हो, या द्वितीय।

४. विशेष परिस्थिति में अपीलें—

(क) संयुक्त जांच (नियम १८) की आज्ञा के विरुद्ध अपील—

उपनियम (५) के अनुसार जो प्राधिकारी 'अनुशासनिक प्राधिकारी' घोषित किया गया है, उससे तुरन्त उच्चप्राधिकारी को उसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील होगी, चाहे उपनियम

से (३) में कुछ भी प्रावधान क्यों न हो। इस प्रकार के मामलों में भी अन्तिम अपील असाधारण दण्ड की आज्ञाओं के विरुद्ध उपनियम (४) के अधीन सरकार को होगी; परन्तु चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामले में नहीं।

(ख) विशेष प्रक्रिया (नियम १६) के मामलों में अपील—

नियम १६ के नीचे टिप्पणी में बताया गया है कि— खण्ड (२) के अधीन आने वाले मामलों में केवल एक अपील अगले उच्च प्राधिकारी को होगी। परन्तु अन्य खण्डों यानी (१) व (३) के मामलों में इस नियम के अधीन नियमित अपीलें होंगी और सरकार को उपनियम (४) के अधीन अन्तिम अपील होगी।

५. लोकसेवायोग से परामर्श—

अन्तिम अपील से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक है। (उपनियम ४ व ६)
[इसके विवेचन के लिए देखिये—परिशिष्ट ख (५) की व्याख्या में खंड (ख) (२) एवं (ग) (२)]

६. 'असैनिक सेवा के सदस्य' की व्यापकता—

इस नियम के अंत में एक टिप्पणी जोड़कर "असैनिक सेवाओं के सदस्य" में उस व्यक्ति को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जो पहले सेवा में थे और अब सेवा निवृत होगये हैं। उनको उसी सेवा का सदस्य माना जावेगा, जिसमें कि वह पहले थे।

इस प्रकार सेवा निवृत कर्मचारी को उसके विरुद्ध चल रही जांच या समाप्त हुई जांच की अपील करने का अधिकार व्यापक किया गया है।

७. 'सरकार' का अर्थ—

जब अपील 'सरकार' को जावेगी, तो इसका अभिप्राय उस व्यक्ति द्वारा अपील सुनने से है, जिसमें कि—किसी विशेष विभाग की कार्यकारी शक्ति (Executive powers) निहित है अर्थात् जो कि प्रभारी मंत्री (Minister) है।[15] अनुच्छेद १६६ (२) के अधीन कार्य विभाजन के लिये कार्य प्रणाली नियम (Business Rules) बनाये गये हैं। इन नियमों का ध्यान दिये बिना किये गये कार्य की न्यायिक परीक्षा संभव है। इसके अनुपालन के बिना कार्यवाही दूषित हो जाती है। मुख्य मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा पारित आज्ञा कार्यप्रणाली नियमों का ध्यान दिये बिना सरकार की आज्ञा नहीं मानी जा सकती। प्रतीकात्मक शब्दों (Recitals) के प्रयोग से, जैसे "राज्यपाल ने संतुष्ट हो कर/प्रसन्न हो कर निर्देश दिया है......" स्वीकृति दूषित नहीं हो जाती।[16] मुख्य मंत्री द्वारा पारित आज्ञा मंत्रिमण्डल की आज्ञा मानी जावेगी।[17] कार्य-प्रणाली नियम ३१ के अधीन वर्णित मामलों में आज्ञा जारी होने से पहले मामला मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।[18] इस प्रकार सरकार को की जाने वाली अपीलों में प्रभारी मंत्री द्वारा आज्ञा दी जावेगी या राज्य सेवा के लिये राज्यपाल द्वारा।

15. प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1964 SC 72
16. राज्य बनाम ताराचन्द ILR [1963] 13 Raj. 109 (1963 RLW 8); AIR 1945 PC 156; 1952 SC 317; ILR (1962) 12 Raj. 527; AIR 1955 SC 160
17— बख्तावरसिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 SC 395
18. AIR 1963 SC 1323, ILR 1961 Raj. 536, AIR 1967 Raj. 414

आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि देना

Rule 24—

In the case of an order which is appealable, the authority passing the order shall, within a reasonable time, give a certified copy of the order free of cost to the person against whom the order is passed.

नियम २४—

जिस मामले में कोई आज्ञा अपील योग्य है, तो आज्ञा देने वाला प्राधिकारी यथोचित समय में, आज्ञा की एक प्रामाणिक प्रतिलिपि निशुःल्क उस व्यक्ति को देगा, जिसके विरूद्ध आज्ञा पारित की गई है ।

व्याख्या

इस नियम के विश्लेषण से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं :—

(१) यदि कोई आज्ञा अपीलयोग्य है;

(२) तो आज्ञा देने वाला प्राधिकारी (चाहे दण्डाज्ञा हो या प्रथम अपील की आज्ञा) आज्ञा की प्रमाणित-प्रति उस प्रभावित व्यक्ति को देगा। यह आवश्यक नही है कि—वह व्यक्ति प्रमाणित-प्रति के लिये प्रार्थना-पत्र दे। यह आज्ञादेने वाले अधिकारी का कर्तव्य है और उस व्यक्ति का एक अधिकार। इसे रजिस्टर्ड डाक से भेजने पर प्राप्ति का विश्वास रहता है।

(३) यह प्रति यथोचित समय मे दी जानी आवश्यक है। सरकार के एक ‡ निर्देशानुसार ७ दिन का समय यथोचित माना गया है।

(४) यह निःशुल्क दी जावेगी।

(५) यदि आज्ञा अपील योग्य नही है, तो ये शर्तें लागू नहीं होंगी।

अपीलों के लिये कालावरोध

(Period of Limitation for Appeals)

Rule 25.

No appeal under this part shall be entertained unless it is submitted within a period of three months from the date on which the appellant receives a copy of the order appealed against :

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

---

‡ सं० एफ ५(७१) सा० प्र०।का।५४ दि० २४-१२-५४।

नियम २५—

जिस दिनांक को अपीलकर्ता उस अपील की जाने वाली आज्ञा की प्रति प्राप्त करता है, उससे ३ माह की अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं करे, तो इस भाग के अन्तर्गत कोई अपील विचारार्थ नहीं ली जावेगी।

परन्तु अपील-प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील को विचारार्थ ले सकेगा, यदि उसे यह सन्तोष हो जावे कि अपीलकर्ता द्वारा अवधि में अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

व्याख्या

इस नियम में अपील करने की कालमर्यादा प्रार्थी को सम्बन्धित आज्ञा की प्रति प्राप्त होने के दिन से ३ माह रखी गई है। यदि समय पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण हों और उनसे अपील-प्राधिकारी को सन्तोष हो जाता है, तो वह इसमे हुई देरी के बाद भी अपील को विचारार्थ स्वीकार कर सकता है। इस समय में से नियम १६ (११) व १७ (२) के कागजात प्राप्त करने का समय छोड़ दिया जाता है।

शब्द **'पर्याप्त कारण'** (Sufficient Cause) की स्पष्ट परिभाषा करना कठिन है।[19] यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर है।[20] यह कानूनी पर्याप्त होने से कुछ अधिक है।[21] इसका उदार अर्थ लिया जाना चाहिये, ताकि सही न्याय मिल सके, जबकि प्रार्थी की लापरवाही या निष्क्रियता या दुर्भावना न हो।[22] अत्यधिक ठीक प्रयास (Deligence) का प्रयोग नहीं करना चाहिये, जब कि विलम्ब (देरी) ऐसा न हो, जिसे अनुचित कहा जा सके, तो विवेक का प्रार्थी के पक्ष में प्रयोग करना चाहिये।[23]

अपील का प्रारुप व विषय सामग्री

(Forms and Contents of Appeal)

Rule 26.

(1) Every person submitting an appeal shall do so separately and in his own name.

---

19. मिठुलाल बनाम जमना प्रसाद
AIR 1933 Oudh 523 [FB]
20. हरधन बनाम प्राणकृष्ण
10 CLJ 39
21. चिलप्पा बनाम रामानुजम्
AIR 1925 Mad. 166
22. कायम्बर बनाम कोर्ट आफ वार्ड्स
AIR 1932 Mad. 107
कुरुगु बनाम चपप्पन
13 Mad. 269 [F. B.];
दीनबन्धु बनाम जादूमणि
AIR 1954 SC 411;
भगवत स्वरूप बनाम रामगोपाल
AIR 1961 All 379;
सीताराम रामचरण बनाम एम. एन. नगरशिह
AIR 1960 SC 260
23. करीमुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया
AIR 1929 Cal. 240

(2) The appeal shall be addressed to the authority to whom the appeal lies, shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself

नियम २६—

(१) प्रत्येक अपील-प्रस्तुतकर्ता अलग अलग अपने स्वय के नाम से अपील करेगा।

(२) अपील जिस प्राधिकारी को प्रस्तुत होती है, इसको सम्बोधित की जावेगी, और उसमें समस्त सारभूत कथन और तर्क होंगे, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है, उसमें कोई असम्मानजनक या अनुचित भाषा नही होनी चाहिये और वह अपने आप मे परिपूर्ण होनी चाहिये।

व्याख्या

उपनियम (१) के अनुसार—अपीलकर्ता स्वय अपने नाम से अपील पेश करेगा। इसे कोई अन्य व्यक्ति या वकील अपीलकर्ता की ओर से पेश नही कर सकता। सयुक्त जॉच की दशा मे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपील करेगा।

उपनियम (२) के अनुसार—अपील मे प्रारूप बनाते समय ध्यान रखना होगा कि—(१) अपील अपील-प्राधिकारी को सम्बोधित होगी, किन्तु नियम २७ के अधीन 'उचित माध्यम से' प्रस्तुत की जा सकेगी। (२) उसमे सब सारभूत कथन व तर्क दिये जायेंगे, जिनके आधार पर अपील चाही जा रही है और यह अपने आप मे पूरी होगी; ताकि उसी के आधार पर सब वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जावे। आवश्यक प्रलेख, यदि कोई हो, तथा अपीलार्थ आज्ञा की एक प्रमाणित प्रति भी सलग्न होगी। (३) अपील की भाषा असम्मानपूर्ण व अनुचित नही होनी चाहिये। मालिक, मंत्री या उच्चाधिकारियों पर आक्षेपात्मक व असम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने पर ऐसे कारणों से उसे निष्कासित भी किया जा सकता है, ऐसे अनेक निर्णय है।[24] आक्षेप पूर्ण भाषा से कोई लाभ नही पहुंचता। स्पष्ट व विनम्र भाषा मे अपील करना उत्तम माना गया है। अपील के प्रारूप में दण्डाज्ञा या निर्णय के प्रत्येक तर्क (Argument) या साक्ष्य का उत्तर देते हुये अपने तर्कों के आधार पर आज्ञा को दूषित या अवैध सिद्ध करने का प्रयास होता है। परिस्थितिवश यदि उच्चाधिकारी के विरुद्ध कुछ लिखना ही पड़े, तो उसकी भाषा सम्मानजनक व तथ्यो के प्रमाणों से न्यायोचित प्रतीत होनी चाहिये।

---

24 नागमोहनदास जगजीवनदास मोदी बनाम गुजरात AIR 1962 Gujrat 197;
रामेश्वर राव बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1956 Orissa 99.
प्रतापसिंह बनाम पजाब राज्य AIR 1964 SC 72.
जोसफ जॉन बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य AIR 1955 SC 160;
कृष्णमूर्ति बनाम केरल राज्य AIR 1963 Kerala 224

अपीलों का प्रस्तुतीकरण

(Submission of Appeals)

Rule 27.

Every appeol shall be submitted through the proper channel to the authority which made the order appealed against:

Provided that if such authority is not the Head of the Office in which the appellant may be serving or, if he is not in service, the Head of the Office in which he was last serving or is not subordinate to the Head of such Office, the appeal shall be submitted to the Head of such Office who shall forwrd it forthwith to the said authority:

Provided further that a copy of the appeal may be submitted direct to the Appellate Authority.

नियम २७—

प्रत्येक अपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जिसने वह आज्ञा दी, जिसकी अपील की जानी है :

परन्तु यदि ऐसा प्राधिकारी ऐसा कार्यालयाध्यक्ष नहीं है जिसमें कि अपीलकर्ता काम कर रहा हो या वह सेवा में नहीं हो तो अपील उस कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जायगी जिसमें कि वह अन्तिम बार काम कर रहा था, या उस कार्यालयाध्यक्ष के अधीन वह अब नहीं है, तो अपील ऐसे कार्यालयाध्यक्ष के पास प्रस्तुत की जायगी जो उसे उक्त प्राधिकारी के पास आगे भेजेगा :

परन्तु अपील की एक प्रति सीधी अपील-प्राधिकारी के पास भेजी ज सकती है।

व्याख्या

यह नियम बताता है कि—(१) अपील 'उचित-माध्यम द्वारा' उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी, जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई हो। (२) यदि वह आज्ञा देने वाला प्राधिकारी उस कर्मचारी का कार्यालयाध्यक्ष नहीं हो, तो अपील उसके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस आज्ञा देने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी, जैसे—यदि तहसील के एक लिपिक को दण्ड की आज्ञा उपखण्ड अधिकारी ने दी हो, तो वह लिपिक अपने कार्यालयाध्यक्ष यानी-तहसीलदार के द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा, जो इसे आगे अपील-प्राधिकारी यानी जिलाधीश को अग्रेषित करेगा।

(३) यदि वह कर्मचारी अब सेवा में नहीं है, तो वह अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अपील भेजेगा।

(४) यदि वह अब उस कार्यालयाध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है, तो उसे वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष को अपील प्रस्तुत करनी होगी, जो उसे आज्ञा देने वाले प्राधिकारी को भेज देगा। ऐसा पदोन्नति या स्थानान्तर पर ही हो सकता है।

(५) अपील की एक अग्रिम-प्रति अपील-प्राधिकारी को सीधी भेजी जा सकती है, अतः भेजनी भी चाहिये; ताकि अपील-प्राधिकारी अपने अधीनस्थ आज्ञा देने वाले प्राधिकारी के अपील भेजने मे देर करने या रोकने पर न्याय के हित मे ध्यान रख सके और स्वतः कार्यवाही आरम्भ कर सके।

अपीलों का अवरोधन (रोकलेना)

(Withholding of Appeals)

Rule 28.

(1) The authortiy which made the order appealled against may withhold the appeal if—

(i) It is an appeal from an order from which no appeal lies; or

(ii) It does not comply with any of the provisions of rule 26; or

(iii) It is not submitted within the period specified in rule 25 and no cause is shown for the delay; or

(iv) It is a repetition of an appeal already decided and no new facts or circumstances are adduced:

Provided that an appeal withheld on the ground only that it does not comply with the provisions of rule 26 shall be returned to the appellant and, if resubmitted within one month thereof after compliance with the said provisions, shall not be withheld.

(2) Where an appeal is withheld the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefor.

(3) At the commencement of each quarter, a list of the appeals withheld by any authority during the previous quarter together with the reasons for withholding them, shall be furnished by that authority to the appellate authority

नियम २८—

(१) वह प्राधिकारी, जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है, अपील को रोक सकता है, यदि

(i) अपील ऐसी आज्ञा की है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नही होती; या

(ii) अपील मे नियम २६ के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, या

(iii) वह नियम २५ में वर्णित अवधि में पेश नहीं की गई है और देरी का कोई कारण नहीं दिखाया गया हो, या

(iv) वह पहले से ही निर्णीत किसी अपील की पुनरावृत्ति हो और कोई नये तथ्य या परिस्थितियां उसमें नहीं बताई गई हों;

परन्तु जो अपील इस आधार पर रोक ली गई हो कि उसमें नियम २६ में वर्णित किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, तो उसे अपीलकर्ता को लौटा दिया जायेगा और यदि इससे एक महीने में उन प्रावधानों का पालन किया जाकर पुनः प्रस्तुत की जावे, तो बाद में नहीं रोकी जायगी।

(२) जब कोई अपील रोकी जाय, तो अपीलकर्ता को इस तथ्य की सूचना मय कारणों के दी जायगी।

व्याख्या

(१) अपील को रोकने के कारण—

उप नियम (१) में चार परिस्थितियां स्पष्ट बताई गई हैं, जिनमें आज्ञा देने वा[ले] प्राधिकारी अपील को रोक सकता है। ये इस प्रकार हैं—(१) यदि आज्ञा की अपील नहीं होती है (नियम २१), या (२) यदि नियम २६ के अनुसार अपील (क) दोषी ने अपने नाम से न की हो, या (ख) दूसरे के साथ संयुक्त अपील की हो, या (ग) वह अपील-प्राधिकारी को सम्बोधित नहीं की गई हो, या (घ) वह अपने में परिपूर्ण न हो, या (ङ) उसमें अनुचित भाषा का प्रयोग किया हो; या (३) अपील की अवधि यानी तीन माह के भीतर पेश नहीं की गई हो और विलम्ब के लिये कारण नहीं दिये गये हों (नियम २५), या (४) वह पहली निर्णीत अपील की पुनरावृत्ति हो और उसमें कोई नये तथ्य या परिस्थितियां नहीं बताई गई हों।

(२) अपील को वापस करना—

परन्तुक में बताया गया है कि नियम २६ में वर्णित शर्तें पूरी न[हीं] होने पर अपील को वापस किया जा सकता है, जिसे लौटाने के दिनांक से एक माह की अवधि मे[ं] पुनः संशोधित कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद में उसे नहीं रोका जावेगा।

(३) अवरोध की सूचना—

उप नियम (२) के अनुसार अपील के रोके जाने पर इसकी सूचना कारणों सहित [अपील]ार्थी को दी जावेगी। उप नियम (३) के अधीन अवरोधित अपीलों की एक सूची मय रोकने के कारणों के, वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के आरंभ में अपील-प्राधिकारी को भेजी जावेगी; ताकि उच्चाधिकारी उसके औचित्य पर विचार कर सके। आज्ञा देने वाले अधिकारी को उदारता व निष्पक्षता से अपील को रोकने का निर्णय लेना चाहिये।

अपीलों पर विचार

Rule 30. (CONSIDERATION OF APPEALS)

1. In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 13 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

2. In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 15, the Appellate Authority shall consider—

(a) whether the procedure prescribed in these rules has been complied with and if not whether such non-compliance has resulted in violation of any of the provisions of the Constitution or in failure of justice;

(b) whether the facts on which the order was passed have been established;

(c) whether the facts established afford sufficient justification for making an order, and

(d) whether the penalty imposed is excessive, adequate or inadequate and after consultation with the Commission, if such consultation is necessary in the case, pass order—

(1) setting aside, reducing, confirming or enhancing the penalty or

(2) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case

Provided that:—(i) the Appellate Authority shall not mpose any enhanced penalty which neither such authority nor the uthority which made the order appealed against is competent in he case to impose;

(ii) No order imposing an enhanced penalty shall be ssed unless the appellant is given an opportunity of making any presentation which he may wish to make against such enhanced nalty, and

(iii) if the enhanced penalty which the Appellate Authority poses to impose is one of the penalites specifed in clauses(iv) to i) of rule 14 and an inquiry under rule 16 has not already been d in the case, the Appellate Authority shall, subject to the visions of rule 18†, itself hold such inquiry or direct that such iry be held and thereafter on consideration of the proceedings ich inquiry and after giving the appellant an opprtunity of ing any represention which he may wish to make against such lty, pass such orders as it may deem fit.

नियम ३०—

(१) निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले में अपील-प्राधिकारी यह विचार करेगा कि-नियम १३ के प्रावधानों के प्रकाश में और उस विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये निलम्बन की आज्ञा न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार उस आज्ञा को पुष्ट या प्रतिसंहरित (revoke) करेगा।

(२) नियम १४ में वर्णित कोई भी दण्ड देने की किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले में अपील-प्राधिकारी विचार करेगा कि—

(क) इन नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और यदि नहीं, तो ऐसा नहीं किए जाने से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा न्याय की विफलता हुई है या नहीं;

(ख) जिन तथ्यों के आधार पर आज्ञा दी गई थी, वे प्रस्थापित (established) हो चुके हैं या नहीं;

(ग) इस प्रकार प्रस्थापित हो चुकने वाले तथ्य इस प्रकार की आज्ञा को न्यायोचित ठहराते हैं या नहीं; और

(घ) जो दण्ड दिया गया है, वह अत्यधिक, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है और जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसा परामर्श करने के पश्चात्—

(i) दण्ड को निरस्त कम, पुष्ट या वर्धन करते हुए, या

(ii) मामले को दण्ड देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास वापिस प्रेषित करते हुए और मामले की परिस्थितियों में जैसा कि उचित समझे निर्देश देते हुए आज्ञा पारित करेगा।

परन्तु (i) अपील-प्राधिकारी ऐसा कोई वर्धित दण्ड नहीं देगा जिसे न तो ऐसा प्राधिकारी (स्वयं) और न वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा की अपील की गई थी, देने के लिए सक्षम हो;

(ii) वर्धित दण्ड की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि अपीलार्थी को वर्धित दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह चाहे; करने का एक अवसर नहीं दिया गया हो, और

(iii) यदि वर्धित दण्ड जो कि अपील-प्राधिकारी प्रस्तावित करता है, ऐसा दण्ड है जो नियम १४ के खंड (४) से (७) में वर्णित है और उस मामले में नियम १६ के अन्तर्गत कोई जांच पहले से नहीं करली गई हो, तो नियम १८ † के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपील-प्राधिकारी स्वयं ऐसी जांच कर लेगा अथवा ऐसी जांच करने का निर्देश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके और अपीलार्थी को ऐसे दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, वह करना चाहे तो; करने का एक अवसर देकर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे।

---

† सम्मान निवेदन है कि—यहां नियम १८ के स्थान पर नियम १९ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रावधान नियम १९ में ही हैं; जो केन्द्रीय नियमों में नियम १८ के अनुरूप है। अतः प्रकाशित के समय संभवतया भूल से केन्द्रीय नियमों का प्रसंग ही यहां रह गया।

व्याख्या

१. परिचय
२. निलम्बन-आज्ञा की अपील पर विचार
३. दण्डाज्ञा की अपील पर विचार
४. आयोग से परामर्श
५. अपील प्राधिकारी की शक्तियां व निर्णय
६. दण्ड की वृद्धि पर प्रतिबन्ध
७. अपील में व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार
८. अपील में अतिरिक्त साक्ष्य
९. अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाने पर
१०. आगे की कार्यवाही।

१. परिचय—

अपील एक कर्मचारी का तात्विक अधिकार माना गया है और प्रभावित कर्मचारी उसके साथ हुये अन्याय या अतिरेक के लिये प्रतिकार की माग करने उच्च प्राधिकारी के पास अपील मे आता है। अतः अपील प्राधिकारी का कर्तव्य है कि—वह पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ भावना से अपील पर विचार कर निर्णय दे। उसे अपील को केवल एक औपचारिकता नही समझनी चाहिये।

२. निलम्बन-आज्ञा को अपील पर विचार—

नियम २२ मे निलम्बन की आज्ञा को अपील योग्य बताया गया है। इस पर विचार करते समय नियम १३ के प्रकाश मे उसे यह देखना है कि—किसी मामले को परिस्थितियों के अनुसार क्या निलम्बन न्यायोचित था ? जैसा वह उचित समझे, उसी आधार पर निष्पक्ष विवेक के साथ आज्ञा को निरस्त या पुष्ट करने का निर्णय देना चाहिये। इसी प्रकार की कार्यवाही उच्चप्राधिकारी स्वयमेव (*Sou moto*) नियम १३ (५) के अधीन भी कर सकता है।

३. दण्डाज्ञा की अपील—

जब दण्डाज्ञा के विरुद्ध अपील पेश होगी, तो अपील प्राधिकारी अपील के प्रार्थना पत्र, दण्डाज्ञा के अभिलेख और अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी, यदि कोई हो, को ध्यान पूर्वक देखेगा और निम्नलिखित चार प्रश्नो पर विचार कर निष्कर्ष निकालेगा कि—आगे क्या निर्णय लेना है ?—

(१) क्या निर्दिष्ट प्रक्रिया (नियम १६, १७, १८, और १९ मे वर्णित) का पालन हुआ है ? यदि नही, तो इससे संविधान मे प्रदत्त संरक्षण (अनुच्छेद ३११, ३२०) का कोई हनन तो नही हुआ या न्याय की विफलता तो नही हुई। इसके लिये वह सहज न्याय के सिद्धान्तो को ध्यान मे रखेगा। यदि हां, तो वह ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(२) क्या आज्ञा के आधारभूत तथ्य प्रस्थापित (सिद्ध) होते हैं ?

(३) क्या प्रस्थापित तथ्यो के आधार पर यह आज्ञा देना पर्याप्त व न्यायपूर्ण है ?

(४) क्या दण्ड की मात्रा अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है ?

इन प्रश्नो के उत्तर अभिलिखित करने के बाद ही निर्णय दिया जा सकेगा।

४. आयोग से परामर्श—

यदि आवश्यक हो, तो आयोग से परामर्श लिया जावेगा। इसका विवेचन आगे "परिशिष्ट ख (५)" मे किया गया है।

५. अपील प्राधिकारी की शक्तियां व निर्णय—

अपील प्राधिकारी अपील पर विचार के बाद निर्णय देगा। उसकी शक्तियां विशाल हैं, जिन्हें दो रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है—

(१) आज्ञा को निरस्त करके या पुष्ट करके या दण्ड में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) करके; और

(२) मामले को उसकी परिस्थितियों के अनुसार वापस भेज कर। मामला दण्डाधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को उचित निर्देशों के साथ ही वापस भेजा जाता है, ताकि उनके अनुसार आगे कार्यवाही की जा सके।

सरकार का निर्देश* है कि - अपील का निर्णय विस्तृत होना चाहिये, उसमें चाहे अपील पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार की गई हो; परन्तु जो निष्कर्ष दिये जावें, उनके आधार अवश्य दिये जावें। आयोग की सम्मति का उसमें प्रसंग आना, निस्संदेह, आवश्यक है और उनसे असहमति होने पर उसके कारण भी दिये जाने चाहिये। इस प्रकार विस्तृत व परिपूर्ण आज्ञा होने पर एक कर्मचारी को आयोग की सम्मति की प्रतिलिपि देना आवश्यक नहीं होगा।

६. दण्ड की वृद्धि पर प्रतिबन्ध—

अपील के निर्णय में दण्ड की वृद्धि की जा सकती है, परन्तु उस पर तीन प्रतिबन्ध परन्तुक में लगाये गये हैं—

(१) जब प्रार्थी को दो अपील करने का अधिकार होता है, तब दण्डाधिकारी और और अपील-प्राधिकारी को दण्ड देने के सीमित अधिकार ही प्रदत्त होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपील में अपने अधिकार से अधिक दण्ड नहीं दे सकेगा।

(२) जब अपील-प्राधिकारी वर्धित दण्ड देने के लिये सक्षम है, तो वह पहले प्रार्थी को इस वर्धित दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह चाहे करने का एक अवसर देगा।[25]

(३) जब अपील प्राधिकारी कोई असाधारण दण्ड [नियम १४ में (४) से (७)] देने का निश्चय करे, तो वह नियम १६ में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे तो स्वयं नियम १६ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगा या किसी प्राधिकारी को जांच करने का निर्देश देगा। इसके बाद—यानी—यथोचित अवसर देने के बाद जांच की कार्यवाही और कर्मचारी को दिये गये नोटिस के उत्तर को ध्यान में रखकर, जो उचित समझे, वह आज्ञा देगा।

सरकार का निर्देश ‡ है कि—गबन के मामलों में ऐसा महसूस किया गया कि—अपराधी और उसमें संयुक्त लापरवाही के दोषी को दण्ड उनके अपराध के अनुकूल नहीं दिया जाता है।

---

25. महेश्वरनाथ बनाम बिहार राज्य
AIR 1962 Patna 276.

‡ आज्ञा सं० डी० ५०२९ / एफ ६ (७९३) वि०वि० (क-क) ५४ दि० २८-४-६०; सं० एफ १ (३) नियुक्ति (क)। ६१ श्रे० ३ दि. ७-२-६२ और सं० ५ (६१) नियुक्ति (क) ६२ श्रे० ३ दिनांक-२ -११-६३।

* आज्ञा सं० डी० ७४०। ५७—एफ २३ (१३) नियुक्ति (क) ५७ दिनांक ११-३-५७

अतः पर्याप्त दण्ड दिया जावे और प्रशासनिक व वित्त-विभाग अपर्याप्त दण्ड के मामलों की पुनरीक्षा करावे। अपील-प्राधिकारी को अपील में दण्ड को कम करते समय स्पष्ट मामलों में ही ऐसा करना चाहिये।

सरकार जब यह महसूस करे कि—उचित दण्ड से कम दण्ड दिया गया है, तो उसे सब विभागों का प्रभारी होने के कारण उचित दण्ड देने का अधिकार है।[26] किन्तु दण्ड में वृद्धि के लिये उचित प्रक्रिया का पालन न करने पर राज्य सरकार की आज्ञा को अवैध माना जावेगा।[25] और 'राज्यपाल के प्रसाद' का सिद्धान्त इसे अवैध नहीं बना सकता, क्योंकि अनुच्छेद ३११ को अनुच्छेद ३१० के एक परन्तुक के रूप में माना गया है।[27] राजस्थान में पुराने नियमों (१९५०) में दण्ड बढ़ाने का कोई प्रावधान पहले नहीं था, अतः दण्ड की वृद्धि को उस समय अवैध माना गया था;[28] परन्तु अब ऐसा नहीं है।

७. अपील में व्यक्तिगत-सुनवाई का अधिकार—

अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का न होकर वास्तविक है।[28] जहाँ एक अधिकार के निर्णय का प्रश्न हो, तो, निर्णयकर्त्ता अर्द्ध-न्यायिक कार्य करेगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत कई निर्णयों में रहा है।[29] जहाँ अपील का वैधानिक अधिकार किसी प्राधिकारी को दिया गया है, तो उसे न्याय से कार्य करना होगा। ऐसी घटना में उसका यह कार्य अर्द्ध-न्यायिक कार्य ही हो जाता है, तो प्रार्थी का एक महत्वपूर्ण अधिकार और विशेषाधिकार, कि उसे अपनी अपील के सहारे के लिये व्यक्तिगत रूप से सुना जावे; उसमें सम्मिलित हो जाता है; इससे पहले कि—अपील को अस्वीकार किया जावे। अतः माना गया कि—अपील के समर्थन के लिये व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिये प्रार्थी को अधिकार है।[30] यद्यपि अपील में पूरे तर्क देने का प्रावधान है, फिर भी, इस कारण से प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

८. अपील में अतिरिक्त साक्ष्य—

यदि मूल कार्यवाही में साक्ष्य की कमी रह गई हो या प्रार्थी और साक्ष्य पेश करना चाहता हो, तो अपील में साक्ष्य नहीं लिया जा सकता।[31] यानी, किसी मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना उचित हो, तो मामले को पुनः साक्ष्य लेकर निर्णय देने के निर्देश के साथ वापस भेजा जा सकता है।

९. अपीलकर्त्ता की मृत्यु हो जाने पर—

सरकार उस अपील पर नियमानुसार निर्णय लेगी, मानो वह नहीं मरा हो; किन्तु मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि को पक्षकार नहीं माना जावेगा। ऐसी मे वृद्धि या मामला वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा सरकार का निर्देश ‡ है।

---

26. ए. वेंकट बनाम हैदराबाद AIR 1956 Hyd. 173
27. AIR 1954 Nagpur 229, 1957 Patna 917; 1959 All 643; 1960 J&K 97; 1953 SC 36.
28. ILR 1959 Raj. 654, 1958 Raj. 953.
29. AIR 1958 SC 398; 1959 SC 107; 1959 SC 308; 1960 SC 606; 1962 SC 1110.
30. धरणीमोहन बनाम आसाम राज्य AIR 1963 Assam 183
31. AIR 1963 Madras 76

‡ विज्ञप्ति स एफ ३ (४) नियुक्ति (क) । ६२ ग्रे० ३ दि० १८-४-६३ ।

१०. आगे की कार्यवाही—

अपील कर्त्ता के लिये इसका ज्ञान आवश्यक है कि—उसकी अपील यदि अस्वीकार हो गई है और यदि वह अन्तिम अपील नहीं थी [नियम २३ (४) , तो अब सरकार के सामने अन्तिम अपील (द्वितीय अपील) की जा सकती है अथवा—नियम ३४ के अधीन राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनरीक्षा के लिये प्रार्थना की जा सकती है । यदि मामले की परिस्थितियों में उचित हो, तो वकील से कानूनी सलाह लेकर न्यायालय में घोषणार्थ वाद या उच्च न्यायालय में लेख-याचिका पेश की जा सकती है ।

[कृपया इसका विस्तृत विवेचन परिशिष्ट (क) में देखिये ।]

अपील की आज्ञा की क्रियान्विति

(Implementation of Orders in Appeal)

Rule—31.

The authority which made the orders appealed against shall give effect to the orders passed by the Appellate Authority.

नियम—३१.

जिस प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई थी, वह प्राधिकारी अपील प्राधिकारी की आज्ञाओं को प्रभावशील करेगा ।

व्याख्या

यह प्रावधान एक प्रकार से किसी डिक्री की इजराय की तरह से है । निर्णय के बाद उसे क्रियान्वित करने का कार्य दण्डाधिकारी का है । वह इसकी क्रियान्विति के लिये आवश्यक कदम उठायेगा । वह सम्बन्धित कर्मचारी व उसके कार्यालयाध्यक्ष । विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, को सूचित करेगा कि—दिये गये दण्ड को लागू किया जावे और कर्मचारी के सेवाभिलेख (Service-Record) में उसका आवश्यक उल्लेख कर दिया जावे ।

एक बार विभागीय-जांच में किसी कर्मचारी के विरुद्ध आज्ञा दी जाकर कार्यवाही पूरी कर ली गई और उसकी क्रियान्विति होकर दण्ड प्रभावित हो चुका हो, तो कोई उच्चाधिकारी उस मामले को वापस खोल कर नया निर्णय नहीं दे सकता ।[1]

1. द्वारकाचन्द बनाम राज्य
AIR 1958 Raj 38.

पुनरीक्षा

(REVIEW)

परिचय —

इस भाग मे कुल तीन नियम हैं, जिनमें नियम ३२ में अपील-प्राधिकारी के समक्ष अपील न करने पर पुनरीक्षा की जा सकती है। राज्य सेवाओं के सदस्यों के दण्ड के मामलो मे नियम ३३ मे पुनरीक्षा राज्य सरकार के समक्ष करने का प्रावधान है। किन्तु इन नियमों के या पुराने नियमों के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा की पुनरीक्षा राज्यपाल महोदय के समक्ष होगी। इस भाग का शीर्षक पहले "संशोधन (Revision)" था, किन्तु सन् १९६१‡ में इसे बदलकर "पुनरीक्षा (Review)" किया गया। नियम ३२ की भाषा अब भी संशोधन का ही उल्लेख करती है। इन तीनों नियमों का अन्तर आगे क्रमशः स्पष्ट किया गया है। 'पुनरीक्षा' के विषय मे हम 'विभागीय-प्रतिकार' शीर्षक मे पृष्ठ १९९ पर कुछ आधारभूत बातें पहले बता चुके हैं।

अपील-प्राधिकारी द्वारा दंडाज्ञा की पुनरीक्षा

Rule –32

The authority to which an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 14 lies may, *if no appeal has been preferred* therefrom of its own motion or otherwise, call for and examine the records of the case in a disciplinary proceeding held by an authority subordinate to it and after making further investigation, if necessary, revise any order passed in such a case and after consultation with the commission, where such consultation is necessary—

(a) confirm, modify or set aside the order;

(b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed by the order;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other anthority directing such further action or inquiry as it considers proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such orders as it deems fit;

Provided that :—

(i) an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been

---

‡ विज्ञप्ति नं० एफ० १६ (१) नियुक्ति (क)/५९ ग्रुप-३ दिनांक १० जनवरी १९६१ द्वारा 'Revision' के स्थान पर 'Review' प्रतिस्थापित किया गया।

given an opportunity of making a ny representation which he muy wish to make against such enhanced penalty;

(ii) if thc Appellate Authority proposes to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of rule 14 in a case where an inquiry under rule 16 has not been held, it shall, subject to the provisions of rule 19, dirtct such an inquiry to be held and thereafter on consideration of the proceedings of sıch inquiry and after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty, pass such orders as it deems fit;

(iii) no action under this rule shall be initiated more than 6 months after the date of order to be revised.

नियम—३२.

वह प्राधिकारी जिसको नियम १४ में वर्णित किसी दण्ड के विरुद्ध अपील हो सकती है, कोई अपील न होने की अवस्था में, अपने आप या अन्य प्रकार से, उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, आगे और अन्वेषण (तफतीश) करके ऐसे मामले में दी गई आज्ञा को संशोधित (revise) कर सकेगा और आयोग से परामर्श करने के बाद, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो—

(क) उस आज्ञा को पुष्ट, परिवर्तित या निरस्त कर सकेगा,

(ख) कोई भी दण्ड दे सकता है अथवा उस आज्ञा द्वारा दिये गये दण्ड को निरस्त, कम, पुष्ट या वर्धित कर सकेगा,

(ग) आज्ञा देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी आगे की कार्यवाही या जांच, जैसा वह उचित समझे; के लिये निर्देश के साथ वापस भेज सकेगा।

(घ) ऐसी आज्ञा दे सकेगा, जैसी वह उचित समझे;

परन्तु—

(१) कोई भी दण्ड देने या वर्धन करने को कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को वर्धित दण्ड दिये जाने के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह देना चाहे देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(२) यदि अपील-प्राधिकारी किसी मामले में नियम १४ के खंड (४) से (७) में वर्णित कोई दण्ड देना प्रस्तावित करे, जिसमें कि नियम १६ के अन्तर्गत जांच नहीं करली गई हो, तो नियम १९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, वह ऐसी जांच करने का निर्देश देगा और उसके

पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह करना चाहे, करने का एक अवसर देने के बाद जैसी आज्ञा वह उचित समझे पारित करेगा।

(३) इस नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही संशोधित की जाने वाली उस आज्ञा के दिनांक से छः माह बाद आरम्भ नही की जायेगी।

व्याख्या

१. परिचय
२. प्रारंभ
३. अभिलेख मंगाना व उसकी परीक्षा
४. आयोग से परामर्श
५. निर्णय
६. कालमर्यादा
७. आगे की कार्यवाही

१. परिचय—

इस नियम मे जैसा पहले बताया जा चुका है कि—पहले सशोधन या निगरानी (Revision) का प्रावधान था। यह केन्द्रीय नियम ३३ के समतुल्य है, परन्तु इसमे शब्द 'revise' तथा परन्तुक के अंत मे 'revised' का प्रयोग होने से यह अब भी सशोधन का ही प्रावधान है।

२. प्रारंभ—

इस नियम के अधीन पुनरीक्षा करने के लिए दो शर्तें हैं—

(१) कोई दण्ड दिया गया हो और,

(२) दण्डाज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नही की गई हो।

इस नियम के प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, किन्तु सरकार द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपील नही होती (नियम २१), अतः दूसरी शर्त पूरी नही होने से उन मामलो मे पुनरीक्षा इस नियम के अन्तर्गत नही होगी, वरन् अगले नियमो के अधीन होगी।

यह पुनरीक्षा उस प्राधिकारी के समक्ष होगी, जो उस व्यक्ति के लिए अपील-प्राधिकारी है, जिनका वर्णन नियम २३ मे किया गया है। यह प्राधिकारी स्वयमेव (Suo moto) या अन्य प्रकार से अर्थात् प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने पर इस नियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

३. अभिलेख मगाना व उसकी परीक्षा—

कार्यवाही के लिए पुनरीक्षा-प्राधिकारी उस मामले का अभिलेख मगायेगा, जिसमे कि नियम १४ मे वर्णित कोई दण्डाज्ञा दी गई हो। यद्यपि कोई नियम स्पष्ट रूप से कर्मचारी द्वारा पुनरीक्षा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं बताता, फिर भी इसे अपील की तरह माना जाकर उचित-माध्यम से भेजना चाहिए व अग्रिम प्रति सीधी पुनरीक्षा-प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी चाहिए।

अभिलेख प्राप्त होने पर पुनरीक्षा-प्राधिकारी उसकी परीक्षा (examination) करेगा कि—उसमे कोई प्रक्रिया का दोष, सवैधानिक प्रावधान का हनन, तथ्यो का प्रमाणित नही होना या दण्ड की मात्रा का उचित नहीं होना या सहज न्याय के सिद्धान्तों का कोई हनन तो नही हुआ है,

जिसके आधार पर दण्डाज्ञा में संशोधन (कमी या वृद्धि) या आगे पुनः जांच की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो, तो वह आवश्यक अन्वेषण (तफ्तीश) करने के बाद उस आज्ञा को संशोधित करेगा। इस नियम में वह स्वयं अन्वेषण करता है, अत: वह व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर प्रार्थी को देगा, यह न्यायोचित भी होगा।

४. आयोग से परामर्श—

पुनरीक्षा के प्रत्येक मामले में आयोग से परामर्श अनिवार्य माना गया है, परन्तु यह केवल पहली बार ही आवश्यक है। कई बार प्रार्थी एक के बाद दूसरी पुनरीक्षा पेश करता जाता है, तो ऐसे मामलों में हर बार आयोग से परामर्श नहीं लिया जावेगा। [1] ऐसे सरकारी निर्देश ‡ भी हैं। [विस्तृत विवेचन कृपया परिशिष्ट ख-(५) में देखियें]

५. निर्णय—

दण्ड के मामले में दी गई किसी आज्ञा (Any order) का निम्न प्रकार से प्राधिकारी संशोधन करेगा—

(१) उस आज्ञा को पुष्ट, निरस्त या संशोधित करेगा;

(२) कोई दण्ड भी दे सकेगा, या उस दण्डाज्ञा में दिए दण्ड को पुष्ट, निरस्त, कमी या वृद्धि कर सकेगा।

(३) उस मामले को आवश्यक निर्देश देते हुए दण्डाधिकारी को या किसी दूसरे प्राधिकारी को आगे कार्यवाही या जांच के लिए, उचित समझे तो, वापस भेज सकता है।

(४) जैसी वह उचित समझे, आज्ञा दे सकता है। इस प्रकार पुनरीक्षा-प्राधिकारी का विवेक व अधिकार दोनों विस्तृत व विशाल हैं, और न्याय के हित में हैं।

किन्तु दण्ड के वर्धन (बढाने enhancement) के लिए उसके अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के लिए परन्तुक मे दो शर्तें लगा दी गई हैं, जो संविधान के अनुच्छेद ३११ पर आधारित हैं:—

(१) उस दण्ड वृद्धि के विरुद्ध प्रभावित-कर्मचारी को, जो कुछ वह कहना चाहे, अभिवेदन करने का एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह केवल साधारण दण्ड के मामले मे ही लागु होगा।

(२) यदि वह अपील-प्राधिकारी कोई असाधारण दण्ड, जो नियम १४ के खण्ड से (४) (७) में वर्णित हैं, देने का प्रस्ताव करे, तो इसके लिए—

(क) यदि नियम १६ के अनुसार जांच नहीं हुई हो, तो नियम १९ के अधीन रहते हुए वह ऐसी जांच का निर्देश देगा। ससम्मान निवेदन है कि—यहां स्वयं जांच करने का उल्लेख नहीं है, जो अपील में नियम ३० के परन्तुक (३) में अपील-प्राधिकारी के लिये है। अत: वह स्वयं ऐसी जांच नहीं कर सकेगा।

ख　उस जांच की कार्यवाही पर विचार करेगा और

1. पी. जोजेफ जान बनाम ट्रावनकोर-कोचीन AIR 1955 SC 160

‡ विज्ञप्ति सं० १६ (७) नियुक्ति (क) ६० श्रे० ३.दि० ३१-७-६१

(ग) सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे वर्धित दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन, जैसा वह चाहे, करने का एक अवसर देगा।

इसके बाद जैसा वह प्राधिकारी उचित समझे, निर्णय देगा, इससे पहले नहीं।

६. कालमर्यादा—

जिस आज्ञा को संशोधित करना है, उसकी दिनांक से छः माह बाद इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपील की अवधि तीन माह की है और पुनरीक्षा की छः माह। अत. यदि समय मे वह अपील नहीं कर सके, तो वह पुनरीक्षा इस नियम के अधीन कर सकता है। परन्तु छः माह के बाद कोई प्रतिकार उसे नहीं मिल सकेगा; परन्तु उचित कारण बताने पर वह उच्चन्यायालय मे लेख-याचिका पेश कर सकेगा। लेख-याचिका के लिए एक मामले मे १८ माह (१½ वर्ष) की देरी को भी घातक नहीं माना गया है।[2] परन्तु इसके लिये ऐसी परिस्थितियाँ बतानी होगी।

७. आग की कार्यवाही—

इस पुनरीक्षा मे असफल हो जाने पर, यदि उचित कारण हो, तो नियम ३४ के अधीन राज्यपाल महोदय की सेवा मे पुनरीक्षा की जा सकती है—या—न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

सरकार द्वारा पुनरीक्षा

राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में दी गई आज्ञाओं की पुनरीक्षा

(Review of Orders in Disciplinary cases against the members of the State Services)

Rule—33.

The Government may, of its own motion or otherwise, call for tae reeords of the case in which an order imposing any of the penalties specified in rule 14 has been made against a member of the State Services, review any order passed in such a case and after consultation with the Commission where such consultation is necessary, pass such orders as it deems fit;

Provided that an order enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity

2. प० गोपीनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1953 J&K 11

of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty;

Provided further that no action under this rule shall be initiated more than three months after the date of the order to be reviewed.

†NOTE : This rule shall not apply in the case of a member of the Rajasthan Judicial Service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14, except the penalty of removal or dismissal from service; is made by the Administrative Judge or a Judge nominated by the Chief Justice of the High Court or where an order is made by the Committee of the Court in appeal.

नियम—३३.

सरकार अपने आप या अन्य प्रकार से, ऐसे मामले का अभिलेख मंगा सकती है, जिसमें कि नियम १४ में निर्दिष्ट कोई दण्ड देने की आज्ञा राज्य सेवाओं के किसी सदस्य के विरुद्ध दी गई हो, और ऐसे किसी मामले में दी गई आज्ञा की पुनरीक्षा कर सकती है औरजहां आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, आयोग से परामर्श के बाद ऐसी आज्ञा दे सकता है, जैसी वह उचित समझे।

परन्तु किसी दण्ड के वर्धन करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी वर्धित सजा के विरुद्ध अभिवेदन, जो वह करना चाहे, करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया हो;

परन्तु इस नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही उस पुनरीक्षित की जाने वाली आज्ञा की दिनांक से ३ माह के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी।

†टिप्पणी—यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा (R. J. S.) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिसे कि सेवा से निष्कासन या सेवाच्युति के दण्ड के अतिरिक्त नियम १४ मे वर्णित कोई अन्य दण्ड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो अथवा जहाँ न्यायालय की समिति ने अपील में कोई आज्ञा दी हो।

---

† एफ 3(1) Apptts (A) 60/Group III dated 16-9-60 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि० ६-१-६१ द्वारा संशोधित।

व्याख्या

१. परिचय—

राज्य सेवाओं के सदस्यो की दो श्रेणिया हैं —

(१) जिनकी नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है, और

(२) जिनकी नियुक्ति का अधिकार किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दिया गया है। प्रथम श्रेणी वालो को सब दण्ड सरकार ही दे सकती है, अत उसकी कोई अपील नही होगी (नियम २१); परन्तु उसकी पुनरीक्षा इस नियम मे हो सकेगी। दूसरी श्रेणी वालो को निष्कासन व सेवाच्युति का दण्ड सरकार ही दे सकती है, क्योकि नियुक्ति का अधिकार दिया जा सकता है, परन्तु निष्कासन का नही।[3] अत अन्य दण्ड नियुक्ति के प्रत्यायोजित अधिकार वाला प्राधिकारी दे सकता है, ऐसी दशा मे वे अपील सरकार को करेंगे और बाद मे पुनरीक्षा भी सरकार को इस नियम मे कर सकेंगे, क्योंकि यहा नियम ३२ की तरह यह प्रावधान नही है कि—"अपील नहीं की गइ हो, तो" पुनरीक्षा होगी।

२. प्रारम्भ—

यहा पुनरीक्षा 'सरकार' करेगी, जो वह स्वयमेव या प्रार्थी के आवेदन पर कर सकती है और ऐसे मामलो मे किसी भी आज्ञा की पुनरीक्षा हो सकेगी, जिसमे राज्य सेवा के किसी सदस्य को काई दण्ड दिया गया हो।

३. अभिलेख मंगाना व परीक्षा—

समस्त कार्यवाही नियम ३२ के समान की जावेगी, किन्तु अभिलेख की परीक्षा के बाद स्वय अन्वेषण करने का प्रावधान यहां नही है।

४. आयोग से परामर्श—

नियम ३२ के समान।

५. निर्णय—

यहा केवल नियम ३२ के खण्ड (घ) के समान प्रावधान है, जिसके अधीन सरकार जो उचित समझे, वह आज्ञा देगी। परन्तु इसका अर्थ यही है कि उस आज्ञा को पुष्ट करना, निरस्त करना या सशोधित (दण्ड म कमी या वृद्धि) करना ही समव है। दण्ड में वृद्धि के विरुद्ध यहां एक परन्तुक द्वारा केवल एक शर्त लगाई गई है कि—वर्धित दण्ड के विरुद्ध, जो चाहे वह, अभिवेदन करने का एक अवसर दिया जावेगा। यहां असाधारण दण्ड के लिये जाच, नोटिस आदि का उल्लेख नही है, फिर भी सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की अनुपालना मे ऐसा करना ही होगा और इसे इसी परन्तुक में "अभिवेदन के अवसर" का व्यापक अर्थ लेकर सम्मिलित करना होगा।

3. AIR 1933 PC 27

६. कालमर्यादा—

यहां पुनरीक्षित होने वाली आज्ञा के दिनांक से तीन माह बाद कोई कार्यवाही न करने का प्रावधान है।

७. आगे की कार्यवाही—

इस पुनरीक्षा के बाद राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनरीक्षा नियम ३४ के अधीन हो सकेगी या न्यायालय की शरण लेनी होगी।

८. अपवाद—

नियम के अन्त में दी गई टिप्पणी के अनुसार, राजस्थान न्यायिक सेवा (R.J.S.) के अधिकारियों को नियम ३३ व ३४ में दी गई पुनरीक्षा से एक सीमा तक वंचित कर दिया गया है। यदि उन्हें निष्कासन व सेवाच्युति का दण्ड दिया गया है, जो केवल सरकार ही दे सकती है, तो इन नियमों में क्रमशः सरकार व राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनरीक्षा हो सकेगी। अन्य दण्डों के मामलों में, जो प्रशासनिक न्यायाधीश या अपील में उच्चन्यायालय की समिति ने दिये हों, पुनरीक्षा नहीं होगी।

राज्यपाल द्वारा पुनरीक्षा

पुनरीक्षा के लिये राज्यपाल की शक्तियां

(GOVERNOR'S POWER TO REVIEW)

Rule—34.

Notwithstanding anything contained in these rules, the Governor may, on his own motion or otherwise, after calling for the records of the case review *any order* which is made or is appealable, under these rules, or the rules repealed by rule 35 and, after consultation with the Commission where such consultation is necessary :—

(a) confirm, modify or set aside the order;

(b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed by the order;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action or inquiry as he considers proper in the circumstances of the case; or

(d) pass any other order as he deems fit :

Provided that :—

(i) an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned, has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty,

(ii) if the Governor proposes to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of rule 14 in a case where an inquiry under rule 16 has not been held, he shall, subject to the provisions of rule 19, direct that such inquiry be held aud there after on consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the person concerned an opportunity of making any representations which he may wish to make against such penalty, pass such orders as he may deem fit.

† NOTE This rule shall not apply in the case of a member of the Rajasthan Judicial Service against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 14 except the penalty of removal and dismissal from service is made by the Administrative Judge or a Judge nominated by the Chief Justice of the High Court or where an order is made by the Committee of the Court in appeal

नियम—३४

इन नियमो मे किसी भी बात के होते हुये भी, राज्यपाल, स्वत या अन्य प्रकार से, किसी मामले का अभिलेख मगाने के बाद इन नियमो या नियम ३५ द्वारा निसरित किये गये नियमो के अधान किसी आज्ञा की, जो दी गई या अपील-योग्य है, पुनरीक्षा कर सकेगे और आयोग से परामर्श के बाद, जहा ऐसा परामर्श आवश्यक हो—

(क) उस आज्ञा को पुष्ट, परिवर्तित या निरस्त कर सकता है,

(ख) कोई भी दण्ड दे सकता है या उस आज्ञा मे दिये गये दण्ड को निरस्त कम, पुष्ट या वर्धित कर सकेगा,

(ग) आज्ञा देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास उस मामल की परिस्थितियो को देखते हुये ऐसी आगे की कार्यवाही या जाच, के निर्देश के साथ वापस भेज सकेगा, जैसा वह उचित समझे,

(घ) ऐसी अन्य कोई आज्ञा दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु—

(१) कोई दण्ड देने या वर्धन करने की कोई आज्ञा तब तक नही दी जायगी, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को वर्धित दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन जो वह देना चाहे, देने का अवसर नही दिया गया हो,

(२) यदि राज्यपाल किसी मामले में नियम १४ के खण्ड (४) से (७) में वर्णित कोई दण्ड देना प्रस्तावित करे, जिसमें कि नियम १६ के अन्तर्गत जांच नहीं करली गई हो, तो नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, वह ऐसी जांच की जाने का निर्देश देगा और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह करना चाहे, करने का एक अवसर देने के बाद जैसी आज्ञा वह उचित समझे, पारित करेगा।

†टिप्पणी—यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा (R. J. S.) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा, जिसे कि सेवा से निष्कासन या सेवाच्युति के दण्ड के अतिरिक्त नियम १४ में वर्णित कोई अन्य दण्ड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो अथवा जहां न्यायालय की समिति ने अपील में कोई आज्ञा दी हो।

व्याख्या

१. परिचय
२. आरम्भ
३. अभिलेख मगाना
४. आयोग से परामर्श
५. निर्णय
६. अपवाद
७. काल मर्यादा
८. आगे की कार्यवाही
९. महत्वपूर्ण निर्णय

१. परिचय—

राज्यपाल महोदय को पुनरीक्षा के असीमित अधिकार हैं। इन नियमों में चाहे कोई भी प्रावधान क्यों न हो, राज्यपाल उनका पालन किये बिना पुनरीक्षा करके आज्ञा दे सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद ३१० में वर्णित 'राज्यपाल के प्रसाद' पर आधारित है, परन्तु यह प्रसाद अनुच्छेद ३११ द्वारा सीमित कर दिया गया है और अनुच्छेद ३११ एक प्रकार से अनुच्छेद ३१० के परन्तुक के रूप में माना गया है[4]; अतः दण्ड देने के लिये निरंकुश अधिकार नहीं हैं, वरन् पुनरीक्षा करने के लिये ही है। यह नियम केन्द्रीय नियम ३२ के समतुल्य है, जहां राष्ट्रपति पुनरीक्षा करते हैं।

२. आरम्भ—

राज्यपाल महोदय स्वयमेव या प्रार्थी की प्रार्थना पर किसी भी आज्ञा को पुनरीक्षा कर सकते हैं। यहां शब्दावली "..........after calling for the record *of the case,*

4. AIR 1954 Nagpur 279; 1957 Patna 617; 1959 All 643; 1960 J&K 97 and 1958 SC 36.

† एफ ३ (१) नियुक्ति (क) ६० श्रे० ३ दिनांक १६-९-६० द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि० ६-१-६१ द्वारा संशोधित।

review *any order* which *is made* OR is appealable under these rules or the rules repealed by rule 35......" महत्वपूर्ण है और यह नियम ३२ व ३३ से सर्वथा भिन्न है। नियम ३२ मे शब्दावली—"........call for and examine the records of *the case in a disciplinary proceeding ....*, revise *any order passed in such a case* ...." का प्रयोग किया गया है और नियम ३३ में शब्दावली—"... call for the records of *the case in which an order imposing any of the penalties........*, review *any order passed in such a case* ......" का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि—पुनरीक्षा किसी भी आज्ञा की तीनों नियमों मे हो सकती है; परन्तु नियम ३२ मे 'अनुशासनिक कार्यवाही का मामला' होना आवश्यक है, जिसमे निलम्बन की आज्ञा, जाच के दाहरान दी गई कोई आज्ञा, भी सम्मिलित होगी। इसी प्रकार नियम ३३ मे जहा दण्डाज्ञा दी गई हो, उसी मामले मे किसी आज्ञा की पुनरीक्षा करने का प्रावधान स्पष्ट कर दिया है, परन्तु राज्यपाल के समक्ष पुनरीक्षा का क्षेत्र विस्तृत है। यहा इस नियम मे "record of the case" के आगे कोई विशेषण नही होने से **"उस मामले से"** तात्पर्य है, जिसकी आज्ञा की पुनरीक्षा चाही गई है। **"किसी आज्ञा"** (any order) को शब्द **'या'** (or) का दो बार प्रयोग करके व नये या पुराने नियमो को मिला करके चार रूप दे दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(१) किसी आज्ञा को जो इन नियमो मे दी गई है।
या (२) किसी आज्ञा को जो इन नियमो मे अपील योग्य है।
या (३) किसी आज्ञा को जो निरसित नियमों मे दी गई है।
या (४) किसी आज्ञा को जो निरसित नियमों मे अपील योग्य है।

अर्थात्—

(1) Any order which is made under these rules,
OR (2) Any order which is appealable under these rules,
OR (3) Any order which is made under old rules.
OR (4) Any order which is appealable under old rules,

इस प्रकार **"किसी आज्ञा"** (Any order) को बहुत व्यापक बना दिया गया है, जिसमें नियम १३, १६, १७, १८, १६, २१ २२, २८, ३०, ३२ व ३३ सब के अधीन दी गई आज्ञाओं की पुनरीक्षा हो सकती है।

इस प्रकार यह पुनरीक्षा व्यापक व विस्तृत है।

३. अभिलेख मंगाना—

इस नियम मे केवल अभिलेख मगाने का उल्लेख है, उसकी परीक्षा व अन्य अन्वेषण का उल्लेख नहीं है; किन्तु राज्यपाल महोदय अपने सतोष के लिये जैसा उचित समझें, कार्यवाही करने के बाद आज्ञा दे सकते हैं। शेष सब बातें नियम ३२ व ३३ के समान ही हैं।

४ आयोग से परामर्श—

नियम ३२ व ३३ के समान।

५. निर्णय—

जो उचित समझे, वह आज्ञा राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। इन नियम के प्रावधान नियम ३२ के समान ही हैं तथा दण्ड वृद्धि के लिये भी वही समान शर्तें यहां भी लागू हैं।

६. अपवाद—

राजस्थान न्यायिक सेवा (R. J. S.) के मामलों में नियम ३३ के समान व्यवस्था ही लागू होगी।

७. कालमर्यादा—

राज्यपाल महोदय द्वारा पुनरीक्षा करने के लिये कोई कालमर्यादा नहीं है। कभी भी पुनरीक्षा की जा सकती है।

८. आगे की कार्यवाही—

इस पुनरीक्षा की समाप्ति के साथ विभागीय प्रतिकारों का कानूनी द्वार बंद हो जाता है। इसके बाद दिये गये ज्ञापन केवल प्रशासनिक हैं, ऐसे न्याय व कानून से दूर के प्रतिकारों (extra-legal or extra-judicial remedies) में लगे समय के कारण विलम्ब से पेश की गई याचिका के लिये कालमर्यादा से छूट नहीं दी जा सकती।[5] अतः तुरन्त ही संवैधानिक-प्रतिकार के लिये न्यायालयों की शरण लेनी चाहिये।

९. महत्वपूर्ण निर्णय—

राज्यपाल महोदय दण्ड बढ़ाकर निष्कासित करने के लिये सक्षम है।[6] दण्ड को बढ़ाते समय उसे अनुच्छेद ३११ (२) का पालन करना होगा[7] अक्षम अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा पर राजप्रमुख की कोई अस्वीकृति नहीं थी (यानी—उनको एतराज नहीं था) इसे स्वीकृति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि नियमानुसार राजप्रमुख को ही उस आज्ञा की स्वीकृति देनी थी।[8] राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय में न्यायमूर्ति श्री भगवतीप्रसाद बेरी ने निर्णय दिया है कि—कार्य प्रणाली नियम ३१ (७) के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला मुख्य मंत्री और राज्यपाल के समक्ष आज्ञा से पहले पेश होना चाहिये; परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः जिस अधिकार को सुरक्षित रक्खा गया था, उसे किसी दूसरे अधिकारी द्वारा प्रयोग करना, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो; कानून के अनुसार नहीं है। इसी मत को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अपील में माना है।[9] पुनरीक्षा का अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग केवल राज्यपाल स्वयं ही करेंगे।[10]

इसी सम्बन्ध में सरकार ने निर्देश‡ दिये हैं कि—राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने वाले पुनरीक्षा के मामले कई बार सचिवालय स्तर पर ही निपटा दिये जाते हैं और बाद में कानूनी समस्यायें खड़ी हो जाती है। अतः (१) ऐसे पुराने मामले तभी पुनः खोले जावें, यदि प्रार्थी न्यायालय में जाकर वहां से कोई निर्देश प्राप्त कर लेता है और (२) भविष्य में नियम ३४ के प्रावधानों का पूर्णतः पालन कर मामले अन्तिम आज्ञा हेतु राज्यपाल महोदय की सेवामें प्रेषित किये जावें।

---

5. AIR 1954 Bom. 202
6. AIR 1955 Assam 240
7. AIR 1954 Madras 1043; AIR 1954 Assam 18
8. AIR 1954 Pepsu 98
9. श्रीपाल जैन काण्ड ILR (1961) II Raj. 536; AIR 1963 SC 1323
10. लौंगमल बनाम राज्य AIR 1967 Raj. 414

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२) नियुक्ति (क-२) ६७ दि० २०-१०-६७।

भाग (८) (PART VIII)

विविध व अस्थायी

(MISCELLANEOUS & TRANSITORY)

Rule—35

(1) The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1950, and any notification issued and orders made under any such rules to the extent to which they apply to the person to whom these rules apply and in so far as they relate to classification of Civil Services specified in the Schedule or confer powers to make appointments, impose penalties or entertain appeals are hereby repealed,

Provided that

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the rules, notifications and orders or anything done or action taken thereunder;

(b) any proceedings under the said rules notifications or orders pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of *as f may be* in accordance with the provisions of these rules

(2) Nothing in these rules shall operate to deprive any person to whom these rules apply of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notification or orders repealed by sub rule (1) in respect of any order passed before the commencement of these rules

(3) An appeal pending at or preferred after to commencement of these rules against an order made before such commencement shall be† passed, in accordance with these rules.

नियम—३५.

(१) राजस्थान असैनिक सेवाय (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम १९५० और इनमें से किन्ही नियमा के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें और दी गई आज्ञायें जिस सीमा तक कि वे उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जहा तक कि व अनुसूची म वर्णित असैनिक सेवाओ के वर्गीकरण से सम्बन्धित हैं अथवा नियुक्तिया करन, दण्ड दने या अपील विचाराथ लन के अधिकार प्रदान करते हैं, इन नियमा के द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

---

† मूल स छूट गय शब्द "passed" ता० १९-९-६१ को जोड गय।

परन्तु—

(क) ऐसा निरसन उन नियमों, अधिसूचनाओं और आज्ञाओं या उनके अन्तर्गत की गयी किसी कार्यवाही के पिछले प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा।

(ख) उन नियमों, अधिसूचनाओं अथवा आज्ञाओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाहियां, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय विचाराधीन हों, वे चालू रखी जायेंगी और यथासंभव इन नियमों के अनुसार निपटायी जायेंगी।

(२) इन नियमों की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि ये नियम लागू होते हों, उसे अपील के किसी अधिकार से वंचित नहीं कर सकेगी, जो कि इन नियमों के लागू होने के पहले से उपनियम (१) के द्वारा निरस्त किये गये नियमों, अधिसूचनाओं अथवा आज्ञाओं के अन्तर्गत उसे प्राप्त हो चुका था।

(३) इन नियमों के लागू होने के समय विचाराधीन अथवा वाद में प्रस्तुत की गई अपील पर जो कि किसी ऐसी आज्ञा के विरुद्ध हो जो कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व दी गई थी, इन नियमों के अनुसार विचार किया जाकर उन पर आज्ञायें पारित की जावेंगी।

Rule—36.

Where a doubt arises as to who is the Head of any Office or as to whether any authority is subordinate to or higher than any other authority or as to the interpretation of any of the provisions of these rules or their applicability, the matter shall be referred to the Government in the Appointments Department whose decision thereon shall be final.

नियम—३६.

जब कभी कोई ऐसा सन्देह उत्पन्न हो कि कार्यालयाध्यक्ष कौन है अथवा कोई प्राधिकारी किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन है अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से उच्चतर, अथवा इन नियमों के कोई प्रावधान या उनके लागू होने के विषय में मामला नियुक्ति विभाग में निहित सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

Rule—37,

Where an officer has not been appointed to any post in any of the integration schemes, he will continue to be governed by the rules applicable to him of the integrating unit of Rajasthan in which he held the last appointment.

नियम—३७.

जब कोई अधिकारी एकीकरण की किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह राजस्थान में सम्मिलित होने वाली उसी [illegible] (रियासत) पर लागू होने वाले नियमों से शासित होता रहेगा, जिसमें कि उसकी [illegible] नियुक्ति थी।

परिशिष्ट—(A)

अनुसूचियां

(SCHEDULES)

[देखिये नियम २ (झ) तथा तथा नियम (११)]

एक निवेदन

(१) ये अनुसूचियां नियम (११) के अधीन प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत समय समय पर परिवर्धित व संशोधित की जाती हैं।

(२) अनुसूची (क) व (ख) मे घोषित "विभागाध्यक्ष" व "कार्यालयाध्यक्ष" तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (G. F. & A. R.) व राजस्थान-सेवा नियम (R. S.R.) की अनुसूचियो मे वर्णित इन पदों में अन्तर है। उन नियमो में घोषित इन पदाधिकारियो को यदि इन नियमों मे अलग से घोषित नहीं किया गया हो, तो उन्हे अनुशासन-सम्बन्धी अधिकार नहीं होगे।

अनुसूची (क)

[SCHEDULE (A)]

१. सूची विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी

(LIST OF HEADS OE DEPARTMENT-CLASS I)

१. महा अधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)
२. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
३. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
[1]४. मुख्य अभियन्ता (विद्युत व यत्र)
५. मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ)
६. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई)
[2]७. आयुक्त, वाणिज्यिक कर
[3]८. निदेशक, उद्योग व रसद
९. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
१०. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
[4]११. आयुक्त, आबकारी, राजस्थान
१२. शिक्षा निदेशक
१३. निदेशक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवायें
[5]१४. निदेशक, खनिज व भूगर्भ
१५. निदेशक, कृषि एवं खाद्य आयुक्त, राजस्थान
[6]१६. संयुक्त विकास आयुक्त
१७. विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
१८. महानिरीक्षक, आरक्षी
१९. महानिरीक्षक, जेल

---

1. विज्ञप्ति सं० एफ० ३(१) नियुक्ति (क—३)६७ दि० १७-४-६७ द्वारा विलोपित ।
2. विज्ञप्ति सं० एफ० ३(१६) क क/६४ दि० १९-८-६४ द्वारा 'आयुक्त आबकारी व करारोपण' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं० एफ ३(१८) नियुक्ति–क/६१ तृतीय श्रेणी दि० २०-३-६२ द्वारा प्रति स्थापित
4. विज्ञप्ति सं० एफ० ३(१६) नियुक्ति क/६४ दि० १९-८-६४ द्वारा 'अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर व कृषि आयकर' के स्थान पर प्रति स्थापित ।
5. विज्ञप्ति सं० एफ ३(१८) नियुक्ति–क/६१ तृतीय श्रेणी दि० ७-६-६२ द्वारा सं० १४, २९ व ३१ विलोपित व पुनः संख्याबद्ध ।
6. विज्ञप्ति सं० एफ ३(१८) नियुक्ति–क/६१ दि० २०-३-६२ द्वारा उप विकास आयुक्त (वरिष्ठ) स्थान पर प्रतिस्थापित ।

२०. निरीक्षक, पंजीयन व मुद्रांक (स्टाम्प)
२१. जागीर आयुक्त
२२. श्रम आयुक्त
२३. विधि परामर्शी
२४. सदस्य औद्योगिक अधिकरण (Tribunal)
२५. पंजीयक, सहकारी समितियां
२६. आयुक्त, बन्दोबस्त
२७. निदेशक, यातायात
२८. निदेशक, मुद्रण व लेखन सामग्री (R.A.S. अधिकारी द्वारा पद धारण के दिनांक से)
२९. अपर निदेशक, शिक्षा
३०. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा
३१. निदेशक, राज्य बीमा
३२. आयुक्त, देवस्थान
३३. आयुक्त, चकबन्दी
३४. प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय
३५. मुख्य लेखाधिकारी, चम्बल परियोजना
३६. निदेशक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन
३७. अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल
३८. अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीकरण मण्डल
[7]३९. अपर महानिरीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोध
४०. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना
४१. द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
४२. निदेशक, नियोजन
[8]४३. आयुक्त, सहायता
[9]४४. निदेशक, अल्प बचत
[10]४५. निदेशक, उपनिवेश, हनुमानगढ़
[11]४६. विशेषाधिकारी, जांच, गृह (यातायात) विभाग—[तत्कालीन राजस्थान पथ परिवहन निगम या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मे प्रतिनियुक्ति के

7. सं० एफ ३(६) नियुक्ति—क/६२ श्रेणी ३ दि० २८-४-६२ द्वारा संशोधित।
8. सं० एफ ३(१६) नियुक्ति—क/६२ श्रेणी ३ दि० २०-८-५२ द्वारा स्थापित।
9. सं० एफ ३(१८) नियुक्ति—4/६१ श्रेणी ३ दि० ३१-७-६२ द्वारा निविष्ट।
10. सं० एफ ३(१५) नियुक्ति—क/६२ दि० १३-८-६२ द्वारा निविष्ट।
11. सं० एफ ३(१७) नियुक्ति—क/६३ श्रेणी ३ दि० १४-८-६३ द्वारा निविष्ट 'महाव्यवस्थापक, राजस्थान पथ परिवहन' को एफ ३(१) नियुक्ति (क—३)६७ दि० ५-४-६७ द्वारा हटाकर प्रतिस्थापित व दि० ७—११—६६ से प्रभावशील।

समय किसी राज्य कर्मचारी के कार्य या त्रुटि के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिये]

[12]४७. आयुक्त, विभागीय जांच

२. सूची विभागाध्यक्ष, अन्य प्रथम श्रेणी (LIST OF HEADS OF DEPARTMENT-OTHER THAN CLASS I)

१. अपर जागीर आयुक्त
२. निदेशक, आर्थिकी व सांख्यकी विभाग
३. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय
४. × × ×
५. अध्यक्ष, आयुर्वेदिक व यूनानी प्रणाली पंजीयन मंडल
६. सक्षम अधिकारी (निष्क्रांत सम्पत्ति)
७. × × ×
८. जिलाधीश
९. कमांडिंग आफीसर, एन०सी०सी०
१०. निदेशक, आयुर्वेद
११. निदेशक, स्थानीय निकाय
१२. निदेशक, जन सम्पर्क
१३. निदेशक, समाज कल्याण
१४. × × ×
१५. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
१६. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग
१७. अध्यक्ष, पुरातत्व मंदिर
१८. व्यवस्थापक, आयुर्वेदीय रसायन शाला
१९. प्रधानाचार्य, स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय
२०. प्रधानाचार्य, फोर्ड फाउन्डेशन ट्रेनिंग सेन्टर, छतरपुरा (कोटा)
२१. प्रधानाचार्य, एम०बी०एम० अभियांत्रिक महाविद्यालय, जोधपुर
२२. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय
२३. सचिव, नगर विकास न्यास
२४. विशेषाधिकारी, नगर विकास एवं शासन सचिव
२५. सचिव, लोक सेवा आयोग
२६. उपनिदेशक, भेड एवं ऊन

12. सं० एफ ३(३)नियुक्ति-क/६३ श्रेणी ३ दि० २७-४-६४ द्वारा निविष्ट एवं दि० ४-१-६० से प्रभावशील।

× × ×—विलोपित

२७. ×××
२८. अधीक्षक, आयुर्वेदिक अध्ययन
२९. प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा कालेज, बीकानेर
३०. प्रधानाचार्य, एस०के०एल० कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
३१. सरकारी विद्युत निरीक्षक—(वि०वि० आज्ञा सं० ID।7219।58F (5) F.D. (A) R।58 dated 22-1-1959 में वर्णित विषयों के लिये)
३२. ×××
३३. प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, उदयपुर
३४. विशेष शिक्षा अधिकारी, योजना–निम्न परियोजनाओं हेतुः–
    (क) बहु उद्देश्यीय स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल
    (ख) केन्द्रीय, समागीय व जिला पुस्तकालय
    (ग) समाज शिक्षा
३५. विशेषाधिकारी, राजस्थान कालेजेज
३६. उपायुक्त, कोलोनाइजेशन, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर।
३७. आयुक्त कोलोनाइजेशन, चम्बल परियोजना, कोटा
३८. ×××
३९. उप-शासन-सचिव, नियुक्ति—(एकक अभिलेख अधिकारी के हेतु)
४०. आयुक्त, वक्फ
४१. सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मंडल
४२. प्रधानाचार्य पोलीटेकनिक्स
४३. प्रधानाचार्य, अपर प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, सुमेरपुर
४४. निदेशक, सहायता एवं पुनर्वास
४५. निदेशक संस्कृत शिक्षा (दि० २२-३-५८ से)
४६. निदेशक, आर्थिक व औद्योगिक सर्वेक्षण
४७. निदेशक, मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग
४८. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक-कर एवं पदेन आचार्य वाणिज्यिक कर प्रशिक्षण विद्यालय
४९. प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव अर्धशासकीय जल मण्डल।

×××—विलोपित

अनुसूची (ख) कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम के भाग ३ व नियम १५(१) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के लिए लिपिकवर्गीय व चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के हेतु कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत किया गया उनकी सूची।‡

विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवायें		लिपिकवर्गीय सेवायें	
		कार्यालयाध्यक्ष	उच्चतर प्राधिकारी (Next higher Authority)	कार्यालयाध्यक्ष	उच्चतर प्राधिकारी (Next Higher Authority)
१	२	३	४	५	६
१. कृषि					
(क) बीज प्रजनन	मुख्यावास कार्यालय	उपनिदेशक (बीज प्रजनन)	निदेशक	उपनिदेशक (बी० प्र०)	निदेशक
	जिला कृषि कार्यालय	जिला कृषि अधिकारी	उपनिदेशक (बी० प्र०)	जि० कृ० प्र०	उपनिदेशक (बी० प्र०)
	फार्म	फार्म व्यवस्थापक	सम्बन्धित उपनिदेशक	सम्बन्धित उपनिदेशक	निदेशक
	कृषि विद्यालय	प्रधानाचार्य	"	प्रधानाचार्य	सम्बधित उपनिदेशक
(ख) पशुधन	कार्यालय उपनिदेशक	उपनिदेशक (पशुधन)	निदेशक	उपनिदेशक (पशुधन)	निदेशक
	कार्यालय पशुपालन अधि०	पशुपालन अधिकारी	उपनिदेशक (पशुधन)	"	"
	दुग्धशाला विकास शाखा	दुग्धशाला विकास अधि०	"	"	"
	पशु प्रजनन फार्म	प्रभारी अधीक्षक	"	"	"
	कुक्कुट शाला	प्रभारी अधिकारी	"	"	"
	गौशाला विकास शाखा	गौशाला विकास अधिकारी	"	"	"

‡ सं० एफ १८(२) नियुक्ति (क)।५६।श्रे० ३ दि० २२-२-६२ के अधीन राजस्थान राजपत्र भाग ४(ग) दि० २५-४-६२ पृष्ठ ६४ पर प्रकाशित।

१	२	३	४	५	६
	पशुधन विकास शाखा	पशुधन विकास अधिकारी	,,	,,	,,
	मत्स्यपालन	प्रभारी पर्यवेक्षक	,,	,	,,
	उपनिदेशक कार्यालय	उपनिदेशक (प० चि०)	निदेशक	उपनिदेशक (प० चि०)	निदेशक
(ग) पशु चिकित्सा समाग कार्यालय	(क) जयपुर (ख) जोधपुर	सम्बन्धित संभाग अधिकारी (श्रेणी २)	उपनिदेशक (प० चि०)	सम्बन्धित संभाग अधिकारी (श्रेणी २)	उपनिदेशक (प०चि०)
	पशुचिकित्सालय/औषधालय	प्रभारी पशु चिकित्सक	सम्बन्धित संभाग अधिकारी [श्रेणी २]	,,	,,
२. विमानन (Aviation)	केन्द्रीय कार्यालय	स्थलीय अभियन्ता	मुख्य विमान चालक	स्थलीय अभियन्ता	मुख्य विमान चालक
	कोटा कार्यालय—	,, ,, (कोटा)	,,	,, ,, (कोटा)	,,
३. †आयुर्वेद	मुख्यावास कार्यालय	उपनिदेशक	निदेशक	निदेशक	शासन सचिव
	कालेज व अनुसंधानशाला	प्रधानाचार्य.	,,	प्रधानाचार्य	निदेशक (आयुर्वेद)
	रसायन शाला	प्रभारी वैद्य	व्यवस्थापक	व्यवस्थापक	,,
	औषधालय (क) एवं यूनानी दवाखाना (क)	प्रभारी वैद्य/हकीम	उपनिदेशक	प्रभारी वैद्य/प्रभारी हकीम	,,
	औषधालय (ख, ग) एवं यूनानी दवाखाना (ख, ग)	निरीक्षक	उपनिदेशक	निरीक्षक	,,
४. पुरातत्व व संग्रहालय	केन्द्रीय कार्यालय	मुख्य अधीक्षक	शासन सचिव	मुख्य अधीक्षक	शासन सचिव
	वृत्त कार्यालय	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक
	संग्रहालय	संग्रहाध्यक्ष	वृत्तीय अधीक्षक	संग्रहाध्यक्ष	वृत्तीय अधीक्षक
				वृत्तीय अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक

	संग्रहालय	परिरक्षक	"	तृतीय अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक
	ज्योतिष वैधशाला जयपुर	पर्यवेक्षक	मुख्य अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	शासन सचिव
५. जनगणना—विभाग	केन्द्रीय कार्यालय	अधीक्षक	शासन सचिव	अधीक्षक	शासन सचिव
	कार्यालय उप अधीक्षक	उप अधीक्षक	अधीक्षक	उप अधीक्षक	अधीक्षक
६. प्रवास भवन‡ (Circuit House)	राजकीय प्रवास भवन जयपुर	अधीक्षक	*शासन सचिव GAD	अधीक्षक	शासन सचिव GAD
	प्रवास भवन उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, अलवर, बूंदी व आबू पर्वत	व्यवस्थापक	सम्बन्धित जिलाधीश	व्यवस्थापक	सम्बन्धित जिलाधीश
	बीकानेर हाउस, नई दिल्ली	व्यवस्थापक	शासन सचिव GAD	व्यवस्थापक	शासन सचिव GAD
७. §नागरिक रसद	मुख्यावास कार्यालय	अपर आयुक्त	खाद्य आयुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त, खाद्य
	जिला रसद कार्यालय	जिलाधीश	आयुक्त खाद्य	जिलाधीश	"
८. सहकारिता	केन्द्रीय कार्यालय	सहायक पंजीयक	उप पंजीयक (प्रशासन)	उप पंजीयक (प्रशासन)	पंजीयक
	कार्यालय सहायक पंजीयक	सहायक पंजीयक	सम्बन्धित उप पंजीयक	सहायक पंजीयक	उपपंजीयक [सम्बन्धित]

† सं० एफ १८(२७) नियुक्ति (क)५६ दि० २-६-५६ द्वारा निविष्ट ।
‡ नियुक्ति विभाग के क्रमांक एफ १६ (५) नियुक्ति (क)।५९ दि० २८-७-५९ द्वारा प्रतिस्थापित ।
* सं. एफ ३ (१९) नियुक्ति (क) ६१।श्रे. ३ दि० ७-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
§ सं. एफ ३ (२१) नियुक्ति (क–३) ६५ दि० ४-२-६६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

१	२	३	४	५	६
	शिक्षा कार्यालय	शिक्षा अधिकारी	,,	शिक्षा अधिकारी	,,
	प्रचार कार्यालय	प्रचार अधिकारी	,	प्रचार अधिकारी	,,
	निरीक्षक, सहायक-निरीक्षकों व लेखा परीक्षकों का स्टाफ	सहायक पंजीयक	,,	सहायक पंजीयक	,,
†१९. (क) वाणिज्यिक कर विभाग	मुख्यालय उपायुक्त (प्रशासन) कार्यालय	प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त (प्र०)	अपर आयुक्त	प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त (प्र०)	अपर आयुक्त
	उपायुक्त (अपील) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी व सहायक अधिकारी	उपायुक्त (अपील)	,,	उपायुक्त (अपील)	,,
		वाणिज्यिक कर अधिकारी/ सहायक वा०क०अ०, जो वा० क० अ० के मुख्यावास से अन्यत्र कार्यालयों में है	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उपायुक्त (प्र०)
	वाणिज्यिक कर प्रशिक्षण-विद्यालय	उपाचार्य	अपर आयुक्त एवं पदेन आचार्य	उपाचार्य	अपर आयुक्त एवं पदेन आचार्य
	चौकी (चेक पोस्ट)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उपायुक्त (प्र०)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उपायुक्त (प्र०)
	उड़नदस्ता	सहायक वा० कर अधिकारी (PF)	,,	सहायक वा० क० अधिकारी (PF)	,,
(ख) आबकारी	मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय	प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त (आबकारी)	आयुक्त	प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त आबकारी	आयुक्त ,,
	विभाग उपायुक्त (निरोधक)	उपायुक्त (निरोधक)	आयुक्त	उपायुक्त निरोधक	आयुक्त

विभाग	उपायुक्त (निरोधक) कार्यालय	उपायुक्त (निरोधक)	आयुक्त	उपायुक्त निरोधक	आयुक्त
	जिला आबकारी कार्यालय	जिला आबकारी अधिकारी	उप आयुक्त आबकारी	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त आबकारी
	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	सहायक आबकारी अधिकारी (जो जिला कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर हैं)	"	"	"
	कार्यालय सहायक/जिला आबकारी अधिकारी (निरोधक)	सहायक आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी (नि.)	उपायुक्त निरोधक	सहायक आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी (निरोधक)	उपायुक्त (निरोधक)
१०. धमार्थ–	मुख्यावास कार्यालय—क्षेत्र के सहायक अधीक्षक व निरीक्षक के स्टाफ।	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक
		"	"	"	"
११. शिक्षा विभाग	निदेशक कार्यालय	सहायक निदेशक	उपनिदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक शिक्षा
	उपनिदेशक	उपनिरीक्षक	उपनिदेशक (क्षेत्र)	उपनिदेशक (क्षेत्र)	"
	कार्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका	निरीक्षक/निरीक्षिका	"	निरीक्षक/निरीक्षिका	उपनिदेशक (क्षेत्र)

टिप्पणी—निम्न अधिकारी इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निरीक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं :—

(१) निरीक्षक, संस्कृत पाठ शालायें।
(२) प्रौढ शिक्षा अधिकारी।
(३) पंजीयक, विभागीय परीक्षायें।

†विज्ञप्ति सं० एफ ३(१५) नियुक्ति (क–३)६४ दि० २४–७–६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

१	२	३	४	५	६
	कार्यालय उपनिरीक्षक/ उपनिरीक्षिका	उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षिका	निरीक्षक/निरीक्षिका	उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षिका	निरीक्षक/निरीक्षिका
	टिप्पणी—निम्न अधिकारी इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ उपनिरीक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं :— (१) सगठन सचिव, बॉय स्काउट असोशिएशन । (२) अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा । (३) पर्यवेक्षक, बेसिक शिक्षा ।				
	कार्यालय सह-उपनिरीक्षक	सह उपनिरीक्षक	उपनिरीक्षक	उपनिरीक्षक	निरीक्षक
	प्रथम श्रेणी कालेज, या कालेज व संस्कृत कालेज—	संस्था के प्रधान	शासन सचिव, शिक्षा	संस्था के प्रधान	शासन सचिव, शिक्षा
	राजकीय इन्टर कालेज, अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, बीकानेर व सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर—	"	निदेशक	"	निदेशक
	नार्मल व ट्रेनिंग स्कूल	"	उपनिदेशक (क्षेत्र)	"	उपनिदेशक (क्षेत्र)
	उच्च विद्यालय व इसी स्तर के या निम्न स्तर के अन्य विद्यालय	संस्था प्रधान	निरीक्षक	संस्था प्रधान	निरीक्षक
	मुख्यावास कार्यालय आयुर्वेदीय शिक्षा	अधीक्षक	शासन सचिव	अधीक्षक	शासन सचिव
	राजकीय आयुर्वेदिक महा विद्यालय	प्रधानाचार्य	अधीक्षक आयुर्वेद शिक्षा	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेद शिक्षा
				म अधिकारी	निदेशक

	पुस्तकालय 'क' श्रेणी	प्रभारी अधिकारी	निदेशक	प्रभारी अधिकारी	निदेशक
	अन्य पुस्तकालय	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	क्षेत्र के उपनिदेशक	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	क्षेत्र के उपनिदेशक
	पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल	सचिव, पा. रा. मण्डल	शासन सचिव, शिक्षा	सचिव, पा. रा. मण्डल	शासन सचिव, शिक्षा
१२. निर्वाचन विभाग	मुख्यावास कार्यालय	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधि०
	जिला कार्यालय	जिलाधीश†	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मंडल का सदस्य†	जिलाधीश†	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मंडल का सदस्य†
	कार्यालय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी	निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी	जिलाधीश	जिलाधीश	"
१३ (क) विद्युत‡ निरीक्षणालय	मुख्यावास कार्यालय	सहायक विद्युत निरीक्षक	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	विद्युत निरीक्षक
	संभाग कार्यालय	सहायक विद्युत निरीक्षक	"	सहायक विद्युत निरीक्षक	"
(ख) जलप्रदाय	जलप्रदाय विभाग, जयपुर, बीकानेर व कोटा	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता जयपुर व बीकानेर	अधीक्षक अभियन्ता जयपुर व बीकानेर	अधिशासी अभियन्ता, जयपुर व बीकानेर	अधीक्षक अभियन्ता, जयपुर व बीकानेर।
		प्रभारी सहायक अभियन्ता, कोटा	अधिशासी अभियन्ता, कोटा	सहायक अभियन्ता, कोटा	अधिशासी अभियन्ता, कोटा
१४ निष्क्रांत सम्पति प्रशासन	केन्द्रीय कार्यालय	सहायक परिरक्षक (प्रशासन)	परिरक्षक	सहायक परिरक्षक (प्रशासन)	परिरक्षक
	कार्यालय उप परिरक्षक	उप-परिरक्षक	"	उप-परिरक्षक	"
	कार्यालय सहायक परिरक्षक	सहायक परिरक्षक	जिला उप-परिरक्षक	सहायक परिरक्षक	जिला परिरक्षक

† सं० एफ ३(१६) नियुक्ति (क)/६१/ग्रे० ३ दि० ७-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

‡ एफ ३ (१) नियुक्ति (क-३) ६७ दि० १२-४-६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

१	२	३	४	५	६
१५ खाद्य विभाग	मुख्यावास कार्यालय विभागीय खाद्य सहायक कार्यालय	विशेषाधिकारी, खाद्य	खाद्य-आयुक्त	विशेषाधिकारी, खाद्य	खाद्य आयुक्त
		खाद्य सहायक	विशेषाधिकारी	"	"
	खाद्य सरक्षण शाखा	पौध सरक्षण अधिकारी	खाद्य आयुक्त	पौध संरक्षण अधिकारी	"
१६ (१) वन विभाग	मुख्यावास कार्यालय	वन उपयोग अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक	वन उपयोग अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक
	वृतीय कार्यालय	वन सरक्षक	"	वन संरक्षक	"
	मण्डल कार्यालय	मण्डल वन अधिकारी	वन सरक्षक	मण्डल वन अधिकारी	वन संरक्षक
	उप मण्डल कार्यालय	उप मण्डल वन अधिकारी	मण्डल वन अधिकारी	उप मण्डल वन अधिकारी	मण्डल वन अधिकारी
	क्षेत्रीय व शाखा कार्यालय	संभाग वन अधिकारी	उप मण्डल वन अधिकारी	"	"
	वन-विद्यालय, कोटा	निदेशक	मुख्य वन संरक्षक	निदेशक	मुख्य वन संरक्षक
	वन्य जीवन सरक्षण शाखा	प्रभारी अधिकारी-अर्थात् शिकार रक्षक, सहायक शिकार रक्षक वरिष्ठ/कनिष्ठ शिकार परिवेक्षक	वृतीय वन संरक्षक	वृतीय वन सरक्षक	"
(२) वन बन्दोबस्त	मुख्यालय	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मुख्य वन सरक्षक	वन बन्दोबस्त अधिकारी	"
	मण्डल कार्यालय	मण्डल वन बन्दोबस्त अधिकारी	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मण्डल वन बन्दोबस्त अधिकारी	"
१७* मोटर गैरज विभाग	(i) केन्द्रीय गैरेज व वर्कशाप, जयपुर	मुख्य अधीक्षक	निदेशक, यातायात	मुख्य अधीक्षक (केवल लघु व उच्च लिपिकों के लिए)	निदेशक, यातायात
					-

	(ii) स्टेट गैरेज, *उदयपुर	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	"	"
१८. राजकीय मुद्रण व स्टेशरी विभाग	मुख्यावास कार्यालय केन्द्रीय स्टेशनरी स्टोर सहित	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	शासन सचिव	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	शासन सचिव
	राजकीय मुद्रणालय	प्रभारी अधिकारी	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	प्रभारी अधिकारी	निदेशक, मुद्रण व लेखन सामग्री
१९. उद्योग व वाणिज्य विभाग	मुख्यालय	उपनिदेशक	निदेशक	उपनिदेशक	निदेशक
	क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालय	उपनिदेशक	"	"	"
	कार्यालय अधीक्षक, उद्योग	प्रभारी अधीक्षक	जयपुर क्षेत्र के लिए निदेशक व सम्बन्धित क्षेत्र के उपनिदेशक	प्रभारी अधीक्षक	जयपुर के लिये निदेशक व सम्बन्धित क्षेत्र के उपनिदेशक
	गृह उद्योग केन्द्र भेड़ ऊन विकास, क्रय-विक्रय, नमक,	"	निदेशक	"	निदेशक
	ग्रामगृह शाखायें—	प्रभारी अधिकारी	"	प्रभारी अधीक्षक	"
	निर्माण उद्योगों की गणना शाखा—	सहायक निदेशक (सांख्यकी)	"	सहायक निदेशक	"
२०. सार्वजनिक निर्माण विभाग	मुख्यालय—	मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियंता के तकनीकी सहायक	मुख्य अभियंता
	वृत्तीय कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता	"	अधीक्षक अभियंता	"

* सं०एफ ३ (२) नियुक्ति (क-३)/६२दि० ७-३-६२ द्वारा प्रतिस्थापित

१	२	३	४	५	६
१५ खाद्य विभाग	मुख्यावास कार्यालय	विशेषाधिकारी, खाद्य	खाद्य-आयुक्त	विशेषाधिकारी, खाद्य	खाद्य आयुक्त
	विभागीय खाद्य सहायक कार्यालय	खाद्य सहायक	विशेषाधिकारी	"	"
	खाद्य सरक्षण शाखा	पौध सरक्षण अधिकारी	खाद्य आयुक्त	पौध सरक्षण अधिकारी	"
१६ (१) वन विभाग	मुख्यावास कार्यालय	वन उपयोग अधिकारी	मुख्य वन सरक्षक	वन उपयोग अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक
	वृतीय कार्यालय	वन सरक्षक	"	वन सरक्षक	"
	मण्डल कार्यालय	मण्डल वन अधिकारी	वन सरक्षक	मण्डल वन अधिकारी	वन सरक्षक
	उप मण्डल कार्यालय	उप मण्डल वन अधिकारी	मण्डल वन अधिकारी	उप मण्डल वन अधिकारी	मण्डल वन अधिकारी
	क्षेत्रीय व शाखा कार्यालय	संभाग वन अधिकारी	उप मण्डल वन अधिकारी	"	"
	वन-विद्यालय, कोटा	निदेशक	मुख्य वन सरक्षक	निदेशक	मुख्य वन सरक्षक
	वन्य जीवन सरक्षण शाखा	प्रभारी अधिकारी-अर्थात् शिकार रक्षक, सहायक शिकार रक्षक वरिष्ठ/कनिष्ठ शिकार परिवेक्षक	वृतीय वन संरक्षक	वृतीय वन सरक्षक	"
(२) वन बन्दोबस्त	मुख्यालय	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मुख्य वन सरक्षक	वन बन्दोबस्त अधिकारी	"
	मण्डल कार्यालय	मण्डल वन बन्दोबस्त अधिकारी	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मण्डल वन बन्दोबस्त अधिकारी	"
१७* मोटर गैरेज विभाग	(i) केन्द्रीय गैरेज व वर्कशाप, जयपुर	मुख्य अधीक्षक	निदेशक, यातायात	मुख्य अधीक्षक (केवल लघु व उच्च लिपिकों के लिए)	निदेशक, यातायात
					-

विभाग	कार्यालय				
	(ii) स्टेट गैरेज, *उदयपुर	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	"	"
१८. राजकीय मुद्रण व स्टेशरी विभाग	मुख्यावास कार्यालय केन्द्रीय स्टेशनरी स्टोर सहित	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	शासन सचिव	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	शासन सचिव
	राजकीय मुद्रणालय	प्रभारी अधिकारी	निदेशक, मुद्रण व लेखन-सामग्री	प्रभारी अधिकारी	निदेशक, मुद्रण व लेखन सामग्री
१९. उद्योग व वाणिज्य विभाग	मुख्यालय	उपनिदेशक	निदेशक	उपनिदेशक	निदेशक
	क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालय	उपनिदेशक	"	"	"
	कार्यालय अधीक्षक, उद्योग	प्रभारी अधीक्षक	जयपुर क्षेत्र के लिए निदेशक व सम्बन्धित क्षेत्र के उपनिदेशक	प्रभारी अधीक्षक	जयपुर के लिये निदेशक व सम्बन्धित क्षेत्र के उपनिदेशक
	गृह उद्योग केन्द्र मेढ़ ऊन विकास, क्रय-विक्रय, नमक,	"	निदेशक	"	निदेशक
	पामगुड़ शाखायें—	प्रभारी अधिकारी	"	प्रभारी अधीक्षक	"
	निर्माण उद्योगों की गणना शाखा—	सहायक निदेशक (सांख्यकी)	"	सहायक निदेशक	"
२०. सार्वजनिक निर्माण विभाग	मुख्यालय—	मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियंता के तकनीकी सहायक	मुख्य अभियंता
	वृत्तीय कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता	"	अधीक्षक अभियंता	"

* सं०एफ ३ (३) नयुक्ति (क-३)/६२वि० ७-३-६२ द्वारा प्रतिस्थापित

१	२	३	४	५	६
(सिंचाई)	मण्डल कार्यालय उपमण्डल कार्यालय	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता अधिशासी अभियंता

टिप्पणी—मुख्य विकास अभियन्ता, कोटा के अधीनस्थ परियोजना से सम्बन्धित स्थापन के बारे मे उपर्युक्त अधिकार-प्रदत्तीकरण समान रूप से लागू होगा।

१	२	३	४	५	६
†सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	राजस्थान नहर मण्डल	सहायक सचिव, राजस्थान नहर मण्डल	सचिव, राजस्थान नहर मण्डल	सहायक सचिव, राजस्थान नहर मण्डल	सचिव, राजस्थान नहर मण्डल
२१. सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)	मुख्यालय	मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक अधीक्षक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता ”	मुख्य अभियंता के तकनीकी सहायक अधीक्षक अभियंता	मुख्य अभियंता ”
	वृत्तीय कार्यालय स्वास्थ्य वृत्त सम्भाग कार्यालय उपक्षेत्र कार्यालय तहसीलदार बीकानेर	” अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता तहसीलदार	” अधीक्षक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता ”	” अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता तहसीलदार	” अधीक्षक अभियंता अधिशासी अभियंता ”
	विशेषाधिकारी, ग्राम जल प्रदाय, बीकानेर उद्यान कार्यालय कार्यालय अधीक्षक उद्यान	विशेषाधिकारी उद्यान अधिकारी अधीक्षक	” मुख्य अभियन्ता उद्यान अधिकारी	विशेषाधिकारी उद्यान अधिकारी अधीक्षक	” मुख्य अभियंता उद्यान अधिकारी

२२. कारागार (जेल)	मुख्यालय	महानिरीक्षक कारागार के निजी सचिव	उप-महानिरीक्षक	उप-महानिरीक्षक	महानिरीक्षक
	केन्द्रीय कारागृह	अधीक्षक प्रभारी	महानिरीक्षक	अधीक्षक प्रभारी	,,
	अन्य कारागृह व उप-कारागृह (Lock up)	प्रभारी अधिकारी	उप-महानिरीक्षक	प्रभारी अधिकारी	उप-महानिरीक्षक
	कार्यालय, निदेशक जेल-उद्योग	निदेशक	महानिरीक्षक	निदेशक	महानिरीक्षक
२२. न्यायिक (व्यवहार व सत्र न्यायालय)	जिला एवं सत्र न्यायालय व अपर जिला व सत्र न्यायालय—	जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश	उच्च न्यायालय	जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश	उच्च न्यायालय
	न्यायालय व्यवहार एवं अपर सत्र न्यायाधीश—	व्यवहार एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश	व्यवहार एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश
	व्यवहार न्यायालय	व्यवहार न्यायाधीश	,,	व्यवहार न्यायाधीश	,,
	मुन्सिफ न्यायालय	मुन्सिफ	,,	मुन्सिफ	,,
	विशेष न्यायालय	विशेष न्यायाधीश	,,	विशेष न्यायाधीश	,,
२४. श्रम विभाग	मुख्यालय‡	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त
	मुख्य निरीक्षक कारखाना व वाष्पक राजस्थान, जयपुर	निरीक्षक (मुख्यालय)	मुख्य निरीक्षक	निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक

·· सं० डी१४०३९/५९ एफ १८(२२) नियुक्ति (क)५९ दि० १२-११-५९ द्वारा निविष्ट।

‡ सं० डी० ६३३७-६० एफ १६(३) नियुक्ति (क)/६० दि० ९-६-६० द्वारा प्रतिस्थापित।

१	२	३	४	५	६
	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय—	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त श्रम अधिकारी	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन) क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त श्रम अधिकारी	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन) क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त
	श्रम कार्यालय				
	जिला कार्यालय निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्पक	निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक
२५. नियोजन सेवा (Employment Service)	*मुख्यालय	उपनिदेशक, नियोजन	निदेशक, नियोजन	उपनिदेशक, नियोजन	निदेशक, नियोजन
	उप-क्षेत्रीय नियोजनालय	उप-क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी	उपनिदेशक	उप-क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी	उपनिदेशक
	जिला नियोजनालय	जिला नियोजन अधिकारी	,,	जिला नियोजन अधिकारी	,,
२६. स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय निकाय)	मुख्यालय	सहायक निदेशक, स्था. नि.	निदेशक, स्थानीय निकाय	सहायक निदेशक, स्था. नि.	निदेशक, स्था. नि.
	क्षेत्रीय निरीक्षक कार्यालय	क्षेत्रीय निरीक्षक	सहायक निदेशक	क्षेत्रीय निरीक्षक	सहायक निदेशक
२७. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	केन्द्रीय निदेशालय	सम्बन्धित उपनिदेशक	निदेशक	सम्बन्धित उपनिदेशक	निदेशक
	चिकित्सालय, P.M.O. के अधीन	अधीक्षक (जहां हो) या प्रधान चिकित्सा अधिकारी (P.M.O.)	प्रधान चिकित्सा अधि० या निदेशक	प्रधान चिकित्सा अधि०	निदेशक

* चिकित्सा

चिकित्सालय, अधीक्षक के अधीन	अधीक्षक	उपनिदेशक चिकित्सा भंडार व चिकित्सालय	अधीक्षक	उपनिदेशक चिकित्सा भंडार व चिकित्सालय
विभागीय कार्यालय व भंडारों के क्षेत्रीय डिपो	स्वास्थ्य अधिकारी या सहायक स्वा० अ० सहायक निदेशक से सम्बद्ध	विभागीय सहायक निदेशक	विभागीय सहायक निदेशक	उपनिदेशक (जन स्वास्थ्य व ग्राम चिकित्सा सहायता)
जिला कार्यालय	जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी	‡उप निदेशक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवायें (प्रशासन)	जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी	‡उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (प्रशासन)
चिकित्सालय, आतुरालय आदि अन्य चिकित्सा या स्वास्थ्य संस्थायें	प्रभारी अधिकारी	जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी
क्षय चिकित्सा केन्द्र	प्रांतीय क्षय अधिकारी	उपनिदेशक, (जन स्वास्थ्य व ग्राम चिकित्सा सहायता)	प्रांतीय क्षय अधिकारी	उपनिदेशक (जनस्वास्थ्य व ग्राम चिकित्सा सहायता)
केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	मुख्य जन विश्लेषक	,,	मुख्य जन विश्लेषक	,,
विभागीय प्रयोगशालायें	विभागीय सहायक निदेशक	उपनिदेशक, जनस्वास्थ्य व ग्राम चिकित्सा सहायता	विभागीय सहायक निदेशक	,,
				,,

* सं० एफ १६(१२) नियुक्ति (क)/५६ दि० १८-१२-६० द्वारा प्रतिस्थापित।

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(९) नियुक्ति (क-३)/६० दि० २३-३-६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

१	२	३	४	५	६
	स्वास्थ्य विद्यालय	महिला अधीक्षक	विभागीय सहायक निदेशक	,,	,,
	चिकित्सा महाविद्यालय	प्रधानाचार्य	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
†१८. खनिज व भूगर्भ	मुख्यालय	संयुक्त निदेशक (प्रशा०)	निदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशा०)	निदेशक
	विभागीय कार्यालय	खनिज अभियता	स० निदेशक (प्रशा०)	खनिज अभियता	स० निदेशक (प्रशा०)
	उपमंडल कार्यालय	सहायक खनिज अभियता	खनिज अभियता	सहायक खनिज अभियता	खनिज अभियता (विभाग)
	पलाना कोयला खान, बीकानेर—	खान अभियता	स० निदेशक (प्रशा०)	खान अभियता	स० निदेशक (प्रशा०)
*२९. जन सम्पर्क विभाग	(१) मुख्यालय	सहायक निदेशक	अपर निदेशक	सहायक निदेशक (कनिष्ठ लिपिक हेतु)	अपर निदेशक
				अपर निदेशक (कनिष्ठ लिपिक से उच्च के लिये)	निदेशक
	(२) अधीनस्थ कार्यालय	जन-सम्पर्क अधिकारी व प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र	,,	(१) जन-सम्पर्क अधि० (क० लि० हेतु)	अपर निदेशक
				(२) प्रभारी अधिकारी सूचना केन्द्र (क० लि० हेतु)	,,
				(३) अपर निदेशक (क० लि० से ऊपर)	निदेशक
३०. आरक्षी	§मुख्यालय (पुलिस)	सहायक महा निरीक्षक आरक्षी (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	सहायक महा-निरीक्षक (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)

क्षेत्रीय कार्यालय Ranges	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी	क्षेत्रीय महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी
जिला अधीक्षक व पुलिस पंक्ति (लाइन्स)	अधीक्षक	उप-महा-निरीक्षक	अधीक्षक	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक
उप-अधीक्षक या निरीक्षकों के अधीन वृत्त	प्रभारी अधिकारी	जिला अधीक्षक आरक्षी	जिला अधिकारी आरक्षी	"
पुलिस थाना व चौकी	"	वृत्त का प्रभारी अधिकारी	"	"
गुप्तचर विभाग (C.I.D. & I.B)				
(क) मुख्यालय	अधीक्षक आरक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक आरक्षी (गुप्तचर)	अधीक्षक आरक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक आरक्षी (गुप्तचर)
(ख) क्षेत्रीय	प्रभारी अधिकारी	"	प्रभारी अधिकारी	"
पुलिस प्रशिक्षणालय	"	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	"	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)
क्षेत्रीय प्रशिक्षणालय	"	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	"	क्षेत्रीय उप-महा-निरी०
बेतार का तार	"	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	"	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)

† विज्ञप्ति सं० एम ३(i) नियुक्ति-(क-३)/६७ दि० २८-२-६७ द्वारा प्रतिस्थापित ।

* क्रमांक एफ ३(४) नियुक्ति (क) ३/६५ दि० २२-४-६५ द्वारा प्रतिस्थापित ।

§ विज्ञप्ति सं० ८७४२४/६०/एफ १६(२) नियुक्ति (क)/६० दि० २-६-६० द्वारा प्रतिस्थापित ।

‡ विज्ञप्ति सं० ३(७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित व दि० २०-४-६६ से प्रभावशील ।

† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि० ३०-४-६६ से प्रभावशील ।

१	२	३	४	५	६
			विभागीय सहायक निदेशक	"	"
	स्वास्थ्य विद्यालय	महिला अधीक्षक	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
	चिकित्सा महाविद्यालय	प्रधानाचार्य		संयुक्त निदेशक (प्रशा०)	निदेशक
†२८. खनिज व भूगर्भ	मुख्यालय विभागीय कार्यालय उपमंडल कार्यालय पलाना कोयला खान, बीकानेर—	संयुक्त निदेशक (प्रशा०) खनिज अभियंता सहायक खनिज अभियंता खान अभियता	निदेशक सं० निदेशक (प्रशा०) खनिज अभियता सं० निदेशक (प्रशा०)	खनिज अभियंता सहायक खनिज अभियंता खान अभियता	सं० निदेशक (प्रशा०) खनिज अभियंता (विभाग) सं० निदेशक (प्रशा०)
					अपर निदेशक
*२९. जन सम्पर्क विभाग	(१) मुख्यालय	सहायक निदेशक	अपर निदेशक	सहायक निदेशक (कनिष्ठ लिपिक हेतु) अपर निदेशक (कनिष्ठ लिपिक से उच्च के लिये)	निदेशक
	(२) अधीनस्थ कार्यालय	जन-सम्पर्क अधिकारी व प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र	"	(१) जन-सम्पर्क अधि० (क० लि० हेतु) (२) प्रभारी अधिकारी सूचना केन्द्र (क० लि० हेतु) (३) अपर निदेशक (क० लि० से ऊपर)	अपर निदेशक " निदेशक
३०. आरक्षी	§मुख्यालय (पुलिस)	सहायक महा-निरीक्षक आरक्षी (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	सहायक महा-निरीक्षक (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)

-निरीक्षक आरक्षी

क्षेत्रीय कार्यालय Ranges	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक भारक्षी	क्षेत्रीय महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक भारक्षी
जिला अधीक्षक व पुलिस पंक्ति (लाइन्स)	अधीक्षक	उप-महा-निरीक्षक	अधीक्षक	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक
उप-अधीक्षक या निरीक्षकों के अधीन वृत्त	प्रभारी अधिकारी	जिला अधीक्षक भारक्षी	जिला अधिकारी भारक्षी	,,
पुलिस थाना व चौकी	,,	वृत्त का प्रभारी अधिकारी	,,	,,
गुप्तचर विभाग (C.I.D. & I.B)				
(क) मुख्यालय	अधीक्षक भारक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक भारक्षी (गुप्तचर)	अधीक्षक भारक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक भारक्षी (गुप्तचर)
(ख) क्षेत्रीय	प्रभारी अधिकारी	,,	प्रभारी अधिकारी	,,
पुलिस प्रशिक्षणालय	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)
क्षेत्रीय प्रशिक्षणालय	,,	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	,,	क्षेत्रीय उप-महा-निरी०
बेतार का तार	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)

† विज्ञप्ति सं० एम ३(i) नियुक्ति-(क-३)/६७ दि० २८-२-६७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
* क्रमांक एफ ३(४) नियुक्ति (क)३/६५ दि० २२-४-६५ द्वारा प्रतिस्थापित ।
§ विज्ञप्ति सं० ८७४२४/६०/एफ १६(२) नियुक्ति (क)/६० दि० २-६-६० द्वारा प्रतिस्थापित ।
‡ विज्ञप्ति सं० ३(७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित व दि० २०-४-६६ से प्रभावशील ।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि० ३०-४-६६ से प्रभावशील ।

१	२	३	४	५	६
	स्वास्थ्य विद्यालय	महिला अधीक्षक	विभागीय सहायक निदेशक	,,	,,
	चिकित्सा महाविद्यालय	प्रधानाचार्य	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
†२८. खनिज व भूगर्भ	मुख्यालय	संयुक्त निदेशक (प्रशा०)	निदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशा०)	निदेशक
	विभागीय कार्यालय	खनिज अभियंता	सं० निदेशक (प्रशा०)	खनिज अभियंता	सं० निदेशक (प्रशा०)
	उपमंडल कार्यालय	सहायक खनिज अभियंता	खनिज अभियंता	सहायक खनिज अभियंता	खनिज अभियंता (विभाग)
	पलाना कोयला खान, बीकानेर—	खान अभियंता	सं० निदेशक (प्रशा०)	खान अभियंता	सं० निदेशक (प्रशा०)
*२९. जन सम्पर्क विभाग	(१) मुख्यालय	सहायक निदेशक	अपर निदेशक	सहायक निदेशक (कनिष्ठ लिपिक हेतु)	अपर निदेशक
				अपर निदेशक (कनिष्ठ लिपिक से उच्च के लिये)	निदेशक
	(२) अधीनस्थ कार्यालय	जन-सम्पर्क अधिकारी व प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र	,,	(१) जन-सम्पर्क अधि० (क० लि० हेतु)	अपर निदेशक
				(२) प्रभारी अधिकारी सूचना केन्द्र (क० लि० हेतु)	,,
				(३) अपर निदेशक (क० लि० से ऊपर)	निदेशक
३०. आरक्षी	§मुख्यालय (पुलिस)	सहायक महा-निरीक्षक आरक्षी (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	सहायक महा-निरीक्षक (सैन्य)	‡अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)
	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी	क्षेत्रीय महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी

क्षेत्रीय कार्यालय Ranges	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी	क्षेत्रीय महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक आरक्षी
जिला अधीक्षक व पुलिस पंक्ति (लाइन्स)	अधीक्षक	उप-महा-निरीक्षक	अधीक्षक	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक
उप-अधीक्षक या निरीक्षकों के अधीन वृत्त	प्रभारी अधिकारी	जिला अधीक्षक आरक्षी	जिला अधिकारी आरक्षी	,,
पुलिस थाना व चौकी	,,	वृत्त का प्रभारी अधिकारी	,,	,,
गुप्तचर विभाग (C.I.D. & I.B)				
(क) मुख्यालय	अधीक्षक आरक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक आरक्षी (गुप्तचर)	अधीक्षक आरक्षी (स्थापन प्रभारी)	उप-महा-निरीक्षक आरक्षी (गुप्तचर)
(ख) क्षेत्रीय	प्रभारी अधिकारी	,,	प्रभारी अधिकारी	,,
पुलिस प्रशिक्षणालय	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)
क्षेत्रीय प्रशिक्षणालय	,,	क्षेत्रीय उप-महा-निरीक्षक	,,	क्षेत्रीय उप-महा-निरी०
बेतार का तार	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)	,,	†अपर महा-निरीक्षक (सैन्य)

† विज्ञप्ति सं० एम ३(i) नियुक्ति-(क-३)/६७ दि० २८-२-६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

* क्रमांक एफ ३(४) नियुक्ति (क)३/६५ दि० २२-४-६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

§ विज्ञप्ति सं० ८७४२४/६०/एफ १६(२) नियुक्ति (क)/६० दि० २-६-६० द्वारा प्रतिस्थापित।

‡ विज्ञप्ति सं० ३(७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित व दि० २०-४-६६ से प्रभावशील।

† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (७) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० २६-६-६७ द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि० ३०-४-६६ से प्रभावशील।

१	२	३	४	५	६
	मोटर यातायात	"	सहायक महा-निरीक्षक (सैन्य)	"	सहायक महा-निरीक्षक (सैन्य)
११. पंजीयन व मुद्रांक—	मुख्यालय (अपर महा-निरीक्षक पं० व मु० राजस्थान, जयपुर)	अपर महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक	अपर महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक
पंजीयन—	वृत्त निरीक्षक कार्यालय	निरीक्षक	अपर महा-निरीक्षक	अपर महा-निरीक्षक	महा-निरीक्षक
	सह पंजीयक कार्यालय	सह पंजीयक	"	"	"
मुद्रांक (स्टाम्प्स)	कोषालय	कोषाधिकारी	"	"	"
†१२. राजस्व विभाग	राजस्व मंडल ‡विलोपित	पंजीयक	अध्यक्ष	पंजीयक	अध्यक्ष
(१) राजस्व	जिला—	जिलाधीश	अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य	(१) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर व बीकानेर मे नियुक्त प्रथम श्रेणी के कार्यालयाधीक्षक एवं द्वितीय श्रेणी आशुलिपिकों के लिये— अध्यक्ष, राजस्वमडल द्वारा मनोनीत सदस्य	राज्य सरकार
				(२) अन्य के लिये (जैसे— LDC, UDC) जिलाधीश	अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य

			(२) अन्य के लिये (जैसे— LDC, UDC) जिलाधीश	अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य
			*(३) जिला राजस्व लेखा पाल के लिये साधारण दण्ड हेतु जिलाधीश	‡राजस्व मंडल
उपमंडल—	उप मंडलाधिकारी (SDO)	जिलाधीश	उप मंडलाधिकारी	जिलाधीश
दण्डनायक न्यायालय	दण्डनायक	"	दण्डनायक	"
तहसील—	तहसीलदार	उपमंडलाधिकारी	तहसीलदार	उपमंडलाधिकारी
			तहसील राजस्व लेखापाल के लिये—	
			(क) तहसीलदार— (साधारण दण्ड हेतु)	जिलाधीश
			(ख) जिलाधीश,— (असाधारण दण्ड हेतु)	‡राजस्व मंडल
उप तहसील	तहसीलदार	उपमंडलाधिकारी	तहसीलदार	उपमंडलाधिकारी
=(१) कार्यालय आचार्य, राजस्व प्रशिक्षणालय	आचार्य	अध्यक्ष, राजस्व मंडल	आचार्य	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१९) नियुक्ति (क–३)/६१ दि० ७-६-६२ के द्वारा प्रतिस्थापित एवं ‡विलोपित।
* विज्ञप्ति सं० एफ १(२) नियुक्ति (क–३)/६१ दि० २७-११-६१ द्वारा निविष्ट।
‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(१) नियुक्ति (क–३)/६७ दि० २१-३-६७ द्वारा प्रतिस्थापित एवं मई १९६२ से प्रभावशील।
= विज्ञप्ति सं० एफ ३(१) नियुक्ति (क–२)/६१ दि० २८-१-६३ द्वारा निविष्ट।

१	२	३	४	५	६
	(२) राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय	राजस्व अपील प्राधिकारी	राजस्व मंडल के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य	राजस्व अपील प्राधिकारी	अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य
‡ उपनिवेश विभाग	कार्यालय १. उपनिवेश आयुक्त	निजी सहायक, उपनिवेश आयुक्त	उपनिवेश आयुक्त	सहायक उपनिवेश आयुक्त (मुख्यावास)	उपनिवेश आयुक्त
	२. उप आयुक्त उपनिवेश	अतिरिक्त सहायक आयुक्त उपनिवेश	सहायक आयुक्त, उपनिवेश	सहायक आयुक्त,	उपायुक्त, उपनिवेश
	३. सहायक आयुक्त उपनिवेश	सहायक आयुक्त	उपायुक्त	"	"
	४. उपनिवेश तहसीलदार	तहसीलदार	सहायक आयुक्त	तहसीलदार	"
	५. नगर व ग्राम आयोजना कक्ष, राजस्थान नहर परियोजना, जयपुर	सहायक नगर आयोजक, जयपुर	आयुक्त,उपनिवेश बीकानेर	सहायक नगर आयोजक, जयपुर	आयुक्त, उपनिवेश बीकानेर
(२) भू अभिलेख	मुख्यावास कार्यालय	सहायक निदेशक (कार्यालय)	अध्यक्ष, राजस्व मंडल	सहायक निदेशक (कार्यालय)	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
	कार्यालय, सहायक निदेशक भू अभिलेख (क्षेत्र)	सम्बन्धित सहायक निदेशक	"	सम्बन्धित सहायक निदेशक	"
	जिला कार्यालय	उप-मण्डल अधिकारी, प्रभारी, भू अभिलेख	जिलाधीश	उप मण्डलाधिकारी, प्रभारी, भू अभिलेख	जिलाधीश
	तहसील स्थापन	तहसीलदार	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी	तहसीलदार	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी

	तहसील स्थापन	तहसीलदार	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी	तहसीलदार	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी

टिप्पणी—सदर कानूनगो, सहायक सदरकानूनगो और भूअभिलेख निरीक्षक के पदाधिकारियों के लिये कार्यालयाध्यक्ष जिलाधीश होंगे व उच्चतर अधिकारी † भू अभिलेख के प्रभारी सदस्य, राजस्व मण्डल होंगे।

(३) भूप्रबन्ध (बन्दोबस्त)	मुख्यावास कार्यालय	निजी सहायक भू प्रबन्ध आयुक्त	भू प्रबन्ध आयुक्त	निजी सहायक, भू०प्र० आयुक्त	भू प्रबन्ध आयुक्त
	तृतीय ,,	भू प्रबन्ध अधिकारी	,,	भू प्रबन्ध अधिकारी	,,
	तहसील या क्षेत्र	सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी या	भू प्रबन्ध अधिकारी	सहायक भू०प्र० अधिकारी	भू प्रबन्ध अधिकारी
		सहायक अभिलेख अधिकारी		सहायक अभिलेख अधिकारी	
*१३ सहायता एवं पुनर्वास	मुख्यावास	सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास)	उप शासन सचिव (स०पु०) एवं पदेन निदेशक, स०पु० विभाग	सहायक लेखाधिकारी	उप शासन सचिव एवं पदेन निदेशक
	जिला कार्यालय, अलवर	,,	,,	,,	,,
	,, अलवर के अतिरिक्त	जिलाधीश (पुन०)	,,	जिलाधीश (पुन०)	,,

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (४) नियुक्त (क) । ६१ श्रे० ३ दि० ९-१०-६१ व दि० ७-३-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१६) नियुक्त (क) ६१ दि० ७-२-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२) नियुक्त (क—३) ६५ दि० ६-३-६५ द्वारा प्रतिस्थापित ।

१	२	३	४	५	६
§३४. सचिवालय		उप शासन सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, विभाग/प्रकोष्ठ— जाच शुरू होने के समय अपने प्रकोष्ठ/विभाग से सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को परिनिन्दा व एक वेतन वृद्धि रोकने तक का दण्ड देने हेतु ।	(१) शासन सचिव, जब उप सचिव कार्यालयाध्यक्ष—हो, तो (२) उपशासन सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग अन्य सब मामलो मे	उप शासन सचिव या समकक्ष अधिकारी—अपने अधीनस्थ लघु व उच्च लिपिक, आशुलिपिक व वरिष्ठ आशुलिपिक, अनुवादक, टेलिफोन परिचालक, और मानीटर के लिये । उप शासन सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग-शासन सचिव, मत्री व उपमत्री के कार्यालयो के स्थापन हेतु ।	विशिष्ट शासन सचिव, नियुक्ति विभाग
		अन्य मामलो मे— पजीयक, सचिवालय	उपशासन सचिव, नियुक्ति(ख) विभाग	विशिष्ट शासन सचिव, नियुक्ति विभाग— सहायक अनुभाग अधिकारी व मुख्य अनुवादक हेतु ।	मुख्य सचिव
३५. सैनिक मडल		प्रभारी अधिकारी	शासन सचिव	प्रभारी अधिकारी	शासन सचिव
३६. राज्य बीमा		उपनिदेशक	निदेशक	उपनिदेशक	निदेशक
‡३७ माधिको व					

विभाग	कार्यालय				
३६. राज्य बीमा		उपनिदेशक	निदेशक	उपनिदेशक	निदेशक
‡३७. प्रार्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय	(१) मुख्यावास	उपनिदेशक (प्रशासन)	निदेशक	उपनिदेशक (प्रशासन)	निदेशक
	(२) जिला कार्यालय	सांख्यिकी अधिकारी	उपनिदेशक (प्रशा०)	”	”
३८. यातायात	मुख्यालय	उपायुक्त, यातायात	आयुक्त, यातायात	उपायुक्त, यातायात	आयुक्त यातायात
	क्षेत्रीय यातायात कार्या०	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी	उपायुक्त, यातायात	क्षेत्रीय यातायात अधि०	उपायुक्त, यातायात
	जिला कार्यालय—	निरीक्षल	जिलाधीश	जिलाधीश	
३९. कोषागार—	कोषागार—	कोषाधिकारी	जिलाधीश	कोषाधिकारी	जिलाधीश
	उपकोषागार—	तहसीलदार	कोषाधिकारी	”	”
४०. राज्यपाल सचिवालय		राज्यपाल के सचिव	शासन सचिव	राज्यपाल के सचिव	मुख्य सचिव
४१. विधि विभाग	१. महाधिवक्ता कार्यालय	महाधिवक्ता	शासन सचिव, विधि विभाग	महाधिवक्ता	शासन सचिव, विधि विभाग
	*२. शासकीय अधिवक्ता कार्यालय	उपशासकीय अधिवक्ता	शासकीय अधिवक्ता	शासकीय अधिवक्ता	विधि परामर्शी
४२. †विकास एवं पंचायत विभाग—	मुख्यालय—	उप विकास आयुक्त (पं०)	संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत)	उप विकास आयुक्त (पंचायत)	संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत)

§ विज्ञप्ति सं० एफ ३(५) नियुक्ति (क–३)/६४ दि० २०-१०-६७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(१८) नियुक्ति (क)/६१ दि० २०-३-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
* विज्ञप्ति सं० एफ ३(२४) नियुक्ति (क)/६२ दि० ८–११–६२ द्वारा निविष्ट ।
† विज्ञप्ति सं० एफ १६(६) नियुक्ति (क)/५९ दि० ४-४-६० द्वारा निविष्ट ।

१	२	३	४	५	६
(पंचायत शाखा)	जिलाधीश कार्यालय	[1]उप जिला विकास अधिकारी	जिलाधीश	लघुलिपिक हेतु— जिलाधीश उच्चलिपिक हेतु— उप विकास आयुक्त (पंचायत)	अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य "
४३. क्षेत्रीय आदेशक छात्र सेना, राजस्थान CC, NCC	[2]आदेशक अधिकारी O C., N.C.C. एकक	आदेशक अधिकारी, N.C C. एकक	क्षेत्रीय आदेशक N.C C. Raj.	आदेशक अधिकारी N.C.C. एकक	क्षेत्रीय आदेशक N.C.C. Raj.
४४. स्थानीय निधि	मुख्यालय	सहायक परीक्षक	परीक्षक	परीक्षक	शासन सचिव वित्त विभाग
अंकेक्षण विभाग	क्षेत्रीय कार्यालय	"	"	सहायक परीक्षक	परीक्षक
४५. [3]पुरातत्व निदेशालय		सहायक निदेशक	निदेशक	निदेशक	शासन सचिव, शिक्षा विभाग
४६. सुरक्षित सचिवालय एवं सामान्य अभिलेख	जिला कार्यालय	जिलाधीश	उपशासन सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग	जिलाधीश	उपशासन सचिव नियुक्ति (ख) विभाग
	उपमंडल कार्यालय	उपमंडलाधिकारी	"	उपमंडलाधिकारी	"
४७. *जागीर विभाग	मुख्यालय [जिला कार्यालय	†अपर जागीर आयुक्त उपजिलाधीश, जागीर	जागीर आयुक्त जिलाधीश	अपर जागीर आयुक्त उपजिलाधीश, जागीर [illegible]	जागीर आयुक्त जिलाधीश

४७. *जागीर विभाग	[जिला कार्यालय	†अपर जागीर आयुक्त उपजिलाधीश, जागीर †सहायक जिलाधीश, जागीर (जमींदारी व बिस्वेदारी)	जागीर आयुक्त जिलाधीश "	अपर जागीर आयुक्त उपजिलाधीश, जागीर †सहायक जिलाधीश जागीर (जमींदारी व बिस्वेदारी)	जागीर आयुक्त जिलाधीश "
४८. ‡मुख्यलेखाधिकारी का संगठन, मय लेखापाल संवर्ग—	(क) मुख्यलेखाधिकारी कार्यालय	लेखाधिकारी	मुख्यलेखाधिकारी	(१) लेखाधिकारी (लेखापालों को छोड़कर) (२) मुख्यलेखाधिकारी — (लेखापालों के हेतु)	(१) मुख्यलेखाधिकारी (२) शासन सचिव वित्त (A&A)
	(ख) अन्य विभाग/कार्यालय			(१) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष — उनके विभाग/कार्यालय से संलग्न लेखापालों को साधारण दण्ड देने हेतु	"

1 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१६) नियुक्ति (क)/६१ दि० ७-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।
2 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१८) नियुक्ति (क)/६२ दि० १०-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।
3 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१९) नियुक्ति (क-३)/६५ दि० ९-६-६६ द्वारा प्रतिस्थापित।
* विज्ञप्ति सं० एफ ३(१) नियुक्ति (क)/६१/श्रे० ३ दि० ८-२-६१ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३(८) नियुक्ति (क-३)/६२ दि० १९-५-६२ द्वारा विलोपित, निविष्ट व प्रतिस्थापित।
‡ विज्ञप्ति सं० एफ १६(८) नियुक्ति (क-३)/६० दि० १०-६ ६० द्वारा निविष्ट।

	२	३	४	५	६
				(२) मुख्यालेखाधिकारी असाधारण दण्ड हेतु	शासन सचिव, वित्त (A&A)
४६. [1]समाज-कल्याण	मुख्यालय संभाग जिला	उपनिदेशक सहायक निदेशक समाज-कल्याण अधिकारी	निदेशक उपनिदेशक (मुख्यालय) सहायक निदेशक	उपनिदेशक सहायक निदेशक सहायक निदेशक	निदेशक उपनिदेशक (मुख्यालय) "
५०. [2]सहायता विभाग	(१) मुख्यालय—	खाद्य एव सहायता अधिकारी	सहायता आयुक्त	सहायता आयुक्त	सरकार
	(२) जिला—	जिलाधीश	•	जिलाधीश	सहायता आयुक्त
५१. [3]राजस्थान पथ परिवहन	(१) मुख्यालय	सहायक महा-व्यवस्थापक (प्रशासन)	महा-व्यवस्थापक	सहायक महा-व्यवस्थापक (प्रशासन)	महा-व्यवस्थापक
	(२) क्षेत्रीय कार्यालय व डिपो मय डिपो वर्कशॉप	सहायक क्षेत्रीय व्यवस्थापक	"	सहायक क्षेत्रीय व्यवस्थापक	"
	(३) क्षेत्रीय वर्कशॉप	क्षेत्रीय यांत्रिक अभियंता	"	क्षेत्रीय यांत्रिक अभियंता	"
५२. [4] मूल्यांकन सगठन	मुख्यालय क्षेत्रीय—	उपनिदेशक (प्रशासन) क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी	निदेशक उपनिदेशक (प्रशासन)	उपनिदेशक (प्रशासन) क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी	निदेशक उपनिदेशक (प्रशासन)
५३. [5] नागरिक रक्षा संगठन		नागरिक रक्षा सलाहकार के सहायक	नागरिक रक्षा सलाहकार	नागरिक रक्षा सलाहकार के सहायक	नागरिक रक्षा सलाहकार
५४. [6] अधिकारी प्रशिक्षणालय		*प्रशासनिक अधिकारी*	*उपाचार्य*	*उपाचार्य*	*प्रधानाचार्य*

५४.[6] अधिकारी प्रशिक्षणालय	प्रशासनिक अधिकारी	उपाचार्य	उपाचार्य	प्रधानाचार्य
५५.[7] गजेटियर्स निदेशालय ..	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
५६.[8] राजस्थान मुख्यालय—	सहायक अभियंता (मुख्यालय)	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	शासन सचिव
अधोभौतिक कार्यालय-अधिशासी जल मण्डल अभियन्त (वेधन)	अधिशासी अभियंता (वेधन)	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	अधिशासी अभियंता (वेधन)	प्रभारी अभियंता एवं सचिव
अधिशासी अभियंता (विस्फोटन)	अधिशासी अभियंता (वि०)	"	" (वि०)	"
सहायक अभियंता (वेधन/विस्फोटन)	सहायक अभियंता (वे०/वि०)	अधिशासी अभियंता (वे०/वि०)	सहायक अभियंता (वे०/वि०)	अधिशासी अभियंता (वे०/वि०)
सहायक अभियंता (भण्डार व वर्कशाप)	सहायक अभियंता	प्रभारी अभियंता एवं सचिव	सहायक अभियंता	प्रभारी अभियंता एवं सचिव

1 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१०) नियुक्ति (क-३)/६१ दि० ५-६-६१ द्वारा निविष्ट।
2 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१६) नियुक्ति (क-३)/६२ दि० २० ८-६२ द्वारा निविष्ट।
3 विज्ञप्ति सं० एफ ३(१) नियुक्ति (क-३)/६४ दि० ७-१-६४ द्वारा निविष्ट।
4 विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१७) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० १८-२-६५ द्वारा निविष्ट।
5 विज्ञप्ति सं० एफ ३ (७) नियुक्ति (क)। ६५ दि० २५-६-६५ द्वारा निविष्ट।
6 विज्ञप्ति सं० एफ ३ (८) नियुक्ति (क)। ६५ दि० १५-६-६५ द्वारा निविष्ट।
7 विज्ञप्ति सं० एफ ३ (६) नियुक्ति (क-३) ६५ दि० २३-७-६५ द्वारा निविष्ट।
विज्ञप्ति सं० एफ ३ (६) नियुक्ति (क-३) दि० १५-९-६५ द्वारा निविष्ट।

टिप्पणी—(१) इस अनुसूची मे जहाँ 'शासन-सचिव' को 'उच्चतर अधिकारी' प्रदर्शित किया गया है, वहा उसे की गई अपील सरकार को की गई अपील मानी नहीं जावेगी। उसको आज्ञा के विरुद्ध की गई अपील सरकार को की गई अपील मानी जावेगी और तदानुसार निर्वतित की जावेगी।

(२) विभागाध्यक्ष नियम १४ (३) के प्रावधान के अधीन इस अनुसूची मे वर्णित अधिकारो के प्रत्यायोजन को प्रभावशाली बनाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिये नियम व निर्देश बनायेंगे।

अनुसूची (१)
(SCHEDULE 1)

राज्य सेवायें
(STATE SERVICES)

(१) निम्न लिखित सेवाओ में सम्मिलित पदाधिकारी
१. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (R.A.S)
२ राजस्थान न्यायिक सेवा (R J.S)
३. राजस्थान पुलिस सेवा (R.P S)
४. राजस्थान लेखा सेवा (R.Ac.S)
*५. राजस्थान सचिवालय सेवा (R.S S)

† टिप्पणी—राजस्थान पुलिस सेवा के अन्तर्गत पद धारण करने वालों के सम्बन्ध मे प्रतिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड देने के अधिकार महानिरीक्षक आरक्षा (I.G.P.) मे निहित होगे।

(२) निम्न लिखित अन्य पदाधिकारी—

‡ टिप्पणी—निम्न पदो के लिये अध्याय (३) और नियम १५ के उप नियम (१) मे वर्णित अधिकार जो कि विभागाध्यक्षो मे विनियोजित हैं, उन्हे ५० रु० और इससे अधिक राशि के दुरुपयोग (गबन) की जाँच के मामलो मे जो कि विभागीय जांच आयुक्त को सरकार ने सौंप दिये हो, विभागीय जाच आयुक्त मे निहित होंगे।

* सं० एफ ३ (१६) नियुक्ति (क–३) । ६५ दि० ९-६-६६ द्वारा निविष्ट।
† स० एफ० १६ (२) नियुक्ति (क) । ६० श्रेणी ३ दि० १३ ४-६१ द्वारा निविष्ट।
‡ स० एफ० ३ (३) नियुक्ति (क–३) । ६४ दिनांक २७-४-६४ द्वारा निविष्ट एव दि० ९-७-५६ से प्रभावशाली

कृषि-विभाग

(क) कृषि शाखा—

१. निदेशक, कृषि
२. उप निदेशक
३. सहायक निदेशक कृषि
४. प्रशासनिक सहायक
५. आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Economic Botanist)
६. कृषि रसायनज्ञ
७. एन्टोमोलोजिस्ट (कीट विशेषज्ञ)
८. माइकोलोजिस्ट
९ सांख्यिक (स्टेटिशियन)
१०. कृषि-अभियन्ता
११. सहायक कृषि-अभियन्ता
१२ हाइड्रोलोजिस्ट
१३. अधीक्षक, बेसिक कृषि स्कूल
१४ जिला कृषि अधिकारी
१५ फल-विशेषज्ञ
१६ सम्भागीय पशु चिकित्सा अधिकारी (Divisional, Veterinary Officers)
१७ पशु पालन अधिकारी
१८. दुग्धशाला विकास अधिकारी
१९. आचार्य, राजस्थान पशु चिकित्सा कालेज, बीकानेर
२०. जिला पशु चिकित्सा अधिकारी
२१. सहायक पौध संरक्षण अधिकारी
‡ २२. सहायक भू संरक्षण अधिकारी
‡ २३. प्रभारी अधिकारी, कनिष्ट स्टाफ ट्रेनिंग केन्द्र

टिप्पणी—नियम १५ (१) व अध्याय (३) मे वर्णित अधिकार उसके प्रावधानो की सीमा मे रहते हुए क्रम सं० १४ के पदाधिकारियो के सम्बन्ध मे निदेशक, कृषि मे निहित होगे।

(ख) पशुधन विभाग

१ उप निदेशक
२. सहायक निदेशक, पशु चिकित्सा
३ अधिकारी श्रेणी (१)
४. अधिकारी श्रेणी (२)
५. गोशाला विकास अधिकारी
६. पशुधन विकास अधिकारी

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (५) नियुक्ति (क) । ६३ दि० २५-३-६३ द्वारा निविष्ट ।

७. अधीक्षक, पशु प्रजनन केन्द्र
८. सहायक पशु शल्य चिकित्सक (V.A.S)

टिप्पणी—क्रम सं० ४ व ७ पर दिये गये पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अध्याय (३) व नियम १५ (१) में वर्णित अधिकार तत्सम्बन्धी प्रावधानो के अधीन रहते हुए निदेशक, कृषि में निहित होंगे ।

पुरातत्व व संग्रहालय विभाग

१. मुख्य अधीक्षक
२. अधीक्षक
३. संग्रहाध्यक्ष (Curators)
† ४ पुरातत्व रसायनिक
† ५. खोज व उत्खनन अधिकारी
* ६. मुद्राशास्त्री

उड्डयन (Aviation) विभाग

१. मुख्य चालक (Chief Pilot)
२. चालक
३. अधोभूमि अभियंता (Ground Engineer)
४. रेडियो चालक

आयुर्वेदिक विभाग

१ निदेशक, आयुर्वेद विभाग
२, प्रभारी व्यवस्थापक, रसायनशाला
३ प्राध्यापक, आयुर्वेद कालेज
४. उप निदेशक

* जनगणना विभाग (विलोपित)

प्रवास भवन

१. अधीक्षक, जयपुर
२. भंडार निरीक्षक

नागरिक पूर्ति विभाग (Civil Supplies)

१. विशेष लेखा अधिकारी
२. लेखाधिकारी
३. सहायक लेखा अधिकारी
४. सांख्यिक

---

† सं० एफ० ३ (१) नियुक्ति (क) । ६४ दि० १७-६-६४ द्वारा निविष्ट ।

* सं० एफ० ३ (३) नियुक्ति (क) ६५ दि०अप्रेल ६५ द्वारा निविष्ट ।

* विज्ञप्ति सं० एफ० ३ (१२) नियुक्ति (क) । ६२ दि० ३-८-६२ द्वारा निरसित किया गया ।

सहकारिता विभाग

१. उप पंजीयक
२. सहायक पंजीयक
३. शिक्षा अधिकारी
४. प्रचार अधिकारी

‡ वाणिज्यिक कर विभाग

१. उप आयुक्त, वाणिज्यि कर (प्रशासन)
२. उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील
३. प्रशासनिक अधिकारी
४. वाणिज्यिक कर अधिकारी
५. उपाचार्य, वाणिज्यिक कर प्रशिक्षणालय
६. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
७. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निरोधक दल)
† ८. सांख्यिकी अधिकारी

† **टिप्पणी**—क्रम सं० ६ व ७-यानी—सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं स० वा० प्र० (निरोधक दल) के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में 'प्रतिनिन्दा' व 'वेतन वृद्ध रोकने' के दण्ड देने सम्बन्धी अधिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान में निहृत होंगे।

§ आबकारी विभाग

१. उपायुक्त (आबकारी)
२. प्रशासनिक अधिकारी
* ३. जिला आबकारी अधिकारी
४. सहायक आबकारी अधिकारी
५. मुख्य अभियोक्ता निरीक्षक
६. उपायुक्त (निरोधक दल)
७. सहायक प्र बकारी अधिकारी (निरोधक दल)

* **टिप्पणी**—क्रम सं० ४,५ व ७ के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में प्रति निन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड देने के अधिकार आबकारी आयुक्त, राजस्थान में निहित होंगे।

---

‡ आबकारी व करारोपण विभाग—

१. लेखा अधिकारी
२. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

के स्थान पर सं० एफ ३ (१६) नियुक्ति (क) । ६४ दि० १६-४-६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

† सं० एफ ३ (१६) नियुक्त (क) । ६४ दि० २२-४-६५ द्वारा निविष्ट।

§ सं० एफ ३ (१६) नियुक्ति (क) ६४ दि० १९-८-६५ द्वारा निविष्ट।

* सं० एफ ३ (१६) नियुक्ति (क) ६४ दि० २२-४-६५ द्वारा निविष्ट व संशोधित।

शिक्षा विभाग

१. निदेशक
२. उप-निदेशक
३. सहायक निदेशक तथा विद्यालय-निरीक्षक
४. निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें
५. प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
६. पंजीयक, विभागीय परीक्षायें
७. कन्या विद्यालय निरीक्षिका
८. उप-विद्यालय निरीक्षक, निदेशक के निजी सहायक एवं उप-निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें सहित।
९. उप-निरीक्षिका कन्या विद्यालय
*१०. आचार्य, राजकीय प्रथम श्रेणी कालेज
†११. (निरसित)
†१२. व्याख्याता, राजकीय प्रथम श्रेणी कालेज
१३. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय व तत्समान शिक्षण संस्थायें
१४. (निरसित)
१५. आचार्य, आर्ट्स व क्राफ्ट्स विद्यालय, जयपुर एवं कला संस्थान, जयपुर
१६. उपाचार्य, आर्ट्स व क्राफ्ट्स विद्यालय, जयपुर।
१७. विशेष शिक्षा अधिकारी (आयोजना)
१८. आचार्य, अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, बीकानेर
१९. आचार्य, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर
२०. प्रधानाध्यापिकायें, मौन्टेसरी स्कूलें
२१. प्रधानाध्यापिका, गंगा बाल विद्यालय, बीकानेर
२२. प्रधानाध्यापिका, बाल स्कूल, कोटा
२३. प्रधानाध्यापिका, बाल स्कूल, उदयपुर
२४. प्रधानाध्यापिका, बाल स्कूल, भरतपुर
२५. प्रधानाध्यापिका बाल स्कूल, जोधपुर
२६. शारीरिक प्रशिक्षक, राजस्थान कालेज, जयपुर
२७. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजस्थान कालेज, जयपुर

टिप्पणी—क्रम सं० ८, ९ व १५ के पदाधिकारियो के सम्बन्ध मे अध्याय (३) व नियम १५(१) मे वर्णित अधिकार उसके प्रावधानो की सीमा मे रहते हुए निदेशक, शिक्षा मे निहित होंगे।

---

* सं० एफ ३(१६) नियुक्ति (क)/६४ दि० २२-४-६५ द्वारा निविष्ट।
† सं० एफ ३(१३) नियुक्ति (क-२)/६६ दि० ६-८-६२ द्वारा निरसित व संशोधित।

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्थान)

१. निदेशक
२. उप-निदेशक
३. वरिष्ठ शोध अधिकारी

‡ विद्युत निरीक्षणालय

१. विद्युत निरीक्षक
२. सहायक विद्युत निरीक्षक

निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन विभाग

१. लेखाधिकारी

वन विभाग

१. मुख्य वन संरक्षक
२. वन संरक्षक
३. संभाग वन अधिकारी
४. वन उपयोग अधिकारी
५. उप संभाग वन अधिकारी
६. वन बन्दोवस्त अधिकारी
७. सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी
८. मुख्य वन संरक्षक के निजी सहायक (संभागीय वन अधिकारी संवर्ग में)
९. कार्यकारी योजना अधिकारी
१०. वन संवर्धन अधिकारी (Silvi-culturist officers)

मोटर (गैरेज) विभाग

१. मुख्य अधीक्षक, गैरेज
२. मोटर वाहन अभियन्ता
३. अधीक्षक, गैरेज

राजकीय मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग

† १. निदेशक, मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग
२. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
३. सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय

उद्योग व वाणिज्य विभाग

१. निदेशक, उद्योग व वाणिज्य
२. उप निदेशक

‡ क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (क–३) । ६७ दि० १२-४-६७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
† एफ० ३ (१४) नियुक्ति (क) ३ । ६२ दि० १३-८-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

३. विपणनि अधिकारी
४. ऊन उद्योग अधिकारी
५. अभियन्ता
६. तकनीकी अधिकारी
७. भेड़ शोध अधिकारी
८. ऊन वर्गीकरण अधिकारी
९. सयुक्त निदेशक
१०. सहायक निदेशक
११. अधीक्षक हस्तकला मण्डल
१२. Metallurgist
१३. जिला अधीक्षक
१४. लेखा अधिकारी
१५. अधीक्षक, गृह उद्योग सस्थान
१६. ताड़ गुड़ सगठक
१७. व्यवस्थापक, ऊन कार्डिंग व फिनिशिंग सेंटर
१८. अधीक्षक, क्षेत्रीय अनुसधान केन्द्र
१९. तकनीक सहायक, भेड़ व ऊन
२०. ऊन वर्गीकरण अधीक्षक
२१ महाअधीक्षक (सोडियम सल्फेट निर्माण स्थल, डीडवाना)
* २२. उप अधीक्षक ,,
* २३ पारी अभियन्ता ,,
‡ २४. आचार्य, कला प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
† २५. प्रयोगशाला अधिकारी

जन निर्माण विभाग (सिंचाई)

१. मुख्य अभियन्ता
२. मुख्य विकास अभियन्ता
३. अधीक्षक अभियन्ता
४. अधिशासी अभियन्ता
५. मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक
७. यांत्रिकी अभियन्ता
६. सहायक अभियन्ता
८. भू गर्भ शास्त्री
९. सह-अभियन्ता

---

* एफ०३ (नियुक्ति (क) · ६३ दि० ५-२ ६३ द्वारा निविष्ट ।
‡ एफ ३ (११) नियुक्ति (क) । ६३ ग्रे० ३ दि० ८ । । ६३ द्वारा निविष्ट।
† एफ ३ (२३) नियुक्ति (क) । ६३ दि० १३-१२-६३ द्वारा निविष्ट ।

१०. सहायक लेखाधिकारी

११. जल विज्ञान सहायक

१२. श्रम कल्याण अधिकारी

‡ १३. सहायक अनुसंधान अधिकारी

जन निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)

१. मुख्य अभियन्ता

२. अधीक्षक अभियन्ता

३. अधिशासी अभियन्ता

४. सहायक अभियन्ता

५. विशेषाधिकारी, जल प्रदाय

६. वरिष्ठ वास्तुकार

७. कनिष्ट वास्तुकार

८. शासकीय रसायनिक

९. लेखाधिकारी

१०. फलोद्यान अधिकारी

११. अधीक्षक, उद्यान

१२. रासायनिक (जल प्रदाय विभाग)

१३. विशेषाधिकारी, ग्राम जल प्रदाय (जल प्रदाय विभाग)

कारागार (जेल) विभाग

१. महानिरीक्षक, जेल

२. उप महानिरीक्षक, जेल

३. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल

४. अधीक्षक जिला जेल

५. उप अधीक्षक, केन्द्रीय व जिला जेल

६. निदेशक, जेल उद्योग

७. चिकित्सा अधिकारी (सहायक शल्य चिकित्सक)

टिप्पणी—क्रमांक ५ के पदाधिकारियों के लिये भाग (३) नियम १५ (१) में वर्णित अधिकार उन प्रावधानों के अधीन रहते हुये महानिरीक्षक (जेल) में निहित होंगे।

श्रम विभाग

१. सहायक श्रम आयुक्त

२. मुख्य निरीक्षक, यन्त्रालय एवं वाष्पक

३. श्रम सांख्यिकी अधिकारी

४. महिला कल्याण अधिकारी

५. श्रम अधिकारी

‡ विज्ञप्ति स एफ ३ (१४) नियुक्ति (क)।६३ दि० ३-८-६४ द्वारा निविष्ट।

६. यन्त्रालय निरीक्षक
७. निरीक्षक, खान
८ निरीक्षक, वाष्पक
९. चिकित्सा निरीक्षक, यन्त्रालय
‡ १०. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग—

१ निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
२. उपनिदेशक ,, ,,
३. सहायक निदेशक, ,, ,
४. मुख्य परिचर्या अधीक्षक
५. प्रान्तीय क्षय अधिकारी
६. सांख्यिकी अधिकारी
७. लेखाधिकारी
८. प्रधान चिकित्सा अधिकारी (P.M.O.).
९. अधीक्षक, चिकित्सालय
१०. वरिष्ठ औषध चिकित्सक
११. वरिष्ठ शल्य चिकित्सक
१२. वरिष्ठ स्त्री-रोग विशेषज्ञ (Gynecologist)
१३. वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist)
१४. शल्य चिकित्सक
१५. औषध-चिकित्सक (Physicions)
१६. स्त्रीरोग विशेषज्ञ
१७. नेत्ररोग विशेषज्ञ
१८. क्ष-किरण विशेषज्ञ
१९. दन्त-चिकित्सक
२०. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
२१. नागरिक सहायक शल्य चिकित्सक श्रेणी प्रथम (चार दन्त चिकित्सकों सहित)
२२. परिचर्या अधीक्षक
२३. मुख्यपरिचारिका (मैट्रन)
२४. स्वास्थ्य अधिकारी (M.B.B.S.)
२५. महिला अधीक्षक, स्वास्थ्य विद्यालय
२६. औषध निर्माण रसायनिक
२७. कीट-विशेषज्ञ
२८. मुख्य जन विश्लेषक

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१) नियुक्ति (क) ६३ दि० १८-४-६३ द्वारा निविष्ट।

२९. रसायनिक परीक्षक
३०. व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सा भण्डार
३१. राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें प्रथम श्रेणी (चयन शृंखला)
३२. राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, श्रेणी (१)
३३. " " " श्रेणी (२) (वरिष्ठ शृंखला)
३४. " " " श्रेणी (२) (कनिष्ट शृंखला)
३५. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
३६. सचिव, भण्डार क्रय सगठन
३७. प्रशासनिक अधिकारी
३८. प्रदर्शक
३९ पथ्य-विशेषज्ञ
४०. जन-विश्लेपक

(ख) सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय—

१. प्रधानाचार्य
२. प्राध्यापक— (a) Physiology, (b) Anatomy, (c) Pharmacology (d) Pathology.
३. पाठक (रीडर)—(a) Pathology
(b) Medicines (clinical)
(c) Bio Chemistry
४ सहायक प्राध्यापक—(a) Physiology,
(b) Anatomy
५. वरिष्ठ प्रदर्शक— (a) Physiology, (b) Anatomy
(c) Pharmacology [illegible]
६. प्रवक्ता

खनिज एव भू गर्भ विभाग

१. * निदेशक
२ ‡ सयुक्त निदेशक (प्रशासन)
३ खनिज अभियन्ता
४. सहायक खनिज अभियन्ता
५. रसायनिक-एव-मृदा [illegible]
६. व्यवस्थापक, खनिज
७. सहायक व्यवस्थापक, [illegible]
८. उप वेधक अभियन्ता

* विज्ञप्ति स० एफ ३ (३४) [illegible]
‡ विज्ञप्ति स० एफ ३ (३४) [illegible]

९. रसाय नक
१०. मृदा-सहायक
११. सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण)
१२. व्यवस्थापक, पाटन परियोजना
१३. श्रम कल्याण अधिकारी
१४. वरिष्ठ भू-गर्भ वेत्ता
१५. कनिष्ट भू-गर्भ वेत्ता
१६. रसायनिक एवं मृदा अभियन्ता

आरक्षी (पुलिस) विभाग

१. पुलिस मोटर वाहन अधिकारी
२. निदेशक, अपराध अन्वेपण प्रयोगशाला
३. सहायक निदेशक ,, ,,
४. *अधीक्षक आरक्षी, (रेडियो संगठन)*
५. उप अधीक्षक आरक्षी ,,

‡ टिप्पणी—'परिनिन्दा' व 'वेतन वृद्धि रोकने' के दण्ड देने का अधिकार पद संख्या १, २ ४ व ५ *के लिये महानिरीक्षक आरक्षी तथा पद संख्या ३ के लिये निदेशक, अपराध अन्वेपण* प्रयोगशाला में निहित होंगे।

जन सम्पर्क विभाग

१. निदेशक
२. उपनिदेशक
३. सहायक निदेशक
४, परिजाच अधिकारी
५. वरिष्ठ छायाकार
६. सहायक सम्पादक
७, सम्पर्क अधिकारी (L.O.)
८ जन सम्पर्क अधिकारी (P.R.O.)
९. सूचना-अधिकारी

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

१. वित्तीय सलाहकार
२. ऋण अधिकारी

समाज कल्याण विभाग

१. निदेशक
२. सहायक निदेशक
३. कल्याण अधिकारी

‡ विज्ञप्ति प० १६ (२) नियुक्ति (क)/६० ग्रे सी ३ दि० २४-३-६१ *द्वारा निविष्ट व प्रतिस्थापित।*

४. अनुसंधान अधिकारी
५. ‡प्रचार अधिकारी
६. विशेषाधिकारी (पुनर्वास)
७. चिकित्सा-अधिकारी
८. अधीक्षक, गृह
९. *मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
१०. आचार्य
११. प्रवक्ता
१२. प्रवक्ता, जन जाति कल्याण एवं सुधार-प्रशासन

निर्वाचन-विभाग

१. मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक

पर्यटक सुविधा विभाग

१. संगठक, पर्यटक सुविधा

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

१. निरीक्षक

† [राजस्व एवं भू अभिलेख विभाग-विलोपित]

सैनिक, नाविक एवं उड्डयक मण्डल

१ सचिव

सचिवालय

१. सहायक शासन सचिव
२. व्यवस्था एवं प्रणाली अधिकारी (O.M.O)
३. निजी सचिव
§ ४. [अधीक्षक-विलोपित]

राज्य बीमा विभाग

१. निदेशक
२. उप निदेशक
३. सहायक निदेशक

विज्ञप्ति सं० एफ ३ (६) नियुक्ति (क-३) ६४ दि० २४-३-६४ द्वारा
‡ 'महिला कल्याण अधिकारी' एवं 'समाज शिक्षा अधिकारी' विलोपित और—
* प्रतिस्थापित ।

† विज्ञप्ति स एफ ३ (४) नियुक्ति (क-३) । ६१ दि० १०-७-६२ द्वारा विलोपित †

§ विज्ञप्ति सं एफ ३ (२४, नियुक्ति (क-३) । ६१ दि० १३-२-६२ द्वारा विलोपित ।

प्रायिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय

१. निदेशक, प्रायिकी एवं सांख्यिकी
२. सांख्यिकी-अधिकारी
[‡ ३. उप निदेशक
४. सहायक निदेशक]

स्वायत्त शासन (स्थानीय निकाय) विभाग

१. क्षेत्रीय निरीक्षक
२. संभाग पंचायत अधिकारी

यातायात विभाग

१. सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी
२. व्यवस्थापक, राजस्थान राज्य परिवहन सेवा।

विकास विभाग

१. खण्ड विकास अधिकारी
२. पशु पालन अधिकारी
३. कृषि प्रसार अधिकारी
* ४. सम्पादक, राजस्थान विकास
† ५. आचार्य, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र

उपनिवेश विभाग

१. सहायक निदेशक, उपनिवेश
२. तहसीलदार, उपनिवेश

राजस्थान उच्च न्यायालय

१. उप पंजीयक (प्रशासन)
२. सहायक पंजीयक एवं मुख्य न्यायाधिपति के निजी सचिव

विधि एव न्याय विभाग

१. लोक-अभियोक्ता (पूर्ण कालिक)
§ २. शासकीय अधिवक्ता

पंचायत विभाग

१. सहायक निदेशक
२. वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं अन्य प्रशिक्षक
३. जिला पंचायत अधिकारी

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१८) नियुक्ति (क) ६१ दि० २०-३-६२ द्वारा निविष्ट।
* विज्ञप्ति स० एफ ३ (७) नियुक्ति (क)। ६३ दि० २५-३-६३
† विज्ञप्ति स० एफ ३ (३) नियुक्ति (क—३)। ६४ दि० २७-४-६४ द्वारा निविष्ट।
§ विज्ञप्ति सं ३ (२२) नियुक्ति (क) । ६२.दि० ८-११-६२ द्वारा निविष्ट।

अल्प बचत संगठन

१. विशेषाधिकारी, अल्प बचत संगठन
२ संभाग अधिकारी, अल्प बचत योजना

नियोजन निदेशालय

१. निदेशक, नियोजन
२. उपनिदेशक, नियोजन
३. सहायक निदेशक नियोजन
४. सह क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी
५. सहायक नियोजन अधिकारी
६. जिला नियोजन अधिकारी

भू-सुधार (चकबन्दी) विभाग

१. भू-सुधार अधिकारी

‡ (राजस्थान लोक सेवा आयोग–विलोपित)

अधिकारी प्रशिक्षणालय, जयपुर

१. प्रशासनिक अधिकारी

§ मूल्यांकन संगठन

१. क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी
२. अनुसंधान अधिकारी

† राजस्थान नहर परियोजना

१. सहायक नगर आयोजक

* राजस्थान राज्य परिवहन विभाग

१. महा व्यवस्थापक
२. उप महाव्यवस्थापक
३. सहायक महाव्यवस्थापक (प्रशासन)
४. ,, ,, (परिवहन)
५. सहायक क्षेत्रीय व्यवस्थापक
६. मुख्य यांत्रिक अभियन्ता
७ क्षेत्रीय यांत्रिक अभियन्ता
८. कार्य व्यवस्थापक
९. भण्डार नियंत्रक

---

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२२) नियुक्ति (क) । ६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
§ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१५) नियुक्ति (क) । ६१ दि० ४-१०-६१ द्वारा निविष्ट ।
† विज्ञप्ति सं एफ ३ (२१) नियुक्ति (क) । ६२ श्रे० ३ दि० २२-१०-६२ द्वारा निविष्ट ।
* विज्ञप्ति सं०एफ ३ (१) नियुक्ति (क) । ६४ दि० ७-१-६४ द्वारा निविष्ट ।

१०. सहायक यांत्रिक अभियन्ता
११. सहायक कार्य व्यवस्थापक
१२. तकनीकी सहायक
१३. सहायक अभियन्ता (नागरिक)
१४. भण्डार अधिकारी
१५. श्रम अधिकारी
१६. वरिष्ठ लेखाधिकारी

† राजस्थान अधोभौमिक जल मण्डल

. प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव
२. अधिशासी अभियन्ता (वेधन)
३. अधिशासी अभियन्ता (विस्फोटन)
४. भूगर्भ जल अभियन्ता
५. सहायक अभियन्ता
६. कनिष्ट भूगर्भ विशेषज्ञ
७. रासायनिक
८. वेधक यांत्रिकी

‡ जिला गजेटियर निदेशालय

१. अनुसंधान अधिकारी

§ पुरातत्व निदेशालय

१. निदेशक, पुरातत्व
२. सहायक निदेशक

× विद्युत निरीक्षणालय

१. सहायक विद्युत निरीक्षक

---

† विज्ञप्ति सं एफ ३ (६) नियुक्ति (क) । ६५ दि० १५-६-६५ द्वारा निविष्ट ।
विज्ञप्ति सं एफ ३ (६) नियुक्ति (क) । ६५ दि० २३-३-६५ ,,
‡ विज्ञप्ति सं एफ ३ (६) नियुक्ति (क-३) ६५ दि० ८-११-६५
§ ,, ,, ३ (१६) नियुक्ति ,, ,, ,,
× ,, ,, ३ (१५) ,,

अनुसूची (२)

अधीनस्थ सेवायें

(SUBORDINATE SERVICES)

निम्नलिखित पदों एवं समान पदों को धारण करने वाले अधिकारी—

*(१) कनिष्ठ लेखा सेवा (Junior Accounts Service)

कृषि विभाग

(क) कृषि शाखा—

१. वेधक पर्यवेक्षक
२. वेधक
३. संगणक
४. प्रदिदर्शक
५. प्रारूपकार (नकशा नवीस)
६. कलाकार (आर्टिस्ट)
७. तकनीशियन
८. मिस्त्री
९. छेदक परिचालक
१०. प्रयोगशाला सहायक
११. कृषि-सहायक
१२. क्षेत्रीय-सहायक (फील्ड एसिस्टेण्ट)
१३. सहायक तकनीशियन
१४. क्षेत्रीय मिस्त्री
१५. कृषि-अध्यापक
१६. उद्यान पर्यवेक्षक
१७. प्रशिक्षक
१८. मिस्त्री (मैकेनिशियन)
१९. सूत-निरीक्षक (कॉटन इन्सपेक्टर)
२०. पौध संरक्षण सहायक
२१. सहायक जिला कृषि अधिकारी
२२. ट्रैक्टर फोरमैन
२३. फार्म व्यवस्थापक
२४. अनुसंधान-सहायक

---

* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१९) नियुक्ति (क)/६२ दि० १२-१०-६२ द्वारा निविष्ट।

२५. कृषि प्रसार अधिकारी
२६. आकृतिकार (डिजाइनर), कृषि यन्त्रशाला

(ख) पशु धन शाखा

१. सैल होतरीज (Salhotries)
२. टीका कार (Incoulators)
३. मुख्य स्कन्धपाल व स्कन्धपाल
४. पशुधन निरीक्षक
५. मत्स्य पर्यवेक्षक
६. कम्पाउन्डर, पशु चिकित्सालय
७. मुर्गी निरीक्षक, सह निरीक्षक
८. प्रयोगशाला सहायक
९ सहायक अधीक्षक, पशु प्रजनन केन्द्र
१०. †पशुपालन प्रसार अधिकारी
११. †भेड व ऊन प्रसार अधिकारी

टिप्पणी—प्रतिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने (दो से अधिक नहीं तथा बिना सचयी प्रभाव के) के दण्ड के अधिकार पशुपालन प्रसार अधिकारियो के लिए (१) राजपत्रित हो, तो सम्बन्धित उपनिदेशक, पशु पालन मे और (२) अराजपत्रित अधिकारियो के लिये सम्बन्धित जिला पशुपालन अधिकारी मे निहित होगे । कृषि प्रसार अधिकारी तथा भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी के लिये ये अधिकार क्रमश: सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी व जिला पशुपालन अधिकारी मे निहित होगे ।

पुरातत्व व संग्रहालय विभाग

१. परिरक्षक
२. सरक्षण सहायक
३. पर्यवेक्षक, पुरातत्व वेधशाला, जयपुर
४. छायाकार (फोटोग्राफर)
५. प्रारुपकार (ड्राफ्ट्स मैन)
६. कलाकार (आर्टिस्ट)
‡[७. पुस्तकाध्यक्ष
८. पर्यवेक्षक (दुर्ग व प्रासाद)
९. प्रयोगशाला सहायक
१०. चित्रकार
११. मुख्य छायाकार
१२. बढई (खाती)]

† सं० एफ ३(२६) नियुक्ति (क)/६२ श्रेणी २ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट

‡ विज्ञप्ति सं० ३ (१) नियुक्ति (क-२) ३ दि० १२-४-६७ द्वारा निविष्ट ।

आयुर्वेद विभाग

१. निरीक्षक, आयुर्वेद व यूनानी औषधालय
२. वैद्य व सहायक वैद्य,रसायन शाला
३. वैद्य व हकीम, औषधालय
४. कम्पाउण्डर (उपवैद्य)
५. परिचारिका (नर्स)
६. व्याख्याता, आयुर्वेद कालेज
७. पंजीयक, भारतीय औषध मण्डल

प्रवास भवन (सरकिट हाउस)

१. प्रभारी पर्यवेक्षक, प्रवास भवन श्रेणी प्रथम
२. पर्यवेक्षक, राजकीय प्रवास भवन, जयपुर
३. वरिष्ठ स्वागतकर्ता
४. कनिष्ट स्वागतकर्ता
५. व्यवस्थापक, प्रवास-भवन
*[६. सहायक अधीक्षक, राजस्थान राज्य होटल, जयपुर
७. व्यवस्थापक, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली]

नागरिक उड्डयन विभाग

१. मिस्त्री (मैकेनिक)

†नागरिक पूर्ति (रसद) विभाग

१. ‡क्षेत्रीय पूर्ति अधिकरी
२. प्रवर्तन अधिकारी
३. गोदाम अधिकारी
४. सहायक जिला पूर्ति अधिकारी
५. प्रवर्तन निरीक्षक

सहकारिता विभाग

१. निरीक्षक
२. सहायक निरीक्षक
३. क्षेत्रीय प्रचार सहायक
४. परिचालक
५ ग्राम सेवक
६. अध्यापक, ग्रामीण पुर्ननिमाण विभाग
७. वैद्य

---

* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (४) नियुक्ति (क)/६१ श्रेणी ३ दि० २२-६-६१ द्वारा निविष्ट

‡विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२६) नियुक्ति (क) ६२ श्रेणी ३ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट।

† विज्ञप्ति सं एफ ३ (२१) नियुक्ति (क-३) ६५ दि० ४-२-६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

‡[८. व्यवस्थापक नाटक इकाई
९. कलाकार ,, ,,
१०. अभिनेता ,, ,,
११. संगीतज्ञ ,, ,,]
१२. †सहकारिता प्रसार अधिकारी

टिप्पणी—सहकारी प्रसार अधिकारी एव सहायक निरीक्षकों के पदाधिकारियों को प्रतिनिन्दा व बिना सचयी प्रभाव से दो तक वेतन वृद्धि रोकने के दण्डों के अधिकार सम्बन्धित सहायक-पंजीयक मे निहित होंगे।

*वाणिज्य कर विभाग

१. विधि सहायक
२. निरीक्षक श्रेणी १
३. निरीक्षक श्रेणी २
४. निरीक्षक श्रेणी ३
§[५. रक्षा अधिकारी
६. जमादार
७. सिपाही
७. चालक

टिप्पणी—(१) क्रमांक २ से ४ के पदों यानी निरीक्षक श्रेणी १ से ३ के सम्बन्ध मे 'परिनिन्दा और दो तक वेतन वृद्धि बिना सचयी प्रभाव से रोकने तक के दण्ड देने के अधिकार वाणिज्य कर अधिकारियो में निहित होंगे।

(२) क्रमांक ७ से ८ तक के पदो यानी सिपाही और चालको के बारे मे 'परिनिन्दा' का दण्ड देने का अधिकार सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (निरोधक सैन्य) मे निहित होंगे।

(३) क्रमांक २ से ८ तक के पदो के सम्बन्ध मे नियम १४ (i), (ii) व (iii) मे वर्णित साधारण दण्डों के देने का अधिकार उपायुक्त, वाणिज्यक कर (प्रशासन) मे निहित होंगे।]

*आबकारी विभाग

१. निरीक्षक श्रेणी १
२. ,, ,, २
३. ,, ,, ३
४. अभियोजन निरीक्षक

‡ स० एफ ३(६) नियुक्ति (क)/६१ श्रेणी ३ दि० ८-२-६२ द्वारा निविष्ट।
† स० एफ ३ (१०) नियुक्ति (क)। ६१ श्रेणी ३ दि० १२-३-६२ एव १०-५-६२ द्वारा निविष्ट।
* विज्ञप्ति सं एफ ३ (१६) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० १९-८-६४ द्वारा प्रतिस्थापित.
§ विज्ञप्ति स एफ ३ (१६) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० २२-४-६५ द्वारा निविष्ट।

५. रक्षा प्रवीक्षक (निरोधक सैन्य)
६. रक्षा अधिकारी श्रेणी १ (निरोधक सैन्य)
७. ,, ,, २ ,,
८. जमादार ,,
९. सिपाही व सवार

टिप्पणी—‡[(१) क्रमांक १ से ४ के पदों के सम्बन्ध में परिनिन्दा व दो तक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्डों के अधिकार सहायक आवकारी अधिकारी। जिला आवकारी अधिकारी में निहित होंगे ।

(२) क्रमांक ८ व ९ के पदों के सम्बन्ध मे परिनिन्दा का दण्ड देने का अधिकार सहायक आवकारी अधिकारी (निरो०)/ जिला आवकारी अधिकारी (निरोध) में निहित होगा ।

(३) क्रमांक १ से ४ के पदों के सम्बन्ध में नियम १४ के (i), (ii) व (iii) खण्डों में वर्णित सब साधारण दण्ड के अधिकार उपायुक्त, आवकारी में तथा क्रमांक ५ से ९ के पदों के लिये उपायुक्त (निरोधक सैन्य) में निहित होंगे।]

धमार्थ विभाग

१. निरीक्षक
२. सहायक निरीक्षक

शिक्षा विभाग

१. सह-उप-निरीक्षक
२. प्रधानाध्यापक, राजकीय विद्यालय (उच्च विद्यालयों या तत्समान शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य)
३. प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, महाराजा पब्लिक पुस्तकालय, जयपुर; किंग जार्ज पंचम रजत जयंती पुस्तकालय, बीकानेर और सुमेर पब्लिक पुस्तकालय, जोधपुर।
४. अध्यापक, समस्त राजकीय संस्थायें
५. अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा
६. चिकित्सा अधिकारी
७. समाज शिक्षा संगठक
८. अधिदर्शक
९. उपाचार्य, कला संस्थान, जयपुर
†[१०. शारीरिक प्रशिक्षक
११. प्रयोगशाला सहायक
१२. प्रदर्शक
१३. आशुलिपि प्रशिक्षक

‡ विज्ञप्ति सं एफ ३ (१६) नियुक्ति (क) । ६४ दि० १९-८-६४ द्वारा निविष्ट ।
† विज्ञप्ति सं० एफ २ (२२) नियुक्ति (क-३)।६१ दि० २४-१-६२ द्वारा निविष्ट ।

१४. पशु-सग्राहक (Taxidermist)
१५. कलाकार
१६. उद्यान पर्यवेक्षक
१७ सग्रहालय रक्षक
१८. गैस वाला
१९. शाला कर्तक]
* २०. व्याख्याता, सस्कृत कालेज
शक्षा प्रचार अधिकारी
२२. सहायक शारीरिक प्रशिक्षक
२३. संगीत व नृत्य शिक्षक
२४ वायलिन (शिक्षक)
२५. तबला शिक्षक
२६. बस चालक
२७. महिला परिचारिका
२८' मिस्त्री
२९. स्नातक व स्नातकोत्तर कालेजो के पुस्तकाध्यक्ष
३०. सहायक साध्यन्त्री
३१. स गणक]
§ [३२. प्रवर्तन अधिकारी
३३. सहायक प्रवर्तन अधिकारी
३४. स्वागत अधिकारी]
× ३५. सभागीय पुस्तकाध्यक्ष
— ३६. परिचारिका

टिप्पणी—(१) अध्याय (३) और नियम १५(१) मे वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकार अप्रशिक्षित स्नातक व प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापको मय बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय के सहायक अध्यापको के लिये उप निदेशक, शिक्षा मे निहित होंगे।

(२) अध्याय (३) और नियम १५ (१) मे वर्णित प्रावधानो के अधीन प्रदत्त अधिकार मेट्रिक प्रशिक्षित, मेट्रिक अप्रशिक्षित, इन्टर और प्रशिक्षित इन्टर श्रेणी के अध्यापको के लिये विद्यालय निरीक्षक (मय उप विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी जिला) मे निहित होंगे।

---

* विज्ञप्ति स०एफ ३ (१३) नियुक्ति (क-३) दि० ६-८-६२ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति स०एफ ३ (२६) नियुक्ति (क-३)। ६२ दि० ३०-२०-६३ द्वारा निविष्ट।
‡ विज्ञप्ति स०एफ ३ (१९) नियुक्ति (क-३)। ६३ दि० १२-१२-६३ द्वारा निविष्ट।
§ विज्ञप्ति स०एफ ३ (११) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० १७-६-६४ द्वारा निविष्ट।
× विज्ञप्ति स०एफ ३ (१४) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० २९-३-६५ द्वारा निविष्ट।
÷ विज्ञप्ति स०एफ ३ (१८) नियुक्ति (क-३)। ६४ दि० २२-१०-६४ द्वारा निविष्ट।
@ विज्ञप्ति स०एफ ३ (२६) नियुक्ति (क-३)। ६२ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट व प्रतिस्थापित

(३) अध्याय (३) और नियम १५ (१) मे वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त, अधिकार अप्रशिक्षित व प्रशिक्षित इन्टर श्रेणी के कन्याशालाओं के अध्यापको के लिये सहायक निदेशक (महिला) मे निहित होंगे ।*

(४) अध्याय (३) और नियम १५ (१) मे वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकार कन्य शालाओ के मेट्रिक और प्रशिक्षित मेट्रिक श्रेणी के अध्यापको के लिये उप-विद्यालय-निरीक्षक मे निहित होंगे ।

(५) शिक्षा प्रसार अधिकारियों को परिनिन्दा व दो तक वेतन वृद्धि विना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड देने के अधिकार सम्बन्धित विद्यालय-निरीक्षक मे निहित होंगे ।]

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान प्राच्य विद्या अनुसधान प्रतिष्ठान)

१. कनिष्ट अनुसंधान सहायक
२. सर्वेक्षक

* [निर्वाचन विभाग—विलोपित]

वन विभाग

१. सभाग वन अधिकारी (मय मूल्यांकन वन अधिकारी/उप अधिकारी (घास मैदान)
२. उप संभाग वन अधिकारी
३. प्रशिक्षक, कोटा वन विद्यालय
४. मुख्य रक्षक (Head Guard)
५ हवलदार
६. वन रक्षक (Forester)
७. नाकेदार
८. छालदार (Skinner)
९. सर्वेक्षक
१० प्रारूपकार
११. अमीन
१२ अधिदर्शक

गैरेज विभाग

‡१. चालक, सहायक चालक मय मोटर चालक. ट्रक चालक, ट्रेक्टर चालक
२. मुख्य मिस्त्री (फोरमैन)
३. विद्युतक
४. मिस्त्री
५. फिटर
†६. यान्त्रिक निरीक्षक

* विज्ञप्ति स एफ ३ (४) नियुक्ति (क) । ६२ दि० २२-१०-६२ द्वारा विलोपित ।
‡ विज्ञप्ति स० एफ १८ (१६) नियुक्ति (क) ५६ दि० ११-४-५९ द्वारा निविष्ट ।
† विज्ञप्ति स० एफ ३ (१) नियुक्ति (क) । ६७ दि०२६-६-६७ द्वारा निविष्ट ।

टिप्पणी—(१) इन क्रमांकों पर दिया गया वर्गीकरण समान पदों पर अन्य विभागों में भी लागू होगा।
‡[(२) परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देने के अधिकार १. मिस्त्री (मशीनिस्ट), २. फिटर, ३. विद्युतक, ४ चालक–के लिये मुख्य अधीक्षक, मोटर गैरेज, जयपुर में निहित होंगे।]

जन निर्माण विभाग (सिंचाई)

१. सहायक प्रक्षेत्र अभियन्ता
२, संगठक
३. अनुमान कर्त्ता
४, प्रारूपकार-मय मुख्य, वरिष्ठ, कनिष्ठ व सहायक प्रारूपकारों के।
५, संरेखक
६. अधिदर्शक
७, सर्वेक्षक (वरिष्ठ व कनिष्ठ)
८, पर्यवेक्षक
९. योजना अभिलेख रक्षक
१०, फैरो मुद्रक व फैरोमैन
११. सेवा मुख्य मिस्त्री
१२, यांत्रिक मिस्त्री
१३. प्रशिक्षक
१४, मुख्य संकेतक व सकेतक
१५. जिलेदार व नायब जिलेदार
१६. उप-संग्राहक
१७. यान्त्रिकी व विद्युती अधिदर्शक
१८, अनुसधान सहायक
१९. मुख्य प्रयोगशाला सहायक
२०. प्रयोगशाला सहायक
२१. अधिदर्शक
२२. नहर तहसीलदार
*[२३. प्रक्षेत्र सहायक
२४. रेह विश्लेषक
२५. अधिदर्शक
२६. मिस्त्री]
†२७. श्रम कल्याण निरीक्षक

---

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३ (३) गृह (ख) १।६३ दि० २९-३-६३ द्वारा निविष्ट।
* विज्ञप्ति सं० एफ १८(१६) नियुक्ति (क)।५६ दि० ११-४-५६ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१) नियुक्ति (क–३)।६७ दि० १०-४-६७ द्वारा निविष्ट।

‡ टिप्पणी—परिनिन्दा व दो तक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड देवे के अधिकार 'अधिदर्शकों के लिये' सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता में निहित होंगे ।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

१. तहसीलदार
२. सहायक ग्राम पुनर्वास अधिकारी
३. ऋण निरीक्षक
४. पर्यटक निरीक्षक
५. नायब तहसीलदार
§६. बिक्री निरीक्षक

समाज कल्याण विभाग

१. सहायक अनुसंधान अधिकारी
२. सहायक प्रचार अधिकारी
३. सहायक सांख्यकी अधिकारी
४. छायाकार व कलाकार
५. कल्याण व पुनर्वास निरीक्षक
६. लेखा निरीक्षक
७. प्रचार सहायक
८. कल्याण कार्यकर्त्ता
९. महिला कल्याण कार्यकर्त्ता
१०. अधिदर्शक एवं प्रारूपकार
११. प्रचारक
१२. परिचालक
१३. मुख्य निरीक्षक
१४. वरिष्ठ गृह निर्माण निरीक्षक
१५. औद्योगिक निरीक्षक
१६. विद्यालय पर्यवेक्षक
१७. गृह निर्माण निरीक्षक
१८. कूप निरीक्षक
१९. वैद्य
२०. उपचारक (Compounders)
२१. छात्रावास अधीक्षक
२२. छात्रावास अधीक्षक (महिला)
२३. प्रशिक्षक दर्जीगिरी
२४. प्रशिक्षक बढ़ईगिरी

‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(२६) नियुक्ति (क-३)।६२ दिनांक ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट ।
§ विज्ञप्ति सं० एफ ५(१०) नियुक्ति (क-३)।६५ दि० १९-८-६५ द्वारा निविष्ट ।

२५. प्रशिक्षक जूतागिरी
२६. प्रशिक्षक बाँस व बेंत कार्य
२७. प्रशिक्षक कृषि
२८. प्रशिक्षक लुहारगिरी
२९. प्रशिक्षक (बुनियादी विद्यालय)
३०. कला अध्यापक, बुनियादी विद्यालय
३१. अध्यापक
३२. सहायक अधीक्षक
*[३३. महिला कल्याण अधिकारी
३४. जिला समाज कल्याण अधिकारी
३५. अनुसधानकर्ता (प्रक्षेत्र सर्वेक्षण)
३६. परिवीक्षा अधिकारी
३७. सहायक महिला कल्याण अधिकारी
३८. अधीक्षक, परिचर्या गृह/रक्षा गृह/भिक्षुक गृह और वृद्ध व अपंग गृह
३९. प्रमाणित विद्यालयो के प्रधानाध्यापक
४०. सहायक अधीक्षक, परिचर्या/रक्षा/भिक्षुक/वृद्ध व अपग गृह
४१. सहायक परिवीक्षा अधिकारी
४२. कल्याण अधिकारी (जेल)
४३. अनुसधानकर्त्ता (गृह)]

जन निर्माण विभाग (भवन एव पथ)

१. अभियान्त्रिक-अधीनस्थ, वरिष्ठ व कनिष्ट
२. अनुमानकर्त्ता
३. सगणक
४. प्रारूपकार अथ मुख्य, वरिष्ठ कनिष्ठ और सहायक प्रारूपकार
५. फोरमैन
६. यन्त्रालय पर्यवेक्षक
७. यन्त्रालय मिस्त्री (फोरमैन)
८. जल निरीक्षक
९. मापक (Meter) निरीक्षक
१०. मापक पाठक
११. प्रयोगशाला सहायक
१२. जल स्वच्छक रक्षक (फिल्टर एटेन्डेंट)
१३. पम्प रक्षक
१४. सरेखक
१५. उद्यान निरीक्षक

---

* विज्ञप्ति स० ३(१६) नियुक्ति (क-३)।६४ दि० २४-३-६४ द्वारा निविष्ट।

१६. सहायक उद्यान निरीक्षक
१७. विधि सहायक
१८. सहायक निर्माणक
१९. सहायक सांख्यिकी
२०. मिस्त्री
*२१. पम्प चालक

† टिप्पणी—अधिदर्शकों के लिए परिनिन्दा व दो वेतन वृद्धि तक बिना संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड देने का अधिकार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, (P.W.D., B. & R.) में निहित होंगे।

श्रम विभाग

१. निरीक्षक
२. अनुसंधानकर्त्ता
३. सांख्यिकी सहायक
४. परिचारक (कम्पाउन्डर)
५. संगणक
६. दाई
७. परिचारिका (नर्स)
८. प्रारूपकार
९. चलचित्र परिचालक
§१०. व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सा भण्डार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना
‡ [११. पर्यवेक्षक प्रशिक्षक
१२. प्रशिक्षक (रेखांकन व कला)
१३. प्रशिक्षक (अतकनीकी)
१४. प्रशिक्षक (फोरमैन)]

कारागृह (जेल) विभाग

१. जेलर
२. उप जेलर
३. सहायक जेलर
४. मुख्य प्रधान रक्षक (Chief Head Warder)
५. परिचारिका (मैट्रन्स)
६. प्रधान रक्षक

---

* विज्ञप्ति सं० एफ ३(२५) नियुक्ति (क-३)।६५ दि० ५-४-६५ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३, १४(२६)-नियुक्ति (क-३)।६२ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट।
§ विज्ञप्ति सं० एफ ३(१६) नियुक्ति (क-३)।६१ दि० ३-११-६१ द्वारा निविष्ट।
‡ विज्ञप्ति सं० एफ ३(१०) नियुक्ति (क-३)।६२ दि० ७-६-६२ द्वारा निविष्ट।

७. व्यवस्थापक, उद्योगशाला
८. सहायक व्यवस्थापक
९. अध्यापक
१०. मुख्य अक्षर योजक
११. अक्षर योजक
१२. मुद्रक
१३. निरीक्षक (जेल व लॉक अप)
१४. परिचारक (कम्पाउण्डर)
१५. नर्स (दाई)

राजस्व, उपनिवेश एवं भू अभिलेख विभाग

१. †तहसीलदार

टिप्पणी—अध्याय (३) व नियम १५ (१) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकार इन पदाधिकारियों के लिये अध्यक्ष, राजस्व मंडल में निहित होंगे।

२ नायब तहसीलदार

टिप्पणी—इन पदाधिकारियों के लिए '‡जिलाधीश' कार्यालयाध्यक्ष होंगे।

३. सहायक भू-अभिलेख अधिकारी

टिप्पणी—इन पदाधिकारियों के लिये कार्यालयाध्यक्ष 'निदेशक, भू-अभिलेख' होंगे।

४. भू-प्रबन्ध विभाग के कार्यालय में निरीक्षक
५. भू-अभिलेख निरीक्षक
६. मुख्य प्रारूपकार व प्रारूपकार
७. सीमा निरीक्षक
८. सदर कानूगो, सहायक कानूगो व कार्यालय कानूगो
९. सहायक कार्यालय कानूगो
१०. वरिष्ठ सीमा निरीक्षक
११. सरेखक
१२. फोरमैन

पंजीयन एवं मुद्राक विभाग

१. उप पजीयक

‡ विज्ञप्ति स एफ ३ (१३) नियुक्ति (क-१) ६१ दिनांक ७-६-६२ द्वारा 'आयुक्त' के स्थान पर 'जिलाधीश' प्रतिस्थापित।

† विज्ञप्ति स० एफ ३ (२४) नियुक्ति (क) ६१ श्रेणी ३ दिनांक १३-२-६२ द्वारा राज्य सेवाओं में से विलोपित कर अधीनस्थ सेवाओं में निविष्ट।

स्थानीय निकाय निदेशालय

१. सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

१. सहायक अधीक्षक, चिकित्सालय
२. सहायक औषधीय रसानिक
३. सहायक परिचारिका (मेट्रन)
४. सिस्टर व कनिष्ट सिस्टर
५. नर्स एवं नर्सदाई, दाई मय पुरुष परिचारक (नर्स)
६. परिचारक (कम्पाउण्डर्स)
७. औषधक (Pharmacists)
८. तकनीशियन
९. क्ष-किरण सहायक
१०. प्रचार सहायक
११. कलाकार
१२. महिला स्वास्थ्य अधिकारी
१३. प्रयोगशाला सहायक
१४. मध्यम पुरुष
१५. स्वास्थ्य निरीक्षक
१६. स्वच्छता निरीक्षक
१७. मलेरिया सर्वेक्षक
१८. स्वास्थ्य प्रदर्शिका (visiters)
१९. टीका-कार (शीतला रक्षक)
२०. मिस्त्री
२१. विद्युतक
२२. सिस्टर प्रशिक्षक (ट्यूटर)
२३. स्थापन परिचारिका (स्टाफ नर्स)
२४. दाई (मिडवाइफ)
२५. पशुशाला रक्षक
२६. छायाकार
२७. व्यावसायिक औषधक (थेरोपिस्ट)
२८. मॉडलर
२९. शारीरिक प्रशिक्षक
३०. *मोटर मिस्त्री

* विज्ञप्ति सं०एफ ३ (२१) नियुक्ति (क-३) ६१ दि० २४-१-६२ द्वारा निविष्ट

३१. †एकक अधिकारी, मलेरिया

(ख) सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महा विद्यालय

१. कनिष्ट प्रदर्शक
२. संग्रहाध्यक्ष
३. पुस्तकाध्यक्ष
४. शारीरिक प्रशिक्षक

‡ टिप्पणी—स्वच्छता निरीक्षकों के लिये परिनिन्दा एवं दो तक वेतनवृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड देने के अधिकार जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निहित होंगे।

§ खनिज एवं भू गर्भ विभाग

१. §सर्वेक्षक
२. विद्युतक
३. संग्रहालय सहायक
४. प्रस्तर (Ore) सुधारक
५. रसायनिक सहायक
६. मिस्त्री
७. व्यवस्थापक, मांकरी पट्टी खानें
८. दाब यंत्र परिचालक
९. खोज पर्यवेक्षक
१०. पम्प चालक
११. विद्युत्पादक परिचालक
१२. चट्टानवेधक परिचालक
१३. वेधन सहायक
१४. रज्जुकार (Rig man)
१५. स्लेबगन कटर
१६. सर्वेक्षक
१७. दाब यंत्र चालक
१८ वेधक श्रेणी १
१९. ,, ,, २
२०. सहायक वेधक
२१. खान पर्यवेक्षक

† विज्ञप्ति स०एफ ३ (२) नियुक्ति (क-३) । ६६ दि० २३-२-६६ द्वारा निविष्ट।

‡ विज्ञप्ति स०एफ ३ (२६) नियुक्ति (क-३) । ६२ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट।

§ विज्ञप्ति सं०एफ ३ (२३) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० ९-६-६५ द्वारा निविष्ट।

२२. सांख्यकी सहायक
२३. संगणक
२४. खान फोरमैन श्रेणी १
२५. ,, ,, २
२६. प्रारूपकार श्रेणी १
२७. ,, ,, २
२८. प्रक्षेत्र सहायक श्रेणी १
२९. ,, ,, २
३०. खनिपुरुष वरिष्ठ (Overman)
३१. ,, कनिष्ट
३२. प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ
३३. ,, ,, कनिष्ट
३४. यंत्रालय मिस्त्री
३५. वेधक मिस्त्री
३६. फिल्टर श्रेणी २
३७. चालक (जीप, ट्रक और ट्रेक्टर)

पुलिस विभाग

१. निरीक्षक
२. सह निरीक्षक (थानेदार)
३. प्लाटून आदेशक (कमांडर)
४. मुख्य आरक्षी
५. आरक्षी
६. सहायक सहनिरीक्षक
७. छायादार
८. कम्पनी आदेशक
९. शस्त्र विशेषज्ञ (Ballistics Expert)
१०. वैज्ञानिक सहायक
११. पुलिस छायाकार व विश्लेषक

टिप्पणी—×(१) अध्याय (३) नियम १५ (१)में वर्णित प्रावधानों में प्रदत्त अधिकार क्रम संख्या २ व ३ के लिए उप-महानिरीक्षक आरक्षी सम्बन्धित क्षेत्र में निहित होंगे।

‡(२) क्रमांक ४ व ५ के पदों के लिए अध्याय (३) नियम १५ (१) में प्रदत्त अधिकार जिला पुलिस अधीक्षक एवं अपर अधीक्षक में निहित होंगे।

× विज्ञप्ति सं०एफ १६ (२) नियुक्ति (क–३) । ६० दि० २-६–६० एवं दि० २४-३-६१ द्वारा निविष्ट व प्रतिस्थापित ।

विज्ञप्ति सं०एफ ३(७)नियुक्ति (क–३)। ६७ दि० ५-३-६७ द्वारा निविष्ट व दि० १३-४-६१ से प्रभावशील ।

(३) परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अधिकार उन पदों के लिये जिनके नियुक्ति-प्राधिकारी महानिरीक्षक और उप-महानिरीक्षक हैं, क्रमशः उप-महानिरीक्षक' पुलिस अधीक्षक व आदेशक, राजस्थान सशस्त्र दल में निहित होंगे।

जन सम्पर्क विभाग

१. छायाकार
२. अन्धकक्ष सहायक
३. कलाकार
४. मिस्त्री एवं परिचालक
५. परिचालक
६. *मिस्त्री

+आर्थिक एवं सांख्यकी निदेशालय

१. सांख्यकी अनुसंधान सहायक
२. प्रक्षेप सांख्यकी निरीक्षक
३. वरिष्ठ कलाकार
४. कनिष्ट कलाकार
५. प्रारूपकार
६. सगणक
७. प्रगति प्रसार अधिकारी
८. पुस्तकाध्यक्ष
=९. पर्यवेक्षक (आर्थिकी एवं सांख्यकी)

† टिप्पणी—परिनिन्दा व दो तक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड देने के अधिकार प्रगति प्रसार अधिकारियों के लिए जिला सांख्यकी में निहित होंगे।

यातायात विभाग

१. यातायात निरीक्षक
२. यातायात सह निरीक्षक
३. सर्वेक्षण निरीक्षक
४. फोरमैन
५. चालक
६. यांत्रकी निरीक्षक

---

* विज्ञप्ति स०एफ ३ (२१) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० १२-१२-६३ द्वारा निविष्ट।
+विज्ञप्ति स० एफ ३ (१८) नियुक्ति (क) । ६१ दि० २०-३-६२ द्वारा प्रतिस्थापित
=विज्ञप्ति स० एफ ३ (१) नियुक्ति (क-३) ६७ दि० १२-४-६७ द्वारा प्रतिस्थापित
† विज्ञप्ति स० एफ ३ (२६) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० ३०-१०-६३ द्वारा प्रतिस्थापित

विकास विभाग

१. सहकारिता एवं पंचायत अधिकारी
२. समाज शिक्षा अधिकारी
३. अधिदर्शक
४. चालक

पर्यटक सुविधा विभाग

१. पर्यटन सहायक

भू-सुधार (चकबन्दी) विभाग

१. सहायक भू-सुधार अधिकारी
२. मुन्सरिम
३. निरीक्षक

उद्योग विभाग

१. सम्पर्क अधिकारी एवं आवास अधीक्षक
[२. *तकनीशियन श्रेणी १, २ व ३ डीडवाना
३. मिस्त्री (मैकेनिक) मणिभीकरण संयंत्र, डीडवाना]
[४. †रेखाकार, आर्ट्स व क्राफ्टस ट्रेनिंग संस्थान, जयपुर
५. अधीक्षक, मानक चिन्हीकरण, लघु उद्योग]
६. ‡उद्योग प्रसार अधिकारी
७ §अधीक्षक, नमक (तकनीकी)
≡८. क–अधीक्षक एवं रेखाकलाकार. रेखांकन प्रसार केन्द्र, जयपुर

‡टिप्पणी—पद सं० ६ के लिए परिनिन्दा व दो वेतन वृद्धि बिना संचमी प्रभाव से रोकने के दण्ड देने के लिए जिला उद्योग अधिकारी में निहित होंगे।

× मूल्यांकन संगठन

१. अनुसंधान सहायक
२. अनुसंधानकर्ता
३. सगणक

---

* विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० ५-२-६३ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति सं एफ ३ (११) नियुक्ति (क-३) । ६३ दि० ८-७-६३ द्वारा निविष्ट।
‡ विज्ञप्ति सं०एफ ३ (२६) नियुक्ति (क-३) । ६२ दि० ३०-१०-६३ द्वारा निविष्ट ।
§विज्ञप्ति सं० एफ ३ (४) नियुक्ति (क)/६४ दि० २७-४-६४ द्वारा निविष्ट
≡ विज्ञप्ति सं एफ ३ (१८) नियुक्ति (क-३) ६३ दि० ३०-५-६४ व ५-६-६७ द्वारा निविष्ट।
× विज्ञप्ति सं० एफ ३ (१५) नियुक्ति (क-३) । ६१ दि० ४-१०-६१ द्वारा निविष्ट ।

†अधिकारी प्रशिक्षणालय

१. शारीरिक प्रशिक्षण एव खेल प्रशिक्षक

राजस्थान नहर मण्डल

१. §भण्डार प्रभारी

राजस्थान राज्य परिवहन विभाग

१. डिपो व्यवस्थापक
२. सहायक डिपो व्यवस्थापक
३. यातायात निरीक्षक
४. सहायक यातायात निरीक्षक
५. सहायक सांख्यिकी
६ श्रम कल्याण निरीक्षक
७. गोदाम अधीक्षक
८. गोदाम निरीक्षक
९. गोदाम सह निरीक्षक
१०. सहायक गोदाम सहनिरीक्षक
११, वरिष्ठ फोरमैन श्रेणी १
१२. ,, , २
१३. कनिष्ट ,, (यांत्रिकी)
१४. ,, ,, (विद्युत)
१५. अधिदर्शक
१६. चालक (ड्राइवर)
१७. परिचालक (कण्डक्टर)
१८. मिस्त्री
१९. विद्युतक श्रेणी १
२० टर्नर श्रेणी १
२१. वल्केनाइजर श्रेणी १
२२. लोहार श्रेणी १
२३. टिनवाला श्रेणी १
२४. चमकार श्रेणी १
२५. वेल्डर श्रेणी १
२६. रंगकार श्रेणी १
२७. बढई श्रेणी १

---

† विज्ञप्ति स० एफ ३ (१२) नियुक्ति (क—३) । ६३ दि० २७-६-६१ द्वारा द्वारा निविष्ट

§ विज्ञप्ति सं ३ (१) नियुक्ति (क) । ६५ दि० २२-२-६५ द्वारा निविष्ट ।

२८. सहायक मिस्त्री
२९. बर्तन रक्षक श्रेणी २
३०. टायर फिटर श्रेणी २
३१. बढ़ई श्रेणी २
३२. सहायक विद्युतक श्रेणी २
३३. रंगकार श्रेणी २
३४, टिनवाला/चर्मकार श्रेणी २
३५. वेल्डर श्रेणी २
३६. वेल्केनाइजर श्रेणी २
३७. टर्नर श्रेणी २
३८. लोहार श्रेणी २
३९. शीतक एवं वातानुकूलन तकनीशियन
४०. परिचारिका एवं पर्यटन पथ प्रदर्शिका (वातानुकूलित वाहन)

टिप्पणी—अध्याय (३) नियम १५ (१) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकार निम्न अधिकारियों में निहित होंगे—

(१) पदसंख्या १ से ८ तथा १५ व ४० के लिए—महाव्यवस्थापक

(२) पदसंख्या ११ से १४; १८ से २७ तथा ३९ के लिए—मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता।

(३) पदसंख्या २८ से ३५; ३७, ३८, ९ व १० के लिए—क्षेत्रीय यांत्रिकी अभियन्ता।

(४) पद सं० १६ व १७ के लिए—सहायक क्षेत्रीय व्यवस्थापक।

नयोजन निदेशालय

१. सांख्यिकी सहायक

राजस्थान अधोभौमिक जल मण्डल

१, वेधक पर्यवेक्षक
२. विस्फोटक पर्यवेक्षक
३, यंत्रालय पर्यवेक्षक
४. मुख्य मिस्त्री
५. पर्यवेक्षक (यांत्रिकी)
६. मिस्त्री
७. वेधक
८. सहायक वेधक
९. विस्फोट कर्त्ता
१०. सर्वेक्षक

११. प्रारूपकार
१२. छेदक
१३. प्रयोग शाला सहायक
१४. लोहार
१५. बढई
१६. सहायक लोहार
१७. सहायक बढई
१८. पम्प परिचालक
१९. टर्नर
२०. फिटर
२१. वेल्डर
२२ विद्युतक
२३. रंगकार
२४. चालक
२५. वाष्पयंत्र चालक
२६ मिस्त्री एव अनुमान कर्ता
२७. मशीनमैन
२८ मोची

स्वायत शासन विभाग

१. सामुदायिक विकास सगठक

विद्युत निरीक्षणालय

१. निरीक्षण सहायक
२. प्रयोग शाला सहायक
३. चालक

पुरातत्व निदेशालय

१. पुरातत्व ज्ञाता
२. रसायनिक
३. अनुसन्धान अधिकारी
३. सहायक रसायनिक
४. अनुसधान कर्ता
६. सहायक पुरातत्व ज्ञाता
७. सहायक पुरातत्व ज्ञाता (प्रभारी, विनिर्दीकरण)
८. अनुसधान सहायक
९. छायाकार

१०. वरिष्ठ तकनीकी सहायक
११. कनिष्ट तकनीकी सहायक

‡ शासकीय अभिवक्ता, जोधपुर

१. विधि-सहायक

सचिवालय

१, मुख्य विधि सहायक
†[२. विधि सहायक
३. पुस्तकाध्यक्ष
४. सांख्यिकी सहायक
५. संगणक
६, विद्युत सहायक

टिप्पणी—अध्याय (३) नियम १५ (१) में वर्णित प्रावधानों में प्रदत्त अधिकारों के लिए पद संख्या ३ से ६ तक के लिए उपशासन सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग में निहित होंगे ।]

---

‡ विज्ञप्ति सं एफ ३ (१६) नियुक्ति (क-३) । ६५ दि० ८-११-६५ द्वारा प्रतिस्थापित ।
† विज्ञप्ति सं एफ ३ (१९) नियुक्ति (क-३) । ६५ दि० ६-६-६६ द्वारा निविष्ट ।

अनुसूची (३)

SCHEDULE (3)

अनुसचिवीय या लिपिक वर्ग सेवायें

(MINISTERIAL SERVICES)

१. लेखाकार—मय वरिष्ठ, सह, उप, कनिष्ठ, सहायक, भण्डार और सहायक भण्डार लेखाकार, जिला राजस्व लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार।
२. अहलमद—वरिष्ठ, कनिष्ठ या सहायक अहलमद
३. लेखा लिपिक और कनिष्ठ लेखा लिपिक
४. लेखा सकलनकर्ता
५. सहायक—मय राजस्व, न्यायिक, स्थापना और विविध सहायक
६. अंकेक्षण चिट्ठियात लिपिक
७. अंकेक्षण लिपिक
८. अंकेक्षक मय मण्डल-अंकेक्षक
९. बिल लिपिक
१०. बिल्टी लिपिक
११. जिल्दसाज
१२. खजान्ची और सहायक खजान्ची
१३. लिपिक—मय दीवानी, फौजदारी, विविध, अपील, पुर्नानिरीक्षण और अंग्रेजी लिपिक
१४. गणना यत्र चालक
१५. शिविर लिपिक
१६. सूचीकार
१७. संकलनकर्ता—मय मुख्य-सकलनकर्ता, जिला गैजेटियर्स निदेशालय
१८. अगरग लिपिक
१९. नकल नवीस
२०. कोर लोंगिग लिपिक
२१. पठम लिपिक
२२. डाक लिपिक
२३. प्रेषण लिपिक
२४. डायरी लिपिक
२५. समाग लिपिक
२६. स्थापना लिपिक
२७. आबकारी लिपिक
२८. प्रक्षेत्र लिपिक
२९. क्षेत्रपाल एव भडारी तथा कनिष्ट क्षेत्रपाल एव भडारी
३०. क्षेत्र सहायक
३१. सैन्य लिपिक
३२. फरनीचर लिपिक
३३. गजधर
३४. राजपत्र लिपिक
३५. मुख्य लिपिक
३६. जनगणना विभाग के निरीक्षक
३७. खुफिया निरीक्षक और चुङ्गी एव आबकारी विभाग के सह निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक
३८. उपकरण लिपिक
३९. कनिष्ठ लिपिक
४०. खाता जमाबन्दी लिपिक
४१. अभिलेख लिपिक
४२. लदान एव प्रेषण लिपिक
४३. पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय-लिपिक (कार्यालयों में)
४४. पुस्तकालयो के पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुसूची (१) या (२) मे वर्णित के अलावा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष, सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष

४५. अवकाश लिपिक
४६. मुन्सरिम
४७. मुन्शी तथा मुख्य-मुन्शी
४८. मोर्हारिर
४९. मुकद्दम
५०. नाकेदार
५१. नाजिर
५२. कागज विशेषज्ञ, सहकारी विभाग
५३. पार्सल लिपिक
५४. पटवारी
५५. वेतन लिपिक
५६. पेंशन लिपिक
*५७. विभागाध्यक्षों या कार्यालयाध्यक्षों के निजी सहायक, विभाग के संवर्ग से न हो
५८. पेशकार और कनिष्ट या सहायक पेशकार
५९. याचिका लिपिक
६०. प्रूफ रीडर
६१. जनसम्पर्क विभाग के निम्न पद—सूचना अधिकारी, समाचार-सम्पादक, समाचार-सहायक, पत्रकार, जांचकार, दिग्दर्शन अधिकारी, अभिवक्ता।
६२. पेशकार व मुख्य पेशकार
६३. प्राप्ति लिपिक
६४. अभिलेखपाल, सहायक अभिलेखपाल और अभिलेख लिपिक
६ . प्रत्यर्पण लिपिक
६६. रोजनामचा लिपिक
६७. संदर्भ लिपिक
६८. अनुभाग प्रभारी और अनुभाग लिपिक
६९. वरिष्ठ लिपिक मय जागीर निरीक्षक
७०. लेखन सामग्री लिपिक
७१. सांख्यिकी लिपिक
७२. प्राशु लिपिक
७३. माल पड़तालिया
७४. भण्डारी व सहायक भण्डारी
७५. उप-संभाग लिपिक
७६. अधीक्षक, सामान्य अधीक्षक और अनुभाग अधीक्षक, मय कार्यालय अधीक्षक एवं पंजीयक, एम० बी० एम० इन्जि० कालेज, जोधपुर‡
७७. †पर्यवेक्षक
७८. सारणीकार
७९. समयपाल एवं सहायक समयपाल
८०. अनुवादक
८१. यात्रा व्यय लिपिक
८२. (कोषागारों में) कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष और कनिष्ठ कोषाध्यक्ष
८३. टंकक
८४. भाषा लिपिक
८५. लेखक
८६. ग्राम सेवक
८७. मुहाफिलान
८८. उप-पंजीयक, विभागीय परीक्षायें
८९. टिकट बाबू और कंडक्टर, राजकीय परिवहन सेवा, सिरोही

[देवस्थान विभाग

९०. व्यवस्थापक, श्रेणी १ व २
९१. दारोगा, श्रेणी १ व २
९२. ओहदेदार, श्रेणी १ व २
९३. महन्त, श्रेणी १ व २
९४. मुखिया, श्रेणी १ व २

* टिप्पणी—सं० ५७ के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष होंगे।
‡ "किन्तु सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीक्षकों को छोड़कर"—वाक्य विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२४) नियुक्ति (क-३) ६१ दिनांक १३-२-६२ द्वारा विलोपित।
† विज्ञप्ति सं० एफ ३ (२०) नियुक्ति (क-३)/६२ दि० ११-११-६३ द्वारा प्रतिस्थापित।

९५ पुजारी, श्रेणी १ व २
९६. गोस्वामी, श्रेणी १ व २]
९७. उप-संपादक
९८. सम्वाददाता
९९. वरिष्ठ प्रूफ रीडर
१०० कृषि निदेशक के निजी सहायक
१०१. भण्डार पर्यवेक्षक
१०२. कम्पाउ पर्यवेक्षक एवं सहायक
१०३ पथप्रशिक्षक
१०४. महिला दर्जी
१०५. निरीक्षक, भण्डार एवं लेखा
१०६. सिंचाई विभाग के अमीन
१०७. टेलीफोन चालक
१०८. चकबन्दी विभाग का सर्वेक्षक
१०९. मार्गदर्शक
११०. कनिष्ट स्वागतकर्ता
१११. कारिंदा
११२. सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी
११३. लेखा निरीक्षक
११४. अभिलेख सहायक
११५. अनुसंधानकर्ता
११६. अभिलेख रक्षक (अटेंडेंट)
११७. छटाईकर्ता (सौर्टर्स)
११८. संरक्षण सहायक
११९. प्रयोगशाला सहायक
१२०. सचिवालय में मुख्य अनुवादक
१२१. प्रशासनिक सहायक (P.W.D.) | दिनांक
१२२. मास्टर प्रिंटर्स (S.W.) | २९.५.६[illegible] से

अनुसूची (४)

SCHEDULE (4)

चतुर्थ श्रेणी सेवायें
CLASS IV SERVICES

१. शिल्पकार (लोहार, बढ़ई, कलाईगर खरादी, रंगसाज आदि)
२. सहायक ([illegible])
३. नाई
४. [illegible]
५. भिश्ती
६. जिल्दसाज और सहायक जिल्दसाज
७. [illegible]
८. [illegible]
९. [illegible]
१०. [illegible]
११. [illegible]
१२. गाड़ी चालक
१३. [illegible]
१४. [illegible]
१५. [illegible]
१६. सिनेमा कर्मचारी
१७. [illegible]
१८. रसोइया
१९. कुली
२०. [illegible]
२१. [illegible]
२२. दर्जी या [illegible]
२३. डाक हरकारा
२४. [illegible]

९७. नेवगन
९८. भण्डारी कर्मचारी
९९. गाड़ी निर्माता
१००. सांचागर
१०१. वल्केनाइजर
१०२. विद्युत कलईसाज
१०३. बैटरी मैन
१०४. मोची
१०५. रंग साज (पेंटर)
[१०६. कोठारी—देवस्थान विभाग
१०७. भण्डारी ,,
१०८. रोकडीया ,,
१०९. तोपाखानी ,,
११०. अभिषेकी ,,
१११. बालभोगी ,,
११२. शुभचिन्तक ,,
११३. रसोइया ,,
११४. टेहलवा ,,
११५. झापटिया ,,
११६ कीर्तनिया ,,
११७. चोबदार ,,
११८. हुरकारा ,,
११९. पोशाकी ,,
१२०. जल घड़िया ,]
१२१. परिचारक (केयर टेकर)
१२२. कर समाहर्ता
१२३. सहायक कोठारी
१२४. मशीन मैन
१२५. प्रक्षेत्र सेवक (फार्म बॉय)
१२६. मुख्य हलवाला
१२७. हलवाला
१२८. मधुपा
१२९. हेडमेट (देवास)
१३०. धोबी
१३१. मार्दगिका वाहक (ढानीन मुनिश)
१३२. कुशल जुलाहा, प्रथम श्रेणी
१३३. कुशल जुलाहा द्वितीय श्रेणी
१३४. सहायक बुनाई मास्टर, मिलर, परिसज्जक, सूत बुनाई सहायक, बॉयलर मैन
१३५. चमड़े वाला (चर्मकार)
१३६. तुलारा (तोला)
१३७. प्रोजेक्ट चालक
१३८. गेजरीडर
१३९ प्रयोगशाला संवाहक (शिक्षा विभाग)
१४०. प्रयोगशाला सेवक (शिक्षा विभाग)
१४१. लुहार
१४२. बढ़ई
१४३. खरादी
[१४४. बाजावाला देवस्थान विभाग
१४५. सारंगिया ,,
१४६. पखावजिया ,,
१४७. बाड़दार ,,
१४८. मुखिया ,,
१४९. पुजारी ,,
१५० भीतरिया ,,
१५१. झापटिया ,,
१५२ देश के पासवान ,,
१५३. नगारची ,,
१५४. प्रचारक ,,
१५५. शहनायची ,,]
१५६ कूपपाल
१५७. ग्वाला तथा हलवाला
१५८. सहायक गैसमैन
१५९. मेनुअल सहायक
[१६०. नक्शा रक्षक
१६१. फैरो मैन]
[१६२. डोजल बॉय
१६३ भार वाहक (पोर्टर)]
१६४. सरकर
१६५. प्रयोगशाला बॉय
१६६. मरम्मतकार (मेण्डर)
१६७. बूट रक्षक (दि० २९-५-६८ से)

केन्द्रीय असैनिक सेवायें

(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)

नियम १९६५

[Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965]

तालिका

एक परिचय

(१) तुलनात्मक अध्ययन—केन्द्रीय नियम १९५७ के आधार पर राजस्थान के नियम बनाये गये हैं, अतः इस परिशिष्ट में पृष्ठ 1 से 24 तक के नियम तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिये गये हैं, जिन पर १९६२ तक के मामलों के न्यायालय-निर्णय आधारित हैं। [इस विषय पर पृष्ठ सं० ४ से ८ तक भी देखिये]

(२) सन् १९६५ के नियमों के कुछ विशेष संशोधन—इन नियमों के निम्नलिखित प्रावधान विशेष ध्यान देने योग्य हैं, यहां केवल संकेत रूप में सारांश दिया गया है, अतः सम्बन्धित मूल नियमों को देखना चाहिये—

१. अवधि की सीमाओं का निर्धारण—

लिखित-प्रतिकथन प्रस्तुत करने, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थिति, साक्षी में पेशी बदलना, प्रलेखों का निरीक्षण, प्रलेखों की खोज व प्रस्तुत करना, नई साक्ष्य के लिये समय के बारे में अवधि की सीमायें निश्चित की गई हैं। (नियम १४)

२. कर्मचारी द्वारा स्वीकार किये गये आरोपों की जांच करना आवश्यक नहीं है। [नियम १४ (९) व (१०)]

३. किसी जांच-प्राधिकारी के स्थानान्तर पर चले जाने के बाद की कार्यवाही की विधि। [नियम १४ (२२)]

४. 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' (Presenting Officer) की नियुक्ति। [नियम १४ (५) (ग)]

५. असाधारण दण्ड का प्रस्ताव करने के बाद साधारण दण्ड देने के लिये जांच करना आवश्यक नहीं— [नियम १५ (३)] साधारण दण्ड की सूचना देकर असाधारण दण्ड के लिये जांच करना [नियम १६ (१-क)]

६. अनुशासनिक कार्यवाही की आज्ञाओं का दोषी को सम्प्रेषण (नियम १७)

७. दण्डों का स्पष्ट वर्गीकरण—

साधारण दण्ड चार हैं—१. परिनिन्दा, २. पदोन्नति रोकना, ३. वेतन में से वसूली और ४. वेतन वृद्धि रोकना।

असाधारण दण्ड पांच हैं—१. पदावनति—केवल निम्न वेतन मान में, अस्थाई; २. पदावनति—पद, श्रेणी, सेवा या वेतनमान में। ३. अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ४. सेवाच्युति और ५. निष्कासन। (देखिये—नियम ११)

८. जिन अधिकारियों की सेवायें भारत सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को प्रतिनियुक्ति द्वारा दी गई, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रावधान—(नियम २०, २१)

९. अपीलें उचित-माध्यम की बजाय सीधी अपील-प्राधिकारी को प्रस्तुत होगी व एक प्रति दण्डाधिकारी को भेजनी होगी। (नियम २६)

१०. अपील की कालमर्यादा ३ माह के स्थान पर ४५ दिन कर दी गई है। (नियम २५)

'११. नियम १३ द्वारा राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने, सचालित करने व निर्णय देने के लिये विशेष-सत्ता (Special Agencies) स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।

१२. नये नियम सुरक्षा सेवाओं में नियुक्त असैनिक पदों पर भी लागू होंगे। रेल्वे सेवाओं के लिये अलग से नियम बनाये गये हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। [नियम ३ (१) (क)]

१३. नियम ३३ के अधीन पुराने नियमों की अनुसूचियाँ जब तक नयी अनुसूचियां प्रकाशित नहीं हो, लागू रहेंगी।

१४. नियम ३४ के अधीन पुराने नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश व परिपत्र, जहां तक इन नियमों से विपरीत नहीं हों, लागू रहेंगे। ये आदेश आदि आगे सन् १९५७ के नियमों के साथ स्थान-स्थान पर दिये गये हैं।

१५. अब अपील की अवधि समाप्त होने से पहले तथा अपील के निर्णय से पहले पुनरीक्षा की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होगी। [नियम २९ (२)]

१६. राज्यकर्मचारी के 'सहायक' की नियुक्ति के लिये अनुशासनिक-प्राधिकारी की अनुमति अब आवश्यक नहीं है। [नियम १४ (८)]

१७. नई साक्ष्य पेश करने की अनुमति देना [नियम १४ (१४)]

THE CENTRAL CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL RULES 1965*

PART I—*General*

1. **Short title and commencement**.—(1) These Rules may be called the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(2) They shall come into force on the 1st December, 1965.

2. **Interpretation**.—In these rules, unless the context otherwise requires–

(a) 'appointing authority' in relation to a Government servant means—

(i) the authority empowered to make appointments to the Service of which the Government servant is for the time being a member or to the grade of the Service in which the Government servant is for the time being included, or

(ii) the authority empowered to make appointments to the post which the Government servant for the time being holds, or

(iii) the authority which appointed the Government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) where the Government servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post has been in continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that Service or to any grade in that Service or to that post,

whichever authority is the highest authority.

(b) 'cadre authority' in relation to a Service, has the same meaning as in the rules regulating that Service;

(c) "Central Civil Service and Central Civil post" includes a civillian Service or civilian post, as the case may be, of the corresponding class in the Defence Services;

(d) 'Commission' means the Union Public Service Commission;

(e) 'Defence Services' means services under the Government of India in the Ministry of Defence, paid out of the Defence Services Estimates, and not subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Navy Act, 1957 (62 of 1957) and the Air Force Act, 1950 (45 of 1950);

(f) 'Department of the Government of India' means any establishment or organisation declared by the President by a notification in the official Gazette to be a department of the Government of India;

(g) 'disciplinary authority' means the authority competent under these rules to impose on a Government servant any of the penalties specified in rule 11;

(h) "Government servant" means a person who—

(i) is a member of a Service or holds a civil post under the Union, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government, or a local or other authority;

* Published vide G. I., M.H.A., Noti. No. F 7/2/63 Ests. (A) dated the 20th Nov. 1965.

(ii) is a member of a Service or holds a civil post under a State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government,

(iii) is in the service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government

(i) 'head of the department', for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority declared to be the head of the department under the Fundamental and Supplementary Rules or the Civil Service Regulations as the case may be;

(j) 'head of the office', for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority declared to be the head of the office under the General Financial Rules,

(k) 'Schedule' means the Schedule to these rules;

(l) 'Secretary' means a Secretary to the Government of India in any Ministry or Department, and includes—

(i) a Special Secretary or an Additional Secretary,

(ii) a Joint Secretary placed in independent charge of a Ministry or Department,

(iii) in relation to the Cabinet Secretariat, the Secretary to the Cabinet.

(iv) in relation to the President's Secretariat, the Secretary to the President, or as the case may be, the Military Secretary to the President,

(v) in relation to the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the Prime Minister, and

(vi) in relation to the Planning Commission, the Secretary to the Planning Commission.

(m) 'Service' means a civil service of the Union

3. Application—(1) These rules shall apply to every Government servant including every civilian Government servant in the Defence Services, but shall not apply to—

(a) any railway servant, as defined in rule 102 of Volume I of the Indian Railway Establishment Code,

(b) any member of the All India Services,

(c) any person in casual employment,

(d) any person subject to discharge from service on less than one month's notice,

(e) any person for whom special provision is made, in respect of matters covered by these rules, by or under any law for the time being in force or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the President before or after the commencement of these rules, in regard to matters covered by such special provisions,

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the President may by order exclude any class of Government servants from the operation of all or any of these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), or the Indian Railway Establishment Code, these rules shall apply to every Government servant temporarily transferred to a Service or post coming within exception (a) or (e) in sub-rule (1), to whom, but for such transfer, these rules would apply.

(4) If any doubt arises—

(a) whether these rules or any of them apply to any person, or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular Service,

the matter shall be referred to the President, who shall decide the same.

PART II—*Classification*

4. Classification of Services—(1) The Civil Services of the Union shall be classified as follows:—

(i) Central Civil Services, Class I;

(ii) Central Civil Services, Class II;

(iii) Central Civil Services, Class III;

(iv) Central Civil Services, Class IV.

(2) If a Service consists of more than one grade, different grades of such Service may be included in different classes.

5. Constitution of Central Civil Services.—The Central Civil Services, Class I, Class II, Class III and Class IV shall consist of the Services and grades of Services specified in the Schedule.

6. Classification of posts.—(1) Civil posts under the Union other than those ordinarily held by persons to whom these rules, do not apply, shall by a general or special order of the President, be classified as follows:—

(i) Central Civil Posts, Class I;

(ii) Central Civil Posts, Closs II;

(iii) Central Civil Posts, Class III;

(iv) Central Civil Posts, Class IV.

(2) Any order made by the competent authority, and in force immediately before the commencement of these rules, relating to classification of civil posts under the Union shall continue to be in force until altered, rescinded or amended by an order made by the President under sub-rule (1)

7. General Central Service.—Central Civil posts of any class not included in any other Central Civil Service shall be deemed to be included in the General Central Service of the corresponding class and a Government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that Service unless he is already a member of any other Central Civil Service of the same class.

PART III—*Appointing Authority*

8. Appointments to Class I Services and Posts.—All appointments to Central Civil Services, Class I, and Central Civil Posts, Class I, shall be made by the President.

Provided that the President may, by a general or a special order and subject to such conditions as he may specify in such order, delegate to any other authority the power to make such appointments.

9. **Appointments to other Services and Posts.**—(1) All appointments to the Central Civil Services (other than the General Central Service) Class II, Class III and Class IV, shall be made by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

*[Provided that in respect of Class III and Class IV civilian Services, or civilian posts in the Defence Services appointments may be made by officers empowered in this behalf by the aforesaid authorities.]

(2) All appointments to Central Civil Posts, Class II, Class III and Class IV, included in the General Central Service shall be made by the authorities specified in that behalf by a general or special order of the President, or, where no such order has been made, by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

PART IV—*Suspension*

10. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the President by general or special ordar, may place a Government servant under suspension—

(a) where a disciplinary proceeding aganist him is contemplated or is pending, or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

Provided that except in case of any order of suspension made by the Comptroller and Auditor- General in regard to a member of the Indian udit and Accounts Service and in regard to an Assistant Accountant General or equivalent (other than a regular member of the Indian Audit and Accounts Service), where the order of suspension is made by an authortiy lower than the appoiniting authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

(2) A Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority—

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub rule shall be computed from the commencement of the imprisoment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisoment, if any, shall be taken into account.

---

*[Inserted vide, G.I.H.M. Noti. No. 7/9/66 Est. (A) Dated 1-7-1966

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant under suspension is set aside in appeal or one review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dimissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where a Government servant is suspended or is deemed to have been suspended, (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART V—*Penalties in Disciplinary Authorities*

11. Penalties.—The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a Government servant namely;

Minor Penalties ;

(i) Censure:

(ii) Withholding of his promotion:

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) withholding of increments of pay:

Major Penalties :

(v) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vi) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government servant to the time scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service

(vii) compulsory retirement,

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government,

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a a disqualification for future employment under the Government.

Explanation.—The following shall not amounted to a penalty within the meaning of this rule, namely —

(i) withholding of increments of pay of a Government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment,

(ii) stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar

(iii) non-promotion of a Government servant whether in a substantive or non-officiating capacity, after consideration of his case, to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible,

(iv) reversion of a Government servant officiating in a higher Service, grade, or post to a lower Service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or past or on any administrative ground unconnected with his conduct,

(v) reversion of a Government servant, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation,

(vi) replacement of the services of a Government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such Government servant had been borrowed

(vii) compulsory retirement of a Government servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement,

(viii) termination of the services—

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or

(b) of a temporary Government servant in accordance with the provisions of sub rule (1) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, or

(c) of a Government servant employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement

12. Disciplinary Authorities.—(1) The President may impose any of the penalties specified in rule 11 on any Government servant.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), but subject to the provisions of sub rule (4), any of the penalties specified in rule 11 may be imposed on—

(a) a member of a Central Civil Service other than the General Central Service, by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the President;

(b) a person appointed to a Central Civil Post included in the General Central Service, by the authority specified in this behalf by a general or special order of the President or, where no such order has been made, by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the power to impose any of the penalties specified in rule 11 mey also be exercised, in the case of a member of a Central Civil Service, Class III (other than the Central Secretariat Clerical Service), or a Central Civil Service, Class IV.—

(a) if he is serving in a Ministry or Department of the Government of India, by the Secretary to the Government of India, in that Ministry or Department, or

(b) if he is serving in any other office, by the head of that office, except where the head of that office is lower in rank than the authority competent to impose the penalty under sub-rule (2).

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, —

(a) except where the penalty specified in clause (v) or clause (vi) of rule 11 is imposed by the Comptroller and Auditor General on a member of the Indian Audit and Accounts Service, no penalty specified in clauses (v) to (ix) of that rule shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority;

(b) where a Government servant who is a member of a Service other than the General Central Service or who has been substantively appointed to any civil post in the General Central Service is temporarily appointed to any other Service or post, the authority competent to impose on such Government servant any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 shall not impose any such penalties unless it has consulted such authority, not being an authority subordinate to it, as would have been competent under sub-rule (2) to impose on the Government servant any of the said penalties had he not been appointed to such other Service or post.

Explanation.—Where a Government servant belonging to a Service or holding a Central Civil post of any class is promoted, whether on probation or temporarily to the Service or Central civil post of the next higher class, he shall be deemed for the purposes of this rule to belong to the Service of, or hold the Central Civil post of such higher class.

13. Autharity to institute proceedings:—(1) The President or any other authority empowered by him by general or special order may—

(a) institute disciplinary proceedings against any Government

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any Government sarvant on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 11

(2) A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 may institute disciplinary proceedings against any Government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 notwithstanding that of such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties

PART VI—*Procedure for Imposing Penalties*

14 **Procedure for imposing major penalties**—(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 shall be made except after an inquiry held as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 15 or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour, against a Government servant it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 18 0, as the case may be an authority to inquire into the truth thereof

Explanation—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub rule (7) to sub-rule (20) and in sub rule (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Government servant under this rule and rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up—

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour in definite and distinct articles of charge

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in suppopt of each article of charge, which shall contain—

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Government servant

(b) a list of documents by which, and a list of witness by whom, the articles of charge are proposed to be sustained

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Government servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the Government servant to submit within such tim as may be specified a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it neces ary so to do appoint, under sub rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Government servant in his written statement of defence the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 15

(b) If no written statement of defence is submitted by the Government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it considers it necessary to do so appoint, under sub rule (2) an inquiring authority for the purpose

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge it may, by an order appoint a Government servant or a legal practitioner to be known as the Presenting Officer to present on its behalf the case in support of the articles of charge

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour

(ii) a copy of the written statement of defence if any, submitted by the Government servant

(iii) a copy of the statements of witnesses if any referred to in sub rule (3)

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Government servant and

(v) a copy of the order appointing the Presenting Officer

(7) The Government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour as the inquiring authority may by a notice in writing specify in this behalf or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow

(8) The Government servant may take the assistance of any other Government servant to present the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case so permits

(9) If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence appears before the inquiring authority such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Government servant thereon

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the Government servant pleads guilty

(11) The inquiring authority shall if the Government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days after recording an order that the Government servant may, for the purpose of preparing his defence.

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub rule (3),

(ii) *submit a list of witnesses to be examined on his behalf*,

NOTE —*If the Government servant applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.*

(iii) *give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).*

NOTE —*The Government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by him to be discovered or produced by the Government.*

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case

(13) On reciept of the requisition referred to in sub-rule (12), every authorty having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority.

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross examined by or on behalf of the Government servant The Presenting Officer shall be entitled to re examine the witnesses on any points on which they have been cross examined but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Government servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine

any witness and in such case the Government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence exclusive ot the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned The inquiring authority shall give the Government servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record The inquiring authority may also allow the Government servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice

NOTE —New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the Government servant shall be required to state his defence orally or in writing, as he may prefer If the defence is made orally, it shall be recorded and the Government servant shall be required to sign the record In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed

(17) The evidence on behalf of the Government servant shall then be produced The Government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers The witnesses produced by the Government servant shall then be examined and shall be liable to cross examination, re examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority

(18) The inquiring authority may, after the Government servant closes his case and shall, if the Government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer if any, appointed, and the Government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire

(20) If the Government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 [but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11], has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 should be imposed on the Government servant, that authority shall forward the record of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall

the witness and examine cross examine and re examine the witness and may impose on the Government servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules

(22) Whenever any inquiry authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice it may recall examine cross-examine and re examine any such witnesses as hereinbefore provided

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour

(b) the defence of the Government servant in respect of each article of charge

(c) an assesment of the evidence in respect of each article of charge

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor

Explanation—If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge it may record its findings on such article of charge

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge

(ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

(a) the report prepared by it under cluse (i)

(b) the written statement of defence if any submitted by the Government servant

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry

(d) written briefs if any filed by the presenting Officer or the Government servant or both during the course of the inquiry, and

(e) the orders, if any made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry

15 Action on the inquiry report—(1) The disciplinary authority if it is not itself the inquiring authority may for reasons to be recorded by it in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 14 as far as may be

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for suce disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficieet for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specifid in clauses (i) to (iv) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule 16, make an order imposing such penalty

Provided that in every case where it is necessay to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the Government servant.'

(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall—

(a) furnish to the Government servant a copy of the report of the inquiry held by it and its findings on each article of charge, or where the inquiry has been held by an inquiring authority, appointed by it a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority,

(b) give the Government servant a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under rule 14;

(ii) (a) In every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry, together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in pursuance of such notice, if any, shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice

(b) The disciplinary authority shall after considering the representation, if any, made by the Government servant, and the advice given by the Commission, determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and make such order as it may deem fit

(iii) Where it is not necessary to consult the Commission the disciplinary authority shall consider the representation, if any made by the Government servant in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on him and make such order as it may deem fit

16. Procedure for imposing minor penalties—(1) Subject to the provisions of sub rule (3) of rule 15, no order imposing on a Government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 shall be made, except after—

(a) informing the Government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or mis behaviour on which it is proposed to be taken and given him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal,

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub rule (3) to (23) of rule 14 in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary,

(c) Taking the representation if any submitted by the Government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration,

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour, and

(e) consulting the Commission where such consultation is necessory

*[(1—A) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub rule (1) if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government servant under clause (a) of that sub rule, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Government servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period an inquiry shall be held in the manner laid down in sub rules (3) to (23) of rule 14 before making any order imposing on the Government servant any such penalty]

(2) The record of the proceedins in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take action against him,

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour deliverad to him,

(iii) his representation, if any,

(iv) the evidence produced during the inquiry

(v) the advice of the Commission, if any,

(vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour, and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor

17 **Communication of orders**—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement if any with the finddings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him) and also a copy of the advice, if any, given by the Commission and, where the disciplinary authority, has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non acceptance.

18 **Common Proceedings**—(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the President or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding

* Inserted vide No. No. 7-3-67 Est. (A) dated 20th April 1968

Note—If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Government servants are different, an order for taking disciplinary action in a comon proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (4) of rule 12, any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding,

(ii) the penalties specified in rule 11 which such disciplinary authority shall be competent to impose,

(iii) whether the procedure laid down in rule 14 and rule 15 or rule 16 shall be followed in the proceeding.

19. **Special procedure in certain cases.**—Notwithstanding anything contained in rule 14 to rule 18—

(i) where any penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or

(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expendient to hold any inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

Provided that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

20. **Provisions regarding officers lent to State Governments etc.**—(1) Where the services of a Government servant are lent by one department to another dapartment or to a State Government or an authority subordinate there to or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such Government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the Government servant (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Government servant or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be

(2) In the light of thr findings in the disciplinary proceeding conducted against the Government servant—

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub rule (3) to (23) of rule 14 in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary,

(c) Taking the representation if any submitted by the Government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration,

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour, and

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

*[(1—A) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government servant under clause (a) of that sub rule, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Government servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub rules (3) to (23) of rule 14 before making any order imposing on the Government servant any such penalty.]

(2) The record of the proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take action against him,

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him,

(iii) his representation, if any,

(iv) the evidence produced during the inquiry,

(v) the advice of the Commission, if any,

(vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour, and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor.

17. **Communication of orders**—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement if any with the finddings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him) and also a copy of the advice, if any, given by the Commission and, where the disciplinary authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non acceptance.

18. **Common Proceedings**—(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the President or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

* Inserted vide No. No 7-3-67 Est. (A) dated 20th April 1968

Note—If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Government servants are different, an order for taking disciplinary action in a comon proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (4) of rule 12, any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding,

(ii) the penalties specified in rule 11 which such disciplinary authority shall be competent to impose,

(iii) whether the procedure laid down in rule 14 and rule 15 or rule 16 shall be followed in the proceeding.

19 **Special procedure in certain cases** —Notwithstanding anything contained in rule 14 to rule 18—

(i) where any penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or

(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expendient to hold any inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the ciucumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:

Provided that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

20. **Provisions regarding officers lent to State Governments etc** —(1) Where the services of a Government servant are lent by one department to another department or to a State Government or an authority subordinate there to or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such Government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the Government servant (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Government servant or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be

(2) In the light of thr findings in the disciplinary proceeding conducted against the Government servant—

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub rules (3) and (4) of rule 15

Explanation —The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary as far as may be in accordance with rule 14

21 **Provisions regarding officers borrowed from State Governments etc** —(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against a Government servant whose services have been borrowed by one department from another department or from a State Government or an authority subordinate thereto or a local or other authority, the authority lending his services (hereinafter in this rule referred to as the lending authority) shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of the suspension of the Government servant or of the commencement of the disciplinary proceeding as the case may be

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Government servant if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 should be imposed on him it may, subject to the provisions of sub rule (3) of rule 15 and except in regard to a Government servant serving in the Intelligence Bureau upto the rank of Assistant Central Intelligence Officer after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary

(i) provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority

(ii) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall replace the services of such Government servant at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary

PART VII—*Appeals*

22 **Orders against which an appeal lies.**—Notwithstanding anything contained in this Part no appeal shall lie against—

(i) any order made by the President,

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step in aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension,

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 14

23 **Orders against which appeal lies** —Subject to the provisions of rule 2 , a Government servant may prefer an preal against all or any of the following orders, namely —

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 10,

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 11 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority,

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 11,

(iv) an order which—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement, or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement,

(v) an order—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale or pay on the ground of his unfitness to cross the bar,

(b) reverting him while officiating in a higher Service, grade or post to *a lower Service grade or post, otherwise than as a penalty,*

(c) reducing or withholding the pension or denying the minimum pension admissible to him under the rules,

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof,

(e) determining his pay and allowances—

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower Service, grade, post, time scale or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or restoration of his service, grade or post, or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time scale of pay or stage in a time scale of pay to the date of his re instatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation—In this rule—

(i) the expression 'Government servant' includes a person who has ceased to be in Government service

(ii) the expression 'pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit

24. **Appellate Authorities**—(1) A Government servant including a person who has ceased to be in Government service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf either in the Schedule or by a general or special order of the President or, where no such authority is specified,—

(i) where such Government servant is or was a member of a Central Civil Service Class I or Class II or holder of a Central Civil post, Class I or Class II —

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it or

(b) to the President, where such order is made by any other authority,

(ii) where such Government servant is or was a member of a Central Civil Service Class III or Class IV or holder of a Central Civil Post, Class III or Class IV, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate

(2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1),

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 18 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate

(ii) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate

[* (3) A Government servant may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 11 to the President where no such appeal lies to him under sub rule (1) or sub rule (2), if such penalty is imposed, by any authority other than the President, on such Government servant in respect of his activities connected with his work as an Office bearer of an association, federation or union participating in the Joint Consultation & Compulsory Arbitration Scheme]

25 **Period of limitation for appeals**—No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time

---

* Inserted vide G I M H No 7/4/64 Est (A) Dated 18th April 1967

26 **Form and contents of appeal** —(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against It shall contain all meterial statements and arguments on which the appellant relies shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority

27 **Consideration of appeal** —(1) In the case on an appeal against an order of suspension the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 10 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 11 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider—

(a) whether the procedure laid down in these rules has been camplied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice,

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record, and

(c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe,

and pass orders—

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty, or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case

provided that—

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary,

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 and an inquiry under rule 14 has not already been held in the case, the appellate authority shall subject to the provisions of rule 19, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 14 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit,

Explanation —In this rule—

(i) the expression 'Government servant' includes a person who has ceased to be in Government service ,

(ii) the expression 'pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

24. **Appellate Authorities** —(1) A Government servant, including a person who has creased to be in Government service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf either in the Schedule or by a general or special order of the President or, where no such authority is specified,—

(i) where such Government servant is or was a member of a Central Civil Service Class I or Class II or holder of a Central Civil post, Class I or Class II,—

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it, or

(b) to the President, where such order is made by any other authority,

(ii) where such Government servant is or was a member of a Central Civil Service Class III or Class IV or holder of a Central Civil Post, Class III or Class IV, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 18 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate,

(ii) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate

[*(3) A Government servant may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 11 to the President where no such appeal lies to him under sub rule (1) or sub rule (2), if such penalty is imposed, by any authority other than the President, on such Government servant in respect of his activities connected with his work as an Office bearer of an association, federation, or union participating in the Joint Consultation & Compulsory Arbitration Scheme]

25 **Period of limitation for appeals** —No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time

* Inserted vide G I M H No 7/4/64 Est (A) Dated 18th April 1967.

26 **Form and contents of appeal** —(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against It shall contain all meterial statements and arguments on which the appellant relies shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

27 **Consideration of appeal** —(1) In the case on an appeal against an order of suspension the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 10 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 11 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider—

(a) whether the procedure laid down in these rules has been camplied with, and if not, whether such non compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice,

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record, and

(c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe,

and pass orders—

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty, or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case

provided that—

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary,

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 and an inquiry under rule 14 has not already been held in the case, the appellate authority shall subject to the provisions of rule 19, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 14 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(iii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 and an inquiry under rule 14 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of 15, of making a respresentation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry, make such orders as it may deem fit; and

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of rule 16, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in rule 23, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

28. **Implementation of orders in appeal.**—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

PART VIII—*Review*

29. (1) Notwithstanding anything contained in these rules,—

(i) the President, or

(ii) the Comptroller and Auditor General, in the case of a Government servant serving in the Indian Audit & Accounts Department, or

(iii) the Posts and Telegraphs Board, in the case of a Government servant serving in or under the Posts and Telegraphs Board, or

(iv) the head of a department directly under the Central Government, in the case of a Government servant serving in a department or office, (not being the Secretariat or the Posts and Telegraphs Board), under the control of such head of a department, or

(v) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be reviewed, or

(iv) any other authority specified in this behalf by the President by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order;

may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and review any order made under these rules or under the rules repealed by rule 34 from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, after consultation with the Commission where such consultation is necessary and may—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit a case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any reviewing authority unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 14 and after giving a reasonable opportunity to the Government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Comission where such consultation is necessary:

Provided further that no power of review shall be exercised by the Comptroller and Auditor General, the Posts and Telegraphs Board or the head of department, as the case may be, unless—

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for review shall be commenced until after:—

(i) the expiry on the period of limitation for an appeal, or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.

PART IX—*Miscellaneous*

30 **Service of orders, notices etc.**—Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the Government servant concerned or communicated to him by registered post.

31. **Power to relax time-limit and to condone del y.**—Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

32: **Supply of copy of Commission's advice.**—Whenever the Commission is consulted as provided in these rules, a copy of the advice by the Commission and, where such advice has not been acc pted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the Government servant concerned along with a copy of the order passed in the case, by the authority making the order.

33 **Transitory provisions**—On and from the commencement of these rules and until the publiction of the Schedules under these rules, the Schedules to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, and the Civilians is Defence Services (Classification, Contral and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time, shall be deemed to be the Schedules relating to the respective categories of Government servants to whome they are, immediately before the commencement of these ules, applicable, and such Schedules shall be deemed to be the Scheduless referred to in the corresponding rules of these rules.

34 **Repeal and Saving**—Subject to the provisions of rule 33, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957 and the Civilans in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1952, and any notifications or orders issued thereunder in so far as they are inconsistant with these rules, are hereby repealed,

Provided that—

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules, or any notification or order made, or anything done, or any action taken, thereunder,

(b) any proceedings under the said rules pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far may be, in accordanee with the provisions of these rules as if such proceedings were proceedings under these rules

(2) Nothing in these rules shall be construed as depriving any person to whom there rules apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notification or orders in force before the commencement of these rules

(3) An appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made, in accordance with these rules as if such orders were made and the appeal were preferred under these rules

(4) As from the commencement of these rules any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these rules, as if such orders were made under these rules

Porvided that nothing in these rules shall be construed as reducing any period of limitation for any appeal or review provided by any rule in force before the commencement of these rules

35 **Removal of doubts**—If any doubt arises as to, the interpretation of any of the provision of these rules, the matter shall be referred to the President or such other authority as may be specified by the President by a general or special order, and the President or such other authority shall decide the same

केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम १९५७

THE CENTRAL CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1957*

PART I—GENERAL

1. *Short title and commencement*—(a) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957.

(b) They shall come into force at once.

2. *Interpretation*—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Appointing Authority' in relation to a Government servant means—

(i) the authority empowered to make appointments to the service of which the Government servant is for the time being a member or to the grade of the Service in which the Government servant is for the time being included, or

(ii) the authority empowered to make appointments to the post which the Government servant for the time being holds, or

(iii) the authority which appointed the Government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) where the Government servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post, has been continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that Service or to any grade in that Service or to that post,

whichever authority is the highest authority.

(aa) 'Cadre Authority' in relation to a Service, has the same meaning as in the Rules of that Service

(b) 'Commission' means the Union Public Service Commission,

(c) Department of the Government of India' includes—

(i) the Cabinet Secretariat,

(ii) the Partition Secretariat,

(iii) the President's Secretariat,

(iv) the Prime Minister's Secretariat; and

(v) the Planning Commission

(d) 'Disciplinary Authority', in relation to the imposition of a penalty on a Government servant, means the authority competent under these rules to impose on him that penalty,

---

*Published vide Ministry of Home Affairs Notification No S R O 607, dated the 28th February, 1957 and amended from time to time

(e) 'Government servant' means a person who is a member of a Service who holds a civil post under the Union and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government or a local or other authority and also any person in the service of a State Government or a local or other authority whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government ,

(ea) 'HEAD OF THE DEPARTMENT' for the purposes of exercising the powers as appointing disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority declared to be the Head of the Department under the Fundamental Rules and Supplementary Rules

(eb) HEAD OF THE OFFICE' for the purposes of exercising the power as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority means the authority declared to be the Head of the Office under the General Financial Rules,

(f) 'Schedule' means the Schedule to these rules ,

(g) 'Secretary' means a Secretary to the Government of India in any Ministry or Department and includes—

- (i) a special Secretary ,
- (ii) an Additional Secretary or Joint Secretary placed in independent charge of a Ministry or Department ,
- (iii) in relation to the Cabinet Secretariat Secretary to the Cabinet ,
- (iv) in relation to the Partition Secretariat Secretary, Partition Secretariat ,
- (v) in relation to the President's Secretariat Secretary to the President or, as the case may be, Military Secretary to the President ,
- (vi) in relation to the Prime Minister's Secretariat Secretary to the Prime Minister , and
- (viii) in relation to the Planning Commission, (Secretary or Additional Secretary) to the Planning Commission

(h) Service' means a civil service of the Union

3 *Application* —(1) These rules apply to all Government servants, except—

- (a) railway servants as defined in rule 101 A of Volume I of the Indian Railway Establishment Code
- (b) persons to whom the Civilians in Defence Services (Classification Control and Appeal) Rules 1952 apply ,
- (c) persons in casual employment
- (d) persons subject to discharge from service on less than one month s notice
- (e) persons for whose appointment and other matters covered by these rules special provision is made by or under any law for the time being in force in regard to the matters covered by such law and
- (f) members of the All-India Services

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Indian Railway Establishment Code and the Civilians in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1952 these rules, shall apply to every Government servant temporarily transferred to a service or post coming within exception (a), (o) or (e) in sub-rule (1) to whom, but for such transfer, these rules would apply

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the President may by order exclude from the operation of all or any of these rules any Government servant or class of Government servants.

(4) If any doubt arises—

(a) whether these rules or any of them apply to any person, or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular service,

the matter shall be referred to the President, whose decision thereon shall be final.

Notes

**Exempted Government servants*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 3 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1957, the President hereby directs that the following classes of Government servants shall be wholly excluded from the operation of the said rules, namely :

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Locally recruited staff in Missions abroad,

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(*Post & Telegraphs Department*)

(i) Extra-departmental Agents ;

(ii) Monthly-rated staff paid from contingencies other than those brought on to regular establishment ;

(iii) Monthly-rated work-charged and other employees not on regular establishment ;

(iv) Daily-rated staff paid from contingencies ;

(v) Daily-rated workmen paid by the day, week, month, etc. ;

(vi) All hot whether and monsoon establishments ,

(vii) Non-departmental telegraphists and telephone operators.

*[G I M.H. Affairs Notification No S.R O 609. dated the 23th February, 1957.]

4. *Special provision by agreement* —Where it is considered necessary to make special provisions in respect of a Government servant inconsistent with any of these rules, the authority making the appointment may, by agreement with such Government servant, make such special provisions and thereupon these rules shall not apply to such Government servant to the extent to which the special provisions so made are inconsistent therewith ;

Provided that if the appointing authority is other than the President, the previous approval of the President shall be obtained by such authority.

5. *Protection of rights and privileges conferred by any law or agreement* — Nothing in these rules shall operate to deprive any Government servant of any right or privilege to which he is entitled—

(a) by or under any law for the time being in force, or

(b) by the terms of any agreement subsisting between such person and the President at the commencement of these rules.

PART II—CLASSIFICATION

6. *Classification of services.*—(1) The civil services of the Union shall be classified as follows :—

(i) Central Civil Services, Class I ;

(ii) Central Civil Services, Class II ;

(iii) Central Civil Services, Class III ,

(iv) Central Civil Services, Class IV.

(2) If a service consists of more than one grade, different grades may be included in different classes.

7. *Constitution of Central Civil Services.*—The Central Civil Services, Classes I, II, III and IV, shall consist of the services and grades of services specified in the Schedule.

8. *Classification of posts.*—(1) Civil posts under the Union other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply shall by a general or special order of the President be classified as follows :

(i) Central Civil Posts, Class I ;

(ii) Central Civil Posts, Class II ;

(iii) Central Civil Posts, Class III ;

(iv) Central Civil Posts, Class IV.

(2) Any order made by the competent authority and in force immediately before the commencement of these rules relating to classification of civil posts under the Union shall continue in force until altered, rescinded or amended by an order of the President under sub-rule (1).

Notes

Classification of Civil Posts *—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, the President hereby directs that with effect from the date of issue of this order, all civil posts under the Union other than posts created as specific additions to existing cadres which have already been classified shall, in the absence of any general or special order to the contrary, be classified as follows :

Sl. No.	Description of posts	Classification of posts
1.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs 950.	Class I
2.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs 575 but less than Rs. 950.	Class II
3.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 110 but less than Rs. 575	Class III
4.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is less than Rs 110.	Class IV

*G I M H. Affairs Notification No. F. 20/16/60 Ests. (A), dated the 13th March, 1962.

NOTE 1. For the purposes of this order—

(i) 'Pay' has the meaning assigned to it in F R 9(21) (a) (i) and excludes *inter alia* 'dearness pay'.

(ii) The pay or scale of pay of a post means the pay or scale of pay prescribed under the Central Civil Services (Revision of Pay) Rules, 1960

NOTE 2. Any post created or deemed to have been created in the revised scale of pay on or after the 1st July 1959, but before the date of issue of this order otherwise than as a specific addition to an existing cadre which has already been classified and having a classification higher than the one envisaged by this order, shall be reclassified under this order but without prejudice to the existing incumbent of such post.

9 *General Central Service*—Central Civil posts of any class not included in any other Central Civil Service shall be deemed to be included in the General Central Service of the corresponding class and a Government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of any other Central Civil Service of the of the same class.

PART III—APPOINTING AUTHORITIES

10 *Appointment to Class I services and posts*—All Appointments to Central Civil Services, Class I, and Central Civil Posts Class I, shall be made by the President

Provided that the President may, be a general or a special order and subject to such conditions as he may specify, delegate to any other authority the power to make such appointments

Government of India's orders *—In pursuance of the proviso to Rule 10 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, the President hereby orders that all appointments to Central Civil Services and posts, Class I, under the Himachal Pradesh Administration shall be made by the Lieutenant Governor of Himachal Pradesh and all appointments to Central Civil Services and posts, Class I, under the Delhi Manipur and Tripura Administration shall be made by the Chief Commissioner of Delhi, Manipur and Tripura respectively

Provided that no appointment to the post of Chief Secretary or Finance Secretary or Inspector-General of Police or Development Commissioners or any other post which carries an ultimate salary of Rupees two thousand per mensem or more shall be made except with the previous approval of the Central Government

11 *Appointments to other services and posts*—(1) All appointments to the Central Civil Services (other than the General Central Services), Classes II III and IV, shall be made, by the authorities specified in this behalf in the Schedule

PART IV—SUSPENSION

12 *Suspension*—(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or any other authority empowered by the President in that behalf may place a Government servant under suspension—

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

*Govt order No 25 35 35 Ests (A) dated 13th July 1959 as amended by No F 7 26 63 Ests (A) dated the 5th August 1963

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial

Provided that, except in the case of an order of suspension made by the Comptroller and Auditor-General in regard to a member of the Indian Audit and Accounts Service, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made

(2) A Government servant who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention, by an order of the appointing authority and shall remain under suspension until further orders.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant is set aside or declared or rendered void in consequence or by a decision of a Court of law and the disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders

(5) An order to suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

NOTE 1 The power to place a Government servant under suspension may also be exercised by on authority competent to impose on that Government servant any of the penalties specified in rule 13 of these Rules*.

NOTE 2 The circumstances in which a Government servant may be placed under suspension or shall automatically remain under suspension have now been defined rule 12 of the Central Civil Services Classification Control and Appeal) Rules, 1957 It has also been decided that, irrespective of the circumstances which lead to or result in suspension the subsistence allowance during suspension and the pay and allowances, on re instatement, in respect of the period of suspension should be regulated under Fundamental Rules 53 and 54 respectively.

The various cases shall be dealt with the following manner hereafter .—

(a) A Government servant who is detained in custody under any law providing for preventive detention or as a result of a proceeding either

*G I M H Affairs Notification No. S. R. O 603, dated the 28th February 1957.

on a criminal charge or for his arrest for debt shall, if the period of detention exceeds 48 hours and unless he is already under suspension, be deemed to be under suspension from the date of detention until further order as contemplated in rule 12 (2) of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1957 Government servant who is undergoing a sentence of imprisonment shall be also dealt with in the same manner pending decision on the disciplinary action to be taken against him

(b) A Government servant against whom a proceeding has been taken on a criminal charge but who is not actually detained in custody (e g a person released on bail) may be placed under suspension by an order of the competent authority under clause (b of Rule 12 (1) of the Central Civil Services Classification Control and Appeal) Rules, 1957 If the charge is connected with the official position of the Government servant or involving any moral turpitude on his part suspension shall be ordered under this rule unless there are exceptional reasons for not adopting this course ,

(c) A Government servant against whom a proceeding has been taken for arrest for debt but who is not actually detained in custody, may be placed under suspension by an order under clause (a) of Rules 12(1) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957 i e only if a disciplinary proceeding against him is contemplated ,

(d) When a Government servant who is deemed to be under suspension in the circumstances mentioned in clause (a) or who suspended in circumstances mentioned in clause (b) is re instated without taking disciplinary proceedings against him his pay and allowances for the period of suspension will be regulated under F R 54 i e in event of his being acquitted of blame or if the proceeding taken against him was for his arrest for debt, of its being proved that his liability arose from circumstances beyond his control or the detention being held by any competent authority to be wholly unjustified, the case may be dealt with under F R 54 (2) , otherwise it may be dealt with under F R, 54(3)

3 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are being issued in consultation with the Controller and Auditor General*

PART V—DISCIPLINE

13 *Nature of penalties*—The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed on a Government servant namely —

(i) censure ,

(ii) withholding of increments or promotion ,

(iii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders ,

(iv) reduction to a lower service grade or post, or to a lower time scale, or to a lower stage in a time scale ,

(v) compulsory retirement ,

(vi) removal from service which shall not be a disqualification for future employment ,

* G I M F Memo No 15(8) E IV/57 dated the 28th March 19 9

(vii) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule :

(i) withholding of increments of a government servant for failure to pass a departmental examination in accordance with rules or orders governing the service or post or the terms of his appointment ;

(ii) stoppage of government servant at the efficiency bar in the time-scale on the ground of his unfitness to cross the bar ;

(iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of a government servant, after consideration of his case, to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible ;

(iv) reversion to a lower Service, grade or post of a Government servant officiating in a higher service, grade or post on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct ;

(v) reversion to his permanent Service, grade or post of a Government servant appointed on probation to another Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing probation ;

(vi) replacement of the services of a government servant whose services have been borrowed for a State Government or an authority under the control of a State Government at the disposal of the authority which had lent his services ;

(vii) compulsory retirement of a Government servant in accordance with the provisions relating to his superanuation or retirement ;

(viii) termination of the services—

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing probation ; or

(b) of a temporary Government servant in accordance with Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1949, or

(c) of a Government servant employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement

NOTE 1. Instance of failure of Government servant to look after the proper maintenance of their families have come to Government's notice. It has been suggested that a provision may be made in the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1955, to enable Government to take action against those Government servants who do not look after their families properly.

The question has been examined and it has been decided that it will not be possible to make such a provision in the Conduct Rules as it would entail administrative difficulties in implementing and enforcing it. However, a Government servant is expected to maintain a reasonable and decent standard of conduct in his private life and not bring discredit to his service by his misdemeanour. In case where a Government servant is reported to have acted in a manner unbecoming of a Government as, for instance, by neglect of his wife and family, departmental action can be taken against him on that score without invoking any of the Conduct Rules In this connection, a reference is invited to Rule 13 of the C.C.S. (C.C.A.) Rules, which specifies the nature of penalties that may for good and sufficient reason, be imposed on a Government servant It has been held that neglect by a Government servant of his wife and family in a manner unbecoming of a Government servant may be regarded as a good and sufficient reason to justify action being taken against him under this rule.

It should however, be noted that in such cases the party affected has a legal right to claim maintenance. If any legal proceeding in this behalf should be pending in a court of law, it would not be correct for Government to take action against the Government servant on this ground as such action may be construed by the court to amount to contempt.*

2. It has been decided that if as a result of disciplinary proceedings any of the prescribed punishments (e g, censure, reduction to a lower post etc) is imposed on a Government servant, a record of the same should invariably be kept in his confidential roll. Further, if on the conclusion of the disciplinary proceedings it is decided not to impose any of the prescribed punishments but to administer only a warning or reprimand etc (as explained in Home Ministry's Office Memorandum No. 59/21/56 Est (A) dated the 13th December 1956), a mention of such warning etc. should also be made in the confidential roll @

3 Home Ministry's O M. No 18-18-48 Ests, dated the 20th August 1949 lays down the procedure to be followed by the Ministries while consulting the Union Public Service Commission, among other things, in disciplinary matters. In para 2 of Appendix II to the above O M it was stated *Inter alia* that while referring to the Commission a disciplinary case in which an original order imposing a penalty has to be passed by the President, care should be taken as far as possible, to avoid expressing an opinion on the merits of the case but there was no objection to a Ministry forming a provisional opinion for the imposition of one of the major penalties and asking the officer to show cause why that penalty shouldnot be imposed on him In Home Ministry's O M No 39-23-54 Ests, dated the 18th June, 1954 it was decided that the Ministries should prepare a self contained note indicating clear findings on facts of the case, and the nature and degree of any misconduct, and forward the same to the Commission while referring disciplinary cases to the Commission This requirements is also incorporated in Column 15 of the *p o forma* which accompanies all disciplinary cases referred to the Commission for advice.

4. Reference have been received from Ministries in regard to the apparent inconsistency between the instructions contained in Appendix II to Home Ministry's O M, dated the 20th August, 1949 and those contained in the O. M, dated the 18th June, 1954 referred to above It has now been decided, in consultation with the Union Public Service Commission that the following procedure should be adopted for referring disciplinary cases to them for advice ;

(a) *Original Cases—*

(i) Where no enquiry has been held i. e, so far as proceedings under rule 16 of CCS (CCA) Rules or a corresponding rule are concerned only the memorandum containing the allegations and the official's reply thereto should be sent to the Commission and it shall not be necessary to send a self contained factual note as a rule But a note should be sent where clarifications/comments have to be given to explain the points made in the officials explanation. These clarifications/comments should, however, be only factual and procedural and should from part of the record.

(ii) Where action under Rule 15 of the Central Civil Services (Classification, Control on Appeal) Rules 1957 or a corresponding rule has been initiated and an enquiry has been held, but the Government consider in the light of the explanation furnished by the officer and the finding

* [G I M H Affairs Memo No. F 25/16/59, Est (A) dated the 1st September 1959

@[G I. M H. Affairs Memo No. 38/12/59 Est. (A), dated the 23rd April 1956.

of the Enquiry Officer that there is no need to impose a major penalty, there may not be any need for preparing a self contained note except where it is necessary to clarify the factual/procedural points in the light of any remarks contained in the enquiry report. In the letter forwarding the records to the Commission or in a seperate note it may be mentioned that the Government have reached the provisional conclusion that no major penalty is called for. The note should, however, form part of the record

(iii) Where an enquiry has been held and the Government consider that a major penalty is called for, it will be necessary for the disciplinary authority to record a provisional conclusion regarding the penalty to be imposed While forwarding the reply of the officer to the show cause notice and the other relevant records to the Commission it will be sufficient in such cases to deal with any factual/procedural points which may have been raised in the officer's reply to the show cause notice, in a separate note which will form part of the record The note should not, however, discuss the merits of the case and should not record any findings on the charge, or express any opinion regarding the penalty to be imposed on the officer.

(*b*) *Cases of Appeal*—

While forwarding an appeal to the Commission, there should not be any expression of opinion on the merits of the case, it should, however, be ensured that comments of the Disciplinary Authority as required under rule 29 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules or a corresponding rule are invariably sent to the Commission

(*c*) *Cases of review on Memorials/Petitions or otherwise*—In terms of the provision of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, the Commission are required to be consulted only when the President proposes to pass an order overruling or modifying after consideration of any petition or memorial or otherwise an order imposing any of the penalties made by him or by a subordinate authority or an order imposing any of the penalties in exercise of his powers of review and in modification of an order under which none of the penalties has been imposed. In such cases, there is no objection to the Ministry indicating in a separate note or in the forwarding letter the considerations on account of which a modification of the order already passsed in the case is called for

In case where, as a result of the review, it is proposed to enhance thepenalty and a show cause notice to this effect is issued to the officer a note containing the Government's commentson any factual/procedural points raised by the officer, in the reply to the show-cause notice should be forwarded to the Commission together with other relevant papers without, however, expressing any view regarding the findings on the charges, or penalty to be imposed on the officer

(d) When a disciplinary case is referred to the Commission, all the documents in original as detailed in the *pro forma* statement circulated with Home Ministry's D O No 8-33-54 AVD dated 31st December, 1956 to all Vigilence Officers, together with all important papers which are referred to in these documents, should be forwarded to the Commission for their perusal *

* [G I M H Affairs Memo No F 18-9-63-Ests (B) dated the 4th August, 19?6

14. *Disciplinary Authorities*—(1) The President may impose any of the penalties specified in rule 13 on any Government servant.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), but subject to the provisions of sub-rule (4), any of the penalties specified in Rule 13 may be imposed on—

(a) a member of a Central Civil Service other than the General Central Service, by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the President ;

(b) a person appointed to a Central Civil post, included in the General Central Service, by the authority specified in this behalf by a general or special order of the President or where no such order has been made, by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the power to impose any of the penalties specified in Rule 13 may also be exercised, in the case of a member of a Central Civil Service, Class III, (other than Central Civil Secretariat Clerical Service), or a Central Civil Service, Class IV,—

(a) if he is serving in a Ministry or Department of the Government of India, by the Secretary to the Government of India in that Ministry or Department ,

(b) if he is serving in any other office, by the Head of that Office, except where the Head of that Office is lower in rank than the authority competent to impose the penalty under sub-rule (2).

(4) Notwithstanding anything contained in this rule,—

(a) except where the penalty specified in clause (iv) of rule 13 is imposed by the Comptroller and Auditor-Generel on a member of the Indian Audit and Accounts Service no penalty specified in clauses (iv) to (vii) of that rule shall be imposed by an authority lower than the appointing authority ;

(b) where a Government servent who is member of a Service other than the General Central Service or is substantively appointed to any civil post in the General Central Service, is temporarly appointed to any other Service or post, and the authority which would have been competent under sub-rule (2) to impose upon him any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 13, had he not been so appointed to such other service or post, is not subordinate to the authority competent to impose any of the said penalties after such appointment, the latter authority shall not impose any such penalty except after consultation wih the former authority,

NOTE—In pursuance of sub rule (2) rule 14 of the Central Civil Services Classification, Control and Appeal) Rules 1957, the President empoweres under clause (a) of, and specifies under clause (b) of, that sub-rule the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, for the purpose of imposition of the penalties specified in clause (i), clause (ii) and clause (iii) of rule—13 of the said rules on —

(a) any member of Central Civil Service Class I other than the C Central Service [

(b) any person appointed to a Central Civil Post Class I, included in the General Central Service Serving under the Andaman and Nicobar Islands Administration,*

15. *Procedure for imposing major penalties*—(1) Without prejudice to the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, no order imposing on a government servant any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) or rule 13 shall be passed except after an inquiry held, so far may be, in the manner hereinafter provided.

(2) The disciplinary authority shall frame definite charges on the basis of the allegation on which the inquiry is proposed to be held Such charges, together with a statement of the allegations on which they are based, shall be communicated in writing to the Government servant, and he shall be required to submit, within such time as may be specified by the disciplinary authority, @[(a) to such authority, or (b) where a board of Inquiry or Inquiring Officer has been appointed under sub-rule (2) (a) to that Board or officer,] a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

Explanation—In this sub-rule and in sub-rule (3), the expression "the disciplinary authority" shall include the authority competent under these rules to impose upon the government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of Rule 13.

*[(2 a) The disciplinary authority may inquire into the charges itself or, if it considers it necessary so to do, it may either at the time of communicating the charges to the government servant under sub-rule (2) or at any time thereafter, appoint a Board of Inquiry or Inquiring Officer for the purpose].

(3) The government servant shall, for the purpose of preparing his defence, be permitted to inspect and take extracts from such official records as he may specify, provided that such permission may be refused if, for reasons to be recorded in writing, in the opinion of the disciplinary authority such records are not relevant for the purpose or it is against the public interest to allow him access thereto.

*[(4) On receipt of the written statement of defence or if no such statement is received within the time specified, the disciplinary authority or, as the case may be, the Board of Inquiry or the Inquiring Officer may inquire into such of the charges as are not admitted].

(5) The disciplinary authority may nominate any person to present the case in support of the charges before the authority inquiring into the charges (hereinafter referred to as the inquiring authority) The government servant may present his case with the assistance of any other government servant approved by the disciplinary authority, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority as aforesaid is a legal practitioner or unless the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits

(6) The inquiring authority shall, in the course of the inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material in regard to the charges The government servant shall be entitled to

*[G I M H Affairs Memo No F 7/16/64-Ests (A) dated the 30th May 1964

@[Vide Gazette of India, Pt II S 3 (ii) dated 30th August 1958

cross-examine witnesse examined in support of the charges and to give evidence in person. The person presenting the case in support of the charges shall be entitled to cross-examine the Government servant and the witness examined in his defence. If the inquiring authority declines to examine any witness on the ground that his evidance is not relevant or material, it shall record its reasons in writing.

(7) At the conclusion of the inquiry, the inquiring authority shall prepare a report of the inquiry, recording its findings on each of the charges together with reasons therefore If in the opinion of such authority the proceedings of the inquiry establish charges different from those originally framed, it may record findings on such charges provided that findings on such charges shall not be recorded unless the Government servant has admitted the facts constituting them or has had an opportunity of defending himself against them

(8) The record of the inqairy shall include—

(i) the charges framed against the Government servant and the statement of allegations furnished to him under sub-rule (2) ,

(ii) his written statement of defence, if any ,

(iii) the oral evidence taken in the course of the inquiry ,

(iv) the documentary evidence considered in the course of the inquiry ;

(v) the orders if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry , and

(vi) a report setting out the findings on each charge and the reasons therefor.

(9) The disciplinary authority shall, if it is not the inquiring authority, consider the record of the inquiry and record its findings on each charge.

(10) (i) If the disciplinary authority, having regard to its findings on the charges is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 13 should be imposed, it shall—

(a) furnish to the Government servant a copy of the report of the inquiring authority and, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of its findings together with brief reasons for disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority , and

(b) give him a notice stating the action proposed to be taken in regard to him and calling upon him to submit within a specified time such representation as he may wish to make against the proposed action.

(ii) (a) In every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry, together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in response to such notice, if any, shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice.

(b) On receipt of the advice of the Commission, the disciplinary authority shall consider the representation, if any, made by the Government servant as aforesaid, and the advice given by the Commission and determine what penalty if any should be imposed on the government servant and pass appropriate orders on the case.

(iii) In any case in which it is necessary to consult the Commission, the disciplinary authority shall consider the representation if any, made by the Government servant in response to the notice under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and pass appropriate orders on the case.

(11) If the disciplinary authority having regard to its findings is of the opinion that any of the penalties specified in clause (i) to (iii) of Rule 13 should be imposed, it shall pass a appropriate orders in the case ;

Provided that in every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and Such advice taken into consideration before passing the orders.

(12) Orders passed by the disciplinary authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiring authority and where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of its findings together with brief reason for disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority, unless they have already been supplied to him, and also a copy of the advice, if any given by the Commission and, where the disciplinary authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

NOTES—(1) The following questions in connection with the reinstatement of dismissed/removed/discharged Government servants or the Government servants whose services had been terminated, came up for consideration :—

(1) Whether before the Government of India decided to reinstate an individual on grounds of equity, concurrence of Ministry of Finance should be obtained for payment of pay and allowances for the intervening period, or whether the administrative authorities could themselves after following the prescribed procedure (i. g. consultation with U. P. S. C. etc.) reinstate the person and sanction payment of pay and allowance.

(2) Where in case of reinstalement on the ground of dismissal/removal/discharge from or termination of serving being held by a court of law or by an appeallate/reviewing authority to have been made without following the procedure required under article 311 of the Constitution payment of full pay and allowances for the intervening period is automatic and compulsory.

2. As regards question (1) above it has been decided that the concurrence of the Ministry of Finance will not be necessary for reinstating a Government servant, if the authority which reinstates the Government servant is competent to appoint him. The question as to what pay and allowance should be allowed for the intervening period and whether or not the period should be treated as duty, will be dealt with under F. R. 54.

3. Regarding question (2) stated in para 1 above, it has been decided that F. R. 54 is inapplicable in cases where dismissed/removal/discharge from or termination of service is held by a court of law or by an appellate/reviewing authority to have been made without following the procedure required under article 311 of the Constitution. In such cases :—

(i) it is decided to hold a further inquiry and thus deem the Government servant to have been placed under suspension from the date

of dismissal/removal/discharge/termination under rule 12 (3) or 12 (4) of C. C. S. (C.C. & A.) Rules 1957 or a corresponding rule. the Government servant will be paid the subsistence allowance from the date he is deemed to have been placed under suspension.

(ii) if the Government servant is not 'deemed' to have been under suspension as envisaged under (i) above, the payment of full pay and allowances for the intervening period and treatment of that period as duty for all purpose will be automatic and compulsory, provided. that :—

(a) the arrears should be paid subject to the law of limitation;

(b) where the reinstated Government servant has secured employment during any period between the dismissal/removal/discharge/termination and reinstatement, the pay and allowances admissible to him after reinstatement, for the intervening period shall be reduced by the emoluments earned by him during such employment if such pay and allowances exceed such emoluments. If the pay and allowances admissible to him are equal to or less than the emoluments earned by him, nothing shall be paid to him.

Provided that the amount to be paid under (i) and (ii) above will be determined subject to the directions, if any, in the decree of the court regarding arrears of salary.

4. As the termination of service of Government servant without following the procedure laid down in the C.C.S. (C.C. & A.) Rules, 1957, the C.S.S. (T.S.) Rules 1949, the C S R., or the terms of his appointment, etc. results in the payment of arrears by way of pay and allowances, the need for meticulously observing the proper procedure in such cases is once again impressed on all concerned.

Since the provisions of article 311 (2) of the Constitution are materially the same as those contained in section 240 (3) of the Government of India Act 1935, observance of the following procedure laid down in rule 15 of the C C.S. (C.C. & A.) Rules 1957/Article 311 (2) of the Constitution is essential in all cases of termination of service except where such termination is in accordance with the terms of appointment or relevent rules :—

(a) An opportunity to deny his guilt and establish his innocence, which he can only do if he is told what the charges levelled against him are and the allegations on which such charges are based.

(b) An opportunity to defend himself by cross-examining the witnesses produced against him and by examining himself or any other witnesses in support of his defence.

(c) An opportunity to make his representation as to why the proposed punishment should not be inflicated on him, which he can only do if the competent authority, after the inquiry is over and after applying his mind to the gravity or otherwise of the charges proved against the Government servant tentatively purposes to inflict the penalty of reduction in rank, compulsory retirement. removal or dismissal and communicates the same to the Government servant.

5. In all cases where the circumstances leading to a Government servant's reinstatement reveal that the authority which terminated his services, either

wilfully did not observe, or through gross negligence failed to observe the 'proper procedure' as explained above, before terminating his service, proceedings should be instituted against such authority under rule 16 of the C.C.S. (C.C &.A) Rules 1957 and the question of recovering from such authority the whole or part of the pecuniary loss arising from the reinstatement of the Government servant be considered.*

Notes (2) Article 311 (2) of the Constitution has since been amenbed by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act 1963, and its substantive part as amended reads as follows —

"(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and where it is proposed after such inquiry, to impose on him any such penalty until he has been given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed, but only on the basis of the evidence adduced during such inquiry."

It will be observed that the requiremets of article 311 (2) of the Constitution as amended are —

(a) the same as were the requirements of article 311 (2) of the Constitution before the amendment, BUT

(b) the represention against the penalty proposed to be imposed has to be only on the basis of the evidence adduced during the inquiry.

Accordingly, the represention by a Government servant, to whome article 311 (2) of the Constitution is applicable on the penalty proposed to be imposed on him should be based only on the evidence adduced during the inquiry. If such representation contains statements, references, requests, demands, etc. not based on the evidence adduced during the inquiry, such statements, etc. should be ignored and this fact should be brought out in the final orders passed in the case **

16. Procedure for imposing minor penalties —(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of Rule 13 shall be passed except after—

(a) the government servant is informed in writing of the proposal to take action against him and of the allegations on which it is proposed to be taken and given an opportunity to make any representaion he may wish to make,

(b) such representation, if any, is taken into consideration by the disciplinary authority, and

(c) the Commission is consulted in cases where such consultation is necessary.

(2) The record of proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the government servant of the proposal to take action against him,

(ii) a copy of the statement of allegations communicated to him,

* G. I. M H Affairs Memo No F. 2/9/59-Ests (A), dated the 27th May, 1961, as amended by Memo of even number dated the 30th May, 1962.

**G. I. M. H. Affairs Memo. No. F. 7/36/63-Ests. (A) dated the 7th March 1964

(iii) his repesention, if any ,

(iv) the advice of the Commission, if any , and

(v) the orders on the case together with the reasors therefor.

17 *Joint inquiry* —(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the President or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding

(2) Subject to the provisions of sub-rule (4) of Rule 14, any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding,

(ii) the penalties specified in Rule 13 which such disciplinary authority shall be competent to impose, and

(iii) whether the procedure prescribed in Rule 15 or Rule 16 may be followed in the proceeding.

18 *Special procedure in certain cases* —Notwithstanding anything contained in Rules 15, 16 and 17—

(i) where a penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, or

(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expendient to follow such procedure,

the *disciplinary authority may consider the circumstances of the case* and pass such orders thereon as it deems fit

Provided that the Commission shall be consulted before passing such orders in any case in which such consultation is necessary.

18. *Provisions regarding officers lent to State Governments, etc.*—(1) Where the services of a Government Servant are lent to a State Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing him under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him

Provided that the borowing authority shall forthwith inform the authority which lent his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the Government Servant—

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of Rule 13 should be imposed on him, it

may, in consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary.

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Government Servant shall be replaced at the disposal of the lending authority

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 13 should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it deems necessary, or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it deems neccessary:

Provided that in passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub rules (10) and (11) of rule 15.

Explanation—The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary.

20 *Provisions regarding officers borrowed from State Governments etc* — (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is taken against a government servant whose services have been borrowed from a State Government or an authority subordinate thereto or a local or other authority, the authority lending his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstance leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case maybe.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the government servant—

(i) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 13 should by imposed on him, it may, subject to the provisions of sub rule (11) of rule 15 and except in regard to a government servant serving in the Intelligence Bureau of or below the rank of Assistant Central Intelligence Officer, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary .

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of rule 13 should be imposed on him, it shall replace his service at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.

PART VI—APPEALS

21 *Orders made by President not appealable*—Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against any order made by the President.

22. *Appeals against orders imposing suspension*—A Government servant may appeal against an order of suspension to the authority to which the authority which made or is deemed to have made the order is immediately subordinate.

* As amended vide the Ministry of (A) dated 15th December, 1961 Home Affairs Nott. No. F 7/24/61 Ests

23. *Appeals against orders imposing penalties*—(1) A member of a Central Civil Service, Class III or a Central Civil Service, Class IV, may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in Rule 13 to the authority specified in this behalf either in the schedule or by a general or special order of the President or where no such authority is specified, to the authority to which the authority imposing the penalty is immediately subordinate.

*(2) A member of a Central Civil Service, Class II, may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in Rule 13 to the authority specified in this behalf either in the Schedule or by a General or special order of the President or, where no such authority is specified—

(i) to the appointing authority, where such order is made by an authority subordinate to it: or

(ii) to the President, where such order is made by any other authority.

(3) A member of a Central Civil Service, Class I against whom an order imposing any of the penalties specified in rule 13 is made by an authority other than the President, may appeal against such order to the President.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), an appeal against an order in a common proceeding held under rule 17 shall lie to the authority to which the authority functioning as the diciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate.

Explanation—In this rule the expression "member of a Central Civil Service" includes a person who has ceased to be a member of that service.

24. *Appeal against other orders*—(1) A government servant may appeal against an order which—

(a) denies or varies to his disadvantage, his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by any rules or by agreement ; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rules or agreement,

to the President, if the order is passed by the authority which made the rules or agreement, as the case may be, or by any authority to which such authority is subordinate, and to the authority to which such authority is subordinate, and to the authority which made such rules or agreement, if the order is passed by any other authority.

(2) An appeal against an order—

(a) stopping a Government servant at the efficiency bar in the time scale on the ground of his unfitness to cross the bar ;

(b) reverting to a lower Service, grade or post, a Government servant officiating in a higher Service, grade or post, otherwise than as a penalty ;

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible under the rules ; and

* Subs. by the Ministry of Home Affairs Noti. No. 7/11/62 Ests (A), dated 29th August, 1962

(d) determining the pay and allowances for the period of suspension to be paid to a government servant on his reinstatement or determining whether or not such period shall be treated as a period spent on duty for any purpose,

shall lie—

(i) in the case of an order made in respect of a Government servant on whom the penalty of dismissal from service can be imposed only by the President, to the President, and

(ii) in the case of an order made in respect of any other Government servant, to the authority to whom an appeal against an order imposing upon him the penalty of dismissal from service would lie.

Explanation—In this rule—

(i) the expression "government servant" includes a person who has ceased to be in government service,

(ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

25. *Period of limitation for appeals*—No appeal under this Part shall be entertained unless it is submitted within a period of three months from the date on which the appellant receives a copy of the order appealed against;

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

26. *Form and contents of appeal*—(1) Every person submitting an appeal shall do so separately and in his own name

(2) The appeal shall be addressed to the authority to whom the appeal lies, shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

27. *Submission of appeals*—Every appeal shall be submitted to the authority which made the order appealed against;

Provided that if such authority is not the Head of the Office in which the appellant may be serving or, if he is not in service, the Head of the Office in which he was last serving, or is not subordinate to the Head of such Office, the appeal shall be submitted to the Head of such Office who shall forward it forthwith to the said authority :

Provided further that a copy of the appeal may be submitted direct to the appellate authority.

28. *Withholding of appeals*—(1) The authority which made the order appealed against may withhold the appeal if—

(i) it is an appeal against an order from which no appeal lies ; or

(ii) it does not comply with any of the provisions of rule 26, or

(iii) it is not submitted within the period specified in rule 25 and no cause is shown for the delay ; or

(iv) it is a repetition of an appeal already decided and no new facts or circumstances are adduced ;

Provided that an appeal is withheld on the ground only that it does not comply with the provisions of rule 26 shall be returned to the appellant and, if resubmitted within one month thereof after compliance with the said provisions, shall not withheld.

(2) Where an appeal is withheld, the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefor

(3) At the commencement of each quarter, a list of the appeals withheld by any authority during the previous quarter, together with the reasons for withholding them, shall be furnished by that authority to the appellate authority

29 *Transmission of appeals* —(1) The authority which made the order appealed against shall without any avoidable delay transmit to the appellate authority every appeal which is not withheld under rule 28, together with its comments thereon and the relevant records

(2) The authority to which the appeal lies may direct transmission to it of any appeal withheld under rule 28 and thereupon such appeal shall be transmitted to that authority together with the comments of the authority withholding the appeal and the relavant records

30 *Consideration of appeals*—(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 12 and having regard to the circumstances of the case the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly

(2 In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 13, the appellate authority shall consider—

(a) whether the procedure prescribed in these rules has been complied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in violation of any provisions of the Constitution or in failure of justice ,

(b) whether the findings are justified , and

(c) whether the penalty imposed is excessive, adequate or inadequate ,

and, after consultation with the Commission if such consultation is necessary in the case, pass orders,

(i) setting aside, reducing, confirming or enhancing the penalty or

(ii) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case ,

Provided that—

(i) the appellate authority shall not impose any enhanced penalty which neither such authority nor the authority which made the order appealed against is competent in the case to impose ,

(ii) no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant is givan an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty and

(iii) if the enhanced penalty which the appellate authority purposes to impose is one of the penalties specified in clause (iv) to (vii) of rule 13 and an inquiry under rule 15 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 18,

itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held and thereafter, on consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty, pass such order as it may deem fit.

(3) In the case of an appeal against any order specified in Rule 24 the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and pass such orders as it deem just and equitable.

31. *Implementation of orders in appeal*.—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

*[31A. *Provisions when disciplinary authority etc. subsequently becomes appellate authority*.—Notwithstanding anything contained in this Part where the person who made the order appealed against (becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise the appellate authority under Rules 22 to 24 in respect of the appeal against such order, such person shall forward the appeal to the authority to which he is immediately subordinate and such authority shall, in relation to that appeal, be deemed to be the appellate authority for the purposes of Rules 30 and 31.]

PART VII—REVIEW

32. *President's power to review*—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the President may, on his own motion or otherwise, after calling for the records of the case, review any order which is made or is appealable under these rules or the rules repealed by Rule 34 and, after consultation with the Commission where such consultation is necessary,—

(a) confirm, modify or set aside, the order ;

(b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed by the order :

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action or inquiry as he considered proper in the circumstances of the case ; or

(d) pass such other orders as he deems fit.

Provided that—

(i) an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such **[order] ;

(ii) if the President proposes to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of Rule 13 in a case where an inquiry under Rule 15 has not been held, he shall, subject to the provisions of Rule 18, direct that such inquiry be held and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty pass such orders as he may deem fit.

*[Vide Gazette of India, Part II, Sec. 3 (ii), dated 30th August, 1958.

** Subs. by Notification No. F/7/6 60-Ests. (A) dated 17th May, 1961.

* (2) The powers vested in the President under sub-rule (1) may also be exercised in like manner :—

(i) in the case of a Government servant in the Indian Audit and Accounts Department by the Comptroller and Auditor-General,

**"(i) (a) in the case of Government servant in or under the Posts and Telegraphs Board by the Post and Telegraphs Board , and."

(ii) in the case of a Government servant in the Department or Office, not being the Secretariat or the Indian Audit and Accounts Department [or the Posts and Telegraphs Board]°,which is under the control of a 'Head of a Department' directly under the Government, by such Head of Department

Provided that no such power shall be exercisable unless —

(i) The authority which made the order in appeal or in review, or

(ii) where no appeal has been preferred or no review has been made, the authority to which an appeal would lie or which is competent to review the order, subordinate to the Comptroller and Auditor-General [or the Posts and Telegraphs Board]° or such Head of Department, as the case may be.

33. *Review of orders in disciplinary cases*—The authority to which an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Rule 13 lies may of its own motion or otherwise, call for the records of the case in a disciplinary proceeding, review any order passed in such a case and, after consultation with the Commission where such consultation is necessary, pass such orders as it deems fit, as if the government servant had prefarred an appeal against such order .

Provided that no action under this rule shall be initialed more than six months after the date of the order to be reviewed.

°°[33-A. *Supply of copy of Commission's advice*—Whenever the Commission is consulted as provided in these rules, a copy of the advice given by the Commission and, where such advice has not been accepted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the government servant concerned along with a copy of the order passed in the case, by the authority making the order]

PART VIII—MISCELLANEOUS

34. *Repeal and Savings.*—(1) The Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules and the rules contained in the notification of the Government of India in the Home Department No F. 9-19/30 Ests, dated 27th February, 1932, and any notifications issued and orders made under any such rules to the extent to which they apply to persons to whom these rules apply and in so far as they relate to classification of Central Services specified in the Schedules except the General Central Services or confer powers to make appointments impose penaltfes or entertain appeals are hereby repealed

---

* Ins vide G I M H Affairs Noti. No F /7/25 61 Ests (A), dated 28th April, 1962.

**Ins vide G. I. M H Affairs Noti. No 7/1‾/54-Ests (A) dated 20th June, 1964.

° Ins. by ibid

°°Inserted by Notification No F 7/6/60-Ests. (A) dated 17th May, 1961

Provided that—

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules, notifications and orders or anything done or any action taken thereunder ,

(b) any proceeding under the said rules, notifications or orders pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of, as far as may be, in accordance with the provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall operate to deprive any person to whom these rules apply of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notifications or orders repealed by sub-rule (1) in respect of any order passed before the commencement of these rules.

(3) An appeal pending at or preferred after the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be passed, in accordance with these rules.

35. *Removal of doubts* —Where a doubt arises as to who is the Head of any Office or as to whether any authority is subordinate to or higher than any other authority or as to the interpretatation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the President whose decision thereon shall be final.

परिशिष्ट (क)
संवैधानिक प्रतिकार
[Constitutional Remedies for Disciplinary Action]

परिशिष्ट क–(१)

भारतीय–संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद

(Some Important Articles from the Constitution of India)

अनुच्छेद १४ : विधि के समक्ष समता (Equality before law)—

भारत राज्य क्षेत्र मे किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान सरक्षण से राज्य द्वारा वचित नही किया जायेगा।

अनुच्छेद १६ : राज्याधीन सेवा के विषय में अवसर समता—(Equality of opportunity in matters of public employment)

(१) राज्याधीन सेवाओ या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे सब नागरिको के लिये अवसर की समता होगी।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमे से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी सेवा या पद के विषय मे न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से ससद को कोई ऐसी विधि बनाने मे बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य-क्षेत्र मे किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की सेवा मे या पद पर नियुक्ति के विषय मे वैसी सेवा या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष मे जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवा मे पर्याप्त नही है, नियुक्तियो या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने मे कोई बाधा न होगी।

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा, जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक सस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

अनुच्छेद २२६ : कुछ लेखों (Writs) प्रसारणार्थ उच्च न्यायालयों की शक्ति—(Power of High Courts to issue certain Writs)—

(१) अनुच्छेद ३२ मे किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन क्षेत्रो मे सर्वत्र जिनके सम्बन्ध मे वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस सविधान के भाग (३)

द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी-प्रत्यक्षीकरण (*Habeas Corpus*) परमादेश, (*Mandamus*), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (*Quo worranto*) और उत्प्रेषण (*Certiorari*) के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उनमें से किसी को निकालने की शक्ति होगी।

†[(१-क) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या लेख निकालने के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकार का किसी भी उच्चन्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा, जो कि उन क्षेत्रो के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ कार्यवाही का कारण, पूर्णतः या अंशतः; ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिये उत्पन्न हुआ हो; चाहे उस सरकार या प्राधिकारी का मुख्यालय या उस व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों में (स्थित) नहीं हो।

(२) खण्ड (१) या खण्ड (१-क) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च-न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा।]

अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय— (Officers and Servants and the expenses of High Court) —

(१) उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा।

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिसमे न्यायालय का मुख्य स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओ मे जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही न्यायालय मे लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोक-सेवा आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा।

(२) राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उच्च-न्यायालय के पदाधिकारियो और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी; जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमो द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खण्ड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृति-वेतनो से सम्बद्ध हैं, उस राज्यपाल के, जिसमे उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है; अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्च न्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे मे, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होगी।

† संविधान के पन्द्रहवें संशोधन १९६३ द्वारा निविष्ट।

अनुच्छेद ३०९ : संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें (Recruitment and Conditions of Service of persons serving the Union or a State)—

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे :

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मंडल के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते, तब तक यथास्थिति; संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावशील होंगे।

अनुच्छेद ३१० : संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि—(Tenure of office of persons serving the Union or a State)—

(१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ की प्रतिरक्षा-सेवा या असैनिक-सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है, कोई संविदा—जिसके अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है—यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है, तो यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये उससे पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे प्रतिकर दिया जायेगा।

अनुच्छेद ३११ : संघ या राज्य के अधीन असैनिक रूप में सेवा नियुक्त व्यक्तियों की निष्कासन, सेवाच्युति या पदावनति किया जाना :—(Dismissal, removal, reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State.

(१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद

को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निष्कासित नहीं किया जायेगा अथवा सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

*[(२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक निष्कासित नही किया जायगा अथवा सेवा से नहीं हटाया जाएगा अथवा पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी जांच नही करली जाती, जिसमे उसे अपने विरुद्ध आरोपों से अवगत करा दिया गया है और उन आरोपों के सम्बन्ध मे सुनवाई का यथोचित अवसर दिया गया है और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसा कोई दण्ड देना प्रस्तावित हो, तो जब तक उसे प्रस्तावित दण्ड पर अभिवेदन, किन्तु ऐसी जाच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर, करने का यथोचित अवसर नही दे दिया गया हो।

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा—

(क) जहां कोई व्यक्ति किसी आचरण के कारण अपराध के आरोप पर दण्डित हुआ हो; इस आधार पर निष्कासित या सेवाच्युत या पदावनत किया गया है।

(ख) जहां किसी व्यक्ति को निष्कासित, सेवाच्युत या पदावनत करने की शक्ति रख वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप मे व्यवहार्य नही है कि उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाये, अथवा

(ग) जहां, राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति, का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जावे।

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खड (२) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप मे व्यवहार्य है या नही, तो ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, निष्कासित या सेवाच्युत या पदावनत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर निर्णय अन्तिम होगा।]

अनुच्छेद ३१८. आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी वृन्द की सेवाओं, की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:—(Powers to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission).

संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे मे राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

(क) आयोग के सदस्यो की संख्या तथा उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा; तथा

(ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द से सदस्यों की संख्या के तथा उसकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा;

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

* संविधान के पन्द्रहवें संशोधन १९६३ द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद ३२० लोकसेवा आयोगों के कृत्य (कार्य) (Functions of Public Service Commission)

(१) संघ तथा राज्य के लोक सेवा-आयोगों का कर्त्तव्य होगा कि क्रमश संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं म नियुक्तियो के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

(२) यदि संघ लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करे, तो उसका यह भी कर्त्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिनके लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिलो जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन मे लाने के लिए उन राज्यो की सहायता करें।

(३) यथास्थिति, संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक सेवा-आयोग से—

(क) असैनिक सेवाओं मे और असैनिक पदो के लिये भर्ती की रीतियो से सम्बद्ध समस्त विषयो पर,

(ख) असैनिक सेवाओं और पदो पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा मे पदोन्नति और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियो की ऐसी नियुक्ति पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा हूं प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयो से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त ऐसे अनुशासन-विषयो पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत-सम्राट के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध मे कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन मे किये गये, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध मे उसके विरुद्ध चलाई गई किन्ही विधि-कार्यवाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा मे करना पडा है वह, यथास्थिति, भारत की संचित निधि मे से या राज्य की संचित निधि मे से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर,

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे म निवृत्ति-वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसो दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर,

परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उनसे पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल उनसे पृच्छा करे, परामर्श देने का लोकसेवा-आयोग का कर्त्तव्य होगा;

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे मे तथा संघ-कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदो के बारे मे भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदो के बारे मे यथास्थिति राज्यपाल, उन विषयो का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनम साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले मे, अथवा किन्ही विशेष परिस्थितियो मे, लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

(४) खण्ड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोक सेवा-आयोग से उस रीति के बारे मे परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (४) मे निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद ३३५ के उपबन्धो को प्रभाव दिया जाना है ।

(५) खण्ड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गय सब विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति ससद के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून (कम) समय के लिये रखे जाये गे, तथा निरसन या सशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूप भेदों के अधीन होंगे जैसे कि ससद के दोनो सदन अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र मे करे, जिसमे कि वे इस प्रकार रखे गये हों ।

परिशिष्ट क—(२)

सहजन्याय के सिद्धान्त
(Principles of Natural Justice)

'सहज न्याय या नैसर्गिक-न्याय का सिद्धान्त' सविधान मे कहीं स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है वास्तव मे यह एक प्रकृति का नैतिक नियम है, जिसे न्यायालयों ने अपना लिया है । अंग्रेजी कानून (English Law) में सबसे पहले इसका समावेश हुआ कि– 'पार्लामेंट प्रकृति के नियम द्वारा दिये गये सरक्षण को नहीं छीन सकती" ।[1] प्रकृति की समता के विरुद्ध पार्लामेंट का कोई भी एक्ट अपने आप मे शून्य है, जिसमें एक व्यक्ति को अपने निजी कार्य के लिये न्यायाधीश बनाया गया हो, क्योंकि प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं (*jura naturae sunt immuteabilia*) और सब नियमों का नियम (*leges legum*) है ।[2] आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय ने [3] तथा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय [4] ने भी इसी प्रकार के निर्णय दिये हैं । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिद्धान्तों का विवेचन इस प्रकार किया है:—

(१) यदि एक प्राधिकारी को विधि मे अधिकार है कि–वह दो पक्षों के बीच के अधिकारों का निर्णय करे और विधि में यदि कोई स्पष्ट प्रावधान नही हो, तो वह प्राधिकारी न्यायिक रूप से कार्य करेगा और यह अर्द्ध-न्यायिक कार्य होगा ।

1. Calvin's Case : (1608) 7 Co Rep la (12 b) 77 ER 377
2. Day Vs, Savadge : (1614) 80 FR 235
3. Delta Properties Pvt. Ltd. Vs. Brisbane City Council , (1956) 95 CLR II
4. Wong Yang Sung Vs. Mc. Grath, [1949] 339 US 33
5. बम्बई राज्य बनाम खुशालदास - AIR 1950 SC 222 [260]

(२) यदि विधिसम्पन्न सत्ता को किसी ऐसे कार्य को करने का अधिकार है, जिससे जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यद्यपि यहां दो पक्ष नहीं हैं; फिर भी उस सत्ता का निर्णय अर्द्ध-न्यायिक होगा।

इन सिद्धान्तों की बाद में कई बार पुष्टि की जा चुकी है।[6]

विभिन्न न्यायालय-निर्णयों द्वारा कुछ ऐसे नियमों की स्थापना हो गई है, जिनमें से कुछ का वर्णन हम पृष्ठ १२३ पर पहले कर चुके हैं। ये नियम प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्भर रहते हैं और तत्सम्बन्धी विधि-प्रावधान के प्रकाश में देखे जाते हैं।[7] जो पूर्ण स्थापित नियम मान लिये गये हैं, वे चार हैं—

(१) जिस व्यक्ति के नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं, उसे उस मामले की यथोचित सूचना होनी चाहिये, जिसका कि उसे सामना करना है।

(२) उसे अपने बचाव में सुनवाई का यथोचित अवसर मिलना चाहिये।

(३) वह सुनवाई एक पक्षपात रहित मण्डल या व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिये, जो उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक पक्षकार नहीं है;[8] जिसे उस विवाद में कोई लगाव (interest) नहीं है,[9] और जो पहले से ही पक्षपातपूर्ण (Biased) नहीं है।[10]

भारत में निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में सहजन्याय के सिद्धान्त की पालना की मांग की जा सकती है—

(१) जब संविधान के अनुच्छेद १४ में प्रदत्त अधिकारों का हनन करते हुए किसी मामले में भेदभाव या असमता का वर्ताव किया गया हो, या अनुच्छेद १९ में प्रदत्त स्वतन्त्रता में कोई बाधा डाली गई हो, जो अनुचित (Unreasonable) हो।

(२) जब किसी नियम या विनियम या विधि प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दी गई कोई आज्ञा को अनुचित होने के आधार पर चेतावनी दी गई हो, और—

(३) जब किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में ली गई प्रक्रिया को कानून में वर्णित किसी प्रक्रिया के अनुसार न होकर अशुभ (Unfair) और अन्यायपूर्ण (Unjust) कहकर चेतावनी दी गई हो।[11]

इनमें से पहली परिस्थिति विधायिका पर और अन्य दो प्रशासनिक, न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियों पर लागू होती हैं। यह मान्यता है कि—सहज न्याय की मांग करने वाला निर्दोष (with clean hands) होकर आवे।[12]

विभिन्न निर्णयों के आधार पर सहज न्याय के सिद्धान्तों में दो सिद्धान्त प्रमुख हैं—

(१) यथोचित अवसर का सिद्धान्त (Doctrine of Reasonable Opportunity), और

(२) पक्षपात का सिद्धान्त (Docctrine of Bias).

6 AIR 1958 SC 398, 1959 SC 107, 1959 SC 308, 1960 SC 606, 1962 SC 1110
7 AIR 1957 SC 232
8. Frome United Breweris Co Vs. Bath Justice, 1926 AC 586
9 R. Vs LCC [1895] 71 LT 638
10 1926 AC 586 (A)
11. Disciplinary Action against Govt. Servants and its Remedies By K. D. Shrivastava & N K Shrivastava—Page 252
12 शेरमल जैन बनाम कलेक्टर एक्साइज AIR 1956 Cal. 621

(१) यथोचित अवसर का सिद्धान्त—

संविधान के अनुच्छेद ३११ म प्रदत्त सरक्षण का हनन 'यथोचित अवसर' व 'सहज-न्याय' का हनन माना गया है । इस सरक्षण का वर्णन स्थान स्थान पर किया जा चुका है।* 'यथोचित अवसर' का तात्पर्य "दहरे अवसर" से है,[13] जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खेमचन्द के मामले[14] मे इस प्रकार बताया है:—

'संविधान के अनुच्छेद (२) मे अपेक्षित यथोचित या युक्तियुक्त अवसर म (क) एक कर्मचारी को अपना दोष अस्वीकार करने व अपनी निर्दोषिता स्थापित करने का एक अवसर, (ख) अपने आपको बचाने का एक अवसर और अन्त म (ग) प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर सम्मिलित है, जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाच पूरी कर लेने के बाद और आरोपो के सिद्ध हो जाने पर उनकी गभीरता या अन्यथा पर विचार करने के बाद राज्य कर्मचारी पर तीनो दण्डो मे से एक देने का अस्थाई प्रस्ताव रखा गया हो और उससे उस कर्मचारी को अवगत करा दिया गया हो।"

निम्न मामलों मे यथोचित अवसर का हनन माना गया है—

बिना पूर्व सूचना के पिछला अभिलेख (Past record) को ध्यान मे रखा गया।[15] दुबारा अवसर-यानी-जांच के बाद प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभिवेदन (स्पष्टीकरण) का अवसर नही दिया गया।[16] साक्ष्य पर मस्तिष्क नहीं लगाया गया।[17] नोटिस मे प्रत्येक आरोप के लिये अलग से दण्ड प्रस्तावित नही किया बताया गया।[18] जांच की पर्याप्त समय पर नही दी गई।[19] जिस विशेषज्ञ की राय सूचना को माना गया उसे गवाह के रूप म नही बुलाया गया।[20] असिद्ध आरोपो के लिये गवाहो को बुलाने से मना किया गया।[21] विमम्ब का बहाना बताकर बचाव के गवाहो को नही बुलाना[22] गवाहो के बयान लेने से मना करना[23] जाच रिपोर्ट मे वर्णित गोपनीय प्रलेख नहीं दिखाना[24] जाच अधिकारी द्वारा 'अदक्षता' के आरोप की जाच नही करना[25] पीठ पीछे लिये गये बयान पढ़े गये।[26]।

इसी प्रकार के अनेक निर्णय और हैं, जिनसे सहज-न्याय के सिद्धान्तो की एक झलक मिलती है।

---

13 AIR 1962 SC 1344
14 AIR 1958 SC 300
15 AIR 1954 Nag 90, 1955 VP 47, 1958 SC 300
16. AIR 1955 Nagpur 18
17. नाथूलाल बनाम राज्य AIR 1958 Raj 153
18 AIR 1954 Calcutta 383
19. रगरजन बनाम श्री रगन जनोपकार बैंक AIR 1963 Mad, 76
20 AIR 1963 MP 115
21. AIR 1963 All 94
22. Abid
23 AIR 1963 MP 115, 1962 Punjab 355
24 AIR 1963 Gujrat 244
25 AIR 1958 Bom 204 1958 Punjab 327
26 AIR 1963 All 94 AIR 1962 Punjab 496 AIR 1954 Bom 351

* देखिये पृष्ठ ७८ व १०१ इसी पुस्तक मे।

(२) पक्षपात का सिद्धान्त —(इसका पीछे पृष्ठ १५५ पर वर्णन किया जा चुका है, कृपया वही देखिये)

इस प्रक र सहजन्याय के सिद्धान्तों का विभागीय-जाच मे बहुत महत्व है और यह जाच इन्हीं सिद्धातों के आधार पर की जाती है,[27] जो कि अनुच्छेद ३११ की देन है ।

27. AIR 1954 Raj. 207, 1956 Raj. 28 1958 Punjab 327, 1956 Mad. 220, 1956 MB 257, 1957 AP 794; 1956 Cal 278; 1955 NUC (Bom) 552 1964 SC 396 1963 Calcutta 316, 1954 Hydrabad 201, 1958 All. 607, 1963 SC 395

परिशिष्ट—क (३)

संवैधानिक-प्रतिकार

(Statutory Remedies against Disciplinary Action)

एक राज्य कर्मचारी, जिसके साथ अन्याय या हानि हुई है, विभागीय-प्रतिकार (अपील व पुनरीक्षा) के अतिरिक्त सवैधानिक-प्रतिकार के लिये न्यायालयो की शरण ले सकता है । इसके लिये दो प्रतिकार (उपाय) हैं:—

(क) असाधारण क्षेत्राधिकार के अधीन उच्चन्यायालय या सर्वोच्चन्यायालय मे लेख-याचिका (Writ Petition) प्रस्तुत करके;

(ख) व्यवहार-न्यायालय (Civil Court) मे घोषणा हेतु वाद (दावा) प्रस्तुत करके ।

[क] लेख-याचिकायें

(Writ Petitions)

सविधान मे अनुच्छेद ३२ व २२६ के अधीन उच्चन्यायालय एव सर्वोच्च न्यायालय को लेख (Writ) जारी करने के अधिकार प्रदत्त हैं, जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी, या समुचित मामलो में किसी सरकार को निदेश या आदेश दिये जा सकते हैं ।

नागरिक मूल अधिकारों के हनन के मामलो मे अनुच्छेद ३२ के अधीन सर्वोच्च-न्यायालय मे लेख याचिका पेश की जा सकती है । इसके लिये दूसरा वैकल्पिक प्रतिकार (alternative remedy) उपलब्ध हो, तो भी इन न्यायालयो मे याचिका पेश की जा सकती है: इसके लिये कोई बाधा नही आती ।[1]

1. AIR 1950 SC 124, 1959 SC 725, 1953 SC I, 1954 RLW 65

अनुच्छेद २२६ मे पाच प्रकार के लेखों (Writs) का प्रावधान है—

(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (*Habeas corpus*)—
(२) परमादेश (*Mandamus*)—
(३) प्रतिषेध (Prohibition)—
(४) अधिकार-पृच्छा (*Quo warranto*) और
(५) उत्प्रेषण (*Certiorari*)—

इनमे से (२) से (५) तक के चार विभागीय कार्यवाही मे जारी किये जा सकते हैं—

(२) परमादेश (*Mandamus*) लेख—किसी सार्वजनिक संस्था ((Pubic body) को उसके कर्तव्य पालन के लिये बाध्य करने को यह लेख जारी की जाती है।[2] किसी कानून या नियम मे दिये अधिकार को लागू करने के लिये किसी प्राधिकारी या संस्था को बाध्य करने हेतु परमादेश जारी होती है।[3] परन्तु प्रार्थी को उस कर्तव्य का पालन कराने का अधिकार होना चाहिये।[4]

(३) प्रतिषेध (Prohibition)—का लेख निम्न न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को विधि विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा के रूप मे जारी की जाती है।

(४) अधिकार पृच्छा(*Quo Warranto*)–यदि विधि विरुद्ध या अधिकार से अधिक का प्रयोग कर कोई कार्य किया जाता है, उसके विरुद्ध उच्चन्यायालय उस अधिकार को चेतावनी देकर निरस्त करता है।

(५) उत्प्रेषण (*Certiorari*) लेख—एक निषेधाज्ञा है, जो किसी न्यायिक कार्य की वैधता को समाप्त या सम्पन्न कराने को जारी की जाती है। इसमे अपीली-न्यायालय का कार्य नही करते।[5] इसमें आदेश को संशोधित नही कर सकते, वरन् उसे गलत या अनाधिकार पूर्ण होने पर समाप्त कर देते हैं। इसमे दो बातें देखी जाती हैं—(१) निम्न न्यायालय का क्षेत्राधिकार, योग्यता व अधिकार प्रयोग की परिस्थिति; (२) अधिकार प्रयोग मे कानून की पालना। यह एक असाधारण प्रकार का सशोधन करने वाला लेख माना गया है। जब प्रार्थी नीचे के न्यायालय मे क्षेत्राधिकार का प्रश्न नही उठा सका और वह जब तक यह नहीं बता सके कि—उसे उस समय इस आधार का ज्ञान नही था, तो उत्प्रेषणलेख जारी नहीं किया जा सकता।[6]

वैकल्पिक प्रतिकार और लेख—(Alternative remedy and Writ)—नागरिक अधिकार के हनन के मामलो मे दूसरा प्रतिकार होते हुए भी लेख याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।[7] अन्य मामलो मे निम्न न्यायालय की त्रुटि को सही करने के लिये उचित मामलों मे उत्प्रेषणलेख जारी करना उच्चन्यायालय का कर्तव्य है, चाहे अन्य प्रतिकार (उपाय) विद्यमान हो[7]।

2. AIR 1954 SC 217, 1950 RLW 19
   यशोधर बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय
   AIR 1963 Raj 172
3. AIR 1950 All. 213, AIR 1958 Hyd 216
4. AIR 1954 SC 493
5. ILR [1956] 6 Raj 887, [1959] 9 Raj. 821
   ठाकुर भानुप्रतापसिंह बनाम राज्य
   ILR (1964) 14 Raj. 90; (1964) RLW 83
6. AIR 1953 All. 624; 1953 Madras 472; 1953 Mad. 59, 1927 Madras 130; 1958 Kerala 341
   तुलछाराम बनाम ग्राम पंचायत, पलाना
   1961 RLW 229.
7. AIR 1951 SC 217 [B]

जब क्षेत्राधिकार की कमी रिकार्ड पर प्रत्यक्ष है, तो दूसरा उपाय होने पर भी प्रनिषेध-लेख जारी करना एक अधिकार है, विवेक नही।[8] लेख मे उच्चन्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं होता और वह जांच मण्डल के निर्णयो की उचितता का मूल्यांकन नही करता। उच्चन्यायालय जान बूझ कर या भूल से कानून से अधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग, या प्रयोग न करने से मना करने पर या बाहरी विचारो (external considerations) को अपनाने की दशा मे लेख जारी करता है।[9] एक विवादास्पद तथ्यो का प्रश्न नियमित वाद (दावे) द्वारा अन्तिम निर्णय देकर सुलझाया जा सकता है, लेखयाचिका द्वारा नहीं।[10] अनुच्छेद २२६ के प्रतिकार असाधारण हैं, अतः जहां दूसरा प्रतिकार हो, वहां इनकी शरण नही लेनी चाहिये।[11] परन्तु केवल इसी कारण से कि दूसरा प्रतिकार उपलब्ध था, लेख याचिका को अस्वीकार नही किया जा सकता।[12]

न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही और लेख—
(Judicial Or Executive Action, Departmental Action and Writs)

एक प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसके विवेक का प्रयोग सुपरिभाषित सीमाओं द्वारा नियन्त्रित होता है। इसका प्रयोग विधि के प्रतिकूल तथा विधि के परिवेश (grab of law) मे बाहरी विचार या प्रभावो के अधीन नही हो सकता। यदि किसी प्राधिकारी ने विधि पूर्वक सद्भावना से अपने विवेक का प्रयोग किया है, तो उच्चन्यायालय उसमे केवल इसी आधार पर हस्तक्षेप नही करना चाहेगा कि— उसका प्रयोग भिन्न रूप से किया जा सकता था।[13]

विभागीय जांच के मामलो मे उच्चन्यायालय लेख याचिका प्रस्तुत करने पर अनुच्छेद २२६ के अधीन एक अपीलीय न्यायालय नही होता, अतः वह निर्णय के गुणावगुण पर विचार नही करता। लेख याचिका द्वारा जिन प्रश्नो का निर्णय किया जा सकता है, उनका सारांश इस प्रकार है—

(१) क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई या आज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई ?

(२) क्या जांच नियमानुसार प्रक्रिया से की गई, या सहजन्याय के सिद्धान्तों का हनन तो नही हुआ ?

(३) क्या जांच मे साक्ष्य के बाहर के प्रभाव के कारण न्यायपूर्ण निर्णय नही किया गया, या असंगत तथ्यो से प्रभावित होकर निर्णय दिया गया ?

(४) क्या निष्कर्ष (Conclusion), पूर्णतः व स्पष्टतः, ठीक सामने ही अनियमित या अन्यायपूर्ण है ?

(५) या ऐसे ही अन्य आधार।

---

8 AIR 1954 T&C 137

9 कर्तागम बनाम उत्तर प्रदेश
AIR 1951 Raj 51

10 हर प्रसाद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश
AIR 1963 All 415 AIR 1959 Assam 112

11 AIR 1963 Raj 109 1959 J&K 136
1957 SC 882

12. के के कोचुनी बनाम मद्रास राज्य
AIR 1959 SC 725,
ILR (1957) 7 Raj 177,
लादूराम बनाम भागचन्द
1963 RLW 339 AIR 1961 SC 1506,
AIR 1964 Raj 5 1963 RLW 517
1959 SC 308 1960 SC 321 1960 SC 468
1962 RLW 523 AIR 1961 Raj 130

13 (1955) SCJ 562 AIR 1962 SC 1704
AIR 1964 Raj 13

महत्वपूर्ण निर्णय—

लेख याचिका पेश करने मे समुचित समय से अधिक देर करना घातक माना गया है ।[14] यदि विलम्ब (देरी) के कारण नही बताये जा सके, तो याचिका अस्वीकार कर दी गई ।[15] परन्तु समुचित कारण (जैसे–अन्य उपाय—अपील, पुनरीक्षा आदि विभागीय अधिकारियों को करना आदि) बताये जाने पर याचिका को केवल विलम्ब के कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।[16] यदि प्रार्थी को लेख याचिका मे सारभूत तथ्यो को छिपाने का दोषी पाया गया, तो उसे कोई मदद नही मिल सकती ।[17]

आगे ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं, जिनमे लेख-याचिकायें स्वीकार या अस्वीकार हुई हैं:—

कुछ उदाहरण—

(क) निम्न प्रकार के मामलों में लेख स्वीकार किये गये— (Writs issued)

१. सहज न्याय के नियमो व निष्पक्षता का हनन होने पर

AIR 1959 Punj. 402; 1955 Patna 372; 1961 S C. 1623; ILR 1951 Raj 82 ; AIR 1965 Raj. 108; 1958 S. C. 300; 1955 Pepsu 127; 1958 Punj. 327; 1957 AP 414; 1952 Pepsu 69; 1958 AP 636; 1961 All 45; 1955 Patna 131; 1955 SC 425; ILR 1957 Raj. 823.

२. आज्ञा पूर्णत: अन्यायपूर्ण—

AIR 1954 Assam 18

३. अनुच्छेद ३११ की शर्तों का भग होना—(क) नोटिस नही देना—दूसरा अवसर नही देना—(ख नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा निष्कासन व सेवाच्युति के दण्ड देना—(ग) कलंक लगाकर प्रशासनिक आज्ञा से सेवा से हटाना—

AIR 1954 Bhopal 25; 1959 All. 771; 1961 All. 122; 1958 SC 217; 1953 SC 250; 1958 SC 36; 1956 Punjab 207; 1958 MB 135; 1956 Bom 455; 1957 All 73; 1956 Mani 34; 1962 SC 8; 1962 SC 1711; 1958 Cal 356: 1957 RLW 227; AIR 1960 MP 183; 1862 Cal 3; 1949 PC 112; 1958 SC 36; 1960 AP 29; 1964 SC 1585; 1962 Raj 258; 1958 SC 1905; 1962 RLW 506; ILR (1962) 12 Raj. 69; AIR 1965 Raj 108

४. अनुचित व अपर्याप्त जाच—

AIR 1961 All 45; 1961 Cal 40; 1954 Bom. 351; 1956 Cal 662 1058 All 532; 1955 Nag. 160

14. AIR 1963 Cal. 421
15. AIR 1958 Punjab 16 [17]
16. AIR 1958 J&K 11 [13]
17. वनदेवसिंह बनाम राज्य AIR 1954 Pepsu 98 [102]

५. बचाव का अवसर देने में पक्षपात—
AIR 1957 Nag. 18

६. दोषी की पीठ पीछे बयान लेना—
AIR 1961 Guj. 64

७. आरोप का आधार या सामग्री नहीं दी गई या बताई गई—
AIR 1961 All 276

८. निलम्बन की आज्ञा सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दी गई—
AIR 1954 Pepsu 498

९. बिना साक्ष्य को आधार बनाये आज्ञा दी गई एक प्रकट त्रुटि—
AIR 1964 SC 364; 1956 Cal 662; 1958 All 53

१०. जांच में सारभूत अनियमिततायें—
AIR 1957 Cal. 4

११. एक बार पूरी जांच के बाद दुबारा जांच शुरू करना—
AIR 1954 Pepsu 129; AIR 1958 Raj. 38; 1960 All. 164

१२. दिये गये आरोपों के आधार पर निलम्बन अनुचित—निलम्बन एक तात्विक-हानि (Substantial injury)
AIR 1956 Madras 220

१३. दोषी को बताये बिना प्रलेखों को स्वीकार करना —प्रलेखों की प्रति नहीं देना—
AIR 1957 SC 232; 1961 Cal 1; 1955 Patna 372; 1961 SC 1623; 1955 Cal 276; 1963 Guj. 244

१४. अस्पष्ट व सदेहात्मक स्वीकारोक्ति पर दण्ड देना—
AIR 1957 MB 15; 1961 SC 1070; 1960 All 323; 1957 Madras 356; ILR (1955) Raj. 288; ILR (1963) Raj 28 1262 SC 1344

१५. अन्तिम आज्ञा अभिवेदन पर बिना विचार किये दी गई—
AIR 1958 SC 300; 1961 Guj. 130

१६. प्रस्तावित दण्ड से अधिक दण्ड देना—
AIR 1957 Nag 18; 1955 Orissa 33

१७. निष्कासित व्यक्ति को कानूनी पहलू पर पर्याप्त व तुरन्त सहायता देने के लिये—
AIR 1957 SC 882; 1958 All 607; 1948 P.C. 121 (F) 1954 Nag. 257

१८. लम्बे समय तक निलम्बन के बाद आरोप-पत्र नही देना—एक तात्विक हानि
AIR 1964 Patna 168

१९. पदोन्नति के लिये अनुच्छेद १६(१) व (२) लागू होता है
AIR 1962 SC 36; 1961 Madras 35

२०. लिखित प्रतिकथन के लिये अवधि नही बढाई गई—
AIR 1957 J&K 11; 1958 Raj 1

२१. दोषी के बयान पहले लेना—यथोचित अवसर का हनन—
(1963) 2 LLJ 78; (1961) I SCJ 334; (1964) I SCJ 98; (1964) SCR 652

२२. पुन:स्थापन पर सेवा नियम (F.R. 54=R S.R. 54) के खण्ड ३ व ५ में दी गई आज्ञा, आर्थिक हानि करने से; क पूर्व कर्मचारी को कारण-बताओ नोटिस देना आवश्यक, अन्यथा आज्ञा अवैध—
(1967) 2 SCJ 339; ILR 1963 Bom. 537; (1968) II SCJ 88 (92)

(ख) निम्न मामलों में लख अस्वीकार किये गये (Writs refused)

१. राष्ट्रपति/राज्यपाल का जाच न करने का निर्णय—(अनु० ३११ (२) (ग) के अधीन) राज्यपाल की आज्ञा दुर्भावना ग्रस्त (*Mala fide*) या निम्न स्तर के प्रयोजन से है—यह प्रमाणित कर दिया जाने पर इसे शक्ति का धोखा माना जाकर न्यायालय सहायता करेगा—

AIR 1958 AP 288; 1958 Bom 283

२. साक्ष्य की पर्याप्तता या अन्य कारण—
AIR 1958 Kerala 72

३. साक्ष्य की सुसंगतता या ग्राह्यता
AIR 1956 Punjab. 58

४. विभागोय जाच में दिये जाने वाली आज्ञा को रोकना—
AIR 1958 M. P 135

५. प्रक्रिया में अनियमिततायें, जिनसे पक्षपातपूर्ण हानि नही हुई हो, जैसे—गवाह पेश नही करने—
AIR 1954 Cal. 335; 1954 All 629

६. जाच को दुबारा शुरू करने की प्रार्थना—जाच को लम्बा करने का तरीका बनाना—दोषी द्वारा अवसर देने पर भी साक्ष्य पेश नही करना
AIR 1955 Cal 183

७. अन्यायपूर्ण निष्कासन के लिये क्षतिपूर्ति (Damages) की माग करना—इसके लिये वाद (दावा) करना चाहिए था—
AIR 1958 Cal. 654

८. गोपनीय प्रतिवेदन या चरित्र-पत्र मे प्रतिकूल-प्रविष्टि हटाने के लिये—
AIR 1954 Ajmer 22; 1961 Cal 164

९. प्रशासनिक कारणों से मूल पद पर प्रत्यावर्तन—
AIR 1964 Ajmer 22

१०. विना सूचना दिये व विना तरीका अपनाये अनिवार्य सेवा निवृत्ति कर देना प्रशासनिक कारणों से—

AIR 1954 All. 343; 1954 All 235; 1954 SC 369

११. दण्ड देने से पूर्व आयोग से परामर्श नही करने पर—

AIR 1957 SC 912; 1962 SC 1344; 1962 SC 1130

१२. जांच की अपेक्षा या विचाराधीन होने पर निलम्बन-अवैध नही—

AIR 1955 SC 600; 1959 SC 1342; 1961 SC 276; 1964 SC 787

१३. आयोग की रिपोर्ट की प्रति दोषी को नही दी गई—

AIR 1961 SC 493

१४. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कठोर प्रावधान लागू नहीं होते—

AIR 1957 SC 882; 1957 SC 232; 1962 SC 1344

१५. पहल दोषी के बयान लेना—स्पष्ट मामले में अवैध नही—

AIR 1968 SC 266; (1968) II SCJ 83 (86)

(ख) घोषणार्थ-वाद

(Declaratory Suits)

व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता (C. P. C.) तथा विशिष्ट-सहायता अधिनियम (Specifc Relief Act) के अधीन राज्य कर्मचारी सरकार के विरुद्ध घोषणार्थ-वाद व्यवहार-न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।[1] इसके लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६० व आदेश २१ में प्रावधान हैं।

लेख (Writ) नहीं, वाद (Suit) एक अधिक उचित प्रतिकार—

कुछ मामलो मे जिनमे अधिकतर साक्ष्य व तथ्यों के विवेचन के आधार पर कोई निर्णय देना होता है, तो लेख की बजाय वाद को अधिक उचित माना गया है। यदि कानून द्वारा सहायता का अन्य मार्ग अधिक उचित हो, तो लेख-याचिका प्रस्तुत नही की जा सकती। सेवाच्युत कर्मचारी को अधिक सुविधाजनक, प्रभावशील, पूर्ण व पर्याप्त प्रतिकार मिल सकता है, यदि वह सेवाच्युति को

1. बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद AIR 1954 SC 245

आज्ञा के शून्य होने व स्वय के सेवा का सदस्य होने की घोषणा का वाद प्रस्तुत करे । जहाँ दोनों पक्षो मे कई प्रश्नों पर विवाद हो, जैसे—नियुक्ति प्राधिकारी कौन, जाच की प्रकृति, अपील के आधार से वंचित करना, जाच का अधूरा होना, कुछ अधिकारियो का अनुचित व प्रतिकूल आचरण—इनके लिये साक्ष्य पेश कर दोनो पक्षों को उचित अवसर मिल सकेगा ।[2]

ज

वाद (Suit) के लिये कारण—निम्न प्रकार की सहायता के लिये वाद प्रस्तुत किये

१ वेतन के बकाया की वसूली व घोषणा के लिये ।[3] परन्तु भविष्य के वेतन के लिये नही ।[4]

२. स्वीकृत पेन्शन रोकने पर दावा कर सकता है ।[5] पेन्शन प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा अमान्य है ।[6] निष्कासित व्यक्ति पेन्शन की माग का दावा नही कर सकता ।[7]

३. बकाया की वसूली, सेवा की शर्तों की घोषणा व हानि के भुगतान (damages) के दावे किये जा सकते हैं ।[8]

४. न्यायालय विभागीय-जॉच के साक्ष्य का मूल्याकन नही करेंगे, क्योकि वे अपीलीय न्यायालय नही हैं ।[9]

५. दण्ड की मात्रा के विषय मे अधिकार नही । अतः वाद पेश नही किया जा सकता ।[10]

६ अनुचित-निष्कासन (Wrongful Dismissal) के लिये हानि (damages) का दावा किया जा सकता है ।[11]

७. न्यायालय द्वारा आज्ञा निरस्त कर देने पर निष्कासन की अवधि के वेतनादि का दावा किया जा सकता है ।[12]

८. अनुचित निलम्बन नियम विरुद्ध किया गया और ४ माह तक आरोप-पत्र नही दिया गया। आरोप-पत्र केवल शकाओं पर आधारित था व कोई साक्ष्य नही था । इस पर वाद मे सफलता मिली ।[13]

९ निष्कासन अवैध है व बकाया की वसूली ।[14]

१०. पदोन्नति का दावा नही ।[15]

2. डी परराजू बनाम जनरल मैनेजर
AIR 1952 Cal. 610;
विभूतिभूषण बनाम दामोदर घाटी निगम
AIR 1963 Cal. 581;
AIR 1954 SC 207 [210] 9 B,
AIR 1957 SC 882
AIR 1959 All. 643
3. AIR 1947 FC 23; 1948 PC 121;
1949 PC 112, 1954 SC 245.
4. AIR 1963 Tripura 20
5. AIR 1962 Punjab 8
6. AIR 1963 Madras 49
7. AIR 1954 SC 369; 1957 SC 892
8. AIR 1954 SC 245
9. AIR 1962 Guj. 197
10. AIR 1963 SC 779, 1963 Madras 205
11. AIR 1962 Cal. 349; 1962 Madras 183; 1962 SC 1334.
12. AIR 1962 SC 1334
13. AIR 1956 Madras 220, 1954 SC 433; 1957 Pat. 515; 1948 PC 121; 1964 Patna 168.
14. AIR 1963 Guj. 244, 1942 FC 3 1954 SC 295
15, AIR 1962 SC 1704

११. यह कर्मचारी को चुनना है कि—वह घोषणा का दावा करता है या बकाया के भुगतान का। आगे की बकाया के लिये अलग से दावा करना होगा।[16]

१२ निलम्बनकाल के वेतन की वसूली।[16A]

वाद की प्रक्रिया

(क) धारा ८० व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस—

सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पहले धारा ८० C.P.C. का नोटिस देना पड़ता है। उसके दो माह बाद सम्बन्धित व्यवहार-न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होता है; इससे पहले नहीं। नोटिस मिलने का दिन दो माह के समय में से कम किया जावेगा।[17] नोटिस के बिना, वाद चल नहीं सकता।[18] नोटिस में कार्यवाही का कारण (Cause of action), नाम, विवरण, वादी का निवास स्थान व मांगी गई सहायता (relief) का विवरण हो और इसे सरकार के शासन-सचिव को दिया जाना है। जब नोटिस की सम्पूर्ण शर्तें पूरी हो जावें, तो उसे अवैध मानना असम्भव है। न्यायालय उसे अवैध करने के लिये गलतियाँ ढूंढे, यह उसका कार्य नहीं है।[19]

(ख) काल मर्यादा (Limitation)—

ये घोषणार्थ-वाद धारा १२० भारतीय कालमर्यादा नियम के अधीन होते हैं, न कि धारा १४ के अधीन।[20] निलम्बन काल के वेतन की बकाया के लिये धारा १०२ लागू होती है।[21]

(ग) न्यायालय-शुल्क—

राजस्थान में लेख-याचिका और घोषणार्थवाद के लिये न्यायालय शुल्क २५ रुपये है।

इस प्रकार एक कर्मचारी को भारतीय संविधान तथा सामान्य विधि के अधीन प्रतिकार मिल सकता है और उसको हुए अलाभ (हानि) से बचा जा सकता है।

16. AIR 1959 MP 46
16.A AIR 1965 Cal. 281; 1964 AP 491; 1947 FC 23.
17. AIR 1945 Cal 341
18. AIR 1956 HP 9
19. AIR 1963 Bom 13; 1950 Patna 557.
20. AIR 1958 Cal. 551
21. AIR 1964 Orissa 241; 1958 Cal. 551

परिशिष्ट (ख)
नियमोपनियम

[Various Rules & Regulations]

परिशिष्ट–ख (१)

लोकसेवक (जांच) अधिनियम १८५०(सं० ३७ १८५०)

[Public Servant's (Inquiries) Act]

†क्योंकि शासन की स्वीकृति के बिना सेवामुक्त नहीं होने योग्य लोकसेवकों (राज्य-कर्मचारियों) के व्यवहार सम्बन्धी जाचों को नियमित करने के लिये विधि मे संशोधन करना तथा उसे भारत भर में समानीकृत करना आवश्यक है, अत. इसे निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है—

१. अधिनियम—

[सन् १८७० के चौदहवें निरसन अधिनियम द्वारा विलोपित]

२. कतिपय राज्य-कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी खुली जाच (Public inquiry) हेतु आरोप के अनुच्छेदों का आहरण—

जबकि सरकार की यह सम्मति हो कि सरकार की स्वीकृति के बिना सेवा से नहीं हटाये जाने योग्य सरकारी सेवा मे कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार के बारे में कोई दोषारोपण के सत्य की एक औपचारिक व खुली जाच करने के लिये यथोचित आधार (कारण) मौजूद हो, तो वह (सरकार) उस दोषारोपण के तत्व को आरोप के सुस्पष्ट (distinct) अनुच्छेदों के रूप मे आहरित (तैयार) करेगी, और उनकी सत्यता की एक औपचारिक व खुली जाच का आदेश दे सकेगी।

३. प्राधिकारी, जिन्हे जांच अभिप्रेषित हो सकेगी व अभियुक्त को सूचना (नोटिस)—

या तो किसी न्यायालय, मण्डल (बोर्ड) या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसके कि वह अभियुक्त व्यक्ति अधीनस्थ है, या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हे इस उद्देश्य के लिए आयुक्त के रूप मे सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो, को वह जाच अभिप्रेषित की जा सकेगी और उस आयोग के बारे मे उस अभियुक्त व्यक्ति को जांच शुरू होने के कम से कम १० दिन पहले नोटिस दिया जावेगा।

४. सरकारी अभियोजन का सचालन— (Conduct of Govt. Prosecution)

जब सरकार अभियोजन का सचालन करना उचित समझेगी, किसी व्यक्ति को उसके सचालन के लिए अपनी ओर से मनोनीत करेगी।

---

† अप्राधिकृत अनुवाद।

५. अभियोजक (accuser) द्वारा आरोप का लेखन व सत्यापन—असत्य अभियोग के लिए दण्ड—सरकार द्वारा जाच की प्रस्थापना—

जब किसी अभियोजक (शिकायती) द्वारा कोई आरोप लगाया, जावेगा तो सरकार उस अभियोग (शिकायत) को लिखित रूप मे और उस अभियोजक द्वारा शपथ या निष्ठापूर्वक उसको सत्यापित कराकर लेना चाहेगी और प्रत्येक व्यक्ति जो स्वेच्छा से और द्वेषपूर्वक इस अधिनियम के अधीन शपथ या निष्ठापूर्वक कोई असत्य अभियोग करेगा, वह असत्य साक्षी देने (perjury) के द०. का भागी होगा; किन्तु यह अधिनियम सरकार को बिना ऐसे शपथ या निष्ठापूर्वक सत्यापित अभि० योग के कोई जाच, जैसा वह उचित समझे, आरम्भ करने से रोकने हेतु नही होगा।

६. सरकार द्वारा अभियोजनार्थ स्वीकृत अभियोजक से प्रतिभूति—

जब किसी अभियोजक द्वारा दोषारोपण किया जावेगा और सरकार यह उचित समझेगी कि इस अभियोजन को उसी पर छोड दिया जाय, तो सरकार कोई कमीशन नियुक्त करने से पूर्व उससे यथोचित प्रतिभूति प्राप्त करेगी कि वह आरोप का अभियोजन ध्यानपूर्वक व सफल रूप से करने को उपस्थित होगा और बाद मे उसके विरुद्ध लाये गये प्रत्यारोप या द्वेष पूर्ण अभियोजन या असत्य साक्षी (purjury) या मानहानि का उत्तर देने के लिये, जैसा भी मामला हो; लाई जाने वाली कार्यवाही का उत्तर देने को आगे आयेगा।

७ अभियोजन का बाधित करने और अभियोजक को उसका अनुकरन करने के लिए सरकार की शक्ति—

इस कार्यवाही की किसी भी अगली स्थिति पर, यदि सरकार उचित समझे तो, अभि० योजन को बाधित कर (रोक) सकती है और यदि वह उचित समझे तो ऐसे मामले मे अभियोजक के आवेदन पर यदि वह ऐसा करने का इच्छुक हो, तो उसे ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है; उस अभियोग को चालू रखने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है।

८. आयुक्तो की शक्तिया—उनको सरक्षण—प्रक्रिया की तामील-आयोग के रूप में कार्य करने वाले न्यायालयो आदि की शक्तियां—

इन आयुक्तों को दण्ड-प्रक्रिया सहिता (Cr.P.C.) द्वारा व्यवहार व दाण्डिक (Civil & Criminal) न्यायालयों को प्रदत्त समान शक्तियां प्राप्त होगी, जो उनकी मानहानि और कार्यवाही मे बाधा देने के लिये दण्ड देने के लिये हैं और गवाहों को बुलाने व अभिलेखो को पेश करने को बाध्य करने व अपने आयोग के रूप मे कर्तव्यपालन के लिये, समान अधिकार प्राप्त होंगे। वे जिला या नगर न्यायाधीशों के समान सरक्षण के लिये अधिकृत होगे, सिवाय इसके कि—गवाहों को उपस्थित होने के आदेश या अनिवार्य उपस्थिति के लिये जिला या नगर न्यायाधीश, जिसके क्षेत्राधिकार मे वह गवाह या व्यक्ति निवास करता है, के द्वारा तामील भेजी जावेगी या यदि वह व्यक्ति जिससे तामील करानी है, कलकत्ता, मद्रास या बम्बई में रहता हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तामील भेजी जावेगी। जब किसी न्यायालय या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हे आयोग बनाया गया हो और जिनमें ऐसी तामील कराने की शक्ति उसके साधारण अधिकारों के प्रयोग मे निहित हो, वे भी उन सब शक्तियो का प्रयोग इस आयोग के उद्देश्य हेतु कर सकेंगे।

९. तामील की अवहेलना का दण्ड—

आयोग के उद्देश्य हेतु उपरोक्त विधि पूर्वक जारी की गई तामील की अवहेलना करने वाले सब व्यक्तियों को वे समान दण्ड दिये जा सकेंगे, माना कि मूल रूप से उस न्यायालय द्वारा या अन्य प्राधिकारी जिसके द्वारा तामील कराई गई है, द्वारा तामीलें जारी की गई हो।

१०. अभियुक्त को आरोप की प्रति व सूची देना—

अभियुक्त व्यक्ति को जाच के प्रथम दिन व प्राप्ति के दिनको छोड कर जांच शुरू होने के कम से कम ३ दिन पहले आरोप के अनुच्छेदो की एक प्रतिलिपि और उन दस्तावेजो व गवाहों की सूची दी जावेगी, जिनसे प्रत्येक आरोप को प्रमाणित किया जाना है।

११. जाच प्रारम्भ की विधि (प्रक्रिया)—अभियुक्त की अनुपस्थिति और आरोपों की स्वीकृति—

जाँच के आरम्भ मे अभियोक्ता (Prosecutor) आयुक्तो को आरोप के अनुच्छेदो को प्रदर्शित करेगा, जो कि खुले मे पढ़े जायगे और अभियुक्त-व्यक्ति को उनम से प्रत्येक के ऊपर अपराध "स्वीकार किया" या "अस्वीकार किया" कहना होगा और उन कथन को आरोप के अनुच्छेदो के साथ अभिलिखित किया जावेगा। यदि अभियुक्त-व्यक्ति आरोप के उत्तर देने हेतु व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील या प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होने से इन्कार करे या बिना उचित कारण के ऐसा करने मे लापरवाही करे, तो आरोप के अनुच्छेदो के सत्य को उसके द्वारा स्वीकार करना माना जावेगा।

१२. अभियोक्ता को भाषण का अधिकार—

इसके बाद अभियोक्ता आयुक्तो समक्ष आरोप के अनुच्छेदों और उन्हे सिद्ध करने के लिये दिये जाने वाले साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु भाषण करन के लिये अधिकृत होगा; उसका भाषण अभिलिखित नहीं किया जावेगा।

१३. अभियोजन के लिये साक्ष्य और गवाहों के बयान—अभियोक्ता द्वारा पुन. परीक्षा—

इसके बाद मे अभियोजन की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य (शहादत) प्रदर्शित की जावेगी; अभियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से गवाहों के बयान होंगे और अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से तर्क-परीक्षा (Cross Examination) की जा सकेगी। अभियोक्ता को अधिकार होगा कि-वह किसी तथ्य पर जिस पर कि उस गवाह की तर्क परीक्षा हो चुकी है, उसकी पुन. परीक्षा (Re-Examination) कर सकेगा, किन्तु आयुक्तों द्वारा बिना छूट दिये वह किसी नयी बात पर पुनः परीक्षा नहीं कर सकेगा। वे आयुक्त भी जो उचित समझें, वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

१४ अभियोजन हेतु नये साक्ष्य को स्वीकार करना या बुलाने की शक्ति—अभियुक्त का स्थगन हेतु अधिकार—

यदि अभियोजन की ओर से मामले की समाप्ति से पूर्व आवश्यक प्रतीत हो, तो आयुक्त गण अपने विवेक से अभियोक्ता को अभियुक्त को दी गई सूची मे शामिल नहीं किये गये साक्ष्य को प्रदर्शित (पेश) करने की स्वीकृति दे सकते हैं; या स्वय ही नयी साक्ष्य को बुला सकते हैं और ऐसी दशा मे अभियुक्त उस नये साक्ष्य के पेश होने से पूर्व ३ दिन के लिये कार्यवाही के स्थगन की मांग कर सकता है। इन तीन दिनों मे कार्यवाही के स्थगन का दिन व जिस दिन के लिये कार्यवाई स्थगित की गई है, शामिल नहीं होंगे।

१५. अभियुक्त का बचाव यदि लिखित हो, तो अभिलिखित किया जावेगा—

जब अभियोजन की ओर से मामला बन्द कर दिया जायेगा, अभियुक्त व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मौखिक या लिखित मे अपनी सफाई (बचाव) पेश करेगा । यदि यह मौखिक होगी, तो अभिलिखित नही की जावेगी । यदि यह लिखित मे होगी, तो इसे खुले मे पढे जाने के बाद अभिलिखित किया जावेगा और ऐसी दशा मे इसकी एक प्रति उसी समय अभियोक्ता को भी दी जावेगी ।

१६. बचाव पक्ष का साक्ष्य और गवाहों के बयान—

इस के बाद बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रदर्शित किये जावेंगे और गवाहों के बयान होंगे, जिनकी तर्क परीक्षा, पुन: परीक्षा व आयुक्त गण द्वारा परीक्षा, उसी प्रकार के नियमो के अनुसार की जावेगी, जैसी कि अभियोजन के गवाहो के लिए की गई थी ।

***१७. [अभियोजक द्वारा गवाहो व साक्ष्य की परीक्षा]**

१८. मौखिक साक्ष्य की टिप्पणी (Notes of Oral evidence)—

आयुक्त गण या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सम्पूर्ण मौखिक साक्ष्य की अंग्रेजी मे टिप्पणिया (नोट्स) तैयार करेंगे, वे उन गवाहो के सामने जोर से पढे जावेंगे और, यदि आवश्यक हो तो उसे उस भाषा मे जिसमे (बयान) दिये गये थे, समझा दिये जावेंगे और कार्यवाही के साथ अभिलिखित किये जावेंगे ।

१९ बचाव पक्ष द्वारा जाच की समाप्ति—अभियोक्ता उत्तर व साक्ष्य हेतु अधिकृत—अभियुक्त स्थगन के लिये अधिकृत नहीं—

यदि अभियुक्त व्यक्ति केवल मौखिक बचाव पेश करता है और कोई साक्ष्य प्रदर्शित नही करता, तो उसके बचाव के साथ जाच समाप्त हो जावेगी,

यदि वह लिखित बचाव अभिलिखित कराता है या साक्ष्य प्रदर्शित (पेश) करता है, तो अभियोक्ता पूरे मामले पर एक सामान्य मौखिक उत्तर और प्रदर्शित बचाव-साक्ष्य के प्रतिरोध मे साक्ष्य भी प्रदर्शित कर सकता है, परन्तु इस दशा मे अभियुक्त कार्यवाही को स्थगित नही करा सकेगा यद्यपि ऐसा नया साक्ष्य उसे दी गई सूची मे सम्मिलित नही थे ।

२०, आरोप मे संशोधन व स्थगन हेतु शक्तियां—स्थगन अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित किये जावेंगे —

जब आयुक्त गण की ऐसी सम्मति हो कि—आरोप के अनुच्छेदो, या उनमे से कोई, पूर्णत स्पष्टता और संक्षिप्तता से नही बनाये गये है, तो (वे) आयुक्त गण अपने विवेक से उन (अनुच्छेदो) का संशोधन करा सकेंगे और ऐसी दशा में, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर यथोचित समय के लिये उस जाच को स्थगित कर सकेंगे ।

यदि कोई गवाह की बीमारी या अपरिहार्य (unavoidable) अनुपस्थिति से या अन्य समुचित कारण हो तो अभियोक्ता या अभियुक्त के आवेदन पर आयुक्त-गण यदि वे उचित समझें तो जाच को समय-समय पर स्थगित भी कर सकेंगे । जब ऐसा आवेदन दिया गया हो और

* निरसण अधिनियम स० १२ सन् १८७६ के द्वारा विलोपित ।

उसे अस्वीकार किया गया हो, तो आयुक्तगण उस आवेदन को तथा उसकी अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करेंगे ।

२१. आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना—

इस जांच की समाप्ति के बाद, आयुक्तगण आयोग के अधीन हुई कार्यवाही से सरकार को सूचित करेंगे और उसके पूरे अभिलेख (रिकार्ड) के साथ आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर अलग से अपनी सम्मति तथा पूरे मामले पर ऐसे निरीक्षणात्मक विचार (ob esrvations) जो वे उचित सोचें, भेजेंगें ।

२२. अगली साक्ष्य या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति— आरोप के अतिरिक्त अनुच्छेदों पर जांच—विशेष आयुक्तों के प्रतिवेदन पर निर्देश (Reference)— अन्तिम आज्ञायें—

आयुक्तगण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार करके सरकार उनको आगे और साक्ष्य लेने या उनकी सम्मति का फिर आगे स्पष्टीकरण देने की आज्ञा दे सकती है ।

वह (सरकार) आरोप के अतिरिक्त अनुच्छेद बनाने की आज्ञा भी दे सकती है । ऐसी दशा में उन अतिरिक्त अनुच्छेदों की सत्यता के लिये उसी प्रकार से जांच की जावेगी, जिस प्रकार से यहां (इन धाराओं में) मूल आरोपो के बारे मे निर्देशित किया गया है ।

जब विशेष-आयुक्तगण की नियुक्ति की गई हो तो सरकार, यदि ठीक समझे तो आयुक्तगण के प्रतिवेदन को न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसके कि अभियुक्त अधीनस्थ हो; उस मामले पर उनकी सम्मति हेतु निर्देशित (refer) भी कर सकती है; और फिर ऐसे मामलो मे अपने अधिकारो से उन पर ऐसी न्यायोचित व संगत आज्ञायें अन्तिम रूप से पारित करेगी ।

२३. "सरकार" की परिभाषा—

इस अधिनियम मे 'सरकार' से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामलो मे **केन्द्रीय सरकार** से और राज्य के अधीन काय करने वाले व्यक्तियो के मामलो मे **राज्य सरकार** से है ।

२३. कतिपय अधिकारियों के निष्कासन (dismissal) के अधिनियमों की व्यावृति—उनकी जांच के लिये इस अधिनियम के अधीन आयोग—

मुख्य और अन्य सदर अमीनों (Principal and other Sadar Amins) या उप-दण्ड-नायकों (Dy. Magistrates) या उप-जिलाधीशो (Dy. Collectors) के निलम्बन या निष्कासन के लिये प्रचलित किसी अधिनियम या नियमावली (Regulations) का इस अधिनियम द्वारा निरसन नही होगा; किन्तु उपनिर्दिष्ट अधिकारियो मे से किसी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच (trail) के लिये इस अधिनियम के अधीन किसी मामले मे, जिसमें सरकार इसे त्वरित (expendient) समझे, एक आयोग नियुक्त किया जा सकेगा ।

२५. इस अधिनियम के अधीन जांच के बिना हटाने की शक्ति की व्यावृति—

इस अधिनियम के अधीन जांच किये बिना, किसी कारण के लिये किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने या हटाने के सरकार के प्राधिकार को इस अधिनियम मे से कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा ।

संक्षिप्त व्याख्या

१. परिचय
२. क्षेत्र व व्यावृति
३. दोषारोपण, अभियोजक व अभियोक्ता-अभियोजन का सत्यापन व प्रतिभूति
४. आयोग की नियुक्ति व उसके अधिकार
५. जाच की प्रक्रिया
६. अन्तिम आज्ञा

१. परिचय—

जब भारत पराधीन था, उसी समय सन् १८५० में अंग्रेजों ने भारत में कार्य करने वाले लोक सेवको (राज्य कर्मचारियो) के व्यवहार व आचरण के विरुद्ध होने वाली शिकायतों की जाच का एक समान तरीका अपनाने के लिये इस अधिनियम को तैयार किया, जिसे स्वतंत्रता के बाद नये सविधान के साथ वैधता की मान्यता दी गई और आज भी यह अधिनियम भारत मे लागू है।

२. क्षेत्र व व्यावृति—

यह अधिनियम के शीर्षक से यह प्रतीत हो जाता है कि—यह लोक सेवक (Public Servant) शब्द के अर्थ मे आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है; स्वतंत्रता के बाद **'लोक सेवक'** शब्द का प्रयोग कई अधिनियमो म बहुत व्यापक रूप से किया गया है, किन्तु धारा (२) और (२५) की भावना से यह अधिनियम उन व्यक्तियो पर लागू होता है, जो सरकार की सेवा में हैं और जिनको उनकी नियुक्ति से हटाने से पूर्व सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

यह अधिनियम केवल जाच की प्रक्रिया बताता है। इसमे ऐसा कोई प्रावधान नही है, जिसके अधीन लोकसेवकों को कोई दण्ड दिया जाय।[1] इस जाच का उद्देश्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन नोटिस देने से पूर्व सरकार लोकसेवक को दिये जा सकने वाले दण्ड का अनुमान लगा सके। यह जाच पूर्णतः सरकार के लाभ के लिये है। लोकसेवक (जाच) अधिनियम के अधीन जाच आवश्यक नही है। सरकार को कोई दूसरा तरीका अपनाने के लिये पूरी छूट है।[2] केवल इसीलिये कि कोई जाच इस अधिनियम के अधीन नही की गई और किसी राज्य के नियमो के अधीन की गई। इससे सविधान के अनुच्छेद १४ का कोई उल्लघन हुआ हो, ऐसा अर्थ नही लिया जा सकता।[3] अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यो को इस अधिनियम से मुक्त नही किया गया है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को, जिस पर यह लागू होता है, पदच्युत कर सकते हैं; चाहे तत्समय वह किसी भी राज्य मे कार्य कर रहा है।[4]

धारा २४ व २५ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि—इस अधिनियम के अधीन जाँच करना आवश्यक नही है और सरकार अन्य नियमो के अधीन, जैसा उचित समझे, जाच कर सकती है। राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण व अपील) नियमो के नियम १६ (१)

1. कपूरसिंह बनाम सघ सरकार AIR 1956 Punjab 58 [70]
2. एस.ए. वेंकटरमण बनाम भारत सघ AIR 1954 SC 375, 378
3. AIR 1955 Punjab 1
4. कपूरसिंह बनाम सघ सरकार AIR 1963 SC 493

के प्रधीन भी यह स्पष्ट कर दिया है कि—इस प्रधिनियम के प्रावधानो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना यथासमव नियम १६ मे बताई गई जाच की प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है। इस प्रकार सरकार को छूट है कि—वह दोनो मे से कोई तरीका अपनावे।

३ दोषारोपण-अभियोजक और अभियोक्ता—

जब कोई दोषारोपण होगा और सरकार उसमे जांच करना उचित समझे, तो सरकार की ओर से अभियोजन (Prosecution) के लिये किसी व्यक्ति को प्रभियोक्ता (Prosecutor) धारा ४ के अधीन मनोनीत किया जाता है। प्रभियोजक (Accuser) वह व्यक्ति है, जो शिकायत करता है। उसे धारा ५ के अधीन लिखित मे शिकायत करनी होगी और शिकायत को शपथ या निष्ठापूर्वक सत्यापित करना होगा। अर्थात्—उसे अपने दोषारोपण (शिकायत) के सत्यापन मे शपथ-पत्र (Affidavit) पेश करना होगा, ताकि झूठी शिकायत करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। धारा ६ के अधीन उसे प्रतिभूति (जमानत) भी देनी होती है। इस कार्यवाही से राज्य-कर्मचारियो को तग करने की बुरी नियत से की गई झूठी शिकायतों से राहत मिलती है और झूठी शिकायत करने वालो को दण्ड भी मिल सकता है।

यदि सरकार उचित समझे, तो इस जाच को किसी भी स्थिति (Stage) पर बन्द कर सकती है और यदि वह उचित समझे, तो अभियोजक के आवेदन पर और आवश्यक नियमानुसार प्रतिभूति पेश करने पर उसे अभियोग की जाच चालू रखने की स्वीकृति दे सकती है। ऐसी परिस्थिति मे अभियोजन का सम्पूर्ण व्यय अभियोजक को भुगतना पड़ेगा।

४. आयोग की नियुक्ति व उसके अधिकार—

जब सरकार यह निर्णय ले कि–किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन खुली जांच (Public Enquiry) करनी है, तो

धारा ३ के अधीन सरकार एक आयोग (जाच) की नियुक्ति करेगी। इस आयोग का कार्य निम्न को सौंपा जा सकता है—

(१) कोई न्यायालय या
(२) कोई मण्डल (बोर्ड) या
(३) अभियुक्त जिसके अधीनस्थ है वह प्राधिकारी या
(४) कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगण, जिन्हे इस विशेष कार्य के लिए सरकार नियुक्त करे।

इस आयोग को इस अधिनियम मे निम्न शक्तियां व सरक्षण प्रदान किय गये हैं—

(१) धारा ८ के अनुसार दण्ड प्रक्रिया सहिता (Cr P. C.) मे जो अधिकार किसी व्यवहार व दाण्डिक (दीवानी व फौजदारी) न्यायालय को हैं, वे सब इस आयोग को निम्न मामलो मे प्राप्त होंगे—

(i) आयोग की मान हानि और
(ii) कार्यवाही मे बाधा डालना
(iii) गवाहो को बुलाना और अभिलेखो (दस्तावेजों) को मगाना। परन्तु इसके लिये सम्मनो की तामील उन्हें सम्बन्धित जिला या नगर-न्यायाधीशों के द्वारा भेजनी होगी। कलकत्ता, मद्रास या बम्बई मे रहने वाले गवाहों को बुलाने के सम्मन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भेजने होंगे।

(२) तामील की अवहेलना पर दण्ड का प्रावधान धारा ६ मे किया गया है ।

(३) धारा १३ के अधीन आयुक्त उचित प्रश्न गवाहो को पूछ सकेंगे ।

(४) दी हुई सूची के अतिरिक्त शहादत पेश करने के लिये अभियोक्ता को स्वीकृति दे सकेंगे या स्वय नये गवाह बुला सकेंगे। (धारा १४)

(५) धारा १६ के अधीन वे बचाव पक्ष के गवाहो से प्रश्न पूछ सकेंगे ।

(६) समय समय पर परिस्थितियो के अनुसार कार्यवाही को धारा १४ व २० के अधीन स्थगित कर सकेंगे ।

(७) आरोप के अनुच्छेदो मे सशोधन करा सकेंगे । धारा (२०)

५ जाच की प्रक्रिया—

इस अधिनियम के अधीन जाच की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी—

(१) अभियोजक (शिकायतकर्ता) द्वारा लिखित शिकायत मय शपथपत्र व प्रतिभूति के पेश करना (धारा ५ व ६) ।

(२) शिकायत पर सरकार द्वारा विचार के बाद, उचित हो तो जाच का आदेश देना व आरोप के अनुच्छेद तैयार करना (धारा २) ।

(२) जाच हेतु प्राधिकारी या आयोग की नियुक्ति करके उसकी सूचना जाच के १० दिन पहले अभियुक्त (दोषी कर्मचारी) को देना (धारा ३, ।

(४) सरकार द्वारा अभियोक्ता को मनोनीत करना (धारा ४) या किसी स्थिति पर अभियोजक को स्वय अभियोग चलाने की अनुमति देना । (धारा ७)

(५) अभियुक्त को जाच से ३ स्पष्ट दिवस पहले आरोप के अनुच्छेदो की प्रति व साक्ष्य की सूची देना (धारा १०)

(६) अभियुक्त जाच आरम होने के दिन व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होगा, अन्यथा आरोप सत्य मान लिये जावेंगे । उपस्थित होने पर आरोप पत्र पढ़ा जावेगा और अभियुक्त का उत्तर—"स्वीकार किया या नही"—अभिलिखित किया जावेगा । (धारा ११)

(७) इसके बाद धारा १२ के अधीन अभियोक्ता आरोप व उसकी शहादत पर एक भाषण देगा, जो लिखा नही जावेगा ।

(८) इसके बाद अभियोजन पक्ष (Prosecution Side) के गवाह व दस्तावेज पेश होंगे । बयानो के बाद जिरह (तर्क परीक्षा) व पुन. परीक्षा होगी । (धारा १३)

(९) यदि आवश्यक हो तो आयोग नई शहादत पेश करने की स्वीकृति दे सकेगा या स्वय बुला सकेगा । ऐसी स्थिति मे नये गवाहो से बचाव करने के लिये अभियुक्त को मांग पर ३ स्पष्ट-दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित की जा सकेगी (धारा १४)

(१०) अब बचाव पक्ष (Defence Side) की कार्यवाही शुरू होगी—

(1) अभियुक्त मौखिक या लिखित सफाई पेश करेगा । मौखिक सफाई लिखी नही जावेगी, पर लिखित होने पर उसे अभिलिखित किया जावेगा । (धारा १५)

(ii) इसके बाद बचाव की शहादत (मौखिक व दस्तावेजी) पेश होगी ' गवाहों के बयान, जिरह व पुन: परीक्षा तथा आयोग द्वारा भी परीक्षा (यदि वे चाहें तो) होगी। (धारा १६)

(११) जांच की समाप्ति—

(i) अभियुक्त की ओर से बचाव की शहादत समाप्त होने पर अभियोक्ता पूरे मामले पर मौखिक बहस सुनायेगा और बचाव की शहादत के बदले मे और शहादत पेश कर सकेगा। (धारा १६)

(ii) इस नई शहादत से बचाव के लिए अभियुक्त कार्यवाही स्थगित करने की मांग नही कर सकेगा। (धारा १६)

किन्तु सहज न्याय के सिद्धान्त के अधीन उसे सफाई पेश करने के लिए समय मिलना चाहिए और यदि वह लिखित मे स्थगन चाहेगा, तो धारा २० के अधीन **'अन्य समुचित कारण हो'** इस शब्दावली के अधीन उसे समय मिलना चाहिये। आयोग इस प्रार्थना पत्र को ठुकरायेगा, तो उसके कारण उसे अभिलिखित करने होंगे और **'यथोचित अवसर'** के अभाव में इस प्रश्न पर आगे उच्चन्यायालय से याचिका मे सफलता मिल सकेगी। इस प्रकार उचित सम्मान के साथ यह सोचना पड़ता है कि—धारा १९ का यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिकूल प्रतीत होता है; क्योंकि इसमे अचानक नई शहादत आने पर उससे बचाव के लिए यथोचित अवसर' (Reasonable opportunity) नही दी गई है।

(iii) जाच पूरी होने पर आयोग इसकी सूचना सरकार को देगा व प्रत्येक अनुच्छेद पर अपनी अलग अलग सम्मति देकर पूरे मामले पर अपने निरीक्षणात्मक विचार भेजेगा (धारा २१)

(iv) सरकार आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यदि उचित समझे तो—अतिरिक्त साक्ष्य या अतिरिक्त आरोप पर जाच के लिए पुनः भेज सकेगी। परन्तु अतिरिक्त आरोपों की जाच मे पुनः पूरी कार्यवाही करनी होगी। (धारा २२)

(v) अभियुक्त जिन प्राधिकारी के अधीनस्थ हो, उसकी सम्मति के लिए सरकार उस रिपोर्ट को भेज सकती है। (धारा २२)

६. अन्तिम आज्ञा—

धारा २२ के अनुसार सम्मतियाँ प्राप्त करने के बाद सरकार जैसा को न्यायोचित व संगत (Just & Consistent) प्रतीत हो, अपने अधिकारों के अनुसार अन्तिम आज्ञा पारित करेगी। इस प्रकार इस धारा मे कोई दण्ड का प्रावधान नहीं रखा गया है; किन्तु सरकार के लिए अन्तिम आज्ञा देने के लिए दो शर्तें लगा दी हैं—

(१) अपने अधिकारों के अनुसार ही सरकार अन्तिम आज्ञा देगी; और

(२) अन्तिम आज्ञा न्यायोचित व संगत होनी चाहिये।

जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, सरकार नियोजक (Employer) है, अत: उसे सब अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु वह अन्तिम आज्ञा न्यायोचित व संगत हो, इसके लिए आवश्यक है कि—संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) मे दिये गये संरक्षण की शर्तें पूरी हो जावे। इसके लिये अभियुक्त को पहले एक नोटिस दिया जावेगा, जिसमे सरकार द्वारा प्रस्तावित दण्ड का विवरण होगा व जांच आयोग की रिपोर्ट की प्रति भी दी जावेगी। इसके बाद अभियुक्त अपना अभिकथन या

स्प टीकरण देगा। इसके बाद उसके दोप को ध्यान मे रखकर उसी के अनुसार दण्ड की मात्रा दी जावेगी अथवा उसे दोपमुक्त कर दिया जावेगा। दोप मुक्ति के बाद दोषमुक्त अभियुक्त अभियोजक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकेगा।

इस प्रकार राज्य कर्मचारियो के लिये इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

परिशिष्ठ ख–(२)

राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही

(साक्षी प्राह्वान एवं प्रलेख प्रस्तुतीकरण)

अधिनियम १६५६

[The Rajasthan Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses & Production of Documents) Act, 1959—

[Act No 28 of 1959]

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दि० २४-५-५६ को प्राप्त हुई।]

†१. लघुशीर्षक, विस्तार व प्रारम्भ (Short title, extent & Commencement)—

(१) यह अधिनियम 'राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षी-प्राह्वान व प्रलेख प्रस्तुतीकरण) अधिनियम १९५९' कहलायेगा।

(२) यह सम्पूर्ण राजस्थान पर लागू होगा।

(३) यह तुरन्त प्रभावशील होगा।*

२. अधिनियम का प्रयोग (Application of Act.)—

यह अधिनियम राज्य के कार्यो से सम्बन्धित पदो और लोक सेवाओं पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सब विभागीय जांचो पर लागू होगा।

३ परिभाषायें (Definitions)

इस अधिनियम मे, जब तक कि विषय या सन्दर्भ के आधार पर कोई अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो, तो —

† अप्राधिकृत अनुवाद।

* विधि व न्याय विभाग की विज्ञप्ति स० एफ ४ (५६) एन जे/ए ५८ दि० २७ मई १६५६ द्वारा प्रकाशित।

(क) विभागीय जाच (Departmental Enquiry)—से तात्पर्य उस जाच से है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ के अधीन किसी नियम या अनुच्छेद ३०९ के अधीन बनाये गये किसी विधि या नियम मे या उनके अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई हो।

(ख) जांच प्राधिकारी (Inquiring authority)—से तात्पर्य उस अधिकारी या प्राधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के आचरण की विभागीय जाच करने हेतु नियुक्त किया गया हो। इसमे वे अधिकारी या प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिन्हे ऐसी जाच हेतु अन्यथा अधिकृत किया गया हो।

४. गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने की जांच प्राधिकारी की शक्तियां—(Powers of Inquiring authority to enforce attendance of witnesses and to compel production of documants)

(१) एक जाच-प्राधिकारी को वे समान अधिकार होंगे, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता (C.P.C.) १९०८ के अधीन एक व्यवहार-न्यायालय को किसी वाद (दावा) की कार्यवाही के समय गवाहों को बुलाने व उनकी उपस्थिति अनिवार्य करने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करने हेतु प्राप्त हैं।

(२) वह गवाह या अन्य व्यक्ति जिससे तामील करानी है, उसके निवास के क्षेत्राधिकार वाले जिला-न्यायाधीश के द्वारा ऐसा जांच प्राधिकारी गवाहों की उपस्थिति या दस्तावेजो के पेश करने हेतु आदेशिकाओ को भेजेगा।

५. नियम बनाने की शक्तियां (power to make rules)—

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानो को प्रभावित करने के अभिप्राय से नियम बना सकेगी।

परिशिष्ट—ख (३)

राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही

(साक्षी प्राह्वान एवं प्रलेख प्रस्तुतीकरण)

नियम १९६०

[विज्ञप्ति स. एफ १३ (९३) नियुक्ति (क) ५८ श्रे० ३ दिनाक २१ अक्तूबर १९६०]

राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षी प्राह्वान एव प्रलेख प्रस्तुतीकरण) अधिनियम १९५९ की धारा ५ मे प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न नियम बनाती है—

नियम

१. लघुशीर्षक व प्रारंभ—

(१) ये नियम राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षी प्राह्वान एव प्रलेख प्रस्तुतीकरण) नियम १९६० कहलायेंगे।

(२) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।*

२. सम्मन व अन्य प्रादेशिकायें :—

(१) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही मे जाच-प्राधिकारी किसी पक्ष को उक्त पक्ष द्वारा बयानो के लिये बुलाये गये गवाहो से तामील कराने के लिये छपे हुये सम्मन या प्रपत्र दो पर्तों मे नागरी लिपि मे भरे हुये पेश करने का निर्देश दे सकते हैं, जिनमे उपस्थित होने या सुनवाई का दिनाक व जारी करने का दिनाक भरा हुआ नही होगा।

(२) इन सम्मन और नोटिसो मे उपस्थित होने या सुनवाई का दिनांक और जारी करने का दिनाक जाच-प्राधिकारी के कार्यालय से भरा जावेगा और जाच-प्राधिकारी या उसका कार्यालय-अधीक्षक या निजी-सहायक या स्थापन का अन्य सदस्य जिसे ऐसे अधिकार प्रदत्त हो, इन सम्मन/नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे व हस्ताक्षर का दिनाक लिखेंगे।

(३) ये प्रपत्र यदि मोटे, साफ व स्पष्ट हस्तलेख से भरे नही होंगे, तो उन्हे स्वीकार नही किया जावेगा। पक्ष इस प्रपत्र के नीचे के बाये कोने पर हस्ताक्षर करेंगे और इसमे लिखी गई सूचना के सही होने के लिये जिम्मेदार होंगे।

(४) जाच प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी प्रत्येक प्रादेशिका या आदेश के शीर्ष पर जारी करने वाले या आदेशकर्ता अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावेगा।

सब मामलो मे जाँच प्राधिकारी या उसका कार्यालय-अधीक्षक या निजी-सहायक या स्थापन का अन्य सदस्य जिसका प्रसग ऊपर नियम २ (२) मे आया है, अपने नाम के अलग-अलग व साफ-साफ हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षर किसी मुहर से नही बनाये जावेंगे।

(५) यथावश्यक परिवर्तन व सशोधन के बाद प्रादेशिका का प्रपत्र वैसा ही होगा, जैसा कि सामान्य नियम (व्यवहार) १९५२ मे राजस्थान के व्यवहार न्यायालयो के लिये निर्धारित हैं।

* दि० ८-१२-६० को प्रकाशित व प्रभावशील हुये व दि० १५-६-६१ को सशोधित। (अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

(६) आदेशिका जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि—जिस व्यक्ति के लिये आदेशिका चाही गई है या जिस व्यक्ति या सम्पत्ति के बारे में वह जारी की गई है, उसका ऐसा विवरण उसमें (आदेशिका) लिख दिया गया है, जिससे आदेशिका की तामील कराने वाला बिना किसी भय या गलती के उस व्यक्ति या सम्पत्ति को पहचान सकेगा। नाम, पिता का नाम, धन्धा, जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो), गाँव या कस्बा उस आदेशिका में होंगे। यदि ऐसा विवरण प्रार्थना करने वाले पक्ष के आवेदन-पत्र में नहीं हो या रिकार्ड में नहीं हो, तो जारी करने वाला अधिकारी जाँच प्राधिकारी से इस पर आदेश प्राप्त करेगा।

(७) जब किसी सैनिक, नौसैनिक, हवाई सैनिक या लोक सेवक के लिए ये आदेशिकायें (सम्मन) जारी किये गये हों, तो सामान्य नियम (व्यवहार) १९५२ के अध्याय ३ में दिए गए गवाहों व दस्तावेजों के मंगाने के प्रावधान लागू होंगे।

(८) समस्त आदेशिकायें साधारण रूप से जहाँ गवाह रहता है या जिसकी सुरक्षा में ये दस्तावेज हैं, वह व्यक्ति रहता है, उसके क्षेत्राधिकार वाले जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को तामील हेतु भिजवाये जावेंगे।

परिशिष्ट ख—(४)

राजस्थान असैनिक सेवायें
(राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण)
नियम १९५४

[Rajasthan Civil Services (Safe Guarding of National Security) Rules 1954]

(क्रमांक–एफ ५ (४५) नि० वि० (क)/५३ दिनांक ४ अगस्त १९५४)

[illegible] के अनुच्छेद ३०९ व प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजप्रमुख राजस्थान [illegible] निम्न नियम बनाते हैं—अर्थात्—

१. (१) ये नियम "राजस्थान असैनिक सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण) नियम १९५४" कहलायेंगे।

(२) राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।

२. (क) 'राज्य कर्मचारी'—[illegible] किसी व्यक्ति से है, जिस पर ये नियम लागू हैं।

(ख) **'सक्षम प्राधिकारी'** से तात्पर्य है—

(१) विभागाध्यक्ष द्वारा या विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध मे 'विभागाध्यक्ष' और

(२) अन्य राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध मे—राजप्रमुख महोदय।

३. जहा राजप्रमुख महोदय का यह अभिमत हो कि—कोई राज्यकर्मचारी राष्ट्रद्रोही (Subversive) गतिविधियो मे लगा हुआ है, या लगे रहने का समुचित सदेह है या राष्ट्रद्रोही गतिविधियों मे लगे दूसरे लोगो से सम्बद्ध है और उस कारण से उसका लोक सेवा मे रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक है, तो राजप्रमुख महोदय ऐसे राज्य कर्मचारी को सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत करने की आज्ञा दे सकते हैं।

४ नियम (३) के अधीन कोई आज्ञा देने से पूर्व—

(क) सक्षम प्राधिकारी उस राज्य कर्मचारी को उसके सम्बन्ध मे की जारही प्रस्तावित कार्यवाही के लिये लिखित मे नोटिस द्वारा सूचना देंगे और उसे नोटिस में वर्णित अवधि मे राजप्रमुख महोदय के समक्ष लिखित मे उस कार्यवाही के विरुद्ध अभिवेदन करने का एक अवसर देगे, और

(ख) राजप्रमुख महोदय उस अभिवेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेंगे।

५. जहा इन नियमो के अधीन किसी राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध मे कार्यवाही करना प्रस्तावित हो, तो सक्षम प्राधिकारी उस राज्यकर्मचारी को निलम्बित करेंगे।

परन्तु यदि सरकार ऐसा चाहे तो सक्षम प्राधिकारी, उसे निलम्बित करने से पहले; उसे तत्समय प्राह्य अवकाश पर जाने की अनुमति दे देगा।

६. राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियमो मे वर्णित कोई भी प्रावधान इन नियमो के अधीन की गई कार्यवाही या प्रस्तावित की गई कार्यवाही के सम्बन्ध मे लागू नही होगा।

७. इन नियमो के अधीन दी गई आज्ञा के लिये राजप्रमुख महोदय के लिये राजस्थान लोक सेवायोग से परामर्श लेना आवश्यक नही होगा।

८. नियम (३) के अधीन सेवा से अनिवार्यत निवृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिशोधक निवृत्ति वेतन (Compensation pension) निवृत्ति वृति (gratuity) या प्रावधाविक निधि (P.F.) के लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो निवृत्ति के उस दिनाक को उस सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमो के अधीन ग्राह्य होते; यदि उसे उसके पद को समाप्ति के कारण दूसरा उचित नियोजन प्रदान किये बिना सेवा से मुक्त कर दिया जाता।

परिशिष्ट—ख (५)

राजस्थान लोकसेवायोग (कार्यों की सीमा) विनियम १९५१ के सम्बद्ध अंश

[Relevant Extracts from the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951]

भाग (४) अनुशासनिक मामले
(Part IV—Disciplinary Matters)

११. आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा—

(१) जब राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक मामलो मे, इन मामलो से सम्बद्ध ज्ञापन और याचिकाओ सहित; आज्ञा पारित करनी हो,

(२) अनुशासनिक कार्यवाही करने के दृष्टि कोण से किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने या प्रारम्भ करने का निर्देश देने से पहले;

(३) जब तक कि मामला अंतिम निर्णय के लिये तैयार नही हो जावे, तब तक अनुशासनिक कार्यवाही की किसी अन्य स्थिति मे;

(४) जब आज्ञा सरकार द्वारा दी गई हो और—

(क) जांच करने की सुविधा के लिए किये गये निलम्बन की आज्ञा है;

(ख) दण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रकार से की गयी सेवा समाप्ति या प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित कोई आज्ञा है;

(ग) निष्कासन या सेवाच्युति या किसी समय-मान मे निम्न स्तर पर पदावनति या वेतन मे से लापरवाही या कानून, नियम या आदेशो के भग से सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली के दण्डो के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड देने की आज्ञा है।

स्पष्टीकरण (१)—सेवा समाप्ति (discharge)—

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति, जो परिवीक्षाकाल मे या उसकी समाप्ति पर परिवीक्षा की विशिष्ट शर्तों के कारण उत्पन्न आधार पर की गई हो;

(ख) सविदा के अतिरिक्त, अन्य व्यक्ति को सेवासमाप्ति, जो अस्थाई नियुक्ति पर है, उसकी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर की गई हो;

(ग) संविदा के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति की सेवा समाप्ति, जो उसकी सविदा की शर्तों के अनुसार की गई हो; और

(घ) किसी एकीकृतराज्य (देशीराज्य) की सेवाओ मे लगे किसी व्यक्ति की सेवा समाप्ति, जो एकीकरण के नियमों के अनुसार, या राजस्थान राज्य की सेवाओ मे नियुक्ति के लिये अवशिष्ट (surplus) या अनुपयुक्त हो; इसे इस विनियम के प्रयोजन से सेवाच्युति या निष्कासन नही माना जावेगा।

स्पष्टीकरण (२)—

राजस्थान सेवाओं मे किसी पद पर तदर्थ या प्रावधानिक आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा समाप्ति, जो उसके राजस्थान राज्य की सेवाओं मे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त या अवशिष्ट पाये जाने के कारण के अतिरिक्त कारण से की गई हो; सेवाच्युति या निष्कासन, यथास्थिति, माना जावेगा।

स्पष्टीकरण (३)

एकीकृत राज्यों की सेवाओं के राजस्थान राज्य की सेवाओं मे विलय की योजना को लागू करने के परिणामस्वरुप राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर तदर्थ या प्रावधानिक आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति की निम्न पद पर पदावनति इस विनियम के अर्थ में दण्ड नही माना जावेगा।

स्पष्टीकरण (४)—

परिवीक्षा की विशिष्ट शर्तों के अधीन कारणों से परिवीक्षाकाल मे वृद्धि करना इस विनियम के अर्थ मे दण्ड नही माना जावेगा।

१२—किसी मामले में जिस पर आयोग ने पहले किसी आज्ञा के देने के समय किसी स्थिति पर सम्मति दे दी हो और बाद मे निर्णय के लिये कोई नया प्रश्न नही आया हो, तो ऐसी स्थिति मे आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नही होगा।

भाग (६)—विविध
(Part VI—Miscellaneous)

१४—इन विनियमों में वर्णित किसी बात को प्रभावित किए बिना, सरकार यह निदेश दे सकती है कि किसी विशेष मामले मे आयोग से परामर्श किया जावेगा।

संक्षिप्त व्याख्या
लोकसेवायोग से अनुशासनिक मामलों में परामर्श का प्रावधान

(क) संविधान के अनुच्छेद ३२० (३)(ग) मे प्रावधान इस प्रकार हैं—

'ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकायें (Memorials & Petitions) सम्बद्ध हैं, उसके सहित समस्त ऐसे अनुशासन विषयों पर, परामर्श किया जावेगा।"

आगे परन्तुक द्वारा राज्यपाल को विनियम बनाने का अधिकार दिया है, जिसमें लोकसेवायोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नही होगा, उन मामलों का विवरण होगा। इसके अधीन उपरोक्त विनियम बनाया गया है; जिसमें ११ (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा आज्ञा-पारित करने पर अनुशासनिक मामलो, मय ज्ञापन व याचिकाओं, में परामर्श आवश्यक है। विनियम ११(३) के अधीन अंतिम निर्णय के समय परामर्श आवश्यक है, फिर विनियम ११(४) के खण्ड (ग) के अधीन निष्कासन, सेवाच्युति, पदावनति और वेतन मे से वसूली (दण्ड सं० ७, ६, ४ व ३) के दण्ड की आज्ञा सरकार द्वारा दी जावे, तो परामर्श आवश्यक होगा।

(ख) राजस्थान असैनिक सेवायें (व० नि० व अ०) नियमों मे आयोग से परामर्श का उल्लेख इस प्रकार आया है:—

(१) दण्ड देने से पहले—(१) नियम १५ (२) मे राज्य सेवा के जिन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार सरकार ने अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नही किया है, उनको परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त कोई दण्ड देने से पूर्व परामर्श आवश्यक माना है।

(२) फिर इसका प्रक्रिया मे नियम १६ (१०)(ii)(क) व (११) एव नियम १९ (३) मे उल्लेख किया गया है।

(२) अपील/पुनरीक्षा के समय—नियम २३ (४) मे अतिम अपील में सरकार द्वारा निर्णय से पूर्व, केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को छोड़कर; सब सेवाओ के मामलों मे परामर्श को आवश्यक बनाया गया है और नियम २३ (६) मे नये सशोधन के बाद 'जहा ऐसा परामर्श आवश्यक हो" शब्द जोड़े गये हैं; परन्तु जहा अपील के निर्णय से पहले परामर्श आवश्यक है, उसका उल्लेख नियम २३ (४) मे है; जो इस सशोधन से अप्रभावित है। फिर नियम ३० (२) मे अपील पर विचार के समय जहा आवश्यक हो, परामर्श का फिर उल्लेख किया है। पुनरीक्षा के मामलो मे नियम ३२,३३ व ३४ मे उल्लेख हैं—'जहा परामर्श आवश्यक हो'; किन्तु इस आवश्यक होने की शर्तों का कहीं वर्णन नहीं है। क्योंकि अपील व पुनरीक्षा सविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (ग) मे आये शब्द 'ज्ञापन व याचिकाओ' मे सम्मिलित माना गया है,[1] अत: अपील के पूर्व परामर्श का प्रावधान [नियम २३ (४)] पुनरीक्षा पर भी समान रूप से लागू होगा।

(ग) समन्वयात्मक—ससम्मान निवेदन है कि यदि सविधान के अनुच्छेद ३२०(३) (ग) तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमो के प्रकाश मे इन नियमो के प्रावधानो का समन्वय करें, तो परिणाम इस प्रकार होगा—

(१) दण्ड देने से पूर्व—[नियम १५ (२)]

अनुच्छेद ३२० (३) (ग) तथा विनियम ११ (१) (३) के अनुसार दण्ड देने से पूर्व परामर्श आवश्यक है, जिस पर विनियम ११ (४, (ग) मे सीमायें बाधी गई हैं और चार असाधारण दण्डो के मामलो मे ही परामर्श आवश्यक माना है, जब कि नियम १५ (२) के अनुसार केवल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्य सेवा के अधिकारियों के मामलों मे परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकनेके अतिरिक्त अन्य सब दण्डो के पूर्व परामर्श आवश्यक माना है—अर्थात् १ पदोन्नति रोकना, २ वेतन मे से वसूली, ३ पदावनति, ४ अनिवार्य सेवा निवृत्ति, ५ सेवाच्युति और ६ निष्कासन। यहा विनियम ११ (४) (ग) व नियम १५ (२) मे दण्डो की सूची मे अन्तर आ गया है। विनियम मे पदोन्नति रोकना और अनिवाय सेवा निवृत्ति के मामलो मे उल्लेख नही है।

अत: नियमो के अनुसार व सविधान तथा विनियम के प्रकाश मे यह स्पष्ट होता है कि (१) ऊपर वर्णित छ: दण्डो के मामलों मे (२) केवल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्य-सेवा के सदस्यों के लिय आयोग से परामर्श आवश्यक है। ऐसे सरकार के निर्देश† भी हैं, अन्य मामलों मे नही।

(२) अपील/पुनरीक्षा की आज्ञा से पूर्व—[नियम २३ (४)]

अनुच्छेद ३२० (३) (ग) तथा विनियम ११ (१) के अनुसार अपील या पुनरीक्षा की आज्ञा सरकार दे, तो परामर्श आवश्यक है। नियमों मे नियम २३ (६) व ३० (२) अतिम अपील के समय व नियम ३२, ३३ व ३४ पुनरीक्षा के समय "जहा परामर्श आवश्यक हो" वहा आवश्यक बताते हैं, जिसे नियम २३ (४) मे स्पष्ट और सीमित किया गया है। यहां नियम १५ (२) लागू

1. AIR 1957 SC 912

† Hand Book on Disciplinary Proceedings, (Govt. of Raj.)—Para 17 (x) Page 34, Appendix 9.

नही होता, क्योंकि यहा दण्ड देने का कार्य नही है। हां, कुछ मामलों मे दण्ड बढाया जा सकता है, वहा भी पहले परामर्श नियम २३ (४) के अधीन कर लिया जावेगा, अत. नियम १५ (२) लागू नही होगा । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि—नियम १५ (२) और २३ (४) के प्रावधान पूर्णत भिन्न और एक दूसरे से स्वतत्र हैं।

(घ) परामर्श अनिवार्य या निर्देशात्मक—

[इस पर हम पीछे (पृष्ठ स० १६-१७, ११३-१४ तथा १८२-८३ पर) विवेचन कर चुके हैं, कृपया वही देखने का कष्ट करें]

परिशिष्ट—ख (६)

विभागीय-जाँच सम्बन्धी प्रपत्र

राजस्थान सरकार के नियुक्ति (क) विभाग की विज्ञप्ति स० डी० १३८९६/एफ २१ (५२) नियुक्ति (क)/५७ दिनाक ६ दिसम्बर १९५७ के द्वारा राज्य-कर्मचारियो के आचरण सम्बन्धी विभागीय-जाच के लिये प्रामाणिक प्रपत्र प्रारूप (Standard Draft Proforma) एक समानता हेतु जारी किये गये हैं, जो आगे दिये जा रहे हैं:—

प्रपत्र (१)/नियम १३ (१) (क)

राजस्थान—सरकार

.... विभाग

निलम्बन-आज्ञा

स० ....

दिनाक ....

चूकि श्री .... (नाम व पद) के विरुद्ध एक विभागीय जाँच अपेक्षित/विचाराधीन है। अत: राज्यपाल महोदय/निम्न हस्ताक्षर कर्ता राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण, व पुनर्विचार) नियम १९५८ के नियम १३ के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उक्त श्री .... को एतद्द्वारा तुरत प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि—श्री .... (नाम व पद) को। निलम्बन-काल मे प्राह्य निर्वाहभत्ता के सम्बन्ध मे अलग से आदेश जारी किये जावेंगे।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (२)/नियम १३ (१)

राजस्थान—सरकार
............विभाग

सं०.........

निलम्बन-आज्ञा

दिनांक ....

चूंकि श्री ....(नाम व पद) के विरुद्ध एक फौजदारी जुर्म के विषय में एक मुकद्दमा जांच अधीन (जेर तफतीश)/विचाराधीन है।

अत: राज्यपाल महोदय/निम्न हस्ताक्षर कर्ता राजस्थान प्रशैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९५८ के नियम १३ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री......................को तुरत प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि—श्री.....................(नाम व पद), निलम्बनकाल के प्राप्य निर्वाह भत्ता के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जावेंगे।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (३)/नियम १६(२)

राजस्थान-सरकार
.... विभाग

सं०.......

ज्ञापन (Memo.)

दिनांक ....

श्री......................(राज्य कर्मचारी का नाम व पद) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि-उसके विरुद्ध राजस्थान प्रशैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व पुनर्विचार) नियम १९५८ के नियम १६ के अधीन एक जाच प्रस्तावित की गई है। जिन दोषारोपणों के आधार पर यह जाच प्रस्तावित की गई है, उनको सलग्न दोषारोपण विवरण पत्र मे दिया गया है और उनके आधार पर बनाये गये आरोपो का आरोपपत्र मे स्पष्ट विवरण दिया गया है।

श्री......................से एतद्द्वारा इस पत्र की प्राप्ति के १५ दिवस की अवधि मे निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अपने बचाव का लिखित प्रति कथन प्रस्तुत करना चाहा गया है, और

(क) कि वह यह भी बतावे कि आया वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है;

(ख) अपने बचाव (सफाई) की पुष्टि में जिन गवाहों को, यदि कोई हो तो, बुलाना चाहता है, उनके नाम व पते पेश करें;

(ग) यदि कोई हो, तो उन दस्तावेजो की सूची पेश करे; जिन्हे वह अपने बचाव की पुष्टि मे पेश करना चाहता हो।

श्री......................को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि—यदि वह अपने बचाव की तैयारी के उद्देश्य से किसी सरकारी अभिलेख (रिकार्ड) का निरीक्षण करना और उसके उद्धरण लेना चाहता है, तो उसे निम्न हस्ताक्षर कर्ता को उन अभिलेखों की एक सूची पेश करनी चाहिये, ताकि इस सम्बन्ध मे उचित सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। उसे यह ध्यान

रखना चाहिये कि निम्न हस्ताक्षर कर्ता की सम्मति मे यदि ऐसा कोई अभिलेख इस उद्देश्य के लिये सम्बद्ध नही है या ऐसे अभिलेख तक उसकी पहुंच जनहित के विरुद्ध है, तो उसे ऐसे अभिलेख का निरीक्षण करने या उद्धरण लेने की अनुमति नही दी जावेगी।

श्री ························(नाम) को आगे सूचित किया जाता है—कि यदि उसके बचाव के लिये लिखित-प्रतिकथन उपनिदिष्ट दिनांक या उसके पूर्व प्राप्त नही हुआ, तो जांच इकतरफा (Ex-parte) की जा सकेगी।

इस ज्ञापन की प्राप्ति की रसीद भेजी जावे।

सलग्न-प्रपत्र (४) व (५)

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (४)

राजस्थान-सरकार

·················विभाग,

आरोप पत्र (Statement of Charges)

विरुद्ध श्री··(नाम व पद)

आरोप (१)

कि उक्त श्री······ नाम··················जब कि वे ·· ······(पद) पर कार्य कर रहे थे, उस अवधि मे··

आरोप (२)

कि उक्त अवधि मे उक्त कार्यालय मे कार्य करते हुए श्री··································

आरोप (३)

कि उक्त अवधि में उक्त कार्यालय मे कार्य करते हुए उक्त श्री·······························

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (५)

राजस्थान-सरकार

······ ···········विभाग

दोषारोपण का विवरण पत्र (Statement of Allegations)

विरुद्ध श्री········· ·········(नाम व पद)

आरोप (१) से सम्बन्धित दोषारोपण*

आरोप (२) से सम्बन्धित दोषारोपण*

आरोप (३) से सम्बन्धित दोषारोपण*

[दोषारोपणों मे यह स्पष्ट करना चाहिये कि—वस्तुतः राज्यकर्मचारी किस प्रकार दोषी है—अर्थात् उस विशेष मामले मे उसकी सही सही जिम्मेदारी क्या थी और उसे निभाने मे वह कैसे असफल रहा]

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

राजस्थान-सरकार
प्रपत्र (६)/नियम १३ (५)
... ... विभाग,

निलम्बन के प्रत्याहरण की आज्ञा (Order Revoking Suspension)

सं०...............
दिनाक......... ......

चूंकि श्री... ....(नाम व पद) को निलम्बित करने का आदेश दिनाक .... – .. को जारी किया गया था।

अतः अब राज्यपाल महोदय/निम्न हस्ताक्षर कर्ता एतद्द्वारा उक्त निलम्बन-आज्ञा क तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित (Revoke) करते हैं।

निलम्बन-आज्ञा के प्रत्याहरण के कारण निम्नांकित हैं—(यहां संक्षेप में कारण दीजिये)

प्रतिलिपि श्री .... (नाम व पद)
ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

राजस्थान-सरकार
प्रपत्र (७) / नियम १६ (४)
...............विभाग,

जांच–अधिकारी की नियुक्ति

सं०–...........
दि०... ....

चूंकि राजस्थान प्रसैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम ११५८ के अधीन श्री ....–...... . ....(नाम व पद) .... के विरुद्ध एक जाच की जा रही है।

और चूंकि राज्यपाल महोदय / निम्न हस्ताक्षरकर्ता विचार करते हैं कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिये एक जाच-अधिकारी को नियुक्ति की जानी चाहिये।

अतः अब राज्यपाल महोदय / निम्नहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा श्री ....(नाम व पद) को उक्त श्री (नाम,पद) ... . के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु जाच अधिकारी नियुक्त करते हैं।

प्रतिलिपि .... —— ....
ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

(१) श्री.....................(नाम व पद जांच अधिकारी)
(२) श्री... . ...(नाम व पद दोषी राज्य कर्मचारी)

राजस्थान सरकार
प्रपत्र (८)/नियम १८
.... विभाग,

संयुक्त जांच के लिये जांच–अधिकारी की नियुक्ति

सं०.. ....
दि०... ....

(१) चूंकि राजस्थान प्रसैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण व अपील) नियम १९५८ के नियम १६ के अधीन सर्व श्री.........(नाम व पद कर्मचारी गण) के विरुद्ध एक जांच की जारही है।

(२) और चूंकि राज्य पाल महोदय/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता विचार करते हैं कि—उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाच के लिए एक जाच–अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

(३) अतः अब राज्यपाल महोदय/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण व अपील) नियम १९५८ के नियम १८ के अधीन एतद्द्वारा श्री .... (नाम व पद जांच अधिकारी) को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की संयुक्त जाच का सचालन करने के हेतु जाच अधिकारी नियुक्त करते हैं । इस कार्यवाही मे उक्त नियमो के नियम १६ मे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा ।

ह० अनुशासनिक प्र धिकारी

प्रपत्र (९)

राजस्थान सरकार

... .विभाग,

नये जांच–अधिकारी की नियुक्ति (स्थानान्तर पर)

सं०................. दि०.................

पूर्वाज्ञा सं......... ....दि०... ....के अनुक्रम मे, राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता ने श्री ....(नाम व पद) को श्री ....(नाम व पद पहले जांच अधिकारी) के स्थान पर श्री .. .. (नाम पद कर्मचारी) ....के सम्बन्ध मे विचाराधीन मामलों मे जाच हेतु जाच अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित अधिकारियो को ।

प्रपत्र (१०,/नियम १६ (४)

राजस्थान सरकार

... . विभाग,

दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति की अस्वीकृति

स० . ... दि०........... ...

श्री....................... ...(नाम व पद) ने उनके विरुद्ध विचाराधीन ज्ञापन स० . . .. दि०....................के अधीन जांच मे बचाव की तैयारी के लिये निम्नांकित कार्यालय अभिलेख का निरीक्षण करने और उद्धरण लेने के लिये अनुमति हेतु निवेदन किया है । राज्यपाल महोदय/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता ने इस निवेदन पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि—नीचे अंकित कारणो से अनुमति नही दी जा सकती—

अभिलेखों का विवरण	† अनुमति नहीं देने के कारण

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

† [कारणों मे यह स्पष्ट बताया जाना चाहिये कि—अनुशासनिक प्राधिकारी की सम्मति मे यह अभिलेख बचाव के लिये सम्बद्ध नहीं है या जनहित के विरुद्ध है और इस सम्मति के कारण भी बताये जावें ।]

प्रपत्र (११) / नियम १६ (१०) (i) (ख)

राजस्थान सरकार

....विभाग,

कारण-बताओ नोटिस

(जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन)

प्रेषक.................. (अनुशासनिक प्राधिकारी)

प्रति—श्री... ....(सम्बन्धित राज्यकर्मचारी)

सं०...................

विषय—विभागीय कार्यवाही दि०... ....

प्रसंग—ज्ञापन सं०.............. दि०.............

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध कुछ आरोपों की जाच हेतु नियुक्त जांच-अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है; उसकी एक प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न की जाती है।

इस रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध लगाये हुये आरोपों के बारे मे दिये निष्कर्षों के तथ्यों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद राज्यपाल महोदय ने अस्थाई रूप से ....(दण्ड का नाम)...... ....करने का निश्चय किया है। इससे पूर्व कि यह कार्यवाही की जावे, आपको इस प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर दिया जाता है। प्रस्तावित कार्यवाही के पूर्व इस सम्बन्ध मे जो अभिकथन (स्पष्टीकरण) आप देना चाहें, उस पर विचार किया जावेगा। यह अभिकथन लिखित मे निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता के पास इस पत्र की प्राप्ति के १५ दिन तक पहुंच आना चाहिये।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

ह० अनुशासनिक प्राधिकारी

(प्रपत्र १२) नियम १६ (१०) (i)

राजस्थान सरकार

....विभाग,

कारण-बताओ नोटिस

(जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन)

प्रेषक.... ....(अनुशासनिक प्राधिकारी)

प्रति—श्री ....(सम्बन्धित प्राधिकारी)

विषय—विभागीय कार्यवाही

प्रसंग........................

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि—आपके विरुद्ध कुछ आरोपो की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है; उसकी एक प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न की जाती है।

सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान पूर्वक विचार किया है और जाच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है और विवेचनात्मक टिप्पणी मे दिये कारणो के आधार पर .... का आरोप आपके विरुद्ध सिद्ध हुआ है, ऐसा मानती है। राज्यपाल महोदय ने अस्थाई रुप से ....(दण्ड का नाम) ....देने का निश्चिय किया है। इससे पूर्व कि—यह कार्यवाही की जावे, आपको इस प्रस्तावित कार्यवाही (दण्ड) के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर दिया जाता है। वास्तविक कार्यवाही के पूर्व इस सम्बन्ध मे जो अभिकथन (स्पष्टीकरण) आप देना चाहे, उस पर विचार किया जावेगा। यह अभिकथन लिखित में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, के पास इस पत्र प्राप्ति के १५ दिन तक पहुच जाना चाहिये।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

ह०..................................

अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (१३)/नियम १६ (१२)

राजस्थान सरकार

...............विभाग

सं० .... दिनांक ....

कुछ दोषारोपणो के आधार पर श्री .... (नाम व पद) के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे, अर्थात्—

....

....

राजस्थान प्रशैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९५८ के प्रावधानों के अधीन इन आरोपो की उचित जांच के बाद राज्यपाल महोदय ने तदनुसार, राजस्थान लोकसेवा आयोग के परामर्श से; निश्चिय किया है कि.................................... दण्ड दिया जावे।

राजस्थान, लोकसेवा आयोग के पत्र की एक प्रति जिसमे उनकी सम्मति अंकित है, सूचनार्थ सलग्न की जाती है।

श्री ....(नाम व पद) .... से इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का निवेदन किया जाता है।

(ह०...................................)

अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र (१४)

राजस्थान सरकार

.... विभाग

अभियोजन की स्वीकृति
(Sanction for Prosecution)

चूंकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान म यह लाया गया है कि श्री .... (नाम) ने . . ..(पद) पर कार्य करते हुए एक श्री . .. (नाम व पद) के साथ षड्यन्त्र करके रोकड बही मे दि०... ... से तक असत्य व फर्जी प्रविष्टयाँ की और अनेक राशियो का अनेक व्यक्तियों व संस्थाओ को वितरण दिखाया, जो वास्तव मे वितरित नही किया गया था और कुल राशि रु०—.. . . का भुगतान इस प्रकार से विभिन्न संस्थाओ को असत्य वितरण दिखाकर फौजदारी रूप से उक्त अधिकारी द्वारा दुरुपयोग (गवन) किया गया है और कुछ भुगतानों का श्री . ... द्वारा असत्य रूप से सत्यापन किया गया है, और

२. चूंकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान मे लाया गयाहै कि श्री .... द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इ डिया से दि० को . रूपये प्राप्त किये गये जो रोकड बही मे प्रविष्ट नही किये गये और न उचित व्यक्ति या कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी को दिये गये और उक्त अधिकारियो द्वारा दुरुपयोग (गवन) किया गया, और

३. चूंकि अभिलेख को देखने व इस मामले के समस्त तथ्यो व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सन्तोप हो गया है कि—उक्त श्री व श्री ...... ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की . धारा व व भारतीय दण्ड सहिता की धारा ... के अधीन जुर्म किया है।

४. अतः अब . . .. दण्ड प्रक्रिया सहिता (Cr C P.) की धारा व भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा . के अनुसरण मे राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतत्द्वारा उक्त श्री का भारतीय दण्ड सहिता की धारा . .. . एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा . साथ पढिये भा. द. स. की धारा और कोई अन्य जुर्म जो सक्षम अदालत द्वारा बनाया जावे के अन्तर्गत अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मोहर

अनुशासनिक प्राधिकारी

स० ... .

दिनांक ... ..

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित अधिकारियो को (इस मुकद्मे मे फसे हुये सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त)

नियुक्ति (क-३) विभाग के ज्ञापन स० एफ १६(७) नियुक्ति (क)/६६ ग्रुप ३ दि० ३१-७-६१ द्वारा स्वीकृत प्रारूप, जो अपील/पुनरीक्षा के मामलों मे राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जाता है—

श्री सचिव महोदय,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर,

अपील/पुनरीक्षा के मामलों का प्रारूप

१. राज्य कर्मचारी का नाम ....
२. दण्ड देने से पूर्व का पद.....................
३. दण्ड के बाद का पद ....
४ कि यह प्रथम अपील या द्वितीय अपील या पुनरीक्षा है ? ....
५. अनुशासनिक प्राधिकारी..............
६. अपील अधिकारी ......
७. दण्ड का दिनांक ......
८. अपील/पुनरीक्षा/पेश करने का दिनांक..........
९. यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(क) (....... प्राधिकारी का पद) ने राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९५८ के अधीन एक नियमित विभागीय जांच की आज्ञा दी थी और वह प्राधिकारी इस आज्ञा देने के लिए तथा जाच अधिकारी नियुक्त करने के लिये नियम १६(४) के अधीन सक्षम थे। नियमित विभागीय जाच के लिये आज्ञा फाइल सं०...... के पृष्ठ सं०..........पर है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा के अधीन दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दोषारोपण व आरोपों के विवरण दिये गये थे, जो फाइल स०.................. के पृष्ठ स०.................पर उपलब्ध हैं।

(ग) राज्यकर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर उस कार्यालय अभिलेख का निरीक्षण करने व उद्धरण लेने की अनुमति दी गई थी, सिवाय निम्नलिखित के, जिनके लिये कारण दिये गये हैं—

....

(घ) जाच अधिकारी उस अधिकारी से भिन्न था, जिसने कि प्राथमिक जाच की थी।

(ङ) उक्त अधिकारी।कर्मचारी का लिखित-अभिकथन तैयारी के लिये आवश्यक यथोचित समय देने के बाद प्राप्त हुआ, जो फाइल सं०.........के पृष्ठ सं०...........पर है। इसकी उपस्थिति मे जिन गवाहो के बयान लिये गये वे फाइल सं०.......... के पृष्ठ ....पर उपलब्ध हैं। जाच अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारी।कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था।

(च) उक्त अधिकारी।कर्मचारी और बचाव पक्ष में प्रस्तुत गवाहों के बयान फाइल सं० ....के पृष्ठ सं० ....पर उपलब्ध हैं। जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट फाइल सं०...........के पृष्ठ सं० ....पर उपलब्ध है।

(छ) सक्षम सत्ता द्वारा उक्त राज्य कर्मचारी को दण्ड दिया गया है और उस पारित-आज्ञा से उक्त कर्मचारी को सूचित कर दिया गया है।

(ज) अपील/पुनरीक्षा समय के अन्दर है या कालातीत (Timebarred) होने पर राजस्थान असैनिक सेवायें (व० नि० व अ०) नियम १९५८ के नियम २५ के अधीन आज्ञा स०...... दि०.......... द्वारा विलम्ब को सम्मोचित (Condone) कर दिया गया है, जो फाइल स०......... के पृष्ठ सं०............ पर है।

असाधारण दण्ड देने पर पूरक बातें—

(१) जाच अधिकारी की रिपोर्ट मय अनुशासनिक प्राधिकारी के विचारो के तथा भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३११(२) द्वारा वांछित व राजस्थान असैनिक सेवा (व० नि० अ०) नियम १०५८ के नियम १६(१) (ख, के अधीन कारण बताओ नोटिस उक्त राज्य कर्मचारी को दिये गये थे, जो फाइल स० .... के पृष्ठ .. पर हैं।

(२) जहां अनुशासनिक-प्राधिकारी जांच-अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुये, असहमति के कारणों से उक्त अधिकारी/कर्मचारी को अवगत करा दिया गया था, जो फाइल स० .... के पृष्ठ सं०........... पर है।

विविध—

(क) राज्य कर्मचारी को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया था कि—उसकी सेवा का पूर्व-रिकार्ड, जो कि उसके प्रतिकूल है; दण्ड की मात्रा के निर्धारण मे विचारार्थ लिया जावेगा।

(ख) आरोप-पत्र मे उल्लेख किये बिना किसी भी किये-गये (Commission) और भूले-हुये (Ommission) कार्य के लिए उक्त राज्य कर्मचारी को कोई दण्ड नही दिया गया है।

(ग) उपलिखित प्रत्येक तथ्य से सम्बन्धित रिकार्ड इकट्ठा करवाकर सम्बन्धित कार्यालयो से फाइलें तैयार करवा कर मय समस्त सम्बन्धित कागजात के अपील/पुनरीक्षा के आवेदन-पत्र पर सम्मति (advice) हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजे जारहे हैं।

उप शासन सचिव,
नियुक्ति (क-३) विभाग

परिशिष्ट (ग)

आचरणावली

(The Code of Conduct)

परिचय—

यद्यपि राज्य-कर्मचारियों के आचरण को सम्पूर्णरूप से वर्णित किया जाना सरल नही है, फिर भी ये नियम राजस्थान के राज्य कर्मचारियो के पथ-प्रदर्शन के लिये उपयोगी हैं। केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियम १९६४ के नियमो और इन नियमो मे निम्नलिखित प्रावधान समान रूप से हैं, यद्यपि भाषा व वर्णन एक-सा नही है। तुलनात्मक अध्ययन के लिये यह एक उपयोगी तालिका होगी :—

राजस्थान नियम	केन्द्रीय नियम	राजस्थान नियम	केन्द्रीय नियम
१	२	१४-क	४
१ (क)	२ (ख)	१५-क	२१
१-क	३ (१)	१६	११
२	१३	१७	८
३	१४	१९	९
६	१२	२१	५
८	१६	२२	१९
९	१८	२२-क	७
१०	१८	२३-क	६
११	१८	२६	२५
१४	१५		

राजस्थान राज्य-कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त-कर्मचारी आचरण नियम

[Rajasthan Government Servants' & Pensioners' Conduct Rules]

(‡संक्षिप्त व्याख्या सहित)

[*क्रमांक—एफ० १(८४) सा० प्र०/४९ दिनांक १३ दिसम्बर, १९४९]

राजस्थान प्रशासन अध्यादेश १९४९ (सं० १/१९४९) संशोधित की धारा १० मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सयुक्त राजस्थान राज्य के महामहिम राजप्रमुख महोदय ने प्रसन्न

* विज्ञप्ति स० एफ १ (२३) ६-क/५० दिनांक ४ नवम्बर, १९५० द्वारा सशोधित।

‡ अप्राधिकृत अनुवाद।

होकर राजस्थान कर्मचारियो के प्राचरण एवं अनुशासन को नियमित करने के लिये नि
नियम बनाते हैं :—

१. निर्वचन (Interpretation)—

(क) राज्य कर्मचारी (Government Servant) से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो संयुक्त-राजस्थान राज्य की प्रशासनिक सेवा में नियोजित है, वह कुछ समय के लिए विदेशी सेवा में हो या नहीं। इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो कि राज्य सेवा से कहीं अन्यत्र सेवा-निवृत्त हुआ हो और राजस्थान सेवा में नियोजित किया गया हो अथवा जो किसी अनुबन्ध के द्वारा सेवा में हो। किन्तु इसमें वे सम्मिलित नहीं है, जो भारत सरकार की अथवा किसी अन्य प्रान्त या राज्य की सेवा में हो राजस्थान राज्य में प्रति नियुक्ति (deputation) पर हो; ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित नियमो प्रशासित होते रहेंगे।

(ख) सेवानिवृत (पेन्शनर) से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो कि संयुक्त-राजस्थान राज अथवा किसी एकीकृत राज्य (देशी रियासत) की सेवा में रहा हो और राजस्थान सरकार निवृत्ति वेतन (पेन्शन) प्राप्त कर रहा हो।

[व्याख्या—ये नियम राजस्थान राज्य के सभी कर्मचारियो पर लागू होते हैं। सेवा-निवृत्त कर्मचारियो के लिये केवल नियम २४ ही लागू होता है, अन्य नहीं। यह नियम राजस्थान सेवा नियम—१६९ की शर्त को दोहराता है।]

‡१. १ (क)—सामान्य (General)—प्रत्येक राज्य कर्मचारी सदा पूर्ण सत्यनिष्ठा (ईमानदारी), अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा (वफादारी) तथा अपने पद का सम्मान बनाये रखेगा।]

[व्याख्या—यह नियम बहुत व्यापक है। इसमें राज्य कर्मचारियो की अलिखित-आचरणावली (Unwritten code of conduct) भी अन्तर्हित है।[1] यद लिखित आचरणावली परिपूर्ण नहीं है।[2] एक कर्मचारी के अपने शासकीय तथा निजी दोनो जीवन व अंगो में सदाचरण का होना आवश्यक है। अत नियोजन से बाहर के अनुचित आचरण के लिये भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।[3] यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इसमें प्रशासन की प्रतिष्ठा गिरती है। यदि कोई कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियो का विश्वास खो देता है और वह न सुधार करना चाहता है और न क्षमा मागना चाहता है। तो उसे सेवा से निष्कासित किया जा सकता है।[4] दुराचरण (Misconduct) या असंगत आचरण सिद्ध करना होता है, इसका अनुमान (inferred) नहीं किया जा सकता।[5] राज्य कर्मचारियो को दण्ड कुछ उच्चाधिकारी दे सकते हैं, जो मालिक नहीं होते; अत. उनकी शक्तियां किन्ही नियमो या विधि-विधान से नियमित होती हैं।[6] अर्थात्—उन्हे मालिक के समान अनियन्त्रित शक्ति नहीं होती। 'राज्यपाल का प्रसाद' भी अनुच्छेद ३११ द्वारा नियन्त्रित है।[6A]]

‡ सा० प्र० आज्ञा सं० एफ० ५(७३) सा० प्र०/क/५४ दि० २२-१२-५४ द्वारा निविष्ट।

1. लक्ष्मीनारायण पाडें बनाम जिला दण्डनायक AIR 1960 All 55.
2. जे. जे. मोदी बनाम बम्बई राज्य AIR 1962 Guj 197
3. माधोसिंह बनाम बम्बई राज्य AIR 1960 Bom. 258
4. AIR 1937 PC 223.
5. AIR 1960 Bombay 344
AIR 1960 Bom. 285

२—उपहार (भेंट, Gifts)-(१) इस नियम मे ही आगे दिये गये प्रावधानो को छोडकर, तथा सयुक्त-राजस्थान राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी राज्य कर्मचारी—

(अ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे अपनी स्वय की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से (कोई उपहार) स्वीकार नही करेगा—या

(ब) अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्वीकृति नही देगा कि वह किसी व्यक्ति से कोई उपहार, अनुतोष अथवा पुरस्कार (इनाम) या ऐसे उपहार, अनुतोष या इनाम के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करे।

(२) सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के प्रावधानो के अधीन रहते हुए कोई राज्य कर्मचारी किसी व्यक्ति से पुष्पो फलो अथवा इसी प्रकार के नगण्य मूल्य की साधारण वस्तुओ की कोई शुभकामनापूर्ण भेंट स्वीकार कर सकेगा, किन्तु समस्त राज्य कर्मचारी ऐसे उपहारो को देने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे।

(३) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्तिगत अथवा धार्मिक उत्सव जैसे—विवाह, वर्षगाठ अथवा यज्ञोपवीत सस्कार आदि अवसरो पर अथवा इनके सम्बन्ध मे अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से एक ऐसे मूल्य की भेंट, जो कि सभी परिस्थितियो मे समुचित हो, स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।

† [**२अ. भ्रमण (दौरे) के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियो का आतिथ्य ग्रहण करना**—प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने भ्रमण के समय, अपने पडाव के स्थानो पर निवास एव भोजन का प्रबन्ध स्वय करना चाहिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियो का आतिथ्य ग्रहण नही करना चाहिए और न ही अधीनस्थ कर्मचारियो को अपने उच्चाधिकारियो को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करना चाहिए।]

३ **राज्य कर्मचारियो के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन**—(१) इस नियम मे दिये गए प्रावधानो के अलावा कोई भी राज्य कर्मचारी, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना—

(क) स्वय अपने सम्मान मे आयोजित, कोई सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन नही लेगा कोई प्रशस्ति पत्र स्वीकार नही करेगा या न ही ऐसी कोई सार्वजनिक सभा या मनोरजन कार्यक्रम मे उपस्थित ही होगा।

(ख) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवा से निवृत्त अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये जाने वाले किसी सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन अथवा प्रशस्ति-पत्र मे सम्मिलित नही होगा, न ही तत्सम्बन्धित किसी सार्वजनिक सभा या मनोरजन कार्यक्रम मे उपस्थित ही होगा।

(ग) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या किसी अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवाओं के सम्मान मे स्थापित किसी छात्रवृत्ति अथवा आयोजित किसी अन्य सार्वजनिक या दातव्य उद्देश्य, या किसी चित्र, प्रतिमा या मूर्ति जो कि ऐसे अन्य राज्य कर्मचारी या व्यक्ति को भेंट किये जाने वाले हो, पर खर्च की जाने वाली किसी निधि को एकत्र करने मे भाग नही लेगा।

(२) नियम (१) मे कही हुई किसी भी बात से प्रभावित हुये बिना—

†विज्ञप्ति स० एफ० बी० (१७) नियुक्ति—(क) ५७ दि० २७-८-५७ द्वारा निविष्ट।

(क) ५०) या उससे कम वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी अपने उच्च धिकारी से अपने कार्य के बावत कोई प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर सकता है।

(ख) कोई राज्य-कर्मचारी किसी सर्वजनिक सभा के अनुरोध पर किसी चित्र, मूर्ति आदि की तैयारी के लिये बैठ सकता है, बशर्तें कि वह चित्र आदि उसे भेंट करने के उद्देश्य से नहीं बनाये जा रहे हो।

(ग) सरकार के किसी विशेष अथवा साधारण आदेशो के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, राज्य-कर्मचारी अत्यन्त व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक ढंग के किसी विदाई समारोह मे भाग ले सकता है जो कि उनके स्वय के अथवा किसी अन्य कर्मचारी के अथवा हाल ही मे जिसने सेवा छोड दी हो, ऐसे व्यक्ति के सम्मान मे, सेवा निवृत्ति अथवा एक स्थान से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान (स्थानान्तर) करने के अवसर आयोजित किया गया हो।

४. समारोह में करनी (Trowel) इत्यादि का भेंट करना—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समारोह, जैसे—कोई शिलान्यास अथवा सार्वजनिक भवन का उद्घाटन; के अवसर पर उसको भेंट की गई कोई करनी, अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु, प्राप्त नही करेगा।

५. नियम (२) और (३) का चिकित्सा या शिक्षा-अधिकारियों पर लागू होना:—इस प्रश्न पर बने हुए विभागीय नियमो के अधीन, कोई चिकित्सा अथवा शिक्षा अधिकारी उसकी व्यावसायिक अथवा शैक्षणिक सेवाओ के सम्मान मे किसी व्यक्ति समूह द्वारा सद्भावना से दिया गया कोई उपहार, अनुतोष अथवा इनाम, स्वीकार कर सकता है।

६. चन्दा इकट्ठा करना—सरकार की पूर्व स्वीकृति होने की स्थिति को छोड़कर, कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र किये जाने वाले किसी चन्दे अथवा अन्य आर्थिक सहायता के लिए न तो किसी से कहेगा, न इसे स्वीकार ही करेगा और न उस धनराशि के संग्रह मे किसी भी प्रकार भाग ही लेगा।

‡['ध्वज दिवस' के मनाने की अवधि मे भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये स्वय की लगन से धन जमा करने मे कोई भी राज्य कर्मचारी भाग ले सकता है।]

७. त्याग-पत्र की खरीद—सरकार के अधीन किसी पद के त्याग पत्र के सम्बन्ध में किसी अन्य को लाभ पहुचाने की दृष्टि से कोई भी राज्य कर्मचारी किसी आर्थिक व्यवस्था मे भाग नही लेगा। यदि इस नियम की अवहेलना की गई, तो ऐसे, यथास्थिति, त्यागपत्र देने के बाद किया गया कोई मनोनयन या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और इस व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे लोगो को, जो कि यदि तब भी सेवा मे होंगे, सरकार की आज्ञा मिलने तक निलम्बित कर दिया जायेगा।

८. रूपया उधार देना और लेना—(१) कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसका कि वेतन २००) रु० प्रतिमाह अथवा अधिक हो, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओ के अन्दर रहने वाले अचल सम्पत्ति के स्वामी किसी व्यक्ति को रुपया उधार नही दे सकेगा और न ही वह, किसी ज्वाइन्ट स्टाक बैंक अथवा किसी प्रसिद्ध फर्म के साथ किए जाने वाले साधारण व्यावसायिक कार्य को छोड कर, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओ मे रहने वाले, अचल सम्पत्ति रखने वाले अथवा

‡ विज्ञप्ति स० एफ़ १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० १६-५-५६ द्वारा निविष्ट।

अपना व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले सकेगा और न ही किसी अन्य प्रकार के आर्थिक दायित्व में अपने आपको बांध सकेगा।

(२) जब कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) मासिक अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला अधिकारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है अथवा स्थानान्तरित किया जाता है, जहां पर कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको उसने रुपया उधार दे रखा हो अथवा जिसके साथ उसने स्वयं ने किसी प्रकार के दायित्व में अपने को बांध रखा हो, और जो उसकी सरकारी अधिकार सीमा के अन्तर्गत होगा, अथवा रहता होगा, अचल सम्पत्ति रखता होगा अथवा उस अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में कार्य करता होगा, तो उसे उचित मार्ग द्वारा उन परिस्थितियों से सरकार को सूचित कर देना चाहिए।

(३) इस खण्ड के आदेश, २००) प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी लागू होते हैं; किन्तु उनके सम्बन्ध में उनके कार्यालयाध्यक्ष के विवेक पर विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को उपरोक्त उपखण्ड (२) में वर्णित प्रतिवेदन अपने कार्यालयाध्यक्ष को दे देने चाहिये।

९. मकान एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय—

†(१) किसी नियमित विक्रेता के साथ सदुद्देश्य से किये गए किसी सौदे के मामले को छोड़ कर, २००) प्रतिमाह अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी, जो कि एक हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तार करना चाहता है, अपनी ऐसी इच्छा निर्धारित अधिकारी को घोषित करेगा। ऐसी घोषणा में परिस्थितियों एवं प्रस्तावित मूल्य का पूरा विवरण होगा और विक्रय के अलावा निस्तार की कोई अन्य विधि अपनाने की स्थिति में, निस्तार (disposal) की विधि भी उसमें उल्लिखित होगी। इसके पश्चात् वह राज्य कर्मचारी ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा, जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए हों।

(२) उप नियम (१) में दी गई किसी भी बात को ध्यान में न लाते हुए, कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाला कोई अधिकारी, जो कि अपने नियुक्ति के स्थान, जिला अथवा अन्य स्थानीय सीमा को छोड़ने वाला हो, बिना किसी अधिकारी को सूचित किये अपनी चल सम्पत्ति को, समाज में साधारणतया उसकी एक सूची घुमाकर अथवा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा विक्रय कर के, निपटारा कर सकता है।

१० राज्य कर्मचारियों द्वारा धारित या प्राप्त अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण—

(१) इन नियमों के प्रभावशील होने के तीन माह के भीतर भीतर सेवा में संलग्न प्रत्येक राज्य कर्मचारी उचित मार्ग द्वारा, उसके स्वयं के, उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में रहने वाली अचल सम्पत्ति की एक घोषणा करेगा। ऐसी सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिले, प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है, उसका भी उस घोषणा में उल्लेख होगा और उसमें ऐसी अन्य सूचना भी दी होगी, जैसी कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा चाहे।

† विज्ञप्ति स० एफ० ४(२) नियुक्ति श्रेणी ३ दि० २१-६-६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

(२) उप खण्ड १० (१ मे वर्णित प्रथम घोषणा के बाद यदि राज्य कर्मचारी उसकी पत्नी, उसके साथ रहने वाला अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त करता है अथवा उत्तराधिकार मे पाता है, तो वह उचित मार्ग द्वारा, ऐसी सम्पत्ति का एक घोषणा पत्र सरकार को प्रेषित करेगा।

†(३) निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी नियमित विक्रेता के द्वारा क्रय-विक्रय या उपहार द्वारा कोई अचल सम्पत्ति राज्य कर्मचारी प्राप्त नही करेगा या उसका निस्तार नही करेगा।

किन्तु शर्त यह है कि एक नियमित व प्रसिद्ध विक्रेता के द्वारा किये जाने के अतिरिक्त ऐसे किसी भी सौदे के लिये निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

‡स्पष्टीकरण—संबंधित राज्य कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी ही इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

[व्याख्या——यदि एक राज्य कर्मचारी के कब्जे मे जो सम्पत्ति है, वह उसकी आय के ज्ञात साधनो के अनुपात से अधिक है, तो यह माना जावेगा कि—यह सम्पत्ति बईमानी के साधनो से प्राप्त की गई है।[7]]

११. अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य विनियोग—कोई भी राज्य कर्मचारी न तो स्वय ऐसा विनियोग (Investment) करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा, जिससे उसके सरकारी कर्त्तव्यो के पालन मे उसको प्रभावित होना पड़े अथवा जो कि उसकी स्थिति को उलझन मे डाल देवे।

टिप्पणी—इस नियम के लिए, 'परिवार' शब्द मे कोई सम्बन्धी भी सम्मिलित होगा, जो उस राज्य कर्मचारी के साथ रह रहा हो और जो उस पर आश्रित हो, चाहे उसके साथ नही रहता हो।

यह शर्त के अधीन रहते हुए, वह किसी ऐसी कम्पनी जिसमे कि खनिज अथवा कृषि सम्बन्धी कम्पनी भी सम्मिलित है और जिसका कि उद्देश्य देश के स्रोतो का विकास करना है, के हिस्से प्राप्त कर सकता है अथवा उसके हिस्से रख सकता है, किन्तु उसे ऐसे जिले मे नियोजित नही किया जावेगा, जहा पर कि उस कम्पनी का कार्य होता हो।

उसी शर्त के अधीन रहते हुए, सन् १९१२ के द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी प्रादेशिक अथवा केन्द्रीय बैंक मे, वह धन जमा करवा सकता है और उसी नियम के अन्तर्गत पंजीकृत अकृषि प्रधान समितियो तथा जो कि केवल राज्य कर्मचारियो के लिए ही हो, मे विनियोग कर सकता है चाहे फिर वह बैंक अथवा समिति उसी क्षेत्र मे ही कार्य क्यो नही करते हो, जहा कि वह नियोजित किया गया हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पंजीकृत सहकारी समितियो मे वह विनियोग कर सकता है अथवा धन जमा करवा सकता है।

---

7. केशवचन्द्र शर्मा बनाम असम राज्य AIR 1962 Assam 17

‡ विज्ञप्ति दि० २१-६-६१ नियुक्ति विभाग द्वारा निविष्ट।

१२. सट्टा.—कोई भी सरकारी कर्मचारी विनियोगों (Investments) में सट्टा नहीं कर सकेगा।

इस सामान्य नियम को लागू करने में, मूल्यवान् खनिज सामग्रीयुक्त भू-भाग की इस दृष्टि से खरीद, कि उसे कम्पनियों को बेच दिया जावेगा अथवा उतार चढाव वाले विनियोगों का अभ्यस्त क्रय-विक्रय भी विनियोगों में सट्टा माना जावेगा।

१३. कम्पनियों की स्थापना या प्रबन्ध—कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसका वेतन २००) रु० मासिक या इससे अधिक हो, चाहे वह छुट्टी पर हो या सक्रिय सेवा में, सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना किसी बैंक अथवा अन्य कम्पनी की स्थापना, पन्जीकरण अथवा व्यवस्था में भाग नहीं ले सकेगा।

यह नियम किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जो कि सरकार की स्वीकृति से, सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई किसी रेलवे कम्पनी की सेवा में प्रवेश करता है, अथवा जो कि पारस्परिक सहयोग और लाभ प्राप्त नहीं करने के उद्देश्य से सद्भावना से संचालित अथवा स्थापित किसी संगठन की व्यवस्था करता है किन्तु शर्त यह है कि ऐसी व्यवस्था को देखना उसके सार्वजनिक कर्त्तव्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे अथवा इसी शर्त के साथ यह नियम उस राज्य कर्मचारी पर भी लागू नहीं होगा जो सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष स्वीकृति के अन्तर्गत, किसी सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेता है।

१४. निजी व्यापार अथवा नियोजन—कोई राज्य-कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के अलावा किसी अन्य व्यापार में अपने आप को नहीं लगा सकेगा और न कोई अन्य नियोजन ही स्वीकार करेगा।

कोई राज्य कर्मचारी किसी साहित्यिक अथवा कलात्मक प्रकृति का सामयिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसके सार्वजनिक कर्त्तव्यों को हानि न हो; किन्तु सरकार अपने विवेक से; किसी भी समय उसको ऐसा करने से मना कर सकती है अथवा उसको ऐसा कोई भी नियोजन छोड़ने का आदेश दे सकती है, जो कि उसके अभिमत में अवांछनीय हो।

टिप्पणी—किसी क्लब का मन्त्री पद सभालना इस नियम के अन्तर्गत नियोजन में नहीं आता, बशर्ते कि उसमें उस अधिकारी का इतना समय नहीं लगे कि जिससे उसके सार्वजनिक कर्त्तव्यों में बाधा पड़े और वह एक अवैतनिक पद होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि उसको उस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का नकद भुगतान अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य सुविधा, जिसमें कि मुफ्त निवास एवं भोजनालय शुल्क से मुक्ति की परम्परागत सुविधायें शामिल नहीं मानी जायेगी, के रूप में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए। जो अधिकारी किसी क्लब का अवैतनिक मन्त्री बनना चाहे, तो उसे उसकी सूचना उसके निकटतम विभागीय उच्चाधिकारी को देनी चाहिए, जो कि इस नियम के सदर्भ में निर्णय करेगा और यह देखेगा कि क्या इस विषय को सरकार की आज्ञा के लिए भेजा जाना चाहिए।

[**व्याख्या**—जहां बिना सरकार की स्वीकृति के किसी कर्मचारी ने निजी कार्य में नौकरी स्वीकार करली, जबकि वह राज्य सेवा में था। इस पर माना गया कि आचरण नियमों का भंग हुआ है।[8]]

8. AIR 1959 SC 536.

***१४. क—राजकीय संरक्षण प्राप्त फर्मों में निकटस्थ सम्बन्धी का नियोजन—** राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पुत्र-पुत्री अथवा आश्रित को ऐसी व्यक्तिगत फर्म जिसके कि साथ सरकारी तौर पर उसका सबंध है अथवा ऐसी अन्य फर्म जो कि सरकार से लेन देन का व्यवहार रखती हो, मे किसी नियोजन को स्वीकार करने की अनुमति नही देगा। किन्तु शर्त यह है कि जब ऐसा नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा नही की जा सके अथवा जो अन्य प्रकार से आवश्यक समझा गया हो, तो यह मामला सरकार को भेजा जायेगा और ऐसा नियोजन सरकार की स्वीकृति के अधीन अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

†१४. ख—शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने पर प्रतिबन्ध— कोई राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा मे रहते हुए ‡[सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना] किसी मान्यता प्राप्त मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अपने आपको तैयार करने की दृष्टि से न तो किसी शिक्षा-संस्था मे प्रवेश लेगा अथवा उपस्थित होगा और न उस परीक्षा मे बैठेगा।

किन्तु शर्त यह है कि :—

(१) इस नियम मे उल्लिखित कोई बात ऐसे कर्मचारी पर लागू नही होगी जो कि विद्यालय अथवा महा-विद्यालय के उस सत्र जिसमे कि वह ऐसी तैयारी करना चाहता है, की पूरी अवधि के लिए राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत मिलने वाले किसी अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र देता है और जिसे ऐसा अवकाश स्वीकार किया जाता है।

(२) किसी भी राज्य कर्मचारी को, जिसने सन् १६५५ मे अथवा उसके पूर्व के वर्षों मे किसी परीक्षा का पूर्व खण्ड उत्तीर्ण कर लिया हो; नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी पूर्व खण्ड परीक्षा से आगे वाली अन्तिम परीक्षा मे बैठने अथवा अपने आप की तैयारी करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा के समय के बाहर के समय मे किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की स्वीकृति दी जा सकती है।

(३) प्रत्येक राज्य कर्मचारी को किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिये तैयारी करने अथवा उनमे बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय मे किसी शिक्षा संस्था मे प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

(४) प्रत्येक अध्यापक एव पुस्तकालयाध्यक्ष, को शिक्षा विभाग के नियमो के अन्तर्गत किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृति मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिए तैयारी करने अथवा उनमे बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय

* विज्ञप्ति स० डी० ७५३८/६७ एफ० ३(१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० २८-९-५७ द्वारा निविष्ट।
† विज्ञप्ति स० एफ० १३(१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० ११-१०-५८ द्वारा निविष्ट।
‡ विज्ञप्ति सं० एफ० १३(१७) नियुक्ति (क)/५ श्रेणी ३ दि० २१-९-६१ द्वारा निविष्ट।

मे किसी शिक्षा सस्था मे प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है, और

(५) किन्ही विभागीय नियमो के अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी अधिकारी को भी उच्च तकनीकी अध्ययन करने अथवा किसी तकनीकी परीक्षा मे बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय मे, किसी तकनीकी सस्था मे प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण —

(क) "पूर्व खण्ड परीक्षा" से अभिप्राय अन्तिम इन्टरमीजियट अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा से तुरन्त पूर्व वाली वार्षिक परीक्षा से है, और

(ख) "तकनीकी अधिकारी" से अभिप्राय राज्य के चिकित्सा एव स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, वन, सार्वजनिक निर्माण और खान एव भूगर्भ विभागो अथवा राज्य द्वारा सचालित फैक्ट्रियो अथवा राज्य के उद्योग विभाग के अधीन उत्पादन केन्द्रो मे किसी तकनीकी कार्य वाले किसी पद पर आसीन अधिकारियो से है।

[व्याख्या—जिन कर्मचारियो ने बिना पूर्व स्वीकृति के या अनधिकृत या मौखिक स्वीकृति से आगे की कोई परीक्षा पास करली हो, तो ऐसी योग्यता को विभागीय-परीक्षाओ, पदोन्नति या नियुक्ति के लिये मान्यता नही देनी चाहिये, ऐसा निर्देश है।* परीक्षाओ के लिये अनुमति देने की प्रणाली आदि के लिये विज्ञप्ति स० एफ० १३(१७) नियुक्ति (क)/५५ दि ३१-७-६१ द्वारा निर्देश दिये गये हैं। हिन्दीकरण की नीति के अनुसार सवर्ग की सख्या के ५ प्रतिशत से अधिक कर्मचारियो को नियुक्ति प्राधिकारी हिन्दी की परीक्षाओं मे बैठने की अनुमति दे सकते है, बशर्ते कि इससे कार्यालय के कार्य मे उपस्थिति कम न होने पावे। यह पाच वर्ष के लिये लागू रहेगा।‡ शिक्षा विभाग ने अध्यापको को सार्वजनिक परीक्षा मे बैठने की स्वीकृति देने सम्बन्धी आदेश जारी किये हैं।†]

१५. दिवालियापन एव अभ्यस्त ऋण ग्रस्तता (कर्जदारी)—(१) प्रत्येक राज्य कर्मचारी अभ्यस्त कर्जदार बनने की स्थिति को रोकेगा।

(२) जब किसी राज्य कर्मचारी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा न्यायालय ऐसा फैसला दे देती है और जब ऐसे राज्य कर्मचारी के वेतन का एक यथेष्ठ भाग लगातार दो वर्ष से अधिक की अवधि तक कुर्क रहता है अथवा जब उसका वेतन एक ऐसी रकम के लिये कुर्क किया जाता है जो कि सामान्य परिस्थितियो मे दो वर्ष की अवधि मे नही चुकाया जा सके, तो उसको बर्खास्त करने के योग्य माना जायेगा।

(३) जब ऐसा राज्य कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से अथवा उसके द्वारा ही बर्खास्त किये जाने योग्य है और अन्य प्रकार से नही। यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वह मामला सरकार को भेजा जाना चाहिए और यदि केवल उसके वेतन का भाग ही कुर्क किया गया है, तो उस मामले पर सरकार को प्रतिवेदन दिया जा सकता है।

---

* विज्ञप्ति स० एफ ४ (१) नियुक्ति (क) ६१ दि० २४ अप्रेल, १९६१

‡ विज्ञप्ति स० एफ १३ (१७) नियुक्ति (क) ५५ दि० २९ ११-६२

† शिक्षा विभाग—स्थायी आदेश स० २/१९६७

(४) किसी अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे ऐसा मामला उसके कार्यालय अथवा विभाग जिसमे कि वह नियोजित है, के अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए।

(५) जब किसी अधिकारी के वेतन का कुछ भाग कुर्क कर लिया गया है, तो प्रतिवेदन मे यह वर्णित होना चाहिए कि कर्ज का वेतन से क्या अनुपात है, उससे राज्य कर्मचारी की कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पडता है, क्या कर्जदार की स्थिति असाध्य है और क्या उन मामले की परिस्थितियो मे उसे उसके स्वय के अथवा किसी अन्य पद पर रखना वाछनीय है, जब कि यह मामला प्रकाश मे आ गया है।

(६) इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले मे यह बात सिद्ध करने का भार कि दिवालियापन अथवा कर्जदारी ऐसी परिस्थितियो का परिणाम है, जो कि सामान्य चतुरता दिखाने के बाद भी कर्जदार पहले से इन्हे नही आक सका अथवा जिन पर कि उसका कोई नियन्त्रण नही रहा और यह कर्जदारी उसकी फिजूल खर्ची अथवा अन्य आदतो के कारण नही हुई, कर्जदार पर होगा।

*१५. क—द्वि-विवाह (Bigamous Marriages)—कोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी कि एक पत्नी जीवित है, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नही करेगा, चाहे दूसरा विवाह करने की उस पर लागू उसके व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उसे स्वीकृति मिल सकती हो।

†१५, ख—कोई भी महिला कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नही कर सकेगी, जिनके कि पहले वाली पत्नी जीवित हो।

[व्याख्या—सरकार को यह अधिकार है कि—वह यह मांग करे कि—उसका कोई कर्मचारी अपनी पहली पत्नी के जीवनकाल मे दुबारा विवाह नही करे।[9] यह भारतीय दड सहिता मे एक अपराध है तथा दण्ड-प्रक्रिया-सहिता मे पत्नी को भरणपोषण का खर्च दिलाने का प्रावधान भी है। भारत सरकार का एक आदेश‡ भी है कि—कुछ राज्य कर्मचारी अपने परिवारो के उचित लालनपालन का ध्यान नही देते हैं, अत: पत्नी व बच्चो की अवहेलना करने वालो के आचरण को एक राज्य कर्मचारी के लिये अनुकूल नही माना जावेगा और इसे विभागीय दण्ड देने के लिये 'एक उचित व पर्याप्त कारण' माना जावेगा।]

≡१५. ग—कोई भी राजकीय कर्मचारी सार्वजनिक स्थानो मे नशा किये हुए नही जायेगा।

[व्याख्या—सरकार चाह सकती है कि—सार्वजनिक उत्सवो मे उसके कर्मचारी शराब नही पीवें।[10]]

9 AIR 1960 All 55

* विज्ञप्ति स० एफ ५ (७३) सा० प्र० (क)/५४ दि० २२-१२-५४ द्वारा निविष्ट।

† नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति दि० ६-१-५७ से निविष्ट।

‡ भारत सरकार, गृह मत्रालय विज्ञप्ति स० २५/१६/५६ स्था० (क) दिनाक १ सितम्बर, १९५९— केन्द्रीय असैनिक सेवायें (व. नि. अ.) नियमो के पृष्ठ स० ८-९ टिप्पणी—नियम १३ के नीचे परिशिष्ट (B) मे देखिये।

≡ नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति दि० ३-७-५७ से निविष्ट।

१६ शासकीय प्रलेखो अथवा सूचना का सम्प्रेषण—कोई भी राजकीय कर्मचारी, इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा जब तक सामान्य अथवा विशेषतया अधिकार नही दिया गया हो, किसी भी अन्य विभाग से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियो अथवा गैर सरकारी व्यक्तियो अथवा समाचार-पत्रो को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कागज अथवा ऐसी सूचना जो कि उसके अधिकार मे उसके सार्वजनिक कर्तव्यो के दौरान आई हो अथवा जो कि उसके द्वारा ऐसे कर्तव्यो के दौरान सग्रहित अथवा तैयार की गई हो, चाहे सरकारी सूत्रो के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से, सूचना नही देगा। इससे ऐसे अधिकारी प्रतिबन्धित नही होगे, जिनका कि कर्तव्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अनुसार समाचार-पत्रो को सरकारी कार्य को प्रचार सामग्री देना है।

१७. समाचार-पत्रो (Press) से सम्बन्ध—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समाचार-पत्र अथवा अन्य सामयिक प्रकाशन की व्यवस्था अथवा सम्पादन मे न तो भाग ले सकेगा और न उसका सचालन कर सकेगा और न ही वह उसका सम्पूर्ण अथवा आंशिक मालिक बन सकेगा।

ऐसी स्वीकृति केवल उसी समाचार-पत्र अथवा प्रकाशन मे दी जावेगी, जो कि केवल विभागीय अथवा राजनीति रहित विषयो के लिए कार्य करता हो और ऐसी स्वीकृति सरकार की इच्छानुसार कभी भी वापिस ली जा सकती है।

१८ नियम (१) के प्रावधानो के अधीन, कोई भी राज्य कर्मचारी समाचार-पत्रो मे अपना नाम व्यक्त किये बिना रचना भेज सकता है, लेकिन उसे स्वस्थ एव उचित वाद-विवाद तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये और यदि उसका समाचार-पत्रो से सम्पर्क सार्वजनिक हित के विपरीत है, तो सरकार उसको रचनायें भेजने का स्वतन्त्रता को वापस ले सकती है। जब कोई शका हो जाये कि किसी राज्य कर्मचारी का समाचार-पत्रो के साथ सम्बन्ध सार्वजनिक हित के विपरीत है या नही, तो वह मामला सरकार की आज्ञा के लिए भेज दिया जायेगा।

१९. सरकार की आलोचना तथा विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले विषयो पर सूचना एव अभिमत प्रकट करना—

(१) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वय के नाम से प्रकाशित किसी पत्र मे अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी सार्वजनिक वक्तव्य मे कोई ऐसा तथ्य एव मत प्रकट नही करेगा, जिससे कि निम्न बातो मे अन्तर आ सके—

(अ) राजस्थान राज्य के लोगो अथवा उनके किसी वर्ग एव सरकार के बीच सम्बन्धो मे अथवा

(ब) भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के आपसी सम्बन्धो अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा रियासती सघो की सरकार के बीच।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि अपने स्वय के नाम से कोई कागजात प्रकाशित करना चाहता है अथवा कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देना चाहता है, जिसके कि वक्तव्य के सबध मे कोई ऐसी शका उठ खडी हो कि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध उस पर लागू होते हैं कि नही, तो वह ऐसे प्रस्तावित प्रकाशन अथवा वक्तव्य की एक प्रति सरकार को प्रेषित करेगा और उस प्रकाशन तथा वक्तव्य का, सरकार की स्वीकृति को छोडकर तथा सरकार द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों के बिना जब तक प्रकाशित नही करेगा अथवा वक्तव्य नही देगा।

टिप्पणी—किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सरकारी कर्त्तव्यो के पालन करने के दोहरान मे लिखित अथवा मौखिक रूप से की गई विचारो की अभिव्यक्ति उसे इस नियम के अन्तर्गत नही ला सकेगी । किन्तु ऐसी अभिव्यक्ति चाहे लिखित म या अन्य प्रकार से और चाहे उसका प्रसार अथवा श्रोतागण सीमित ही हो, यदि वह उसके सरकारी कर्तव्यो से सम्बन्धित न हो, तो उसको एक प्रकाशन अथवा सार्वजनिक वक्तव्य मान लिया जावेगा ।

(३) †(१) कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न उद्देश्य से ससद अथवा राज्य विधान सभा के किसी सदस्य से सम्पर्क स्थापित नही करेगा—

(क) उसकी सेवा की शर्तों अथवा उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई प्रश्न पुछवाना अथवा प्रस्ताव रखवाना, अथवा

(ख) कोई ऐसी बात बतला देना, जो कि सरकार की स्थिति को सकट मे डाल देवे ।

‡(२) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वय के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हितों को आगे बढाने के लिय अपने किसी उच्चाधिकारी पर न तो कोई बाहर का प्रभाव लायेगा और न ऐसा करने का प्रयत्न ही करेगा ।

२० **समितियो के समक्ष साक्ष्य**—कोई राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक-समिति के समक्ष कोई साक्षी नहा दे सकगा ।

यह नियम ऐसी साक्ष्य पर लागू नही होगा जो कि ऐसी सवैधानिक समितियो जो कि लोगो को अनिवार्य रूप से उपस्थित कराने एव उत्तर प्रश्न करने का अधिकार रखती हो अथवा जो कि न्यायिक जाच या सरकार द्वारा या उसकी अनुमति से नियुक्त समितियो के समक्ष दी गई हो ।

*२१. **राजनीति एव निर्वाचन (चुनाव) में भाग लेना**—(१) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी राजनैतिक दल अथवा राजनीति मे भाग लेन वाले सगठन का न तो सदस्य होगा और न किसी अन्य प्रकार से उससे सम्बन्ध होगा । वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि मे न तो कोई भाग लेगा, न उसकी सहायता के लिये चन्दा देगा अथवा न उसकी किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा ।

(२) प्रत्येक राज्य कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पर आश्रित अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन अथवा गतिविधि, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कानून से स्थापित सरकार को उलटने के लिए की जा रही हो, मे भाग लेने अथवा उसकी सहायता के लिये चन्दा देने या किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता करने से उसको रोके और जहा पर कोई राज्य कर्मचारी ऐसी गतिविधि अथवा आन्दोलन मे उसके परिवार के किसी सदस्य क भाग लेने, उसकी सहायता के लिये चन्दा देने अथवा किसी अन्य विधि से मदद करने से, रोकने मे असमर्थ रहता है तो वह उसकी सूचना सरकार को देगा ।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक आन्दोलन अथवा कोई गतिविधि इस नियम के अन्तर्गत आती है या नही, तो उस पर दिया गया सरकार का निर्णय ही अन्तिम होगा ।

† सामान्य प्रशासन विभाग की विज्ञप्ति दि० १४-१०-५३ द्वारा निविष्ट ।

‡ विज्ञप्ति स० एफ १३(१७) नियुक्ति (क) ५७ दि० ३०-६-५८ द्वारा निविष्ट ।

* विज्ञप्ति स० एफ ५(७३) सा० प्र० (क)/५४ दि० २२-१२-५४ द्वारा निविष्ट

(४) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी विधान सभा अथवा स्थानीय चुनाव मे न तो प्रचार कर सकेगा और न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उसके सम्बन्ध मे अपने सुझाव का उपयोग कर सकेगा और न उसमे भाग ही लेगा,

किन्तु शर्त यह है कि—(१) ऐसे चुनाव के मत देने की योग्यता रखने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपने मत देने के अधिकार का उपयोग कर सकता है किन्तु जहा वह ऐसा करेगा, वह ऐसा कोई संकेत न देगा कि वह किसे मत देना चाहता है अथवा उसने किसे मतदान किया है।

(२) कोई राज्य कर्मचारी द्वारा केवल इसी कारण से इस नियम का उल्लघन किया हुआ नही माना जायेगा कि वह उस समय मे प्रचलित किसी कानून से अथवा इसके अधीन सौंपे गये उचित कर्तव्य के पालन मे चुनाव के सचालन मे सहायता करता है।

‡स्पष्टीकरणः—राज्य कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपने वाहन (Vehicle) अथवा घर पर किसी चुनाव चिन्ह अथवा कोई अन्य चिन्ह या किसी राजनैतिक सस्था से विशेष प्रकार से सम्बन्धित किसी उपादान का प्रदर्शन, जब तक कि अन्य प्रकार से सिद्ध नही कर दिया जावे, इस नियम के अन्तर्गत, किसी चुनाव मे अपने प्रभाव को प्रयोग किया हुआ माना जावेगा।

[व्याख्या--राज्यकर्मचारी की किसी भी राजनैतिक दल को मत (वोट) देने की स्वतन्त्रता का अर्थ सक्रिय सदस्यता नही है। परन्तु किसी राष्ट्रद्रोही सगठन की सक्रिय सदस्यता को छिपाना अपराध है।[10]]

२२. राज्य कर्मचारी के रूप में किये कार्यों व आचरण का प्रतिशोध—सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी, अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपो के अनुसार अपने सार्वजनिक-कर्तव्यो अथवा आचरण को स्पष्ट करने के लिये समाचार पत्रो तथा किसी न्यायालय की सहायता नही लेगा। न्यायालय-कार्यवाही के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व, सरकार प्रत्येक मामले मे यह निर्णय करेगी कि क्या राज्य कर्मचारी न्यायालय मे मुकदमा अपने खर्च से चलायेगा और यदि ऐसा है तो न्यायालय द्वारा उसके पक्ष मे निर्णय दिये जाने की स्थिति मे, उस मुकदमे के खर्चे का पूरा अथवा अशभाग उस कर्मचारी को दे देगी।

इस नियम मे ऐसी कोई व्यवस्था नही है जो कि राज्य कर्मचारी के अपने निजी कार्य अथवा आचरण को स्पष्ट करने के अधिकार को प्रभावित कर सके।

[व्याख्या—किन्तु केवल यही बात कि—यह नियम सरकार को एक कर्मचारी को न्यायालय मे जाने की स्वीकृति देने के लिये अनियन्त्रित विवेक प्रदान करता है, इससे कानून के समान सरक्षण की अस्वीकृति नही है, अतः यह शून्य व अकर्मण्य (Inoperative) नही है।[11]]

***२२. क—प्रदर्शन तथा हड़ताल**—अपनी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई भी राज्य कर्मचारी न तो किसी प्रदर्शन मे भाग ले सकेगा और न किसी भी प्रकार की हड़ताल मे भाग लेगा।

[**व्याख्या—एक राज्य कर्मचारी को हड़ताल करने से रोकना वैध है** नियम ४क—प्रत्येक अलग कर्मचारी के आचरण का एक नियम है। कर्मचारी सघ सरकार के अधीन कर्मो

10 AIR 1958 Cal. 654
11. आशाराम बनाम टी. सी सक्सेना AIR 1962 All 507.
‡सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा दि० १६-४-५५ द्वारा निविष्ट।

काम नहीं करता, प्रतः इस नियम मे सघ के हड़ताल पर जाने का प्रश्न ही सभव नही है और इसलिये संघ को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।[12] यद्यपि हड़ताल का सहारा लेना आचरण नियमो मे स्पष्ट रूप से मना नही किया गया है, फिर भी राज्य-कर्मचारियो को राजस्थान सेवा नियम १९५० के अधीन हड़ताल करने पर निष्कासित किया जा सकता है।[12A] किन्तु एक कर्मचारी द्वारा काम रोक देना हड़ताल नही है।[13]

नियमानुसार गठित सघ (Union) द्वारा केवल हड़ताल का प्रस्ताव पास करना अनुशासन हीनता नही।[13] केन्द्रीय आचरण नियमो (१९५५) का नियम ४-क सविधान के अनुच्छेद १९ (१) (क) व (ख) के प्रतिकूल होने से अवैध है, क्योकि प्रार्थी को किसी शातिपूर्ण व व्यवस्थित प्रदर्शन मे भाग लेने के लिये दण्डित नही किया जा सकता।[14]

इस प्रकार नम्र निवेदन है कि—उपरोक्त नियम को पक्ति—" . न तो किसी प्रदर्शन में भाग ले सकेगा,"—इन निर्णयो के आधार पर अवैध है।

२३. सेवा सघो की सदस्यता—कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसे सघ, जो कि राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हो, अथवा करने के उद्देश्य वाले हो, का सदस्य, प्रतिनिधि तथा अधिकारी तब तक नही हो सकेगा, जब तक कि उस संघ को सरकार द्वारा मान्यता नही प्रदान करदी गई है।

***२३. क—राज्य कर्मचारियो द्वारा सघों में प्रवेशः**—कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न प्रकार के राज्य कर्मचारियो के सघो का सदस्य नही बन सकेगा और न उनका गठन कर सकेगा:—

(अ) ऐसा सघ, जिसने अपने गठन के ६ मास की अवधि के भीतर सरकार से तत्सम्बन्धित नियमो के अनुसार मान्यता प्राप्त नही कर ली हो।

(ब) ऐसा सघ, जिसको कि नियमो के अन्तर्गत मान्यता देने से मना कर दिया गया हो अथवा सरकार द्वारा जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो।

[व्याख्या—राज्य कर्मचारी को किसी सघ (Association) का सदस्य होने पर ..पी नही माना जा सकता। जहा संघ को मान्यता नही दी गई, तो वह सघ अपने सदस्यों की ओर से प्राधिकारियो की प्रतिनिधित्व नही कर सकता।[15] सघ बनाने का अधिकार आवश्यक रूप से उस सघ को चालू रखना साथ लेकर चलता है। नियमानुसार गठित सघ द्वारा केवल हड़ताल करने का प्रस्ताव पास करना अनुशासनिक नियमो का हनन नही हो सकता।[13]

जहा सरकार अराजपत्रित कर्मचारियो के एक सघ को मान्यता देने या न देने का अधिकार अपने आन्तरिक सन्तोष पर सुरक्षित रखती है, तो माना गया कि—नियम २३ और २३—क

---

12. AIR 1962 SC 171, AIR 1963 Bom 121
12 A मेघराज बनाम राज्य
ILR 1955 Raj 887
13. बच्छेयलाल बनाम उत्तर प्रदेश
AIR 1959 All 614
14 AIR 1963 Punjab 390 AIR 1963 SC 116, 1964 Punjab 143 1963 SC 812, 1962 Bom. 53, AIR 1962 SC 1116.
15. मगीलू बनाम सिविल सर्जन, जौनपुर
AIR 1960 All 353

*विज्ञप्ति स० १३ (१७) नियुक्ति (क)।५७ दि० २-१२-५७ द्वारा प्रतिस्थापित, जो पहले दि० १०-३-५४ को प्रतिस्थापित किया गया था।

राजस्थान राज्यकर्मचारी आचरण नियमों ने राज्यकर्मचारियो के अधिकारों का हनन किया है या उन्हे अनुचित रूप से सीमित कर दिया है। अतः ये अवैध व संविधान के प्रतिकूल हैं ।[16]केन्द्रीय आचरण नियमो (१९५५) का नियम ४-ख संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (ग) के प्रतिकूल होने से अवैध है, जो राज्य कर्मचारियो के संघो पर मान्यता की रोक लगाता है ।[17]

२४. सेवा निवृत कर्मचारी (Pensioners):-(१) निवृत्ति वेतन की प्रत्येक कर्मचारी को स्वीकृति के लिए भविष्य का अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि सेवानिवृत किसी भयकर अपराध मे सजा प्राप्त करे अथवा गम्भीर दुराचरण का अपराधी पाया जावे, तो राज्य सरकार, निवृति-वेतन अथवा उसके किसी अंश को वापिस लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

स्पष्टीकरण:—राष्ट्रद्रोही राजनैतिक प्रवृतियो मे भाग लेने अथवा अवैधानिक प्रवृतियो को प्रोत्साहन देने को इस नियम के लिए गम्भीर दुराचरण माना जा सकता है।

(२) राज्य कर्मचारियो के आचरण के अन्य नियम सेवानिवृत्त कर्मचारियो पर लागू नही होते हैं।

२५. व्यावृति (बचाव):—राज्य कर्मचारियों के आचरण से सम्बन्धित वर्तमान समय मे प्रचलित विधि (कानून) या—किसी सक्षम अधिकारी के कोई आदेश के लागू होने मे, इन नियमों को कोई भी बात प्रभावित नही करेगी।

२६. निरसन (Repeal):—राजस्थान के किसी भी भाग मे प्रचलित कर्मचारियों के आचरण नियम, उन सब कर्मचारियों के सम्बन्ध मे, जिन पर ये नियम लागू होते है; एतद्द्वारा प्रतिक्रमित किये जाते हैं।

16. मदनलाल धानवी बनाम उप महानिरीक्षक आरक्षी
AIR 1963 Raj. 163
एस. वासुदेवन बनाम एस. डी. मित्तल
AIR 1962 Bom. 53;
AIR 1960 SC 633, AIR 1050 SC 67;

17. प्रो. के. घोष बनाम ई. एक्स. जोजफ
AIR 1963 SC 112

परिशिष्ट (ग)

पंचायत समिति एवं जिलापरिषद् सेवायें

(दण्ड एवं अपील)

नियम १९६१

[Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads Services (Punishment and Appeal) Rules 1961]

परिचय—

पचायत समिति और जिलापरिषद् का गठन धारा ५ व ४२ के अधीन एक सकाय (Corporate Body) है, जिसका सनातनक्रम और एक मोहर है। यह एक विधि सम्पन्न व्यक्ति है, जो एक सकाय के नाम से है। यह पचायत या नगर पालिका की तरह स्थानीय सस्था (Local Body) नहीं है।[1] फिर इन्हे धारा ३१(३) व (४) तथा धारा ६० के अधीन नियुक्ति के अधिकार प्रदत्त हैं। इसके अधीनस्थ स्थापन (Staff) के आचरण व अनुशासन के लिये धारा ८९(१) के अधीन जो नियम सरकार ने बनाये हैं, उन्ही के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमो से पचायत समिति जिला परिषद् सेवायें (दण्ड एव अपील) नियमो की तुलना

यहा इन दोनो नियमावलियो के समतुल्य नियमो की तालिका दी जा रही है, जिसके आधार पर असैनिक सेवा नियमो की पीछे दी गई व्याख्या का अध्ययन इन नियमो के लिये किया जा सकता है—

विषय	राजस्थान	प स जि. प. नियम	व्याख्या के पृष्ठ स.
निलम्बन	१३	५	३८ से ६६
दण्ड के प्रकार	१४	६	६७ से १०९
असाधारण दण्ड की प्रक्रिया	१६	७	१३६ से १८४
साधारण दण्ड की प्रक्रिया	१७	८	१८६ से १८९
संयुक्त जांच	१८	१०	१९०
विशेष मामलो मे प्रक्रिया	१९	७(१२)	१९२
दण्डाज्ञा की नि शुल्क प्रतिदेना	२४	११	२११
अपील की विषय सामग्री	२६	१२	२१३
अपील प्रस्तुत करना	२७	१३	२१४
अपील का सम्प्रेषण	२९	१४	२१७
अपील पर विचार	३०	१५	२२०
अपील को निरस्त करना	२८	१५ परन्तुक (५)	२१६
अपील की आज्ञा की क्रियान्विति	३१	१६	२२३

1. इब्राहीमखाँ बनाम पचायत समिति, चाकसू 1965 R.R.D. 179

पचायत समिति व जिला परिषद् सेवाओं की अनुशासन व्यवस्था—एक तालिका

सेवायें	दण्ड का प्रकार नियम (६)	निलम्बन के लिये सक्षम प्राधिकारी नियम ५ धारा ३१ एव ६०	दण्डाधिकारी धारा ८६	अपील प्राधिकारी धारा ८९
(क) चतुर्थ श्रेणी सेवायें	सब दण्ड	नियुक्ति प्राधिकारी (विकास अधिकारी/सचिव)	विकासअधिकारी/सचिव धारा ८६ (२) (क)	स्थायी समिति, पंचायत समिति/स्थायी समिति, जिला परिषद्, धारा ८६(५)
(ख) पचायत—समिति जिलापरिषद् सेवायें	(१) परिनिन्दा	नियुक्ति प्राधिकारी (पचायत समिति की स्थायी समिति/जिला परिषद्)	विकास अधिकारी/सचिव धारा ८६ (२)(ख)	,,
	(२) एक वेतनवृद्धि रोकना	,,	स्थायी समिति, प. स०/जि० प० धारा ८९ (३)	जिला कर्मचारी वर्ग समिति धारा ८९ (६). (क)
	(३) अन्य सब दण्ड	,,	स्थायी समिति पं० स०/जिला परिषद् (जिला कर्मचारी वर्ग समिति की पूर्व-स्वीकृति ले कर) धारा ८९ (४)	राज्य सरकार धारा ८९(६) (ख)

नियम

[क्रमांकः एफ. २३ (५) नियुक्ति (क) ६० श्रे ३ दिनांक २५ मई, १९६१]

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १९५९ (अधिनियम सख्या ३७ सन् १९५९) की धारा ८९ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए धारा ८८ की उप धारा (२) खण्ड (ख) एव धारा ८९ के साथ पठित राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(१) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(क) ये नियम राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद सेवायें (दण्ड एवं अपील) नियम, १९६१ कहलाये गे।

(ख) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

(२) निर्वचन

इन नियमो मे जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) अधिनियम —से तात्पर्य राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम, १९५९ (अधिनियम सख्या ३७ सन् १९५९) से है,

(ख) अपील प्राधिकारी:—से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जिसको अपील धारा ८९ की उप धारा (५) तथा (६) क अधीन की जा सकती है।

[व्याख्या—अपील का अधिकार एवं अपील-प्राधिकारी—धारा ८९ मे निम्न प्रावधान है.—

उपधारा (५)—उप धारा (२) के अधीन दिये दण्ड के लिये अपील पचायत समिति या जिला परिषद्, यथास्थिति, को प्रस्तुत होगी और तत्सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा सुनी जावेगी।

उपधारा (६) (क)—उपधारा (३) के अधीन दिये गये दण्ड की अपील धारा ८८ के अधीन जिला-कर्मचारी-वर्ग-समिति को पेश होगी।

(ख) उपधारा (४) के अधीन दिये गये दण्ड की अपील राज्य-सरकार को प्रस्तुत होगी।

उपधारा (७)—उपधारा (५) या (६) के अधीन अपील आज्ञा के दिनाक से ३० दिन मे प्रस्तुत की जावेगी, जिसमे प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये लगे समय को नही गिना जावेगा।]

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी—से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जिसको अधिनियम की धारा ३१ के अधीन पचायत समिति तथा जिला परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने के अधिकार हैं।

[व्याख्या—धारा ३१ (३) व (४) तथा धारा ६० के अधीन निम्न नियुक्ति-प्राधिकारी हैं—

१. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— विकास अधिकारी/सचिव
२. प. स./जि. प. सेवायें— पचायत समिति/जिला परिषद्

अधिकार विभाजन के अधीन धारा २० मे गठित स्थाई समिति (प्रशासन) को नियुक्ति के अधिकार भी प्रदत्त हैं।]

(घ) समिति:—से तात्पर्य अधिनियम को धारा ८८ (१) के अन्तर्गत बनाई गई "जिला कर्मचारी वर्ग समिति" से है।

[**व्याख्या—जिला-कर्मचारी-वर्ग समिति (District Establishment Committee)**—धारा ८८ (२) (ख) के अधीन यह समिति धारा ८९ मे वर्णित प्रकार से अनुशासनिक मामलो मे परामर्श देती है। '**अनुशासनिक प्राधिकारी**' के नीचे व्याख्या देखिये]

(ङ) आयोग—से तात्पर्य धारा ८६ की उपधारा (६) के अधीन गठित "चयन आयोग" से है।

(च) अनुशासनिक प्राधिकारी:—से तात्पर्य अधिनियम की धारा ८९ के अधीन कोई दण्ड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है।

[**व्याख्या-दण्ड देने का अधिकार व अनुशासनिक प्राधिकारी—धारा ८९ के अधीन निम्न प्रावधान हैं**—

उपधारा (१) अनुशासनिक कार्यवाही राजस्थान प० स० एव जि० प० (अपील एव दण्ड) नियम १९६१ के अधीन होगी।

उपधारा (२) इन नियमो के अधीन रहते हुए—

(क) चतुर्थ श्रेणी सेवाओं को सब या कोई दण्ड पचायत समिति मे विकास-अधिकारी या जिला परिषद् मे सचिव द्वारा दिए जावेंगे।

(ख) परिनिन्दा का दण्ड समस्त अन्य कर्मचारियो को, पचायत समिति मे विकास अधिकारी या जिला परिषद मे सचिव दे सकेंगे।

उपधारा (३) एक वेतन वृद्धि तक रोकने का दण्ड पचायत समिति द्वारा या जिला परिषद, यथास्थिति, द्वारा दिया जावेगा।

उप धारा (४) अन्य सब दण्ड स्थायी समिति, पचायत समिति द्वारा या जिला परिषद् द्वारा यथास्थिति, जिला कर्मचारी वर्ग समिति की पूर्व अनुमति (Prior approval) से दिये जावेंगे।]

(३) प्रयोग (लागू करना)

ये नियम पचायत समिति तथा जिला परिषद के सभी अधिकारियो तथा कर्मचारियो पर लागू होंगे, सिवाय उन अधिकारियो के, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा २६ तथा ५५ मे हैं एव वे व्यक्ति जो सामयिक नौकरी मे है तथा वे व्यक्ति जिन्हें एक माह से कम अवधि की सूचना पर हटाया जा सकता है।

[**व्याख्या—पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा**—राजस्थान मे पचायती राज्य व्यवस्था के अधीन पचायत समिति जिला परिषद् अधिनियम १९५९ बना और इस अधिनियम की धारा ८६ के अन्तर्गत राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद सेवाओ का गठन किया गया, जिसमे निम्न पद सम्मिलित किये गये हैं —

*[(१) ग्राम सेवक
(२) ग्राम सेविका
(३) प्राथमिक शाला अध्यापक
(४) लिपिक वर्ग (लेखा लिपिक को छोड़कर) †[उच्च लिपिक व निम्न लिपिक]
(५) क्षेत्रपाल
(६) स्कन्धपाल
(७) टीका-कार]
†[(८) पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर
(९) मुर्गीपालन प्रदर्शक
(१०) भेड़ ऊन पर्यवेक्षक
(११) ड्रेसर्स
(१२) स्कन्ध सहायक
(१३) ड्राइवर
(१४) प्रोजेक्टर चालक
(१५) मेट (इन्डस्ट्रीज)]

(२) चतुर्थ श्रेणी सेवा—इनके अतिरिक्त धारा ३१ व ६० के अधीन राजस्था[न] पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चतुर्थ श्रेणी सेवायें भी हैं, जिनमे ये पद सम्मिलित किये गये हैं:—

‡[१. चपरासी २. सहायक (एटेन्डेन्ट) ३. गाडी चालक ४. चौकीदार ५. खलासी ६. कुली ७. फराश ८. माली ९. सहायक (हेल्पर्स) १०. खलासी ११. मेट १२ मिस्त्री १३. अर्दली १४. साइकिल सवार १५. ऊंट सवार १६. भंगी १७. पानीवाला १८. हलवाला १९. साड रक्षक २०. ग्रेडर २१. भेड़ पालक २२. संदेश वाहक २३. मछली पालक २४. हैमर मैन।]

उपरोक्त दोनों सेवाओं पर ये नियम लागू होंगे, परन्तु विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारीगण तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियो पर राजस्थान असैनिक सेवायें (C.C.A.) नियम १९५८ लागू होते हैं; ये नियम नही।]

(४) संदेह का निवारण

जहां इन नियमों मे किसी प्रावधान की व्याख्या के लिये या उनके लागू किये जाने के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो जाय, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जायेगा जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

(५) निलम्बन (Suspension)—

(१) पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्ति-प्राधिकारी निलम्बित कर सकता है—

(क) जहां कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित (सोची जा रही) हो अथवा विचाराधीन (चालू) हो; या

---

* धारा ८६ के अन्तर्गत वर्णित।
† राजस्थान पचायत समिति जिला परिषद् सेवा नियम १९५९ के नियम ३(१) के अन्तर्गत वर्णित।
‡ राज० प० स० जि० प० चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम १९५९, नियम (३) के अन्तर्गत अनुसूची मे वर्णित।

(ख) जहा कि उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध की तफतीश (अन्वेषण) की जा रही हो अथवा मुकदमा चल रहा हो;

(२) कोई भी ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो कि ४८ घन्टो से अधिक समय से निरोध (हिरासत) मे रखा गया हो, चाहे किसी फौजदारी आरोप पर अथवा अन्य प्रकार से; तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निरोध के दिन से ही निलम्बित किया गया समझा जायेगा और वह अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(३) जहा किसी ऐसे निलम्बित अधिकारी या कर्मचारी को दिया गया निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड इन नियमो के अधीन की गई अपील या पुनरीक्षा मे निरस्त कर दिया गया हो और मामला आगे जाच या किसी निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया हो, तो उसके निलम्बन की आज्ञा उसके निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की मूल आज्ञा के दिनांक से लगातार प्रभावशील मानी जावेगी और अगली आज्ञा तक प्रभावशील रहेगी।

(४) जहा किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से निष्कासन, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा-निवृति किये जाने का दिया हुआ दण्ड किसी विधि-न्यायालय के निर्णय या उसके परिणाम स्वरूप निरस्त कर दिया जाय अथवा शून्य कर दिया या घोषित कर दिया जाय और अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियो पर विचार करके उन दोषारोपणों की फिर आगे जाच करने का निश्चय करे, जिन पर कि उसे निष्कासित, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवा-निवृत किये जाने का दण्ड पहले दिया गया था, तो उस अधिकारी या कर्मचारी को निष्कासित, सेवाच्युत या अनिवार्य सेवा-निवृत किये जाने की पहली आज्ञा के दिनाक से नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा निलम्बित समझा जायगा और वह अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(५) निलम्बन की आज्ञा जो इस नियम के अधीन दी गई थी या दी गई मानी गई थी, उसे किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने कि वह आज्ञा दी थी या जिसके द्वारा दी गई मानी गई थी या किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसके कि वह (आज्ञा देने वाला) प्राधिकारी अधीनस्थ है, वापस ली जा सकती है।

[व्याख्या —निलम्बन के लिये नियम ५ मे केवल नियुक्ति-प्राधिकारी को अधिकार प्रदत्त है, जिनको प्रत्यायोजित करने का कोई प्रावधान नही है, अत: न तो स्थायीसमिति (प्रशासन) यह अधिकार प्रधान/प्रमुख को दे सकती है, न विकास-अधिकारी/सचिव को। धारा ८४ (३) के अधीन अधिकार प्रत्यायोजन के लिये "निर्दिष्ट तरीके से" (In prescribed manner) शब्दावली का प्रयोग है जिसका तात्पर्य सदा "नियमो या विधि द्वारा निर्दिष्ट" (prescribed by rules or law) से लिया जाता है। अतः अनुशासन सम्बन्धी नियम निर्दिष्ट हैं और जब उनमे निलम्बन के अधिकारो के प्रत्यायोजन का प्रावधान नही है, तो इसका निष्कर्ष यही है कि निलम्बन करने के अधिकार को नियुक्ति-प्राधिकारी ही प्रयोग मे ले सकता है; अन्य प्राधिकारी नही। अधिकृत प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य द्वारा दी गई निलम्बन की आज्ञा अवैध होगी, इसके लिये उच्च न्यायालय में मदद मिल सकती है।[2] यदि विकास अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते विशेषपरिस्थितियों म निलम्बन की आज्ञा देता है, तो उसकी पुष्टि तुरत ही स्थायी समिति से करानी होगी और विधिवत् (*de jure*) निलम्बन उसी दिनाक से माना जावेगा, जिसदिन

2 AIR 1958 Cal 239, 1954 Pepsu 98

स्थायी समिति ने उस आज्ञा की पुष्टि की; यद्यपि वास्तव में (*de facto*) यह निलम्बन पहले हो चुका था। यदि निलम्बन की पहली आज्ञा की तामील होगई हो और कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया गया हो, तो वास्तव में उसने कार्यमुक्ति के दिन से कोई कार्य नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में स्थायी-समिति पूर्व आज्ञा के दिनांक से पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बन की पुष्टि कर आज्ञा दे सकेगी; परन्तु यदि दोषी कर्मचारी वास्तव में कार्यमुक्त नहीं हुआ तो उसे पूर्वकालिक प्रभाव से निलम्बित नहीं माना जासकेगा[3] परन्तु आज्ञा की अवहेलना के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसे अवसर पर विकास अधिकारी को अपनी आज्ञा में एक शर्त लगा देनी चाहिये —"बशर्ते कि स्थायी समिति इसकी पुष्टि कर दे (Subject to confirmation of Standing Committee) यदि बाद में स्थायी समिति निलम्बन करना नहीं चाहे और उक्त आज्ञा की पुष्टि न करे; तो दोषी कर्मचारी को पूरे वेतनादि का अधिकार होगा व उसकी अनुपस्थिति सेवारत मानी जावेगी, मानो निलम्बन हुआ ही नहीं हो। ऐसी कानूनी स्थिति में विकास अधिकारी/सचिव को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिये, जब तक कि स्थायी समिति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाय। विकास अधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से दी गई निलम्बन आज्ञा की अपील स्थायी समिति (प्रशासन) के समक्ष होगी; क्योंकि वह अगली उच्चतर सत्ता है तथा उच्चन्यायालय में लेख-याचिका भी पेश की जा सकेगी।[3]]

(६) दंड (Punishments)—

निम्नलिखित दण्ड उचित और पर्याप्त कारणों से जो कि अभिलिखित होंगे और आगे बताये अनुसार, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के किसी अधिकारी और कर्मचारी को दिये जा सकते हैं:—

(१) परिनिन्दा;

(२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक देना;

(३) किसी विधि, नियम या आज्ञा की उपेक्षा अथवा उल्लंघन से पंचायत समिति या जिला परिषद् को हुई आर्थिक हानि को पूर्ण या आंशिक रूप में वेतन में से वसूली करना;

(४) निम्नस्तर, श्रेणी या पद पर या निम्नस्तर समय-मान (Time scale) में अवनत कर देना या पेंशन की दशा में नियमानुसार जितनी पेंशन देय हो, उससे कम कर देना;

(५) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्यतः सेवा निवृत्त (रिटायर) कर देना;

(६) सेवाच्युति (सेवा से हटाया जाना), जो कि पुनर्नियोजन के लिए अनर्हता (अयोग्यता) नहीं होगी;

(७) निष्कासन (पदच्युत किया जाना), जो कि सामान्यतः पुनर्नियोजन के लिए अनर्हता होगी।

स्पष्टीकरण—(१) इस नियम के अर्थ में निम्न को दण्ड नहीं समझा जावेगा—

(i) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों या उसकी सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा पास करने में असफलता के कारण वेतन वृद्धि रोक देना;

3. AIR 1655 SC 603, 1959 RLW 428, 1960 RLW 386, ILR (1960) 10 Raj 952

(ii) ऐसे किसो अधिकारी या कर्मचारी को समय-मान मे दक्षतावरी (E.B.) पर उसको पार करने की अयोग्यता के कारण रोक लेना;

(iii) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसे उस सेवा, श्रेणी अथवा पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नति न देना, जिसके लिये वह योग्य है;

(iv) किसी ऊंची श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निम्नस्तर श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिया जाने पर वह ऐसी उच्चतर श्रेणी या पद के लिये अनुपयुक्त समझा गया है अथवा किसी प्रशासकीय आधार पर, प्रत्यावर्तित कर देना जो उसके आचरण से सम्बन्धित नही है;

(v) किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अधिवार्षिकी हो जाने अथवा सेवा निवृत्त करने सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से निवृत्त कर देना।

(vi) सेवा की समाप्ति—(पर्यवसान)

(क) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार या परिवीक्षा पर लागू होने वाले नियमो या आज्ञाओं के अनुसार परिवीक्षा की अवधि मे ही या उसके बाद या

(ख) किसी संविदा (Contract) के अंतरिन अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये अधिकारी या कर्मचारी का, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर।

(७) असाधारण दंड देने की प्रक्रिया—

(१) पंचायत समिति या जिला परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियम ६ के खड (४) से (७) तक मे वर्णित कोई दण्ड देने की कोई भी आज्ञा, यथासम्भव आगे दी गई प्रक्रिया (विधि) के अनुसार, जांच किये बिना पारित नही की जावेगी।

(२) जिन अभिकथनों पर जाच प्रस्तावित की गई है, उनके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी निश्चित आरोप तैयार करेगा। ऐसे आरोप अभिकथनो के विवरण सहित, जिन पर कि वे आधारित है; उस अधिकारी या कर्मचारी को लिखित मे दिए जावेंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित अवधि मे एक लिखित प्रतिकथन जिसमे यह बताते हुए कि क्या वह सब अथवा उनमे से किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है, उसे क्या स्पष्टीकरण या बचाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

परन्तु अपने बचाव के दोहरान मे आरोपित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान या लगाए गए अभिकथनों के सम्बन्ध मे जब कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो कोई अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नहीं होगा।

(३) उस अधिकारी या कर्मचारी को अपने बचाव (वर्ग यत) की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा वर्णित कार्यालय के अभिलेख (रेकार्ड) का निरीक्षण करने तथा उसमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जायगी, परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की सम्मति मे ऐसा अभिलेख इस प्रयोजन के लिए सुसंगत नही हो अथवा उस अभिलेख तक उनकी पहुंच की अनुमति देना लोक हित मे नही हो, तो उन कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके ऐसी अनुमति देने से अस्वीकार भी किया जा सकता है।

(४) बचाव मे लिखित प्रतिकथन प्राप्त होने पर या निश्चित अवधि मे ऐसा प्रतिकथन प्राप्त नही होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय उन आरोपो की जाच कर सकेगा, जिन्हें स्वीकार नही किया गया है या आवश्यक समझे तो, कोई जाच मण्डल या जाच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(५) अनुशासनिक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जाच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे यहा से आगे जाच-प्राधिकारी कहा जायगा) आरोपो की पुष्टि मे मामला प्रस्तुत करने के लिये मनोनीत कर सकता है। वह अधिकारी या कर्मचारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु किसी वकील को इस प्रयोजनार्थ नही रख सकता, जब तक कि अनुशासनिक-प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई वकील न हो या अनुशासनिक-प्राधिकारी मामले की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति न दे दे।

(६) (क) जाच प्राधिकारी जाच के दौरान ऐसी दस्तावेजी (शहादत) पर विचार करेगा और ऐसी मौखिक-साक्ष्य लेगा जो आरोपो के सम्बन्ध मे सुसगत व सारभूत हो। उस अधिकारी या कर्मचारी को आरोपो की पुष्टि मे बयान देने वाले साक्षियो से तर्क (जिरह) करने का अधिकार होगा एव वह स्वय साक्ष्य दे सकेगा। आरोपो की पुष्टि मे मामला प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी या कर्मचारी व उसके बचाव मे बयान देने वाले साक्षियो से तर्क कर सकेगा। यदि, जाच अधिकारी किसी साक्षी का कथन (बयान) लिखने से इस आधार पर मना कर दे कि उसकी साक्ष्य सुसगत या सारभूत नही है, तो वह इसके कारण लिखित रूप मे अभिलिखित करेगा।

(७) जाच की समाप्ति पर जाच-प्राधिकारी जाच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमे प्रत्येक आरोप पर उसका निष्कर्ष मय कारणो के अभिलिखित किया जायगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की सम्मति मे जाच की कार्यवाही मूल आरोपो से भिन्न आरोप प्रमाणित करे, तो वह उन पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा, परन्तु ऐसे आरोपो पर निष्कर्ष तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि या तो उस अधिकारी या कर्मचारी ने उन तथ्यों को स्वीकार नही कर लिया हो जिनसे कि आरोप बनते हो या उसको उनके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा (बचाव) प्रस्तुत करने का अवसर नही मिल चुका हो।

(८) जाँच का अभिलेख (निम्न को) सम्मिलित करेगा—

(१) उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध बनाये गये आरोप व अभिकथनों का विवरण जो उप उपनियम (२) के अधीन दिये गये थे।

(२) उसके बचाव का लिखित-प्रतिकथन, यदि कोई हो।

(३) जाच के दौरान ली गई मौखिक-साक्ष्य।

(४) जाच के दौरान विचार किया गया दस्तावेजी-साक्ष्य।

(५) अनुशासनिक प्राधिकारी और जाच-प्राधिकारी द्वारा जाच के सम्बन्ध मे दी गई आज्ञायें, यदि कोई हो, और

(६) रिपोर्ट, जिसमे प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्कर्ष दिये गये हो।

(९) यदि वह (स्वय) जाँच-प्राधिकारी नही है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी जाच के अभिलेख पर विचार करेगा तथा प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष देगा।

(१०) यदि आरोपों के निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि नियम ६ के खण्ड (४) से (७) मे वर्णित कोई एक दण्ड दिया जाना चाहिये, तो वह—

(क) उस अधिकारी या कर्मचारी को जांच-प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच–प्राधिकारी नही है, तो उस पर अपने निष्कर्ष का विवरण मय जांच-प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों के, यदि कोई हो तो, देगा।

(ख) उसे एक नोटिस (सूचना); जिसमें उसे दिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख करते हुए; देगा कि-वह प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध जैसा वह चाहे वैसा अभिवेदन निर्दिष्ट समय में प्रस्तुत करेगा, और

(ग) अनुशासनिक प्राधिकारी उस अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर निर्दिष्ट अभिवेदन; यदि कोई हो, पर विचार करके यह निश्चय करेगा कि सेवा के सदस्य को क्या दण्ड, यदि कोई देना हो, दिया जाना चाहिये और वह उस मामले मे समुचित आज्ञा पारित करेगा।

(घ) यदि अनुशासनिक–प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह सम्मति बनावे कि नियम ६ के खण्ड (१) से (३) मे निर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड दिया जाना चाहिये, तो वह उस मामले में समुचित आज्ञा पारित करेगा।

(११) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा उस अधिकारी या कर्मचारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दी जावेगी और जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच-प्राधिकारी नहीं हो, तो उसके निष्कर्षों का एक विवरण मय असहमति के संक्षिप्त कारणों के, यदि कोई हो तो और यदि वे पहले ही उसे नही दे दिये गये हों,तो देगा।

(१२) नियम ६ के खण्ड (४) से (७) तक वर्णित कोई दण्ड देने से पहले इस नियम में पहले वर्णित ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी—

(क) जहां ऐसा दण्ड ऐसे आचरण के आधार पर आरोपित करना है, जिसके कारण किसी दण्डात्मक आरोप में सजा हुई हो,

(ख) जहां अनुशासनिक-प्राधिकारी को, लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, यह सन्तोष हो जावे कि—ऐसी जांच करना समुचित रूप से व्यवहार्य नही है।

(ग) जहां अनुशासनिक-प्राधिकारी को यह संतोष हो जावे कि—राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(८) साधारण दण्ड देने की प्रक्रिया—

(१) किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को नियम ६ के खण्ड (१) से (३) में वर्णित कोई दण्ड की आज्ञा नही दी जायेगी, सिवाय इसके बाद में (कि)—

(क) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव से और दोषारोपों से, जिन पर ऐसा करना प्रस्तावित किया गया है, लिखित मे सूचित

कर दिया गया हो और कोई अभिवेदन, जो वह देना चाहे, देने का एक अवसर दे दिया गया हो,

(ख) ऐसे अभिवेदन, यदि कोई हो, पर अनुशासनिक-प्राधिकारी ने विचार कर लिया हो।

(२) ऐसे मामलो मे कार्यवाही के अभिलेख मे (ये) सम्मिलित होंगे—

(१) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की जाने के प्रस्ताव की सूचना की प्रतिलिपि,

(२) उसे सम्प्रेषित दोषारोपो के विवरण पत्र की प्रतिलिपि,

(३) उसका अभिवेदन, यदि कोई हो;

(४) मामले मे दी गई आज्ञा, मय उसके कारणो के।

(९) समिति की अनुमति (Approval of the Committee)—

जहा ऐसी अनुमति अधिनियम की धारा ८९ की उपधारा (४) के प्रावधानो के अधीन आवश्यक हो, वहा ऐसी अनुमति के बिना इन नियमो के अधीन कोई दण्ड नही दिया जा सकेगा।

[कृपया—अनुशासनिक-प्राधिकारी के नीचे की व्याख्या देखिये।]

(१०) संयुक्त जाँच—

जहा किसी मामले मे दो या अधिक अधिकारी या कर्मचारी सम्बद्ध हो, अनुशासनिक-प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जो उन सब अधिकारियो और कर्मचारियो को निष्कासन का दण्ड देने के लिये सक्षम हो; यह निर्देश देते हुये आज्ञा जारी करेगा कि—उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक सयुक्त कार्यवाही मे होगी।

(११) आज्ञाओं की प्रतिलिपि (Copy of the Orders)—

जिस मामले मे कोई आज्ञा अपील-याग्य है, तो आज्ञा देने वाला प्राधिकारी, यथोचित समय मे यदि पहले नही दी गई हो; आज्ञा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क उस व्यक्ति को देगा, जिसके विरुद्ध आज्ञा पारित की गई है।

(१२) अपील का प्रारूप व विषय सामग्री—

(१) प्रत्येक अपील प्रस्तुतकर्ता अलग अलग अपने स्वय के नाम से अपील करेगा।

(२) अपील जिस प्राधिकारी को प्रस्तुत होती है, उसको सम्बोधित की जावेगी और उसमें समस्त सारभूत कथन और तर्क होंगे, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है, उनमे कोई असम्मानजनक या अनुचित भाषा नही होनी चाहिये और वह अपने आप मे परिपूर्ण होनी चाहिये।

(१३) अपीलों का प्रस्तुतीकरण—

प्रत्येक अपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसने वह आज्ञा दी; जिसकी अपील करनी है।

परन्तु उस अपील की एक प्रति सीधी अपील-प्राधिकारी के पास भेजी जा सकती है।

(१४) अपीलों का अग्रेषण—

जिस प्राधिकारी ने ऐसी आज्ञा दी हो, जिसकी अपील की गई है, वह बिना किसी परिहार्य विलम्ब के, अपील-प्राधिकारी को प्रत्येक ऐसी अपील मय अपनी टिप्पणी व सम्बन्धित अभिलेख के आगे भेज देगा ।

(१५) अपीलों पर विचार—

(१) निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले मे अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि—नियम ५ के प्रावधानो के प्रकाश मे और उस विशेष मामले की परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए निलम्बन की आज्ञा न्यायोचित है या नही और तदनुसार उस आज्ञा को पुष्ट या प्रतिसहरित (वापस लेना) करेगा ,

[व्याख्या—निलम्बन की अपील के लिये असैनिक सेवाओ के नियम २२ के समानान्तर कोई नियम नही है, किन्तु ऐसी अपील पर विचार करने का प्रावधान इस नियम १५ (१) मे है। अत: धारा ६९ (६) के अधीन जिला-कर्मचारी-वर्ग-समिति अगली उच्चतर सत्ता (Next higher authority) होने से निलम्बन की अपील उसी के समक्ष होगी। इसी प्रकार वह नियम ५ (५) के अधीन भी कार्यवाही कर सक्ती है।]

(२) नियम ६ मे वर्णित कोई भी दण्ड देने की किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले मे अपील-प्राधिकारी विचार करेगा कि—

(क) इन नियमो मे निहित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नही और यदि नही, तो ऐसा नही किये जाने से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लघन अथवा न्याय की विफलता हुई है या नही;

(ख) जिन तथ्यो के आधार पर आज्ञा दी गई थी, वे प्रस्थापित हो चुके हैं या नही;

(ग) इस प्रकार प्रस्थापित हो चुकने वाले तथ्य इस प्रकार की आज्ञा को न्यायोचित ठहराते हैं या नही; और

(घ) जो दण्ड दिया गया है, वह अत्यधिक, पर्याप्त अथवा पर्याप्त है, और

इसके पश्चात्–(१) दण्ड निरस्त, कम, पुष्ट या वर्धन करते हुये, या

(२) मामले को दण्ड देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास वापिस प्रेषित करते हुए और मामले की परिस्थितियो मे जैसा उचित समझे निर्देश देते हुए; आज्ञा पारित करेगा ।

परन्तु—(१) अपील-प्राधिकारी ऐसा कोई वर्धित दण्ड नहीं देगा, जिसे न तो ऐसा प्राधिकारी (स्वय) और न वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा की अपील की गई थी, देने के लिये सक्षम हो;

(२) वर्धित दण्ड की कोई आज्ञा तब तक नही दी जायेगी, जब तक कि—अपीलार्थी को वर्धित दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह चाहे, करने का एक अवसर नही दिया गया हो; और

(३) यदि वर्धित दण्ड जो अपील-प्राधिकारी देना प्रस्तावित करता है, ऐसा दण्ड है जो नियम ६ के खण्ड (४) से (७) मे वर्णित है और उस मामले मे नियम ७ के अन्तर्गत कोई जांच

पहले से नहीं करली गई हो, तो नियम ७* के प्रावधानो के अधीन रहते हुए; अपील-प्राधिकारी स्वयं ऐसी जांच कर लेगा— अथवा ऐसी जांच का निर्देश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करके और अपालार्थी को ऐसे दण्ड के विरुद्ध कोई अभिवेदन वह करना चाहे तो, करने का एक अवसर देकर, ऐसी आज्ञा देगा, जो वह उचित समझे।

(४) अपील मे ऐसी कोई आज्ञा, पचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा 'समिति' से परामर्श के बिना और 'समिति' ××× द्वारा 'आयोग' से परामर्श के बिना; पारित नही की जावेगी।

(५) एक अपील को निरस्त (रद्द dismiss) कर दिया जावेगा, यदि—

(क) अपील ऐसी आज्ञा की है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नही होती, या

(ख) अपील मे नियम ७† के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया हो; या

(ग) अपील निर्दिष्ट अवधि‡ मे पेश नही की गई हो और देरी का कोई कारण नही दिखाया गया हो, या

(घ) वह पहले से ही निर्णित किसी अपील की पुनरावृत्ति हो और कोई नये तथ्य या परिस्थितिया उसमे नही बताई गई हो।

[१६] अपील की आज्ञाओं की क्रियान्विति—

जिस प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई थी, वह प्राधिकारी अपील-प्राधिकारी की आज्ञाओ को प्रभावशील करेगा।

उपसंहार—

एक समीक्षा

ससम्मान निवेदन है कि—इन नियमो तथा अधिनियम दोनो के सयुक्त अध्ययन से कुछ ऐसी विशेषतायें हमारे सामने आती हैं, जो इन्हे राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियमो से अधिक दुरूह (Complicated) व विभिन्न बना देती हैं। यहा सक्षिप्त रूप से हम उनकी एक समीक्षा करेंगे—

(१) जिला कर्मचारी-वर्ग-समिति से परिनिन्दा या एक वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त दण्डों के लिये पूर्व अनुमति का प्रावधान यहाँ वैधानिक व अनिवार्य है। अनुमति मानना आवश्यक है,

* नियम ७ के उपनियम (१२) के प्रावधानों की ओर सकेत है।

† ससम्मान निवेदन है कि—नियम ७ मे असाधारण दण्ड देने की प्रक्रिया का वर्णन है। यहा नियम १२ होना चाहिये, जो प्रशासनिक सेवा नियमो के नियम २६ के समतुल्य है: जिसमे अपील के प्रारूप व विषय-सामग्री का विवेचन है।

‡ अपील के लिये धारा ८९(७) मे ३० दिन की अवधि निर्दिष्ट है।

××× विज्ञप्ति स० एफ ४/एल/बी एस /ए. आर/११/६६/४७९७ दिनाक १६-४-६७ 'या राज्य सरकार' शब्द विलोपित किये गये।

परामर्श नही। अपील के मामलो मे केवल परामर्श लेना आवश्यक है, उसे मानना या न मानना अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेक पर छोड दिया गया है।

(२) सविधान के अनुच्छेद ३११(२) मे सन् १९६३ मे सशोधन किया गया, जिसके आधार पर असैनिक सेवा नियम १६(१०)(1 (ख) मे दिनाक २०-२-६५ को सशोधन किया गया; परन्तु इन नियमो का नियम ७(१०)(ख) अभी तक वैसा ही है, यद्यपि इसके पालन से भी अनुच्छेद ३११(२) का उल्लघन नही होता है।

(३) अपील के मामलो मे नियम १५ के परन्तुक(५ (घ) मे किसी निर्णित अपील की पुनरावृत्ति का उल्लेख है, किन्तु दूसरी अपील का कही कोई प्रावधान नहीं है।

(४) विकास अधिकारी धारा २७(ण) के अधीन कमचारियो पर पर्यवेक्षण व नियत्रण रखता है। फिर धारा ~५(घ) में प्रधान को प्रशासनिक नियत्रण का अधिकार है, जो पचायत समिति के निर्णयों की क्रियान्विति हेतु सीमित है। धारा ५८(१)(ग) मे प्रमुख को जिला परिषद् के सचिव व सचिवालय के स्थापन पर प्रशासनिक नियत्रण का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियो मे विकास अधिकारी और प्रधान तथा सचिव व प्रमुख के बीच कभी-कभी मनभेद हो जाता है। ऐसे ही एक मामले में निर्णय हुआ है कि—जिला परिषद का स्थापन (स्टाफ) प्रमुख के प्रशासनिक नियत्रण मे है परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि—सचिव कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते दिन प्रतिदिन के काय का करने के लिये अधिकार नही रखता। जहा एक लिपिक जिला परिषद् मे प्रतिनियुक्ति पर था, उसे विभाग ने वापस बुलाने की आज्ञा जारी की और सचिव ने उसे कार्यमुक्त कर दिया, परन्तु प्रमुख ने उसे जाने से रोक दिया—यह तथ्य उसे कोई मदद नही करेगा और उसका आचरण दुर्व्यवहार (misbehaviour) होगा।[4]

(५) **आज्ञाओ में सशोधन या निगरानी**—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि—पचायत समिति/जिला परिषद् एक सकाय (Corporated body) है और धारा ८९ तथा इसके अधीन बने ये नियम उसके क्षेत्राधिकार के निर्णय हैं। ऐसी परिस्थिति मे धारा २१ के अधीन पचायत समिति प्रशासन स्थाई समिति का अभिलेख मगाकर उसे नियम २१-क के अधीन सशोधित (rivised) कर सकती है, परन्तु यह आज्ञा की दिनाक से एक माह के भीतर तथा दो-तिहाई बहुमत से ही समव है स्थाई समिति को जो अधिकार हैं, वे सब प्रत्यायोजित किये गये हैं, अत. मूल प्राधिकारी—अर्थात्—पचायत समिति को तो वे अधिकार प्राप्त ही हैं। फिर दण्ड एव अपील नियमो मे सशोधन या पुनरीक्षा (Revision or review) के अधिकारो का समावेश अलग से नही किया गया, अत अधिनियम की धारा २१, २१-क के अधीन पचायत समिति स्वत (Suo moto) या प्रभावित कर्मचारी के आवेदन पर स्थायी समिति के निर्णय को सशोधित या परिवर्तित कर सकती है। इसी प्रकार काय-सचालन नियम १९६५ के नियम १३ के अधीन निर्णयों के सशोधन तथा निरसन करने की विधि दी गई है, जिसके अनुसार–(क) निर्णय लेने से तीन महीने तक पचायत समिति/जिला परिषद् की विशेष रूप से इस हेतु आयोजित बैठक में पचायत समिति/जिला परिषद् के तत्कालीन मतदाता सदस्यो की कुल सख्या के कम से कम आधे बहुमत से, और (ख) तीन महीने पश्चात इसी प्रकार की विशेष बैठक मे दो-तिहाई बहुमत से पचायत समिति/जिला परिषद अपने किसी निर्णय को सशोधित या निरस्त कर सकती है। यही विधि नियम ३० के अधीन

4. श्री दौलतराज उच्चलिपिक बनाम राज्य (अपील) 1965 RRD 340

स्थाई समिति के लिये लागू होगी। इस प्रकार पचायत समिति/स्थाई समिति/जिला परिषद्, यथास्थिति, को अनुशासनिक मामलो मे दिये निर्णयो को सशोधित या निरस्त करने का अधिकार है।

(६) **राज्य सरकार द्वारा संशोधन या पुनरीक्षा**—अधिनियम की धारा ६१ मे विधि या नियमो के प्रतिकूल या शक्ति का दुरुपयोग करके दिये गये निर्णय को निरस्त करने का सरकार को अधिकार है। अतः सरकार का इस धारा के अधीन विस्तृत अधिकार है, जिसके लिये कर्मचारी सरकार को उचित माध्यम द्वारा प्रार्थना कर सकता है।

आगे धारा ८५ मे सशोधन (निगरानी) व पुनरीक्षा के अधिकार सरकार को हैं, जिसकी उपधारा (१) के अर्ध न स्वतः या प्रभावित व्यक्ति की प्रार्थना पर सरकार सम्बन्धित कार्यवाही का अभिलेख मगाकर किसी भी आज्ञा की वैधता, औचित्य व शुद्धता के लिये अपना संतोष कर लेने के बाद ऐसे निर्णय को निरस्त या परिवर्तित कर सकती है या मामले को पुनर्विचारार्थ वापस कर सकती है। इस धारा की उपधारा (२) के अधीन उस निर्णय के लिए स्थगन-आदेश दे सकती है, जब तक कि—उस पर सरकार दोनो पक्षो को अवसर देकर निर्णय नही कर देती। उपधारा (३) मे उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी आज्ञा मे रही कानूनी या तथ्यों की भूल या त्रुटि के कारण पुनः पुनरीक्षा—यानी दूसरी पुनरीक्षा की जा सकती है; किन्तु उस आज्ञा के दिनाक से ९० दिन बाद इस धारा मे कोई कार्यवाही नही हो सकती। उपधारा (४) के अधीन बताया गया है कि—इन सब मामलों मे न्यायालय-शुल्क ५ रु० होगी।

इस प्रकार पचायत समिति/जिला परिषद् के कर्मचारी-वर्ग को दण्डाज्ञा की केवल एक अपील ही नही, वरन् कई अवसर बचाव के लिये उपलब्ध हैं, जिन्हे संक्षेप मे पुनः दोहराना अनुचित न होगा:—

(१) धारा २१-क के अधीन पचायत समिति एक माह के भीतर दो तिहाई बहुमत से स्थायी समिति के निर्णय को बदल सकती है।

(२) कार्य-सचालन नियम (१३), पठित (३०) द्वारा स्थाई समिति स्वयं उसे बदल सकती है—या

(३) फिर पचायत समिति उसको ३ माह मे आधे बहुमत से बदल सकती है, बशर्ते कि—वह निर्णय पहले पचायत समिति ने पुष्ट कर दिया हो, फिर वह पचायत समिति का निर्णय बन जावेगा और उसे वह सशोधित कर सकेगी। तीन माह बाद इसके लिये दो-तिहाई बहुमत चाहिये।

(४) धारा ६६ के अधीन सरकार से उस आज्ञा या निर्णय को निरस्त करने को प्रार्थना की जा सकती है—या—धारा ८५ मे पुनरीक्षा के लिये प्रार्थना की जा सकती है।

(५) धारा ८९ (६) पठित नियम १५ के अधीन अपील की जा सकती है। इसमें सरकार द्वारा दी गई आज्ञा की कोई अपील या पुनरीक्षा नहीं हो सकेगी और वह अन्तिम होगी।

आशा है, इन प्रावधानो की इस समीक्षा से पचायत समिति/जिला परिषद् कर्मचारी-वर्ग को कुछ लाभ मिल सकेगा।

परिशिष्ट-[ड]

भारतीय पुलिस अधिनियम १८६१

एव

राजस्थान पुलिस सेवाओं में अनुशासनिक व्यवस्था

तालिका

१ पुलिस-सेवाओ में अनुशासन का महत्व—

पुलिस सेवाओं का कार्य समाज मे विधि-व्यवस्था (Law & Order) को बनाये रखना है। इनके कार्य व स्वरूप के कारण इनमे कठोर-अनुशासन की आवश्यकता मानी जाती है। अत इन्हें अर्द्ध-सैनिक रूप मे मानकर प्रारम में यह मतभेद था कि—अनुच्छेद ३११ का सरक्षण पुलिस कर्मचारियो को प्राप्त है या नही? अब इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जगन्नाथ प्रसाद के मामले मे[1] मान्यता दी है कि—यह सरक्षण उन्हें भी प्राप्त है। परन्तु फिर भी नियम ३ (च) के अधीन जिन मामलो मे पुलिस-अधिनियम मे प्रावधान हैं, उनके लिए वे ही लागू होंगे और अन्य मामलो मे राजस्थान असैनिक सेवा नियम लागू होगे।

राजस्थान मे भारतीय पुलिस अधिनियम १८६१ को दि० १९-१-५० से लागू किया गया। इसके पहले मुख्य-सचिव द्वारा बनाये गए 'पुलिस विनियम १९४८" (Rajasthan Police Regulations) पुलिस अधिनियम के अधीन नही बनाये गये हैं अत. वे केवल प्रशासनिक नियम हैं और राजस्थान असैनिक सेवा नियमो के प्रावधानो के विपरीत नही जा सकते।[2]

अत पुलिस अधिनियम मे वर्णित दण्डो को छोडकर अन्य मामलों म विभागीय-जाच इन्ही नियमो के अधीन की जावेगी। सेवा सम्बन्धी शर्तों के सब मामले पुलिस-अधिनियम म नहीं हैं, अत ये असैनिक सेवा (C.C.A.) नियम पुलिस-अधिनियम के पूरक हैं।[3]

२. भारतीय पुलिस अधिनियम १८६१

धारा ७ : निम्न श्रेणी अधिकारियो की नियुक्ति, निष्कासन आदि—

सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये गये ऐसे नियमो की सीमा म रहते हुए,

---

1 जगन्नाथ शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश शासन AIR 1961 SC 1245

2. पूनमाराम बनाम राजस्थान राज्य 1959 RLW 523 (526)

3 AIR 1967 Raj 414, 1960 Raj 56.

महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक एवं जिला अधीक्षक, आरक्षी किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को किसी भी समय निष्कासित, निलम्बित या पदावनत कर सकते हैं, जो कि अपने कर्तव्यपालन मे लापरवाह है या उस (सेवा) के लिए उपयुक्त नहीं है।

या—निम्न दण्डो मे से एक या अधिक दण्ड उसे दे सकते हैं, जो लापरवाही से या ध्यान न देकर अपना काम करता है या उसके स्वयं के कार्यों से अपने आपको सेवा के लिए अनुपयुक्त बना देता है—अर्थात्—

(क) किसी राशि तक अर्थदण्ड (जुर्माना), (परन्तु) एक माह के वेतन से अधिक नहीं।

(ख) १५ दिन तक की क्वार्टर की सजा मय ड्रिल, अधिक रक्षक-कार्य (extra guard), श्रम (fatigue) या अन्य कार्य के दण्ड के या बिना ऐसे दण्ड के;

(ग) सदाचार-वेतन बन्द कर देना,

(घ) किसी सम्मानपूर्ण पद या विशेष वेतन से हटाना।

संक्षिप्त व्याख्या

यह उच्चाधिकारियों को अनुशासन बनाये रखने के लिए दिया गया एक विशेष-अधिकार है। इन दण्डों के अलावा उस पर धारा २९ मे या भारतीय दण्ड संहिता मे अलग से मुकद्दमा भी चलाया जा सकता है। लापरवाही या अनुशासनहीनता के लिए तो अधिकारी भली प्रकार स निश्चय कर सकते थे, ऐसे मामले को और फिर वह भी धारा ७ मे न्यायालय के लिए दण्ड देना उचित नहीं माना गया।[4]

धारा २९ : कर्तव्य की अवहेलना आदि के लिए दण्ड—

प्रत्येक पुलिस-अधिकारी, जो कर्तव्य के हनन या जानबूझकर किसी नियम, विनियम (रेगुलेशन) या सक्षम अधिकारी की कानूनी आज्ञा के भंग करने या लापरवाही करने का दोषी होगा, या

दो माह तक के समय के लिए बिना पहले सूचना दिये या बिना स्वीकृति लिए अपने कर्तव्य से दूर रहेगा, या छुट्टी के बाद अनुपस्थित रहेगा या बिना यथोचित कारण के छुट्टी समाप्त होने पर कर्तव्य पर नहीं आयेगा, या

जो पुलिस कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी काम मे बिना स्वीकृति के लगेगा, या

जो कायरता का दोषी या जो अपनी सुरक्षा मे किन्ही व्यक्तियों को व्यक्तिगत अनुचित हिंसा प्रदान करेगा, —

—वह दण्डनायक के समक्ष तीन महीने के वेतन तक का जुर्माना या तीन माह तक का सश्रम या बिना श्रम कारावास (जेल) की सजा या दोनो पा सकेगा।

संक्षिप्त व्याख्या

धारा ७ व २९ मे स्पष्ट अन्तर यही है कि—धारा ७ मे विभागीय उच्चाधिकारी ही दण्ड दे सकते हैं, परन्तु धारा २९ में दण्डनायक के न्यायालय मे दण्ड-प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C)

4. AIR 1957 All 217 (219)

के अधीन मुकदमे के बाद सजा मिल सकती है। यहां 'नियम या विनियम' का अर्थ उस नियम या विनियम से है, जो किसी विधि (अधिनियम) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये हैं। इनका अर्थ केवल पुलिस-अधिनियम के अधीन बने नियमों से ही नहीं है। अन्य अधिनियमों के अधीन बने नियम भी इसमें सम्मिलित हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी आचरण नियमों की अवहेलना भी इसमें सम्मिलित है।[5] "पुलिस अधिकारी" शब्द में आरक्षी (कांस्टेबल) सहित सब अधिकारी सम्मिलित हैं, जो पुलिस-दल के सदस्य हैं।[6] सक्षम अधिकारी वे हैं, जिन्हें किसी विधि द्वारा नियम बनाने का अधिकार है।[5] कानूनी-आज्ञा (Lawful order) किसी भी अधिकारी द्वारा कानून के अधीन दिया गया आदेश है। जैसे—एक सहनिरीक्षक (S.I.) को मुकदमा दर्ज करने को कहा गया, तो यह कानूनी आज्ञा थी; जिसे नहीं मानना धारा २९ में दण्डनीय है।[7] बीमारी के लिए अस्पताल में भरती होना आवश्यक नहीं। प्राइवेट या वैद्य से भी इलाज कराया जा सकता है और ऐसी बीमारी के कारण हुई अनुपस्थिति दण्डनीय नहीं मानी गई।[8] केवल कर्तव्य की अवहेलना दण्डनीय नहीं है, वह जानबूझकर व जबरन होनी आवश्यक है।[9] एक सिपाही जिन दंगेबाजों को किसी मकान में घुसने से रोक रहा था, वे ही उसे पकड़कर भीतर ले गये और बाहर नहीं आने दिया; तो यह उसकी कायरता नहीं मानी जा सकती।[10]

राजस्थान पुलिस की अनुशासनिक व्यवस्था : एक तालिका ‡

नाम पद	नियुक्ति-प्राधिकारीगण: स्थाई	नियुक्ति-प्राधिकारीगण: केवल ४ माह के लिये कार्यवाहक	अनुशासनिक-प्राधिकारी: परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने हेतु	अनुशासनिक-प्राधिकारी: अन्य दण्ड
१. राजस्थान—आरक्षी सेवा (R.P.S.) अधिकारी	सरकार	महानिरीक्षक (I.G P.)	महानिरीक्षक	सरकार
२. निरीक्षक—आरक्षी Inspectors	महानिरीक्षक	उप म. नि. (Dy. I.G P.)	उ. म. नि. (क्षेत्र)	महानिरीक्षक
३. सहनिरीक्षक (S.I.)	उ. म. नि. (क्षेत्र)	जिला-अधीक्षक (S.P.)	जिला-अधीक्षक	उ. म. नि. (क्षेत्र)
४. आरक्षी व मुख्य आरक्षी	जिला अधीक्षक आरक्षी (S.P.) एवं अतिरिक्त अधीक्षक (Addle. S P.)			

5. 1960 RLW 598
6. AIR 1929 Lahore 325
7. AIR 1926 All 562
8. AIR 1927 Lahore 15
9. AIR 1928 Lahore 164
10. AIR 1928 Oudh 285

‡ देखिये—अनसूची (२) पुलिस विभाग (पृष्ठ २१, इसी पुस्तक में)

परिशिष्ट (च)—

(१) कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञप्तियाँ

(Some Important Govt. Circulars, Notifications etc.)

(१) जानबूझ कर कपट से यात्रा-भत्ता प्राप्त करने के मामलों में (Fraudulent drawal of T. A.)—

(१) पुराने मामलों में—

दुर्भावना सिद्ध होने पर तीन वेतन वृद्धियां रोकी जावेंगी।

(२) भविष्य मे, सेवाच्युति व निष्कासन तक का दण्ड दिया जा सकेगा।

[सं० एफ २० (३२) नियुक्ति (क)/६० ग्रे० ३ दि० १०-८-६०]

(२) प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर (Evasion of Training)—दोषी अधिकारियो व कर्मचारियो को भविष्य मे कड़ा दण्ड (वेतन वृद्धिया, विशेष वेतन रोकना आदि) दिया जावेगा।

[स० एफ ५(५७) नियुक्ति (क)।६२ दि० ८ नवम्बर, १९६२]

(३) धर्म-परिवर्तन की गतिविधियो मे कोई राज्य कर्मचारी भाग नही लेगा व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद व प्रभाव का ऐसी गतिविधियो मे प्रयोग करना अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उचित व पर्याप्त कारण माना जावेगा।

[स० एफ १३(१७) नियुक्ति (क)।५५ दि० १७ मार्च १९५८]

(४) सरकारी नीलाम मे जब्त की गई वस्तुओ के नीलाम की बोली कोई राज्य कर्मचारी स्वय या दूसरे द्वारा अपने लिये (by proxy) नही लगायेगा। इसे अनुशासनहीनता व राज्य कर्मचारी का अयोग्य आचरण माना जावेगा।

[स० एफ १३(१७) नियुक्ति (क)।५५ दि० २८ अप्रेल, १९५८]

(५) राज्य कर्मचारी 'किसान फोरम' और भारतीय युवा-कृषक सघ (Young Farmers' Association of India) के कार्यक्रमो मे भाग ले सकेंगे, परन्तु इससे उनकी दक्षता मे किसी प्रकार से कोई प्रभाव नही पडना चाहिये।

[स० एफ ४(१७) जी० ए०।(क)।५६ दि० १७ मई, १९५८]

(६) भारत स्काउट्स व गाइड्स के कार्यक्रम में भाग लेना—

राज्य कर्मचारी जो स्काउट या गाइड या रोवर्स हैं, उन्हे स्काउट सघ द्वारा आयोजित गतिविधियो मे लगे दिनो के लिये कार्यरत (On duty) माना जावेगा, बशर्ते कि उनके विभागाध्यक्षो ने इसके लिये सिफारिश या मनोनयन किया हो। उन्हे कोई यात्रा-भत्तादि नही मिलेगा।

[स० एफ १०(१) शिक्षा/५३ दि० २६ जुलाई, १९५५]

(७) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो से अधिकारियों द्वारा घरेलू कार्य कराना वर्जित है। दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

[सं० एफ ४(२६) जी० ए० (क) ५७ दि० २१ सितम्बर, १९५७; स० डी० ७/५८/ एफ ४ (२६) जी० ए०/क/५७ दि० २८-१-५८, स० एफ ४(२) जी० ए० (क)/५६ दि० ३१ जनवरी १९५९ तथा स. एफ ४६ क (४) नियुक्ति (ख-२) दि० १६ जनवरी १९६१]

(८) राज्य कर्मचारियों के लिए जनता मे या क्लबों मे या पूर्णत निजी पार्टियो मे भी जो बड़ पैमाने पर हो;—शराब पीना मना है। इसे उसके पद के अयोग्य कार्य माना जाकर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

[सं० एफ १३ (१७) नियुक्ति (क) ५५ दि० ३-७-५६]

(९) कोई भी आवेदन पत्र या अभिवेदन आदि सीधे राज्यपाल महोदय को भेजने का तरीका अनियमित है और आचरण व अनुशासन के प्रतिकूल है। भविष्य मे ऐसे मामलो मे कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

[स० एफ ६ (२०) कैंब/६२ दि० ७ अगस्त १९६२]

(१०) राष्ट्रीय आपत्कालीन समय मे 'राष्ट्रीय सुरक्षा कोष' हेतु धन सग्रह के लिए विभागाध्यक्षो व उपखड अधिकारी स्तर तक के अधिकारियो को अनुमति दी गई। विभागाध्यक्षो को उनके अधीनस्थ कर्मचारियो को ऐसी अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया।

[स० एफ ४ (३) नियुक्ति (क) ६२ श्रे० ३ दि० ६ नवम्बर १९६२]

(११) स्थानान्तर पर बिदाई-समारोह मे केवल राजपत्रित अधिकारियो से ही अंशदान (Contribution) लिया जावेगा, अन्य से नही। वह उस जाने वाले कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि—वह यह सतोष करले कि—राजपत्रित अधिकारियो के अलावा किसी अन्य कर्मचारी से कोई चन्दा इकत्रित नही किया गया है; अन्यथा दूसरो के साथ उसे भी समान रूप से आचरण नियम २ (ग) के भग का दोषी माना जावेगा।

[सं० एफ ८ (२८) जी. ए. (क) ५७ दि० २३ जुलाई १९५७]

(१२) राज्य सरकार का निर्देश है कि—एक कर्मचारी को पहले विभागीय जाच के बाद निष्कासित किया गया, जिसे अपील म आयोग की सम्मति पर 'गंभीर चेतावनी' देकर पुनः स्थापित किया गया व निलम्बन काल का ½ भाग वेतन दिया गया। प्रार्थी ने वाद किया। परिणाम स्वरूप उसे पूरा वेतन देना पडा, अत भविष्य मे या तो नियमानुसार दण्ड दिया जावे या उसके वेतन मे से कोई कटौती न की जावे।

[नियुक्ति विभाग परिपत्र स० एफ (१२) नियुक्ति (क-३)/६७ दि० ३-८-१९६७]

(२) सन् १९६८ के कुछ और महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

१. नियुक्ति के प्राधिकार का प्रत्योजन वैध—राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा सह-निरीक्षक (S.I.) की नियुक्ति के अधिकार उप महानिरीक्षक, आरक्षी (D.I.G P) को प्रत्यायोजित किये, जिसने जिला-अधीक्षक (S P) को जाँच करने की आज्ञा दी। इस पर माना गया कि—उप-महानिरीक्षक जाच की आज्ञा देने व 'कारण बताओ' नोटिस देने के लिये सक्षम है।

[अब्दुल अजीज बनाम उप-महानिरीक्षक (1968) I L.L.J 396]

२. अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिये आरोप कोई पहली शर्त नही है। यदि आरोप लगाया गया, तो यह सेवाच्युति या निष्कासन' है; परन्तु बिना किसी दोष के बताये दी गई आज्ञा अनुच्छेद ३११(२) को आकर्षित नही करती। ५५ वर्ष की आयु पर अनिवार्य-सेवा निवृत्ति वध

होगी। ५५ वर्ष के आगे सेवा में वृद्धि करना सरकार पर निर्भर है, इससे अनुच्छेद १४ भग नहीं होता।

[श्रीधर प्रसाद निगम बनाम उ० प्र० (1968) 1 L.L.J. 38]

सेवा निवृत्ति की आयु पर नियमानुसार सेवाओं की समाप्ति करना छंटनी (retrenchment) नहीं है।

[गुजरात राज्य बनाम लेबर कोर्ट (1968) 1 L.L.J. 148]

सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर सेवा निवृत्ति के लिये नोटिस देने का कोई कारण नहीं माना जा सकता।

[गोपीनाथ गुप्ता बनाम महा-डाकपाल कलकत्ता (1968) 1 L.L.J. 230]

राज्य कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु पर निवृत्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। एक बार अभिमत देने के बाद उसके विरुद्ध चालू विभागीय-जांच अवैध नहीं होती।

[सूरजपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (1968) 1 L.L.J. 299]

३. साक्ष्य—गवाहों के बयानों की प्रतिलिपियां देने में असफल रहना, यथोचित अवसर नहीं देना है और राज्य कर्मचारी के मूल अधिकारों में कटौती है।

[श्रमानन्द बनाम अधीक्षक, गन-फैक्ट्री AIR 1968 M. P. 178; राज्य बनाम गोपीनाथ शुक्ल (1967) 1 L. L. J, 335; मखनलाल डे बनाम भारतसंघ (1967) 2 L. L. J. 782]

४. सुनवाई के अधिकार में मौखिक सुनवाई का अधिकार सम्मिलित नहीं है—निष्कासन की आज्ञा लिखित में होनी आवश्यक है—अर्द्ध न्यायिक रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी को सद्भाव से कार्य करना होगा, पक्षकारों को तटस्थता से सुनना होगा और जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसको सुनवाई का अवसर देने की वैधानिक नियमों की प्रक्रिया की पालना करनी होगी—वैधानिक नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, अतः वे अनिवार्यतः प्रशासनिक रूप में नहीं होते।

[दरयालाल बापूलाल रावल बनाम पाटन नगरपालिका, (1968) 1L.L J. 160]

. जिस प्रशासनिक अधिकारी ने सेवामुक्ति की आज्ञा दी, नियुक्ति-प्राधिकारी उससे उच्चप्राधिकारी था। अतः उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा क्षेत्राधिकार से परे है।

[माधवन बनाम निदेशक पौध संरक्षण (1968) 1 L.L.J. 51]

६. अध्यक्ष (प्रमुख) जिला परिषद् स्थानीय संस्था में नियोजित सचिव को निलम्बित नहीं कर सकता।

[बद्री प्रसाद रस्तोगी बनाम अध्यक्ष जिला परिषद्, मिर्जापुर 1967 All L.J. 671]

७. एक प्राथमिक शाला-अध्यापक को बिना एक अवसर दिये निष्कासन की आज्ञा दी गई, जो सहज न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अवैध मानी गई और संविधान के अनुच्छेद २२६ व २२७ के अधीन निरस्त होने योग्य है।

[उदयनाथ साहू बनाम चेयरमैन, जिला परिषद 1968 Lab I.C 80]

८. खण्ड-विकास अधिकारी (B.D.O.) केवल एक कार्यकारी प्राधिकारी है, जो पंचायत समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करता है।

[रामचन्द्रैया बनाम पं. स. गोपालपुरम् 1967 (1) AnWR 74]

विषयानुक्रमणिका एवं शब्दावली

(Alphabetical Subject-Index & Glossary)

F

G

H

I

W

संशोधन-तालिका (शुद्धि पत्र)

पृष्ठ स०	पक्ति स०	अशुद्ध	शुद्ध
	३३, ३५	नियमो के	नियमो १९५७ के
७	स (१८) मे ४	परिनिन्दा व वेतनवृद्धि या पदोन्नति	परिनिन्दा या वेतन वृद्धि
१३	१५	Gouernment	Government
"	२१	अनुशासन-प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी
१७	१०	नियम १६ (१०) (क)	नियम १६ (१०) (II) (क)
"	१०	जांच के दोहरान के आगे जोड़ें—	नियम १६ (११) मे साधारणदण्ड दने से पूर्व
"	१३	नियम ३० (२) मे	नियम २३ (४) (६) व नियम ३० (२) मे
४५	११	विवेक को साधारण	विवेक को सीमित
५३	१६	(७) AIR 1965 Cal.13	(४) AIR 1956 Cal. 13 यह पंक्ति सं० ८ होगी।
"	३०	१३६५ मे कलकत्ता	१९५६ मे कलकत्ता
५५	६	नियम ३८ (१) क	नियम ३० (१) मे
६३	१४	Daieb 21.11 61.	Dated 21 11 61.
९२	१५	२९.९.१९६२ मे किये हे	२९.९.१९६२ मे प्रत्यायोजित किये हैं।
१०२	१८	(*States qus*)	(*Status quo*)
११३	२२	नियम १२ मे	नियम (१४) मे
११६	तालिका २	प्रतिकथन [नि०१६(३)(४)(क)(ख)	२ प्रतिकथन [नि. १६ (३)(४)
	६	साक्ष्य नि०१६(४)(ग)(५) से (६)(ख)	साक्ष्य नि०१६(४)(५) से(६)(ख)
१२६	६	५ दिन मे	१५ दिन मे
१३१	१५	(d)	(b)
१४३	५	एक नियमितता है,	एक अनियमितता है,
१४९	४	लागू नही होता है या नही	लागू होता है या नही
१४९	२२	लिखित-कथन का उद्देश्य	लिखित-प्रतिकथन का उद्देश्य
१८०	२३	करने का निर्दिष्ट	करने का समय निर्दिष्ट
१८२	१४	नियम १४ (२)	नियम १५ (२)
"	२७	पदोन्नति का प्रश्न	पदोन्नति रोकने का प्रश्न
"	२९	परन्तु पदोन्नति को	परन्तु पदोन्नति रोकने की
१८३	२,३,६	'पदोन्नति' के आगे	रोकने' जोड़ें

परिशिष्ट

३ अनुसूची (क) मे ४७ के वाद जोड़ें —४८—X X X ४९—निदेशक, भेड व ऊन [स० एफ ३ (१९) नियुक्ति (क-३) ६७ दि० २९ ५ ६८ द्वारा निविष्ट]

३६ क्रमांक (४) मे पक्ति २—1058 All. 532 — 1958 All 532

३८ ,, ६ ,, ,, २—1964 Ajmer 22— 1954 Ajmer 24

८४ १ परिशिष्ट (ग) — परिशिष्ट (घ)

२३० क्रमाक (१०) मे पक्ति—४ दि० ६ नवम्बर १९६२—दि० १५ नवम्बर १९६२

पृष्ठ सं०	पा.द टिप्पणी सं०	शुद्ध करें
50	63	AIR 1959 SC 600; AIR 1949 Nagpur 118,
42	28	AIR 1953 Punjab 298
75	16	AIR 1959 Madras 270.
103	31	हटावें—'अमृतलाल बनाम म० प्र० शासन'
104	32	AIR 1955 Patna 372; 1961 SC 177
127	66	कर्मदेवसिंह बनाम बिहार राज्य
168	34	AIR 1958 Raj. 1
140	10	AIR 19 3 Punjab 503
177	93	पंजाब राज्य बनाम चुन्नीलाल
[70	6A	AIR 1958 SC 36
180	9	आई. एम. लाल बनाम भारतीय उच्चायुक्त
11	14	E. Ranga Warrier Vs. State of T.C.
15	5	AIR 1954 Raj. 207
16	3	RLW 1954 P. 524
"	4	AIR 1958 AP 240
"	5	" 1958 Cal 278
"	8	" 1962 SC 1344
18	4	" 1953 Pepsu 196
19	5	" 1955 Nag. 175
50	63	" 1955 SC 600;
		" 19 9 Nagpur 118 ref to.
51	70	" 1964 Manipur 18
59	89	" 1958 Cal 470
60	94	" 1954 SC 245
	9a	" 1962 J & K 66
61	98	" 1963 Bombay 137; (1968) II SC J 88 (92)
64	6	" 1956 SC 566; 1956 SC 476
75	16	" 1959 Madras 270
88	49	" 1954 Ajmer 22;
92	12	दि० ३.५.६७
93	14	ILR (1961 11 Raj. 371
120	24	AIR 1958 SC 300
123	41	1956 II MLJ 347
140	10	AIR 1963 Punjab 503
144	38	" 1962 AP 303
154	82	एस० सुब्बाराव बनाम मैसूर राज्य
155	88	AIR 1955 Pepsu 172
"	92	" 1958 AP 636
162	17	" 1962 SC 1344
[83	17	" 1950 SC 67